FOR REFERENCE ONLY.

दश माला, खंड 28, अंक 6

मंगलवार, 26 नवम्बर, 2002
5 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 54
Date 3/7/03

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्यासागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

विजय कुमार अस्थाना
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 6, मंगलवार, 26 नवम्बर, 2002/5 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 102 से 104	1-38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 105 से 121	38-48
अतारांकित प्रश्न संख्या 1111 से 1340	48-378
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
भारत की संसद के स्वर्ण जयंती समारोह पर सामूहिक फोटोग्राफ के बारे में	379
सभा पटल पर रखे गए पत्र	379-387
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	387
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	387
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	387
(एक) दसवां प्रतिवेदन	387
(दो) कार्यवाही सारांश	388
सदस्यों द्वारा निवेदन	396-404
(एक) दिल्ली विश्वविद्यालय के जुबली होस्टल में रहने वाले छात्रों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में	396-399
(दो) कृष्ण मेनन मार्ग, नई दिल्ली को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में	399-404
नियम 377 के अधीन मामले	419
(एक) राजस्थान में अजमेर और पुष्कर को वायुमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता प्रो. रासासिंह रावत	420
(दो) मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों को अन्य महानगरों के साथ वायुमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	420-421
(तीन) दामनजोड़ी रेलवे स्टेशन को स्थानान्तरित कर उड़ीसा के कोरापुट जिले में नाल्को कालोनी, दामनजोडी के और समीप लाए जाने की आवश्यकता श्री अनादि साहू	421

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(चार) मुम्बई में सायन-ट्राम्बे राजमार्ग पर पेड़ों को गिराए जाने की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया 421

(पांच) बिहार में पेयजल की समस्या का समाधान करने हेतु बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह 421-422

(छह) केरल के वायनाड जिले के कुडुवडियन समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन 422

(सात) मुचीपाड़ा और दुर्गापुर बैराज के बीच लेवल क्रॉसिंग पर उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 423

(आठ) उत्तर प्रदेश में नीलगायों द्वारा किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान को रोके जाने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मराज सिंह पटेल 423

(नौ) बिहार के रोहतास जिले में पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, अमझौर को पुन: चालू करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कान्ति सिंह 424

(दस) बिहार में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुकदेव पासवान 424-425

(ग्यारह) मध्य प्रदेश में रीवा में आकाशवाणी केन्द्र के वार्षिक बजट आवंटन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री सुन्दर लाल तिवारी 425

(बारह) तमिलनाडु में सेलम और वनियमबाड़ी के बीच राज्य राजमार्ग संख्या-18 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन 425

मंत्री द्वारा वक्तव्य

चीनी का बफर स्टाक बनाना 426-429

श्री शरद यादव 426-429

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव 430

श्री ए. राजा 430-432, 457-459

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन 432-436

योगी आदित्यनाथ 436-439

श्री लक्ष्मण सेठ 439-441

डा. मन्दा जगन्नाथ 441-443

कुंवर अखिलेश सिंह 443-445

श्री नवल किशोर राय 445-447

श्री ए.सी. जोस 447-449

प्रो. रासासिंह रावत 449-451

डा. वी. सरोजा 451-453

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 453-456

श्री सुरेश रामराव जाधव 456-457

खंड 2, 3 और 1 459

पारित करने के लिए प्रस्ताव 459

नियम 193 के अधीन चर्चा

उत्तर प्रदेश में हाल का राजनीतिक घटनाक्रम 460-548

श्री मुलायम सिंह यादव 460-469

श्री चिन्मयानन्द स्वामी 469-476

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 476-483

श्री सोमनाथ चटर्जी 483-489

श्री श्याम बिहारी मिश्र 489-496

श्री राशिद अलवी 496-502

श्री राव शंकर प्रसाद 502-508

श्री सईदुज्जमा 508-513

श्री प्रभुनाथ सिंह 514-518

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 518-521

श्री मोहन रावले 521-525

श्री भान सिंह भौरा 525-526

श्री विनय कटियार 526-535

कुंवर अखिलेश सिंह 535-542

श्री बसुदेव आचार्य 542-548

लोक सभा

मंगलवार, 26 नवम्बर, 2002/5 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह अपना प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न संख्या 102 ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एन.सी.ई.आर.टी. की नई पाठ्य पुस्तकें शुरू करना

*102. **श्री हन्नान मोल्लाह:***
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने हाल ही में विभिन्न कक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों हेतु नई पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित और शुरू की हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अक्तूबर, 2002 के 'दि हिन्दु' समाचार पत्र में 'एरर्स गैलोर इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) सरकार द्वारा गलतियों और विसंगतियों को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने तथ्यात्मक गलतियों के बावजूद चालू वर्ष से ही पाठ्य पुस्तकें शुरू कर दी हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार अक्तूबर, 2002 में 'सहमत' के तत्वावधान में हुए इतिहासकारों के सम्मेलन समेत विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त टिप्पणियों और पुस्तकों में किए गए कुछ परिवर्तनों के प्रति विरोध को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने हाल ही में कक्षा I, III, VI, IX और XI के लिए सभी विषयों की नई पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करके जारी की हैं।

(ख) से (ज) सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संज्ञान में उक्त समाचार एवं 'सहमत' के तत्वावधान में आयोजित सम्मेलन और उसमें व्यक्त विचारों के संबंध में छपे समाचार आये है। इंगित पाठ्यपुस्तकों में मोटेतौर पर निम्न प्रकार की त्रुटियां पाई गई - तथा मुद्रण संबंधी भाषा संबंधी, तथा कतिपय तथ्यात्मक। इस संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने समुचित संशोधन कर दिये हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्र सरकार पाठ्यपुस्तक लागू नहीं करती। अपने स्कूलों में किन पुस्तकों का उपयोग किया जाये इस संबंध में उपयुक्त निर्णय लेने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों/ स्कूल शिक्षा बोर्डों का है।

विवरण

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों में गलतियां

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा I, III, VI, IX और XI के लिए नई पुस्तकें जारी की। इनमें से कुछेक पुस्तकों में कतिपय त्रुटियां पायी गईं। यह त्रुटियां निम्न प्रकार की थी:-.

1. इंडिया एंड द वर्ल्ड (कक्षा VI के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक)

   (i) 'शून्य' का आविष्कार गुप्त काल में

   (ii) कथकली के स्थान पर कत्थक का उल्लेख

   (iii) पाण्डया राजा के बदले चोल राजा के संबंध में सूचना

2. कन्टेम्परी इण्डिया (कक्षा IX के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक)

(i) मडागास्कर की स्थिति के संबंध में विरोधाभास

(ii) वी.बी. फड़के का चित्र

(iii) गांधीजी की हत्या संबंधी तथ्य छूट जाना

(iv) भारत-सोवियत मैत्री संधि के संदर्भ में काल का मुद्रण

(v) कारगिल युद्ध के संबंध में वर्ष का मुद्रण।

3. इन्ट्रोड्यूसिंग सोश्योलाजी (कक्षा XI के लिए समाज शास्त्र की पाठ्य पुस्तक)

(i) 'सीक्वेन्स' की जगह 'साइंस' शब्द का मुद्रण; तथा

(ii) श्याम जी कृष्ण वर्मा की आगस्ट काम्टे के साथ भेंट के समय का मुद्रण।

उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य मुद्रण संबंधी गौण त्रुटियां दृष्टिगोचर हुई हैं। इस संबंध में यथावश्यक समुचित संशोधन कर दिये गये हैं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने जैसे गम्भीर मामले के महत्व को बड़ी चतुराई से कम करके बताया गया है। कई चीजों को सुनियोजित ढंग से पाठ्यक्रम से निकाले जाने का मामला इस उत्तर में छिपा है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि उसमें कोई परिवर्तन किया गया था तो माननीय मंत्री देश की जनता की राय पर गौर कर सकते हैं। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कहा गया है कि ''एरर्स गैलोर इन एन सी ई आर टी टेक्स्टबुक्स'' में ''द टाइम्स आफ इण्डिया'' के अनुसार ''हिस्टोरियन्स प्वाइंट टू एरर्स इन न्यू एन सी ई आर टी बुक्स'' ''द हिन्दु'' में कहा गया है ''एरर्स गैलोर इन एन सी ई आर टी टेक्स्टबुक्स'' ''द पायनियर'' के अनुसार, ''हिस्टोरियन्स फाइंड फ्लाज इन एन सी ई आर टी न्यू बुक्स'' इंडियन एक्सप्रेस में कहा गया है ''रिराइट, डिलीट एंड एरर्स''। ये राष्ट्रीय समाचारपत्रों की राय और टिप्पणियां हैं लेकिन यहां माननीय मंत्री ने सरकार के रवैये को बड़ी चतुराई से छिपाया है।

इस संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा उन सभी गलतियों की जांच कराएंगे जिनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है तथा सरकार द्वारा उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी बताएं जाएं न कि छिपाए जाएं। मैं यह भी जानना चाहूंगा क्या इन बिना जांची गई पुस्तकों का वितरण किया गया था अथवा वितरण को रोका जा रहा था यदि नहीं तो कक्षा छठी की तीन लाख पुस्तकों और कक्षा नौवीं की 4.25 लाख पुस्तकें वितरित कर दी जाती और इन गलत चीजों को पढ़ाया जाता। तो, मैं जानना चाहूंगा क्या इन पुस्तकों को वापस किया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: तीन-तीन प्रश्न नहीं पूछने हैं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा इन पुस्तकों के मुद्रण में कितने करोड़ रुपये व्यय किए गए और इसके लिए कौन जिम्मेवार है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सैकेंड सप्लीमेंटरी में पूछिए।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैं आपको शिक्षा के संबंध में सरकार के रवैये के बारे में बताना चाहूंगा। महोदय मैं इतिहास की कक्षा छः की पुस्तक से एक उदाहरण उद्धृत करता हूं:

''गाय को घायल करने अथवा उसकी हत्या करने के लिए निर्धारित दण्ड देश निकाला अथवा मृत्युदण्ड, जैसा भी मामला हो,''

मैं जानना चाहता हूं क्या हमारी नई पीढ़ी को उनके विभिन्न कर्त्तव्यों को वहन करने की शिक्षा देने का यही रवैया है। यह झज्जर में हो रहा है जहां लोगों का गोहत्या के नाम पर वध किया गया है। यह एक उदाहरण है। लेकिन सरकार लोगों से इन चीजों को छिपा रही है। अत: यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: श्रीमान्, हमने उन तमाम त्रुटियों को जो इंगित की गई थीं, उनका परीक्षण किया और जहां उचित था, उन सबको हमने संशोधित कर दिया और संशोधित पुस्तकें ही इस समय प्रचलित हैं।

अब, इन्होंने एक त्रुटि की ओर इंगित किया है जो ''हिन्दू'' में छपी केन्द्रीय सहमत संस्था की रिपोर्ट के बारे में है। उसमें यह कहा गया है कि हमने चायना वाल को टैराकोटा से बना दिखाया है-

[अनुवाद]

चीन अपनी महान दीवार के लिए मशहूर है जो विश्व में सबसे ऊंची और सबसे लम्बी है। इसकी लम्बाई 2400 कि.मी. है। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक राजा का मकबरा है जिसमें 8,000 सैनिकों की टुकड़ी पाई गई है जोकि पूरी सैनिक वर्दी में और अपने डिविजन और रैंक के अनुसार खड़ी दिखाई गई है। यह सभी पकी हुई मिट्टी की बनी थी।''

यह मकबरे के बारे में है लेकिन 'सहमत' के ही लोग कहते हैं कि यह चीन की दीवार के बारे में है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आरोप और इस प्रकार की चूकें अत्यन्त भ्रामक हैं। ये बातें विशेष प्रयोजन से प्रेरित हैं।

[हिन्दी]

जो गलतियां थीं, वे हमने स्वीकार की हैं और उनको हमने संशोधित किया है। हमने उनका संलग्नक उसकी के साथ लगा दिया है कि कौनसी गलतियां हमने ठीक की हैं।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी इन सारी पुस्तकों को छापने में क्या कठिनाई थी। देखिए, दिनांक 12.09.2002 को सुप्रीम कोर्ट ने हमें आज्ञा दी कि अब हम पुस्तकें छाप सकते हैं। छात्रों को पुस्तकें समय पर मिल जाएं, इसलिए हमने अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में ही उन्हें प्रसारित कर दिया। स्वाभाविक है कि उनमें बहुत सारी मिस्टेक थीं, जो छपाई की मिस्टेक थीं, जो टाइपिंग की मिस्टेक थीं जो प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक थीं। इसके अलावा कुछ भूल भी थीं। हमने उन सबको पढ़ा और तत्काल सुधारा। यह अब दूसरी पुस्तक है, जो संशोधिक पुस्तक है। पहला संस्करण सितम्बर 2002 का है और अक्तूबर 2002 में इसे पुनः मुद्रित किया गया है।

सरकार का और एन.सी.ई.आर.टी. का इस मामले में बिलकुल खुला दिमाग है और अगर कोई फैक्चुअल मिस्टेक हमारे सामने रखी जाएगी, तो हम उसे आज ही नहीं, हमेशा संशोधित करने का प्रयास करेंगे। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं कि जो पुस्तक पढ़ा दी, उसमें अगर गलती है, तो भी हम उसी पुस्तक को चलाते रहें। हमारे ध्यान में किसी भी पुस्तक के बारे में कोई विद्वान कोई भी तथ्यात्मक गलती, फैक्चुअल मिस्टेक अगर लाएगा, तो हम उसे अवश्य सुधारेंगे। हमने वे सुधारी हैं और आगे भी सुधारेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ना भी न आए और गलतियां बता दें। जहां तक इस बात का सवाल है कि हम एक्सपर्ट्स से निरीक्षण कराएंगे या नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि हम निरीक्षण बराबर कराते रहते हैं। उसी का परिणाम है कि ये गलतियां हमारे ध्यान में आई हैं और हमने उन सारी गलतियों को सुधार दिया है।

श्री हन्नान मोल्लाह: जो साढ़े सात लाख किताबें छाप दीं जिनमें गलतियां हैं, उनका क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय: क्या यह आपका सप्लीमेंट्री प्रश्न है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: उनमें संशोधन पत्र दे दिया जाता है। उनमें ऐरेटा दे दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, जैसाकि मैंने आपको बताया है कि माननीय मंत्री ने अत्यन्त चतुराई से सरकार के इस रवैये को नजरअंदाज किया है। हमारा आरोप है। बच्चों को गाय के साथ किए गए बर्ताव के संबंध में लोगों को मारना सिखाया गया है जैसा कि झज्जर में घटित हुआ है? जहां 5 दलितों की हत्या की गयी थी। यदि शिक्षा के माध्यम से यह मनोवृत्ति सृजित की जाती रही है तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं घटेंगी।

एक अन्य बात जिसे मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने स्वीकार किया है कि गांधी जी की हत्या को छोड़ा गया था। यह इस देश के किसी भी भारतीय के लिए अपराध है। गांधी जी जैसे संत जो भारत के राष्ट्रपिता हैं का नाम इतिहास की पुस्तकों से हटा दी गई है। यह आर एस एस का मनोविज्ञान है। यह पूछने पर एन सी ई आर टी के चेयरमैन श्री राजपूत ने कहा कि इस गलती को सुधार दिया जाएगा।

लेकिन कैसे? उन्होंने कहा हत्या का उल्लेख किया जा सकता है लेकिन हत्यारे का नहीं क्योंकि हत्यारा गोडसे आर एस एस का भगवान है। आर एस एस के सिद्धान्तों ने गांधी जी की हत्या की, गांधीवादी विचारधारा और लोकाचार की हत्या की और इसीलिए वे उस तथ्य को छिपाना चाहते हैं और उन्होंने गलती की है। उन्हें पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गांधी जी का नाम छोड़कर गलती की है। गांधी जी को मारने के पीछे चाहे कोई भी सिद्धान्त रहा हो, उन्हें ठीक तरह से बताना चाहिए कि उनकी हत्या किसने की। उसे भी पुस्तक में बताया जाए।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो लोग गांधी जी को लेंकी आफ ब्रिटिशर्स कहते थे,

उनको आज गांधी जी के बारे में बहुत अधिक श्रद्धा पैदा हो रही है। हमने यह स्वीकार किया है ...*(व्यवधान)* आप कृपया सुनिये। मैं बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैंने उनको बोलते हुए हस्तक्षेप नहीं किया था। ...*(व्यवधान)* जब आपको तकलीफ होती है, मुझे यह भी मालूम है कि आपको क्यों तकलीफ होती है और होगी। ...*(व्यवधान)* मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप या पढ़ा रहे हैं, यह भी मैं बताऊंगा ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, यहां उलटे मंत्री जी का बिहेवियर देखा जाये। गांधी जी की हत्या का इतिहास खत्म कराया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* इतिहास में, किताब में छपवा कर बतला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय मैं अपनी बात पर कायम हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: *

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह कार्यवाही से बाहर जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी यहां उत्तर दे रहे हैं और उत्तर देने का मंत्री जी का अधिकार है। यदि आपको मंत्री जी का उत्तर चाहिए तो आपको उनको सुनना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामदास जी, आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

डा. मुरली मनोहर जोशी: अगर आप इसके संलग्नक को पढ़ेंगे, उसके साथ जो एनेक्श्चर है, उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हमने उसमें लिखा है कि गांधी जी की हत्या का उल्लेख उसमें नहीं है। इसको हमने स्वीकार किया है और संशोधित पुस्तक में उसका वर्णन है कि श्री नाथू राम गोडसे ने उनकी हत्या की, यह उसमें लिखा गया है। इतना ही है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आज तक दुनिया के इतिहास में किसी ने कभी ऐसा नहीं किया, जो यह करवा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*...

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आज पाठ्य पुस्तकों में गलतियां उग्र विवाद का रूप लेती जा रही हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और मैं नहीं समझती कि हमें सदन में तीखी चर्चा करने की आवश्यकता है। तथापि, मैं माननीय मंत्री जी से दो अत्यन्त महत्वपूर्ण और स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहती हूं।

पहला प्रश्न जिसे मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं वह है इतनी गलतियों के साथ पाठ्य पुस्तकों को क्यों छापा जाता है जबकि वह गलतियां सुधारने के लिए विशेषज्ञों के पैनल से होकर गुजरती है और इसीलिए उन्हें विवादास्पद स्थिति और प्रत्येक आचरण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जाए। यह महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए आरम्भ से ही विशेषज्ञों का पैनल होना चाहिए जब पाठ्य पुस्तकें मुद्रित नहीं की जा रही हों। तथापि, पाठ्यपुस्तकों में उन गलतियों और हुई चूकों के लिए जो भी जिम्मेवार हो उससे पूछा जाए और उन विशेषज्ञों से पूछा जाए जो पैनल में शामिल होने के साथ-साथ पाठ्य पुस्तकों के लेखक भी हैं?

यह सब करने के बाद, विद्यालय सत्र के मध्य में छह माह बीतने पर, अशुद्धि युक्त पुस्तकों के वितरण के लिए कौन जिम्मेवार है और जिसके कारण हमने अपने बहुमूल्य उपलब्ध साधन खोया है, धनराशि व्यर्थ गंवाई है तथा वे छात्र जो इन पुस्तकों में शुद्धियां शामिल करने पर भी लाभान्वित नहीं हुए हैं। इन सबका जिम्मेदार कौन है? क्या मंत्री महोदय इन दो पहलुओं पर गौर करने की कृपा करेंगे।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, जैसा मैंने पहले निवेदन किया है कि ये पुस्तकें छापने से हमको रोक दिया गया था। 12.9.2002 में उच्चतम न्यायालय ने इन पुस्तकों को छापने का आदेश दिया था। हमने और एन.सी.ई.आर.टी. के लोगों ने यह सोचकर कि पुस्तकें जल्दी मिलनी चाहिए, उन्होंने पुस्तकें छपवाईं। अधिकांश गलतियां जिनको हमने भी माना है, वह मुद्रण की हैं, प्रूफ रीडिंग की हैं। फैक्चुअल मिस्टेक्स तो इस तरह की प्वाइंट आउट की गई हैं जो मैंने आपको पहले पढ़कर सुनाया है। हमने कहा है कि चाइना की वाल के बाद वहां एक मकबरा निकला। उसमें जो चीजें बनी थी, वह टेराकोटा की थीं। प्रचार किया जा रहा है कि हमने चाइनीज वाल को टैराकोटा का बता दिया। यह गलतियां हैं या यह कहा गया कि भारत-रूस संधि तीस वर्ष की थी या बीस वर्प की थी। प्रूफ रीडिंग में अगर बीस का तीस हो जाए तो यह कोई गलती नहीं है। पुस्तकों के अंदर तमाम गलतियां होती हैं। पुस्तकें छपने के बाद जैसे ही पता लगा, उन पुस्तकों के लिए शुद्धि-पत्र जारी कर दिया गया और नई पुस्तकें तत्काल छाप दी गई यानी सितम्बर के अंत में पुरानी पुस्तकें छपीं और अक्तूबर के मध्य तक नई संशोधित पुस्तकें अच्छी तरह देख कर छाप दी गईं। बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए थे। लोगों ने जो याचिका दायर की थी, हम पुस्तकों को छाप नहीं सकते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि गलतियों के लिए कौन ऐकाउंटेबल है तो जो पुस्तकें छापते हैं, लिखते हैं, वही उसके ऐकाउंटेबल होते हैं। लेकिन अगर गलतियां ऐसी हों जो तथ्यों के सर्वथा विपरीत हों या ऐसी गलतियां हों जो मान्य तथ्यों से बाहर हों, उन गलतियों की ऐकाउंटेबिलिटी होती है। अगर बीस का तीस छप गया या इस तरह की गलतियां दिखाई जाएं, ये गलतियां नहीं मानी जाती हैं। हां, मैंने कहा कि एक सीरियस गलती थी जिसको हमने तत्काल स्वीकार किया। एन.सी.ई.आर.टी. को डायरैक्ट किया गया कि इसका उल्लेख होना चाहिए और वह उल्लेख कर दिया गया।

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने एन.सी.ई.आर.टी. की नई पुस्तकों की त्रुटि की ओर ध्यान दिलाया जिसे मंत्री जी ने स्वीकार किया कि प्रिंटिंग में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिनको सुधारा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, यह रिकार्ड में आए इसलिए एक सवाल पूछ रहा हूं, ये पुस्तकें तो अभी छपी जिनकी त्रुटि ध्यान में लाई गई और उसे बदल दिया गया लेकिन मैं स्पैसीफिक सवाल पूछ रहा हूं, गुरु तेग बहादुर, भगवान महावीर के बारे में, जाटों के बारे में, हिन्दुओं के बारे में ऐसे क्या वाक्य कहे गए, यह केवल अपराध ही नहीं था बल्कि एक बहुत बड़े सैक्शन का अपमान था, महापुरुपों के बारे में अपमानजनक चीजें थीं। हमारे बच्चों को पन्द्रह साल तक लगातार पढ़ाया गया। नई पुस्तकें क्यों छापनी पड़ी। मैं वह वाक्या जानना चाहता हूं जो चार-पांच महापुरुषों के बारे में पन्द्रह साल तक स्कूल के बच्चों को बढ़ाया गया। वह रिकार्ड में आ जाए और आने वाले केवल लोग देखें कि क्या-क्या पुस्तकें पढ़ाई जाती रहीं।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: इस बारे में एक बार पूरी चर्चा हो जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: मेरे सवाल का जवाब आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इनके प्रश्न का उत्तर आने दीजिए। मंत्री जी पहले उत्तर दे दें, बाकी बात बाद में सोचेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: इतिहास इतिहास है।...*(व्यवधान)* इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इनके प्रश्न का उत्तर आ जाए, डिस्कशन के बारे में बाद में सोचेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती थी, यहां सदन में क्वश्चन फिक्सिंग होने लग गई।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: क्या यहां आपको क्वश्चन फिक्सिंग लगती है?...*(व्यवधान)* हमारे महापुरुषों का अपमान करते रहे, यह आपको क्वश्चन फिक्सिंग लगती है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: इस पर विस्तृत बहस कर लीजिए, एक-एक चीज ज्ञात हो जाएगी।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: गुरु तेग बहादुर, भगवान महावीर के बारे में क्या-क्या कहा गया। आप माफी मांगें। माफी मांगने के बजाए आप इसे क्वश्चन फिक्सिंग कह रहे हैं।...*(व्यवधान)* आपको माफी मांगनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आपको माफी मांगनी पड़ेगी।...*(व्यवधान)* चर्चा हो जाए, रिकार्ड में आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: कहते हैं कि तमिल ब्राह्मण मदिरा पीते हैं और मांस खाते हैं। सगम ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। इन ग्रंथों का उपयोग ऐतिहासिक प्रयोजन से अर्थात् स्रोतों के रूप में कहना आसान नहीं है। ये सारे ग्रंथ जो भारत की सांस्कृतिक परम्परा के हैं, वे सब के सब इर्रेलेवेंट हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। फिर कहते हैं कि गुरु नानक जी का जन्म 1579 ईस्वी में रावी के तट पर तलवंडी में, जो आज ननकाना साहेब है, गांव में हुआ था। यही साल 1469 था। 15 साल तक यह किताब संशोधित नहीं की गई। जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव की गिरफ्तारी के साथ ही सिखों और मुगलों के बीच संघर्ष आरम्भ हो गया। ...*(व्यवधान)* आप सुनिए, तमाशा यह है कि गुरु हरकिशन जी का एक पुत्र मुगल दरबार में रहता था। फैक्ट यह है कि हरकिशन जी की मृत्यु आठ वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। उनका कोई पुत्र नहीं था। यह आप पढ़ा रहे थे। गुरु तेग बहादुर ने पूरे पंजाब में लूटमार मचा रखी थी और सारे प्रांत को उजाड़ दिया था। इसमें यह भी था कि सिख परम्परा गुरु तेग बहादुर को फांसी उनके ही परिवार के कुछ लोगों की साजिश का नतीजा थी।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: यह लेखक ने किसी अन्य लेखक को उद्धृत किया है, यह स्वयं की उनकी राय नहीं है।

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं अपनी बात पर कायम हूं...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। वह इसे बेकार में उद्धृत कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: यह जो भी पढ़ रहे हैं इसका इससे कोई सन्दर्भ नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: यह किसी ब्रिटिश लेखक को उद्धृत किया है। आप पूरा संदर्भ पढ़िए। आप सदन को गुमराह मत कीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं पूरा पढ़ दूंगा, लेकिन आप बैठिए तो सही।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। आपकी टर्न आएगी तो आप पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य: आप पूरा पढ़िए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं इसी सदन में पहले पूरा पढ़ चुका हूं, फिर पढ़ दूंगा। यह किसी ब्रिटिश लेखक को उद्धृत नहीं किया, यह श्री सतीश चन्द्र जी की पुस्तक में था। उन्होंने यह फारसी लेखक को उद्धृत किया था। उस फारसी लेखक ने जिन व्यक्तियों के नाम का उसमें उल्लेख किया था, वे गुरु तेग बहादुर की मृत्यु से बहुत पहले मर चुके थे। यह फारसी लेखक गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के 108 साल बाद लिख रहे हैं। ये कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। जो सारा सिख इतिहास लोगों ने लिखा है, उसका उल्लेख उसमें नहीं है।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: आर्य लोग गोमांस खाते थे, यह भी लिखा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: मंत्री महोदय एक सुविख्यात इतिहासवेत्ता पर टिप्पणी करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इस पर पूर्ण चर्चा करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह अच्छी बात नहीं है। लेखक अपनी रक्षा के लिए यहां उपस्थित नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न उठाया जाए और उत्तर चयनित रूप से दिए जाएं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: मैं माननीय मंत्री को भौतिकी का एक विशेषज्ञ मान सकता हूं किन्तु वह इतिहास के विशेषज्ञ नहीं हैं। वह यह नहीं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठिए। सब लोग बैठ जाएं। प्रश्न काल क्या होता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि प्रश्नकाल में आप प्रश्न पूछते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनें। सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है, और मंत्री को उत्तर देने का अधिकार है। यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, श्री बसुदेव आचार्य, तो आप इस मामले में उस तरह हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं आप जिस तरह आप चाहते हैं। आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने आपको प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा। मेरे पास उन सदस्यों के नाम हैं, जो कि कोई विशेष प्रश्न करना चाहते हैं और मैं उन्हें मंत्री महोदय

के समक्ष प्रश्न उठाने का अवसर दूंगा। तथापि, मंत्री महोदय का उत्तर पूरा होने दें क्योंकि वह सदन की नियमित प्रक्रिया है।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल: मंत्री महोदय सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस पर पूर्ण चर्चा चाहते हैं*...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह सर्वाधिक गलत बात है*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप उत्तर दें, मैं रिकार्ड पर लाऊंगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी: जाटों का लुटेरों के रूप में चित्रण किया गया है। भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राम प्रकाश बिस्मिल, अशफाकउल्ला खां, रास बिहारी जैसे महान क्रांतिकारियों को आतंकवादी बताया गया।*...(व्यवधान)* इसी प्रकार यह बताया गया कि जैन तीर्थंकरों में केवल महावीर स्वामी ही तीर्थंकर थे। उसके पहले सारे के सारे कपोल कल्पित थे और जैनियों ने अपने धर्म को प्राचीन सिद्ध करने के लिए उसकी कल्पना की थी। इस प्रकार की तमाम बातें थी।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मंत्री महोदय सदन का दुरूपयोग कर रहे है*...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, यह मैच-फिक्सिंग है*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: एन.सी.ई.आर.टी. की पुरानी पुस्तकें छपी हुई हैं, उसी में से पढ़ रहा हूं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है*...(व्यवधान)* यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। क्या वे सदन में कह सकते हैं कि यह मैच-फिक्सिंग है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ मैंने कहा है वह पहले ही रिकार्ड किया गया है। यह मैच-फिक्सिंग नहीं है। मैंने पहले ही कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया सदन में शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक शिक्षा और भगवाकरण शिक्षा का एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था।*...(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट ने उसमें निर्णय दिया और निर्णय में यह कहा कि धार्मिक शिक्षा का जहां तक सवाल है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन धार्मिक आदेश, निर्देश, अनुदेश और हिदायत नहीं दी जा सकती । सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धार्मिक आदेश और धार्मिक शिक्षा के बीच में बहुत कम फर्क है। वैरी थिन लाइन की बात उन्होंने कही और इस पर सरकार को स्पेशल केअर लेनी चाहिए कि कहीं धार्मिक शिक्षा का आधार लेकन किताबों में धार्मिक निर्देश न दिये जाएं। ऐसे पाठ्यक्रमों पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।*...(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: सवाल क्या है, सवाल पूछिए।

अध्यक्ष महोदय: वह मैं पूछूंगा। आप क्यों पूछते हैं?

...(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी: मेरा यह सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद केन्द्रीय सरकार ने स्पेशल केअर लेने के लिए क्या व्यवस्था की है और क्या कार्रवाई की है जिससे धार्मिक निर्देश और धार्मिक शिक्षा दोनों आपस में न मिल सकें? इस बारे में सरकार ने क्या कहा?*...(व्यवधान)* मेरा दूसरा निवेदन यह है कि*...(व्यवधान)* अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पाठ्यक्रमों और पुस्तकों के लिए एप्रूव किया है या कुछ पुस्तकों के लिये आदेश दिये हैं।*...(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह मैंने नहीं कहा। यह कहा कि ये पुस्तकें*...(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी: सुप्रीम कोर्ट ने किसी पुस्तक की जांच नहीं की है और लागू करने के निर्देश नहीं दिये हैं। इस तरह की कोई बात नहीं की है, यह भी स्पष्ट करें।*...(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: सुप्रीम कोर्ट न तो पुस्तकें लागू करती है और न सरकार पुस्तकें लागू करती है। विभिन्न राज्यों के अपने शिक्षा बोर्ड हैं। वे पुस्तकें लागू करते हैं और वे जिस तरह की पुस्तकें चाहें, लागू कर सकते हैं। इसलिए इसमें सरकार की तरफ से आदेश नहीं जाता। जहां तक धार्मिक शिक्षा और धार्मिक, जिसे आप धार्मिक रिचुअल्स, प्रक्रियाएं कहते हैं, उनके बारे में हमारे पाठ्यक्रम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिलीजियस एजुकेशन नहीं है बल्कि एजुकेशन एबाउट रिलीजन्स है। दुनिया में विभिन्न धर्म क्या हैं, उनके बारे में जानकारी है और आज यह सारी दुनिया में दी जा रही है। आप इस अंतर को अच्छी तरह से समझ लें कि धार्मिक शिक्षा नहीं है बल्कि धर्मों के बारे में शिक्षा है और

यह शिक्षा पहले भी दी जाती रही है और अब भी दी जा रही है। धर्मों के बारे में जानकारी दी जा रही है।...*(व्यवधान)* शिक्षा और जानकारी में कोई अंतर नहीं होता। बच्चों को एक स्तर पर जो चीज बताई जाती है, उसको जानकारी कहें अथवा शिक्षा कहें और यह हरेक धर्म के बारे में 'सर्व धर्म समभाव' के रूप में पढ़ाई जाएगी, ऐसा पाठ्यक्रम में स्पष्ट लिखा है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे पाठ्यक्रम के अन्दर जो लिखा है, उसका वाचन कर लें। यदि उसमें किसी प्रकार की कोई गलत बात है, तो हमें बतायें। इस सदन में उस पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा था। 1986 की नीति और संविधान के अनुरूप वह पाठ्यक्रम है। जब यह मामला कोर्ट में गया, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस पाठ्यक्रम में ऐसी कोई चीज नहीं है, जो संविधान के विरुद्ध हो। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को बार-बार उठाना जायज नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उस जजमेंट का भी वाचन कर लें और उस पाठ्यक्रम का भी वाचन करे लें। हमने बार-बार कहा है कि किसी भी पुस्तक में अगर ऐसी कोई बात आएगी, जिससे किसी धर्मावलम्बी को ठेस पहुंचता होगा या गलत होगी, तो उस अंश को निकाल दिया जाएगा। उस पुस्तक को आने दीजिए और टिप्पणी होने दीजिए, अगर उसमें गलती होगी, तो जरूर सुधार करेंगे। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम 20-25 सालों से जो गलतियां होती रही हैं, गलत बात पढ़ाई जाती रही है, उसी को चलने दें।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, 15 राज्यों की कांग्रेस सरकारों ने तय किया है कि वे नए पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ायेंगे और पुराना पाठ्यक्रम जिसमें गुरु तेग बहादुर, आर्यों, जाटों और जैनियों के बारे में गन्दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उसी को पढ़ाते रहेंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसको वे कैसे रोकेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार को इन्होंने लिखा था कि इसमें परिवर्तन करिए। उन्होंने कहा है कि इसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 15 कांग्रेस की राज्य सरकारें और वैस्ट बंगाल की सरकार ने कहा है कि वे इस पाठ्यक्रम को लागू नहीं करेंगे, इसको आप कैसे रोकेंगे?

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, कोई भी सरकार का राज्य बोर्ड जिस पुस्तक को मानेगा, उस पुस्तक को पढ़ाने के लिए स्वतंत्र है।

महिलाओं के प्रति अपराध

***103. श्री शीशराम सिंह रवि:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य राज्यों में दण्डात्मक कानून और प्रक्रिया तथा महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों की जांच के तरीकों में किए गए संशोधनों के बावजूद बलात्कारों, अपहरण, छेड़छाड़ और महिलाओं की हत्या के मामलों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002 के दौरान आज तक और पिछले वर्ष राज्य-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) क्या कानून और प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इनमें कुछ अन्य संशोधन और परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकार में हुए अपराधों के लिए पुलिस स्टेशनों की जवाबदेही और उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तथा देश में महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़ और दहेज हत्याओं के मामलों के आंकड़े इस प्रकार हैं

वर्ष/अपराध	1999		2000		2001	
	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली
बलात्कार	15468	402	16496	435	15264	320
अपहरण और व्यपहरण	15962	986	15023	998	14591	969
छेड़छाड़	32311	588	32940	549	32681	499
दहेज हत्या	6699	122	6995	125	6552	122

उपर्युक्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2001 में महिलाओं के प्रति इन अपराधों में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

(ख) वर्ष 2002 के लिए महिलाओं के प्रति इन अपराधों के संबंध में सभी राज्यों से प्राप्त आंकड़े केवल जून तक ही उपलब्ध हैं। राज्यवार विवरण अनुबंध "क" और "ख" पर हैं।

(ग) और (घ) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1994, जिसे 9 मई, 1994 को राज्य सभा में पेश किया गया था, में महिलाओं के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रस्ताव हैं:-

(i) धारा 46 में एक नई उप-धारा (4) को जोड़ने का प्रस्ताव है जिसके तहत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी महिला को सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

(ii) धारा 176 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की जा सके कि पुलिस हिरासत में रहते हुए किसी महिला के साथ बलात्कार होने की स्थिति में न्यायिक जांच कराना अनिवार्य होगा।

सरकार ने केरल और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश डा. (न्यायमूर्ति), वी.एस. मालीमथ, की अध्यक्षता में देश की दण्य न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए उपायों पर विचार करने हेतु एक समिति का भी गठन किया है। समिति को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की पुनरीक्षा करने का अधिदेश प्राप्त है।

(ङ) और (च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और इसलिए अपराध का पंजीकरण, अन्वेषण, उसका पता लगाने और रोकथाम करने जैसे विषय राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी हैं। कानून के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार में अपराध पर नियंत्रण करना पुलिस थानों की जिम्मेवारी और जवाबदेही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दण्ड न्याय प्रणाली के क्रियान्वयन में सुधार लाने और महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु सम्मिलित प्रयास करने के लिए, समय-समय पर, राज्य सरकारों को मार्ग-निर्देश जारी किए हैं।

अनुबंध "क"

1999, 2000 और 2001 के दौरान बलात्कार, अपहरण और व्यपहरण, छेड़छाड़ और दहेज हत्या की घटनाएं

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार			प्रतिशतता विभिन्नता		अपहरण और व्यपहरण			प्रतिशतता विभिन्नता	
		1999	2000	2001	2000 में 1999 के बाद	2001 में 2000 के बाद	1999	2000	2001	2000 में 1999 के बाद	2001 में 2000 के बाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	895	944	847	5.5	-10.3	708	716	747	1.1	4.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	39	36	33	-7.7	-8.3	40	42	32	5.0	-23.8
3.	असम	703	762	775	8.4	1.7	1149	1101	785	-4.2	-28.7
4.	बिहार	1447	1570	687	8.5	-56.2	939	700	488	-25.5	-30.3
5.	छत्तीसगढ़	एन.ई.	एन.ई.	12	—	—	एन.ई.	एन.ई.	6	—	—
6.	गोवा	18	21	889	16.7	4133.3	7	7	190	0.0	2614.3
7.	गुजरात	331	330	239	-0.3	-27.6	1074	868	718	-19.2	-17.3
8.	हरियाणा	372	421	345	13.2	-18.1	350	299	343	-14.6	14.7
9.	हिमाचल प्रदेश	109	129	115	18.3	-10.9	89	95	111	6.7	16.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	जम्मू-कश्मीर	170	183	169	7.6	-7.7	473	566	494	19.7	-12.7
11.	झारखंड	एन.ई.	एन.ई.	666	—	—	एन.ई.	एन.ई.	0	—	—
12.	कर्नाटक	301	231	293	-6.6	4.3	320	323	275	0.9	-14.9
13.	केरल	423	552	542	30.5	-1.8	123	89	113	-27.6	27.0
14.	मध्य प्रदेश	3561	3737	2724	4.9	-27.1	942	869	737	-7.7	-15.2
15.	महाराष्ट्र	1320	1310	1239	-0.8	-5.4	727	662	861	-8.9	30.1
16.	मणिपुर	12	8	20	-33.3	150.0	38	44	72	15.8	63.6
17.	मेघालय	27	35	30	29.6	-14.3	10	13	11	30.0	-15.4
18.	मिजोरम	71	58	44	-18.3	-24.1	0	3	3	—	0.0
19.	नागालैंड	11	14	16	27.3	14.3	5	4	0	-20.0	-100.0
20.	उड़ीसा	820	747	742	-8.9	-0.7	431	359	404	-16.7	12.5
21.	पंजाब	282	334	282	18.4	-15.6	280	292	403	4.3	38.0
22.	राजस्थान	1198	1242	1049	3.7	-15.5	2652	2550	2155	-3.8	-15.5
23.	सिक्किम	7	6	7	-14.3	16.7	0	1	7	—	600.0
24.	तमिलनाडु	430	538	393	25.1	-27.0	1000	805	677	-19.5	-15.9
25.	त्रिपुरा	72	86	102	19.4	18.6	27	40	35	48.1	-12.5
26.	उत्तरांचल	एन.ई.	एन.ई.	49	—	—	Ÿ.ß,.	Ÿ.ß,.	125	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	1593	1865	1893	17.1	1.5	2746	2755	3090	0.3	12.2
28.	पश्चिमी बंगाल	819	814	707	-0.6	-13.1	804	749	685	-6.8	-8.5
	कुल (राज्य)	15031	16023	14909	6.6	-7.0	14934	13952	13567	-6.6	-2.8
29.	अ. और नि. द्वीप समूह	6	5	3	-16.7	-40.0	2	3	2	50.0	-33.3
30.	चंडीगढ़	16	23	18	43.8	-21.7	36	52	46	44.4	-11.5
31.	दा. और न. हवेली	3	3	6	0.00	100.0	0	7	0	—	-100.0
32.	दमन और दीव	4	1	0	-75.0	-100.0	2	3	3	50.0	0.0
33.	दिल्ली	402	435	320	8.2	-26.4	986	998	969	1.2	-2.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	लक्षद्वीप	0	1	0	—	-100.0	0	0	0	—	—
35.	पांडिचेरी	6	5	8	-16.7	60.0	2	8	4	300.0	-50.0
	कुल (संघ शासित)	437	437	355	8.2	-24.9	1028	1071	1024	4.2	-4.4
	कुल (समस्त भारत)	15468	16496	15264	6.6	-7.5	15962	15023	14591	-5.9	-2.9

क्रम	राज्य/संघ	छेड़छाड़			प्रतिशतता विभिन्नता		दहेज हत्या			प्रतिशतता विभिन्नता	
सं.	शासित क्षेत्र	1999	2000	2001	2000 में 1999 के बाद	2001 में 2000 के बाद	1999	2000	2001	2000 में 1999 के बाद	2001 में 2000 के बाद
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	3238	3231	3338	-0.2	3.3	452	442	535	-2.2	21.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	65	53	48	-18.5	-9.4	0	0	0	—	—
3.	असम	720	777	339	7.9	-56.4	40	50	28	25.0	-44.0
4.	बिहार	547	456	325	-16.6	-28.7	1021	1085	694	6.3	-36.0
5.	छत्तीसगढ़	एन.ई.	एन.ई.	19	—	—	एन.ई.	एन.ई.	2	—	—
6.	गोवा	26	20	1664	-23.1	8220.0	2	2	59	0.0	2850.0
7.	गुजरात	1083	944	764	-12.8	-19.1	94	93	88	-1.1	-5.4
8.	हरियाणा	553	605	461	9.4	-23.8	288	263	260	-8.7	-1.1
9.	हिमाचल प्रदेश	297	288	303	-3.0	5.2	5	4	18	-20.0	350.0
10.	जम्मू-कश्मीर	507	480	622	-5.3	29.6	6	10	1	66.7	-90.0
11.	झारखंड	एन.ई.	एन.ई.	0	—	—	एन.ई.	एन.ई.	0	—	—
12.	कर्नाटक	1501	1568	1665	4.5	6.2	217	217	249	0.0	14.7
13.	केरल	1643	1695	2043	3.2	20.5	31	25	22	-19.4	-12.0
14.	मध्य प्रदेश	8054	8516	7361	5.7	-13.6	584	685	529	17.3	-22.8
15.	महाराष्ट्र	2766	2805	2820	1.4	0.5	395	371	336	-6.1	-9.4
16.	मणिपुर	13	18	35	38.5	94.4	0	0	0	—	—
17.	मेघालय	17	8	26	-52.9	225.0	0	0	0	—	—

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18.	मिजोरम	74	70	44	-5.4	-37.1	0	0	0	—	—
19.	नागालैंड	3	2	0	-33.3	-100.0	0	1	0	—	-100.0
20.	उड़ीसा	1494	1658	1562	11.0	-5.8	234	276	297	17.9	7.6
21.	पंजाब	198	340	321	71.7	-5.6	193	199	169	3.1	-15.1
22.	राजस्थान	3109	3092	2878	-0.5	-6.9	443	429	460	-3.2	7.2
23.	सिक्किम	21	0	19	-100.0	—	0	0	0	—	—
24.	तमिलनाडु	1959	1948	1571	-0.6	-19.4	197	191	155	-3.0	-18.8
25.	त्रिपुरा	71	59	58	-16.9	-1.7	17	16	15	-5.9	-6.3
26.	उत्तरांचल	एन.ई.	एन.ई.	67	—	—	एन.ई.	एन.ई.	39	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	2481	2607	2819	5.1	8.1	2088	2222	2197	6.4	-1.1
28.	पश्चिमी बंगाल	1200	1057	932	-11.9	-11.8	257	284	273	10.5	-3.9
	कुल (राज्य)	31640	32297	32104	2.1	-0.6	6564	6865	6426	4.6	-6.4
29.	अ. और नि. द्वीप समूह	13	23	19	76.9	-17.4	0	0	0	—	—
30.	चंडीगढ़	26	34	21	30.8	-38.2	7	2	3	-71.4	50.0
31.	दा. और न. हवेली	8	4	2	-50.0	-50.0	2	0	0	-100.0	—
32.	दमन और दीव	0	0	0	—	—	0	0	0	—	—
33.	दिल्ली	588	549	499	-6.6	-9.1	122	125	122	2.5	-2.4
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	—	—	0	0	0	—	—
35.	पांडिचेरी	36	33	36	-8.3	9.1	4	3	1	-25.0	-66.7
	कुल (संघ शासित)	671	643	577	-4.2	-10.3	135	130	126	-3.7	-3.1
	कुल (समस्त भारत)	32311	32940	32681	1.9	-.08	6699	6995	6552	4.4	-6.3

स्रोत : 1999 और 2000 - भारत में अपराध और 2001 मासिक अपराध आंकड़े।

नोट : 2001 के लिये आंकड़े अनंतिम हैं।

एन ई : उस समय ये राज्य नहीं थे।

अनुबंध "ख"

जनवरी-जून, 2002 के दौरान महिलाओं के साथ हुई अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण/व्यपहरण	दहेज मृत्यु	छेड़छाड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	510	493	327	1807
2.	अरुणाचल प्रदेश	18	20	0	21

1	2	3	4	5	6
3.	असम	410	458	18	229
4.	बिहार	388	308	411	170
5.	गोवा	6	1	0	11
6.	छत्तीसगढ़	511	126	35	778
7.	गुजरात	118	372	42	343
8.	हरियाणा	168	169	130	210
9.	हिमाचल प्रदेश	63	67	5	144
10.	जम्मू-कश्मीर	98	281	2	340
11.	झारखंड	317	130	124	110
12.	कर्नाटक	148	210	141	813
13.	केरल	236	57	9	1083
14.	मध्य प्रदेश	1102	323	230	2906
15.	महाराष्ट्र	635	441	156	1342
16.	मणिपुर	5	38	0	27
17.	मेघालय	19	3	0	11
18.	मिजोरम	34	1	0	27
19.	नागालैंड	7	0	0	0
20.	उड़ीसा	307	212	144	806
21.	पंजाब	122	240	102	151
22.	राजस्थान	530	1105	245	1332
23.	सिक्किम	2	2	0	10
24.	तमिलनाडु	265	387	101	859
25.	त्रिपुरा	54	23	7	65
26.	उत्तरांचल	27	65	24	47
27.	उत्तर प्रदेश	826	1476	1033	1160
28.	पश्चिमी बंगाल	373	369	141	458
	कुल (राज्य)	7299	7377	3427	15260

1	2	3	4	5	6
29.	अ. और नि. द्वीप समूह	1	1	0	2
30.	चंडीगढ़	7	27	1	21
31.	दा. और न. हवेली	2	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	1	0	0
33.	दिल्ली	170	496	62	193
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	0
35.	पांडिचेरी	3	0	4	32
	कुल (संघ शासित)	184	525	67	248
	कुल (समस्त भारत)	7483	7902	3494	15508

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े।
नोट : आंकड़े ई : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर सभा-पटल पर रखा है, उसमें बताया गया है कि 1999 में बलात्कार के 15,468, अपहरण और व्यपहरण के 15,962, छेड़छाड़ के 32,311 और दहेज हत्या के 6,699 मामले हुए हैं, जो 2001 की तुलना से अधिक है। मेरा कहना है कि हिन्दुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, वे नारी के बगैर नहीं हुए हैं। हर नारी किसी ने किसी की मां और किसी ने किसी की बहन होती है। ऐसी स्थिति में भी हमारे देश में नारी के प्रति चिन्तन नहीं है और नारी के प्रति सम्मान नहीं है। इसके साथ ही जो महिला आयोग गठित किया गया है, वह भी नाममात्र का है। महिलाओं को अधिकार बहुत कम दिए गए हैं। किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए नारी को सम्मान देना बहुत आवश्यक है। अगर हम अध्ययन करें, तो भगवान राम भी माता से पैदा हुए, कृष्ण भी माता से हुए हैं और ईसाह-मसीह और मोहम्मद भी माता से पैदा हुए। तो महिलाओं का दर्जा सर्वोपरि है। क्या भारत सरकार नारी उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई नया विधेयक लाने का मन बना रही है या उसकी भविष्य में क्या कोई ऐसी योजना है? अगर है तो उसको मंत्री जी स्पष्ट करें?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: दो किस्म के जुल्म नारी पर होते हैं। एक तो आईपीसी में कवर होते हैं और दूसरे के लिए स्पेशल कानून हैं। आईपीसी और सीआरपीसी में अमेंडमेंट के लिए भी काम चल रहा है। सन् 1994 में यहां लोक सभा में भी इस पर बात हुई थी और उस समय भी रेप के लिए पनिशमेंट डैथ-पैनल्टी हो - यह आवाज उठाई गयी थी। वे चीजें भी हमारे ध्यान में हैं। सन् 1994 में क्रिमिनल अमेंडमेंट ला भी लाया गया, वह अभी यहां पैंडिंग है लेकिन राज्य सभा में पास हो चुका है। जो विशेष कानून हैं जैसे कमीशन आफ सती प्रीवेंशन एक्ट, उसमें डिपार्टमेंट आफ वीमेन एंड चाइल्ड की तरफ से डावरी प्रीवेंशन एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन आफ वीमैन एक्ट -ये जितने भी स्पेशल कानून हैं तथा दूसरी कैटेगरी जो जुल्म की है जिनके लिए स्पेशल कानून औरत के प्रोटैक्शन के लिए है, उनमें भी अमेंडमेंट्स किये जा रहे हैं। ला कमीशन ने या कमीशन फार वीमैन से जो प्रपोजल्स आये हैं उनको बड़े ध्यान और संजीदगी से देखकर अमेंडमेंट्स लाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री शीशराम सिंह रवि: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं उसी विषय में एक बात और पूछना चाहता हूं। यह जो परम्परा चल गयी है कि गर्भस्थ शिशु का लिंग-परीक्षण कराकर, अगर वह लड़की है तो उसकी हत्या की जा रही है, तो क्या आप इसको भी ध्यान में रखकर कुछ जोड़ने का प्रावधान करेंगे या नहीं। दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए भारत सरकार का महिलाओं को अलग से 500 रुपये महीना "महिला पेंशन" देने का प्रावधान रखा जा रहा है या नहीं। उनको नौकरियों में, व्यापार में आरक्षण देने का प्रावधान रखा जा

रहा है या नहीं। यदि सरकार इस विषय में कोई प्रावधान रखने जा रही है तो उसकी इस बारे में क्या योजना है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: अध्यक्ष जी, सांसद महोदय ने बहुत सारी बातें कही हैं, वे उनका मशविरा हैं और उन पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जहां तक एमटीपी एक्ट की बात है उस पर भी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टरी और डिपार्टमेंट आफ वीमैन एंड चाइल्ड डैवलेपमेंट ने गौर किया है। बहुत सारे और एक्ट्स पर भी अमेंडमेंट्स की बात उन्होंने कही है। लेकिन मैम्बर साहबान ने जो कहा है बहुत सारे उनके सुझाव हैं और वे सभी नोट कर लिये गये हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। यहां, मैं चाहती हूं कि सदन भी इसमें शामिल हो।

[हिन्दी]

महिलाओं की तारीफ तो सभी करते हैं लेकिन होता क्या है वह इन आंकड़ों में सभी देख सकते हैं। इस देश को हम जन्मभूमि कहते हैं, धरती माता कहते हैं। पुरुष जो गाड़ी चलाते हैं उसको भी ''शी'' बोलकर रैफर करते हैं। कोई महिला को गाली दे तो आईपीसी में यह है कि हम उसको ''डैनिग्रेशन टू द स्टेट्स आफ वीमैन'' में गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन गाली आप किसी भी भाषा में सुन लीजिए। पुरुष जो गाली देता है वह उसी जननी के सम्मान के खिलाफ होती है। गाली की दूसरी परिभाषा है ही नहीं। देशद्रोही को आप मौत की सजा देते हैं क्योंकि देश को आप जन्मभूमि कहते हैं तो जो जन्मभूमि आपकी है, उसके साथ बलात्कार हुआ, तो जो बलात्कारी है, उसको कौनसी सजाए-हिंद आप देंगे, वह बताएं। फांसी तो होनी ही चाहिये। मैं यह पूछ रही हूं कि आपने आई.पी.सी. और अदर आर्गनाइजेशन्स के द्वारा ढेर सारे कानून बनाये हैं मगर लागू करने में क्या तकलीफ है, यह सरकार से पूछिये। मैं सरकार से कितने महीनों और सालों से पूछ रही हूं कि पार्लियामेंट में हमारी संख्या कम होती जा रही है। जब 30 परसेंट रिजर्वेशन की बात होती है तो सरकार हमारे खिलाफ होती है। इसकी क्या सजा दें, माननीय मंत्री जी जरा बतायें?

उप-प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय के प्रभारी (श्री लालकृष्ण आडवाणी): श्रीमती रेणूका चौधरी जी ने जो सवाल पूछा है, वह मुझे 1998 में इस सदन में हुई इस विषय पर चर्चा की याद दिलाता है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इसी सदन में अपना मत व्यक्त किया था। अगर आज कोई किसी की हत्या करे तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता है लेकिन उससे भी घिनौना अपराध बलात्कार का है जिसके लिये मृत्यु दंड की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे सदस्यों ने यह मत प्रकट किया था कि इसके लिये मृत्यु दंड की व्यवस्था करनी चाहिये। उस बहस का उत्तर देते समय मैंने कहा था कि मैं इस भावना का आदर करता हूं और मैं भी इस मत का हूं कि मृत्यु दंड होना चाहिये। यह ऐसा विषय है जिस पर राज्य सरकारों से सलाह करके निर्णय करूंगा। उसके पश्चात् कई महिला संस्थाओं द्वारा आग्रहपूर्वक मुझसे कहा गया कि यह व्यवस्था मत करिये। यह व्यवस्था करने से बलात्कार के साथ-साथ हत्या भी निश्चित हो जायेगी। इस तर्क में कितना दम है, मैं उस में नहीं जाता लेकिन मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि अगर सदन की राय है, सब पार्टियों की सलाह है और बाकी सभी राज्यों से इस मामले में सलाह करनी पड़ेगी, अगर उनकी सलाह बनती है, जैसी मेरी व्यक्तिगत राय 1998 में थी कि मृत्यु दंड होना चाहिये, तो हो। यह एक घिनौना अपराध है लेकिन अगर महिला संस्थायें यह स्वयं समझती हैं कि इसके कारण महिलाओं की स्थिति और खराब होगी, उससे लाभ नहीं होगा तो मैं उस भावना का भी आदर करूंगा। इसका अर्थ है कि मुझे सभी राजनैतिक दलों की राय चाहिये और प्रदेश सरकारों से राय लेकर इस पर निर्णय करूंगा।

श्रीमती रेणूका चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 30 परसेंट रिजर्वेशन के बारे में जवाब नहीं दिया, वह भी बलात्कार है। आज जबरदस्ती हमें बाहर रखा जा रहा है और आने नहीं देते। जो हमारे हक हैं, उन्हें लागू नहीं करने देते तो वह भी बलात्कार है।

श्री मोहन रावले: आपकी पार्टी की प्रेजीडेंट भी महिला हैं।

अध्यक्ष महोदय: रावले जी, आप बैठिये।

श्रीमती रेनु कुमारी: अध्यक्ष महोदय, आज के प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि राज्य सभा में महिलाओं के लिये एक बिल आया है, उसमें कहा गया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, जब महिला बलात्कार की शिकार होती है, वह दोषी नहीं होती, फिर उसे गिरफ्तार करना या छोड़ने की बात समझ में नहीं आती है। न्याय की प्रक्रिया लम्बी होने के कारण पीड़ित महिलाओं को बार-बार कोर्ट में जाना पड़ता है। वकीलों द्वारा अपमानजनक सवाल किये जाते हैं क्योंकि बलात्कार के केस में कोई प्रूफ नहीं होता है। प्रूफ न मिलने से महिलायें डर के कारण कोर्ट जाती नहीं, मुंह खोल नहीं पाती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि महिलाओं को शीघ्र न्याय मिले, इसके लिये सरकार क्या करने जा रही है?

दूसरी बात यह है कि जो कामकाजी महिलाएं दिल्ली में हैं और दिल्ली में केन्द्र तथा राज्य सरकार भी हैं। दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के साथ-साथ स्कूल-कालेज की छात्राएं भी हैं। अभी हाल ही में मौलाना आजाद मैडिकल कालेज में एक महिला के साथ रेप की एक घटना घटी है, जिसके कारण महिला समाज बहुत चिंतित है। हम माननीय उप-प्रधान मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बलात्कारी को मौत की सजा के सवाल पर आपने बता दिया कि इसका प्रावधान नहीं है। ठीक है यदि उन्हें मौत की सजा नहीं दी जा सकती है तो उसके आजीवन कारावास मिलना चाहिए। अन्यथा उनका मनोबल बढ़ेगा। अत: इसके लिए आप क्या सजा मुकर्रर करने जा रहे हैं, ताकि महिलाओं को संतोष मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूं कि पीड़ित महिला को सरकारी नौकरी में, संसद या विधान मंडल में क्या सरकार आरक्षण देगी। ताकि भारत की आधी आबादी को सुरक्षा मिल सके। आज समाज में पीड़ित महिला को घुट-घुटकर जीना पड़ता है, वह किसी से नजर मिलाने के लायक भी नहीं रह पाती है। उपरोक्त आरक्षण मिलने से वह सम्मानजनक जिंदगी जी सकेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सदन में शांत रहें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने पहला प्रश्न धारा 176 में अमैन्डमैन्ट के बारे में पूछा है। इस पर मैं उन्हें क्लियर करना चाहता हूं कि वूमैन को सनसैट या सनराइज से पहले अरैस्ट न किया जाए या डिटेन न किया जाए, यह उनकी प्रोटैक्शन के लिए है। यह इसलिए नहीं है कि जो रेप की विक्टिम है, उसे अरैस्ट करने की बात है। उन्होंने शायद इसे समझा नहीं है। जहां तक दूसरी चीजों का उनका ताल्लुक है, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि अभी-अभी एक हफ्ते पहले कैबिनेट ने एक प्रोपोजल को अप्रूव किया है। इंडियन एवीडैन्स एक्ट में भी अमैन्डमैन्ट ला रहे हैं, जिससे रेप के केसिज में कोर्ट को उसकी हिस्ट्री, उसके कैरेक्टर में प्रोसीक्यूट व्यक्ति जो विक्टिम आफ दि रेप है, उसमें जाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे जूडीशियल प्रोनाउंसमैन्ट्स भी आये हैं। आरोपी को केवल उसी आधार पर नहीं छोड़ा जाएगा। उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, उसके अलावा जहां तक उनका सवाल है कि क्रास एग्जामिनेशन में बहुत सारे एम्बैरेसिंग क्वैश्चंस आते हैं, यह ठीक है। केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को बार-बार यह हिदायत दी गई है कि वे हर जिले में एक वूमैन सैल कायम करें और वूमैन कोर्ट्स बनायें। यदि एक्सक्लूसिवली वूमैन कोर्ट्स नहीं बना सकते हैं तो कम से कम ऐसे आफेन्सिज जो अगेन्स्ट्स वूमैन होते हैं, ऐसे केसिज किसी ऐसे जज को सुपुर्द किये जाएं जो महिला हो। जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं। केन्द्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों को चाहिए कि ऐसे थाने बनाए जाएं जहां सारी वूमैन पर्सनैल थाने में हो, कई जगह ऐसे थाने बना भी दिये गये हैं। इससे वूमैन एनकरेज होंगी और अपनी बात चाहे वह रेप का केस हो, एब्डक्शन का केस हो या उनके खिलाफ कोई और केस हो, बिना हिचक के कह सकेंगी। इसके बाद जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी तो दूसरे पुलिस स्टेशन में जाने की बजाय उन पुलिस स्टेशनों में अपने ग्रीवान्सेज को रिमूव करने के लिए, रिलीफ के लिए जा सकती हैं, जो केवल वूमैन के द्वारा मैन होते हैं। इसके अलावा बार-बार चिट्ठियां लिखी गई हैं जिनमें सैलूटरी और स्विफ्ट पनिशमैन्ट के लिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रोपरली कराने के लिए अगर कस्टोडियल वायलैन्स या डैथ हो तो उसे देखने के लिए डिले इनवैस्टीगेशन एजेन्सी को कहा गया है कि मर्डर, रेप, टार्चर आफ वूमैन में कम्पलसरी फिक्सिंग आफ टाइम किया जाए कि इतने दिनों के अंदर उसका इनवैस्टीगेशन खत्म होगा। क्राइम अगेन्स्ट वूमैन सैल हर जिले में बनाये जाएं। इन्सैन्टिव जैन्डर सैन्सिटाइजेशन की जाए और अपाईंटमैन्ट आफ डाउरी प्रोहिबीशन आफिसर बनाये जाएं। कंसल्टिंग सैन्टर्स बनाए जाएं और 12 हजार के करीब नान गवर्नमैन्ट और सोशल आर्गेनाइजेशंस इसमें काम कर रहे हैं। जो उसमें कंसीलिएटरी प्रोसैस के लिए, उन्हें मदद और रिहैबिलीटेशन करने के लिए काम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी: पीड़ित महिलाओं को सरकारी नौकरी और राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: चूंकि ला एंड आर्डर स्टेट का सब्जैक्ट है, इसलिए केन्द्र सरकार की तरफ से उन्हें हिदायतें और एडवाइस दी जाती हैं।

श्रीमती रेनु कुमारी: मैंने यह कहा है कि पीड़ित महिला को केन्द्र सरकार को सरकारी नौकरी या राजनीति में आरक्षण देना चाहिए। इसका जवाब आपने नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: अभी प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, मुझे यह बताना है कि महिलाएं चाहे जेल में हों अथवा पुलिस स्टेशन जाने वाली महिलाएं

हों अथवा कामगार महिलाएं हों उन पर हमला होता है। अब हाल ही में इंडिया गेट पर एक महिला को कार से घसीटा गया। आज महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। आज, एक चालीस वर्षीय महिला के साथ उसके घर में लड़कों ने बलात्कार किया। इस देश में महिलाओं की स्थिति सदन में मात्र प्रश्न और उत्तर का मामला नहीं है। मैं समझती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सारा देश चिंतित है। मुझे आशा है कि कम से कम हम संसद में आपके निर्देशों के अंतर्गत सुरक्षित हैं।

महोदय, माननीय मंत्री ने विद्यमान कानूनों के बारे में बताया है। हम उन्हें जानते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या उन्होंने परिवार न्यायालयों के बारे में कोई सर्वेक्षण करवाया है। परिवार न्यायालय विधेयक 15 वर्षों से भी अधिक पहले पारित किया गया था। आज भी अनेक राज्य ऐसे हैं जहां कि परिवार न्यायालय नहीं हैं। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जिन वकीलों की नियुक्ति की जानी थी, उनकी नियुक्ति राज्यों में आज तक नहीं की गई है? हमने इस बारे में एक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की है। इस पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई है। नेशनल कमीशन की बात की। मंत्री जी चले गए हैं। हाल ही में महिला और बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय आयोग की वित्तीय शक्तियां वापस ले ली हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने उनकी अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति वापस ले ली है। आटोनामी है कहां नेशनल कमीशन की? आप पूछ रहे हैं कि क्या काम कर रहे हैं? जो पावर्स आपने दी हैं, वह विदड्रा की हैं।

महोदय, मैं उनसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहती हूं। घरेलू हिंसा के बारे में सदन में एक कानून पुर:स्थापित किया गया। महिला सशक्तिकरण समिति जिसकी मैं अध्यक्ष हूं, ने प्रारूप विधेयक में संशोधन के लिए व्यापक सिफारिशें यह कहते हुए प्रस्तुत की हैं कि यह देश की महिलाओं की मांग को पूरा नहीं करती।

[हिन्दी]

उनको रिजैक्ट किया है, अभी मैंने सुना है। डैफिनिशन आफ वायलेंस में बोलते हैं कि वह तो हैबीचुअल आफैन्डर होना चाहिए। हैबीचुअल आफैन्डर क्या है, कितनी बार हमें मारे कि वह बोलेगी कि मेरा मर्द घर में हैबीचुअल आफैन्डर है?

[अनुवाद]

परिभाषा इतनी त्रुटिपूर्ण है कि हमने कहा कि हमें यह विधेयक नहीं चाहिए। विधेयक के माध्यम से यह हिंसा को युक्तिसंगत ठहराना चाहता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने समिति की सिफारिशों पर विचार किया है और क्या वे लाए गए कानून में संशोधन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्तरों पर विद्यमान कानूनों का कार्यान्वयन होगा।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: हम माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हैं। वास्तव में सारा सदन उनसे सहमत है। किन्तु जहां तक विधेयक का प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल कल्याण विभाग इस पर पहले ही जांच कर रहा है। यह उनके विचाराधीन है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, गृह मंत्री महोदय हिंसा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। विधेयक उनके पास कैसे जाता है? गृह मंत्री जो कि प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, को हिंसा पर नजर रखनी चाहिए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: जहां तक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का प्रश्न है। यह ऐसा क्षेत्र है जो कि गृह मंत्रालय को देखना होता है। किन्तु जहां तक सामाजिक कल्याण अथवा महिला एवं बाल कल्याण का संबंध है, वह महिला एवं बाल कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देखना होता है और उन्हें इसकी जानकारी होती है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महिलाओं के प्रति अत्याचार एक ऐसा विषय नहीं है जो कि समाज कल्याण से जुड़ा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री और सदस्य के बीच इस प्रकार चर्चा नहीं हो सकती।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं महिलाओं के प्रति अत्याचार के बारे में बात कर रही हूं...*(व्यवधान)*

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: आप विधेयक का उल्लेख कर रही हैं इसलिए, मैंने इसका जिक्र किया है।

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा: महोदय, बलात्कार की वैधानिक परिभाषा को संशोधित किया जाना चाहिए जिसमें यौन उत्पीड़न और वैवाहिक बलात्कार भी शामिल होना चाहिए। विवाहित महिला को भी अपने शरीर पर अधिकार है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने, मात्र महिला सदस्यों को इस विषय पर प्रश्न पूछने देने का निर्णय लिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें प्रश्न पूछने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सदन में शांति बनाए रखें। चर्चा के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया शांति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा: बलात्कार की वर्तमान परिभाषा में केवल वास्तविक लिंग प्रवेश को शामिल किया गया है और यह परिभाषा अपर्याप्त है। इसमें अन्य वस्तु का प्रवेश, जैसा कि अक्सर बच्चों के उत्पीड़न विशेषकर कौटुम्बिक यौनाचार के मामले में होता है। क्या सरकार बलात्कार की परिभाषा को विश्वभर में जो परिभाषा विद्यमान है उसे ध्यान में रखते हुए व्यापक बनाएगी? क्या वैवाहिक बलात्कार को भी इस परिभाषा में शामिल किया जाएगा?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: यह माननीय सदस्य का एक सुझाव है। निश्चित रूप से हम इस पर विचार करेंगे क्योंकि हमने उनके सुझाव पर गौर किया है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने केवल एक ही व्यक्ति को प्रश्न पूछने की अनुमति दी है और वह निश्चित रूप से श्री रामदास आठवले हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, अपने देश की परम्परा महिलाओं का आदर करना है, लकिन अपने ही देश में बलात्कार, अपहरण और व्यपहरण, छेड़छाड़ तथा दहेज हत्याओं के मामले वर्ष 1999 में अखिल भारतीय स्तर पर 6699, दिल्ली में 122, 2000 में अखिल भारतीय स्तर पर 6995, दिल्ली में 125 और वर्ष 2001 में अखिल भारतीय स्तर पर 6552 और दिल्ली में 122 मामले दर्ज किए गए हैं। यह गंभीर विषय है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार बलात्कार पर रोक लगाना चाहती है या नहीं? यदि सरकार बलात्कार पर रोक लगाना चाहती है तो मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि बलात्कार करने वाले पर पोटा लगाने की जरूरत है। अगर सरकार महिलाओं पर अत्याचार कम करना चाहती है, बलात्कार खत्म करना चाहती है, तो सरकार को बलात्कारी को पोटा में गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्या सरकार ऐसा करने पर विचार कर रही है या नहीं?

[अनुवाद]

भोपाल गैस त्रासदी

*104. **डा. वी. सरोजा:**
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष और अन्य लोगों के विरुद्ध धारा 304 के तहत शुरू में कोई आरोप-पत्र दायर किया था क्योंकि इस बात का ठोस प्रमाण है जिससे पता चलता है कि श्री वारेन एम. एंडरसन को जानकारी थी कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन में घटिया सुरक्षा उपायों से विनाश हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) सरकार द्वारा श्री एंडरसन का भारत को प्रत्यर्पण करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भोपाल और अमेरिका में उनके संयंत्र में अपनाए गए सुरक्षा मानकों की तुलना करने के लिए कभी अमेरिका जाकर यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के मुख्यालय का दौरा किया था ताकि गैस रिसाव त्रासदी में विदेशी अभियुक्त की सहपराधिता स्थापित की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अब इस बात में सावधानी बरतेगा कि श्री एंडरसन और इस मामले की सभी साक्षिक सामग्री को प्रत्यर्पण प्रक्रिया दर्ज करने से पहले एक साथ रखा जाए ताकि प्रत्यर्पण सफल रहे?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सी.बी.आई. से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 35 के साथ पठित धारा 304, 324, 326 और 429 - भा.दं.सं. के तहत वारेन एम. एंडरसन, तत्कालीन अध्यक्ष, यू.सी.सी., यू.एस.ए.; केशव महिन्द्रा, तत्कालीन अध्यक्ष, विजय गोखले, तत्कालीन प्रबंध निदेशक; किशोर कामदार, तत्कालीन उपाध्यक्ष; जे. मुकुन्द, तत्कालीन कारखाना-प्रबन्धक; डा. आर.बी. राय चौधरी, तत्कालीन कारखाना सहायक प्रबन्धक; और के.बी. शेट्टी तत्कालीन संयंत्र सुपरिटेंडेण्ट और यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, यू.एस.ए.; यूनियन कार्बाइड (ईस्टर्न इन्क.), हांगकांग और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 1.12.1987 को आरोप-पत्र दायर किया गया था। चूंकि 3 आरोपी यथा: मि. एंडरसन, तत्कालीन अध्यक्ष, यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, यू.एस.ए. और यूनियन कार्बाइड (ईस्टर्न इन्क.), हांगकांग, अदालत में हाजिर नहीं हुए थे अत: ट्रायल को दो भागों में बांट दिया गया था और शेष 9 आरोपियों के विरुद्ध 8.4.1993 को भा.द.सं. की धारा 35 के साथ पठित धारा 304 (ii),

324, 326, 429 - भा.द.सं. के तहत आरोप तैयार किए गए थे। अपील पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने आरोपों को सही ठहराया। तथापि, अपने 13.9.1996 के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने आरोपों को धारा 304, 324, 326 और 429 - भा.दं.सं. से संशोधित कर धारा 304ए, 336, 337 और 338 भा.दं.सं. कर दिया। अब तक इस मामले में 89 गवाहों की जांच की जा चुकी है।

(ग) और (ङ) चूंकि मि. एंडरसन और दो कंपनियां तथा यू.सी.सी., यू.एस.ए. और यू.सी.ई., हांगकांग अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे, अत: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल ने उनके विरुद्ध 10.4.1992 को गैर-जमानती वारंट जारी किया। तदनुसार, सी.बी.आई. ने अगस्त, 1993 में उनके विरुद्ध प्रत्यर्पण कार्यवाही आरंभ करने के लिए विदेश मंत्रालय से कहा। लम्बे पत्राचार के बाद विदेश मंत्रालय ने सी.बी.आई. से प्रत्यर्पण प्रयोजनार्थ साक्ष्य संबंधी सूत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए अनुरोध किया। इस बीच, मामले के गुण-दोष के आधार पर कानूनी राय के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से सी.बी.आई. ने 24.5.2000 को मि. एंडरसन के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 304ए के तहत एक नए सिरे से वारंट जारी करने का अनुरोध किया था जिसे न्यायालय द्वारा 28.8.2002 को खारिज कर दिया गया था। सी.बी.आई. से प्राप्त सूचना के अनुसार मि. एंडरसन के प्रत्यर्पण से संबंधित संशोधित अनुरोध अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है।

(घ) श्री के. माधवन, तत्कालीन डी.आई.जी., सी.बी.आई. की अगुवायी में सी.बी.आई. टीम ने याचना-पत्र दिनांक 6.7.1988 के अनुसार नवम्बर, 1988 में यू.एस.ए. का दौरा किया था और यू.एस.ए. के न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ तथ्यों और कानूनी संबंधी विभिन्न मामलों में कई मीटिंगें की।

डा. वी. सरोजा: 2/3 दिसम्बर 1984 की अर्धरात्री में इस देश में विश्व की सबसे बुरी औद्योगिक त्रासदी घटित हुई, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसकी जनसंख्या एक मिलियन से अधिक है, में स्थित अमरीकी कम्पनी यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन में से 40 टन मिथाईल आईसोसाईनाइट और अन्य घातक गैसें रिलीज हुईं जिससे 16000 लोग तत्काल और 16000 लोग घटना के तुरन्त बाद मारे गए। लगभग 5 लाख लोग शारीरिक, मानसिक, अनुवांशिकी और हार्मोन की दृष्टि से विकलांग हो गए। सी.बी.आई. ने 1 दिसम्बर 1987 को भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में श्री एन्डरसन, जो कि उस समय यू.सी.सी. के अध्यक्ष थे और अन्य भारत में बसे अध्यक्षों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। श्री एन्डरसन के विरुद्ध आरोप-पत्र जो कि धारा 304(ii) के अंतर्गत था को अब हल्का करके 304(क) में रख दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आरोप-पत्र को 304(ii) से धारा 304(क) में करने के क्या कारण हैं। दूसरे, क्या भारत सरकार ने इतना अधिक समय इस मामले को ढीला करके श्री एन्डरसन की सहायता की न कि भोपाल के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, क्या सरकार स्पष्ट उत्तर देगी?

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने जवाब में कहा है कि उनके खिलाफ धारा 304 की जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि यह धारा 304-ए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो नौ एक्यूज्ड थे, उनके खिलाफ जो अपील दायर की गई थी, उसके हक में कहा कि यह धारा 304-ए होनी चाहिए। उस बेस पर लीगल ओपीनियन लिया गया। उस लीगल ओपीनियन की वजह से यह धारा 304-ए में किया। अब दुबारा चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ने उस एफ.आई.आर. को धारा 304 में दर्ज करके उस पर कार्यवाही शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: यह एक तथ्य है कि यू.एस. प्रशासन ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें प्रत्यर्पण सन्धि के अनुच्छेद 3(क) का उल्लेख किया गया है जिसमें ऐसे अपराधों को शामिल किया गया है...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

दक्षिण दिल्ली में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़

*105. **श्री ए. नरेन्द्र:***
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल में दक्षिण दिल्ली में दो आतंकवादी मार गिराए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से इस घटना की जांच करने की कोई मांग की गई है;

(च) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई;

(छ) क्या दिल्ली पुलिस ने सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस घटना के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ज) एक विशेष आसूचना के आधार पर, 3 नवम्बर, 2002 को दिल्ली पुलिस के एक दल ने अंसल प्लाजा शापिंग कंप्लेक्स के भूमिगत पार्किंग वाले हिस्से में लश्करे-तैयबा से संबंध रखने वाले दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को उस समय रोका जब वे एक मारुति कार सं. डी एल-8 सी-बी-3241 से उतरे थे। चूंकि आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी, इसलिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों ही गोलियां लगने से मारे गए। मारे गए इन दोनों आतंकवादियों की बाद में दाऊद अली अहमद उर्फ अबु अनास, कासूर निवासी, पंजाब, पाकिस्तान और एजाज अहमद, गुजरांवाला निवासी, पंजाब, पाकिस्तान के रूप में की गई है।

''एशियन एज'' के दिनांक 6 नवंबर 2002 के अंक में प्रकाशित समाचार के आधार पर एक शिकायत प्राप्त होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली और दिल्ली पुलिस से दो अन्य अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया। जिसमें आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त समाचार और शिकायत के बारे में लगाए गए आरोपों के बारे में उन्हें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में, दिल्ली पुलिस ने उन परिस्थितियों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया जिनमें आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी गवाह, डा. हरिकृष्ण के इस दावे को भ्रामक ठहराया कि उक्त घटना मनगढ़ंत थी।

[अनुवाद]

गुप्त दस्तावेजों का हस्तान्तरण

*106. **श्री सी. श्रीनिवासन:** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक विदेशों को गुप्त और गोपनीय दस्तावेजों का हस्तान्तरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार के गिरफ्तार/पदच्युत किए गए कर्मचारियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी विभागों/स्वायत्त संगठनों द्वारा उनकी पदच्युति/बर्खास्तगी संबंधी निर्णय अंतिम फैसले की प्रतीक्षा में अब भी लंबित हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोई नया कानून बनाने अथवा फैसले की प्रतीक्षा किए बिना अभियुक्त सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं की पदच्युति/बर्खास्तगी के लिए शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशधन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जासूसी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए वर्ष 2000, 2001 और 2002 में (आज तक) क्रमश: 21, 16 और 30 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 13 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है।

(ख) से (घ) रक्षा कर्मचारियों के अलावा, केन्द्र सरकार के कर्मचारी को इस प्रकार के अपराध के लिए उसके खिलाफ न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद, केन्द्रीय सिविल सेवा (सी. सी. ए.) नियम 1965 के तहत, जासूसी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता के लिए पदच्युत/सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

रक्षा कार्मिकों के संबंध में पदच्युति/सेवा से बर्खास्तगी सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई उन पर लागू अधिनियमों/नियमों के अनुसार रक्षा प्राधिकारियों द्वारा शुरू की जाती है।

दलितों और आदिवासियों के प्रति अत्याचार

*107. **श्री पवन कुमार बंसल:**
श्री चिंतामन वनगा:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हरियाणा के एक गांव में पुलिस चौकी के सामने हिंसक भीड़ द्वारा पांच दलितों की नृशंस हत्या करने के आरोप की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में दलितों और आदिवासियों के प्रति अत्याचार के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान दलितों की हत्याओं और दलित महिलाओं के अपमान संबंधी घटनाओं का राज्य-वार और घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार/राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इन घटनाओं में वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो घटना-वार रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(च) इस प्रकार के उल्लंघन हेतु जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 के दौरान समस्त देश में अनुसूचित जाति के सदस्यों के प्रति अपराधों के क्रमश: कुल 25093, 25455 और 25562 मामले सूचित किए गए तथा वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 के दौरान समस्त देश में अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के प्रति अपराधों के क्रमश: कुल 4450, 4190 तथा 4121 मामले सूचित किए गए हैं जिससे पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों में मामूली सी वृद्धि हुई है जबकि अनुसूचित जन जातियों के प्रति अपराधों में कमी का रुझान है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की हत्या और बलात्कार की घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I और विवरण-II पर दिया गया है। दलित महिलाओं के प्रति अपराध के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) से (च) जी नहीं, श्रीमान। केन्द्र सरकार अथवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा ऐसी किसी जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं।

(छ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस और कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। अपराध की रोकथाम करना, पता लगाना, पंजीकरण, जांच पड़ताल करना तथा अभियोजन मुख्यालय राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचारों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने के लिए अधिक ध्यान देने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन में पुलिस कर्मिकों को सुग्राही बनाना, उसके प्रति अत्याचार के मामलों से निपटते हुए अधिक समानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने हेतु पुलिस को अनुदेश जारी करना, ऐसे अपराधों की जांच-पड़ताल करने वाले पुलिस कार्मिकों का कार्य क्षेत्र तथा दायित्व निर्धारित करना, पुलिस कार्मिकों के रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्प संख्यकों से संबंधित लोगों की पर्याप्त संख्या में भर्ती विशेष तौर पर कार्य निष्पादन के स्तर पर, ऐसे अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करना, समाज से निपटने के लिये विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करना, समाज के कमजोर वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम तथा उन्हें उपलब्ध कानूनी सहायता विशेष न्यायालयों के कार्यकरण का मूल्यांकन, अपराध रोकने के लिए अत्याचार बहुल क्षेत्रों की पहचान तथा अत्याचार के शिकार व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए कदम उठाना शामिल है। राज्य सरकारों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के सामने आ रही समस्याओं के निपटान में कानून प्रवर्तन तन्त्र की कारगरता की व्यापक पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2001 के दौरान अनुसूचित जातियों की हत्या और बलात्कार की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	बलात्कार
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	22	54
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	0	0
4.	बिहार	2	15
5.	छत्तीसगढ़	8	48
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	20	11
8.	हरियाणा	7	17
9.	हिमाचल प्रदेश	1	6
10.	जम्मू-कश्मीर	0	1
11.	झारखंड	0	0
12.	कर्नाटक	14	11
13.	केरल	4	73
14.	मध्य प्रदेश	66	302

1	2	3	4
15.	महाराष्ट्र	9	40
16.	मणिपुर	0	0
17.	मेघालय	0	0
18.	मिजोरम	0	0
19.	नागालैंड	0	0
20.	उड़ीसा	5	11
21.	पंजाब	2	4
22.	राजस्थान	51	151
23.	सिक्किम	0	0
24.	तमिलनाडु	12	7
25.	त्रिपुरा	0	0
26.	उत्तरांचल	9	5
27.	उत्तर प्रदेश	321	370
28.	पश्चिमी बंगाल	0	2
	कुल राज्य	553	1128
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली	0	1
32.	दमण और दीव	0	0
33.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	1
	कुल (अखिल भारत)	533	1129

स्रोत: मासिक अपराध आंकड़े

पश्चिम बंगाल के आंकड़े में कोलकाता नगर के जुलाई और अक्टूबर, 2001 के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण शामिल नहीं हैं।

विवरण-II

वर्ष 2001 के दौरान अनुसूचित जनजातियों की हत्या और बलात्कार की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	बलात्कार
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	18
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	0	0
4.	बिहार	0	2
5.	छत्तीसगढ़	13	47
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	7	18
8.	हरियाणा	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0
11.	झारखंड	0	0
12.	कर्नाटक	0	3
13.	केरल	3	22
14.	मध्य प्रदेश	35	202
15.	महाराष्ट्र	6	35
16.	मणिपुर	0	0
17.	मेघालय	0	0
18.	मिजोरम	0	0
19.	नागालैंड	0	0
20.	उड़ीसा	1	4
21.	पंजाब	0	0
22.	राजस्थान	14	45
23.	सिक्किम	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0

1	2	3	4
25.	त्रिपुरा	0	0
26.	उत्तरांचल	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	3	1
28.	पश्चिमी बंगाल	0	1
	कुल (राज्य)	86	398
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0
32.	दमण और दीव	0	0
33.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0
	कुल (अखिल भारत)	86	398

स्रोत: मासिक अपराध आंकड़े
पश्चिम बंगाल के आंकड़े में कोलकाता नगर के जुलाई और अक्टूबर, 2001 के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

रेडियोधर्मी यूरेनियम की तस्करी

*108. **श्री रामपाल सिंह:**
श्री पदमसेन चौधरी:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत से बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री और प्राकृतिक यूरेनियम की तस्करी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस तस्करी को रोकने हेतु कोई ठोस कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी इकाई से रेडियोधर्मी सामग्री या प्राकृतिक यूरेनियम की चोरी या तस्करी का कोई मामला नहीं हुआ है। रेडियोधर्मी सामग्री की चोरी या तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न नाभिकीय संस्थानों में अभेद्य सुरक्षा प्रबंध और लेखा-विधि प्रणाली की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

वीरप्पन की गतिविधियां

*109. **श्री विनय कुमार सोराके:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार और तलिनाडु राज्य सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए केन्द्र सरकार से हाल में कोई सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी सफलता मिली;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें वीरप्पन को पकड़ने में विफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वीरप्पन को पकड़ने के लिए क्या योजनाएं तैयार की जा रही हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सरकारों के अनुरोध पर कर्नाटक राज्य सरकार को 7.9.2002 को एन. सी. जी. की एक स्टाफ फोर्स और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 4 कम्पनियां दी गई हैं। इसके अलावा, तकनीकी आसूचना सहायता के साथ शस्त्र, गोला-बारूद और उपस्कर भी दिए गए हैं। इसके अलावा, वीरप्पन और उसके गिरोह के खिलाफ आपरेशन चलाने के लिए श्री के. अरकेश, कमान्डेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सेवाएं एस. टी. एफ. कर्नाटक को सौंपी गई हैं।

(ग) से (ङ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की हैं। वीरप्पन को पकड़ने के लिए रणनीतियां बनाने का काम तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार ने उन्हें सभी आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया है।

[हिन्दी]

उर्वरक इकाइयों को बंद करना

*110. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**
योगी आदित्यनाथ:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में विभिन्न राज्यों में चल रहे कुछ उर्वरक संयंत्रों, जिनमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा चलाए जा रहे एकक भी शामिल हैं, को बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो बंद किए जाने वाले उर्वरक संयत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे;

(ङ) उर्वरक संयंत्रों के बंद होने से देश में उर्वरकों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(च) इन संयंत्रों के माध्यम से पूरी की जा रही उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबंध किए जा रहे हैं;

(छ) क्या सरकार की योजना उन एककों को बंदी से छूट देने की है जिन एककों का विचार "कोल बेड मीथेन" का प्रयोग करके संयंत्र को गैस आधारित संयंत्र में परिवर्तित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी), फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) और पाईराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि. (पी पी सी एल) की निम्नलिखित इकाईयों को जिनकी कुल जनशक्ति 11073 है, बंद करने का निर्णय लिया है क्योंकि इन्हें प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है:-

आन्ध्र प्रदेश:	रामागुण्डम (एफ सी आई)
बिहार:	बरौनी (एच एफ सी)
झारखण्ड:	सिन्दरी (एफ सी आई)
छत्तीसगढ़:	कोरबा प्रोजेक्ट (एफ सी आई)
उड़ीसा:	तलचर (एफ सी आई)
राजस्थान:	सलादीपुरा (पी पी सी एल)
उत्तरांचल	देहरादून (पी पी सी एल)
उत्तर प्रदेश:	गोरखपुर (एफ सी आई)
पश्चिम बंगाल:	दुर्गापुर; हल्दिया और उर्वरक संवर्धन एवं कृषि अनुसंधान प्रभाग (एच एफ सी)

कर्मचारियों को स्वैच्छिक प्रथक्करण योजना के लाभों की पेशकश की गई है।

(ङ) और (च) बंद करने के समय इनमें से कोई भी इकाई प्रचालन में नही थी और इनके बंद होने से देश में यूरिया की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी राज्यों को एकसमान सांविधिक बिक्री मूल्य पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है और किसी भी राज्य को उर्वरकों की कमी से प्रभावित नहीं होने दिया जाता है।

(छ) और (ज) उर्वरकों के उत्पादन के लिए कोल बेड मीथेन की उपलब्धता और उपयोग निकट भविष्य में व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का मूल्यांकन

*111. **श्री वरकला राधाकृष्णन:**
श्री रामानन्द सिंह:

क्या विनिवेश मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम विदेशी खरीददारों को बेचे गए;

(ख) क्या सरकार को विनिवेश हेतु चुने गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का मूल्यांकन कम किए जाने के बारे में विभिन्न समाचार-पत्रों में छपे समाचारों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रमों का मूल्यांकन कम आंकने की सूचना है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विनिवेश के लिए चुने गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मूल्यांकन के प्रयोजन से चुने गए मूल्यांकन के तरीकों और परिसम्पत्ति के मूल्यांकन-कर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार परिसम्पत्ति के मूल्यांकनकर्त्ता के रूप में मर्चेन्ट बैंकों का चयन कर रही है और क्या सरकार को ऐसे बैंकों का चयन कर कोई लाभ मिला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) लोधी होटल, नई दिल्ली को विदेशी कंपनियों अर्थात मैसर्स सिल्वर लिंक होल्डिंग्स लि. फ्लैस राइज लि. शार्प प्वायंट लि., फस्ट सरकल होल्डिंग्स प्राइवेट लि. और ब्रिटिश विरजिन इंग्लैण्ड के पैरानल फाइनेंस एस ए के संकाय को बेचा गया है चूंकि इस होटल के लिए वे उच्चतम बोलीदाता थे। इसी प्रकार पारादीप फास्फेटस लि. को एक भारतीय कंपनी मैसर्स जुआरी इण्डस्ट्रीज लि. और मोरक्कन कंपनी मैसर्स मैरक फास्फोर एस ए के संयुक्त उद्यम को बेचा गया है। अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय कंपनियों को बेचे गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) समाचार-पत्रों में बाल्को, सी एम सी, आई पी सी एल और संतूर होटल (मुम्बई) के शेयरों के कम मूल्यांकन का आरोप लगाते हुए कुछ खबरें छपी हैं। सरकार इन खबरों में व्यक्त इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। मूल्य निर्धारण के लिए, विनिवेशित की जा रही कंपनी की परिसंपत्तियों, दायित्वों और भावी कारोबार सम्भाव्यताओं के मूल्यांकन के लिए कई पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। इसका उपयोग आरक्षित मूल्य पर पहुंचने के लिए किया जाता है। वास्तविक बिक्री मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से तय होता है जो अनुकूल बिक्री के मामले में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए बोलीदाताओं से प्राप्य नियंत्रण प्रीमियम सहित, प्रकट किए जाने वाले, उस समय बाजार द्वारा तय मूल्य निर्धारण की अनुमति देता है। विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के बाजार मूल्य में उत्तरवर्ती परिवर्तन, अन्य बातों के साथ नए प्रबंधन के अधीन कंपनी की भावी संभावनाओं को परवर्तित करता है।

(घ) उत्तम बाजार प्रवृत्तियों का ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मूल्य निर्धारण के लिए निम्नलिखित चार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है:

1. डिस्काउण्टेड कैश फ्लो पद्धति
2. तुलन-पत्र पद्धति
3. सौदा बहुविधि पद्धति
4. परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण पद्धति

पहली तीन पद्धतियों का उपयोग सामान्यत: एक चालू कंपनी के मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है। अंतिम पद्धति किसी कंपनी के परिसमापन के मामले में परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण के लिए अधिक प्रासंगिक होती है। आरक्षित मूल्य, इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सलाहकारों के परामर्श और चार अलग मूल्य निर्धारण पद्धतियों का उपयोग करने के बाद, प्राप्त परिणामों के आधार पर एक अन्तर्मंत्रालय मूल्यांकन समिति द्वारा तय किया जाता है।

1999-2000 से अब तक अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों की संपत्तियों का मूल्य निर्धारण करने के लिए चयनित परिसंपत्ति मूल्य निर्धारकों के नाम इस प्रकार है:-

क्र.स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	परिसंपत्ति मूल्य निर्धारक
1	2	3
1.	माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मैसर्स ए.पी. सक्सेना एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
2.	भारत एल्मुनियम कंपनी लि. (बाल्को)	श्री पी. वी. राव, नई दिल्ली
3.	सी एम सी लिमिटेड	मैसर्स आर.बी. शाह एण्ड एसोसिएट्स, जयपुर
4.	एच टी एल लिमिटेड	मैसर्स पी. टी संमुगम, चेन्नई
5.	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड	मैसर्स ए.एफ. फर्गुसन एण्ड कंपनी, एण्ड एन आई डी सी, नई दिल्ली
6.	आई बी पी लिमिटेड	मैसर्स ए.पी. सक्सेना एण्ड एसोसिएट्स (नई दिल्ली), मैसर्स एन.के. चक्रवर्ती (कोलकाता), मैसर्स गोडबोले एण्ड एसोसिएट्स (मुम्बई), मैसर्स एम.एम. कुलकर्णी (नासिक), और मैसर्स मैटिक्यूलस कन्सल्टेटस (चेन्नई)
7.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	मैसर्स प्राइस वेटरहाउस कूपर्स लि. के संकाय मैसर्स दलाल कन्सलटेंड एण्ड इंजीनियर्स लि., मुम्बई

1	2	3
8.	पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड	मैसर्स राजेश बर्मन एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
9.	जैसप एण्ड कंपनी**	मैसर्स देवकान इंजीनियर्स एण्ड वैल्यूर्स, कोलकाता
10.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	मैसर्स आर. बी. शाह एण्ड एसोसिएट्स, जयपुर
11.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	मैसर्स डिलाइट हाकिन्स एण्ड सेल्स, मुम्बई
12.	भारत पर्यटन विकास निगम के 19 होटल	मैसर्स क्रांति क्रमर्शे एण्ड कंपनी, मुम्बई
13.	होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. सेंतूर होटल एयरपोर्ट, मुम्बई और सेंतूर होटल जुहू मुम्बई	मैसर्स कान्ती क्रमर्शे एण्ड कंपनी, मुम्बई
14.	होटल कार्पोरेशन आफ इंण्डिया लि. सेंतूर होटल राजगीर	मैसर्स आर.एस. मिनोचा एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली

** कोलकाता उच्च न्यायलय द्वारा प्रतिभूतित स्थगित आदेश को ध्यान में रखते हुए बिक्री करार अभी तक सम्पन्न नहीं किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

'नाल्को' का विनिवेश

***112. श्री त्रिलोचन कानूनगो:**
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (नाल्को) के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिश लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या शीर्ष (नोडल) मंत्रालय ने आपत्तियां उठाई हैं और नाल्को के विनिवेश के बारे में सुझाव पेश किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस इकाई की विनिवेश प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान 'नाल्को' से कितना लाभांश, ब्याज और आयकर मिला?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने बाजार बिक्री के माध्यम से नाल्को की 30 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश के लिए, विनिवेश आयोग की सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने नाल्को कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत इक्विटी आरक्षित करने के बाद सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक कम करते हुए किसी अनुकूल साझीदार को 29.15 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) प्रशासनिक विभाग अर्थात खान विभाग को, 27 सितम्बर, 2001 और 11 जुलाई, 2002 को लिए गए नाल्को के विनिवेश के लिये सरकार के निर्णय के प्रति कोई आपत्ति नहीं है। खान विभाग और नाल्को की विनिवेश प्रक्रिया के क्रियान्वयन से संबंधित अन्य विभागों के सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया है और उन्हें अन्तर्मंत्रालय बैठकों के मंच के माध्यम से ध्यान में रखा गया है। सलाहकार नियुक्त किए जा चुके हैं। अहर्ताप्राप्त इच्छुक पार्टियों द्वारा यथोचित अध्यवसाय की प्रक्रिया 10 अक्तूबर, 2000 से आरम्भ हो गई। संयंत्र दौरे 28 अक्तूबर, 2002 से आरम्भ होने थे परन्तु सलाहकारों और अहर्ताप्राप्त इच्छुक पीर्टियों द्वारा विरोध का सामना करने के कारण संयंत्र दौरे निलंबित कर दिए गए थे और ये दौरे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर लिए जाने के बाद आरम्भ होंगे।

(ङ) लोक उद्यम सर्वेक्षण (2000-01) के अनुसार अन्तिम तीन वर्षों के दौरान नाल्को द्वारा भुगतान किए गए लाभांश, ब्याज और आय कर की राशि इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

	1998-99	1999-2000	2000-01
लाभांश	77.32	128.87	257.72
ब्याज	38.06	63.43	97.56
आय कर	88.97	169.47	187.54

[हिन्दी]

ग्रामीण आवास योजनाएं

*113. श्री पी.आर. खुंटे:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार और विभिन्न केन्द्रीय ग्रामीण आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकानों के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब होने के बारे में सूचना एकत्र की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी के लिए आवास लक्ष्य को पूरा करने हेतु व्यापक कार्य योजना तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, क्षेत्रीय अध्ययनों, क्षेत्र अधिकारी योजना तथा आवधिक रिपोर्टों जैसी निगरानी विधियों के अतिरिक्त समय-समय पर कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन करता है। इसके अतिरिक्त, जैसे ही और जब कभी ग्रामीण आवास योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार या अनियमितता का मामला मंत्रालय के समक्ष लाया जाता है, तो उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इस मामले को तत्काल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के समक्ष रखा जाता है। विगत दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान ग्रामीण आवास योजनाओं के कार्यान्वय में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों तथा उस पर की गयी कार्रवाई से संबंधित ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) इन्दिरा आवास योजना तथा ऋण-सह-सब्सिडी योजना के अंतर्गत, राज्यवार लक्ष्यों को पूर्व निर्धारित मानदण्डों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ग्रामीण आवास तथा पर्यावास विकास संबंधी अभिनव चरण और ग्रामीण निर्मित केन्द्र योजनाएं परियोजना आधारित तथा मांगजनित योजनाएं हैं, इसलिए इन योजनाओं के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन्दिरा आवास योजना तथा ऋण-सह-सब्सिडी योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों और बनाए गए आवासों की संख्या से संबंधित राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) से (छ) सभी को आवास देने के लक्ष्य को हासिल करने तथा प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्तरीय आवास बनाने के लिए 1998 में एक कार्य योजना बनाई गई थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए 11390 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण-I

इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतें

1. आंध्र प्रदेश

श्रीमती रेनुका चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा), खम्माम जिला, आंध्र प्रदेश से लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लाभार्थियों के चयन में ग्राम सभा से बहुत कम परामर्श किया गया है और जिला कलैक्टर ने पक्षतापूर्ण तरीके से योजना को आबंटित करने में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है।

की गयी कार्रवाई

इस मामले को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया था और उन्होंने सूचित किया है कि खम्माम जिले में इन्दिरा आवास योजना के आवास आदिम जनजाति समूहों तथा कोंडारेड्डिडों तथा कोयर एस टी लाम्बादास जैसे निर्धनतम परिवारों, आग/बाढ़ पीड़ितों, विधवा आश्रित परिवारों, विकलांगों और भूतपूर्व सैनिकों को इन्दिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वाकृत किए गए हैं। साभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा ही किया गया था।

2. बिहार

(क) श्री राजो सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) से बिहार के बेगूसराय तथा जमुई जिलों में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत में

आरोप लगाया गया था कि लाभार्थियों को ग्राम सभा द्वारा नहीं चुना गया है और चयन से संबंधित कुछेक दस्तावेज जाली हैं।

(ख) श्री निखिल कुमार चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा) से बिहार के कटिहार जिले में इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में श्री राम नारायण लाला द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग) श्री शरद यादव, पूर्व नागर विमानन मंत्री से बिहार के मेधापुरा जिले के अधिकारियों द्वारा इन्दिरा आवास योजना तथा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों के दुरुपयोग के संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(घ) डा. संजय पासवान, संसद सदस्य (लोक सभा) से बिहार के जहानाबाद जिले के कुछेक गांवों में इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गयी कार्रवाई

श्री सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव के नेतृत्व में इस मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल को इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित ग्रमीणों की संख्या के साथ-साथ चुने गए लाभार्थियों की संख्या अत्यंत कम थी। जिला प्राधिकारी को भविष्य में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम सभा की बैठकों के लिए पूर्ण प्रचार किया जाए जिससे कि अधिकतम भागीदारी हो सके। तदनुरूप, मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है, जिसका उत्तर अभी प्राप्त होना है।

(ख) बिहार सरकार ने मांगी गयी रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

(ग) शिकायत को बिहार सरकार के पास भेज दिया गया था। इसकी स्थिति रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

(घ) शिकायत को बिहार सरकार के पास भेज दिया गया था। इसकी स्थिति रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

3. उड़ीसा

श्री सनातन बिसी, पूर्व संसद सदस्य, राज्य सभा से एक शिकायत प्राप्त थी, जिसमें कहा गया था कि उड़ीसा सरकार ने निर्णय लिया है कि इन्दिरा आवास योजना के आवासों को लाटरी द्वारा 14 चक्रवात प्रभावित जिलों में लाभार्थियों को आबंटित किया जाएगा।

की गयी कार्रवाई

इस शिकायत को राज्य सरकार के समक्ष भेज दिया गया था और उनसे उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर टिप्पणी मांगी गयी थी। राज्य सरकार से उत्तर अभी प्राप्त होना है।

4. उत्तर प्रदेश

(क) जोला दिन्दोली, ब्लाक नांगल, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के ग्रामीणों से इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने में बरती गई अनियमितताओं से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के निर्धारण/चयन के लिए ग्राम सभा की कोई बैठक नहीं की गयी है तथा राज्य सरकार के अधिकारियों एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपात्र व्यक्तियों को आवासों का निर्माण करने के लिए निधियां प्रदान की गयी हैं।

(ख) श्री राम सजीवन, संसद सदस्य (लोक सभा) से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें श्री तेजवंत सिंह, ब्लाक विकास अधिकारी के विरुद्ध चित्रकूटधाम के विकास ब्लाक में आई.ए.वाई./पी.एम.जी.वाई.-जी.ए. तथा उन्नयन योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

(ग) श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी, संसद सदस्य (लोक सभा) से चित्रकूट जिला, उत्तर प्रदेश के अर्की गांव में आग से प्रभावित परिवारों को 1998-99 के दौरान दिए गए 1 करोड़ रुपये से इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में की गयी अनियमितताओं से संबंधित आरोप लगाया गया था।

की गयी कार्रवाई

(क) इस शिकायत को यथोचित आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया था। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लाभार्थियों के चयन से संबंधित ग्राम पंचायत ने प्राथमिकता के मानदण्ड को अपनाया और अपात्र ग्रामीणों का चयन किया। अपात्र व्यक्तियों से धन की वसूली करने के लिए आवश्यक निदेश दे दिए गए हैं और दोषी ग्राम पंचायत प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

(ख) राज्य सरकार इस संबंध में मांगी गयी स्थिति रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

(ग) शिकायत को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के पास भेज दिया गया था, जिससे उत्तर अभी प्राप्त होना है।

विवरण-II

इन्दिरा आवास योजना तथा ऋण-सह-सब्सिडी योजना के अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार लक्ष्य बनाए गए आवासों की संख्या

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	इन्दिरा आवास योजना		ऋण-सह-सब्सिडी योजना$	
		लक्ष्य	बनाए गए आवासों की संख्या	लक्ष्य	बनाए गए आवासों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	400642	421508	20804	38111
2.	अरुणाचल प्रदेश	15858	13669	–	–
3.	असम	367565	170771	29700	27
4.	बिहार	1085118	723658	63828	437
5.	छत्तीसगढ़*	32499	40773	2037	842
6.	गोवा	2376	2012	131	असूचित
7.	गुजरात	119278	128299	6073	असूचित
8.	हरियाणा	43538	47514	2154	712
9.	हिमाचल प्रदेश	18247	16996	948	429
10.	जम्मू-कश्मीर	25036	29116	1137	असूचित
11.	झारखंड*	145426	106369	9035	13
12.	कर्नाटक	220333	206788	11012	1837
13.	केरल	117257	83466	6689	518
14.	मध्य प्रदेश	361577	409071	14878	3414
15.	महाराष्ट्र	395173	357083	19700	315
16.	मणिपुर	18065	4510	762	असूचित
17.	मेघालय	24801	9727	–	–
18.	मिजोरम	6018	6181	–	–
19.	नागालैण्ड	16574	21308	–	–
20.	उड़ीसा	335594	463071	17105	29458
21.	पंजाब	27141	23143	1384	186
22.	राजस्थान	142437	177490	5961	892
23.	सिक्किम	4351	5178	–	–

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	237866	272426	10850	7790
25.	त्रिपुरा	36146	38151	2774	असूचित
26.	उत्तर प्रदेश	855867	762681	41488	असूचित
27.	उत्तरांचल*	34792	25020	2231	587
28.	पश्चिमी बंगाल	418932	305166	22656	असूचित
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	2753	934	–	–
30.	दादरा और नागर हवेली	1716	360	–	–
31.	दमण और दीव	600	108	–	–
32.	लक्षद्वीप	187	121	–	–
33.	पांडिचेरी	1724	16324	–	–
	कुल	5515488	4874392	293337	85568

* 2000-2001 के दौरान बनाए गए राज्य।

$ ऋण-सह-सब्सिडी योजना 1999-2000 में शुरू हुई और मात्र 23 राज्यों में लागू की गयी।

[अनुवाद]

पंचायती राय अधिनियम में संशोधन

*114. **डा. एस वेणुगोपाल:**
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां देने के लिए संबिधान में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विधेयक के कब तक लाए जाने की संभावना है;

(ग) पंचायतों की सहायता करने हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है ताकि वे ग्रामों में जरूरतमंदों विशेषकर, शिल्पियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें;

(घ) क्या इस संबंध में किसी मौजूदा योजना को संशोधित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) और (ख) नई दिल्ली में अप्रैल 2002 में आयोजित अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां शीघ्र और प्रभावी ढंग से हस्तांरित करने के लिए संविधान में उपयुक्त नये संशोधन करने के माननीय प्रधान मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत किया गया था और इस संबंध में प्रक्रिया शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया था। सम्मेलन में लिए गए उपयुक्त संकल्प पर केन्द्र सरकार ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए इस दशा में पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए ब्यौरे या समय-सीमा की घोषणा करने का अभी समय नहीं आया है।

(ग) इस मंत्रालय में, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में आर्थिक एवं सामाजिक परिसम्पत्तियां प्रदान करने एवं गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की व्यक्तिगत जमीन पर विकासात्मक कार्य शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग लाभप्रद योजनाओं हेतु निधियां निर्धारित करने की संकल्पना की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं

***115. श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस कार्य में गैर-सरकारी संगठनों को किस हद तक शामिल किया जा रहा है; और

(घ) इन गैर-सरकारी संगठनों को पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) 12.11.2002 तक राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पेयजल सुविधा के साथ ग्रामीण बसावटों की कवरेज की स्थिति निम्नानुसार है:-

कवरेज का रूप	बसावटों की संख्या	शामिल की गई कुल बसावटों का प्रतिशत
कुल	1422664	-
पूर्णत: शामिल (एफ सी)	1283926	90.25
आंशिक रूप से शामिल की गई (पी सी)	123636	8.69
शामिल न की गई	15102	1.06

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पेयजल की सुविधा के साथ शामिल की गई ग्रामीण बसावटों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	शामिल न की गई बसावटें	आंशिक रूप से शामिल की गई बसावटें	कुल
1.	1999-2000	11866	62770	74636
2.	2000-2001	6651	61967	68618
3.	2001-2002	3750	48351	52101
4.	2002-2003*	696	14645	15341

* यह अनंतिम है तथा 12.11.2002 तक राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार है। वर्ष 2002-2003 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चालू वर्ष के दौरान शामिल न की गई 8394 बसावटों तथा आंशिक रूप से शामिल की गई 60933 बसावटों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

22.11.2002 के अनुसार 20% ग्रामीण आबादी को परिष्कृत स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वच्छता सुविधाओं के साथ ग्रामीण आबादी की कवरेज की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	अवधि	बनाए गए शौचालय (लाख)
1.	1999-2000	10.87
2.	2000-2001	6.81
3.	2001-2002	8.69
4.	2002-2002 (14.11.02)	9.12

(ख) भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की गुणवत्ता को सुधारने के लिए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। कार्यक्रम के भाग के रूप में संपूर्ण स्वच्छता अभियान देश के 185 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत निधियां व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों, स्कूल शौचालयों, महिलाओं के लिए सामुदायिक परिसरों, आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियों के लिए शौचालयों, उत्पादन केन्द्रों और ग्रामीण स्वच्छता बाजार तथा लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अभिप्रेत हैं। ये परियोजनाएं जन भागीदारी से कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजनाओं के उचित कार्यान्वित के लिए परियोजना की नियमित निगरानी और समीक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का संपूर्ण स्वच्छता अभियान 1.4.99 से शुरू किया गया है जो देश के चुनिंदा जिलों में स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय योजना स्वीकृत समिति ने अपनी 16 बैठकों में अब तक 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 185 परियोजनाएं मंजूर की हैं जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 2032 करोड़ रुपये, है और इसमें केन्द्र, राज्य और लाभार्थी/पंचायत का अंश क्रमश: 1225 करोड़ रुपये, 427 करोड़ रुपये तथा 380 करोड़ रुपये है। भारत सरकार के अंश के रूप में अब तक लगभग 328 करोड़ रुपये की रीशि रिलीज की गई है। 185 परियोजनाओं में स्वीकृत घटकों में 169 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों, 1.68 लाख स्कूल शौचालयों, महिलाओं के लिए 20434 स्वच्छता परिसरों, 13206 आंगनवाड़ी/बालबाड़ी शौचालयों, 1610 ग्रामीण स्वच्छता बाजारों/उत्पादन केन्द्रों का निर्माण तथा 112 गांवों की संपूर्ण स्वच्छता शामिल है। राज्य/

संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अद्यतन प्रगति रिपोर्टों के अनुसार टी एस सी के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार हैं:- 15.07 लाख घरेलू शौचालयों, महिलाओं के लिए 970 स्वच्छता परिसरों, 18397 स्कूल शौचालयों, 1544 आंगनबाड़ियों/बालबाड़ियों तथा 355 ग्रामीण स्वच्छता बाजारों/उत्पादन केन्द्रों का निर्माण।

(ग) और (घ) जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण ग्रामीण बसावटों को पेयजल मुहैया कराने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए न तो किसी गैर-सरकारी संगठन को शामिल किया जाता है और न ही केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें प्रत्यक्ष निधियां रिलीज की जाती हैं। तथापि, प्रायोगिक आधार पर 67 जिलों में कार्यान्वित की जा रही क्षेत्र सुधार परियोजना में गैर-सरकारी संगठन शामिल किए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में क्षेत्र सुधार परियोजना कार्यान्वित करने वाली जिला जल और स्वच्छता समिति (डी डब्ल्यू एस सी) को भारत सरकार के अनुमोदन से डी डब्ल्यू एस सी में तीन गैर-सरकारी संगठनों को शामिल होता है। तदनुसार, भारत सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 42 गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का अनुमोदन दिया है जो निम्नानुसार है-

क्र.सं.	राज्य का नाम	डी डब्ल्यू एस सी में शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	महाराष्ट्र	8
4.	राजस्थान	9
5.	तमिलनाडु	6
6.	उत्तर प्रदेश	15
	कुल	42

तथापि, गैर-सरकारी संगठनों को दी गई सहायता का हिसाब-किताब केवल जिला स्तर पर ही रखा जाता है।

[अनुवाद]

मानद विश्वविद्यालयों हेतु मानदंड

***116. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार के पास देश में मानद विश्वविद्यालयों के विस्तार को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार व्यापक विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मानद विश्वविद्यालयों के लिए मानदंडों की समीक्षा करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विशिष्ट सैक्षिक क्षेत्रों में उच्च स्तर का कार्य कर रही उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से प्राप्त होने वाले सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है। सम विश्वविद्यालयों की संख्या के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक ऐसी द्विआयामी नीति अपनाने का प्रस्ताव है जिसके तहत यह आयोग एक ओर मौजूदा आधारभूत संरचना का विस्तार करना चाहेगा तो दूसरी ओर उच्चतर शिक्षा के पारम्परिक तथा दूरस्थ माध्यमों के बीच समाभिरूपता भी लाना चाहेगा।

(ङ) और (च) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सितम्बर, 2002 में डा. वेंकट सुब्रमण्यम, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में छ: सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है जिसका कार्य सम विश्वविद्यालय के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों की समीक्षा करना है।

[हिन्दी]

धर्म परिवर्तन के मामले

***117. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
डा. बी.बी. रमैया:

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार की इस प्रकार क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में इस संबंध में कोई मांग की गई है कि लालच अथवा बल पूर्वक कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने हेतु केन्द्र सरकार को कानून बनाना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या ऐसा कानून किसी राज्य में विद्यमान है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) हाल ही में विभिन्न राज्यों से धर्मान्तरण के कुछ मामले सूचित किए गए हैं। तथापि केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जते।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है तथा फिलहाल केन्द्र सरकार द्वारा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में ऐसा कानून मौजूद है। हाल ही में तनिलनाडु विधान सभा ने भी इस विषय पर एक विधेयक पारित किया है।

नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का विनिवेश

***118. श्री रामदास रुपला गावीत:**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का विनिवेश करने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के पिछले तीन वर्षों का वर्ष-वार लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के विनिवेश के बारे में आपत्ति उठाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने, विनिवेश आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में अपनी 51 प्रतिशत इक्विटी का किसी अनुकूल साझीदार को विनिवेश करने का निर्णय लिया है।

(ग) अन्तिम तीन वर्षों के दौरान नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का लाभ/हानि इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	करोपरान्त निवल लाभ
1999-2000	34.89
2000-2001	27.31
2001-2002	40.61

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बरौनी, सिंदरी और नामरूप उर्वरक संयंत्रों का बंद होना/पुनरुद्धार

***119. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री पी. आर. किन्डिया:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बरौनी और सिंदरी उर्वरक संयंत्रों को बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिंदरी और बरौनी उर्वरक संयंत्रों को बंद करने का क्या औचित्य है;

(घ) इन इकाइयों के बंद होने के परिणामस्वरूप कितने कामगार बेरोजगार हो जाएंगे और सरकार के समक्ष बेरोजगार कामगारों के उचित पुनर्वास हेतु क्या प्रस्ताव है;

(ङ) क्या केवल नामरूप उर्वरक संयंत्र का ही पुनरुद्धार किया गया है जबकि अन्य संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया है;

(च) क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने सिंदरी और नामरूप उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार की सिफारिश की है;

(छ) क्या बिहार और झारखंड के लोगों में बरौनी और सिंदरी उर्वरक संयंत्रों के बंद होने के विरुद्ध व्यापक रोष है; और

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन दोनों उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार करने का है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह डिंडसा): (क) से (ग) सरकार ने बरौनी इकाई सहित सम्पूर्ण हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) और जोधपुर संगठन को छोड़कर सिन्दरी सहित फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) को बंद करने का निर्णय लिया है क्योंकि इन्हें प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(घ) बरौनी और सिन्दरी इकाईयों की जनशक्ति क्रमश: 1137 और 2139 है। एच एफ सी तथा एफ सी आई ने बरौनी और सिन्दरी इकाईयों सहित बंद किए जाने के लिये निर्णीत इकाईयों/ कार्यालयों के कर्मचारी को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के तहत लाभों की पेशकश की है।

(ङ) वर्ष 1997 में 509.40 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत से अनुमोदित एच एफ सी की नामरूप इकाईयों का पुनरुद्धार कार्यान्वयनाधीन है।

(च) से (झ) एच एफ सी की बरौनी इकाई तथा एफ सी आई की सिन्दरी इकाई के पुनर्स्थापन को प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

नई उर्वरक नीति

***120. श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री प्रबोध पण्डा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई उर्वरक नीति घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक घोषित कर दिया जाएगा;

(ग) क्या नई नीति का प्रारूप तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस नीति का मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि नई प्रस्तावित नीति रासायनिक उर्वरकों के वानस्पतिक और जैव उर्वरकों में प्रतिस्थापन को बढ़ावा देगी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह डिंडसा): (क) से (च) व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यूरिया इकाईयों के लिए तैयार की जा रही नई मूल्य निर्धारण नीति सरकार के विचाराधीन है। नई मूल्यनिर्धारण नीति को 1.4.2003 से लागू करने का प्रस्ताव है। नई नीति समूह रियायत योजना स्वरूप की होगी और इसका उद्देश्य यूरिया निर्माता इकाईयों को सब्सिडी के संवितरण में अधिक पारदर्शिता, समानता तथा दक्षता लाना यूरिया निर्माताओं को उनकी स्वयं की ओर से लागत कटौती उपाय करने और प्रतिस्पर्धी बनने के लिये प्रेरित करना होगा। नई मूल्यनिर्धारण नीति केवल यूरिया इकाईयों के संबंध में है और यह वानस्पतिक व जैव उर्वरक के उपयोग को प्रभावित करने के लिये नहीं है।

[हिन्दी]

नई औषध नीति

***121. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि नई औषध नीति और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था औषध कंपनियों को अनावश्यक लाभ कमाने, उत्पादन बढ़ाने से रोकने और जीवन रक्षक औषधियों की समुचित मूल्यों में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कहां तक कारगर हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई औषध नीति और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कार्यान्वयन में पता लगी कमियां क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम किस सीमा तक सफल रहे हैं;

(ङ) क्या बेंगलूर उच्च न्यायालय में इस संबंध कोई जनहित याचिका दायर की गई है; और

(च) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (च) कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के परिणामस्वरूप 12.11.2002 को एक आदेश हुआ जो सरकार पर भेषज नीति-2002 की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू करने पर रोक लगाता है। अत: जहां तक नीति के मूल्य संबंधी पहलुओं का संबंध है, नई औषध नीति के प्रभावों का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़

1111. श्री एम. के. सुब्बा: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम और अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों ने इस साल बाढ़ से नुकसान का जिलेवार मूल्यांकन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राहत और पुनर्वास के लिए सहायता मांगी गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) राज्य के ज्ञापन, केन्द्रीय दल के मूल्यांकन और स्वीकार्य व्यय के मानदण्डों को ध्यान में रखने के बाद, असम राज्य के लिए राहत खर्च के लिए 118.34 करोड़ रु. की जरूरत आंकी गई थी। इस खर्च को पूरा करने के लिए राज्य के सी.आर. एफ. (जिसके लिए 75% भाग केन्द्र सरकार देती है) में पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध है।

मणिपुर ने भी एन. सी. सी. एफ. से 287.06 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता के लिए ज्ञापन दिया है। नुकसान का जाएजा लेने के लिए, केन्द्रीय दल ने राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। अरुणाचल प्रदेश से 13 नवम्बर, 2002 को चालू वर्ष के दौरान आई बाढ़ के लिए एन.सी.सी.एफ. से 60.3977 करोड़ रु. और पिछले वर्ष की बाढ़ के लिए 15.00 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता देने का ज्ञापन/अनुरोध प्राप्त हुआ है और उस पर कार्रवाई की जा रही है।

अधिकारियों के अमेरिकी दौरे

1112. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने हाल ही में नियंत्रण रेखा/अन्तराष्ट्रीय सीमा के पार से घुसपैठ के विकल्प के लिए सेन्सर के प्रयोग की जांच करने का लिए हाल ही में अमेरिका की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सौदे का ब्यौरा क्या है और खरीदे जाने वाले सेन्सर की कीमतें और शर्तें क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) हाल ही में एक टीम ने उन्नत सीमा प्रबोधन के लिए हाइ-टेक निगरानी उपस्कर प्रणालियों और उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की तैनाती के लिए प्रणालियों के एकीकरण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। इस टीम ने सेन्सर अथवा अन्य उपस्कर खरीदने की मंशा प्रकट नहीं की है।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था

1113. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **उप-प्रधान मंत्री** 05.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2486 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पी.सी.आर. वैनों के संचालन और अपराध की स्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या दिल्ली में अपराध की स्थिति और पी. सी. आर. वैनों के संचालन स्थिति में सुधार हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी, हां, श्रीमान। स्थिति संबंधी रिपोर्ट में मुख्यतया पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहनों द्वारा अपराध रोकथाम, अपराधियों की धरपकड़ और सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की सहायता में निभाई गई भूमिका दर्शाई गई है। इसमें दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में अपराध नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्य भी विस्तार पूर्वक दिखाए गए हैं।

(ग) स्थिति रिपोर्ट में उन दो पहलुओं, जिन पर दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का निदेश दिया था, की वास्तविक स्थिति भी दिखाई गई है।

(घ) और (ङ) दिल्ली में अपराध दर वर्ष 1999 से उत्तरोत्तर घट रहा है और यह रुझान वर्ष 2002 (15 नवम्बर, 2002 तक) के दौरान भी जारी रहा। दिल्ली में सूचित किए गए अपराधों की संख्या में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1 जनवरी से 15 नवम्बर, 2002 की अवधि के दौरान 9.20 प्रतिशत की गिरावट आई। दिल्ली पुलिस के पुलिस नियंत्रण कक्ष में अत्याधुनिक संचार उपकरण और स्वचलित कौल वितरण प्रणाली स्थापित करने से पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहनों के औसत प्रतिक्रिया समय में कमी आई है।

शिक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण

1114. श्री टी. गोविन्दन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में शिक्षा के आधुनिकीकरण के बारे में केरल सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, अनुदानों की संस्वीकृति हेतु विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, जैसे सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता सुधार आदि के तहत प्राप्त प्रस्तावों की इन योजनाओं के मानदण्डों तथा कार्यान्वयन एजेंसी के विगत कार्य-निष्पादन (वास्तविक तथा वित्तीय दोनों) को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाती है।

पूर्वोत्तर में आतंकवाद

1115. श्री विकास चौधरी: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने आतंकवादी संगठनों के नाम और उनके ब्यौरे की सूची दी है जिन्होंने अपने बेस कैम्प बांग्लादेश की धरती पर स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे पर और उन आतंकवादियों के प्रत्यर्पण की बात बांग्लादेश के अधिकारियों से की है जिनकी देश को उनके द्वारा किए गए अनेक अपराध किए जाने के लिए आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में बांग्लादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। त्रिपुरा सरकार ने बांग्लादेश क्षेत्र में भारतीय विद्रोही ग्रुपों के होने के बारे में सूचित किया है। यह मामला बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया गया है, जिसने आश्वासन दिया है कि वह उग्रवादियों को भारत के हितों के प्रतिकूल गतिविधियां चलाने के लिए अपने भू-भाग का प्रयोग नहीं करने देगी। बांग्लादेश सरकार ने उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय उग्रवादियों को प्रत्यावर्तित करने के मामले में भी पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

एच. सी. एल. की खानों को बन्द कराना

1116. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (एच सी एल) की खेतड़ी स्थित खानों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि अभी भी खेतड़ी की खानों में भूमिगत कापर के भण्डार बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से खेतड़ी स्थित खानों को बन्द न करने का अनुरोध किया है, जो जो कि खनन और धातु के उत्पादन की बड़ी औद्योगिक इकाइयों में से एक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मुद्दे पर अपने निर्णय की पुन: समीक्षा करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (एच सी एल) ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के तहत खेतड़ी खान के बंद करने के लिए सरकार की अनुमति मांगी है। भारत सरकार, श्रम मंत्रालय ने खान को बंद करने की अनुमति अभी तक प्रदान नहीं की है।

(ख) खेतड़ी खान के नीचे तथा आसपास उपलब्ध भण्डारों सहित इसमें 1.38% तांबा वाले 59.79 मिलियन टन अयस्क भण्डार है। तथापि, भूवैज्ञानिक भण्डार और खनन-लायक भण्डार क्रमश: 1.13% तांबा वाले 14.97 मिलियन टन और 1.15% तांबा वाले 10.77 मिलियन टन हैं। विकसित भण्डारों में 1.33% तांबा वाले 0.37 मिलियन टन भण्डार शामिल हैं।

खेतड़ी खान में भण्डारों के विकास और विदोहन की लागत अधिक है और खान का प्रचालन अव्यवहार्य है।

(ग) से (ङ) माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार ने दिनांक 3.6.2002 और 17.9.2002 के अपने पत्रों के मार्फत भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से खेतड़ी तांबा खान को बंद किए जाने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। माननीय कोयला और खान राज्य मंत्री ने दिनांक 29.7.2002 के अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि चूंकि खेतड़ी खान का प्रचालन अत्यधिक लाभकारी है और इस यूनिट को पुनर्जीवित करने की कोई संभावना नहीं है अत: खेतड़ी खान को बंद करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं है। अत: इस बारे में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करना संभव नहीं होगा।

दण्ड प्रक्रिया में सुधार

1117. श्री सुबोध मोहिते: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्य की जेलों में विचाराधीन कैदियों और नजरबंदों की भीड़-भाड़ की समस्या के समाधान हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र की केन्द्रीय कारागारों के उन्नयन और रख-रखाव के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) राज्य सभा में 9 मई, 1994 को प्रस्तुत दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 में, अन्य बातों के साथ-साथ, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक नई धारा नामत: धारा 438-क जोड़ने का प्रस्ताव है जिसमें यह व्यवस्था है कि ऐसे अपराध जिसके लिए दी जाने वाली सजा में मृत्यु दण्ड की सजा एक हो, के अभियुक्त को छोड़कर यदि कोई विचारणाधीन कैदी तथाकथित अपराध के लिए दी जाने वाली कारावास की सजा की अधिकतम अवधि की आधी अवधि तक नजरबंद रहा हो तो उसे प्रतिभूति या प्रतिभूति के बगैर निजी मुचलके पर रिहा किया जाये। यह व्यवस्था करने के लिए यह प्रस्ताव भी है कि किसी हालात में एक विचारणाधीन कैदी को, उसके द्वारा किए गए तथाकथित अपराध के लिए दी जाने वाली अधिकतम कारावास की अवधि से अधिक समय तक नजरबंद न रखा जाये।

(ग) से (ङ) जेल के आधारभूत ढांचे के उन्नयन के लिए नई गैर-योजना स्कीम के अनुमोदन के बाद, महाराष्ट्र सरकार से विदर्भ क्षेत्र में केन्द्रीय जेलों के उन्नयन और रख-रखाव के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकार नई जेलों या वर्तमान जेलों के नवीकरण की अपनी जरूरतों को, केन्द्र सरकार द्वारा चालू वर्ष से देश में जेलों के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई नई स्कीमों में शामिल कर सकती है।

नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

1118. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:
श्री मोहन रावले:
श्री भीम दाहाल:

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उपक्रमों, जिन्हें सरकार द्वारा नवरत्नों का दर्जा प्रदान किया गया है, के विनिवेश का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार की घोषित विनिवेश नीति, नवरत्न सहित सभी गैर-महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा धारित इक्विटी को 26 प्रतिशत अथवा उससे निचले स्तर तक कम करने की है, जैसा कि मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाए।

ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने के लिए जिलों का चयन

1119. श्री मोहन रावले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से पूर्णतया केन्द्र सरकार के समग्र पर्यवेक्षण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलों का चयन करने का अधिकार राज्य सरकारों को देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) राज्य सरकारों से इस तरह के कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

खोज कार्यक्रम में गिरावट

1120. श्री रामजी मांझी: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. और नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन द्वारा किए जा रहे खोज कार्यक्रम में 1999 से और इस बजट प्रावधानों में भी लगातार कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खोज कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित या उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 की तुलना में सी.आई.एल. तथा एन.एल.सी. द्वारा किए गए अन्वेषण में कमी आई है। तथापि एस.सी.सी.एल. में अन्वेषण लगभग उसी स्तर पर जारी रहेगा। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(लाख मीटर में)

क्रम संख्या	कम्पनी	1999-2000 (वास्तविक)	2000-2001 (वास्तविक)	2001-2002 (वास्तविक)	2002-2003 (कार्यक्रम)
(क)	**सी. आई. एल.**				
(i)	प्रोमोशनल ड्रिलिंग	0.97	0.33	0.44	0.49
(ii)	सी. आई. एल. ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग	2.05	1.63	1.25	1.48
(iii)	गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग	0.13	0.77	1.07	0.42
	कुल	3.15	2.73	2.76	2.39
(ख)	**एस.सी.सी.एल.**				
(i)	प्रोमोशनल ड्रिलिंग	0.28	0.11	0.18	0.17
(ii)	विस्तृत ड्रिलिंग	0.60	0.65	0.65	0.56
	कुल	0.88	0.76	0.83	0.73
(ग)	**एन.एल.सी.**				
(i)	प्रोमोशनल ड्रिलिंग	0.70	0.52	0.64	0.54
(ii)	विस्तृत ड्रिलिंग	0.05	0.08	-	0.04
	कुल	0.75	0.60	0.64	0.58

उक्त वर्षों के वास्तविक व्यय/बजटीय प्रावधान नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपये में)

योजना	1999-2000		2000-01		2001-02		2002-03
	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बजट प्रावधान
प्रोन्नत अन्वेषण	32.56	32.56	30.37	30.37	31.61	31.61	31.18
नान-सी.आई.एल. ब्लाकों में विस्तृति ड्रिलिंग	5.38	5.38	10.00	10.00	45.85	45.85	12.53

सी.आई.एल., एस.सी.सी.एल. तथा एन.एल.सी. द्वारा अपने स्वयं के ब्लाकों में की गई विस्तृत ड्रिलिंग का वित्त पोषण संबंधी कंपनी के आंतरिक संसाधनों से किया जाता है और यह उनकी आवश्यकता के अनुसार 10वीं योजना में भी जारी रहेगा।

(ग) सरकार कोयला तथा लिग्नाइट में प्रोन्त ड्रिलिंग और नान-सी.आई.एल. ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग का वित्त-पोषण कर रही है। दसवीं योजना के लिए प्रस्तावित वित्त-पोषण नीचे दिया गया है:-

	दसवीं योजना	
	ड्रिलिंग (लाख मीटर में)	बजट अनुमान (करोड़ रु. में)
नान-सी.आई.एल. ब्लाकों के लिए विस्तृत ड्रिलिंग	2.13	70.66
प्रोन्नत ड्रिलिंग (अन्य अन्वेषण सेवाओं, कोयला तथा लिग्नाइट का डाटा बेस बनाना तथा सी.बी.एम. अध्ययन सहित)	6.00	275.80

[हिन्दी]

योजना अवधि के अंतर्गत पेयजल के लिए धनराशि का आबंटन

1121. श्री बीर सिंह महतो:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार विशेष कर पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर के संबंध में पेयजल उपलब्ध कराने हतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार इन राज्यों को पेयजल की समस्या के निवारण हेतु यह आबंटन पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रमीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निधियों के आबंटन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रस्ताव है कि निधियों की उपलब्धि के अध्यधीन अप्रैल, 2004 तक देश की सभी ग्रामीण बसावटों में पेयजल सुविधा मुहैया करायी जाये। सरकार का यह प्रयास रहा कि समस्त बजट सीमाओं के भीतर ग्रामीण पेयजल क्षेत्र को निधियों का यथासंभव अधिकतम आबंटन किया जाये।

विवरण

आठवीं और नौवीं योजना में डी.डी.पी. के अंतर्गत की गई गतिविधियों के साथ-साथ ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत आबंटन

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना	नौवीं योजना
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	239.600	545.278
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.420	163.840
3.	असम	80.330	276.710
4.	बिहार	282.180	424.635
5.	छत्तीसगढ़	—	54.570
6.	गोवा	6.270	37.227
7.	गुजरात	153.750	333.980
8.	हरियाणा	94.120	147.843
9.	हिमाचल प्रदेश	49.630	171.584
10.	जम्मू-कश्मीर	138.680	356.085
11.	झारखंड	—	83.380
12.	कर्नाटक	217.570	512.266
13.	केरल	112.050	247.824
14.	मध्य प्रदेश	265.250	477.308
15.	महाराष्ट्र	318.930	736.109
16.	मणिपुर	17.660	58.840
17.	मेघालय	21.620	64.430

1	2	3	4
18.	मिजोरम	12.190	36.030
19.	नागालैण्ड	21.100	47.870
20.	उड़ीसा	125.560	269.924
21.	पंजाब	39.980	93.793
22.	राजस्थान	394.170	896.351
23.	सिक्किम	18.600	24.528
24.	तमिलनाडु	189.950	360.352
25.	त्रिपुरा	18.480	57.070
26.	उत्तर प्रदेश	444.480	738.289
27.	उत्तरांचल	—	56.600
28.	पश्चिमी बंगाल	171.590	365.498
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1.870	0.635
30.	दादरा और नागर हवेली	0.950	0.515
31.	दमण व दीव	1.550	0.375
32.	दिल्ली	1.200	0.200
33.	लक्षद्वीप	0.420	0.375
34.	पांडिचेरी	1.420	0.250
	कुल	3484.570	7650.563

[अनुवाद]

असम विश्वविद्यालय, सिलचर के दीपू कैम्पस की स्थापना

1122. डा. जयन्त रंगपी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम विश्वविद्यालय, सिलचर के दीपू कैम्पस की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री के विशेष पैकेज से तीन करोड़ रु. की राशि जारी की थी;

(ख) यदि हां, तो यह राशि जारी करने की सही तारीख क्या थी;

(ग) दीपू कैम्पस की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(घ) कैम्पस के कब तक स्थापित किए जाने और कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) दीपू परिसर की स्थापना के लिए 30 मार्च, 2000 को असम विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय संसाधन के अव्यपगत पूल में से तीन करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई थी।

(ग) और (घ) निधियों की उपयोगिता के संबंध में असम विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा ही लिया जाना है।

[हिन्दी]

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

1123. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विशेषकर जम्मू कश्मीर में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में इस योजना के द्वारा विभिन्न राज्यों के लोगों को राज्यवार मिलने वाले लाभ क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि यह योजना अपने लक्ष्य से पीछे चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने अधिकारियों को दोषी या जिम्मेदार पाया गया और राज्यवार उन्हें किस तरह की सजा दी गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) (क) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) के तहत जम्मू और कश्मीर सहित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वित्तीय प्रगति का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार वर्ष-वार और घटक-वार वास्तविक प्रगति विवरण-II और III के रूप में संलग्न है।

(ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत स्कीम के दिशानिर्देशों और लाभार्थी सर्वेक्षण परिणाम के अनुसार लक्ष्यों का निर्णय राज्य सरकार को करना होता है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार धनराशि की स्थिति (31.12.2002 की स्थिति अनुसार)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	30.11.1997 तक की स्थिति के अनुसार पुरानी योजनाओं की सूचित न किया गया शेष राशि	01.12.97 से 31.10.02 तक एसजेएस आरवाई के अंतर्गत जारी किया गया केन्द्रीय अंश	01.12.97 से जारी किया गया राज्य अंश	योग (3+4+5)	बताया गया व्यय	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पास उपलब्ध शेष निधियां (6-7)	खर्च का प्रतिशत (7/6%) (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3953.25	5350.57	1673.02	10976.84	9603.58	1373.26	87.43%
2.	अरुणाचल प्रदेश	458.65	204.65	99.62	762.92	154.33	608.59	20.23%
3.	असम	1787.24	1617.83	111.72	3516.79	978.28	2538.51	27.82%
4.	बिहार	4647.40	1693.94	358.12	6699.46	555.99	6143.47	8.30%
5.	छत्तीसगढ़*	0.00	551.13	167.57	718.70	890.66	-171.96	123.93%
6.	गोवा	221.90	84.06	35.53	341.49	224.33	117.16	65.69%
7.	गुजरात	2728.98	4099.38	1471.71	8300.07	5066.25	3233.82	61.04%
8.	हरियाणा	404.71	608.54	200.45	1213.70	1250.66	-36.96	103.05%
9.	हिमाचल प्रदेश	698.04	285.78	142.05	1125.87	1035.99	89.88	92.02%
10.	जम्मू-कश्मीर	939.20	281.89	569.76	1790.85	1115.33	675.52	62.28%
11.	झारखंड*	0.00	268.74	41.64	310.38	0.00	310.38	0.00%
12.	कर्नाटक	4888.75	3987.71	1251.23	10127.69	8910.25	1217.44	87.98%
13.	केरल	846.82	1655.53	561.36	3063.71	2709.26	354.45	88.43%
14.	मध्य प्रदेश	3053.95	5560.42	1518.69	10133.06	8613.13	1519.93	85.00%
15.	महाराष्ट्र	4860.44	4470.25	1386.95	10717.64	7725.08	2992.56	72.08%
16.	मणिपुर	543.38	358.31	40.98	942.67	108.44	834.23	11.50%
17.	मेघालय	311.47	237.99	79.34	628.80	197.22	431.58	31.36%
18.	मिजोरम	90.58	582.18	214.89	887.65	674.08	213.57	75.94%
19.	नागालैंड	644.10	344.20	89.55	1074.85	634.24	440.81	59.08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	उड़ीसा	1116.34	1455.31	572.28	3143.93	2435.77	708.16	77.48%
21.	पंजाब	1541.47	405.83	140.74	2088.04	1807.17	280.87	86.55%
22.	राजस्थान	3160.17	1732.18	583.27	5475.62	4071.63	1403.99	74.36%
23.	सिक्किम	106.16	150.02	39.66	295.84	200.99	94.85	67.94%
24.	तमिलनाडु	7514.65	3693.29	1225.99	12703.93	12023.73	680.20	94.65%
25.	त्रिपुरा	112.95	598.80	193.74	905.49	824.69	80.80	91.08%
26.	उत्तरांचल*	0.00	130.85	21.20	152.05	45.30	106.75	29.79
27.	उत्तर प्रदेश	7364.15	8065.37	2873.78	18303.30	16511.53	1791.77	90.21%
28.	प. बंगाल	2679.15	2837.80	881.91	6398.86	5408.99	989.87	84.53%
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	120.31	261.06	लागू नहीं	381.37	103.65	277.72	27.18%
30.	चंडीगढ़	77.70	150.45	लागू नहीं	228.15	50.21	177.94	22.01%
31.	दादरा और नागर हवेली	73.31	249.23	लागू नहीं	322.54	133.81	188.73	41.49%
32.	दमण और दीव	81.65	161.63	लागू नहीं	243.28	55.98	187.30	23.01%
33.	दिल्ली	184.24	275.31	86.68	546.23	64.07	483.16	11.73%
34.	पांडिचेरी	259.13	379.28	105.81	744.22	186.68	557.54	25.08%
	योग	55467.24	53059.51	16739.24	125265.99	94371.30	30894.69	75.34%

*नव सृजित राज्य

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक यूएसईपी घटक के अंतर्गत लघु उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		यूएसपी (सब्सिडी)	डीडब्ल्यूसीयूए (सब्सिडी)	प्रशि. व्यक्तियों की सं.	यूएसपी (सब्सिडी)	डीडब्ल्यूसीयूए (सब्सिडी)	प्रशि. व्यक्तियों की सं.	यूएसपी (सब्सिडी)	डीडब्ल्यूसीयूए (सब्सिडी)	प्रशि. व्यक्तियों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	10476	2631	6393	32626	1282	359	1536	1006	63
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	0	0	0	255	0	0	1443	0	0
4.	बिहार	488	0	233	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	771	60	166	229	79	78
6.	गोवा	132	0	468	0	0	0	134	20	183
7.	गुजरात	4300	0	3336	3393	0	276	3935	0	23760
8.	हरियाणा	1513	20	756	3205	540	2105	2356	410	1555
9.	हिमाचल प्रदेश	263	0	682	465	53	215	339	33	353
10.	जम्मू-कश्मीर	1627	34	4511	1207	20	0	2168	51	6763
11.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	0	0
12.	कर्नाटक	3233	166	19002	8492	3284	11847	8450	1120	13398
13.	केरल	24002	4308	18505	0	0	1701	4117	4625	1069
14.	मध्य प्रदेश	22743	0	13934	14060	531	0	12190	2066	3868
15.	महाराष्ट्र	12787	137	4872	7626	81	1010	9677	441	16735
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	414	0	136	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	60	236	0	0	234	10	0	258
19.	नागालैंड	256	329	225	254	0	0	0	714	285
20.	उड़ीसा	4525	95	5300	1375	1309	408	2296	7375	2877
21.	पंजाब	2669	20	2823	2156	140	2096	1251	20	1068
22.	राजस्थान	3503	0	0	8173	0	3854	5197	106	3300
23.	सिक्किम	33	0	117	84	0	230	72	0	224
24.	तमिलनाडु	487	80	1871	5769	1149	328	933	160	146
25.	त्रिपुरा	38	0	422	202	0	164	2238	540	308
26.	उत्तरांचल	—	—	0	—	—	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	32448	394	12851	23368	571	5277	24698	700	3976
28.	प. बंगाल	678	0	6915	0	25	9021	0	10	4948
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	1	0	0	19	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	चंडीगढ़	62	0	100	0	0	120	46	0	190
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	22	0	0	0	0	25
32.	दमण और दीव	21	0	0	4	0	0	23	0	0
33.	दिल्ली	100	0	900	0	0	0	277	0	65
34.	पांडिचेरी	149	0	0	215	76	105	252	41	294
	कुल	126947	8274	104534	113723	9121	39516	83886	19517	85789

यूएसईपी- शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम।
डीडब्ल्यूसीयूए: शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास

विवरण-III

वित्तीय वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के यूडब्ल्यूईपी के तहत सृजित कार्यों के श्रम दिवसों की संख्या

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5.750	68.650	3.170	77.570
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.670	0.270	0.00	0.940
3.	असम	0.000	3.410	0.160	3.570
4.	बिहार	0.000	0.000	0.000	0.000
5.	छत्तीसगढ़	0.000	0.000	1.520	1.520
6.	गोवा	0.640	0.020	0.090	0.750
7.	गुजरात	1.340	6.930	3.710	11.980
8.	हरियाणा	0.300	0.760	0.460	1.520
9.	हिमाचल प्रदेश	3.990	1.390	0.460	5.840
10.	जम्मू-कश्मीर	0.150	0.510	0.010	0.670
11.	झारखंड	0.000	0.000	0.000	0.000
12.	कर्नाटक	8.020	30.250	20.460	58.730
13.	केरल	1.790	(-)0.340	0.370	1.820
14.	मध्य प्रदेश	6.420	5.630	2.890	14.940

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	10.460	4.800	7.170	22.430
16.	मणिपुर	0.000	0.450	0.000	0.450
17.	मेघालय	0.030	0.000	0.00	0.030
18.	मिजोरम	1.130	3.090	(-)2.16	2.060
19.	नागालैंड	0.450	0.666	0.000	1.116
20.	उड़ीसा	7.990	3.500	0.190	11.680
21.	पंजाब	2.160	0.940	0.820	3.920
22.	राजस्थान	0.800	10.490	2.560	13.850
23.	सिक्किम	0.420	1.710	0.240	2.370
24.	तमिलनाडु	11.790	16.360	3.960	32.110
25.	त्रिपुरा	0.620	0.620	0.970	2.210
26.	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.150	0.150
27.	उत्तर प्रदेश	15.980	14.020	5.340	35.340
28.	पश्चिमी बंगाल	14.880	6.220	2.850	23.950
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0.240	0.080	0.770	1.090
30.	चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000
31.	दादरा और नागर हवेली	0.140	0.080	0.040	0.260
32.	दमण और दीव	0.000	0.000	0.350	0.350
33.	दिल्ली	0.000	0.000	0.000	0.000
34.	पांडिचेरी	0.388	22.250	2.870	25.508
	कुल	96.548	202.766	59.420	358.724

नोट- ऋणात्मक आंकड़े संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की गलत सूचना के कारण है।
यूडब्ल्यूईपी- शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम।

संपूर्ण ग्रामीण विकास योजना में धनराशि. जारी करना

1124. श्री महेश्वर सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संपूर्ण ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत जारी संपूर्ण धनराशि में से 50 प्रतिशत पंचायतों की सिफारिशों पर 30 प्रतिशत ब्लाक समिति और 20 प्रतिशत जिला परिषद् की सिफारिश पर खर्च किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों में जिला परिषदों के अध्यक्षों ने पंचायत, ब्लाक समिति और जिला परिषद् की भी सिफारिश को नकारकर उस धन का प्रयोग विभिन्न विकासात्मक

योजनाओं के लिए अपने विवेकाधीन वित्त से कराने की घोषणा की है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) संपूर्ण ग्रामीण विकास योजना को दो चरणों में क्रियान्वित किया जाता है। पहला चरण जिला और मध्यवर्ती पंचायत स्तरों पर क्रियान्वित होता है। पहले चरण के अंतर्गत निधि और अनाज का 50 प्रतिशत भाग रिलीज किया जाता है और जिला परिषद् तथा मध्यवर्ती पंचायत स्तरों के बीच 40-60 के अनुपात में वितरित किया जाता है। दूसरे चरण का कार्यान्वयन गांव पंचायत स्तर पर किया जाता है और निधि और अनाज का 50 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित किया जाता है और इस भाग को जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों/जिला परिषदों के माध्यम से उन्हें वितरित किया जाता है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, मध्यवर्ती पंचायत या ग्राम पंचायत को स्वतंत्र रूप से वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पूर्व पिछले वर्ष आवंटित निधि के अपने हिस्से के लगभग 125 प्रतिशत के बराबर के मूल्य की एक वार्षिक कार्य योजना बनानी और अनुमोदित करनी होती है। यदि यह वार्षिक कार्य योजना का हिस्सा न बने तो कोई कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

योग केन्द्र

1125. श्री रामदास आठवले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योग चिकित्सा को वित्त पोषित करने के लिए देश में अनेक योग केन्द्रों को मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इन केन्द्रों में से प्रत्येक को कितना अनुदान/धनराशि दी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा और व्यायाम को प्रोत्साहन देने की अपनी योजना के अंतर्गत 64 योग केन्द्रों को अनुमोदित किया जिनमें से नौवीं योजना के दौरान 42 केन्द्र और आठवीं योजना के दौरान 22 केन्द्र स्थापित किये थे। इन केन्द्रों की सूची विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

नौवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों में स्थापित योग केन्द्रों की सूची

1. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती
2. अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, कोयम्बटूर
3. अविनाशलिंगम इन्स्टीच्यूट फार होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फार वूमेन, कोयम्बटूर
4. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
5. बरहामपुर विश्वविद्यालय बरहामपुर, भानजा बिहार (उड़ीसा)
6. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची (बिहार)
7. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
8. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट
9. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
10. गांधीधाम रूरल इन्स्टीट्यूट, डिंडीगुल, गाँधीधाम (तमिलनाडु)
11. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, आईटीआई बैरक्स, कोनी, बिलासपुर (म.प्र.)
12. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (उ.प्र.)
13. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समर हिल्स, शिमला (हि.प्र.)
14. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
15. इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (म.प्र.)
16. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)
17. जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूं (राजस्थान)
18. जैन विश्व भारती संस्थान, महरौली, छतरपुर, नई दिल्ली
19. जम्मू विश्वविद्यालय, बाबा साहेब अम्बेडकर मार्ग, जम्मूतवी
20. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

21. काकतिया विश्वविद्यालय, वारंगल, विद्यारन्यापुरी
22. कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल
23. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राजस्थान)
24. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम (केरल)
25. मंगलूर विश्वविद्यालय, मंगलागोंगथ्री, मंगलौर
26. एम.जे.पी. रूहेलखंड विश्वविद्यालय, डोरीलाल अग्रवाल मार्ग, बरेली (उ.प्र.)
27. मुंबई विश्वविद्यालय, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई
28. मैसूर विश्वविद्यालय, क्राफोर्ड हाल, मैसूर
29. मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर
30. नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया विश्वविद्यालय, पी.बी. 7201, बंगलौर
31. पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (म.प्र.)
32. पटना विश्वविद्यालय, पटना
33. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, कालापेट, पांडिचेरी
34. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
35. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
36. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
37. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति (आं.प्र.)
38. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की (उ.प्र.)
39. सम्बलपुर विश्वविद्यालय, ज्योतिविहार, बुर्ला, सम्बलपुर
40. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट
41. श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी (उड़ीसा)
42. श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली

विवरण-II

आठवीं योजना के दौरान स्थापित योग केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1	2
1.	आंध्र विश्वविद्यालय, वालटेर
2.	अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद
3.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पानगर, कारीकुंडी
4.	ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा
5.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर
6.	वर्दवान विश्वविद्यालय, वर्दमान
7.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर
8.	भारतीयदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली
9.	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल
10.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
11.	डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
12.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
13.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
14.	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर
15.	गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
16.	जी.बी. पन्त विश्वविद्यालय, पंतनगर
17.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
18.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी
19.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
20.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
21.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
22.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

स्वतंत्रता सेनानियों की लंबित पेंशन

1126. श्री अमर राय प्रधान: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30.9.02 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन हेतु कितने मामले लम्बित हैं और वे कब से लम्बित हैं;

(ख) इन लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) लम्बित मामलों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार ऐसा कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है जो हर प्रकार से पूर्ण हो तथा स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए पात्रता रखता हो और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित एवं संस्तुत हो।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

अनिवासी भारतीयों को पुरस्कार देना

1127. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फरवरी 2002 के दौरान विज्ञान, वैदिक गणित इत्यादि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए अनिवासी भारतीयों को पुरस्कार देने से संबंधित कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राख की मात्रा वाले कोयले की ढुलाई

1128. श्री रघुनाथ झा: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 34 प्रतिशत से ज्यादा राख की मात्रा वाले कोयले को आपूर्ति स्थल से 1000 कि.मी. से ज्यादा दूरी तक ढुलाई करने से रोक दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके दूर-दराज के क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने गजट अधिसूचना के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 को निम्नलिखित उप नियम शामिल करते हुए संशोधित किया है, जिसमें निम्नानुसार कहा गया है:-

"(8) जून, 2002 के प्रथम दिन को तथा उस दिन से निम्नलिखित कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट कच्चा अथवा मिश्रित अथवा परिष्कृत कोयले का प्रयोग करेंगे जिसमें राख तत्व वार्षिक औसत आधार पर 34 प्रतिशत से अनधिक हो:

(1) पिट हैड से एक हजार किलोमीटर से दूर अवस्थित कोई थर्मल पावर संयंत्र; और

(2) शहरी क्षेत्र अथवा संवेदनशील क्षेत्र अथवा अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में अवस्थित कोई थर्मल पावर संयंत्र, चाहे पिटहैड पावर प्लांट से उनकी दूरी कुछ भी हो।

बशर्ते कि कोई थर्मल पावर प्लांट जो तरलीकृत बैड कम्बूशन अथवा सरकुलेटिंग तरलीकृत बैड कम्बूशन अथवा पर्यावरणीय तरलीकृत बैड कम्बूशन अथवा दाबित तरलीकृत कम्बूशन अथवा एकीकृत गैसीफिकेशन सम्मिलित चक्र तकनोलोजी अथवा अन्य कोई साफ सुथरी तकनोलोजियों का प्रयोग कर रहे हों जिसे केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित किया गया हो, धारा (i) तथा (ii) से मुक्त होंगे।"

(ख) 1000 किलोमीटर से दूर तथा शहरी/अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में अवस्थित बिजली उपयोगिताओं को वार्षिक आधार पर 34% से कम राख तत्व वाले कोयले की आपूर्ति हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय की शर्तों का अनुपालन करने के लिए विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और कोयला विभाग के सदस्यों वाली एक संयुक्त शीर्ष समिति ने कोयला आपूर्ति मैट्रिक्स तैयार किया है। स्वदेशी स्रोतों से विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति कोयला आपूर्ति मैट्रिक्स के अनुसार की जा रही है।

[हिन्दी]

'नाल्को'

1129. श्री सुबोध राय: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) को बेचने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) विनिवेश मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जिलों को विशेष दर्जा

1130. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद-कर्नाटक के चार जिलों गुलबर्गा, बिदर, रायचूर और कोप्पल का संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष दर्जा घोषित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या गृह मंत्रालय इस संबंध में राज्य सरकार की मांग से सहमत हो गया है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सितम्बर 2001 में ही अनुरोध किया था जिस पर केन्द्र सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सितम्बर, 2001 में कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 371घ के उपबंधों की तर्ज पर कर्नाटक में रोजगार और शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए क्षेत्र-वार आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन करने की बात कही गई थी। केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर कर्नाटक सरकार से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त किए थे।

(घ) कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

जम्मू-कश्मीर में युद्ध विराम

1131. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को रमजान के महीने के दौरान आतंकवादियों के विरुद्ध युद्ध विराम के संबंध में जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जैसा कि 6 नवम्बर, 2002 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक सुझाव पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) सरकार को जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

कोयला क्षेत्र पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कोयला परियोजनाएं

1132. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयला क्षेत्र पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी कोयला परियोजनाओं को शामिल किया जा रहा है;

(ख) क्या कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला खानों में विशिष्ट मशीन एवं उपकरण लगाये जाएंगे;

(ग) कोयला क्षेत्र पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत सिंगरेनी कोयला खानों में कोयले का उत्पादन किस सीमा तक बढ़ने की संभावना है;

(घ) क्या इन कोयला खानों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी.एस.आर.पी.) के अंतर्गत कोल इंडिया लि. की पांच अनुषंगी कंपनियों अर्थात् सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.), महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) तथा नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.) की 24 कोयला खनन उप-परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख) सी.एस.आर.पी. में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) की कोई परियोजना शामिल नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न के भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में कोयला माफिया की गतिविधियां

1133. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा नगर के नाम से विख्यात छत्तीसगढ़ का कोरबा शहर काफी लंबे समय से कोयला माफिया का अड्डा बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पता लगाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कितने लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी तस्करी को रोकने हेतु क्या कठोर उपाय किए गए हैं?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पास कोरबा सिटी में कोयला माफिया/कोयले की तस्करी के बारे में कोई विशेष सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

बालिका समृद्धि योजना

1134. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 और 2000 मे शुरू की गई ''बालिका समृद्धि योजना'', ''भाग्यश्री बाल कल्याण योजना'' और ''किशोरी शक्ति योजना'' के उद्देश्य क्या हैं और इसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई अन्य योजना भी शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) 'बालिका समृद्धि योजना', 'भाग्यश्री बाल कल्याण पालिसी' तथा 'किशोरी शक्ति योजना' के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

बालिका समृद्धि योजना:

* बालिका के जन्म पर बालिका तथा उसकी मां के प्रति परिवार तथा समुदाय के नकारात्मक रवैये में परिवर्तन लाना।
* बालिकाओं के स्कूलों में दाखिले और उनकी पढ़ाई जारी रखने की स्थिति में सुधार लाना।
* लड़कियों के विवाह की आयु को बढ़ाना।
* आयोत्पादन गतिविधियों को शुरू करने के लिए लड़कियों की सहायता करना।

किशोरी शक्ति योजना:

* 11-18 वर्ष की आयु वर्ग में लड़कियों के पोषाहारीय और स्वास्थ्य स्तर तथा आत्म-विकास में सुधार करना;
* किशोर लड़कियों को और अधिक सामाजिक अनुभव एवं जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने तथा उनकी निर्णय-निर्माण की क्षमता में सुधार लाने में मदद करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें शिक्षा, जीवन कौशलों, साक्षरता तथा अंक ज्ञान की सुविधाएं प्रदान करना;
* किशोर लड़कियों को पर्यावरण से संबंधित सामाजिक मुद्दों तथा जीवन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव को बेहतर तरीके से समझने के लिए सक्षम बनाना; तथा
* किशोर लड़कियों को विभिन गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वे समाज की उत्पादक तथा उपयोगी सदस्य बन सकें।

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 'किशोरी शक्ति योजना' 2000 ब्लाकों में कार्यान्वित की जा रही है।

बालिका समृद्धि योजना तथा किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्मुक्त राशि तथा लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

भाग्यश्री बाल कल्याण पालिसी बच्चे के लिए एक बीमा पालिसी है। बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म के पश्चात् मिलने वाले अनुदान अथवा छात्रवृत्ति का एक भाग बालिका की माता/अभिभावक की सहमति से बालिका के नाम पर पालिसी के प्रीमियम के रूप में जमा किया जा सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक (दिनांक 1.10.2002 की स्थिति के अनुसार) उपयोग की गई राशि तथा कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

	बालिका समृद्धि योजना		किशोरी शक्ति योजना	
	कुल निर्मुक्ति (रु. लाखों में)	कवर किए गए लाभार्थियों की सं.	कुल निर्मुक्ति (रु. लाखों में)	कवर किए गए लाभार्थियों की सं.
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	905.325	88086	90.99	67810
अरुणाचल प्रदेश	24.85	36538	41.58	—
असम	594.105	46220	88.66	—
बिहार	2623.9	101418	227.37	11854
गोवा	16.41	2949	1.98	416
गुजरात	582.314	64830	57.20	—
हरियाणा	228.445	30630	121.55	11491
हिमाचल प्रदेश	115.97	18968	29.70	3651
जम्मू-कश्मीर	229.99	29112	3.96	3150
कर्नाटक	927.37	125756	75.24	39866
केरल	275.474	30474	18.95	15547
मध्य प्रदेश	1988.43	309640	463.32	65147
महाराष्ट्र	1146.4	134650	194.04	20208
मणिपुर	41.14	4360	27.72	—
मेघालय	38.826	5257	45.54	3600
मिजोरम	18.72	3744	43.56	1955
नागालैंड	13.22	1102	58.63	—
उड़ीसा	1473.64	209980	221.76	42614
पंजाब	196.43	22780	93.06	—
राजस्थान	837.64	105620	326.7	3934
सिक्किम	11.93	731	1.98	240
तमिलनाडु	575.97	70078	52.91	23241
त्रिपुरा	84.2	11640	—	—

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	3311.76	313760	604.89	—
पश्चिमी बंगाल	924.45	117832	112.86	29388
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4.145	1.98	—	100
चंडीगढ़	5.495	765	1.98	141
दादरा और नागर हवेली	3.93	308	1.98	500
दमण और दीव	1.865	100	1.98	1280
दिल्ली	50.17	4636	5.94	2599
लक्षद्वीप	1.965	116	1.98	—
पांडिचेरी	15.91	2012	1.98	1359
छत्तीसगढ़	200	40000	190.08	—
झारखण्ड	100	20000	130.68	—
उत्तरांचल	100	20000	79.20	—
योग		1974205	3452.35	

जिलों का नाम बदलना

1135. **श्रीमती रीना चौधरी:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों का नाम बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई स्वीकृति दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) भारत सरकार को पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार से जिलों के नाम परिवर्तन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अनुमोदन देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

अर्द्ध सैनिक बल

1136. **श्री भीम दाहाल:** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्द्ध सैनिक बलों अर्थात् सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ. और आई.टी.बी.पी. आदि में तनाव के कारण अधिक समय तक तैनाती, अपर्याप्त वेतन, छुट्टी नहीं, परिवार से लंबे समय तक विलगाव, बार-बार स्थानांतरण और कम प्रोन्नति हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) यह सच है कि आतंरिक सुरक्षा की अत्यावश्यक अपेक्षाओं के कारण बल के कार्मिक कठिन स्थितियों में काम करते हैं। तथापि, बल के कर्मियों को बारी-बारी से प्रशिक्षण देकर, मन बलहावे और मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था करके तथा छुट्टियां देकर दु:साध्य कार्य से विश्राम दिया जाता है। कर्मियों के वेतन सहित सेवा शर्तों में हाल में सुधार किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-इरान सहयोग

1137. श्री अम्बरीश: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और इरान का प्रस्ताव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो आज तक दोनों देशों द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु वर्ष 1996 में दोनों देशों द्वारा स्थापित संयुक्त आयोग की बार-बार बैठकें नहीं हुई हैं और तब से कोई कार्य नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इस आयोग द्वारा कितनी बैठकें की गई; और

(ङ) इस संयुक्त आयोग की आज तक की उपलब्धियां क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ङ) 23-25 अक्तूबर, 2002 के दौरान इरान के विज्ञान, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के भारत दौरे तथा 8-10 नवम्बर, 2002 के दौरान भारत के माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास तथा महासागर विकास मंत्री के इरान दौरे के अनुसरण में 9 नवम्बर, 2002 को भारत के माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास तथा महासागर विकास मंत्री के इरान दौरे के दौरान भारत-इरान वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्ष शोधकर्त्ताओं के आधान-प्रदान, वैज्ञानिक प्रलेखीकरण, तथा (i) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी; (ii) ऊर्जा; (iii) औद्योगिकी प्रौद्योगिकी; (iv) पर्यावरण; (v) खाद्य प्रौद्योगिकी; (vi) दीर्घकालिक विकास; और (vii) आपसी विचार-विमर्श द्वारा सहमत अन्य क्षेत्रों पर अधिक जोर देते हुए संयुक्त कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।

संयुक्त आयोग की छत्रछाया में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक संयुक्त कार्यदल गठित किया गया है जिसके भारतीय पक्ष से सह-अध्यक्ष सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग होंगे। संयुक्त कार्यदल की पिछली बैठक 21-23 दिसम्बर, 1996 को तेहरान में हुई जिसके दौरान दोनों पक्षों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये गये। तथापि औषधि एवं भेषज, लघु सीमेंट संयंत्रों, टीकों का विकास तथा सी एस आई आर प्रयोगशालाओं में इरानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के प्रशिक्षण के विशिष्ट विषयों पर वैज्ञानिक दलों के आदान-प्रदान दौरों के मद्देनजर कार्यक्रमों की प्रगति में आरंभिक कार्यों से आगे कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। हाल ही में जैसा कि अक्तूबर, 2002 में हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य में देखा गया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के और सक्रिय प्रयासों में रुचि जागृत हुई है।

दिल्ली में अनधिकृत फाटकों का निर्माण

1138. श्री सईदुज्जमा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आर.डब्ल्यू.ए. और कुछ व्यक्तियों द्वारा विभिन्न कालोनियों में सरकारी जमीन पर बनाए गए अनगिनत अनधिकृत फाटकों के बारे में जानकारी है जिससे इन फाटकों को स्वेच्छा और सुविधानुसार बंद करने और खोलने के कारण यातायात और सुचारू आवागमन में बाधा आ रही है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव मामले में स्पष्ट निर्देश जारी करने का है जैसा कि न्यायालय ने पहले ही ग्रीन पार्क आदि जैसे कुछ मामलों में निर्णय दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली में अनधिकृत फाटकों के निर्माण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय खोलना

1139. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में नवोदय विद्यालय खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) जी हां। महाराष्ट्र के धुले जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विद्यालय के लिए प्रदान किए गए अस्थायी भवन में अत्यधिक मरम्मत की आवश्यकता है। जिला प्राधिकरण से मरम्मत कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया है। आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा हो जाने के बाद ही राज्य सरकार द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय खोला जाएगा।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. द्वारा भूमि का विकास

1140. श्री शिबु सोरेन: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने वर्ष 1996 में ''इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संस्थान'' के लिए दिल्ली के शिक्षा विभाग को 10 एकड़ से भी अधिक भूमि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त भूमि के विकास कार्यों में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त शिक्षा संस्थान को पुन: 4 एकड़ भूमि आबंटित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो विकास कार्य को शुरू करने एवं पूरा करने में कितना समय लगेगा?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है, दिल्ली के शिक्षा विभाग को इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संस्थान (आई.जी.आई.पी.ई.एस.एस.) के लिए सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली में 10 एकड़ भूमि आबंटित की गई थी और दिनांक 17.5.1996 में वास्तविक कब्जा दिया गया था। इसके बाद आई.जी.आई.पी.ई.एस.एस. के निर्माण हेतु इस भूमि के निकट शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 3 हेक्टेयर (7.5 एकड़) भूमि का एक अन्य भूखंड पुन: आवंटित किया था और इस भूमि का वास्तविक कब्जा 12.9.2001 को सौंप दिया गया था।

(घ) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसके द्वारा सभी विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं और सेवा कार्य दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली जल बोर्ड को सौंप दिए गए हैं।

एफ.ए.सी.टी. की परिसम्पत्तियों के मूल्य का आकलन

1141. श्री जार्ज ईडन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एफ.ए.सी.टी. की परिसम्पत्तियों के कुल मूल्य के आकलन हेतु कोई एजेंसी नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मूल्य आकलन की निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(घ) संगठन के आकलन हेतु कुल कितने पारिश्रमिक का भुगतान किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल को प्राकृतिक आपदा राहत

1142. श्री पी.सी. थामस:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य से जुलाई-अगस्त, 2002 में हुए अप्रत्याशित बाढ़ से क्षतिग्रस्त ढांचे को पुन: बहाल करने हेतु राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से विशेष सहायता हेतु सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केरल राज्य ने ऐसी राहत हेतु किसी मानदंड में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) केरल सरकार से, अक्तूबर 2002 के शुरू के पंद्रह दिनों के दौरान अभूतपूर्व बारिश होने के कारण राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता देने हेतु एक अनुरोध 18.10.2002 को प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने 25.11.2002 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दी जाती है और तदनुसार तत्काल प्रकृति की मरम्मतों को छोड़कर क्षतिग्रस्त ढांचे की पुन: बहाली हेतु सहायता नहीं दी जाती है।

गांवों में पेयजल की उपलब्धता

1143. **श्री थावरचन्द गेहलोत:**
कुंवर अखिलेश सिंह:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पी.एम.जी.वाई. के अंतर्गत पेयजल घटक और ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक 500 और 1000 से अधिक जनसंख्या वाले कितने गांवों को शामिल किया गया है;

(ग) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार और योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) जल आपूर्ति राज्यों का विषय होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य के प्रयासों में मदद करती है। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1422664 में से कुल 1283926 बसावटों को पूर्ण रूप से कवर कर लिया गया है, 123636 को आंशिक रूप से कवर किया गया है और 15102 को अभी कवर किया जाना है। कवरेज के राज्य-वार आंकड़े को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत और पीएमजीवाई के अंतर्गत राज्यवार आबंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

शासन के राष्ट्रीय एजेंडा के अनुसार अप्रैल, 2004 तक सभी ग्रामीण बसावटों को पेयजल की सुविधा युक्त बनाने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

ग्रामीण जल आपूर्ति के अंतर्गत बसावटों के कवरेज की स्थिति

(12.11.02 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार)

क्रम	राज्य/संघ	बसावटों की स्थिति				वितरण प्रतिशत			
सं.	राज्य क्षेत्र	एन.सी.	पी.सी.	एफ.सी.	कुल	एन.सी.	पी.सी.	एफ.सी.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	14676	55056	69732	0.00	21.05	78.95	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	329	893	3076	4298	7.65	20.78	71.57	100.00
3.	असम	588	18563	51518	70669	0.83	26.27	72.90	100.00
4.	बिहार	0	0	105340	105340	0.00	0.00	100.00	100.00
5.	छत्तीसगढ़	0	0	50379	503279	0.00	0.00	100.00	100.00
6.	गोवा	8	40	348	396	2.02	10.10	87.88	100.00
7.	गुजरात	72	1548	28649	30269	0.24	5.11	94.65	100.00
8.	हरियाणा	0	48	6697	6745	0.00	0.71	99.29	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	921	9613	34833	45367	2.03	21.19	76.78	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जम्मू-कश्मीर	1709	3576	5899	11184	15.28	31.97	52.74	100.00
11.	झारखंड	484	132	99480	100096	0.48	0.13	99.38	100.00
12.	कर्नाटक	3	20170	36509	56682	0.01	35.58	64.41	100.00
13.	केरल	782	6879	2102	9763	8.01	70.46	21.53	100.00
14.	मध्य प्रदेश	0	0	109489	109489	0.00	0.00	100.00	100.00
15.	महाराष्ट्र	2016	24171	59743	85930	2.35	28.13	69.53	100.00
16.	मणिपुर	10	186	2595	2791	0.36	6.66	92.98	100.00
17.	मेघालय	342	802	7495	8639	3.96	9.28	86.76	100.00
18.	मिजोरम	0	454	457	911	0.00	49.84	50.16	100.00
19.	नागालैंड	349	569	607	1525	22.89	37.31	39.80	100.00
20.	उड़ीसा	0	0	114099	114099	0.00	0.00	100.00	100.00
21.	पंजाब	1433	2149	9867	13449	10.66	15.98	73.37	100.00
22.	राजस्थान	5774	5617	82555	93946	6.15	5.98	87.87	100.00
23.	सिक्किम	0	372	1307	1679	0.00	22.16	77.84	100.00
24.	तमिलनाडु	0	0	66631	66631	0.00	0.00	100.00	100.00
25.	त्रिपुरा	93	307	7012	7412	1.25	4.14	94.60	100.00
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	243633	243633	0.00	0.00	100.00	100.00
27.	उत्तरांचल	119	913	29976	31008	0.38	2.94	96.67	100.00
28.	प. बंगाल	0	11516	67520	79036	0.00	14.57	85.43	100.00
29.	अं. और नि. द्वीप	0	121	383	504	0.00	24.01	75.99	100.00
30.	दा. और ना. हवेली	30	241	245	516	5.81	46.71	47.48	100.00
31.	दमण और दीव	0	0	32	32	0.00	0.00	100.00	100.00
32.	दिल्ली	0	0	219	219	0.00	0.00	100.00	100.00
33.	लक्षद्वीप	0	10	0	10	0.00	100.00	0.00	100.00
34.	पांडिचेरी	40	70	157	267	14.98	26.22	58.80	100.00
35.	चंडीगढ़	0	0	18	18	0.00	0.00	100.00	100.00
	कुल	15102	123636	1283926	1422664	1.06	8.69	90.25	100.00

एन.सी. : कवर न किया गया पी.सी. : आंशिक रूप से कवर किया गया एफ.सी. : पूरी तरह कवर किया

*उत्तर प्रदेश के मामले में पूरी तरह कवर की गई बसावटों में शहरी क्षेत्र में मिलाए गए 125 बसावटें शामिल हैं (उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र सं. 392/20 सूत्रीय कार्यक्रम/ग्रामीण-1, दिनांक 9.4.2002 से प्राप्त जानकारी के अनुसार)

विवरण-II

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के तहत वित्तीय प्रगति- 2000-2001

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.2000 को अथशेष	आबंटन	केन्द्रीय क्षेत्र (ए आर डब्ल्यू एस पी)							
					रिलीज ए आर डब्ल्यू एस पी	निधियों की कुल उपलब्धता (4+6)	किया गया व्यय कुल	अनु. जाति	अनु.ज.जा.	कुल व्यय के प्रतिशत की तुलना में अनु. जाति/अनु. ज. जाति पर व्यय	कुल उपलब्ध निधि एवं व्यय का प्रतिशत	आबंटन के प्रतिशत की तुलना में व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3.00	0.00	11600.00	11600.00	11600.00	11600.00	2750.00	1100.00	33.19	100.00	10.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.00	0.00	4365.00	2182.50	2182.50	2163.45	0.00	2163.45	100.00	99.13	49.56
3.	असम	3.00	1948.18	7372.00	5459.78	7407.96	6053.00	406.24	723.10	18.66	81.71	82.11
4.	बिहार	3.00	50.8951	4661.00	0.00	5089.51	3719.39	641.46	0.00	17.25	73.08	79.80
5.	छत्तीसगढ़	3.00	—	1580.00	1580.00	1580.00	2311.52	809.10	1132.65	84.00	146.30	146.30
6.	गोवा	3.00	0.00	1404.00	888.59	888.59	712.62	20.05	2.00	3.09	80.20	50.76
7.	गुजरात	3.00	0.00	7085.00	16255.00	16255.00	14618.75	834.01	2047.32	19.71	89.93	206.33
8.	हरियाणा	3.00	354.27	1943.00	1880.18	2234.45	2920.12	671.54	0.00	23.00	130.69	150.29
9.	हिमाचल प्रदेश	3.00	0.00	5091.00	5091.00	5091.00	5083.78	1549.92	0.00	30.49	99.86	99.86
10.	जम्मू-कश्मीर	3.00	6111.98	8788.00	3694.00	9805.98	6806.72	1175.74	0.00	17.27	69.41	77.45
11.	झारखंड	3.00	—	4719.00	2359.50	2359.50	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	3.00	3617.40	10350.00	8165.12	11782.52	11024.90	1257.08	86.90	12.19	93.57	106.52
13.	केरल	3.00	2585.48	5746.00	4022.42	6607.90	4372.25	1161.83	445.74	36.77	66.17	76.09
14.	मध्य प्रदेश	3.00	564.77	9529.00	9529.00	10093.77	10233.50	1333.14	2190.15	34.43	101.38	107.39
15.	महाराष्ट्र	3.00	0.00	16934.00	16934.00	16934.00	16864.75	3186.13	1345.12	26.87	99.59	99.59
16.	मणिपुर	3.00	329.88	1475.00	0.00	329.88	76.36	0.00	0.00	0.00	23.15	5.18
17.	मेघालय	3.00	329.32	1716.00	1644.08	1973.40	1516.91	0.00	1519.67	100.18	76.87	88.40
18.	मिजोरम	3.00	14.66	1226.00	1161.99	1176.65	1175.80	0.00	1048.81	89.20	99.93	95.91
19.	नागालैंड	3.00	315.84	1275.00	822.61	1138.45	1195.54	0.00	1195.54	100.00	105.01	93.77
20.	उड़ीसा	3.00	4146.51	6213.00	3106.50	7253.01	4734.02	781.71	887.39	35.26	65.27	76.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	पंजाब	3.00	1970.04	2383.00	1783.00	3753.04	3496.90	938.86	0.00	26.85	93.18	146.74
22.	राजस्थान	3.00	5493.31	16361.00	16361.00	21854.31	15262.64	4041.18	1616.47	37.07	69.84	93.29
23.	सिक्किम	3.00	0.00	650.00	325.00	325.00	513.18	128.29	51.32	35.00	157.90	78.95
24.	तमिलनाडु	3.00	0.00	7308.00	7308.00	7308.00	7308.00	2695.79	0.00	36.89	100.00	100.00
25.	त्रिपुरा	3.00	0.00	1521.00	1521.00	1521.00	1580.00	250.00	490.00	46.84	103.88	103.88
26.	उत्तर प्रदेश	3.00	0.00	12472.00	10884.83	10884.83	8688.83	1160.13	123.34	14.77	79.83	69.67
27.	उत्तरांचल	3.00	0.00	2304.00	2304.00	2304.00	3257.57	631.91	271.70	27.74	141.39	141.39
28.	प. बंगाल	3.00	252.86	7895.00	7837.31	8090.17	7846.77	1961.69	784.68	35.00	96.99	99.39
29.	अं. और नि. द्वीप	3.00	4.40	13.00	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दा. और ना. हवेली	3.00	58.00	7.00	3.50	61.50	3.05	0.06	2.94	0.00	4.96	43.57
31.	दमण और दीव	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
32.	दिल्ली	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
34.	पांडिचेरी	3.00	14.07	5.00	0.00	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	281.40
	कुल		33200.48	163996.00	144703.91	177904.39	155154.39	28385.86	19228.29	30.69	87.21	94.61

नोट 1: वर्ष 2000-01 के लिए बिहार सरकार से प्राप्त यू सी के अनुसार कालम 9 में बिहार के लिए दर्शाए गए व्यय आंकड़ों में झारखण्ड को अंतरित करने के लिए राज्य वित्त विभाग को सौंपे गए 1886.65 लाख रु. शामिल हैं।

नोट 2: जब कभी भी राज्य सरकार से संशोधित आंकड़े प्राप्त होते हैं, अथशेष और व्यय संबंधी आंकड़े संशोधित किए जा सकते हैं।.

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के तहत वित्तीय प्रगति- 2001-2002

(लाख रु. में)

क्र.	राज्य/संघ	माह	केन्द्रीय क्षेत्र (ए आर डब्ल्यू एस पी)									
सं.	राज्य क्षेत्र	कोड	1.4.2002 को अथशेष	आबंटन	रिलीज ए आर डब्ल्यू एस पी	निधियों की कुल उपलब्धता (4+6)	किया गया व्यय			कुल व्यय के प्रतिशत की तुलना में अनु. जाति/अनु. ज. जाति पर व्यय	कुल उपलब्ध निधि एवं व्यय का प्रतिशत	आबंटन के प्रतिशत की तुलना में व्यय
							कुल	अनु. जाति	अनु.ज. जा.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3	0.00	13044.00	13601.10	13601.10	13044.00	3334.65	1048.86	33.61	95.90	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	19.05	4476.00	2455.91	2474.96	2365.67	0.00	2365.67	100.00	95.58	52.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	3	1354.96	7561.00	5357.67	6712.63	5125.00	0.00	0.00	0.00	76.35	67.78
4.	बिहार	3	1370.12	7274.00	0.00	1370.12	932.28	326.30	0.00	35.00	68.04	12.82
5.	छत्तीसगढ़	3	0.00	3877.00	3977.00	3977.00	3977.00	0.00	0.00	0.00	100.00	102.58
6.	गोवा	3	175.97	1455.00	727.50	903.47	214.98	4.10	1.12	2.43	23.79	14.78
7.	गुजरात	3	1636.25	7837.00	9376.30	11012.55	10769.58	732.23	1464.45	20.40	97.79	137.42
8.	हरियाणा	3	0.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	668.49	0.00	30.39	100.00	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	3	7.22	5552.00	6452.00	6459.22	6459.22	1920.82	0.00	29.74	100.00	116.34
10.	जम्मू-कश्मीर	3	2999.26	9896.00	6292.10	9291.36	8120.16	0.00	0.00	0.00	87.39	82.05
11.	झारखंड	3	4246.15	3619.00	1809.50	6055.65	3696.35	0.00	0.00	0.00	61.04	102.14
12.	कर्नाटक	2	757.62	12414.00	12714.00	1371.62	6913.67	534.25	55.98	8.54	51.32	55.69
13.	केरल	3	2235.65	6331.00	5045.00	7280.65	4233.27	1016.10	545.67	36.89	58.14	66.87
14.	मध्य प्रदेश	3	0.00	8877.00	9077.00	9077.00	8438.42	1644.06	1233.05	34.10	92.96	95.06
15.	महाराष्ट्र	3	69.25	19159.00	19659.00	19728.25	20467.22	2490.47	1048.62	17.29	103.75	106.83
16.	मणिपुर	3	253.52	1643.00	821.50	1075.02	517.23	0.00	0.00	0.00	48.11	31.48
17.	मेघालय	3	456.49	1760.00	1215.51	1672.00	1518.38	0.00	1517.65	99.95	90.81	86.27
18.	मिजोरम	3	0.85	1257.00	1634.10	1634.95	1255.48	0.00	1255.48	100.00	76.79	99.88
19.	नागालैंड	3	0.00	1308.00	1700.40	1634.95	1700.40	0.00	1315.00	77.33	100.00	130.00
20.	उड़ीसा	3	2518.99	6522.00	4852.09	1634.95	6483.23	1094.36	1091.27	33.71	87.95	99.41
21.	पंजाब	3	256.14	2277.00	1985.50	1634.95	2085.73	680.28	0.00	32.62	93.04	91.60
22.	राजस्थान	3	6591.67	18705.00	14919.08	1634.95	15773.75	4447.97	1779.19	39.48	73.33	84.33
23.	सिक्किम	3	0.00	536.00	696.80	1634.95	696.80	122.85	49.14	24.68	100.00	130.00
24.	तमिलनाडु	3	0.00	7956.00	8956.00	1634.95	7956.00	1368.73	0.00	17.20	88.83	100.00
25.	त्रिपुरा	3	0.00	1559.00	2026.70	1634.95	1578.94	250.00	490.00	46.87	77.91	101.28
26.	उत्तर प्रदेश	3	2196.00	13269.00	13063.35	1634.95	7750.17	368.16	85.22	5.85	50.79	58.41
27.	उत्तरांचल	3	0.00	3356.00	3447.88	1634.95	3117.39	623.48	311.74	30.00	90.41	92.89
28.	प. बंगाल	3	243.40	8773.00	8947.63	1634.95	8824.46	2206.12	882.45	35.00	96.01	100.59
29.	अं. और नि. द्वीप	3	4.40	13.00	0.00	1634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दा. और ना. हवेली	3	58.45	7.00	0.00	1634.95	10.04	0.00	0.00	0.00	17.18	143.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	दमण और दीव	9	0.00	0.00	0.00	1634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
32.	दिल्ली	12	0.00	5.00	0.00	1634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	2	0.00	0.00	0.00	1634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
34.	पांडिचेरी	3	0.00	5.00	0.00	1634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		27451.41	182523.00	163010.62	1634.95	156224.82	23833.42	16540.56	25.84	82.02	85.59

नोट 1: जब कभी भी राज्य सरकार से संशोधित आंकड़े प्राप्त होते हैं, अथशेष और व्यय संबंधी आंकड़े संशोधित किए जा सकते हैं।

2002-03 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के तहत वित्तीय प्रगति

दिनांक 12.11.2002 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार (लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	केन्द्रीय क्षेत्र (ए आर डब्ल्यू एस पी)									
			1.4.2002 को अथशेष	आबंटन	रिलीज ए आर डब्ल्यू एस पी	निधियों की कुल उपलब्धता (4+6)	किया गया व्यय			कुल व्यय के प्रतिशत की तुलना में अनु. जाति/अनु. ज. जाति पर व्यय	कुल उपलब्ध निधि एवं व्यय का प्रतिशत	आबंटन के प्रतिशत की तुलना में व्यय
							कुल	अनु. जाति	अनु.ज. जा.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	09	557.10	13477.00	6738.50	7295.60	5473.30	1368.33	547.33	35.00	75.02	40.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	09	109.29	4977.00	2488.50	2597.79	309.11	0.00	309.11	100.00	11.90	6.21
3.	असम	09	1587.63	8407.00	4203.50	5791.13	2764.50	0.00	0.00	0.00	47.74	32.88
4.	बिहार	07	437.84	7406.00	3703.00	4140.84	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	09	0.00	2443.00	1221.50	1221.50	1221.50	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00
6.	गोवा	07	688.49	122.00	0.00	688.49	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
7.	गुजरात	09	242.97	6546.00	3273.00	3515.97	3762.69	263.38	526.76	21.00	107.02	57.48
8.	हरियाणा	09	0.00	2002.00	1001.00	1001.00	1038.61	238.88	0.00	23.00	103.76	51.88
9.	हिमाचल प्रदेश	09	0.00	5635.00	2817.50	2817.50	870.09	193.41	0.00	22.23	30.88	15.44
10.	जम्मू-कश्मीर	0	1171.20	12324.00	6162.00	7333.20	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
11.	झारखंड	0	2359.30	3063.00	1531.50	3890.80	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	कर्नाटक	06	6557.95	11136.00	5568.00	12125.95	993.421	134.53	18.41	15.40	8.19	8.92
13.	केरल	08	3047.38	3698.00	1899.30	4946.68	454.52	44.02	3.76	10.51	9.19	12.29
14.	मध्य प्रदेश	09	638.58	7159.00	7159.00	7797.58	3141.54	471.23	628.31	35.00	40.29	43.88
15.	महाराष्ट्र	09	0.00	16829.00	8414.50	8414.50	6257.12	781.75	315.73	17.54	74.36	37.18
16.	मणिपुर	06	557.79	1826.00	0.00	557.79	38.91	0.00	38.91	100.00	6.98	2.13
17.	मेघालय	08	153.62	1957.00	978.50	1132.12	251.76	0.00	251.76	100.00	22.24	12.86
18.	मिजोरम	09	379.47	1398.00	699.00	1078.47	426.24	0.00	426.24	100.00	39.52	30.49
19.	नागालैंड	06	0.00	1454.00	1236.00	1236.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	06	887.85	6225.00	3112.50	4000.35	636.00	0.00	0.00	0.00	15.90	10.22
21.	पंजाब	09	155.91	2581.00	1290.50	1446.41	1177.26	378.18	0.00	32.12	81.39	45.61
22.	राजस्थान	09	5737.00	20731.00	10365.50	16102.50	6565.25	1641.34	656.53	35.00	40.77	31.67
23.	सिक्किम	0	0.00	597.00	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	09	1000.00	6358.00	3179.00	4179.00	4179.00	164.63	0.00	3.94	100.00	65.73
25.	त्रिपुरा	08	447.76	1734.00	867.00	1314.76	699.28	111.37	216.79	46.93	53.19	40.33
26.	उत्तर प्रदेश	08	7509.18	13022.00	6511.00	14020.18	2483.62	104.89	21.17	5.08	17.71	19.07
27.	उत्तरांचल	0	330.49	3083.00	1541.50	1871.99	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
28.	प. बंगाल	09	366.57	8545.00	4272.50	4639.07	1802.00	450.50	180.20	35.00	38.84	21.09
29.	अं. और नि. द्वीप	0	4.40	13.00	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दा. और ना. हवेली	06	48.41	7.00	0.00	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमण और दीव	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
32.	दिल्ली	06	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
34.	पांडिचेरी	07	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		34976.18	174765.00	90532.30	125508.48	44545.72	6346.44	4141.01	23.54	35.49	25.49

*अनंतिम

नोट: कुछ राज्यों के सामने माह कोड के कालम में शून्य का अर्थ है कि इन राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

वर्ष 2000-2001 के दौरान पी.एम.जी.वाई. - आर.डी.डब्ल्यू. के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पी.एम.जी.वाई.-आर.डी.डब्ल्यू. के लिए कुल आबंटन	पी.एम.जी.वाई.-आर.डी.डब्ल्यू के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां	सूचित व्यय	कवर की गई बसावटों की सं.	माह
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2840.90	2840.90	2840.90	489	(3/2001)
2.	अरुणाचल प्रदेश	2550.00	2550.00	1380.75	—	—
3.	असम	3301.00	1346.78	168.00	—	(3/2001)
4.	बिहार	3291.90	2154.37	1499.93	—	(3/2001)
5.	छत्तीसगढ़	471.00	471.00	—	—	—
6.	गोवा	31.20	5.85	5.85	—	(3/2001)
7.	गुजरात	2590.85	2590.85	2590.85	—	(3/2001)
8.	हरियाणा	471.20	471.20	471.20	12	(3/2001)
9.	हिमाचल प्रदेश	3077.00	3077.00	3077.00	109	(3/2001)
10.	जम्म-कश्मीर	2573.70	1286.85	1286.85	—	(3/2001)
11.	झारखंड	1016.8ε	1016.85	—	—	—
12.	कर्नाटक	1127.00	1127.00	415.95	—	(3/2001)
13.	केरल	1400.00	518.10	518.10	—	(3/2001)
14.	मध्य प्रदेश	1803.55	1803.55	853.27	—	(3/2001)
15.	महाराष्ट्र	2414.00	2414.00	2414.00	22	(3/2001)
16.	मणिपुर	728.40	364.20	364.20	47	(3/2001)
17.	मेघालय	1000.00	10000.00	1000.00	93	(3/2001)
18.	मिजोरम	1006.00	1006.00	937.32	159	(3/2001)
19.	नागालैंड	1322.00	1322.00	1322.00	—	(3/2001)
20.	उड़ीसा	2478.25	2478.25	1864.81	3527	(3/2001)
21.	पंजाब	1616.00	1616.00	454.72	—	(3/2001)
22.	राजस्थान	2158.00	2158.00	1319.87	630	(3/2001)
23.	सिक्किम	600.00	600.00	600.00	28	(3/2001)

1	2	3	4	5	6	7
24.	तमिलनाडु	1571.85	1571.85	1571.85	224	(3/2001)
25.	त्रिपुरा	1328.00	2033.22	1327.17	995	(3/2001)
26.	उत्तर प्रदेश	6727.00	6727.00	4110.18	0	(3/2001)
27.	उत्तरांचल	188.40	188.40	0.00	—	(3/2001)
28.	प. बंगाल	5873.00	5874.00	1258.65	—	(3/2001)
29.	अं. और नि. द्वीप	154.00	154.00	154.00	—	—
30.	दा. और ना. हवेली	37.80	37.80	37.80	—	(3/2001)
31.	दमण और दीव	54.50	54.50	34.50	—	(3/2001)
32.	दिल्ली	200.00	200.00	120.00	—	—
33.	लक्षद्वीप	64.93	64.93	52.90	—	—
34.	पांडिचेरी	71.55	71.55	71.55	5	(3/2001)
35.	चंडीगढ़	119.20	119.20	119.20	—	—
	कुल	56259.03	51315.20	34243.37	6340	

आर.डी.डब्ल्यू.- ग्रामीण पेयजल

वर्ष 2001-2002 के दौरान पी.एम.जी.वाई. - आर.डी.डब्ल्यू. के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1.4.2001 को अथशेष	पी.एम.जी.वाई.- आर.डी.डब्ल्यू. के लिए कुल आबंटन	पी.एम.जी.वाई.- आर.डी.डब्ल्यू. के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां	निधियों की कुल उपलब्धता	सूचित व्यय	कवर की गई बसावटों की सं.	माह
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	2841.20	2841.20	2841.20	2841.20	—	(03/2002)
2.	अरुणाचल प्रदेश	1169.25	1315.00	1315.00	2484.25	1343.65	76	(03/2002)
3.	असम	1178.78	3051.00	1525.50	2704.28	2704.28	164	(03/2002)
4.	बिहार	654.44	2457.90	1228.50	1882.94	10.65	—	(12/2001)
5.	छत्तीसगढ़	471.00	881.20	440.60	911.60	—	—	—
6.	गोवा	0.00	29.85	29.85	29.85	13.63	—	(9/2001)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	गुजरात	0.00	3265.20	3265.20	3265.20	3209.64	301	(03/2002)
8.	हरियाणा	0.00	471.20	471.20	471.20	471.20	12	(12/2001)
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	3650.00	3650.00	3650.00	3650.00	131	(03/2002)
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	7167.00	6967.00	6967.00	—	—	—
11.	झारखंड	1016.85	759.20	379.60	1396.45	—	—	—
12.	कर्नाटक	711.05	1127.00	1127.00	1838.05	879.31	—	(12/2001)
13.	केरल	0.00	3426.00	3426.00	3426.00	94.65	—	(6/2001)
14.	मध्य प्रदेश	950.28	1460.62	1460.62	2410.90	2184.85	—	(03/2002)
15.	महाराष्ट्र	0.00	3105.07	1552.58	1552.58	1552.58	1	(03/2002)
16.	मणिपुर	0.00	1473.15	736.57	736.57	736.57	15	(11/2001)
17.	मेघालय	0.00	954.60	954.60	954.60	954.60	81	(03/2002)
18.	मिजोरम	68.68	1500.00	1500.00	1568.68	1292.50	—	(03/2002)
19.	नागालैंड	0.00	1923.60	1923.60	1923.60	230.35	—	(11/2001)
20.	उड़ीसा	613.44	2003.80	2003.80	2617.24	2241.32	—	(03/2002)
21.	पंजाब	1161.28	1000.50	1000.50	2161.78	1434.40	97	(03/2002)
22.	राजस्थान	838.13	1620.00	1620.00	2458.13	2458.13	1093	(03/2002)
23.	सिक्किम	0.00	978.00	978.00	978.00	535.20	49	(01/2002)
24.	तमिलनाडु	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	248	(03/2002)
25.	त्रिपुरा	706.05	920.79	920.79	1626.84	1310.69	29	(03/2002)
26.	उत्तर प्रदेश	2616.82	7534.00	7534.00	10150.82	5963.24	6	(03/2002)
27.	उत्तरांचल	188.40	781.40	781.40	969.80	434.62	—	(12/2001)
28.	प. बंगाल	4615.35	5403.00	5403.00	10018.35	7142.42	—	(03/2002)
29.	अं. और नि. द्वीप	0.00	215.00	32.00	32.00	—	—	—
30.	दा. और ना. हवेली	0.00	51.60	—	0.00	—	—	—
31.	दमण और दीव	20.00	53.00	6.92	26.92	6.92	—	(10/2001)
32.	दिल्ली	80.00	385.00	—	80.00	—	—	—
33.	लक्षद्वीप	12.03	69.30	15.50	27.53	27.53	6	(02/2002)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	पांडिचेरी	0.00	72.09	32.98	32.98	32.98	0	(03/2002)
35.	चंडीगढ़	0.00	100.00	—	0.00	0.00	—	(12/2001)
	कुल	17071.83	63546.27	56623.51	73695.34	45257.11	2300	

आर.डी.डब्ल्यू.- ग्रामीण पेयजल *अनंतिम

नोट- पी.एम.जी.वाई.-आर.डी.डब्ल्यू. के लिए निधियां संघ राज्य क्षेत्रों से उनके अपने वार्षिक योजना बजट से उपलब्ध कराये जाते हैं।

औषध नीति में परिवर्तन

1144. श्री के. येरननायडू: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन फार्मास्युटिकल एलायंस ने औषध-नीति में अपेक्षित परिवर्तन करने के संबंध में कोई सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) इंडियन फार्मास्युटिकल एलायंस ने उद्योग संघों के साथ रसायन और उर्वरक मंत्री की पारस्परिक बैठक के संदर्भ में भेजे गए अपने कागजात दिनांक 4 सितम्बर, 2002 में अन्य बातों के साथ-साथ विनियामक ढांचागत सुविधाओं इत्यादि के अनुसंधान और विकास, उन्नयन को बढ़ावा देने के संबंध में सुझाव दिए थे।

पिछड़े जिले

1145. श्री नरेश पुगलिया:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उनके विकास हेतु कतिपय अति पिछड़े जिलों की पहचान और चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन पिछड़े जिलों में से प्रत्येक के लिए अब तक कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता राशि आबंटित की गई है;

(ग) इन पिछड़े जिलों में कौन-कौन से कार्य शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन जिलों की सूची को संशोधित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी हां। विकास और सुधार सुविधा (राष्ट्रीय सम विकास योजना) के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन के लिए 25 सर्वाधिक पिछड़े जिलों को चुना गया है।

(ख) इस प्रकार चुने गए प्रत्येक पिछड़े जिले को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 15 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ग) राज्य सरकार इन जिलों में शुरू किए जाने वाले कार्यों के लिए जिलावार योजनाएं बनाने के लिए जिम्मेवार है। अतिरिक्त धन का उपयोग ऐसी योजनाओं के लिए करना होता है जो विकास और सुधार नीति के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करती हों जिससे कम कृषि उत्पादकता, बेरोजगारी की समस्या हल की जा सके और भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना के बीच के भारी अन्तर को समाप्त किया जा सके।

(घ) और (ङ) जी नहीं। प्रायोगिक चरण के लिए जिलों की सूची को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फ्लाई ओवरों का निर्माण

1146. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ फ्लाई ओवरों के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इनके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) इन फ्लाई ओवरों का निर्माण किस वर्ष तक किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इन प्रत्येक फ्लाई ओवरों की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) इस समय निर्माणाधीन प्रत्येक फ्लाई ओवरों की प्रगति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना

1147. श्री अनन्त नायक:
श्री श्रीनिवास पाटील:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इस परियोजना में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) इस परियोजना हेतु आवंटन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार दिल्ली में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) तीस हजारी-शाहदरा खंड पर कब तक मेट्रो रेल शुरू हो जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) अप्रैल, 1996 की कीमत पर 4860 करोड़ रुपये।

(ख) 31 अक्तूबर, 2002 तक 2,795.19 करोड़ रुपये।

(ग) परियोजना की आवश्यकतानुसार बजट में पर्याप्त राशि आवंटित की जा रही है।

(घ) दिल्ली मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली परियोजना फेज-I में 62.16 कि.मी. की वृद्धि सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) दिसम्बर, 2002 ।

गरीबी उपशमन हेतु समेकित पनधारा विकास परियोजनाएं

1148. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के कुछ जिलों में विशेषकर साबरकण्ठा और दाहोद जिलों में भू-आधारित गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उपशमन हेतु समेकित पनधारा विकास परियोजनाएं सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की स्वीकृति में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) और (ख) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में परियोजनाएं राज्य सरकारों के साथ परामर्श से इस प्रयोज़न के लिए चयनित प्राथमिकता वाले जिलों की सूची के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं। चालू वित्तीय वर्ष में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पनधारा (वाटरशैड) परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु गुजरात राज्य के साबरकण्ठा जिले सहित 10 जिलों को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। तथापि, चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार से साबरकण्ठा जिले के संबंध में कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत कोई परियोजना स्वीकृत करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में दाहोद जिले को प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश को चावल का आवंटन

1149. डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री गुनीपाटी रामैया:
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र ने आंध्र प्रदेश को जून, 2002 के महीने में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत 5 लाख टन अतिरिक्त चावल जारी किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो काम के लिए अनाज और संपूर्ण ग्रामीण

रोजगार योजना के अंतर्गत अगस्त, 2001 से राज्य को वितरण हेतु जारी किए गए चावल और राज्य सरकार द्वारा की गई मांग का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी हां, जून, 2002 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को पांच लाख टन चावल रिलीज किया गया है।

(ख) अगस्त, 2001 से मार्च, 2002 तक 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम और वर्ष 2002-03 के दौरान एस जी आर वाई के विशेष घटक के अंतर्गत रिलीज किए गए खाद्यान्नों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

खाद्यान्नों की मात्रा (टन में)

योजना	वर्ष	मांग	रिलीज
काम के बदले अनाज कार्यक्रम	2001-2002	21,50,000	16,50,000
विशेष घटक (एस जी आर वाई)	2002-03	25,00,000	18,00,000

इसके अतिरिक्त एस जी आर वाई (चरण-1 और चरण-2) के अंतर्गत खाद्यान्नों (टन में) की निम्नलिखित मात्रा राज्य को रिलीज की गई है:-

वर्ष	एस जी आर वाई (चरण-1)	एस जी आर वाई (चरण-2)
2001-02	117580	114856
2002-03	118050	119379

नेताजी जांच आयोग

1150. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेताजी जांच आयोग और फारवर्ड ब्लाक प्रतिनिधिमंडल की हाल ही की जापान यात्रा से कुछ नए तथ्य प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नेताजी के गायब होने से संबंधित संगत दस्तावेजों को उपलब्ध कराने हेतु जापान सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) आयोग जापान में केवल एक गवाह अर्थात् डा. टी. योशिमी से पूछताछ और उनके बयान रिकार्ड कर सका तथा इसने रेनकोजी मंदिर, जापान में कुछ स्थानीय लोगों से बात-चीत भी की। उक्त नामित गवाह के साक्ष्य का आकलन किया जाएगा और इसका, रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य और/या आगे मिलने वाले साक्ष्य के साथ तुलना की जाएगी।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान, ऐसा अनुरोध किया गया है। जापान की सरकार ने तथापि, आज तक कोई भी संगत दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है।

विमानपत्तनों का निजीकरण

1151. श्री वाई.वी. राव: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कतिपय विमानपत्तनों का निजीकरण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नाम और ब्यौरे क्या हैं?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने, भारतीय विमान प्राधिकरण के विमानपत्तनों की, जब कभी उपयुक्त हो, दीर्घकालिक पट्टे के माध्यम से पुनर्संरचना करने का निर्णय लिया है। इस समय दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई के विमानपत्तनों को इस पुनर्संरचना के लिए लिया जा रहा है।

धनराशि का दुरुपयोग

1152. श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ

राज्य सरकारों ने विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत केन्द्र सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता के रूप में करोड़ों रुपए की राशि प्राप्त करने के बावजूद विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों के लिए कुछ नहीं किया और जाली उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या विश्व बैंक के निगरानी दल ने कुछ राज्यों का दौरा किया है और अपने अनुदान के किए जा रहे दुरुपयोग का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने उन राज्यों के विरुद्ध क्या कदम उठाए हैं/ कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करना मुख्यतया राज्यों का काम है। जहां कहीं आवश्यक होता है भारत सरकार राज्य सरकारों को प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। आपदा क्षेत्र में सहायता प्रदान करना संबंधित राज्य की जिम्मेवारी है। विधान मंडलों द्वारा पर्यवेक्षण सहित राज्यों की अपनी सुस्थापित लेखा परीक्षा तथा सतर्कता पद्धतियां हैं। केन्द्र सरकार के ध्यान में आने वाली विशिष्ट अनियमिताओं के संबंध में मामले की राज्यों के साथ परामर्श करके जांच की जाती है। फिलहाल राज्य सरकार द्वारा जाली उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का कोई भी मामला इस मंत्रालय को सूचित नहीं किया गया है।

(घ) से (च) इस मंत्रालय को ऐसे कोई ब्यौरे सूचित नहीं किए गए हैं।

'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के अंतर्गत भूख से मौतें

1153. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों में भूख से कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) क्या भूख से होने वाली मौतों से यह पता चलता है कि देश में 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' असफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में भूख से होने वाली मौतों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) सूखे से प्रभावित ऐसे किसी भी राज्य से, जहां 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' चल रहा था, भूख से हुई मौत की कोई जानकारी नहीं मिली है।

(ख) 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' जनवरी, 2001 से मार्च, 2002 तक चला था। इस अवधि के दौरान सूखे से प्रभावित जिलों में राहत पहुंचाने के लिए सूखा-प्रभावित राज्यों को 40.32 लाख टन अनाज आबंटित किया गया था। इस अवधि के दौरान किसी भी राज्य सरकार ने ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं दी है।

(ग) 1.4.2002 से देश के सूखा-प्रभावित जिलों में राहत पहुंचाने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत विशेष घटक लागू किया गया था। इस घटक के अंतर्गत आज तक आपदा-प्रभावित राज्यों को 38.29 लाख टन अनाज रिलीज किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, अधिकतम गरीब लोगों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना, वृद्धों के लिए अन्नपूर्णा योजना, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी अन्य योजनाएं चल रही हैं ताकि कुपोषण, भूख आदि से होने वाली मौत रोकी जा सकें।

[हिन्दी]

अनधिकृत पार्किंग स्थल

1154. श्री अखिलेश यादव:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम.सी.डी., डी.डी.ए. और एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में बड़ी संख्या में अनधिकृत पार्किंग स्थल चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अनधिकृत पार्किंग स्थलों की पहचान की है और इससे राजकोष को होने वाले घाटे का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अयोध्या मुद्दा

1155. **श्री रामजी लाल सुमन:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के आरोपी व्यक्तियों पर अभियोजन चलाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नई अधिसूचना जारी करने से इंकार करने के बाद भारतीय अन्वेषण ब्यूरो को कोई निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आरोपियों पर अभियोजन चलाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 12.2.2001 के आदेश में की गई टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए थी क्योंकि अधिसूचना उसने जारी की थी और वह ही उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके नई अधिसूचना जारी करने के लिए सक्षम है। तथापि, उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका के उत्तर में, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शपथ-पत्र दायर किया जिसमें यह कहा गया है कि नई अधिसूचना जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मामला न्यायाधीन और सर्वोच्च न्यायालय में विचारण के लिए लंबित है।

[अनुवाद]

विनिवेश नीति

1156. **श्री सी. कुप्पुसामी:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री के.पी. सिंह देव:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी नीति का कार्यान्वयन न करने और विभिन्न ब्लाकों से उठाई गई आपत्तियों के कारण सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों का विनिवेश रोक दिया या है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण हितों, आत्मनिर्भरता एवं बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर विनिवेश नीति की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विस्तृत और निरन्तर अन्तर्मंत्रालय परामर्शों के लिए एक स्थापित क्रियाविधि है। आगे बढ़ने के उपयुक्त रास्ते पर विभिन्न दृष्टिकोणों अथवा अनुभव से निकाले गए परिणामों को भी इसी तरह अन्तर्मंत्रालय परामर्शों के माध्यम से सुसंगत बनाया जाता है। विनिवेश संबंधी मंत्रिमण्डल समिति अपने आप में ही एक ऐसा मंच है जहां अन्तिम निर्णय लिए जाने के अलावा, नीति अथवा क्रियाविधियों के मुद्दों पर पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है।

(ग) सरकार ने उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पहले ही परिभाषित किया है जो महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं और जिनका विनिवेश नहीं किया जाना है। सभी अन्य गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उपक्रम, मामला-दर-मामला आधार पर 26 प्रतिशत अथवा यदि आवश्यक हो, उसके निचले स्तर तक विनिवेशित किए जा सकते हैं। विनिवेश को प्रत्यक्ष तौर पर बेरोजगारी से नहीं जोड़ा जा

सकता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की संख्या में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुर्नसंरचना के परिणामस्वरूप 1991-92 में 2.179 मिलियन कर्मचाारियों के स्तर से 2000-01 में 1.742 मिलियन के स्तर तक कमी आ गई है। जबकि विनिवेश की प्रक्रिया, विस्तृत विश्लेषण में समर्थ होने के लिहाज से बहुत ही अभिनव है, विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सार्थक निपुणता में वृद्धि, जो अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होती है, का उपाख्यानिक संकेत है। अनेक विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा पर हुआ व्यय

1157. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा देश में अति महत्वपूर्ण एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा प्रबंधों पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या सरकार का अति महत्वपूर्ण एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) देश में अतिविशिष्ट व्यक्तियों, विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य संरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रंबंध उपलब्ध करना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा खर्च की गई ठीक-ठाक राशि बताना कठिन है क्योंकि इसमें सुरक्षा कर्मिकों, संचार परिवहन, हथियारों, प्रशिक्षण और समग्र पर्यवेक्षण, इत्यादि पर होने वाला व्यय अन्तर्गस्त होता है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा आंके गए खतरे की वर्तमान आशंका के अनुसार विशिष्ट व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रंबंध किए जाते हैं। चूंकि खतरे की आशंका बदलती रहती है, सुरक्षा प्रबंध भी अलग-अलग समय पर अलग-अलग होते हैं।

तीर्थ यात्रा हेतु राजसहायता

1158. श्री अनंत गुढ़े: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हज यात्रियों को उनकी वायु यात्राओं के लिए राजसहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरनाथ, वैष्णों देवी, तिरूपति, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को उनकी वायु/सड़क/रेल यात्राओं के लिए राजसहायता प्रदान करने संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) नागर विमानन मंत्रालय हज यात्रियों को वायुयान द्वारा उनकी सऊदी अरब की यात्रा की लागत के एक भाग के रूप में इमदाद प्रदान करता है।

(ख) से (घ) जहां तक लिपुलेख घाटी के पार परम्परागत मार्ग से कैलाश से मानसरोवर यात्रा का संबंध है, विदेश मंत्रालय यात्रियों द्वारा भारतीय क्षेत्र में ठहरने और भोजन पर किए गए व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति करने के लिए कुमाऊं मंडल निगम (के.एम.वी.एन.) को प्रति यात्री 3250/- रु. प्रदान करता है। सरकार यात्रियों को लिपुलेख घाटी तक नि:शुल्क चिकित्सा जांच तथा सहायता, तथा सुरक्षा एवं मार्गरक्षी कवर; यात्रा की अवधि के दौरान बीमा कवर तथा संचार संपर्क प्रदान करती है। यात्रियों के प्रत्येक बैच के साथ एक संपर्क अधिकारी तैनात किया जाता है। दिल्ली सरकार यात्रियों को यात्रा पर जाने तथा वहीं से आने के दौरान 4-5 दिनों के लिए अशोक यात्री निवास में नि:शुल्क ठहराती है।

अमरनाथ, वैष्णों देवी तथा तिरुपति की तीर्थ यात्रा के लिए प्रबंध संबंधित तीर्थ स्थल बोर्डों और राज्य सरकारों द्वारा किए/समन्वित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

शहरी विकास हेतु धनपोषण

1159. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में शहरी प्रबंधन का वित्त पोषण करने हेतु सरकारी निजी भागीदारी बनाने हेतु राज्यों एवं केन्द्र शासित सरकारों से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह महसूस किया है कि शहरी विकास में सुधार लाने हेतु वित्तीय साधनों की आवश्यकता थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या माह सितम्बर, 2002 में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों का स्थानीय स्वायत्त शासक एवं आवास के एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ङ) यदि हां, किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और इन पर क्या निर्णय लिया गया और अब तक इन निर्णयों का कार्यान्वयन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या उन्होंने भारत में महत्वपूर्ण नगर पालिका सेवाओं के सहयोग एवं रखरखाव हेतु संसाधनों की कमी को पूरा करने हेतु राज्यों को सहायता देने का वचन दिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने राज्यों से स्टाम्प शुल्कों में पांच प्रतिशत तक कमी करने के लिए कहा है;

(झ) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोजन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ञ) शहरी विकास राज्य का विषय है। अत: शहरी विकास सुनिश्चित करना और इसके लिए अपेक्षित संसाधन जुटाना राज्यों का दायित्व है। तथापि शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत नीति तैयार कर, तकनीकी मार्गदर्शन और केन्द्रीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2002 को नई दिल्ली में राज्यों/संघ शामिल प्रदेशों के शहरी विकास, स्थानीय स्वशासन और आवास मंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में शहरी अवसंरचना के विकास के लिए नए वित्तीय उपायों की आवश्यकता पर बल दियाग गया। नए वित्तीय उपायों में पूंजी बाजार नगर पालिका तथा शहरी अवसंरचना के लिए ऋण सुगम बनाकर तथा शहरी अवसंरचना के प्रावधान में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर वाणिज्यिक शहरी अवस्थापना परियोजनाओं का वित्तपोषण करना शामिल है। नया दृष्टिकोण अपनाने का अंतिम निर्णय राज्यों द्वारा लिया जाएगा।

वर्ष 2002-03 के केन्द्रीय बजट में घोषित निम्नलिखित वित्तीय उपायों पर सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया:-

(i) अर्बन रिफार्मस इंसेंटिव फंड (यू आर आई एफ)

(ii) सिटी चैलेंज फंड (सीसीएफ)

(iii) पूल्ड फाइनेंस डवलपमेंट स्कीम (पी एफ डी एस)

राज्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार से जुड़ी सहायता मुहैया कराने के लिए शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यू आर आई एफ) बनाया गया है:-

(i) किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार और शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियमों का निरसन

(ii) ऊंचे स्टाम्प शुल्क को तर्कसंगत बनाना

(iii) भवन निर्माण, स्थल विकास आदि की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के लिए उपनियमों में संशोधन

(iv) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आदर्श कानून के अनुरूप नगरपालिका कानूनों में संशोधन

(v) कृषि योग्य भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तन करने के कानूनी और प्रक्रिया संबंधी ढांचे को सरल बनाना

(vi) शहरी, स्थानीय निकायों द्वारा समुचित उपभोक्ता प्रभार लगाना तथा संसाधन जुटाना

(vii) नागरिक सेवाओं के प्रावधान में सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रारंभ।

सिटी चैलेन्ज फंड (सी सी एफ) प्रोत्साहन आधारित सुविधा है जिससे शहरों को नगरपालिका प्रबंध और सेवा की निरंतर और विश्वसनीय सांस्थानिक प्रणाली को चलाने के व्यय को पूरा करने में सहायता मिलेगी। यह शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक सुधार कार्यक्रम तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के विकास की आंशिक लागत के वित्त पोषण में भी सहायता देगा।

पूल्ड फाइनेस्ट डेवलपमेंट स्कीम (पी एफ डी एस) का उद्देश्य स्थानीय निकायों को साख पर बाजार ऋण उपलब्ध कराने में सहायता देने के लिए ऋण मुहैया कराना है। सम्मेलन में यह

भी बताया गया कि शहरी स्थानीय निकायों को विश्वसनीय बनने के लिए प्रोत्साहन देने और शहरी अवसंरचना में निवेश करने के लिए सरकार ने वर्ष 2002-03 में 500 करोड़ रुपये तक के नगरपालिका कर मुक्त बांड जारी करने की व्यवस्था की है। राज्यों को इस प्रावधान का लाभ उठाते हुए सरकार के पास उपयुक्त प्रस्ताव भेजने चाहिए।

इसके अलावा सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया:-

(i) शहरी स्थानीय निकायों में दक्षता निर्माण जिसमें शहरी स्थानीय निकायों की सभी महिला और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पार्षदों का प्रशिक्षण शामिल है।

(ii) शहरी भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 का निरसन

(iii) आदर्श किराया अधिनियम के आधार पर किराया नियंत्रण कानूनों में संशोधन

(iv) नागरिक सेवाओं के प्रावधान में सार्वजनिक निजी भागीदारी

(v) राज्य पर्यावास केन्द्र

(vi) निर्मिति केन्द्र।

मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की भी सम्मेलन में पुनरीक्षा की गई। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे शहरी क्षेत्रों के अवसंरचना विकास के लिए अपना अंश शीघ्र प्रदान करें।

[अनुवाद]

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना

1160. श्रीमती प्रभा राव: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण कब तक चालू होने की संभावना है;

(ख) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के संपूर्ण नियंत्रण में कार्य कर रही है;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने केन्द्र सरकार से इसके संचालन, भाड़ा निर्धारण, रेल गलियारों को अंतिम रूप देने इत्यादि की जिम्मेदारी उनको सौंपने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) सितंबर 2005 तक।

(ख) से (ङ) रेलों के संचालन, भाड़ा निर्धारण और अन्य प्रचालनात्मक पहलुओं के संबंध में भारत सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल निगम की भूमिका और उत्तरदायित्व दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अध्यादेश, 2002 में निर्धारित किए गए हैं। मेट्रो के संचालन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल निगम की है जबकि भाड़ा निर्धारण का कार्य तीन सदस्यों की स्वतंत्र समिति को सौंपा गया है। दूसरी ओर रेल कोरीडोर को अंतिम रूप देने के संबंध में भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पहले की तरह परस्पर विचार विमर्श कर अंतिम निर्णय लेगी।

इतिहास की नई पुस्तकें

1161. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी की गई इतिहास की नई पुस्तकों में दक्षिण भारत के इतिहास को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है और इसमें शिल्पादिक्करम एवं मणिमेकलई जैसे तमिल महाकाव्यों का उल्लेख नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं कारण क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने शीघ्र ही जारी की जाने वाली कई कक्षाओं की नई इतिहास पुस्तकों में पहले से ही कहीं ज्यादा गहराई से दक्षिण भारत को शामिल करने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) यह सही नहीं है कि इतिहास की नई पाठ्यपुस्तक में दक्षिण भारत को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। उक्त पाठ्यपुस्तक में केवल इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां तक संभव हो सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए भारत के इतिहास को संतुलित रूप में प्रस्तुत किया जाए।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना

1162. **श्री राजो सिंह:**
श्री श्रीनिवास पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान उन प्रेस रिपोर्टों की ओर आकृष्ट किया गया है जिनमें की उच्चतम न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने में असफल रहने वाले राज्यों की खिंचाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालय ने योजना का कार्यान्वयन न करने वाले राज्यों को धन का आवंटन न करने के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ङ) उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद किन राज्यों में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है; और

(च) इन राज्यों के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) कुछ समाचार-पत्रों ने यह समाचार प्रकाशित किया है कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह चेतावनी दी है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत पका हुआ भोजन देने का कार्यक्रम नहीं अपनाने वाले राज्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह भी प्रकाशित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर तथा नागालैंड के उन आवेदनों को नामंजूर कर दिया है जिसमें उन्होंने पिछले आदेश में संशोधन की मांग की थी जिसके द्वारा योजना के तहत स्कूलों में पका हुआ भोजन बांटना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनिवार्य बनाया गया है।

(ग) माननीय न्यायालय द्वारा पारित ऐसे किसी निर्णय के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात, केरल, उड़ीसा (8 के.बी.के. जिले तथा आई.टी.डी.ए. ब्लाक), तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश (आदिवासी ब्लाक), कर्नाटक (शैक्षिक रूप से पिछड़े 7 जिले तथा बंगलौर देहात में 9 गैर सरकारी संगठनों द्वारा), संघ राज्य क्षेत्र-अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली (तत्काल खाने योग्य भोजन), दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा पांडिचेरी को छोड़कर शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पका हुआ भोजन नहीं दे रहे है।

(च) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की शिक्षा सचिवों/नोडल अधिकारियों की 16.1.2002 को बैठक बुलाई थी तथा माननीय न्यायालय के 29.11.2001 के निदेश के मुताबिक कार्यक्रम लागू करने के लिए चूककर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुराध किया गया था। पका हुआ भोजन कार्यक्रम लागू करने के लिए मंत्रालय लगातार इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह करता आ रहा है।

एन.सी.एफ.एस.ई. 2000

1163. **श्री कांतिलाल भूरिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एन.सी.एफ.एस.ई.-2000 के लिए पाठ्यक्रम बनाने एवं पाठ्य पुस्तक विकसित करने संबद्ध व्यक्ति कौन से हैं और विषय/क्लासवार ब्यौरा क्या है;

(ख) एन.सी.एफ.एस.ई.-2000 के कार्य को किन व्यक्तियों को सौंपा गया है;

(ग) क्या दिल्ली के कुछ प्रतिष्ठित विद्यालयों को प्राचार्यों ने एन सी एफ एस ई-2000 को वापस लेने आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना, 2000 को तैयार करने के बाद नयी विवरणिकाओं और पाठ्यचर्या सामग्रियों को तैयार किया गया था। लब्ध प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों वाली सलाहकार समितियों ने राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना को दृष्टिगत रखते हुए नई पाठ्य विवरणिकाओं और पाठ्यचर्या सामग्रियों को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे। तदनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के आंतरिक संकाय सदस्यों तथा बाहरी विषय विशेषज्ञों तथा सेवारत शिक्षकों के सहयोग से अनेक कार्यशालाएं आयोजित करके सभी कक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों के लिए पाठ्य विवरणिकाएं तैयार की गई। तत्पश्चात नई पाठ्य विवरणिकाओं के आधार पर कक्षा 1, 3, 6, 9 और 11 के लिए शैक्षिक सत्र 2002-2003 में लागू की जाने

वाली नई पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई और इस कार्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के आंतरिक संकाय सदस्यों तथा बाहरी विषय विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को दिल्ली के किसी भी स्कूल से इस संबंध में कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकारी कर्मचारियों को आवास

1164. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को 15 वर्ष की सेवाओं के बाद भी सरकारी आवास नहीं मिलता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किस वर्ष तक काम करने के पश्चात कर्मचारियों को सामान्य पूल से टाइप-I एवं टाइप-II का सरकारी आवास आबंटित होता है;

(घ) सरकार द्वारा टाइप-I एवं टाइप-II के और फ्लैट निर्मित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में सरकार द्वारा निर्मित फ्लैटों की टाइपवार संख्या क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां, विशेष कर टाइप-II, टाइप-III और टाइप-IV में।

(ख) प्रतीक्षा का कारण, इन श्रेणियों में सरकारी वास के लिए भारी मात्रा में सरकारी कर्मचारियों का पात्र होना है।

(ग) दिनांक 20.11.2002 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में सामान्य पूल वास के लिए मौजूदा प्राथमिकता तारीख इस प्रकार है:

टाइप-I	13.01.1992
टाइप-II	11.08.1979

(घ) नीतिगत मामले के रूप में सामान्यत: निम्न टाइप क्वार्टरों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। गत तीन वर्षों, अर्थात 1999-2000, 2000-2001, तथा 2001-2002 के दौरान सामान्य पूल रिहायशी वास के अंतर्गत देश भर में निर्मित 2165 मकानों में से 966 मकान टाइप-1 व टाइप-2 के थे।

(ङ)	1999-2000	-	शून्य
	2000-2001	-	72 (टाइप- 4)
			42 (टाइप- 5)
	2001-2002	-	158 (टाइप- 5)

उग्रवादियों के साथ बातचीत

1165. श्री रामशकल:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विशेषकर कश्मीर में और देश के अन्य हिस्सों में भी विधान सभा चुनावों के सफलतापूर्वक समापन के आलोक में विशेषकर कश्मीर के उग्रवादियों के साथ वार्ता करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(ग) इस पर उग्रवादियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कश्मीर में उग्रवादियों के साथ कब तक बातचीत आरंभ की जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सरकार, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। इस रणनीति का एक पहलू जम्मू और कश्मीर के भीतर किसी भी ऐसे व्यक्ति/ग्रुप के लिए बातचीत के रास्ते खुले रखना है जो हिंसा का रास्ता त्याग देते हैं। किसी भी उग्रवादी/आतंवादी ग्रुप ने इस प्रकार की बातचीत के लिए आगे आने के लिए हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा है।

[अनुवाद]

विभिन्न ब्रांड नामों के अंतर्गत समान दवाओं की बिक्री

1166. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच है कि विभिन्न ब्रांड नामों के अंतर्गत समान सम्पाकों वाली दवाएं बाजार में प्रचुर मात्रा में बेची जा रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे ब्रांडों की दवाओं की दरों में 50 से 100 प्रतिशत तक का अंतर है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में निवारात्मक/सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) भेषज बाजार में विभिन्न कंपनियों द्वारा विनिर्मित समान संरचना वाले अनेक ब्रांड हैं।

किसी अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग के लिए हर किसी विनिर्माता को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के उपबंधों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य का अनुपालन करना अपेक्षित है। गैर अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य उत्पादन की लागत, विपणन / विक्रय खर्चों, अनुसंधान एवं विकास खर्चों, ट्रेड कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद उन्नयन, उत्पाद गुणवत्ता आदि विभिन्न पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जहां जनहित में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां सरकार द्वारा निवारणात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

महिला अधिकारिता योजनाएं

1167. श्री छत्रपाल सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान महिला अधिकारिता योजना के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार को कितना धन उपलब्ध कराया गया है;

(ख) इस संबंध में विश्व बैंक द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि धन का उपयोग न करने के कारण सरकार द्वारा 20% अधिभार का वहन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो धन का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत गत तीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितना धन आबंटित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) विश्व बैंक ने दिनांक 14 सितंबर, 1998 को हस्ताक्षरित विकास ऋण समझौते में स्व-शक्ति परियोजना हेतु वर्ष-वार आवंटन का कोई प्रावधान नहीं किया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 हेतु विश्व बैंक द्वारा क्रमश: 1.33 करोड़ रुपए, 3.43 करोड़ रुपए तथा 7.93 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई।

(ख) विश्व बैंक ने भारत सरकार के साथ दिनांक 14.9.1998 को एक समझौता किया कि विश्व बैंक कड़े श्रम व समय को कम करने वाले यंत्रों के प्रयोग, स्वास्थ्य, साक्षरता एवं आत्म विश्वास में वृद्धि तथा कौशल विकास, आयोत्पादन कार्यकलापों में महिलाओं को सम्मिलित करके उनका अपनी आय पर नियंत्रण बढ़ाकर बेहतर जीवन हेतु हिलाओं को संसाधन सुलभ कराने के लिए पंचवर्षीय परियोजना हेतु विभिन्न मुद्राओं में एक करोड़ पैंतीस लाख विशेष आहरण अधिकारों के बराबर रीशि उधार देगा। परियोजना के समापन की तारीख 31 दिसम्बर, 2003 है।

भारत सरकार इस ऋण की मूल राशि का भुगतान हर वर्ष 1 फरवरी और 1 अगस्त को देय द्विवार्षिक किस्तों में करेगी। ये किस्तें 1 अगस्त, 2007 से आरम्भ होकर 1 फरवरी, 2032 तक चेलेंगी। 1 फरवरी, 2017 को देय किस्त सहित, इस तारीख तक देय प्रत्येक किस्त ऐसी मूल रशि का सवा प्रतिशत होगी और तत्पश्चात् प्रत्येक किस्त ऐसी मूल राशि का ढाई प्रतिशत होगी। प्रतिवर्ष आधे प्रतिशत की दर से वापस नहीं ली गई ऋण की मूल राशि पर भारत सरकार विश्व बैंक को प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान करेगी। भारत सरकार वापस ली गई ऋण की राशि पर प्रति वर्ष तीन चौथाई प्रतिशत की दर से विश्व बैंक को सेवा प्रभार का भुगतान करेगी। प्रतिबद्धता प्रभार तथा सेवा प्रभार द्विवार्षिक किस्तों में देय होंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह परियोजना प्रक्रिया-उन्मुख है तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निधियों का उपयोग पिछला चरण पूरा किये जाने पर निर्भर करेगा। कार्यान्वयन की गति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जो कि प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं, जैसे कि शिक्षा एवं सामाजार्थिक स्थिति, पर्वतीय क्षेत्र, प्रशिक्षित कर्मियों का तत्काल उपलब्ध न हो पाना आदि के संदर्भ में दलों की सदस्यता में एकरूपता न होना। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रभावी मितव्ययी उपयों तथा संकेन्द्रण के फलस्वरूप कुछ बचतें हुई हैं। तथापि, इस परियोजना के अंतर्गत सभी स्व-सहायता दलों का गठन कर लिया गया है और ये दल विकसित हो रहे हैं।

(ङ) सरकार ने वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 हेतु क्रमश: 5.00 करोड़ रुपए, 8.00 करोड़ रुपए तथा 15.00 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की।

[अनुवाद]

प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना

1168. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पाठ्य पुस्तकों के नि:शुल्क वितरण पर होने वाली लागत को वहन करने का है;

(ग) इस संबंध में किन राज्यों में कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) नवम्बर, 2000 में शुरू की गई सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने की व्यवस्था है यदि यह सुविधा राज्य सरकारों द्वारा अपनी निधियों से ऐसे छात्रों को पहले से ही प्रदान नहीं की जा रही है। यदि कोई राज्य प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों की पाठ्य पुस्तकों को आंशिक रूप से सस्ते दर पर उपलब्ध करा रहा है तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली सहायता बच्चों द्वारा भुगतान की जाने वाली पुस्तकों की कीमत तक सीमित होगी।

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2002-03 वर्ष में अब तक निम्नलिखित राज्यों को पाठ्यपुस्तकों के नि:शुल्क वितरण हेतु निधियां प्रदान की गई हैं:

(लाख रुपये में)

राज्य	कुल राशि
1	2
बिहार	2043.02
हिमाचल प्रदेश	329.98
हरियाणा	734.78
जम्मू-कश्मीर	833.72
केरल	1436.26
कर्नाटक	458.85
मध्य प्रदेश	1164.607
नागालैंड	42.56
सिक्किम	10.4
त्रिपुरा	336.39
उत्तर प्रदेश	6119.86
उत्तरांचल	604.75
पश्चिमी बंगाल	76.87
लक्षद्वीप	9.47
कुल	14201.427

जम्मू-कश्मीर हेतु रणनीति

1169. श्री अजय सिंह चौटाला:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर राज्य में चुनाव एवं नई सरकार के गठन के पश्चात् विशेषकर जम्मू-कश्मीर की पुरानी समस्या का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई/अपनाई जाने वाली रणनीति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कश्मीर से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में निर्वाचित जम्मू-कश्मीर विधान सभा के प्रतिनिधियों सहित सभी संबंधित लोगों से बातचीत करने का कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त वार्ता/बातचीत हेतु इन जन प्रतिनिधियों का चयन करने संबंधी मानदंड क्या हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) सरकार जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। रणनीतियों में, अन्य बातों के साथ-साथ (i) सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना और जम्मू और कश्मीर के अन्दर आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारक

कार्रवाई करना, (ii) आर्थिक विकास को तेज करना, और (iii) जम्मू और कश्मीर के अन्दर ऐसे व्यक्ति/ग्रुप से बातचीत के लिए तैयार रहना जो हिंसा का रास्ता त्याग दें। व्याप्त स्थिति के अनुकूल रणनीतियों और युक्तियों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और उनमें आशोधन किया जाता है तथा उन्हें राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जाता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु परियोजनाएं

1170. **श्री हरिभाऊ शंकर महालेः**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवलीः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र में राज्यों का अंश उपलब्ध न होने के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही उन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनको क्रियान्वित नहीं किया जा सका;

(ख) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में परिवर्तित करने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इनके कार्यान्वयन में कितनी भूमिका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए केन्द्र प्रायोजित किसी ऐसी योजना के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिसे राज्य अंश न मिलने के कारण क्रियान्वित नहीं किया गया हो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रैगिंग

1171. **श्री राम जीवन सिंहः**
श्री वी. वेत्रिसेलवनः
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के अनेक हिस्सों में वर्ष-दर-वर्ष महाविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों में रैगिंग के नाम पर उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रमुख समाचारपत्रों के माध्यम से तकनीकी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में नए प्रविष्ट छात्रों की रैगिंग/मृत्यु के कुछ मामलों को सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच करने एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु संबंधित प्रबंधनों को आदेश दिए हैं;

(घ) क्या सरकार विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों में रैगिंग प्रणाली की रोकथाम करने हेतु एक समान नियम बनाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (च) जी हां। सरकार ने विश्वविद्यालयों/कालेजों में रैगिंग की समस्या की ओर ध्यान दिया है। विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में रैगिंग पर नियंत्रण करने की तरीके खोजने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सितम्बर, 1999 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित कर दी गई है। शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के जोखिम को समाप्त करने के लिए वर्ष 1998 की सिविल याचिका संख्या 656 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में दिशानिर्देशों को सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों को उचित अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है। आयोग ने विश्वविद्यालयों का ध्यान, रैगिंग को समाप्त करने के उपायों के संबंध में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की ओर भी दिलाया है। अखिल भारतीय

तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी संस्थानों में रैगिंग को रोकने संबंधी अपेक्षित कदम उठाने के लिए सभी राज्य सचिवों (तकनीकी शिक्षा) तथा तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

1172. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने अगस्त 1998 में आंगनवाड़ी ''सेविका/सहायिका'' से संबंधित राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुशंसित सभी बिन्दुओं पर कार्रवाई की है;

(ख) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुशंसित बिन्दुओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रदत्त लाभों/सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए अगस्त, 1998 में गठित राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि; संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के समकक्ष प्रमृति अवकाश के लाभ; इनके पारिश्रामिक में वृद्धि करने के लिए सामुदायिक अंशदान; समर्पित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं को पुरस्कारों की स्कीम; आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कल्याण कोष की स्थापना तथा राज्य सरकारों द्वारा अंशदायी सामूहिक बीमा का प्रावधान शामिल हैं।

कई राज्य सरकारें, नामत: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, पंजाब, त्रिपुरा, चण्डीगढ़, आंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रतिमाह क्रमश: 200 से 1000 रु. तक और 40 रु. से 400 रु. तक की दर से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय प्रदान कर रही हैं। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के पोषाहार घटक के अंतर्गत 50 रु. प्रतिमाह की दर से कार्य-निष्पादन के आधार पर अतिरिक्त मानदेय का प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं को 135 दिनों के सवेतन प्रसूति अवकाश की अनुमति दी गयी है। समर्पित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पुरस्कार की एक स्कीम प्रारम्भ की गयी है।

असम सीमा से बंगलादेशियों की घुसपैठ

1173. **प्रो. दुखा भगत:**
श्री वीर सिंह महतो:

क्या **उप-प्रधान मंत्री** दिनांक 16 जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 271 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब होने के क्या कारण है; और

(घ) सूचना के कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। 16 जुलाई, 2002 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 271 के संबंध में दिए गए आश्वासन की कार्यान्वयन रिपोर्ट 5.11.2002 को संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है। कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते हैं।

विवरण

असम सरकार ने सूचित किया है कि भूतपूर्व पाकिस्तान से असम में अवैध घुसपैठ कई वर्षों से यहां तक कि आजादी से पहले से जारी थी। सरकार द्वारा उठाये गए रोकथाम के विभिन्न उपायों के कारण बांग्लादेश से असम में अवैध प्रवासियों के आगमन में कमी आयी है। राज्य में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान का काम कठिन है क्योंकि वे (अवैध प्रवासी) चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं और वे जातीय एवं भाषायी समानता के कारण स्थानीय जनता में आसानी से घुल-मिल जाने में समर्थ हो जाते हैं। समय-समय पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तानी आई.एस.आई द्वारा प्रायोजित कुछेक गुप्त गतिविधियों की सूचना भी मिलती है।

आई.एस.आई. एजेंटों की गतिविधियों को निष्क्रिय करने के लिए सरकारे ने सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, आई.एस.आई. एजेन्टों और उनके द्वारा प्रायोजित उग्रवादियों के विरुद्ध सुसमन्वित आसूचना के आधार पर कार्रवाई करना, सुरक्षा बलों की सीमा चौकियों की स्थापना करना और उन्नत अधुनातन

हथियारों तथा संचार प्रणाली इत्यादि से पुलिस एवं सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना शामिल है। इस संबंध में उठाए गए कदमों से विभिन्न आई.एस.आई. समर्थित माड्यूलों का पता लगाने, उन्हें निष्क्रिय करने में सफलता मिलती है।

इसके अलावा, बांगलादेशी राष्ट्रिकों की भारत में घुसपैठ की समस्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम भी उठाए गए हैं। इनमें सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी के अंतर को कम करना, भूमि और नदी-तटीय सीमा दोनों पर गश्त को गहन करना, सीमा सड़क और बाढ़ निर्माण के कार्यक्रम में तेजी लाना, सीमा बुर्जों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना, निगरानी करने वाले उपकरणों इत्यादि का प्रावधान इत्यादि शामिल हैं। मामले को विभिन्न मौकों पर बांग्लादेश सरकार के साथ भी उठाया गया है। इन उपायों की प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से की जाती है।

तेरहवीं लोक सभा का दसवां सत्र, 2002

गृह मंत्रालय			पूर्ति की तारीख	
प्रश्न संख्या, दिनांक और संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कैसे पूरा किया गया	विलम्ब का कारण
सर्व/श्री राम टहल चौधरी, शिवाजी माने और श्रीमती कान्ति सिंह द्वारा दिनांक 16.7.2002 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 271	**असम सीमा से बांगलादेशियों की घुसपैठ** पूछा गया है कि: (क) क्या असम सीमाओं से बांगलादेशियों की घुसपैठ आज भी जारी है; (ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस तरह की घुसपैठ को रोकने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां आ रही हैं; (ग) क्या इस कथित घुसपैठ को आईएसआई द्वारा अंजाम दिया जा रहा है; (घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; (ङ) क्या सरकार को इस संबंध में असम राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और (छ) घुसपैठ रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?	(क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।	एक विवरण संलग्न है।	संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र करनी थी, इसलिए विलम्ब हुआ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यकलाप

1174. श्री शिवाजी माने: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के आंरभ करने के बाद से कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है,

(ख) उक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों की संख्या कितनी है, और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के जिलों को क्या लाभ प्राप्त हुआ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुभाष महरिया): (क) से (ग) काम के बदले अनाज कार्यक्रम जनवरी 2001 से मार्च, 2000 तक प्रभावी रहा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभावित जिलों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार पैदा करने के लिए आपदा प्रभावित राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न दिया गया था। इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र के सभी सूखा प्रभावित जिलों को मृदा एवं नमी संरक्षण, लघु सिंचाई, पेयजल स्रोतों का नवीनीकरण, भूमिगत जल में वृद्धि, पराम्परागत जल एकत्रीकरण ढांचे ग्रामीण टैंकों/तालाबों की सफाई आदि जैसे राहत कार्य शुरू करने के लिए 1.50 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया गया था। इस अवधि के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों में लगभग 163.51 लाख श्रम दिवस (अनन्तिम) सृजित किए गए थे।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में हीरे का खनन

1175. डा. चरण दास महंत: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में हीरे के खनन हेतु वित्तीय सहायता और अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कुछ भारतीय विदेशी कंपनियों ने हीरा खनन परियोजना के प्रति अपनी रुचि दर्शाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) से (घ) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित खनिजों के लिए खनिज रियायत देने से पूर्व राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। हीरा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित एक खनिज है। इस संदर्भ में, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में विभिन्न आवेदकों को हीरा और सम्बद्ध खनिजों के लिए 11 टोही परमिट देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिये गए हैं। इन अनुमोदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	कंपनी का नाम	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	जिला
1.	मैसर्स डी-बियर्स इंडिया सर्वेज प्रा.लि.	2000	रायपुर, महासुमुंद
2.	-वही-	1000	-वही-
3.	मैसर्स डी-बियर्स इंडिया प्रोस्पेक्टिंग प्रा.लि.	2000	दुर्ग, कांकेर, धामतारी
4.	-वही-	1975	दुर्ग, राजनंदगांव
5.	-वही-	2000	दुर्ग
6.	मैसर्स ए सी सी रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन प्रा.लि.	3000	धामतारी, महासुमुंद
7.	-वही-	800	जशपुर
8.	-वही-	800	रायगढ़, जंजगीर और महासुमुंद
9.	-वही-	1360	रायपुर, धामतारी, बस्तर, कांकेर
10.	मैसर्स एम्प्रेस ग्रेनाइट प्रा.लि.	1000	कांकेर
11.	मैसर्स बी. विजय कुमार टेक्नीकल सर्विसेज प्रा. लि.	2400	धामतारी, रायपुर

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना हेतु ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों की भूमिका

1176. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित स्व-सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों की क्या भूमिका है;

(ख) उन मामलों में क्या वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की गई है जिनमें बैंक पात्र-व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध नहीं कराते हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में बैंकों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या ऐसे मामलों में कोई उपचारात्मक कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) बैंकों से समय पर और पर्याप्त ऋण दिलवाना सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि प्रमुख गतिविधियों की पहचान, स्वसहायता समूहों के पोषण और स्वरोजगारियों के चयन में बैंकों को पूरी तरह शामिल किया जाए।

(ख) से (ङ) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा कम ऋण दिये जाने और मंजूरी में विलम्ब तथा ऋणों के वितरण से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श और समस्या के समाधान के लिए एक मंच का कार्य करती है। केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति की पिछली बैठक जून, 2002 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 4 जुलाई, 2002 के अपने परिपत्र में यह बात दोहराई है कि ऋणों की मंजूरी में तेजी लाई जाए और आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर ऋण का वितरण किया जाए और किसी भी परिस्थिति में परियोजनाओं के लिए कम ऋण न दिया जाए। ऋणों की मंजूरी/वितरण में विलम्ब और कम ऋण दिए जाने के संबंध में कुछ राज्यों से प्राप्त पत्रों को सुधार कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों के समक्ष रखा गया है।

विनिवेश से प्राप्त धनराशि

1177. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विनिवेश के माध्यम से कुल कितना संसाधन जुटाया गया है; और

(ख) प्रभावित कामगारों के पुनर्वास पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान विनिवेश के माध्यम से जुटाई गई (विशेष अन्तरिम लाभांश, लाभांश-कर, नकदी रिजर्व के अन्तरण आदि सहित) धनराशि क्रमश: 1868.73 करोड़ और 5,632.25 करोड़ रुपए थी।

(ख) विनिवेश से प्राप्त अर्थागम को भारत के संचित कोष में जमा कराया जाता है जिससे कामगारों के पुनर्वास और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संरचना सहित सारा व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुकूल साझीदार द्वारा सरकार के मध्य सम्पन्न सौदा करार के अनुसार, विनिवेश के बाद एक वर्ष की अवधि तक कर्मचारियों की छंटनी की अनुमति नहीं है और यहां तक कि उसके बाद भी वियोजन केवल लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अधीन लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अथवा विनिवेश के पूर्व कम्पनी में प्रचलित स्वैच्छिक परियोजना योजना, जो भी कर्मचारी के लिए अधिक लाभकारी हो, के अन्तर्गत सम्भव होता है।

एन पी के/फास्फेट उत्पादकों के संबंध में नई नीति

1178. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एन पी के/फास्फेट उर्वरक उत्पादकों के संबंध में नई नीति लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह पाया है कि नई नीति के कारण कुछ एन पी के/फास्फेट उर्वरक उत्पादक प्रभावित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) जी, नहीं। मौजूदा नीति के अनुसार एन पी के उर्वरकों की विभिन्न श्रेणियों के लिये रियायत की संगणना डी ए पी तथा एम ओ पी के लिये समय-समय पर घोषित की गई रियायत दरों के आधार पर की जाती है। एन.पी.के. उर्वरकों के लिए रियायत की संगणना उनके उत्पादन की नियामक लागत के आधार पर करने की सिफारिश करते हुए टैरिफ आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मिश्रित उर्वरकों की विभिन्न श्रेणियों का उत्पादन करने वाले उत्पादकों के लिए प्रस्तावित मूल्य निर्धारण नीति का सही निहितार्थ, टैरिफ आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा संशोधित नीति लागू किये जाने के पश्चात् ही ज्ञात होगा।

(ङ) और (च) जी, हां। टैरिफ आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने के विरुद्ध आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा वृहद उद्योग, वाणिज्य और निर्यात संवर्धन मंत्री से पत्र प्राप्त हुए हैं।

(छ) सरकार उर्वरक उद्योग और अन्त:मंत्रालयी परामर्श के दौरान विभिन्न विभागों/टैरिफ आयोग से प्राप्त मतों सहित विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् टैरिफ आयोग के लागत अध्ययन के आधार पर मिश्रित उर्वरकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए नई मूल्य निर्धारण नीति की घोषणा करने की प्रक्रिया में है।

सर्वशिक्षा अभियान

1179. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आरम्भिक शिक्षा के क्षेत्र को शत-प्रतिशत विदेशी निवेश के लिए खोलने हेतु समीक्षा/जांच करने के लिए एक आन्तरिक समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(च) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(छ) क्या गैर-सरकारी संगठन और सामाजिक संगठन आरम्भिक शिक्षा को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोलने के विरुद्ध हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यान्वयन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर बैठकों तथा राज्यों के दौरों के जरिये इसे सम्पन्न किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (झ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विद्यालयों में पाठ्यक्रम

1180. **श्री राधा मोहन सिंह:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारों ने नये पाठ्यक्रम के स्थान पर पुराने पाठ्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने नए पाठ्यक्रम आरम्भ नहीं किए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में समान रूप से नए पाठ्यक्रम का आरम्भ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनाये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) केन्द्र सरकार पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यपुस्तकें निर्धारित नहीं करती। अपने स्कूलों में किस पाठ्य विवरणिका/किन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जाए इस संबंध में उपयुक्त निर्णय लेने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों/स्कूल शिक्षा बोर्डों का है।

[अनुवाद]

गुजरात को ओपेक द्वारा सहायता

1181. **श्री जी.जे. जावीया:**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध कराने और वितरण नेटवर्क तैयार करने के

लिए 223 करोड़ रु. की ओपेक सहायता का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात में 223.50 करोड़ रुपए की कुल लागत से पेय जल आपूर्ति के लिए पेय जल आपूर्ति विभाग में गुजरात सरकार से ओपेक की ओर से वित्तीय सहायता के साथ परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। योजना आयोग और शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद ओपेक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्रस्ताव दिनांक 12.7.2002 को वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग को भेजा गया है।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी योजनाएं

1182. श्री कैलाश मेघवाल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान, ऋण और अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या सूत्र तैयार किया गया है तथा प्रत्येक योजना में राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी कितनी है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान अर्थात् 1.4.98 से आज तक सीधे मंत्रालय या राजस्थान सरकार या स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से राजस्थान में क्रियान्वित की गयी योजनाओं का नाम क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान वर्ष वार केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए अनुदान ऋण और वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) से (घ) मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं चलाई जा रही है। तथापि, सरकार द्वारा वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने पर काफी बल दिया जा रहा है और ''महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी'' तथा ''महिलाओं के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम'' जैसी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को अधिकार प्रदान करना है। योजनाओं के व्यापक उद्देश्य हैं: उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास एवं उन्हें अपनाने को बढ़ावा देना, प्रमाणित प्रौद्योगिकियों का स्थानान्तरण और महिलाओं के हित के लिए लाइव टैक्नोलाजी माडलों का निदर्शन करना। इन योजनाओं का इनके अपारम्परिक दृष्टिकोण, लैंगिक संवेदनशीलता और समाज के निचले स्तरों पर गहरी पैठ युक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी के कारण विशिष्ट प्रभाव पड़ा है।

इन योजनाओं में राज्य सरकार को अनुदान, ऋण अथवा वित्तीय भागीदारी, उपलब्ध कराने का कोई सूत्र नहीं है। राजस्थान आधारित संगठनों को सहायता अनुदान का विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

1997-98 से 2002-2003 के दौरान राजस्थान में ''महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी'' योजना के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निधिकृत सहायता अनुदान परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	संगठन का पता	1997 से 1998	1998 से 1999	1999 से 2000	2000 से 2001	2001 से 2002	2002 से 2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ग्रामीण महिलाओं को (1) राजस्थान के रेगिस्तानों में सौर फोटोवोल्टाइक प्रणाली के निर्माण, मरम्मत एवं	सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र, तिलोनिया, अमजेर, राजस्थान -305816	4.50	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	रखरखाव के अधिष्ठापन में प्रशिक्षण देना (2) गांवों में पाइप से पानी की आपूर्ति की योजना एवं कार्यान्वयन में प्रशिक्षण देना							
2.	दक्षिण राजस्थान के खनन क्षेत्रों में महिला कार्मिक एवं व्यवासायिक खतरे	अरावली रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, 161 सर्व रितु विलास उदयपुर-313001	–	2.00	–	–	–	–
3.	नागपुर तथा राजस्थान के सीकर जिले में वर्षा जल संचय टैंकों तथा हैण्ड पम्प प्रणाली के निर्माण की योजना में ग्रामीण महिलाओं का प्रशिक्षण	सोशल एक्शन फार रूरल एडवांसमेंट, लक्ष्मीपुरा राजपुर तहसील, दन्तरनगढ़, सीकर, राजस्थान	–	–	3.00	–	–	–
4.	सामाजिक-आर्थिक स्तरोन्नयन, व्यावसायिक खतरों का उपशमन तथा महिलाओं के बीच हिप्पेटाइटिस बी एवं तपेदिक	भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान ए-11 महावीर उद्यान पथ, बजाज नगर, जयपुर-302105	–	–	–	–	–	–
5.	बाड़मेर में महिला प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना	सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनामी, गुप्ता ट्रांसपोर्ट के निकट, बाड़मेर-344001 (राजस्थान)	–	–	–	12.00	–	–
6.	स्वच्छता एवं पेयजल पर अखिल भारतीय समन्वित कार्यक्रम	सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनामी, गुप्ता ट्रांसपोर्ट के निकट, बाड़मेर-344001 (राजस्थान)	–	–	–	–	4.00	–
7.	मृदु खिलौनों के निर्माण के माध्यम से महिलाओं के लिए धारणीय आय वृद्धि के अवसर।	अरावली अनुसंधान एवं विकास सोसाइटी, 161 सर्व रितु विलास उदयपुर-313001	–	–	–	–	2.00	–

[अनुवाद]

जय प्रकाश रोजगार गारण्टी योजना

1183. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण युवकों के लिए ''जय प्रकाश रोजगार गारण्टी'' योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत स्थापित कार्यबल ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई दिशानिर्देश/कार्यविधि तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब से प्रभावी होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) जी हां, सरकार ने देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों

में ग्रामीण गरीबों को रोजगार गारंटी उपलब्ध कराने के लिए जेपीआरजीवाई आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन के तौर-तरीके निर्धारित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया है। कार्यबल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट के आधार पर योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पुरूलिया में हथियार गिराने की घटना

1184. श्री बसुदेव आचार्य: क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1995 में पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में विमान द्वारा बड़ी मात्रा में हथियार गिराए गए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हथियार गिराने की घटना की जांच की है;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जिसे पुरूलिया में हथियार गिराने के मामले की जांच का कार्य सौंपा गया था, ने अब तक उन 14 आरोपित व्यक्तियों में से 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से 6 को उम्र कैद की सजा दी गई है तथा एक को अपर्याप्त कारण दोषमुक्त कर दिया गया। न्यायालय ने 7 फरार अपराधियों को घोषित अपराधी करार दिया है। फरार व्यक्तियों के संबंध में ताक में रहने के बारे में नोटिस जारी किए गए हैं। तीन फरार अभियुक्त व्यक्तियों, जो भारत से बाहर भाग गए हैं, के संबंध में इन्टरपोल मुख्यालय लीओन्स के माध्यम से रेड कार्नर नोटिस जारी किए गए हैं। विभिन्न देशों की इन्टरपोल से फरार व्यक्तियों को तलाशने का अनुरोध किया गया है। अब तक 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हाल ही में यह बताया गया है कि इस मामले का मुख्य अभियुक्त किमडेवी उर्फ नेलसन डेनमार्क में रह रहा है। डेनमार्क के प्राधिकारियों से उसे तलाशने और भारत को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया गया है।

जबकि उक्त घटना में गिराए गए अधिकांश हथियार बरामद कर लिए गए हैं, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प. बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से शेष शस्त्र गोला बारूद बरामद करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

तकनीकी शिक्षा में सुधार

1185. श्री सुरेश चन्देल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सुधारों के लिए मसौदा योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना का ब्यौरा क्या है और योजना को क्रियान्वित करने के लिए निजी क्षेत्र से सहायता लेने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) देश में तकनीकी शिक्षा में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसमें तकनीकी शिक्षा का समन्वित और सुनियोजित विकास शामिल है, जिसका उल्लेख अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 में किया गया है। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विभिन्न योजनाएं जैसे पुराने उपकरणों का आधुनिकीकरण तथा अप्रचलनों का उन्मूलन, तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्र कार्यक्रम, अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, अर्ली फेकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन इत्यादि संचालित करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की ओर से किये गये उपायों के अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिये हाल ही में कई उपाय किये गये हैं जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थानों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण तथा समेकन, उभरते क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रौद्योगिकी विकास मिशन के माध्यम से प्रयोक्ता एजेंसियों को उनका अंतरण; तकनीकी शिक्षा में प्रौद्योगिकी-आर्थिक विकास का अंतरण तथा समुदाय पालीटेक्नीकों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी सुलभ कराना, विकलांग व्यक्तियों के तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से

जोड़ने के लिये विद्यमान पालीटेक्नीकों के स्तरोन्नयन की योजना तथा अनुसंधान एवं विकास आधार पर विकास; तकनीशियन शिक्षा परियोजना, पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण और इंटर कनेक्टिविटी वाले इलैक्ट्रानिक पुस्तकालयों में परिवर्तित करना इत्यादि शामिल हैं। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं का दर्जा दिया जा रहा है। देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति के लिये स्नातकोत्तर शिक्षा और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के संवर्धन के लिये आवश्यक निर्देश देने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2001 में मंत्रालय में एक नीतिगत कार्यढांचे की घोषणा की है जिसमें एम.टेक. कार्यक्रमों की अवधि को 18 माह से बढ़ाकर 24 माह करने, छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने इत्यादि का प्रावधान है। तकनीकी संस्थाओं के संचालन में निजी क्षेत्र भी पर्याप्त रूप से शामिल है जिनमें से कुछ तो बहुत ही उत्तम कोटि की हैं और समग्र रूप से इन सभी संस्थाओं का निरीक्षण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् करती है।

'विज्ञान प्रसार योजना' के अंतर्गत विद्यालयों में हैम रेडियो

1186. श्री जय प्रकाशः क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मंत्रालय की 'विज्ञान प्रसार योजना' के अंतर्गत विद्यालयों में ''हैम रेडियो'' को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हैम रेडियो को किस प्रकार लोकप्रिय बनाया जाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) जी हां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन विज्ञान प्रसार स्कूलों में ''हैम रेडियो'' को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास कर रहा है।

(ख) विज्ञान प्रसार स्कूलों में 'हैम रेडियो' को लोकप्रिय बनाने के लिए व्याख्यानों/प्रदर्शनों का आयोजन करता है और इच्छुक स्कूलों को हैम रेडियो क्लब स्टेशन स्थापित करने के लिए बढ़ावा देता है। विज्ञान प्रसार ने इस कार्य के लिए जानकारीप्रद पुस्तिकाएं भी निकाली हैं।

(ग) स्कूलों में तथा आम जनता के लिए व्याख्यानों/प्रदर्शनों के आयोजन, लोगों को हैम बनने में सहायता देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, स्कूलों/कालेजों में हैम रेडियो क्लब स्टेशनों की स्थापना तथा उचित मूल्य पर 'हैम रेडियो' उपकरण की उपलब्धता से देश में ' हैम रेडियो' को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबेटर की स्थापना

1187. श्री श्रीप्रकाश जायसवालः क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न सरकारी/निजी शैक्षणिक संस्थाओं में टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबेटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना है;

(ख) यदि हां, तो टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबटर की स्थापना के लिए सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ग) इस योजना को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत दिए गए प्रोत्साहन की प्रकृति क्या है;

(ङ) इन संस्थाओं को सहायता की मात्रा तय करते समय किन कारकों पर विचार किया गया;

(च) गत एक वर्ष के दौरान टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबेटर की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं ने आवेदन दिए उनके नाम क्या हैं;

(छ) गत एक वर्ष के दौरान जिन संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गयी है और उनके नाम क्या हैं; और

(ज) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी गई है और प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) से (ज) जी नहीं। हालांकि प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों के विकास एवं वृद्धि के उत्प्रेरण के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, जो कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्रोत हैं, में प्रौद्योगिकी बिजनेस इन्क्यूबेटरों की स्थापना के लिए 2000-2001 के दौरान एक योजना शुरू की है। विभाग टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबेटरों की स्थापना हेतु संस्थानों को चुने हुए उपकरण एवं मशीनरी, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट एवं फोटोकापियर आदि जैसी सामान्य सुविधाओं की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभाग श्रम शक्ति लागत एवं आवर्ती प्रकृति के अन्य

खर्चों हेतु सीमित अवधि के लिए आवर्ती लेखे पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इस योजना पर देश के विभिन्न क्षेत्रों/भागों में संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से जोर दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत इन्क्यूबेटरों को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिया जाता तथापि, उनको उचित शुल्क आधार पर इन्क्यूबेशन अवधि के दौरान विभिन्न सेवाएं, सुविधाएं एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। चुने हुए कुछ संस्थानों को सहायता की राशि मुख्य रूप से परियोजना प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर दी जाती है। सामान्यत: प्रत्येक टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबेटर की लागत 3-4 करोड़ रुपये की श्रेणी की होती है जिसमें मेजबान संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि एवं भवन की लागत शामिल है।

पिछले एक वर्ष के दौरान टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले शैक्षिक संस्थानों के नाम निम्नलिखित हैं-

क्र.सं.	संस्थान का नाम
1.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद, गुजरात
2.	कोंगु इंजीनियरी कालेज, पेरून्दुरई, इरोड, तमिलनाडु
3.	वैल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लोर, तमिलनाडु
4.	इंटरनेशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फार द सेमी-ऐरिड ट्रापिक्स, पेटानचेरू, आंध्र प्रदेश
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट, केरल
6.	इंजीनियरी कालेज, गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, विशाखापट्नम, आंध्र प्रदेश
7.	सैन्टर फार रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफारमेन्स, भोपाल, मध्य प्रदेश
8.	सैन्टर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलाजी आफ इंडिया, मोहाली, चण्डीगढ़
9.	देहरादून प्रौद्योगिकी संस्थान, पी.ओ. भगवन्तपुर, देहरादून, उत्तरांचल

पिछले एक वर्ष के दौरान टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु निम्नलिखित संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई, हालांकि प्रस्ताव 2000-2001 के दौरान प्राप्त हुए थे:

क्र.सं.	संस्थान का नाम
1.	जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई, तमिलनाडु
2.	आर वी -टाइफैक कम्पोजिट डिजाइन सैन्टर, आर वी इंजीनियरी कालेज, बंगलौर, कर्नाटक
3.	महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कन्सल्टेन्सी आर्गेनाइजेशन, पुणे, महाराष्ट्र

पिछले एक वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए:-

क्र.सं.	संस्थान का नाम
1.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद, गुजरात
2.	कोंगु इंजीनियरी कालेज, पेरून्दुरई, इरोड, तमिलनाडु
3.	वैल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लोर, तमिलनाडु
4.	इंटरनेशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फार द सेमी-ऐरिड ट्रापिक्स, पेटानचेरू, आंध्र प्रदेश
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट, केरल

निम्नलिखित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई क्योंकि इस योजना पर राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार समिति ने प्रत्येक मामले के आगे दिए गए कारणों से इस स्तर पर प्रस्तावों को सहायता देने योग्य नहीं पाया।

क्र.सं.	संस्थान का नाम	राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार समिति की सिफारिशें
1	2	3
1.	इंजीनियरी कालेज, गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, विशाखापटनम	संस्थान में अनुसंधान गतिविधियों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता जो कि टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबेटर स्थापित करने के लिए एक आवश्यक अर्हता है। संस्थान में उद्यमवृत्ति की परम्परा भी नहीं है जो संस्थान में टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबेटर प्रस्ताव की व्यवहार्यता को और कम करता है।
2.	सैन्टर फार रिसर्च एण्ड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफारमेन्स (सीआरआईएसपी), भोपाल	सी आर आई एस पी जो कि एक प्रशिक्षण संस्थान है टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबेटर की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इनके पास टेक्नोलाजी बिजनेस इन्क्यूबेटर की स्थापना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुसंधान एवं विकास क्षमताएं नहीं हैं।

1	2	3
3.	सैन्टर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलाजी आफ इंडिया (सी ई डी टी आई), मोहाली, चण्डीगढ़	सी ई डी टी आई भी एक प्रशिक्षण संगठन है और इसके पास भी आवश्यक अनुसंधान एवं विकास क्षमताएं नहीं हैं।
4.	देहरादून प्रौद्योगिकी संस्थान, पी.ओ. भगवन्तपुर, देहरादून	संस्थान नया है और इसके पास अनुसंधान एवं विकास तथा उद्यमवृत्ति क्षेत्र में क्षमताएं नहीं हैं।

[हिन्दी]

विधि में पंचवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम

1188. डा. अशोक पटेल:
श्री जय प्रकाश:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम को रोजगारोन्मुख और सम्मानजनक बनाने के लिए इसे चिकित्सा तथा अभियांत्रिकी के समान एक पंचवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के रूप में शुरू करने की सरकार की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) में आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

1189. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों में आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने में क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या उक्त मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक सी.आई.एल. और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय कोयला पारिश्रमिक समझौता के उल्लंघन की शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो सहायक कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्रीय कोयला पारिश्रमिक समझौता के अनुसार इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्री (कुमार उमा भारती): (क) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के अनुसार उन श्रमिकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिया जाता है, जो स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं और जिनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है। जहां तक महिला आश्रितों का संबंध है, वे राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के प्रावधानों के अनुसार रोजगार अथवा मौद्रिक मुआवजा प्राप्त करने की हकदार होती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) 1.11.2002 की स्थिति के अनुसार उन मामलों से संबंधित शिकायतें जो विभिन्न सहायक कंपनियों में विचारार्थ लम्बित पड़ी हैं। मामले, जो विविधि कारणों से विभिन्न चरणों पर लम्बित पड़े हैं, उनकी अनुषंगी-वार संख्या इस प्रकार हैं:-

ई.सी.एल.	–	1527
बी.सी.सी.एल.	–	145
सी.सी.एल.	–	152
डब्ल्यू.सी.एल.	–	403
एस.ई.सी.एल.	–	49
एन.सी.एल.	–	14
एम.सी.एल.	–	159
एन.ई.सी.	–	32
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	–	17

इन मामलों के निपटान में विलम्ब के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:-

1. अपूर्ण आवेदन प्राप्त होना।
2. नाम, आयु, संबंध आदि में अंतर होना।
3. एक से अधिक आश्रितों द्वारा दावा करना।
4. आश्रितों का निर्धारित तारीख को समिति के समक्ष पेश न होना।
5. मामलों का विभिन्न न्यायालयों में निर्णयाधीन होना।
6. विलम्बित दावे।
7. महिला आश्रितों के दावों के संबंध में उनसे मौद्रिक मुआवजा स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।
8. ई.सी.एल. में वित्तीय बाधाओं के कारण निदेशक मंडल ने 1998 में रोजगार पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस कंपनी को बी.आई.एफ.आर. को संदर्भगत किया गया है। तथापि, सहायक कंपनियां इन मामलों को निपटाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर रही हैं।

[हिन्दी]

निजी संस्थाओं की सहायता से माध्यमिक विद्यालय को खोलना

1190. श्री राम सिंह कस्वां:
श्रीमती जसकौर मीणा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में निजी संसाथाओं की सहायता से बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालयों को खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां उक्त विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) 'शिक्षा' समवर्ती सूची में है और विद्यालयों की स्थापना करना/उनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस संबंध में कोई निदेश नहीं देती। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है प्राइवेट संस्थाओं के सहयोग से देश में माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

हमदर्द विश्वविद्यालय को पूर्ण विश्वविद्यालय में बदलना

1191. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हमदर्द विश्वविद्यालय ने एक पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जामिया हमदर्द को 10 मई, 1989 को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया था। जामिया हमदर्द को पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव उससे प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली में अग्नि काण्ड

1192. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का, नए अग्नि शमन केन्द्रों की स्थापना करके, नए अग्नि शमन वाहनों और उपकरणों को प्राप्त करके, आपदा स्थिति से निपटने के लिए हजमत वाहनों को संचालन में लाकर तथा कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देकर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली अग्नि शमन सेवा को सदृढ़ करने का विचार है।

गुजरात में हिंसा

1193. श्री. सी.के. जाफर शरीफ: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल की गुजरात हिंसा के दौरान आज तक कितने लोग विस्थापित हुए और उनमें कितने लोगों को पुनर्वासित किया गया;

(ख) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार को अब तक किस तरह की और कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) राज्य में कितने राहत कैम्पों को अब तक बंद किया गया है/कितने अभी मौजूद हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा शेष विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ङ) अब तक ऐसे विस्थापित लोगों की कितनी संख्या है जिन्हें आवास नहीं मिल सका है और उन्हें कब तक आवास उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) विस्थापित हुए उन व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 1.32 थी जिन्होंने राज्य सरकार की सहायता से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पुनर्वास शिविरों में शरण ली थी। आवास सहायता के लिए कुल 37441 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से जांच के बाद 28261 मामलों में 28.56 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं तथा 9180 मामले अयोग्य पाये गए।

(ख) संसद में 30.4.2002 को प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के लिए घोषित आर्थिक पुनर्वास पैकेज के अनुसार केन्द्रीय सहायता की कुल राशि 150 करोड़ है तथा विभिन्न योजनाओं जैसे कि आवास सहायता, अर्जन योग्य परिसंपत्ति का सृजन, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना तथा स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत व्यापार तथा उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता, घरेलू सामान की किट्स तथा मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए अब तक राज्य सरकार को 77.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ग) आयोजकों ने कुरेश जमायत हाल, मिर्जापुर, अहमदाबाद शहर स्थित एक राहत शिविर जिसमें 406 संवासी हैं, को छोड़कर सभी राहत शिविर बंद कर दिए हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार के राहत एवं पुनर्वास पैकेज में सभी प्रभावित व्यक्तियों को शामिल किया गया है तथा सभी पात्र व्यक्तियों को आवास के लिए सहायता प्रदान की गई है।

एन. ई. सी. के मुख्यालय का स्थानान्तरण

1194. श्री सुनील खां: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के मजदूर संघों ने इसके मुख्यालय को कोयला खानों के समीप मार्गरिटा में स्थानान्तरित करने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रबंधन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गुवाहाटी स्थित मुख्यालय के संचालन में सी.आई.एल. का कितना खर्च आता है; और

(घ) सड़क और रेलमार्ग से एन.ई.सी. के खुदाई क्षेत्र और एन.ई.सी. मुख्यालय की दूरी कितनी है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा तथा अग्र छोर (फ्रंट एंड) की सेवा सुविधाएं प्रदान करने के लिए एन.ई.सी. का मुख्यालय गोहाटी में ही रखा जा रहा है जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार है और यह वहां 15 वर्षों से भी अधिक समय से स्थित है।

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान गोहाटी में एन.ई.सी मुख्यालय को चलाने पर व्यय 200.77 लाख रु. रहा है।

(घ) एन.ई.सी. खनन बैल्ट तथा एन.ई.सी. मुख्यालय के मध्य दूरी सड़क द्वारा 538 कि.मी. तथा रेल द्वारा 565 कि.मी. है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक शिक्षा

1195. श्रीमती जसकौर मीणा:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही

है। जिसका उद्देश्य स्वत:/वेतन नियोज्यता को बढ़ाने तथा कुशल जनशक्ति की मांग और पूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिए विविध शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत विशिष्ट नवाचारी परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग) अभी तक इस योजना के अंतर्गत 7000 स्कूलों में 20,000 सैक्शनों से भी अधिक विस्तृत आधारभूत संरचनाएं सृजित की गई हैं। इसमें अनुमानत: 10 लाख छात्रों को दाखिल करने की क्षमता है जिस पर 700 करोड़ रुपये का व्यय होगा। यह डिग्री स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत 35 विश्वविद्यालयों के 1635 कालेजों में आयोजित की जाएगी। देश में 500 से भी अधिक चुनिन्दा सामुदायिक पोलीटेक्निक नियोजन ट्रेडों/कौशलों में युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय और जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से भी व्यावसायी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तटीय राज्यों के बाहरी महाद्वीपीय सीमांत क्षेत्र को पुनर्परिभाषित करना

1196. श्री ज्योतिरादित्य मा. सधिंया: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1994 में बनायी गयी नवीन विधिक संकल्पना के अनुसार, जिसमें तटीय राज्यों के बाहरी महाद्वीप सीमान्त क्षेत्रों को पुनर्परिभाषित करने लिए जिससे 23 अन्य समुद्र तटीय देशों सहित भारत के लिए ईईजैड के वर्तमान 200 समुद्री मीलों की सीमा को बढ़ाने का प्रावधान है, सरकार का विचार महाद्वीपीय सीमान्त क्षेत्र बढ़ाने का दावा करने का है जिससे भारत को 1 से 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर की अतिरिक्त समुद्री भूमि मिलेगी और वर्तमान विशेष आर्थिक जोन (ईईजेड) बढ़कर 350 समुद्री मील हो जाएगा।

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) अतिरिक्त समुद्री क्षेत्र प्राप्त करने की संभावनाएं कितनी हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी हां। सरकार का संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि कंवेशन के अनुसार आधार रेखाओं से 200 समुद्री मील के आगे फैले हुए महाद्वीपीय शेल्फ पर दावा करने का प्रस्ताव है। समुद्री भू-भौतिकीय सर्वेक्षण वर्तमान में तदनुसार किए जा रहे हैं। लाभ का अनुमान, किए जा रहे सर्वेक्षणों और अन्य उपलब्ध आंकड़ा सेटों के विश्लेषण के जरिए प्राप्त जानकारी के निष्कर्षों पर निर्भर होगा।

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

1197. श्री कमल नाथ:
श्री महबूब जाहेदी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एनसीईआरटी ने नौवीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम से गांधी जी की हत्या जैसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं को हटाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एनसीईआरटी के सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की समीक्षा करने का है जो विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कौन से राज्य उक्त पाठ्यपुस्तकों को लागू करने को तैयार नहीं हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) असावधानीवश यह तथ्य छूट गया था। गांधीजी की हत्या के संबंध में जानकारी का अब तक उक्त पुस्तक में सही स्थान पर उल्लेख कर दिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभी तक किसी भी राज्य की ओर से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण को यह नहीं लिखा है कि वह इस पुस्तक विशेष को लागू नहीं करेगा।

हुडको द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए स्वीकृत ऋण

1198. श्री के. करुणाकरन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान केरल की ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए हुडको द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया;

(ख) राज्य में सड़क उपरि-पुलों के विकास हेतु खर्च किए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने हडको से वित्तीय सहायता हेतु कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): हुडको से प्राप्त जानकारी के अनुसार:

(क) शून्य

(ख) हुडको ने 150.80 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और 59.15 करोड़ रुपये के ऋण के लिए रोड्स एण्ड ब्रिजस डवलपमेण्ट कारपोरेशन आफ केरल लि. को "केरल में 19 स्थानों पर लेवल क्रासिंग को बदलने के लिए रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण" की एक योजना मंजूर की है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 23 करोड़ रुपये की राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एशिया के ऊपर छाए धुंध पर हिन्द महासागर परीक्षण

1199. श्री सुरेश कुरूप: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया के उपर छाए धुंध पर 1996 में 'द इंडियन ओसन एक्सपेरिमेट' (आई एन ओई) नामक परियोजना के अंतर्गत कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धुंध का एशिया क्षेत्र में मानव स्वास्थ्य, फसल पैदावार और वर्षा चक्र पर कोई दुष्प्रभाव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हां। 'द इन्डियन ओसन एक्सपेरिमेंट' (आईएनओई) जनवरी से मार्च 1999 में गहन क्षेत्रीय चरण के साथ 1996 से 1999 के दौरान किए गए। इससे भारत यूरोप अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। प्रारम्भिक परिणामों से पता चलता है कि समुद्र सतह से 13 किमी. ऊंचाई तक फैली हुई धुंध मौजूद है। इस धुंध में जल की छोटी बूंदे एवं कण शामिल है। ये कण प्राकृतिक समुद्री, लवण, धूल) एवं मानव निर्मित (सल्फाइड या सूट) हैं। इस प्रयोग का एक प्रमुख निष्कर्ष यह है कि इस धुंध में सूक्ष्म कण (लगभग 75%) मुख्यत: जलते हुए जीवाश्म ईधनों, वाहनों से निकलने वाले श्राव इत्यादि जैसे मानवीय क्रियाकलापों से होने वाले पदार्थो के हैं। यह धुंध एक स्थायी परिघटना है एवं केवल शीतकाल अर्थात जनवरी से मार्च में होती है। यह धुंध एशिया तक ही सीमित नहीं है।

(ग) और (घ) आईएनओई के दौरान किया प्रेक्षण प्रारंभिक है एवं एकत्रित आंकड़े अल्पावधि के लिए है। इन सीमित आंकड़ों से बरसात, फसल पैदावार मानव स्वास्थ्य पर धुंध के प्रतिकूल प्रभाव का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले

1200. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 2001-2002 से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले को वापस विद्यालय में लाने का विशेष अभियान छेड़ा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार अपने अभियान में किस सीमा तक सफल रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को कोई सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार आने वाले वर्षों के दौरान अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के अभियान को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को दी जाने वाली सम्भावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (च) शिक्षा गांरटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा, जो सर्वशिक्षा अभियान की अंग हैं, निम्नलिखित 3 विस्तृत कार्यनीतियों के अनुसार कार्य करती हैं;

(1) स्कूल सहित बस्तियों में शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों की स्थापना

(2) 'स्कूल बाह्य बच्चों' को मुख्यधारा में लाने के लिए कार्यक्रम यथा सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल वापसी शिविर आदि

(3) बहुत ही खास तरह के दुष्कर वर्ग के बच्चे, जिन्हें मुख्यालय में नहीं लाया जा सकता, के लिए कार्यनीति।

विश्वविद्यालय में जल संचयन पाठ्यक्रम

1201. **श्रीमती माग्रेट आल्वा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय में जलसंचयन पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए चुने गए विश्वविद्यालयों विशेषत: दक्षिण के विश्वविद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में जल प्रबन्धन/जल संचयन के पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक रूप से शुरू करने का निर्णय लिया है। आयोग विशेषज्ञ समितियों के सहयोग से इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए आदर्श पाठ्यक्रम, शिक्षा निर्देश और तौर तरीकों इत्यादि को उचित समय पर अन्तिम रूप देगा। दिशानिर्देशों और आदर्श पाठ्यचर्या को अन्तिम रूप देने के पश्चात्, आयोग सभी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। इसके पश्चात्, विशेषज्ञ समिति चुनिन्दा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तावों की जांच करेगी।

किसानों के लिए पास बुक के संबंध में कानून

1202. **श्रीमती कान्ति सिंह:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों के लिए पासबुक जारी करने हेतु एक मसौदा माडल विधेयक को सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर राज्य की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस विषय पर विधेयक को कब तक संसद में पुर: स्थापित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी, हां। इस मंत्रालय ने एक दस्तावेज अर्थात् ''माडल पट्टादार पासबुक विधेयक'' का प्रारूप तैयार किया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने हेतु उनके विचारार्थ इस 10 जुलाई, 2002 को परिचालित किया है।

(ख) पट्टादार पासबुक की मुख्य विशेषताओं में किसानों को उनके भू-स्वामित्व, भूमि-जोत, काश्तकारी, भूमि के विक्रय/क्रय एवं अन्तरण के बारे में ब्यौरा तथा अधिकारों संबंधी अभिलेखों में नामांतरण के बारे में ब्यौरा; सरकार के बकाये की वसूली के बारे में ब्यौरा उन्हें प्रदान की गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुहैया कराये गए ऋणों तथा वित्तीय सहायता का ब्यौरा उपलब्ध कराना शामिल है। माडल विधेयक राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद तैयार किया गया था और माडल विधेयक की मुख्य-मुख्य बातों का अपने-अपने राज्यों के कानून में शामिल करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्ट संख्या 18 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसके प्रबंधन का विषय पूर्णतया राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केन्द्रीय सरकार का इस विषय पर संसद में विधेयक प्रस्तुत करने का कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

आई.एस.आई. पर श्वेत पत्र

1203. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आई. एस. आई. की गतिविधियों पर श्वेत पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस श्वेत पत्र को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) भारत में आई एस आई गतिविधियों पर एक श्वेत पत्र तैयार करना सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

डी.आर.डी.ए. में पदेन सदस्यों के रूप में सांसद

1204. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री भीम दाहाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संसद सदस्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) के पदेन सदस्य होंगे और जिला परिषद के अध्यक्ष इसके चेयरमैन होंगे और उनके संबंधित राज्यों/क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को अंतिम रूप देने में उनसे सलाह मशविरा लिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या ज्यादातर मामलों में ये बैठकें तब बुलाई जाती हैं जब लोक सभा का सत्र चल रहा होता है और इस कारण से संसद सदस्य उन बैठकों में भाग नहीं ले पाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) ''जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन'' योजना के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संसद सदस्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकाय के सदस्य होते हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निदेश दिए गए हैं कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में संसद सदस्यों के प्रस्तावों/सुझावों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकायों की नियमित रूप से बैठक आयोजित करें और ये बैठकें ऐसे समय आयोजित की जाएं जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संसद सदस्यों को पर्याप्त समय पहले सूचना देकर इन बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाए।

गैर-निर्धारित औषधियों पर ज्यादा प्रभार लगाया जाना

1205. डा. बलिराम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गैर-निर्धारित औषधियों पर ज्यादा प्रभार लगाए जाने के मामले में कंपनियों को सूचनाएं भेजी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एन पी पी ए इन सूचनाओं को भेजने में पक्षपात कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एन पी पी ए द्वारा सूचनाएं भेजे जाने और मूल्यों में वृद्धि किए जाने के लिए अपनाए गए मानदंड का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पुलिस बर्बरता

1206. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर, 2002 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित लोगों से अपराध स्वीकार करवाने में पुलिस द्वारा की जाने वाली ज्यादतियों से संबंधित समाचार की ओर आकृष्ट काराया गया है;

(ख) इस कथित मामले में दोषी पाए गए पुलिस अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार पुलिस द्वारा गलत आरोपों में पकड़े गए लोगों की कोई मदद कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त लोगों की किस सीमा तक मदद की जा रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जिसके तहत ऐसे किसी भी पुलिस अधिकारी को पांच साल की कैद की सजा दी जा सके जो किसी नागरिक से अपराध स्वीकार करवाने में बर्बर कार्रवाई का सहारा लेते हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) दिल्ली पुलिस ने दोषी पुलिस कार्मिक की जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए मामले की सतर्कता जांच बिठाई है ताकि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उन व्यक्तियों की शिकायतों को उपयुक्त रूप से दूर किया जा सकेगा जिनसे जबरन अपराध स्वीकार कराया गया था।

(च) से (ज) ऐसे मामले से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधान पर्याप्त है।

पी.एम.जी.वाई. के अंतर्गत हैंडपम्प

1207. **श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पी.एम.जी.वाई. की पेयजल की योजना के अंतर्गत हैंडपम्प स्वीकृत करने के मानदंड क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने हैंडपम्प स्वीकृत किए गए;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) क्या उत्तरांचल के कतिपय जिलों में इस योजना के अंतर्गत कार्य शुरू नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) पेयजल आपूर्ति विभाग वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण पेयजल घटक के लिए नोडल विभाग था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.वाई.) के ग्रामीण पेयजल घटक के कार्यान्वयन के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं/योजनाओं को बनाने, कार्यान्वित करने तथा मंजूरी देने की शक्तियां राज्यों को दी गयी थीं। वार्षिक योजना 2002-2003 मे, योजना आयोग ने पहले की बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की पद्धति के अनुसार कार्यक्रम को समन्वित करने का निर्णय लिया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी योजना संबंधी वरीयताओं और विवेकाधिकार के अनुसार छः पी.एम.जी वाई. क्षेत्रों के बीच अतिरिक्त सहायता के अपने पारस्परिक आबंटन पर विचार करने की छूट होगी। इस समय प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के ग्रामीण पेयजल घटक के कार्यान्वयन में इस विभाग की कोई भूमिका नहीं है।

तथापि वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के लिए पी.एम.जी.वाई. के ग्रामीण पेयजल घटक के संबंध में राज्य-वार आंकड़े संलग्न हैं (विवरण-I और II)

(घ) और (ङ) अभी तक उत्तरांचल सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, दिसंबर 2001 तक पी.एम.जी.वाई. के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत राज्य में 32 कवर न की गई/आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों के कवरेज के लिए 434.62 लाख रु. खर्च किए गए थे।

विवरण-I

2000-2001 के लिए पी एम जी वाई-आर डी डब्ल्यू के अंतर्गत आबंटन

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पी एम जी वाई-आर डी डब्ल्यू के लिए कुल आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2840.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	2550.00
3.	असम	3301.00
4.	बिहार	3291.00
5.	छत्तीसगढ़	471.00
6.	गोवा	31.20
7.	गुजरात	2590.85
8.	हरियाणा	471.20
9.	हिमाचल प्रदेश	3077.00
10.	जम्मू-कश्मीर	2573.70
11.	झारखंड	1016.85
12.	कर्नाटक	1127.00
13.	केरल	1400.00
14.	मध्य प्रदेश	1803.55
15.	महाराष्ट्र	2414.00

1	2	3
16.	मणिपुर	728.40
17.	मेघालय	1000.00
18.	मिजोरम	1006.00
19.	नागालैंड	1322.00
20.	उड़ीसा	2478.25
21.	पंजाब	1616.00
22.	राजस्थान	2158.00
23.	सिक्किम	600.00
24.	तमिलनाडु	1571.85
25.	त्रिपुरा	1328.00
26.	उत्तर प्रदेश	6727.00
27.	उत्तरांचल	188.40
28.	पश्चिमी बंगाल	5873.00
29.	अंदमान और निकोबार	154.00
30.	दादरा और नागर हवेली	37.80
31.	दमन व दीव	54.50
32.	दिल्ली	200.00
33.	लक्षद्वीप	64.03
34.	पांडिचेरी	71.55
35.	चंडीगढ़	119.20
	कुल	56259.03

आर डी डब्ल्यू-ग्रामीण पेयजल

विवरण-II

2001-2002 के लिए पी एम जी वाई-आर डी डब्ल्यू के अंतर्गत आबंटन

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2001 को अथशेष*	पीएमजीएसवाई-आरडीडब्ल्यू के लिए कुल आबंटन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	2841.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	1169.25	1315.00
3.	असम	1178.78	3051.00
4.	बिहार	654.44	2457.90
5.	छत्तीसगढ़	471.00	881.20
6.	गोवा	0.00	29.85
7.	गुजरात	0.00	3265.20
8.	हरियाणा	0.00	471.20
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	3650.00
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	7167.00
11.	झारखंड	1016.85	759.20
12.	कर्नाटक	711.05	1127.00
13.	केरल	0.00	3426.00
14.	मध्य प्रदेश	950.28	1460.62
15.	महाराष्ट्र	0.00	3105.07
16.	मणिपुर	0.00	1473.15
17.	मेघालय	0.00	954.60
18.	मिजोरम	68.68	1500.00
19.	नागालैंड	0.00	1923.60
20.	उड़ीसा	613.44	2003.80
21.	पंजाब	1161.28	1000.50
22.	राजस्थान	838.13	1620.00
23.	सिक्किम	0.00	978.00
24.	तमिलनाडु	0.00	1500.00
25.	त्रिपुरा	706.50	920.79
26.	उत्तर प्रदेश	2616.82	7534.00
27.	उत्तरांचल	188.40	781.40
28.	पश्चिमी बंगाल	4615.35	5403.00
29.	अंदमान और निकोबार	0.00	215.00
30.	दादरा और नागर हवेली	0.00	51.60

1	2	3	4
31.	दमन व दीव	20.00	53.00
32.	दिल्ली	80.00	385.00
33.	लक्षद्वीप	12.03	69.30
34.	पांडिचेरी	0.00	72.09
35.	चंडीगढ़	0.00	100.00
	कुल	17071.83	63546.27

आर डी डब्ल्यू-ग्रामीण पेयजल *अनंतिम

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय समिति

1208. श्री राजैया मल्याला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने आवश्यक परिवर्तन कर अपने कर्मचारियों को 3.4.1997 से उपदान की अदायगी के लिए 9 अगस्त, 2001 को एक संकल्प पारित किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस तिथि से उत्पादन की अदायगी का औचित्य क्या है और एनवीएस की स्थापना काल से इसके क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी हां। नवोदय विद्यालय समिति ने उपदान अधिनियम, 1972 के प्रावधान को अपने कर्मचारियों के लिए दिनांक 3.4.1997 से लागू किया है क्योंकि यह अधिनियम सभी शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, पर दिनांक 19.4.1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित केन्द्र सरकार के दिनांक 3.4.1997 के आदेशानुसार लागू किया गया है। अत: इसे नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों को 3.4.1997 से प्रदान किया गया है।

असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट

1209. श्री एम. के. सुब्बा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह विलंब गैस की आपूर्ति और इस प्रयोजनार्थ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के मामले में रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के दुलमुल रवैये से हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें निहित मामले को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) असम औद्योगिक विकास निगम (ए आई डी सी) तथा मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) के संयुक्त उद्यम मेसर्स रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आर ए पी एल) द्वारा असम गैस क्रैकर परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मुख्यत: फीडस्टाक संबंधित मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण यह परियोजना कार्यन्वयन स्तर तक नहीं पहुंच पायी है। आर ए पी एल तथा आयल इंडिया के बीच 19 अक्टूबर, 2000 को गैस आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर हुए है। गैस आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए एल पी जी की आपूर्ति हेतु करार को इंडियन आयल कारपोरेशन और आर ए पी एल द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है। परियोजना प्राधिकारियों को आशा है कि फीडस्टाक आपूर्ति करारों और भूमि अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी होने पर परियोजना 44 माह में चालू हो जाएगी।

सीएसआईआर में कम्प्यूटर की खरीद

1210. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1995 में कम्प्यूटरों के अपेक्षित विवरण दिए बगैर ही इनकी खरीद का आर्डर दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन कम्प्यूटरों की आपूर्ति की गई थी जिनके लिए आर्डर दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो ये कम्प्यूटर किन से और किस मूल्य पर खरीदे गए थे और मेक/माडल क्या था और उनका विवरण क्या था;

(ङ) क्या जुलाई 1995 में आपूर्ति किए गए/स्थापित किए गए कम्प्यूटरों से अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सका था;

(च) यदि हां, तो उक्त कम्प्यूटरों की खरीद और राज्य को हुए आर्थिक नुकसान के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी नहीं। सी एस आई आर मुख्यालय ने मैसर्स एचसीएल-एचपी तथा मैसर्स पीसीएल से कम्प्यूटर प्रापण के लिए मार्च, 1995 के दौरान विनिर्देशनों सहित दो क्रय आदेश दिए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) आपूर्तिकर्त्ताओं के नाम/इकाई मूल्य/मेक तथा माडल इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	आपूर्तिकर्त्ता का नाम	इकाई मूल्य	मेक/माडल
1.	मैसर्स एचसीएल-एचपी	75625/-	पीसीएटी-80486 डीएक्स 2 सिस्टम
2.	मैसर्स पीसलएन	80850/-	पीसीएटी-80486 डीएक्स 2 सिस्टम

विनिर्देशन		(उक्त दोनों माडलों के लिए)
प्रोसैसर		इंटेल 80486 डीएक्स @ 66 एमएचजैड
कैश	:	128 केबी राइट बैक
बस प्रकार		आईएसए तथा वीईएस लोकल बस
स्लॉट	:	कम से कम 2×आईएलए और 2×वीईएसए
मैमरी	:	16 एमबी रैम
स्टोरेज		इंटीग्रेटिड लोकल बस वीईएसए आईडीई इंटरफेस पर 300 एमबी हार्डडिक्स ड्राइव
फ्लापी	:	इंटीग्रेटिड पर 1.44 एमबी (3.5") तथा 1.2 एमबी (5.25")
ड्राइव	:	फ्लापी ड्राइव इंटरफेस
पोर्टस्	:	मदरबोर्ड पर इंटीग्रेटिड 2 सीरियल पोर्ट तथा 1 पैरेलल पोर्ट
वीडियो	:	1 एमबी रैम या वीएल वीजीए कार्ड के साथ 14 एसवीजीए रंगीन मानीटर, सिस्टम बोर्ड पर लोकल बस (वीईएसए) वीडियो
की-बोर्ड	:	101 की
विशेषताएं	:	सुरक्षा: पावर आन के लिए पासवर्ड/सुरक्षा, फ्लापी से बूटिंग, बूट वायरस बचवा, एचडीडी तथा एफडीडी के लिए राइट प्रोटैक्ट। चाबी सहित ताला। पावर बचत करने वाली विशेषताएं
ओ.एस.	:	मैनुअल सहित एमएस डास 6.22 या उससे ऊपर
माऊस	:	माइक्रोसाफ्ट माऊस
वैकल्पिक	:	1 अतिरिक्त समानांतर पोर्ट

(ङ) जी नहीं। आपूर्ति किए गए/अधिष्ठापित कम्प्यूटरों से वांछित परिणाम प्राप्त हुए।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

हुडको से ऋण सुविधा

1211. श्री टी. गोविन्दन: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं हेतु ऋण सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों से विशेषकर केरल से प्राप्त हुए नए प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। आवास तथा नगर विकास निगम लि. (हडको) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान, 31.10.2002 तक विभिन्न आवास और शहरी अवस्थापना स्कीमों के लिए 1623.44 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है। हडको द्वारा मंजूर ऋणों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

केरल के संबंध में 1369 करोड़ रुपए की विभिन्न आवास और शहरी अवस्थापना स्कीमें हडकों में प्रक्रियाधीन हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

वर्ष 2002-2003 के दौरान हडको द्वारा मंजूर ऋण

(31.10.2002 की स्थिति अनुसार)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	मंजूर आवास	स्वीकृत यू.आई.	निवास मंजूरी*	कुल मंजूरी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	108.00	19.23	127.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	2.70	6.47	9.17
4.	बिहार	0.00	0.00	0.63	0.63
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.90	1.47
6.	दिल्ली	0.00	0.00	5.89	5.89
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	316.00	0.59	316.59
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	17.37	0.00	17.37
10.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.54	0.54
12.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.16	0.16
13.	केरल	0.00	0.00	9.18	9.18
14.	कर्नाटक	142.81	54.49	5.42	202.72
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	0.00	430.42	0.55	430.97
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	1.15	0.00	2.59	3.74
19.	मिजोरम	1.30	0.00	0.00	1.30
20.	नागालैंड	15.66	0.00	0.00	15.66
21.	उड़ीसा	3.00	0.00	3.68	6.68
22.	पंजाब	0.00	0.00	1.13	1.13
23.	राजस्थान	0.00	5.85	0.36	6.21
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	83.06	191.94	123.34	398.34

1	2	3	4	5	6
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.16	0.16
28.	उत्तर प्रदेश	2.90	51.00	0.21	54.11
29.	पश्चिमी बंगाल	4.00	9.55	0.64	14.19
	केन्द्र शासित क्षेत्र				
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	254.45	1187.32	181.67	1623.44

हड़को निवास का खुदरा आवास स्कीम है जो आवास/फ्लेट का निर्माण/खरीद के लिए लोगों को ऋण प्रदान कर रहा है।

विवरण-II

हडको में प्रक्रियाधीन केरल की स्कीमें

(लाख रु. में)

आवास	28171.80
शहरी अवस्थापना	108686.13
कुल	136857.93

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाएं

1212. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में देश में विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आवंटित धन और उपयोग में लाई गई धनराशि का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई अधिसंख्य परियोजनाएं आज तक पूरी नहीं की जा सकी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुबंध के आधार पर किसी एजेंसी या प्राधिकरण को शामिल किए जाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, क्षेत्र सुधार परियोजना, समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना की राज्यवार कुल संख्या विवरण-II में दी गई है।

(ग) इन योजना के अंतर्गत परियोजना को तीन से पांच वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है। इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की पूर्णावधि अभी समाप्त नहीं हुई है और ये परियोजनायें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(घ) इन परियोजनाओं को ठेका आधार पर कार्यान्वित नहीं किया जाएगा।

विवरण-I

आबंटित और रिलीज की गई निधियां

क्रम सं.	योजना का नाम	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003	
		आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज
1.	एस.जी.एस.वाई.	1215.00	946.76	1000.00	544.94	500.00	536.27	710.00	258.93
2.	सी.आर.एस.पी.	110.00	92.00	140.00	130.86	150.00	130.10	165.00	48.11
3.	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	82.00	83.07	480.00	387.00	430.00	376.35	450.00	242.47
4.	डी.पी.ए.पी.	95.00	95.00	190.00	190.00	210.00	209.52	250.00	178.13
5.	डी.पी.पी.	85.00	85.00	135.00	135.00	160.00	150.03	185.00	122.35

विवरण-II

योजना का नाम	निम्नलिखित वर्षो के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की सं.			
	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
एस.जी.एस.वाई.	17	12	34	11
आई.डब्ल्यू.डी.पी.	73	106	125	13
सी.आर.एस.पी.	39	47	36	63
डी.पी.ए.पी.	2278	3371	2052	2478
डी.डी.पी.	1500	1659	1359	1602

प्रवेश की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा हेतु समिति का गठन

1213. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा हेतु एक समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समिति के निदेश पद क्या हैं और इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। देश में व्यावसायिक अर्हताएं प्रदान करने वाले पूर्व स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए मौजूदा व्यवस्था को सुप्रवाही बनाने के उद्देश्य से पूर्व-स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए और छात्रों एवं उनके अभिभावकों के लाभार्थ प्रवेश तथा परामर्श प्रणाली की सिफारिश करने के लिए अरुण निगावकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति, जिसने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, नें छात्रों तथा उनके अभिभावको के हित में प्रवेश तथा परामर्श की एक पद्धति की सिफारिश की है।

नागपुर के केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान केन्द्र को बंद किया जाना

1214. श्री सुबोध मोहिते: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागपुर के केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान केन्द्र को बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सीएसआईआर के अन्य अव्यवहार्य केन्द्रों को बंद करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (सीएफटीआरआई), मैसूर के नागपुर केन्द्र को बंद कर दिया गया है। यह निर्णय सीएसआईआर के सभी दूरस्थ स्थित केन्द्रों की समीक्षा करने के लिए गठित समीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया है।

(ग) से (ङ) इस समीक्षा समिति ने बदलते आर्थिक, औद्योगिक और अनुसंधान एवं विकास परिदृष्य में दूरस्थ केन्द्रों की कार्यनिष्पादकता, सुसंगतता तथा उपयोगिता की जांच पड़ताल की। इससे कुल 94 केन्द्रों में से 47 केन्द्रों को बंद करने की सिफारिश करते हुए प्रत्येक केन्द्र के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

चंडीगढ़ में लालडोरा के बाहर आवास निर्माण को नियमित किया जाना

1215. श्री पवन कुमार बंसल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान यह घोषणा की थी कि लालडोरा के बाहर निर्मित किसी भी मकान को तोड़ा नहीं जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अभी भी इन रिहायशी मकानों के साथ-साथ ऐसे सभी निमाणों को तोड़ने की धमकी दे रहा है; और

(ग) चंडीगढ़ में गांवों के लालडोरा के बाहर के निर्माण को नियमित किए जाने और वहां के निवासियों को बिजली तथा पानी का कनेक्शन दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

तटीय क्षेत्रों का विकास

1216. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात, महाराष्ट्र, और केरल में कुल कितने किलोमीटर तटीय क्षेत्र है;

(ख) गुजरात में तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ग) क्या सरकार को गुजरात के तटीय क्षेत्रों में समुद्री लहर से ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को गुजरात के भावनगर जिले में तटीय क्षेत्र के बालू से सिलिका उत्पादन की संभावनाओं की भी जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो इस प्राकृतिक संसाधन के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में तटों की कुल लंबाई (लाइन किलोमीटर में) में इस प्रकार है:-

गुजरत	-	1215
महाराष्ट्र	-	653
केरल	-	570

(ख) गुजरात सरकार ने आने वाले 25-30 वर्षों की मांग को ध्यान में रखकर पत्तन विकास, औद्योगिक विकास, बिजली उत्पादन और रेल नेटवर्क को सम्मिलित करते हुए एक समन्वित कार्यनीति पर बल देते हुए एक नई पत्तन नीति बनाई है। पत्तन नीति के अनुसार गुजरात समुद्रवर्ती बोर्ड ने गहरे पानी वाले पत्तनों के विकास के लिए 11 स्थानों का पता लगाया है। इन स्थानों में पीपावाव, मुंदरा, दहेज, मरौली, धोलरा, हजीरा, पोशित्र, सिमार, वंशीवर्षी, मीठीविरदी और वेदी सम्मिलित है।

(ग) और (घ) गुजरात तटीय क्षेत्रों के समुद्र में सागरीय तरंगों की समाव्य तरंग ऊर्जा 2-20 कि.वा/मी. लंबाई के क्रम से कम है जो मौसम पर निर्भर है और वाणिज्य आधार पर बिजली उत्पादित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ङ) गुजरात के भावनगर जिले में फाउण्ड्री और मौल्डिग श्रेणी की सिलिका बालू की लगभग 400 टन का भंडार होने की खबर है। वर्तमान में इस जिले में सिलिका का उत्पादन नहीं किया जाता है।

(च) तटीय क्षेत्रों में बालू में उपलब्ध संसाधनों के दोहन का कार्य राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

पाठ्येतर गतिविधियां

1217. श्री मोहन रावले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के जिन कैम्पसों को मान्यता दे रखी है, वहां पाठ्येतर गतिविधियों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यूजीसी का विचार सामुदायिक गतिविधियों और खेल में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसी गतिविधियों का वित्तपोषण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में खेल अवसंरचना तथा कार्यकलापों के विकास के लिए अनुदान प्रदान कर रहा है। युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग के राष्ट्रीय खेल संगठन द्वारा शुरू की गई विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अवसंरचना सृजन योजना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यान्वयन एजेंसी है।

जहां तक समुदाय कार्यकलापों में छात्रों की भागीदारी का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा योजना है। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातकों तथा स्नाकोत्तरों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को निधियां प्रदान करता है ताकि वे बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश में आवश्यक कौशल से सुसज्जित हो सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आशय है कि ऐसे विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को सहायता प्रदान करना है जो विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु विशेष ध्यान दे रहे हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में मूत्रालय और शौचालय मुहैया कराया जाना

1218. श्री रामजी मांझी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 14% प्राथमिक विद्यालयों में ही छात्रों के लिए मूत्रालय बनाए गए हैं जबकि 6.39% विद्यालयों में ही शौचालयों की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो सभी विद्यालयों में ये सुविधाएं मुहैया कराए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्राथमिक विद्यालयों में मूत्रालय और शौचालय बनाए जाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां तो सरकार द्वारा इन विद्यालयों में कब तक ये सुविधाएं मुहैया कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) वर्ष 1993 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए गए अखिल छठे भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार देश के ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में मूत्रालय और शौचालय सुविधाएं क्रमश: 4.02% और 6.4% तक उपलब्ध थी। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना मूलत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। फिर भी, भारत सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत प्राथमिक स्कूलों के भौतिक आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए सहायता प्रदान कर रही है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के पास निर्माण कार्यों के लिए आवंटन है, जिसके लिए परियोजना लागत की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 24% से 33% तक कर दी गयी है। आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना में स्कूल भवनों का निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान था तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के तहत उन्हें निधियां प्रदान की जाती थीं। हाल में आरंभ की गई सर्वशिक्षा (एस.एस.ए.) योजना में परियोजना लागत 33% तक निर्माण कार्यों के लिए व्यय करने का प्रावधान भी सम्मिलित है। प्राथमिक स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था संकेंद्रण के माध्यम से अन्य योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा भी प्रदान की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए ऋण

1219. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु भारत को किसी प्रकार का कोई ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी नियम विनियम क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दिए गए उक्त ऋण के उपयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए 1317.74 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 5137 करोड़ रुपये) के उदार ऋण के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण ऋण को विश्व बैंक के साथ जोड़ दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 16 राज्यों, अर्थात: असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, तथा राजस्थान के 213 जिलों को शामिल किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण ऋण के निबंधन व शर्तों में 0.5%

की दर से प्रतिबद्धता प्रभार (इस समय वसूल नहीं किया जा रहा है), 0.75% की दर से सेवा प्रभार तथा 10 वर्ष की रियायत अवधि सहित 35 वर्ष तक की पुन: भुगतान अवधि समाहित है। लक्ष्य हासिल करने संबंधी सुविधाएं प्रदान करने शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा शास्त्रीय नवीकरण तथा लड़कियों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य लाभावंचित वर्गों हेतु शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की कार्यनीतियों के माध्यम से परियोजना जिलों में प्राथमिक शिक्षा के समग्र विकास के लिए निधियों का उपयोग किया जाता है।

परियोजना लागत का 85% भाग भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है जो विदेशी सहायता से प्राप्त होता है और संबंधित परियोजना राज्यों को अनुदान के रूप में जारी किया जाता है। शेष 15% हिस्से का अंशदान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों (1999-2000 से 2001-02 तक) के दौरान संबंधित परियोजना राज्यों द्वारा किए गए व्यय और विश्व बैंक द्वारा की गई प्रतिपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	1999-2000		2000-2001		2001-02		कुल	
		व्यय	प्रतिपूर्ति	व्यय	प्रतिपूर्ति	व्यय	प्रतिपूर्ति	व्यय	प्रतिपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	10618.53	9223.59	3820.20	2637.48	4787.39	3568.87	19226.12	15429.94
2.	असम	4754.24	4019.33	5173.72	4019.46	4167.10	2754.53	14095.06	10793.32
3.	बिहार	4559.62	3821.31	4156.09	3351.58	5531.05	4443.19	14246.76	11616.08
4.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	1663.50	1216.51	1663.50	1216.51
5.	हरियाणा	2396.27	2004.92	4410.93	3489.23	5299.75	3903.33	12106.95	9397.48
6.	हिमाचल प्रदेश	1972.21	1666.99	2187.41	1716.88	1623.76	1093.88	5783.38	4477.75
7.	कर्नाटक	8009.99	6675.85	8161.72	6174.36	7769.08	4796.89	23940.79	17647.10
8.	केरल	3032.94	2716.55	3234.44	2739.20	2012.84	1596.16	8280.22	7051.91
9.	मध्य प्रदेश	6962.77	5994.68	7690.14	6325.26	6616.74	4523.51	21269.65	16843.45
10.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	1398.91	825.88	1398.91	825.88
11.	महाराष्ट्र	4527.03	3721.60	5412.89	4057.63	6110.92	4038.70	16050.84	11817.93
12.	उड़ीसा	1907.35	1684.00	3056.07	2551.91	5286.22	4713.96	10249.64	8949.87
13.	राजस्थान	260.10	216.62	3564.45	3098.22	8431.21	6890.68	12255.76	10205.52
14.	तमिलनाडु	3584.49	2991.05	3857.89	2877.30	5534.38	4098.76	12976.76	9967.11
15.	उत्तर प्रदेश	8238.67	7161.69	23148.90	19533.47	39807.91	31878.09	71195.48	58573.25
16.	उत्तरांचल	—	—	—	—	1649.72	1417.30	1649.72	1417.30
	कुल	60824.21	51898.18	77874.85	52571.98	107690.48	81760.24	246389.54	196230.40

व्यावसायिक भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोग

1220. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली में व्यावसायिक भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण आवंटियों द्वारा भूमि का उपयोग संबंधी कानून का सख्ती से अनुसरण करे;

(घ) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि डीडीए सरकारी नियमों के साथ विभिन्न अदालतों का दिशा-निर्देशों का किस सीमा तक उल्लंघन करता रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) संघ सरकार समय-समय पर स्थानीय निकायों/दिल्ली विकास प्राधिकरण पर इसके लिए जोर देती रही कि भूमि के दुरुपयोग के लिए अधिनियमों/नियमों के अनुसार कार्रवाई करें।

आधुनिक औषधियों में वृद्धि करने के लिए योजना

1221. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आधुनिक औषधियों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु फार्मास्युटिकल उपयोग के लिए एक 10 वर्षीय अभिकल्पित योजना को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या औषधि निर्माण के स्तर में सुधार के लिये कोई कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या औषधि निर्माताओं को कोई वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की 9 जुलाई, 2001 को हुई परामर्श समिति की बैठक में "औषध और भेषज-विजन 2010" नामक दस्तावेज पर चर्चा हुई थी।

(ग) से (ङ) औषधों के लिए विनिर्माणमूलक मानकों में सुधार करने के लिए औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली 1945 में अच्छी विनिर्माण परिपाटियों और भेषजों के लिए परिसरों, संयत्रों और उपकरणों से संबंधित आवश्यकताओं के संबंध में उक्त नियमावली की अनुसूची एम को संशोधित करते हुए सा.का.नि. 894 (अ) दिनांक 11.12.2001 के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संशोधित किया गया था। अनुसूची में शामिल किए गए प्रावधानों से विनिर्माताओं का परिचय कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र तथा राज्य स्तर पर औषध नियंत्रण संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कदम भी उठाए गए हैं।

गुवाहाटी विश्वविद्यालय

1222. **श्री भीम दाहाल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय में 'जलचर पालन सह जैव विविधता केन्द्र' की स्थापना किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें और आकलित कीमत कितनी है;

(ग) क्या इस प्रकार के केन्द्र अन्य विश्वविद्यालयों में पहले से ही विद्यमान हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया और इसके लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये अपने प्राणी विज्ञान विभाग हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:-

(i) एक्वाकल्चर तथा एक्वाटित रिसोर्सेस

(ii) बायो डाईवर्सिटी; तथा

(iii) बायो इन्फार्मेटिक्स

उपरोक्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शोध कार्य के लिये विश्वविद्यालय ने पांच वर्ष की अवधि के लिये 59,37,500/- रु. की वित्तीय सहायता की मांग की है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे ही क्षेत्रों में निम्नलिखित 5 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी है:-

(i) आंध्र विश्वविद्यालय (डी एस ए)-मेरीन बायोलाजी तथा एक्वाकल्चर

(ii) दिल्ली विश्वविद्यालय (सी ए एस)- एक्वाटिक बायोलाजी एवं फिश बायोलाजी

(iii) जिवाजी विश्वविद्यालय (डी आर एस)- एक्वाटिक बायोलाजी

(iv) केरल विश्वविद्यालय (डी एस ए)- एक्वाकल्चर, फिशरीज इत्यादि

(vi) पंजाब विश्वविद्यालय (डी एस ए)- एक्वाटिक बायोलाजी इत्यादि

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा इसकी सिफारिशों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1.4.2002 से पांच वर्ष की अवधि के लिये गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग को निम्नलिखित वित्तीय सहायता देने का अनुमोदन किया है:-

(रु. लाख में)

अनावर्ती राशि	राशि
(i) मत्स्य पालन के लिये टैंकों के नवीनीकरण/निर्माण के लिये	5.00
(ii) उपस्कर	16.95
आवर्ती	
(i) प्रोजेक्ट फैलो (2) उनका वास्तविक वेतन 3600/-रु. प्रतिमाह की दर से	
(ii) पांच वर्षों के लिये किराया प्रभार, सलाहकार समिति की बैठकें तथा यात्रा/फील्ड कार्य की लागत	13.75

35.70 लाख रुपये के अनुमोदित में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय को 18.70 लाख रु. (उपस्कर के लिये 16.95 लाख रु. तथा 1.75 लाख रुपये प्रथम वर्ष के लिये) की राशि प्रदान कर चुका है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को दी गई सहायता

1223. श्री रामदास रुपला गावीत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देती है जो कि महिलाओं में अपराध एवं अत्याचार के प्रति जागरुकता पैदा करने में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितने गैर-सरकारी संगठनों को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) 'ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं हेतु जागरूकता विकास कार्यक्रम' नामक स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को 8 दिन का जागरूकता विकास शिविर तथा 2 दिन का अनुवर्तन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 10,000/- रुपए का अनुदान प्रदान किया है।

(ग) विगत 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है;

क्र.सं.	वर्ष	सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	निर्मुक्त अनुदान
1.	1999-2000	256	4,70,000/- रुपए
2.	2000-2001	157	11,95,000/- रुपए
3.	2001-2002	115	17,01,968/- रुपए

वयस्क शिक्षा

1224. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वयस्क शिक्षा के लिए नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी धनराशि निर्धारित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीना वर्मा): नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में प्रौढ़ शिक्षा के लिए निर्धारित निधियां निम्न प्रकार से हैं:

नौवीं योजना (वास्तविक आवंटन)	:	650.97 करोड़ रुपये
दसवीं योजना (परिव्यय)	:	1250.00 करोड़ रुपये

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में बालू निकाला जाना

1225. श्री जार्ज ईडन: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास भारतीय सीमा में पड़ने वाले गहरे समुद्री क्षेत्र से बालू निकालने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण कार्य में इस बालू की उपयोगिता के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्रिकेट टीम को सुरक्षा

1226. श्री अम्बरीश: क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे क्रिकेट मैच बुरी तरह हिंसा से प्रभावित हुए है;

(ख) यदि हां, तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्रबंधन ने अपनी टीम के लिए अधिक सुरक्षा की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

बाढ़ प्रभावित राज्य

1227. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री रामदास आठवले:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्री एम. के. सुब्बा:

क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय टीम भेजी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय टीम ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार ने स्थायी आधार पर बाढ़ से निपटने के लिए कोई कार्य योजन तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) केन्द्रीय बाढ़ से प्रभावित जिन राज्यों का दौरा किया है उनके और पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.एफ.सी.आर./एन.सी.सी.एफ से दी गयी सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जल संसाधन मंत्रालय, बाढ़ नियंत्रण कार्य में राज्य के साथ मिलकर काम कर रहा है और बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु राज्यों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करता रहा है।

विवरण

केन्द्रीय दलों ने जिन प्रभावित राज्यों का दौरा किया उनके और 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय निधि/प्राकृतिक आपदा आकस्मिक निधि से दी गई सहायता के ब्यौरे देते हुए विवरण

(रु. करोड़ों में)

क्रम सं.	राज्य	आपदा	एन.एफ.सी.आर./एन.सी.सी.एफ. से दी गई राशि
1	2	3	4
1999-2000			
1.	बिहार	बाढ़/चक्रवात	38.18
2.	कर्नाटक	सूखा/बाढ़	17.09

1	2	3	4
3.	मध्य प्रदेश	बाढ़	38.86
4.	उड़ीसा	बाढ़/चक्रवात	828.15
5.	पश्चिमी बंगाल	बाढ़	29.52
2000-2001			
1.	आन्ध्र प्रदेश	बाढ़	10.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	फ्लैश फ्लड	2.00
3.	बिहार	वर्षा/बाढ़	29.67
4.	हिमाचल प्रदेश	फ्लैश फ्लड	8.29
5.	कर्नाटक	भारी वर्षा/बाढ़	शून्य
6.	मेघालय	चक्रवात हवाएं	1.00
7.	पश्चिमी बंगाल	वर्षा/बाढ़	103.25
2001-2002			
1.	आन्ध्र प्रदेश	वर्षा/बाढ़	20.44
2.	बिहार	बाढ़	शून्य
3.	छत्तीसगढ़	बाढ़	23.94
4.	हिमाचल प्रदेश	फ्लैश/बाढ़	25.00
		वर्षा/बाढ़	17.50
5.	केरल	बाढ़	शून्य
6	उड़ीसा	बाढ़	100.00

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एन.सी.डी.एम.) का पैनल

1228. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के पैनल से अपनी कार्य सूची के मसौदे को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली एन.सी.डी.एम. अपनी स्थापना के आरंभ से अब तक एक भी बार नहीं कर पायी है;

(ग) क्या एन.सी.डी.एम. की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में आपदा प्रबंधन हेतु एक अनन्य मंत्रालय की स्थापना जैसे मुद्दों पर विचार करना शामिल था;

(घ) यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो तैयार की गयी कार्यसूची का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि वे यह आशा और निवास करते हैं कि (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के) कार्यदल द्वारा तैयार की गई कार्यसूची के मसौदे को आठ सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि कार्यसूची को अंतिम रूप देने के पश्चात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एन सी डी एम) को यथा संभव शीघ्र अपने विचार प्रदान करने चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति निम्नलिखित के लिए गठित की गई है:-

(i) गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण हेतु अल्पावधि, मध्यम, दीर्घकालिक कदम सुझाना।

(ii) भविष्य में राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी और दीर्घकालिक रणनीति के लिए जरूरी आवश्यक संस्थागत तथा वैधानिक उपायों पर विचार विमर्श करना।

(iii) राष्ट्रीय आपदा को निर्धारित करने वाले पेरामीटरों की जांच-पड़ताल करना।

18 फरवरी, 2001 को, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में, अन्य बातों से साथ-साथ, यह निर्णय लिया गया था कि जहां तक भविष्य में प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति का संबंध है, एक कार्यालय इन मुद्दों की जांच करेगा। अनेक बैठकों का आयोजन करने के पश्चात, कार्य दल ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हेतु, कार्यसूची का एक मसौदा तैयार किया है और इसे उनके सुझावों तथा टिप्पणियों हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों में परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी

1229. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्टूबर 2002 के हिन्दी दैनिक जनसत्ता में भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को समाचार-पत्र रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों की जानकारी है और यह भोपाल गैस पीड़ितों को सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इसने भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा वितरित करने और अधिनिर्णय के लिए भापाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 के तहत कल्याण आयुक्त का कार्यालय सृजित किया है। कुल मिलाकर दावेदारों द्वारा 10,29,431 मामले दायर किए गए थे, जिनमें से 31 अक्टूबर, 2002 के अन्त तक 10,29,265 मामले निपटा दिए गए हैं। मुआवजे के रूप में 1521.56 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। सी.बी.आई. ने यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन और अन्यों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल की अध्यक्षता में एक अपराधिक मुकदमा दायर किया है। अब तक मुकदमें से संबंधित 89 गवाहों की जांच की जा चुकी है। सी.बी आई. से प्राप्त सूचना के अनुसार वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण के संबंध में संशोधित अनुरोध को अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है। भोपाल गैस पीड़ितों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार ने 258 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक पांच वर्षीय कार्य योजना अनुमोदित की थी। यह परिव्यय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाना था। केन्द्रीय सरकार ने 193.50 करोड़ रुपए का अपना संपूर्ण अंश जारी कर दिया है। राज्य सरकर की कार्य-योजना को कार्यान्वित कर रही है।

[अनुवाद]

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

1230. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत चावल के आंबटन की फिर से मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न का राज्य द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए है;

(ङ) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है;

(च) क्या चालू वर्ष के दौरान अब तक आंध्र प्रदेश को कुल चावल का 80 प्रतिशत हिस्सा जारी कर दिया गया है जबकि सूखे के कारण आंध्र प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र की स्थिति इस वर्ष बहुत बुरी है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा इस योजना को बगैर भेदभाव चलाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) काम के बदले अनाज कार्यक्रम को जनवरी,

2001 से 31 मार्च, 2002 तक चलाया गया था। इसे सूखा आपदा वाले राज्यों की अनाज की मांग पूरा करने के लिए 1 अप्रैल, 2002 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत विशेष घटक बना दिया गया था। इस विशेष घटक के अंतर्गत जून, 2002 तक, पूर्ववर्ती काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश को 15 लाख टन चावल आबंटित किया गया था। वर्तमान की 15 लाख टन की मांग की तुलना में, माह अक्टूबर, 2002 में 3 लाख अनाज रिलीज किया गया था।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित किए गए अनाज के दुरुपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें मंत्रालय में प्राप्त होने के साथ-साथ कुछ प्रेस रिपोर्ट समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थीं। इन शिकायतों को यथोचित एवं सुधारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया था।

(ङ) से (ज) जी नहीं, आपदा प्रभावित राज्यों को विशेष घटक के अंतर्गत अनाज रिलीज किया जाना मांग पर आधारित है। प्रत्येक रिलीज को इस कार्य के लिए गठित किए गए कार्यबल के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बाद की रिलीज पूर्व में की गयी रिलीज के उपयोग पर आधारित होती है।

[हिन्दी]

विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से लिया जाने वाला विकास शुल्क

1231. श्री रामदास आठवले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय विद्यालय अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों पे मासिक/त्रैमासिक विकास शुल्क ले रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए विकास शुल्क माफ करने हेतु कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) केन्द्रीय विद्यालय सभी छात्रों से विद्यालय विकास निधि मासिक आधार (त्रैमासिक रूप से एकत्र की जाती है) पर ले रहे हैं।

(ख) से (घ) विद्यालय विकास निधि से चलाए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रम तथा स्कूल सुविधाएं समान रूप से प्रदान की जा रही है और इनका लाभ सभी वर्गों के छात्रों को मिल रहा है। इस समय अनुसूचित जाति के छात्रों से विद्यालय विकास निधि न लेने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि स्कूलों में उन्नत शैक्षिक स्तर तथा सुविधाएं सभी वर्गों के छात्रों को प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

वर्ष 2002 में मानसून का विफल होना

1232. डा. बी.बी. रमैया: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मौसम विभाग देश में इस वर्ष के ग्रीष्म मानसून की विफलता के कारणों का अध्ययन करने के लिए नवम्बर, 2002 में मौसम विशेषज्ञों का एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों के कतिपय विशेषज्ञ भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे;

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मौसम विभाग का विचार विशेषकर मानसून के व्यवहार के मामले में अरब सागर और भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के बीच संबंधों को जानने के लिए प्रयोग करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोग में कौन-कौन सी संस्थाएं, संगठन और विश्वविद्यालय भाग ले रहे हैं; और

(च) इस प्रयोग द्वारा भारत को कौन-कौन से लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (च) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) देश में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मानसून न आने के कारणों की चर्चा करने के लिए 28-29 नवम्बर, 2002 को बंगलौर में एक मस्तिष्क उत्प्रेरक सत्र का आयोजन कर रहा है। विदेशों से विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे है।

अरब सागर मानसून परीक्षण (आर्मेक्स) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा समन्वित किए जा रहे भारतीय जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम (आई सी आर पी) के अंतर्गत एक राष्ट्रीय प्रेक्षणात्मक कार्यक्रम है। अरब सागर मानसून परीक्षण के उद्देश्य हैं (i) भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होने से जुड़े अरब सागर संवहन का अध्ययन करना, तथा (ii) मानसून आने से पहले के

चरणों तथा अरब सागर वार्म पुल के विकास, अनुरक्षण तथा निपात का अध्ययन करना। अरब सागर मानसून परीक्षण-चरण-1 (प्रेक्षणात्मक कार्यक्रम) 15 जून से 16 अगस्त, 2002 के दौरान किया गया तथा चरण-2 (वार्म पूल परीक्षण) मध्य मार्च से मई, 2003 में किया जाना है।

इस परीक्षण में निम्नलिखित 24 संस्थान, संगठन एवं विश्वविद्यालय भाग ले रहे हैं:-

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), नई दिल्ली,
2. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी), नई दिल्ली
3. राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीएमआरडब्ल्युएफ), नई दिल्ली
4. भारतीय विज्ञान संस्थान (आई आई एस सी), बंगलौर
5. भारतीय ऊष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे
6. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन आई ओ), गोआ
7. नौ सेना भौतिक एवं समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला (एनपीओएल), कोची
8. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
9. भारतीय वायु सेना (आई ए एफ), नई दिल्ली
10. भारतीय सेना (आई एन), नई दिल्ली
11. राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ओ टी), चैन्नई
12. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आईएनसीओआईएस), हैदराबाद
13. अंतरिक्ष भौतिक प्रयोगशाला (एस पी एल). तिरुवनन्तपुरम
14. अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एस सी ए), अहमदाबाद
15. राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन पी एल), हैदराबाद
16. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोशाला (एन पी एल), नई दिल्ली
17. भारतीय तटरक्षक, आई एन, नई दिल्ली
18. आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्नम
19. कोचीन विश्वविद्यालय, कोची
20. डी जी शिपिंग, मुम्बई
21. जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट
22. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी)
23. राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महानगरीय अनुसंधान केन्द्र, गोआ
24. परमाणु ऊर्जा विभाग

दूसरे चरण के पूरे होने के उपरांत अरब सागर मानसून परीक्षण के परिणाम, मानसून परिसंचरण के अरब सागर घटकों के व्यवहार तथा विशेष रूप से पश्चिमी तट पर तीव्र अवेक्षण घटनाओं पर प्रकाश डालेगें।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय अपराध

1233. श्री रामशकल:
श्री वाई.वी. राव:

क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रभावी ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय अपराध रोकने के लिए आप्रवास नियमों को कड़ाई से लागू करने हेतु कार्य योजना तैयार की है और इस संबंध में केमरून में हुए इंटरपोल की इकहतरवीं आम बैठक में एक प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव में दी गयी सिफारिशों/सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। सरकार ने केमरुन में आयोजित इन्टरपोल की आम बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। तथापि, भारत सरकार ने अंतरर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच इस बात की वकालत की है कि सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकने के लिए कड़े आप्रवासन कानून लागू करने चाहिए।

[अनुवाद]

उच्च सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश

1234. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 14 और 15 अक्टूबर, 2002 को दिल्ली में जमात-उलैमा-ए-हिन्द के कार्यकर्ता प्रधान मंत्री के निवास के निकट उच्च सुरक्षा क्षेत्र में बेरोकटोक और निर्बाध रूप से प्रवेश कर गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दिल्ली पुलिसकर्मियों की चूक के संबध में कोई जांच की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को राकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। जमायत-उलमा-ए-हिंद के कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस निर्देशों की अवहेलना करते हुए, 15 अक्टूबर, 2002 को कमाल अतातुर्क मार्ग, नई दिल्ली पर धरना दिया तथा बाद में शांतिपूर्वक तितर-बितर हो गए। इस स्थान पर उनका एकत्र होना सुरक्षा भंग करने का आम रास्ता है। तथापि, कार्यकर्ताओं ने इस क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू निषेधादेश का उल्लंघन किया है जिसके लिए कानून के अनुसार उल्लंघन कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

[हिन्दी]

मुरपड़ कोयला खान से होने वाला उत्पादन

1235. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में मुरपड़ कोयला खान से उत्पादन आरंभ करने के मार्ग में वन भूमि एक बाधा बन रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को आरंभ करने के लिए कितने हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है;

(ग) मुरपड़ कोयला खान से कब तक कोयला निकाले जाने का कार्य आरंभ होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) मुरपड़ कोयला खान के लिए वन भूमि के अंतर्गत काार्य करने के लिए खनन अधिकार पर्यावरण और वन मंत्रालय से पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं। 0.50 हैक्टेयर वन भूमि आधारभूत संरचना के लिए अधिग्रहीत की गयी है।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रबंधन योजना का अनुमोदन कर दिया है। इस अनुमोदन के आधार पर महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस खान के प्रचालन के लिए सहमति प्रदान करने के लिए एप्रोच किया जा रहा है। ज्योंही खान प्रचालन के लिए सहमति प्राप्त हो जाएगी, उत्पादन आरंभ हो जाएगा।

जोनल कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मामले

1236. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयला विभाग के जोनल कार्यालयों के ध्यान में भ्रष्टाचार के कितने मामले आये हैं और जोन-वार कितने व्यक्ति सेवा से बर्खास्त किए गए?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): कोयला विभाग का कोई आंचलिक कार्यालय नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी में फुटपाथों को संकरा किया जाना

1237. श्री अखिलेश यादव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी में फुटपाथों को संकरा करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है;

(ख) क्या सरकार का विचार फुटपाथों को संकरा करने और वहां किसी निर्माण कार्य को रोकने और फुटपाथों पर किए गए निर्माणों को हटाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि लोक निर्माण विभाग, दिल्ली द्वारा मार्गाधिकार पर आधारित सड़कों के मास्टर प्लान के मानक मापदंडों के अनुसाार फुटपाथों का निर्माण किया जाता है। तथापि, सड़क के दोनों ओर अपेक्षित फुटपाओं का अनुरक्षण करके बढ़ती हुई यातायात आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवहन मार्गों को चौड़ा किया जाता है।

(ख) फुटपाथ पर केवल बस आश्रय (बस शैल्टर) आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की अनुमति होती है तथा फुटपाथों को संकरा करने संबंधी अवांछित कार्यों की अनुमति नहीं दी जा रही है। तथापि, जहां कहीं भी फुटपाथों पर अधिकृत निर्माण देखने में आए हैं, उन्हें दिल्ली लोक निर्माण विभाग द्वारा हटाया जा रहा है।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

मध्य प्रदेश में शहरों का विकास

1238. श्री रामानन्द सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा राज्य में शहरों के विकास के लिए केन्द्र सरकार को कौन-कौन सी योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले शहरों के नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से किन-किन योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है और किन-किन शहरों के लिए ये योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले में जल-मल व्ययन के लिए भूमिगत जल निकास प्रणाली के निर्माण की कोई योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में, राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) गत चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अंतर्गत 50 कस्बे शामिल करने के लिए स्कीमें भारत सरकार को भेजी हैं। इन 50 कस्बों में से 42 कस्बों को स्कीम में शामिल कर लिया गया है। शामिल किए गए कस्बों के नाम विवरण-I में दिए गए हैं।

गत चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 4349.85 लाख रु. अनुमानित लागत की 43 कस्बों के लिए जल आपूर्ति स्कीम में अनुमोदित की गई हैं, जिसमें सतना जिले के 2 कस्बे, तथा कोटर (अनुमानित लागत 41.17 लाख रुपये) तथा कोठी (अनुमानित लागत 44.20 लाख रु.) शामिल हैं। गत चार वर्षों के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित कस्बों के संबंध में जल आपूर्ति स्कीमों की कस्बा-वार सूचना विवरण-II में दी गई है। जो स्कीमें अभी तक अनुमोदित नहीं की गई हैं, उनके कस्बा-वार सूचना विवरण-III में दिए गए हैं। इन स्कीमों पर चालू वित्त वर्ष में तकनीकी अनुमोदन हेतु किया जा सकता है, बशर्ते कि उनकी प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता, मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को पूर्व में जारी केन्द्रीय धनराशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं, पहले से अनुमोदित की गयी स्कीम का भौतिक और वित्तीय निष्पादन तथा त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत धन उपलब्ध हो।

हडको ने अब तक मध्य प्रदेश में 289 कस्बों के लिए 35 एकीकृत कम लागत सफाई स्कीमें मंजूर की हैं। 291377 यूनिटों के निर्माण/परिवर्तन के लिए इन स्कीमें हेतु मंजूर ऋण तथा सब्सिडी सहायता क्रमश: 3714.08 लाख तथा 3287.99 लाख रुपये है। हडको ने कार्यक्रम के लिए पहले से ही 722.91 लाख रु. का ऋण तथा 884.20 लाख रुपये की सब्सिडी जारी कर दी है। एकीकृत कम लागत सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूरी हेतु कोई भी स्कीम प्रक्रियाधीन नहीं है। गत चार वर्षों में मंजूर/जारी ऋण/सब्सिडी के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष अवधि	अनुमोदित कस्बे	शामिल कस्बे	स्कीमों की सं.	ऋण राशि	सब्सिडी राशि	मंजूर यूनिटें
2002-03 (31.10.02 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2001-02	200	200	16	2693.78	2424.42	178161
2000-01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1999-2000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1998-99	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

मध्य प्रदेश में वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के लिए मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित व जारी धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(लाख रुपये में)

राज्य एजेंसी	यूनिटों की संख्या		परियोजना लागत/भारत सरकार सब्सिडी			वाम्बे खाते में	2001-02 में	2002-03 में	जारी कुल
	आश्रय	शौचालय	आश्रय	शौचालय	कुल	जमा राशि	भारत सरकार सब्सिडी नियतन व जारी राशि	भारत सरकार सब्सिडी नियतन व जारी राशि	भारत सरकार सब्सिडी
मध्य प्रदेश	2200	0	1101.87	0	1101.87	246.00	227.74	847.75	-
एमपीएचबी	-	-	550.00	0	550.00		246.00	0	246.00

स्कीम के कार्यान्वयन हेतु हडको के जरिए राज्य को 2001-02 में भारत सरकार सब्सिडी के रूप में 2.46 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई थी। इसके अलावा, निर्दिष्ट वाम्बे खाते में बराबर की धनराशि के राज्य अंश जमा करने तथा दिशानिर्देशों के तहत सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने की शर्त पर धनराशि जारी की जाएगी।

चालू वित्त वर्ष 2002-03 के लिए 3301 मकानों के निर्माण का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और राज्य से अभी कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इस मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा विवरण-IV के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को मध्य प्रदेश सरकार से सतना जिले में सीवेज निपटान हेतु भूमिगत ड्रेनेज प्रणाली के संबंध में मंत्रालय के तकनीकी अनुमोदन के लिए ऐसी कोई व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-I

आई डी एस एम टी स्कीम के अंतर्गत प्रस्तुत मध्य प्रदेश राज्य के कस्बों की सूची

क्र.सं.	स्कीम/कस्बों के नाम
1	2
1999-2000	
चालू	
1.	मुल्तयी
2.	जावरा
3.	चित्रकुट
4.	नरसिंहपुर
5.	गरोठ
6.	बियोरा
7.	बेरसिया
नए	
8.	खुजराहा
9.	झाबुआ
10.	खुरई
2000-2001	
चालू	
11.	खांडवा
12.	नरसिंहपुर
13.	अशोक नगर
14.	सिहोरा
15.	मैहर
नए	
16.	धनपुरी
17.	नागेड
18.	नवगांव
19.	सोंकुच

1	2
2001-2002	
चालू	
20.	बियोरा
21.	बेरसिया
22.	उमरिया
नए	
23.	बरवानी
24.	जवाड
25.	राजपुर
26.	चोरई
27.	गढ़ाकोटा
28.	सिधी
29.	रायसेन
30.	चुरहट
31.	लहर
32.	हट्टा
2002-2003	
नए	
33.	आकोडिया
34.	जीरापुर
35.	मंगावन
36.	बीरसिंहपुर
37.	खिल्हीपुर
38.	तेंदुखेड़ा
39.	रामपुर नालकिन
40.	मनसा
41.	शाजापुर
42.	रामपुर भागेलन
43.	सुजालपुर
44.	आरोन
45.	राघवगढ़
46.	भिंड
47.	मचलपुर
48.	अमरवाड़ा
49.	खुंजेर
50.	गोविन्दगढ़

*क्रम सं. 1 से 42 तक के कस्बे आईडीएसएमटी स्कीम में शामिल कर लिये गये हैं तथा क्र.सं. 43 से 50 तक के कस्बे प्रक्रियाधीन हैं।

विवरण-II

राज्य: मध्य प्रदेश (15.11.2002 की स्थिति)

(क) त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर परियोजनाएं (लाख रुपये में)

क्र. सं.	कस्बे का नाम	जिले	आबादी (1991)	मंजूरी की तारीख माह/वर्ष (1998-99 से अब तक)	परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6
1.	शाहपुरा**	खांडवा	15211	दिसम्बर, 1998	70.61
2.	सैलाना	रतलाम	11095	दिसम्बर, 1998	43.95
3.	बेटामा	इंदौर	9587	फरवरी, 99	47.52
4.	सुथालिया	राजगढ़	6032	फरवरी, 99	85.83
5.	चंदेरी	गुना	19383	मार्च, 99	214.84

1	2	3	4	5	6
6.	देवेन्दर नगर	पन्ना	11092	मार्च, 99	61.51
7.	खाटेगांव	देवास	15667	अप्रैल, 99	322.51
8.	कुकसी	धार	19838	अप्रैल, 99	184.91
9.	चाकघाट	रेवा	6576	अप्रैल, 99	52.43
10.	गोविन्दगढ़	रेवा	8435	अप्रैल, 99	58.96
11.	कानोड	देवास	13352	मई, 99	151.43
12.	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़	17020	मई, 99	76.20
13.	अंजड	खारगांव	19423	मई, 99	179.30
14.	पथेरिया	डामोह	14311	जून, 99	113.14
15.	विजयराघवगढ़	कटनी	5891	फरवरी, 2000	27.35
16.	बरही	जबलपुर	8192	फरवरी, 2000	59.30
17.	बैकुंठपुर	रेवा	7265	फरवरी, 2000	80.95
18.	सियोडा	दतिया	15373	फरवरी, 2000	46.84
19.	कोटार	सतना	9814	फरवरी, 2000	41.17
20.	मंगावन	रेवा	9307	फरवरी, 2000	108.40
21.	नसरूल्लागंज	सिहोर	14688	फरवरी, 2000	91.06
22.	वरोड	शाजापुर	9130	फरवरी, 2000	96.58
23.	त्रिचरकलम	टीकमगढ़	5202	फरवरी, 2000	35.73
24.	इशागढ़	गुना	12103	फरवरी, 2000	71.62
25.	रेहठी	सिहोर	7492	फरवरी, 2000	64.11
26.	तलेन	राजगढ़	7378	फरवरी, 2000	151.46
27.	बोडा	राजगढ़	6655	फरवरी, 2000	65.14
28.	सोयटकलन	शाजापुर	10610	फरवरी, 2000	83.98
29.	बड़ागंज	टीकमगढ़	7106	जनवरी, 2001	54.75
30.	जेरोन खालसा	टीकमगढ़	6279	जनवरी, 2001	70.75
31.	बैहर	बालाघाट	13442	जनवरी, 2001	200.30
32.	कोटी	सतना	11188	जनवरी, 2001	44.20
33.	खुजनेर	राजगढ़	7672	जनवरी, 2001	222.75

1	2	3	4	5	6
34.	जीरापुर	राजगढ़	12311	जनवरी, 2001	114.15
35.	राहतगढ़	सागर	19955	जनवरी, 2001	185.20
36.	मुंगावली	गुना	18047	जनवरी, 2001	263.55
37.	कुरवई	विदिशा	10535	फरवरी, 2001	124.85
38.	बेरसिया	भोपाल	17890	मई, 2002	50.54
39.	पंढाना	खांडवा	9430	अगस्त, 2002	65.75
40.	बगली	देवास	8537	सितम्बर, 2002	51.00
41.	भौरसा	देवास	9576	सितम्बर, 2002	66.11
42.	खडगपुर	टीकमगढ़	9843	अक्टूबर, 2002	84.90
43.	लोहारडा	देवास	6713	अक्टूबर, 2002	64.53
	कुल		484646		4349.85

**आंशिक रूप से चालू

विवरण-III

राज्य : मध्य प्रदेश स्थिति 15.11.2002

ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत सी.पी.एच.ई.ई.ओ. में जांचाधीन योजनाएं

क्र सं.	कस्बे के नाम	जिला	जनसंख्या	योजना लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	मऊगंज	रीवा	17252	183.21	10/2001 में प्राप्त संशोधित डीपीआर की जांच की गई थी और मध्य प्रदेश सरकार को 11/2001 में टिप्पणियां भेजी गई थी। उत्तर की प्रतीक्षा है।
2.	शापपुर	शापपुर	10107	58.00	जांच की गई। टिप्पणियां 1/2001 में भेजी गई। 10/2001 में प्राप्त उत्तर की जांच की गई और टिप्पणियां मध्य प्रदेश सरकार को 1/2002 में भेजी गई। उत्तर की प्रतीक्षा है।
3.	अजयगढ़	पन्ना	12273	99.00	जांच की गई। टिप्पणियां 1/2001 में भेजी गई। उत्तर की प्रतीक्षा है।
4.	खाण्ड	शहडोल	8225	621.25	संशोधित डीपीआर 3/2002 में प्राप्त हुई। जांचाधीन।
5.	मकसी	शाजापुर	14430	286.44	संशोधित डीपीआर 5/2002 में प्राप्त हुई। जांचाधीन।
6.	बामहनी बंजार	मण्डला	8093	49.35	जांच की गई। टिप्पणियां 11/2001 में भेजी गई। उत्तर की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
7.	गुरह	रीवा	10782	86.00	जांच की गई। टिप्पणियां 11/2001 में भेजी गई। उत्तर की प्रतीक्षा है।
8.	अनहेल	उज्जैन	9890	425.51	6/2002 में संशोधित डीपीआर की जांच की गई। उत्तर की प्रतीक्षा है।
9.	नामली	रतलाम	6897	126.90	जांच की गई। टिप्पणियां 6/2001 में भेजी गई। उत्तर की प्रतीक्षा है।
10.	बड़ावदा	रतलाम	5917	80.60	संशोधित डीपीआर 5/2002 में प्राप्त हुई। जांचाधीन।
11.	काकरहाटी	पन्ना	5909	66.00	जांचाधीन।
12.	नायगढ़ी	रीवा	7252	118.30	जांच की गई। टिप्पणियां 11/2001 में भेजी गई। उत्तर की प्रतीक्षा है।
13.	मछलपुर	राजगढ़	6297	112.00	जांच की गई।
14.	गढ़ी मलहारा	छतरपुर	13598	345.00	जांच की गई।
15.	जवार	सीहोर	5669	73.00	जांच की गई। टिप्पणियां 6/2001 में भेजी गई। उत्तर की प्रतीक्षा है।
16.	मल्हारगढ़	मन्दसौर	7349	77.36	जांचाधीन।
17.	हिन्दोरियां	दमोह	12000	248.00	जांचाधीन।
18.	जयहिंद नगर	शहडोल	6825	60.00	जांचाधीन।
19.	अकोदिया	शाजापुर	8347	99.50	5/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
20.	पिपलोदा	रतलाम	6258	68.30	5/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
21.	सतवासा	देवास	8219	97.37	8/2002 में प्राप्त संशोधित डीपीआर की जांच की गई टिप्पणियां मध्य प्रदेश सरकार को 10/2002 में भेजी गई। उत्तर की प्रतीक्षा है।
22.	सोनकच्छ	देवास	12837	98.76	जांच की गई। 7/2002 में पीएचईडी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। संशोधित डीपीआर की प्रतीक्षा है।
23.	भानपुरा	मन्दसौर	14929	37.60	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
24.	पिपल्यामंडी	मन्दसौर	10483	180.00	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
25.	मानपुर	इन्दौर	5265	187.00	संशोधित डीपीआर 10/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
26.	बड़गांव	शाजापुर	5636	190.97	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
27.	लाहर	भिण्ड	18650	190.97	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
28.	बक्सवाला	छतरपुर	7447	145.00	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।

1	2	3	4	5	6
29.	सताई	छतरपुर	6606	74.00	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
30.	बाड़ा मल्हारा	छतरपुर	11145	229.00	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
31.	बिलौआ	ग्वालियर	10288	77.62	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
32.	पिछौरा	ग्वालियर	9595	74.29	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
33.	अंतारी	ग्वालियर	8840	66.85	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
34.	कनाड	शाजापुर	6442	74.77	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
35.	पावई	पन्ना	9476	144.00	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
36.	रामपुरा	नीमच	15848	138.53	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
37.	राजपुर	बदवानी	14396	520.00	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
38.	मनासा	नीमच	19333	418.76	उत्तर 11/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
39.	सिंगोली	नीमच	6602	56.60	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
40.	अलोटी	रतलाम	17638	493.00	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
41.	टाल	रतलाम	12200	64.20	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
42.	पेतालवाड	झबुआ	10631	30.78	जांच की गई। पी एच ई डी अधिकारियों के साथ 7/2002 में चर्चा की गई। संशोधित डीपीआर की प्रतीक्षा है।
43.	नारायणगढ़	मन्दसौर	9622	327.59	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
44.	राजगढ़	राजगढ़	18689	265.00	जांच की गई। टिप्पणियां 7/2002 में भेजी गई। संशोधित डीपीआर 10/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
45.	जीरान	नीमच	9321	82.00	6/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
46.	खलगढ़	नीमच	5030	78.00	7/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
47.	वेकान	नीमच	6030	152.87	7/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
48.	पोलायकली	शाजापुर	8861	93.00	7/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
49.	महगांव	भिण्ड	11417	137.00	9/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
50.	आलमपुर	भिण्ड	7728	107.00	9/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
51.	करेरा	शिवपुरी	17413	339.50	9/2002 में प्राप्त। जांचाधीन।
	कुल		519987	7791.03	

विवरण-IV

राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम

राज्य/संघ शासित प्रदेश: मध्य प्रदेश

गंदी बस्ती आबादी: 53.39 लाख

	वित्तीय (लाख रुपये में)			वास्तविक संख्या					
घटक	केन्द्रीय सहायता 2002-2003 आबंटन जारी		जारी कुल धनराशि*	व्यय सूचित	व्यय का प्रतिशत	व्यय न की गई अधिशेष राशि	शामिल कस्बे	शामिल गंदी बस्ती पाकेट	लाभभोगी
ऋण		548.80	7642.15						
अनुदान		235.20	3400.35						
कुल	1568.00	784.00	11042.50	8775.43	79	2267.07	334	5328	3689906

*आरंभ से

तिमाही प्रगति रिपोर्ट: जून 2002 को समाप्त तिमाही के लिए राज्य सरकार द्वारा 2-8-2002 के प्रस्तुत अद्यतन तिमाही प्रगति रिपोर्ट

पिछले वर्षों में जारी की गई राशि का ब्यौरा

	1999-97	1999-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
ऋण	1036.00	1219.00	1444.00	1461.60	868.35	1157.80
अनुदान	444.00	519.00	618.00	626.40	372.15	496.20
कुल	1480	1738.00	2058.00	2088.00	1240.50	1654.00

1.11.2002 को यू.सी. की स्थिति

2001-2002 तक जारी धनराशि	प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र (यू.सी.)	बकाया उपभोग प्रमाण पत्र
10258.50	8775.86	1482.64

नाल्को द्वारा एल्युमिनियम का उत्पादन

1239. श्री रामजी लाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाल्को एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी कम्पनी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) विश्व की ऐसी अन्य कंपनियों की तुलना में इस कंपनी की शोधन लागत काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो इस कंपनी की शोधन लागत क्या है; और

(ङ) भट्टियों के विस्तार और विकास पश्चात् इस कंपनी की शोधन लागत क्या रहने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) देश में एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कम्पनी है।

(ख) इस समय, नाल्को की उत्पादन क्षमता 2,30,000 मीट्रिक टन (एम टी) प्रति वर्ष है।

(ग) नाल्को द्वारा उत्पादित केल्साइन्ड एल्युमिना की लागत बहुत कम है। तथापि, विश्व की अन्य कंपनियों के प्रमाणित रिपोर्टिड आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण तुलनात्मक स्थिति की जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2001-2002 के लिए केल्साइन्ड एल्युमिना की उत्पादन लागत 6405/- रुपए प्रति मीट्रिक टन (पी एम टी) थी और 2002-03 (अक्टूबर, 2002 तक) के लिए यह लागत 5654/- रुपए प्रति मीट्रिक टन (पी एम टी) है। विस्तार परियोजना वाणिज्यिक रूप से मार्च, 2002 में चालू की गई थी, अत: 2002-03 के दौरान उत्पादन की लागत विस्तार के प्रभाव को भी दर्शाती है।

मानव संसाधन विकास योजनाओं के लिए सहायता

1240. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश भर में सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राज्यों द्वारा आरंभ में प्रयोग की गई केन्द्रीय निधि का शीर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शामिल की गई उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य में व्यय की कोई वर्ष-वार समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लंबित शैक्षणिक/प्रस्ताव परियोजनाएं

1241. श्री सुबोध राय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में उच्च और माध्यमिक विभाग द्वारा कौन-कौन सी केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चलायी जा रही है;

(ख) बिहार तथा जम्मू और कश्मीर से शिक्षा से संबंधित कितने प्रस्ताव और परियोजनाएं स्वीकृति न मिल पाने के कारण केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ग) इस पर कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है;

(घ) विभिन्न शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को राज्य-वार कितना अनुदान पदान किया गया और इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और इन लक्ष्यों को याजना-वार किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया;

(च) क्या सरकार लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धियों से संतुष्ट है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) क्या सरकार अनुदानों की उपयोग की निगरानी करती है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोयला कंपनियों में नए कर्मचारियों की भर्ती

1242. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज की तिथि तक कोयला कंपनियों में नए कर्मचारियों की भर्ती में सहायक कंपनी-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयले की स्थापित क्षमता और उत्पादन में सहायक कंपनी-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) कोयला क्षेत्र और अन्य खनन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इसकी सहायक कंपनियों में पिछले तीन वर्षों के दौरान बाह्य/नई भर्ती का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कंपनी	1999-00	2000-01	2001-02
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1	0	0
भारत कोलिंग कोल लि.	15	13	0
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	3	55	0
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	122	62	10
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	103	497	0
महानदी कोलफील्ड्स लि.	83	09	0
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	3	15	4
सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.	0	0	0
कोल इंडिया लि. (मु.)	0	0	0
जोड़	330	651	14

(ख) देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयले की सहायक कंपनी-वार स्थापित क्षमता और उत्पादन निम्न प्रकार है:

(मिलियन टनों में कोयला क्षमता)

कंपनी	1.4.2000 की स्थिति के अनुसार	1.4.2001 की स्थिति के अनुसार	1.4.2002 की स्थिति के अनुसार
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	33.45	33.17	32.32
भारत कोकिंग कोल लि.	38.62	42.84	40.74
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	41.24	41.19	40.77
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	44.36	42.64	42.50
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	34.79	35.76	36.28
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	67.13	65.66	68.42
महानदी कोलफील्ड्स लि.	52.87	50.49	51.51
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.57	0.57	0.58
कुल सी.आई.एल.	313.03	312.32	313.14

(मिलियन टनों में कोयला उत्पादन)

कंपनी	1999-00	2000-01	2001-02
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	25.12	28.03	28.55
भारत कोलिंग कोल लि.	27.90	25.97	25.25
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	32.40	31.75	33.81
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	38.43	41.40	42.46
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	33.86	35.20	37.01
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	58.75	60.33	64.12
महानदी कोलफील्ड्स लि.	43.55	44.80	47.81
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.57	0.66	0.64
कुल सी.आई.एल.	260.58	268.14	279.65

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगियों में रोजगार के अवसर अधिक नई परियोजनाएं शुरू करके बढ़ाए जा रहे हैं।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

1243. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 13.8.2002 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार को नगर में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने संबंधी मार्ग-निर्देश को अधिसूचित करने को कहा है और साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने महसूस किया है कि ''निहित स्वार्थों'' के कारण मार्ग-निर्देश से संबंधित अधिसूचना जारी होने में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए दिशानिर्देशों को सी डब्ल्यू पी सं. 4771/1993 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में 20.2.2001 को फाइल किया गया है। माननीय न्यायालय ने इस मंत्रालय को 27.2.2001 को निर्देश दिया है कि वह उन कालोनियों को अधिसूचित करे जिन्हें दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से ऐसी कालोनियों की सूची की

प्रतीक्षा है। न्यायालय ने सरकार को दिल्ली में किसी भी अनधिकृत कालोनी को अगले आदेशों तक नियमित करने से रोका है।

केन्द्र सरकार कांउसेल ने सूचित किया था कि 13.8.2002 को सी डब्ल्यू पी सं. 6734/2000 की सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने निदेश दिया था कि कालोनियों की अधिसूचना के बारे मे 27.02.2001 के आदेश का 10.9.2002 तक अनुपालन किया जाए। भारत सरकार ने माननीय न्यायालय को स्थिति स्पष्ट कर दी है।

[हिन्दी]

एक नये सुपर कम्प्यूटर का विकास

1244. **योगी आदित्यनाथ:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान और परमाणु परीक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटर संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए एक नया सुपर कम्प्यूटर विकसित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कम्प्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की एक स्वायत्तशासी वैज्ञानिक संस्था सैन्टर फार डेवलेपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डैक) एक दशक से परम के ब्रांड नाम के साथ उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग प्रणालियों (सुपर-कम्प्यूटर) के विकास में लगा है। इसने इन प्रणालियों की तीन पीढ़ियां, परम 8000, 9000 एवं 10,000 निकाली हैं और भारत तथा विदेश में संस्थानों की भारी संख्या में इनकी आपूर्ति की है। सी-डेक ने हाल ही में एक नए सुपर-कम्प्यूटर परम पदमा के विकास को पूरा किया हैं, यह पीक कम्प्यूटिंग पावर के एक टेराफ्लाफ तथा 10 टेराबाईट की औसत स्टोरेज वाली एक प्रणाली है। इस प्रणाली का अभिकल्पन कम्प्यूट एवं आंकड़ा गहन वैज्ञानिक एवं इंजीनियरी एवं बिजनेस कम्प्यूटिंग समस्याओं का हल करने तथा इससे जुड़े अनुसंधान, जिसके लिए उच्चतम कम्प्यूटिंग प्लेटफार्मों की आवश्यकता होती है, के लिए किया गया है। वर्तमान में मौसम पूर्वानुमान, आणुविक माडलिंग, जिनोमिक सिक्वेंसिंग, भूकम्पीय आंकड़ा प्रसंस्करण, संरचनात्मक यंत्र विज्ञान के अनुप्रयोग इस प्रणाली पर पोर्ट किए गए हैं। प्रणालियों की तकनीकी जानकारी विवरण के रूप में संलग्न है।

परमाणु ऊर्जा विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी सुपरकम्प्यूटिंग क्षमताओं का विकास कर रहे हैं।

विवरण

परम पदमा: एक टी एफ कलस्टर कन्फिग्रेशन ब्यौरा

1.	**कम्प्यूटर नोड**		
*	कनफिग्रेशन	:	4 वे एस एम पी के 54 + 32 वे एस एम पी के एक
*	प्रोसेसरों की संख्या	:	248 (पावर 4)
*	औसत मैमोरी	:	0.5 टेराबाईट
*	आंतरिक स्टोरेज	:	4.5 टेराबाईट
*	आपरेटिंग सिस्टम	:	ए आई एक्स 5 एल/लाईनेक्स (एस यू एस ई)
*	औसत पीक कम्प्यूटिंग पावर	:	1005 जी एफ (-1 टी एफ)
2.	**फाइल सरवर**		
*	कनफिग्रेशन	:	4 वे एस एम पी की 6
*	प्रोसेसरों की संख्या	:	24 (अल्ट्रा स्पेअर-111)
*	औसत मैमोरी	:	96 गीगा बाईट
*	आंतरिक स्टोरेज	:	0.4 टेराबाईट
*	फाइल सिस्टम	:	क्यू एफ एस
*	आपरेटिंग सिस्टम	:	सोलारिस 9
3.	**नेटवर्क**		
*	प्राइमरी	:	परमनेट -II@ 2.5 जीबीपीएल फुल डुपलैक्स
*	बेकअप	:	गीगाबिट इथरनेट @ 1 जीबीपीएस फुल डुपलैक्स
4.	**बाहरी स्टोरेज**		
*	स्टोरेज आर्मी	:	5 टेराबाइट
*	टेप लाइब्रेरी	:	10 टेराबाइट
5.	**सिस्टम साफ्टवेयर**	:	सी-डेक के सिस्टम साफ्टवेयर के एचपीसीसी सूट निम्नलिखित सहित (i) सी-एम पी आई (ii) डी आई वी आई ए (iii) के बी एच आई पी आर ए

		(iv) एफ 90 आई डी ई (v) मैट्रिक एडवाइजर (vi) पारमोन (vii) पी सी एफ 90 (viii) सी- पी एफ एस (ix) आर एम एस
6. यांत्रिक	:	रैकों की संख्या 15 (8: कम्प्यूटर नोड + 2: फाइल सरवर) 3 : नेटवर्क + 2 : स्टोरेज
7. कुल वजन	:	9 टन
8. कुल पावर	:	160 के वी ए
यूपीएस	:	2* 220 के वी ए
डीजी सेट	:	500 के वी ए
बैटरी बेकअप	:	30 मिनट
9. केबलिंग	:	(i) नेटवर्क : 12 कि.मी. (सी ए टी 6) + 2.5 कि.मी. (फाइबर आप्टिक) (ii) पावर : 5.5 कि.मी.
10. वातानुकूलन	:	110 टन
11. तापमान	:	18 डिग्री सेलसियस
12. कुल मशीन फ्लोर	:	168 स्क्वायर
क्षेत्र		(1800 स्क्वायर फीट)

[अनुवाद]

तमिलनाडु बलात् धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक

1245. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री प्रबोध पण्डा:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु बलात् धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक के प्रावधानों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे अल्पसंख्यकों के भीतर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के हनन की आशंका उत्पन्न हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) तमिलनाडु बलात् धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक, 2002 में, बल प्रयोग अथवा प्रलोभन द्वारा अथवा कपटपूर्ण तरीकों से और उससे जुड़ी बातों द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने को निषेध करने की व्यवस्था है। इस विधेयक के प्रावधानों से व्यक्ति विशेष की धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, जैसी कि भारत के संविधान में व्यवस्था है, का हनन नहीं होता है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई) द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम शामिल किया जाना

1246. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने ग्यारहवीं कक्षा में जैव-प्रौद्योगिकी को हाल ही में एक एच्छिक विषय के रूप में शामिल कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्यालयों में इस विषय को शामिल किये जाने से पूर्व-जैव-प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए गहन अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार जैव-प्रौद्योगिकी विज्ञान का एक उदीयमान क्षेत्र है और इसमें युवा पीढ़ी के लिए विपुल संभावनाएं हैं। इस पाठ्यक्रम को बोर्ड से सम्बद्ध लगभग 125 स्कूलों में वरिष्ठ स्कूल स्तर पर शुरू किया जाता है।

(ग) जी, नही। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में इसे लागू करने के पहले विभिन्न सम्बद्ध व्यक्तियों की राय ली थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एन.सी.ई.आर.टी की पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन

1247. **श्री कांति लाल भूरिया:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों के दौरान एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों की स्वीकार्यता/विश्वसनीय से संबंधित मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक कोई मूल्यांकन न करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अपनी पाठ्यपुस्तकों की विशेषज्ञों और सेवारत शिक्षकों की सहायता से नियमित समीक्षा करती है। समय-समय पर प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों को जहां कहीं उपयुक्त माना जाता है वहां पुन: मुद्रण के दौरान शामिल किया जाता है।

नशे की हालत में गाड़ी चलाना

1248. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में नशे की हालत में गाड़ी चलाने की दुष्प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में एक विशेष अभियान चलाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ङ) गत दो वर्षों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में से कितनी दुर्घटनाएं नशे की हालत में गाड़ी चलाने के कारण हुई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) पिछले दो वर्षों में प्राप्त किए गए 23 अधुनातन आयातित एल्को-मीटरों के व्यापक प्रयोग से, दिल्ली पुलिस उत्तरोत्तर बड़ी संख्या में, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के मामलों का पता लगाने में समर्थ हुई है। वर्ष 2000 के दौरान पता लगाए गए ऐसे मामलों की संख्या 689 थी जो वर्ष 2001 के दौरान बढ़कर 1545 और चालू वर्ष के दौरान (15 नवंबर, 2002 तक) बढ़कर 1638 हो गई।

(घ) दिल्ली पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाती है और वास्तव में ऐसा एक अभियान अभी चल रहा है।

(ङ) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:-

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या	शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण हुई दुर्घटनाएं
2000	10245	27
2001	9344	34
2002 (30.10.02 तक)	7312	27

पी.एम.जी.एस.वाई

1249. **श्री थावरचन्द गेहलोत:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री पी.सी. थामस:
श्री के.ए. सांगतम:
श्री बृजलाल खाबरी:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना को शुरू किये जाने के बाद से योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत/खर्च की गई है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें इस योजना के अन्तर्गत इस परियोजना को पूरा करने अथवा लाभ उठाने में असफल रही है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 500 से अधिक जनसंख्या वाले राज्यवार अब तक कितने गांव इस योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़े गए हैं;

(च) सरकार द्वारा योजना को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार ऐसी परियोजनाओं को दी जाने वाली धनराशि बढ़ाने का है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) (क) से (ज) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के अंतर्गत अब तक 7553.26 करोड़ के परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं और ये 28 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन में विभिन्न चरणों में हैं। यह बताया गया है कि सितम्बर 2002 तक 2459.64 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है/के मूल्य का कार्य हुआ है और 8391 सड़क कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जिसके राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। इन सड़कों द्वारा कवर की गई बसावटों की संख्या एकत्र की जा रही है।

कार्यों के समय पर पूरा किए जाने की दृष्टि से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ कार्य की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अपेक्षित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की निधियों को प्रभावी ढंग से उपयोग में लाने की क्षमता के अध्यधीन ही कोई अतिरिक्त आबंटन किया जाएगा।

विवरण

पी.एम.जी.एस.वाई. - प्रगति, सितम्बर 2002 तक

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत प्रस्ताव का मूल्य	रिलीज की गई राशि	पूरे किए गए सड़क कार्यों की सं.	सितम्बर, 02 तक कार्य का मूल्य/व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	659.97	419.65	1219	299.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	120.95	85.95	204	71.68
3.	असम	229.92	155.00	25	87.34
4.	बिहार	452.87	149.90	0	12.00
5.	छत्तीसगढ़	276.44	191.03	2	113.27
6.	गोवा	15.16	10.00	57	5.00
7.	गुजरात	162.91	119.81	193	91.44
8.	हरियाणा	85.57	55.18	15	21.57
9.	हिमाचल प्रदेश	192.36	132.36	120	74.48
10.	जम्मू-कश्मीर	80.42	20.00	0	11.00
11.	झारखण्ड	336.18	230.05	20	96.00
12.	कर्नाटक	306.29	208.94	291	88.57
13.	केरल	64.63	47.36	0	22.14

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	720.81	465.64	82	172.38
15.	महाराष्ट्र	394.11	264.71	799	125.07
16.	मणिपुर	120.71	80.00	404	31.33
17.	मेघालय	115.67	80.67	109	37.95
18.	मिजोरम	69.65	46.46	10	39.41
19.	नागालैण्ड	65.28	45.28	116	32.58
20.	उड़ीसा	520.88	354.70	25	141.11
21.	पंजाब	102.22	79.66	73	44.81
22.	राजस्थान	403.14	290.09	417	197.00
23.	सिक्किम	50.97	33.16	30	26.86
24.	तमिलनाडु	267.82	187.82	616	128.39
25.	त्रिपुरा	76.60	51.60	193	24.76
26.	उत्तर प्रदेश	963.05	669.22	3246	348.99
27.	उत्तरांचल	199.40	130.63	22	31.00
28.	प. बंगाल	419.65	284.65	53	80.71
	कुल (राज्य)	7473.63	4889.52	8341	2456.47
संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	32.39	10.59	0	0.26
30.	दादरा और नागर हवेली	9.95	5.00	0	0.00
31.	दमन व दीव	15.00	5.00	0	0.35
32.	दिल्ली	5.00	5.00	0	0.00
33.	लक्षद्वीप	4.89	4.89	0	0.00
34.	पांडिचेरी	12.40	5.00	50	2.56
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	79.63	35.48	50	3.17
	कुल योग	7553.26	4925.00	8391	2459.64

नोराड योजना

1250. श्री छत्रपाल सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002 के दौरान नोराड योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक कुल कितनी धनरशि आबंटित की गई है;

(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस योजना के अंतर्गत उनमें से कितने स्वीकृत किये गये हैं, कितने लंबित पड़े हैं और कितनों को स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है और वे संस्थाएं कौन-कौन सी हैं तथा उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कितनी संस्थाओं को एक वित्तीय वर्ष में एक से ज्यादा बार स्वीकृति प्रदान की गई है;

(घ) कितनी संस्थाओं को दूसरी किस्त जारी नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं और इन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है;

(च) क्या राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की स्वीकृत के बाद भी संस्थाओं को धनराशि जारी नहीं करती है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किन-किन राज्यों में कितनी धनराशि नहीं समवितरित की गई है और वे कौन-कौन सी संस्थाएं हैं जिनको धनराशि जारी नहीं की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) महिला आर्थिक कार्यक्रम (नोराड) के अंतर्गत, राज्य-वार कोई आवंटन नहीं किए जाते। तथापि, राज्य-वार महिला जनसंख्या के आधार पर मानकीय आवंटन विवरण-I में दर्शाए गए हैं।

वर्ष 2002-03 के दौरान, भारत सरकार को प्राप्त प्रस्तावों, स्वीकृत तथा लम्बित प्रस्तावों से संबंधित ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है, जिसमें दूसरी किस्त के मामले भी शामिल हैं। संगठनों के नामों सहित लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 2002-2003 के दौरान किसी भी संस्था के एक से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं दी गयी है।

(ङ) राज्य अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए राज्यों के पास कई प्रस्ताव लम्बित हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को लम्बित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए कहा गया है।

(च) और (छ) स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि निर्मुक्त नहीं की जाती है।

विवरण-I

महिला आर्थिक कार्यक्रम (नोराड) - वर्ष 2002-03 के दौरान प्रस्तावों की स्थिति

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मानकीय आबंटन	अब तक निर्मुक्त धनराशि *	प्रस्तावों की स्थिति			दूसरी किस्त हेतु लम्बित प्रस्तावों की संख्या	संस्थाओं की संख्या, जिन्हें एक से अधिक व्यवसाय संस्वीकृत किए गए हैं
				2002-03 के दौरान प्राप्त **	2002-03 के दौरान संस्वीकृत ***	2002-03 के दौरान लम्बित		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	जम्मू-कश्मीर	24.05	4.91	0	2	0	16	0
2.	हिमाचल प्रदेश	15.09	6.18	0	1	0	0	0
3.	पंजाब	57.12	20.24	0	3	0	1	0
4.	चण्डीगढ़	1.98	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	6	7	8	9	10
5.	उत्तरांचल	20.99	7.81	0	3	0	0	0
6.	हरियाणा	49.2	105	18	6	18	2	0
7.	दिल्ली	31.33	30.36	5	0	5	0	0
8.	राजस्थान	136.62	24.82	0	4	0	4	0
9.	उत्तर प्रदेश	396.31	215	0	84	0	24	0
10.	बिहार	200.33	0	0	2	0	0	0
11.	सिक्किम	1.27	0	0	0	0	0	0
12.	अरुणाचल प्रदेश	2.61	0	0	0	0	0	0
13.	नागालैण्ड	4.78	3.96	0	2	0	0	0
14.	मणिपुर	5.96	28.4	0	14	0	1	0
15.	मिजोरम	2.17	0	0	0	0	0	0
16.	त्रिपुरा	7.84	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	5.74	0	3	0	3	0	0
18.	असम	64.81	9.46	3	0	3	3	0
19.	प. बंगाल	195.33	32.83	43	11	43	15	0
20.	झारखण्ड	65.8	0	0	0	0	0	0
21.	उड़ीसा	91.25	50.5	0	14	0	12	0
22.	छत्तीसगढ़	52.16	0	10	0	10	0	0
23.	मध्य प्रदेश	145.88	35.16	0	11	0	14	0
24.	गुजरात	122.31	149.65	0	67	0	1	0
25.	दमन व दीव	0.33	0	0	0	0	0	0
26.	दादरा और नागर हवेली	0.5	0	0	0	0	0	0
27.	महाराष्ट्र	234.09	78.5	0	8	0	10	0
28.	आंध्र प्रदेश	188.81	6.01	0	2	0	0	0
29.	कर्नाटक	130.5	67.58	0	5	0	1	0
30.	गोवा	3.32	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0.15	0	0	0	0	0	0
32.	केरल	82.55	0	3	0	3	0	0

1	2	3	4	6	7	8	9	10
33.	तमिलनाडु	155.54	5.5	26	3	26	0	0
34.	पाण्डिचेरी	2.46	0	0	0	0	0	0
35.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0.82	0	0	0	0	0	0
36.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली	0	300	0	0	0	0	0
	कुल	2500	1182.07	111	242	111	104	0

* दूसरी किस्त वाले मामले शामिल हैं।
** राज्य-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से प्राप्त।
*** पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्ताव शामिल हैं।

विवरण-II

महिला आर्थिक कार्यक्रम (नोराड) - संगठनों के नामों सहित वर्ष 2002-03 के दौरान लम्बित

क्र.सं.	संगठन का नाम	व्यवसाय
1	2	3
	पश्चिम बंगाल	
1.	बजकूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मिदनापुर	हथकरघा बुनाई
2.	हिरण्यवती ग्रामीण शिल्प निकेतन, हुगली	जूट उत्पाद
3.	बड़े खटूरा बहुमुखी सेवा केन्द्र, नार्थ 24 परगना	कम्प्यूटर
4.	जीरकपुर सिस्टर निवेदिता सेवा मिशन, नार्थ 24 परगना	हथकरघा बुनाई
5.	सुभाषपल्ली बशीरहाट वेलफेयर सोसायटी, नार्थ 24 परगना	टंकण एवं आशुलिपि
6.	फकीरसक मैत्री मंगल सोसायटी, बाराबरी, मिदनापुर	जूट उत्पाद
7.	बशीरहाट विमेन डेवलपमेंट सोसायटी, खॉबहादुर, रोड, नार्थ 24 परगना	कढ़ाई
8.	चाराबेड़िया रूरल इकनामिक एरिया डेवलपमेंट सोसायटी, बंकूरा	टंकण एवं आशुलिपि
9.	सुन्दरबन सर डेनियल आश्रम, साउथ 24 परगना	शहद उत्पादन
10.	तेफापल्ली मिलानी संघ, शरीस्का, साउथ 24 परगना	कम्प्यूटर (जारी)
11.	हिंचेगड़िया यंग स्टार क्लब आफ विलेज मिदनापुर	हस्तशिल्प
12.	श्रीकृष्णा क्लब, मेदनीपुर	जूट का सामान (जारी)
13.	सोनारपुर गोंखरा घोषपाड़ा तरूण तीर्थ	कढ़ाई

1	2	3
14.	सुसेनिया दक्षिण राय किशोर क्लब, मेदनीपुर	कढ़ाई
15.	कंटाली रिलीफ एण्ड वेलफेयर सोसायटी, हुगली	कुकुरमुत्ते की खेती
16.	देवपुर शिशु कल्याण समिति, हावड़ा	जारी कढ़ाई
17.	देशपुर प्रगति संघ, मिदनापुर	चटाई बनाना (जारी)
18.	ढकूरिया श्रद्धा हेल्थ एजूकेशन सोसायटी	प्रयोगशाला तकनीशियन
19.	महिला सेवा समिति, कोलकाता	हथकरघा बुनाई
20.	डनलप विमेन एसोसिएशन, कोलकाता	जूट का सामान
21.	भटघोरी जन कल्याण समिति, हावड़ा	हथकरघा बुनाई
22.	दक्षिण लक्ष्मीनारायण युवा संघ, पेशगर	रेक्सीन के बैग बनाना
23.	मैत्री-ओ-शिशु विकास केन्द्र, हावड़ा	ब्यूटीशियन
24.	श्रद्धा महिला समिति, नाड़िया	खाद्य प्रसंस्करण
25.	सेवा संघ महिला समिति, 24 परगना	चमड़े के बैग बनाना
26.	पश्चिम बंगाल एस.सी./एस.टी. डेस्टीच्यूट कम्यूनिटी प्रोग्रेसिव काउंसिल	रेडियो और टी.वी. मरम्मत
27.	विवेकानन्द पाठागार, मिदनापुर	कढ़ाई
28.	खरदा पब्लिक कल्चरल एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन, हावड़ा	जरी शिल्प एवं पैबंद कार्य
29.	अनीरबान, हावड़ा	टंकण एवं आशुलिपि
30.	बरईबाड़ ग्राम विकास केन्द्र, मेदनीपुर	हथकरघा बुनाई
31.	अयमंचक विवेकानन्द सेवक संघ, मेदनीपुर	करघा वस्त्र
32.	डब्ल्यू.ई.बी.ई.एल. इन्फारमेटिक्स लिमिटेड, कोलकाता	कम्प्यूटर
33.	धर्मीनगर रूरल डवलपमेंट, सोसायटी, वीरभूम	जूट का सामान
34.	श्री श्री महाप्रभू बालक संघ, 24 परगना	कढ़ाई
35.	वेस्ट बंगाल माइनोरटीज डवलपमेंट एण्ड फाइनांस कार्पोरेशन, कोलकाता	कढ़ाई
36.	काउंसिल फार अडवांसमेंट आफ रूरल डाउनट्रोडन पीपुल	कम्प्यूटर
37.	काउंसिल फार रूरल वेलफेयर, मिदनापुर	हथकरघा बुनाई
38.	विलेज डवलपमेंट सोसायटी, हावड़ा	कम्प्यूटर
39.	सरब्रिक पल्ली कल्याण केन्द्र, मेदनीपुर	टंकण एवं आशुलिपि
40.	सी लाइट हास्पीटल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, साउथ 24 परगना	सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
41.	बरहरि विवेकानन्द युवा संघ, नारायणी, पाथगढ़, मेदनीपुर	हथकरघा बुनाई

1	2	3
42.	केडूलिकी विकास सोसायटी, बंकूरा	साफ्ट खिलौने बनाना
43.	सोसायटी फार रूरल डवलपमेंट यूथ वेलफेयर, नाडिया	हथकरघा बुनाई
	असम	
44.	नार्थ हुनापाडा विमेन एण्ड चाइल्ड डवलपमेंट सोसायटी	कम्प्यूटर
45.	ग्लोबल हेल्थ इम्यूनाइजेशन एण्ड पापूलेशन कंट्रोल आर्गेनाइजेशन	शिल्प
46.	वेलफेयर संघ	कम्प्यूटर (जारी)
47.	मोंगक्रम यूथ डवलपमेंट एसोसिएशन	सिले हुए वस्त्र
48.	वीमेन इंटेग्रेटिड एम्पावरमेंट सोशल सर्विस सेंटर	विभिन्न व्यवसाय
49.	नोंगबक एरिया वीमेन वेलफेयर एसोसिएशन	सिले हुए वस्त्र
	तमिलनाडु	
50.	स्टेनोग्राफर्स गिल्ड, चेन्नई	सचिवालीय पद्धति
51.	प्रेजेंटेशन सोशल सर्विस सेंटर	सिले हुए वस्त्र
52.	प्रेजेंटेशन सोशल सर्विस सेंटर, चेन्नई	ब्यूटीशियन एवं स्वास्थ्य देखभाल
53.	इण्डियन रेड क्रास सोसायटी, चेन्नई	प्रयोगशाला तकनीशियन
54.	सी.एम.एस.एस.एस., कोयम्बटूर	कम्प्यूटर
55.	एन.ई.आर.डी. सोसायटी, कोयम्बटूर	खाद्य प्रसंस्करण
56.	एन.ई.आर.डी. सोसायटी, कोयम्बटूर	कुकुरमुत्ते की खेंती
57.	दीपम पीपुल्स सोसायटी, सलेम	कुकुरमुत्ते की खेती
58.	त्यागराज पालीटेक्नीक, सलेम	स्क्रीन प्रिंटिंग
59.	त्यागराज पालीटेक्नीक, सलेम	सिले हुए वस्त्र
60.	त्यागराज पालीटेक्नीक, सलेम	ब्यूटीशियन
61.	त्यागराज पालीटेक्नीक, सलेम	कैंटीन प्रबंधन
62.	त्यागराज पालीटेक्नीक, सलेम	कम्प्यूटर
63.	त्यागराज पालीटेक्नीक, सलेम	कुकुरमुत्ता
64.	पेरियार, चेन्नई	कम्प्यूटर
65.	सेवानिलायम सोसायटी, तेनी	कम्प्यूटर
66.	सेवानिलायम सोसायटी, तेनी	प्रयोगशाला तकनीशियन
67.	रामास्वामी चेलप्पा एजुकेशनल ट्रस्ट, त्रिची	खाद्य प्रसंस्करण

1	2	3
68.	रामास्वामी चेलप्पा एजुकेशनल ट्रस्ट, त्रिची	कैंटीन प्रबंधन
69.	सोसायटी फार एजुकेशन विलेज एक्शन एण्ड इम्प्रूवमेंट, त्रिची	सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
70.	सोसायटी फार एजुकेशन विलेज एक्शन एण्ड इम्प्रूवमेंट, त्रिची	त्रिची
71.	ग्रामोदय, त्रिची	सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
72.	होली क्रास कालेज, त्रिची	ब्यूटीशियन
73.	होली क्रास कालेज, त्रिची	प्रयोगशाला तकनीशियन
74.	सेंट जोसेफ्स कालेज, त्रिची	कम्प्यूटर
75.	सेंट जोसेफ्स कालेज, त्रिची	कार्यालय प्रबंधन
	हरियाणा	
76.	उन्नति जागृति मंडली, ग्राम व डाक घर सरनी, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़	दरी बनाना
77.	देहाती विकास संगठन, गांव दत्तल, डा. नांगल लऊनिया, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़	कम्प्यूटर
78.	लोक कल्याण फाउंडेशन, ब्लू जेल रोड, तहसील संभालका, जिला पानीपत	कम्प्यूटर
79.	नवचेतन ग्राम उद्योग मंडल, 2/96, आर्यनगर, सोनीपत	सिले हुए वस्त्र
80.	कविता बाल विकास शिक्षा समिति, 761/24, आर्यनगर, सोनीपत	फैशन डिजाइनिंग
81.	कर्ण खादी ग्रामोद्योग मंडल, 1057, न्यू हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, पानीपत	कढ़ाई
82.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, हरियाणा स्टेट ब्रांच, सेक्टर-18-ए, चण्डीगढ़	रंगाई व छपाई
83.	आदर्श सरस्वती शिक्षा संत गरीब दास ककरोई रोड़, सोनीपत	ब्यूटी पार्लर
84.	भारत महिला मंडल एवं बाल विकास समिति, डबल फाटक के पास चिन्योत कालोनी, रोहतक हरियाणा	टंकण व आशुलिपि
85.	प्रेरणा जागृति मंडली, गांव व डाकघर भोजवास, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़	कढ़ाई
86.	ज्योति जागृति मंडली, गांव व डाकघर नसीबपुर, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़	स्टफ्ड खिलौने
87.	रोशनी जागृति मंडली, गांव व डाकघर ढानी बथोता, नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़	कढ़ाई
88.	आशा जागृति मंडली, गांव व डाकघर फजलीपुर, जिला महेन्द्रगढ़	हथकरघा बुनाई
89.	चेतना जागृति मंडली, गांव व डाकघर अब्दुल्ला नगर, जिला महेन्द्रगढ़	स्टफ्ड खिलौने
90.	उमंग जागृति मंडली, गांव व डाकघर पातीकरण, जिला महेन्द्रगढ़	दरी बनाना
91.	प्रभात जागृति मंडली, गांव व डाकघर खतोडरा, जिला महेन्द्रगढ़	हथकरघा बुनाई
92.	ऊषा जागृति मंडली, गांव व डाकघर मुंडिया, खेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़	हथकरघा बुनाई
93.	किरण जागृति मंडली, गांव व डाकघर बच्छोड, जिला महेन्द्रगढ़	दरी बनाना

1	2	3
	दिल्ली	
94.	पर्यावरण एवं विकास समिति, बी-122, III फ्लोर, शिव कुंज शकरपुर, दिल्ली-92	कम्प्यूटर
95.	भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर दलित उत्थान, एवं शिक्षा समिति, बी-153, हरिजन बस्ती, राजबीर कालोनी, घड़ोली एक्सटेंशन, दिल्ली-96	कढ़ाई
96.	मानव परोपकारी संस्था, 1259, सेक्टर ए, पाकेट बी, बसंत कुंज, नई दिल्ली	शिल्प केन्द्र (कटाई व सिलाई)
97.	भारतीय परिवर्तन संस्था, बस्ती विकास केन्द्र डी/1 नंदनगरी, दिल्ली	पोशाक बनाना, कढ़ाई, ब्यूटी कल्चर
98.	नवप्रभात सेवा संस्थान, बी एण्ड सी ब्लाक, चन्द्रशेखर आजाद कालोनी, वजीरपुर, इन्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-52	कम्प्यूटर
	केरल	
99.	पी.एम.एस.ए. पूकोया थान्याल मैमोरियल, यतीमखाना, कात्तिलएंगदी, केरल	कम्प्यूटर
100.	केरल राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लि., केरल	कम्प्यूटर
101.	केरल राज्य महिला विकास निगम, केरल	कम्प्यूटर
	छत्तीसगढ़	
102.	अक्षर ग्रामोत्थान समिति, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़	जरी शिल्प एवं पैबंद कार्य
103.	अक्षर ग्रामोत्थान समिति, सरगूजा, छत्तीसगढ़	कम्प्यूटर
104.	सर्वांगीण विकास महिला मंडल, बिलासपुर	सिले हुए वस्त्र
105.	होलीगढ़ गंगा शैक्षणिक एवं कल्याण समिति, छत्तीसगढ़	ब्यूटीशियन
106.	दिशा समाज देवी संस्था, गांव जरिसक्करा, छत्तीसगढ़	सिलाई
107.	महिला समाज धमतान, धमता	कम्प्यूटर
108.	जनजाति एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वार्ड नं. 1 सेना रोड, जसपुरनगर	कम्प्यूटर
109.	रायगढ़ सहयोग समिति, रायगढ़	कम्प्यूटर
110.	रोजगार महिला सेवा समिति, रायपुर	कम्प्यूटर
111.	अखिल भारतीय इलेक्ट्रानिकल और कम्प्यूटरस प्रौद्योगिकी समिति, रायपुर, छत्तीसगढ़	कम्प्यूटर

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में छात्रावास सुविधा

1251. श्री अनन्त नायक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया और इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में पर्याप्त छात्रावास सुविधा उपलब्ध नही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्तमान छात्रावास सुविधाएं विद्यार्थियों की वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। जहां तक जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रश्न है, विश्वविद्यालय में उपलब्ध वर्तमान

छात्रावास सुविधाएं पर्याप्त नहीं समझी जा रही हैं। तथापि, जामिया मिलिया इस्लामिया ने सूचित किया है कि इसने छात्रावासों के निर्माण की योजना को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया है।

[हिन्दी]

मैंगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड

1252. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मैंगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड की 51 प्रतिशत इक्विटी की महत्वपूर्ण बिक्री के साथ-साथ इसके प्रबंधन/नियंत्रण को भी महत्वपूर्ण साझेदारों को हस्तांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या ऐसा निर्णय लेने के पहले कामगारों के हितों को ध्यान में रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो कामगारों के हितों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने, मैंगनीज ओर (इंडिया) लि. की शेष 4.57 प्रतिशत इक्विटी कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखने के बाद भी 26 प्रतिशत इक्विटी अपने पास रखते हुए प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ अनुकूल साझीदार के पक्ष में 51 प्रतिशत इक्विटी की अनुकूल बिक्री करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि किसी उद्यम पूंजीपति अथवा वित्तीय संस्थानों अथवा बैंक के साथ साझेदारी/सहयोग से कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारियों द्वारा लगाई जाने वाली बोली पर उपयुक्त चरण पर उस समय विचार किया जाएगा जब इस प्रकार गठित विधिक हस्ती, बोली लगाने और प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमत की पेशकश करने के लिए अहर्ता प्राप्त हो।

(ग) और (घ) कर्मचारियों को हित का संरक्षण प्रदान करना विनिवेश नीति का एक अभिन्न अंग है। और यह संबंधित अनुकूल क्रेता के साथ विनिवेश के समय सम्पन्न शेयरधारक/शेयर खरीद करार में विशेष अवधि के लिए छंटनी के विरुद्ध संरक्षण, विशेष दर पर विशेष अवधि के लिए कार्यबल को तर्कसंगत बनाने के मामले में क्षतिपूर्ति, कर्मचारी शेयर खरीद योजना जैसे उपयुक्त उपबन्ध करके सुनिश्चित किया जाता है।

विनिवेश का लक्ष्य

1253. **श्री अजय सिंह चौटाला:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्रीमती हेमा गमांग:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के लाभप्रद उपक्रमों की बिक्री के बाद विनिवेश का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया की लाभप्रदता से संबंधित कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन उपक्रमों और उद्योगों का निकट भविष्य में विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) 1999-2000 से अक्टूबर, 2002 तक की अवधि के दौरान अनुकूल बिक्री/शेयरों की शत-प्रतिशत बिक्री/रलम्प सेल के माध्यम से विनिवेश के 34 मामलों में से 25 मामले घाटे में चलने वाली कंपनियों के थे और 9 मामले लाभ कमाने वाली कंपनियों के थे। जबकि विनिवेश से जुटाई जाने वाली राशि लक्ष्य से कम रही है फिर भी 1999-2000 से अब तक (जुटाई जाने वाली संभावित राशि, नियंत्रण प्रीमियम लाभांश और अतिरिक्त नकदी के अन्तरण सहित) जुटाई गई राशि में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

1999-2000	1829 करोड़ रुपए
2000-2001	1869 करोड़ रुपए
2001-2002	5632 करोड़ रुपए
2002-2003	4777 करोड़ रुपए (अक्टूबर, 2002 तक)

(ख) 1999-2000 से अब तक अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेश की सूची, बेची गई सरकारी इक्विटी का अंकित मूल्य और बिक्री से जुटाई गई राशि विवरण-I में दिए गए हैं। विनिवेश से जुटाई जाने वाली राशि का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है, जो बाजार परिस्थितियों, निवेशक की अभिरुचि और संबंधित कारकों

पर निर्भर करती है। सरकार ने विपदग्रस्त बिक्रियों के विरुद्ध सचेतन सुरक्षा की है और सरकार तभी विनिवेश करती है जब जुटाई जाने वाली उपयुक्त राशि उपलब्ध हो। अनेक मामलों में संरचना और परिसंपत्तियों तथा देयताओं की मात्रा को स्पष्ट करने के लिए अपेक्षित प्रारंभिक कार्य में समय-सारणी से अधिक समय लग जाता है।

(ग) और (घ) 1993-2000 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश मुख्यत: छोटे हिस्सों में अल्पांश शेयरों की बिक्री के माध्यम से किया गया था। 2000-2001 के बजट भाषण में सरकार ने यह घोषित किया था कि यह अभिज्ञात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए अनुकूल बिक्री का अधिकतर उपयोग करती है। अनुभव दर्शाता है कि अनुकूल बिक्री सरकार के लिए लाभप्रद रही है। अनुकूल बिक्री के मामले में लाभार्जन अनुपात 11 से 89 के दायरे में रहा है। इसकी तुलना में 1991-2000 के दौरान शेयरों की बाजार बिक्री के लिए लाभार्जन अनुपात यहां तक आई ओ सी, बी पी सी एल, एच पी सी एल, गेल और वी एस एन एल जैसी लाभप्रद कंपनियों के मामले में भी 4.4 से 6.0 तक नीचे था। इसके अलावा विनिवेश से जुटाई जाने वाली राशि पर टाले गये ब्याज की लागत, पिछले वर्षों में ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार को प्राप्त लाभांश से कई गुणा अधिक है। इसके अतिरिक्त उपाख्यानिक संकेत है कि विनिवेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सार्थक निपुणता में वृद्धि हुई है जो अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होती है।

(ङ) विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, 35 मामले ऐसे हैं जिनमें विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है और विनिवेश प्रगति पर है, संयुक्त क्षेत्र के होटलों के 7 मामले ऐसे हैं जिनके लिए सरकार, राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर रही है, 2 मामले ऐसे हैं जिनमें विनिवेश 7 सितम्बर, 2002 से प्रभावी तीन महीनों के लिए आस्थगित कर दिया गया है, 2 मामले ऐसे हैं जिनमें पहले की बिक्री के लिए किसी निवेशक की अभिरुचि न होने के बाद विनिवेश प्रक्रिया पुन: आरंभ नहीं की गई है, शेष बचे शेयरों की बाजार में बिक्री के माध्यम से विनिवेश का एक मामला है और 7 मामले ऐसे हैं जिनके लिए विनिवेश आयोग से सिफारिशें प्राप्त हुई है।

विवरण-I

1999-2000 से आज की तारीख तक विनिवेश तथा अनुकूल बिक्री और संबंधित सौदों के माध्यम से जुटाई गई राशि का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	नाम	बेची गई भारत सरकार की इक्विटी	जुटाई गई धनराशि
1	2	3	4
1क.	एन एफ आई एल	9.63	105
1ख.	एम एफ आई एल-- चरण II	3.38	44**
2.	बाल्को	112.52	826.5
3.	सी एम सी	7.73	152
4.	एच टी एल	11.1	55
5.	एल जे एम सी आई टी डी सी - 19 होटल	0.77	2.53
6.	आगरा	1.70	3.61
7.	बोधगया	0.44	1.81
8.	हसन	0.21	2.27
9.	मामल्लापुरम	0.83	6.13
10.	मदुरै	0.71	4.97
11.	बंगलौर	0.96	39.41 (अग्रिम शुल्क); (4.11-एम जी ए पी)
12.	कुतुब	0.83	34.46
13.	लोधी	0.96	71.93
14.	एल वी पी एच-उदयपुर	0.55	6.77
15.	मनाली	0.63	3.65
16.	कोवलम	1.85	40.39
17.	औरंगाबाद	1.16	16.50
18.	एयरपोर्ट, कोलकाता	0.66	19.39
19.	खजुराहो	0.97	2.19
20.	वाराणसी	1.74	8.38
21.	कनिष्क	1.90	92.37
22.	इन्द्रप्रस्थ (ए वाई एन)	0.80	43.39
23.	चण्डीगढ़ परियोजना	7.00	17.27
24.	रणजीत	3.20	29.20
	उप-योग	27.10	444.09
	एच सी आई - 3 होटल		
25.	जुहू - बॉम्बे	8.95	153

1	2	3	4
26.	राजगीर	1.72	6.51
27.	एयरपोर्ट मुम्बई	4.0	83
	उप-योग	14.67	242.51
28.	आई बी पी	7.44	1153.68
29.	वी एस एन एल	71.25	3689^
30.	पी पी एल	320.16	151.70
31.	जैसप	68.13	18.18**
32.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	109.85	445
33.	मारुति उद्योग	66.00	2424^^**
34.	आई पी सी एल	64.5	1490.84

* न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक भुगतान पर भावी अर्जन के एन.पी.वी. और पट्टा किराया सहित

** संभावित ^ लाभांश और लाभांश कर सहित ^^ तीन दौरों में प्राप्त होने वाली न्यूनतम राशि; 3158 करोड़ रुपए तक जा सकती है

क्रम सं. 5, 23, 25, 26, 27 और 31 पर दी गई कंपनियां सहायक कंपनियां है। क्रम सं. 31 पर दी गई कंपनी की बिक्री की अनुमति सरकार/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड द्वारा दी जानी है।

विवरण-II

उन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के नाम जिनमें विनिवेश, प्रक्रिया के लिए विभिन्न चरणों पर है

I. उन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के नाम जिनमें विनिवेश, का निर्णय ले लिया गया है और विनिवेश प्रगति पर है:

1. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
2. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड
3. बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड
4. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी
5. बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी
6. भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लिमिटेड
7. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड
8. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
9. हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड
10. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
11. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड
12. इन्स्ट्रूमैन्टेशन कंट्रोल वाल्वस लिमिटेड, पलाकक्ड
13. मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
14. मेकान लिमिटेड
15. मिनरल एण्ड मेटल ट्रेडिंग कार्पोरेशन
16. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
17. नेशनल इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड
18. नेपा लिमिटेड
19. भारत राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
20. शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया
21. टायर कार्पोरेशन आफ इण्डिया
22. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड
23. इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड
24. मैगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड
25. स्पांज आयरन इण्डिया लिमिटेड
26. भारत आप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड
27. इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड कोटा (मदर यूनिट)
28. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
29. होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का दिल्ली स्थित सेंतुर होटल एयरपोर्ट (सेफेयर दिल्ली सहित)
30. होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का सेफेयर मुम्बई
31. आई टी डी सी होटल सम्राट नई दिल्ली (पट्टा-सह संग्रह-प्रबंधन नियंत्रण)
32. आई टी डी सी होटल जयपुर अशोक
33. आई टी डी सी होटल पाटलीपुत्र अशोक
34. आई टी डी सी होटल कलिंग अशोक
35. आई टी डी सी होटल जम्मू अशोक

II. भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त क्षेत्र होटल संपत्तियां, जिनके लिए सरकार, राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर रही है।

36. होटल नीलांचल अशोक पुरी
37. होटल लेकव्यूह अशोक भोपाल
38. होटल रांची अशोक रांची
39. होटल ब्रह्मपुत्र अशोक गुवाहाटी
40. होटल पान्डिचेरी अशोक पाण्डिचेरी
41. होटल दोनयी पोलो अशोक ईटानगर
42. होटल पंजाब अशोक आनन्दपुर साहिब

III. विनिवेश 07.09.2002 को तीन महीने के लिए स्थगित किया गया

43. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
44. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

IV. पहले की बिक्री के लिए किसी निवेशक की अभिरूचि न होने के बाद विनिवेश प्रक्रिया पुनः आरंभ नहीं की गई

45. एयर इंडिया
46. इण्डियन एयरलाइन्स

V. शेष बचे शेयरों की बाजार में खुली पेशकश

47. मारुति उद्योग लिमिटेड

VI. विनिवेश आयोग से प्राप्त सिफारिशें

48. नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड
49. रेल इण्डिया टेक्किनल एण्ड इकोनामिक सर्विस लिमिटेड
50. प्रोजेक्ट एण्ड इन्क्यूपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
51. इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड
52. सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
53. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
54. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

सांसदों के पत्रों का जबाव

1254. श्री अब्दुल रशीद शाहीनः
श्री बीर सिंह महतोः

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों के पत्रों का जवाब मंत्रालयों द्वारा निर्धारित समयावधि के अंदर नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष संसद सदस्यों के कितने पत्र प्राप्त हुए हैं और कितने पत्रों का समयावधि के अंदर जवाब नहीं दिया गया है;

(घ) क्या उत्तर देने में विलंब करने हेतु किसी अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा संसद सदस्यों के पत्रों का जवाब 90 दिनों के अंदर देना सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) संसद सदस्यों के प्राप्त पत्रों के उत्तर निर्धारित समय-सीमा में भेजने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। यदि सूचना फील्ड कार्यालयों/संगठनों आदि से एकत्रित करनी होती है तो संबंधित सदस्य को अंतरिम उत्तर/पावती भेजी जाती है।

(ग) संपदा निदेशालय व भूमि तथा विकास कार्यालय को छोड़कर मंत्रालय तथा इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की संख्या और उन पत्रों की संख्या जिनका उत्तर निर्धारित समय-सीमा में नहीं दिया गया संलग्न विवरण में दी गई है।

संपदा निदेशालय तथा भूमि तथा विकास कार्यालय के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) संसद सदस्यों से प्राप्त संदर्भों की समीक्षा बैठकों के द्वारा सचिव स्तर पर निगरानी की जाती है ताकि उनका तुरन्त निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

वर्ष	संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र	संसद सदस्यों से प्राप्त ऐसे पत्र जिनका 90 दिन के भीतर उत्तर नहीं दिया जा सका
2000	939	15
2001	1394	44
2002 (15 नवम्बर तक)	717	258

[अनुवाद]

गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के लिए आवास

1255. श्री के. येरननायडू: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक कुल आवासों का कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इन लोगों का आवास प्रदान करने हेतु कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के अंतर्गत निजी क्षेत्रों से वित्तीय सहायता मांगने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) 1991 के जनगणना के अनुसार 3.41 मिलियन परिवार आश्रयविहीन थे और 10.31 मिलियन परिवार बेकार कच्चे मकानों में रह रहे थे। इस प्रकार 1991 में कुल 13.72 मिलियन मकानों की कमी थी। यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 1991-2002 के बीच प्रतिवर्ष 0.89 मिलियन आवासहीनता की वृद्धि दर से जनसंख्या में वृद्धि को कवर करने के लिए 10.75 मिलियन अतिरिक्त मकानों की आवश्यकता होगी। इसलिए वर्ष 2002 तक 24.47 मिलियन मकानों के निर्माण की आवश्यकता होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन लोगों को मकान उपलब्ध करने के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें निम्न तथ्य शामिल हैं:-

(i) इन्दिरा ईवास योजना में बेकार कच्चे मकानों को बदलना

(ii) ग्रामीण आवास के लिए ऋण-सह-सब्सिडी योजना (सी.सी.एस.एस.)

(iii) ग्रामीण आवास एवं पर्यावरण विकास के लिए अभिनव चरण।

(iv) ग्रामीण निर्मित केन्द्र (आर बी सी)

(v) हुडको को इक्विटी अंशदान में वृद्धि।

कार्य योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अतिरिक्त 13 लाख ग्रामीण मकान बनाए जाने थे, जिसमें 12.30 लाख से अधिक मकान बनाए गए हैं।

इन्दिरा आवास योजना और सी.सी.एस.एस. के अंतर्गत पूर्व निर्धारित मानदंडो के आधार पर राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ग्रामीण आवास एवं पर्यावास विकास के अभिनव चरण और ग्रामीण निर्मित केन्द्र की योजनाएं परियोजना आधारित और मांग आधारित योजनाएं है, इसलिए इन योजनाओं के अंतर्गत कोई लक्ष्य नहीं किया जा सकता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत लाभ

1256. कुमारी भावना पुंडलिक गवली: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ समाज के लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस संबंध में राज्यवार और योजनावार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस परंपरा को रोकने और दोषी अधिकारियों को दंडित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) अधिकांश मामलों में ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुंच रहे हैं।

(ख) तथापि, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में इन्दिरा आवास योजना के बारे में राज्यवार प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है:

राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1
बिहार	4
उड़ीसा	1
उत्तर प्रदेश	3
पंजाब	1

(ग) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचे, मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्ड के नियमित दौरों, कार्य निष्पादन समीक्षा, समिति की बैठकों, राज्य सरकार की आवधिक प्रगति रिपोर्टों, कार्यक्रम के सामयिक और चरित्र मूल्यांकन आदि जैसे व्यवस्थाओं के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की मानीटरिंग की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। राज्य/जिले और ब्लाक स्तरों पर सतर्कता और मानिटरिंग समितियां भी गठित की गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री भी कार्यक्रमों की मानिटरिंग और सर्वेक्षण के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं और योजनाओं के प्रभावी और तीव्र कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को चार सूत्रीय नीति क्रियान्वित करने की सलाह दी गई हैं जिनमें योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करना, पारदर्शिता, लोगों की भागीदारी और ग्राम सभाओं के माध्यम से उत्तरदायित्व-सामाजिक लेखा-परीक्षा शामिल है ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गुणात्मक सुधार के साथ सम्पूर्ण का प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सके।

जांच और उपर्युक्त कार्यवाही के लिए शिकायतों को राज्यों (जो कि कार्यान्वयन एजेंसियां हैं) के पास भेज दिया जाता है।

[अनुवाद]

नानावती आयोग की रिपोर्ट

1257. श्री प्रबोध पण्डा: क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नानावती आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) सरकार ने वर्ष 2000 में भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीस, न्यायमूर्ति श्री जी. टी. नानावती, की अध्यक्षता में, दो आयोग गठित किए थे, एक आयोग, 24 फरवरी, 2000 को नई दिल्ली में संसद मार्ग पर वकीलों के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग के लिए प्रेरित करने वाली परिस्थितियों की जांच करने के लिए और दूसरा 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद निर्दोष सिक्खों की हत्या की घटनाओं की जांच करने के लिए। जबकि उन परिस्थितियों जिनमें पुलिस को वकीलों के प्रदर्शन पर बल प्रयोग करना पड़ा, की जांच करने के लिए गठित किए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट 15 मार्च, 2001 को प्रस्तुत कर दी थी तथा इसे, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सहित 31 अगस्त, 2001 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दिया गया था, 1984 के सिख विरोधी दंगों पर आयोग को अपनी रिपोर्ट 2 अप्रैल, 2003 तक प्रस्तुत करनी है।

जेल सुधार

1258. श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री राम सिंह कस्वां:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूरे देश में जेलों में भारी भीड़-भाड़ को कम करने और मौजूदा अमानवीय स्थितियों में सुधार हेतु नई जेलों के निर्माण और मौजूदा जेलों के जीर्णोद्धार हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना हेतु राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) परियोजना पर कार्य के कब तक शुरू होने का प्रस्ताव है कब तक इसके पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। जेलों, कैदियों और जेल कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिए केन्द्र सरकार ने जेलों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त जेलों का निर्माण करने, वर्तमान जेलों की मरम्मत और नवीनीकरण, सफाई व्यवस्था और जल आपूर्ति में सुधार और जेल कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए 75:25 के अनुपात में साझेदारी के आधार पर 1800 करोड़ रु. के परिव्यय से, एक नई गैर योजनागत स्कीम अनुमोदित की है जो चालू वित्त वर्ष में अगले पांच वर्षों के दौरान कार्यान्वित की जाएगी, जिसका 75% खर्च केन्द्र सरकार और 25% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। निधियों का राज्यवार अस्थायी आवंटन संलग्न विवरण में है।

विवरण

अगले पांच वर्षों के दौरान राज्यों के अंशदान सहित धन का अस्थायी आवंटन

क्र. सं.	राज्य का नाम	नई जेलों के लिए धन की आवश्यकता (रु. करोड़ों में)	मौजूदा जेलों के विस्तारण और नवीकरण के लिए धन की आवश्यकता (रु. करोड़ों में)	स्टाफ क्वाटरों के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता (रु. करोड़ों में)	सफाई व्यवस्था और जल आपूर्ति के लिए धन की आवश्यकता (रु. करोड़ों में)	कुल योग (रु. करोड़ों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	35.81	24.13	40.46	5.91	10.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	0.00
3.	असम	20.32	6.11	11.71	1.03	39.17
4.	बिहार	146.65	12.56	17.00	3.22	179.43
5.	छत्तीसगढ़	21.79	3.74	10.59	1.25	37.37
6.	गोवा	10.76	1.77	1.00	0.09	13.62
7.	गुजरात	47.50	4.68	11.95	1.75	65.88
8.	हरियाणा	89.32	4.91	6.61	1.92	102.76
9.	हिमाचल प्रदेश	15.54	1.99	2.50	0.18	20.21
10.	जम्मू-कश्मीर	14.34	1.08	14.02	1.46	30.90
11.	झारखंड	27.77	5.19	8.21	1.07	42.24
12.	कर्नाटक	21.52	16.32	15.15	0.91	53.90
13.	केरल	10.76	7.11	14.59	0.30	32.76
14.	मध्य प्रदेश	108.41	18.46	22.00	6.27	155.14
15.	महाराष्ट्र	54.07	35.37	37.94	1.78	129.16
16.	मणिपुर	9.56	1.77	4.21	0.18	15.72
17.	मेघालय	12.55	1.85	1.77	0.20	16.37

1	2	3	4	5	6	7
18.	मिजोरम	12.55	1.24	3.56	0.42	17.77
19.	नागालैंड	9.56	2.76	3.21	0.32	15.85
20.	उड़ीसा	66.62	13.92	24.41	2.45	107.40
21.	पंजाब	35.81	6.31	30.49	1.85	74.46
22.	राजस्थान	20.00	18.05	25.28	1.82	65.15
23.	सिक्किम	17.33	0.46	0.39	जरूरत नहीं	18.18
24.	तमिलनाडु	23.58	23.99	43.09	4.68	95.34
25.	त्रिपुरा	15.54	2.23	10.06	0.15	27.98
26.	उत्तर प्रदेश	142.16	18.69	65.00	5.40	231.25
27.	उत्तरांचल	21.79	2.06	5.69	0.78	30.32
28.	पश्चिमी बंगाल	22.99	11.90	34.15	2.86	71.90
	कुल	1034.60	248.65	465.05	48.25	1796.55

पी.एम.एफ. की वित्तीय स्थिति

1259. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 सितम्बर, 2002 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' नई दिल्ली संस्करण में ''कमांडोज ड्यू आड जाब्स टू मेक एंड्स मीट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार का विचार देश के अर्ध सैनिको बलों की खराब वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु क्या उपाय करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) गुजरात से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, प्रश्न में उद्धत प्रेस रिपोर्ट की विषय-वस्तु सत्य नहीं है। 5 वर्ष सेवा कर चुके राज्य पुलिस के कांस्टेबल राज्य पुलिस बल के कमाण्डों के रूप में शामिल किए जाते हैं। इस अवस्था में वे मूल वेतन के रूप में 3,100/- रु. पाते हैं। इसके अतिरिक्त, वे निर्धारित दरों पर महंगाई भत्ता और वेतन के 45% की दर से विशेष वेतन पाते हैं। वे मकान किराया-भत्ता, अनिवार्य स्थानीय भत्ता और छुट्टियों में की गई ड्यूटी के लिए अतिरिक्त वेतन भी पाते हैं। सक्रिय ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर, उनका राज्य सरकार द्वारा 15 लाख का बीमा किया हुआ होता है। यह राशि केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कार्मिकों का देय अनुग्रही अदायगी से काफी ज्यादा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की रानी अटारी (कोरबा) परियोजना

1260. डा. चरण दास महंत: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की प्रस्तावित रानी अटारी (कोरबा) परियोजना के अंतर्गत कितनी हेक्टेयर भूमि शामिल की गई है और इसमें कितनी लागत अंतरग्रस्त है;

(ख) इस परियोजना हेतु कितनी श्रम शक्ति की आवश्यकता है और इसमें कितने स्थानीय लोगों के शामिल होने का प्रस्ताव है;

(ग) इस परियोजना हेतु कितने प्रतिशत निजी/सरकारी भूमि की आवश्यकता हैं;

(घ) क्या अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की रानी अटारी परियोजना के लिए कुल 382.72 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। 350 हैक्टेयर भूमि की खनन के लिए तथा 32.72 हैक्टेयर की भूमि की आधारभूत संरचना तथा कालोनी के विकास के लिए आवश्यकता है। अगस्त, 2002 तक भूमि पर व्यय की गई धनराशि 0.2488 करोड़ रुपये है।

(ख) परियोजना के लिए 1462 कार्मिकों की आवश्यकता है जिसे दूसरी मौजूदा और बन्द खानों में उपलब्ध सरप्लस जनशक्ति से पूरा किया जाएगा।

(ग) निजी भूमि का प्रतिशत 9.6% है। शेष भूमि वन/सरकारी भूमि है।

(घ) वन क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने के लिए खनन अधिकारों को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। 3.43 हैक्टेयर वन भूमि आधारभूत संरचना के लिए अधिगृहीत की गई है जिसके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त हो गई है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना को अभी स्वीकृत प्रदान की जानी है।

(ङ) परियोजना के अंतर्गत 2003 के प्रारम्भ में चालू हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन निगम का विनिवेश

1261. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री रामशकल:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय नौवहन निगम से अपने हिस्से को विनिवेश करने पर अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नौवहन निगम गत वर्षों के दौरान घाटे में चल रहा था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके विनिवेश हेतु निर्णय लेने के क्या औचित्य हैं; और

(ङ) भारतीय नौवहन निगम की बिक्री से अनुमानित कितनी धनराशि के एकत्र होने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भारतीय जहाज रानी निगम में 80.12 प्रतिशत सरकारी इक्विटी में से 51 प्रतिशत का अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेश करने का निर्णय लिया है और अनुकूल साझीदार के किसी संयुक्त उद्यम/संकाय होने की दशा में विदेशी धारिता, यदि कोई हो, 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ग) भारतीय जहाज रानी निगम एक लाभ कमाने वाली कम्पनी है और इसने पिछले 10 सालों में कोई घाटा अर्जित नहीं किया है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, सरकार की घोषित नीति के अनुसार साधारण मामलों में गैर-महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक अथवा उससे कम करने के लिए विनिवेश किया जा रहा है। गैर-महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे हैं जो, आयुद्ध तथा गोला बारुद और सुरक्षा उपस्करों से संबंद्ध मदें आदि, परमाणु ऊर्जा (आण्विक ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्रों और कृषि संबंधी औषधियों और गैर-महत्वपूर्ण उद्योगों में विकिरण तथा रेडियो आइसोटोप के अनुप्रयोग को छोड़कर) और रेल यातायात के क्षेत्रों में लगे हैं। यह नीति लाभ कमाने वालों के साथ-साथ हानि में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू होती है। सरकार ने भारतीय जहाज रानी निगम में विनिवेश करने का निर्णय लिया है क्योंकि वह गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र में संचालित है।

(ङ) भारतीय जहाज रानी निगम में सरकारी इक्विटी की बिक्री से जुटाई जाने वाली राशि का कोई आंकलन देना असामयिक होगा।

तेल कंपनियों का विनिवेश

1262. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेल कंपनियों के विनिवेश संबंधी किसी प्रस्ताव के निष्कर्ष पर पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विलंब के क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के प्रस्तावों पर अन्तर्मंत्रालय परामर्शों के माध्यम से समय-समय पर विचार करती रहती है। सभी प्रासंगिक दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद सरकार अनुमोदित नीति के अनुसार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश के बारे में अन्तिम निर्णय लेती है। जून, 2000 में सरकार ने निर्णय लिया था कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय तेल निगम और भारत गैस प्राधिकरण लि. को तेल क्षेत्र की ध्वजपोत कंपनियां समझा जाए, जिनमें सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं की जाएगी। फरवरी, 2002 में सरकार ने भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि./हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. का, विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के बीच परामर्शों के माध्यम से तय किए जाने वाले तरीकों के साथ अनुकूल बिक्री के माध्यम से विनिवेश करने का सिद्धान्त रूप से निर्णय लिया था। अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

खानों को निजी/सरकारी क्षेत्र को पट्टे पर देना

1263. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान खनिज-वार और राज्यवार कितनी खानें को निजी/सरकारी क्षेत्र को पट्टे पर दिया गया है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): राज्य सरकारों को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों से खनन पट्टे प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होते रहते हैं और उनके द्वारा ही उन्हें प्रोसेस किया जाता है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 10 (3) और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन खनन पट्टे प्रदान किए जाते हैं। तथापि उक्त अधिनियम की प्रथम अनसूची के अंतर्गत उल्लिखित खनिजों के लिए ही राज्य सरकारों द्वारा खनिज रियायतें प्रदान किए जाने से पहले केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित खनन पट्टों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	खनन पट्टा		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	आंध्र प्रदेश	25	12	6
2.	बिहार	6	1	–
3.	गोवा	–	–	–
4.	गुजरात	12	–	5
5.	हरियाणा	–	–	–
6.	हिमाचल प्रदेश	1	–	–
7.	झारखंड	–	–	1
8.	कर्नाटक	10	7	2
9.	केरल	–	–	4
10.	मध्य प्रदेश	27	5	–
11.	महाराष्ट्र	6	11	10
12.	उड़ीसा	8	8	5
13.	राजस्थान	14	5	10
14.	सिक्किम	–	–	1
15.	तमिलनाडु	31	50	18
16.	उत्तर प्रदेश	–	–	–
17.	छत्तीसगढ़	–	–	1
	कुल	140	99	63

[हिन्दी]

महिला कल्याण योजना

1264. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा महिला कल्याण योजना/कार्यक्रम 'महिलाओं व लड़कियों के लिए अल्पकालिक गृह प्रोग्राम' के अंतर्गत ऋण, अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड और मार्ग-निर्देश निर्धारित किये गए हैं;

(ख) इसमें राज्य सरकारों का क्या योगदान है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान और आज तक उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में उनकी मंत्रालय, राज्य सरकार और अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रत्यक्षत: लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्षवार, योजनावार और एजेंसी-वार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) भारत सरकार उन महिलाओं तथा लड़कियों को, जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनावों, सामाजिक बहिष्कार शोषण अथवा अन्य कारणों से वंचित हैं, के पुनर्वास के लिए "महिलाओं तथा लड़कियों हेतु अल्पावास गृह स्कीम" का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम में डाक्टरी देखभाल, मनोचिकित्सा, केसवर्क सेवाओं, का व्यावसायिक उपचार, शिक्षा, व्यावसायिक तथा मनोरंजन गतिविधियों तथा समायोजन की सामाजिक सुविधाओं जैसी सेवाएं/सुविधाएं परिकल्पित हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाने वाली अनुभवी संस्थाओं/संगठनों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय अनुदान दिए जाते हैं।

(ख) इस स्कीम का कार्यान्वयन कर रहे संगठनों को सीधे भारत सरकार द्वारा 100% अनुदान दिया जाता है तथा इस स्कीम के कार्यान्वयन में राज्य सरकार कोई वित्तीय योगदान नहीं देती है।

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य में इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत अल्पावास गृहों की सूची तथा उनकों निर्मुक्त सहायता अनुदान (वर्ष-वार एजेंसी-वार) संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राजस्थान राज्य में कार्यारत अल्पावास गृहों की सूची तथा उन्हें निर्मुक्त सहायता अनुदान (वर्ष-वार एजेंसी-वार) की राशि

वर्ष	अल्पावास गृह चला रहे संगठन का नाम	निर्मुक्त सहायता अनुदान की राशि (रु. में)
1	2	3
1998-99	अजमेर अल्पावास गृह हेतु अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, नई दिल्ली	271,102/-
	श्री करणी नगर विकास समिति, कोटा	168,559/-
	राजस्थान विश्व-विद्यालय महिला संघ, जयपुर	156,589/-
1999-2000	श्री शान्ति निकेतन महिला विधवा आश्रम समिति, भरतपुर	169,348
	शक्ति स्तम्भ महिला अल्पावास गृह जयपुर	180,348
	श्री करणी नगर विकास समिति, कोटा	180,348
	मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याणोत्थान संस्थान, टोंक रोड, कोटा	
	नव जागृति संचालन समिति, सवाई माधोपुर	
2000-01	शक्ति स्तम्भ, जयपुर	3,92,950/-
	श्री करणी नगर विकास समिति, कोटा	368,950/-
	मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याणोत्थान संस्थान, टोंक रोड, कोटा	423,221/-
	नव जागृति विद्यालय संचालन समिति, सवाई माधोपुर	368,950/-
	राजस्थान प्रदेश भारत सेवक समाज, जयपुर	277,730/-
2001-02	शक्ति स्तम्भ, जयपुर	309,562/-
	राजस्थान प्रदेश भारत सेवक समाज, जयपुर	379,392/-

1	2	3
	श्री करणी नगर विकास समिति, कोटा	394,559/-
	मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याणोत्थान संस्थान, टोंक रोड, कोटा	349,875/-
	नव जागृति विद्यालय संचालन समिति, सवाई माधोपुर	388,750/-
	श्री शान्ति निकेतन महिला विधवा आश्रम समिति, भरतपुर	
	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, अजमेर	
	श्रद्धालय आश्रम समिति, कोटा	19,890/-
	सुहित जन कल्याण समिति, कोटा	123,890/-
	नेहरू माडल स्कूल समिति, श्री गंगानगर	119,890/-
	मनोहर बाल मन्दिर समिति, श्री गंगानगर	119,890/-
	नवोदय लोक कल्याण समिति, कोटा	50,000/-
	टैगोर ग्रामीण उत्थान समिति, कोटा	50,000/-
2002-03	नवोदय लोक कल्याण समिति, कोटा	
	टैगोर ग्रामीण उत्थान समिति, कोटा	
	नव जागृति विद्यालय संचालन समिति, सवाई माधोपुर	350,197/-
	श्री करणी नगर विकास समिति, कोटा	
	मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याणोत्थान संस्थान, जयपुर	. 370,447/-

[अनुवाद]

पी.एम.जी.एस.वाई. हेतु विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक से ऋण

1265. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः**
श्री ए. वेंकटेश नायकः
श्री अशोक ना. मोहोलः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को सड़क से जोड़ने हेतु ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता मांगी है जैसा कि दिनांक 20.10.2002 के "दि हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से क्रमशः कितनी धनराशि के ऋण की मांग की गई है;

(ग) इस पर विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) वर्ष 2007 तक सड़क से नहीं जुड़ी सभी बस्तियों और गांवों को सड़कों से जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) सरकार द्वारा अच्छी सड़कें बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के उद्देश्यों का पूरा करने के लिए आवश्यक कुल निवेश सम्पत्ति 60.000 करोड़ रुपए के लगभग है। कार्यक्रम के महत्वों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए प्रयास जारी है जिसमें अन्य के साथ-साथ विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक जैसी विदेशी वित्त पोषण एजेंसियों, जो कार्यक्रमों को सहायता

प्रदान करने के लिए सिद्धांत: सहमत हो गई है, से ऋण लिया जा सकता है।

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क कार्य इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित तकनीकी विनिर्देशनों के अनुसार डिजाइन किए जाते हैं। कार्यों की उपयुक्त कार्य पैकेजों में निविदाएं मांगी जाती हैं और उन्हें निष्पादित किया जाता है तथा ठेकेदारों को 5 वर्ष की निष्पादन गारन्टी देने के लिए कहा जाता है। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली निर्धारित की गई है। कार्यक्रम कार्यान्वयन यूनिट के कार्यपालक अभियन्ता/अध्यक्ष पहले स्तर पर होते हैं जबकि राज्य अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन यूनिट से अलग गुणवत्ता नियंत्रण इकाईयां स्थापित करने के लिए कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा भी सड़क कार्यों का यादृच्छिक निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटरों को नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी नीति का तैयार किया जाना

1266. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की कब तक घोषणा किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक विवाद संबंधी समझौता

1267. श्री बसुदेव आचार्य: क्या कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष दिनांक 17.7.2002 को हड़ताल नोटिस संबंधी औद्योगिक विवाद पर कोल इंडिया लिमिटेड और इंटक, बी.एम.एल., सीटु, ए.आई.टी.यू., एच.एम.एस. से संबंधित पांच मजदूर संघ के परिसंघ के बीच एक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समझौते को लागू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, हां। मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के समक्ष दिनांक 17.7.2002 को औद्योगिक विवाद पर हड़ताल नोटिस दिए जाने पर कोल इंडिया लि. के प्रबंधन और मजदूर यूनियनों की 5 फैडरेशनों, नामत: इण्डियन नैशनल माइन वर्कर्स फैडरेशन (इनटक) इण्डियन माइन वर्कर्स फैडरेशन (ए.आई.टी.यू.सी.), अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ (बी.एम.एस.) आल इंडिया कोल वर्कर्स फैडरेशन (सीटू.) तथा हिन्द खदान मजदूर फैडरेशन (एच.एम.एस.) के मजदूर प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ था।

(ख) उपर्युक्त समझौता ज्ञापन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1. यूनियनों को आश्वस्त किया गया कि कोयला उद्योग पर मंत्रियों का समूह यूनियनों की 5 फैडरेशनों, नामत: इनटक, बी.एम.एस., ए.आई.टी.यू.सी., सीटू. तथा एच.एम.एस. की सुनवाई करेगा। तब तक, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 के मामले को संसद में विचारार्थ पेश नहीं किया जाएगा। मुद्दे के समाधान को दृष्टिगत करते हुए यूनियनें स्वतंत्र रूप से एक माह के भीतर कोयला मंत्रालय के साथ भी चर्चा करेंगी।

2. इस बात पर भी सहमति हुई कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., भारत कोकिंग कोल लि., सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. तथा नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की पुनरुद्धार योजना पर सी.आई.एल. द्वारा यूनिटरी योजना सहित शीर्षस्थ संयुक्त परमार्शदात्री समिति के साथ एक माह के भीतर चर्चा की जाएगी और पुनरुद्धार योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

3. इस बात पर सहमति हुई कि कोयला उद्योग में कार्य कर रही मजदूर यूनियनों की 5 फैडरेशनें दानकुनी कोयला परिसर हेतु पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत करेंगी, जिन पर सी.आई.एल. प्रबंधन द्वारा संयुक्त रूप से चर्चा की जाएगी। जब तक यह चर्चा नहीं होती, तब तक निविदाओं पर आगे की कार्रवाई को आस्थगित रखा जाएगा।

4. कोल इंडिया लिमिटेड अथवा इसकी किसी भी सहायक कम्पनी के विनिवेश अथवा निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

5. मजदूर यूनियनों द्वारा सरकार के साथ 3 माह के भीतर निम्नलिखित मुद्दों पर संयुक्त चर्चा की जाएगी:

   क. फ्रिन्ज लाभों पर आयकर,

   ख. कोयला खान भविष्य निधि पर ब्याज दर

   ग. पेंशन

6. लंबित मुद्दों पर कोल इंडिया प्रबंधन के साथ चर्चा की जाएगी।

   इस बात पर सहमति हुई कि 21 प्वाइन्ट मांग पत्र में उठाई गई मांगों को, जो कोयला उद्योग से संबंधित है, दिसम्बर, 2002 के अंत तक प्रबंधन और मजदूर यूनियनों के बीच संयुक्त चर्चा के माध्यम से निपटाया जाएगा।

7. कोयला उद्योग हेतु संयुक्त द्वि-पक्षीय समिति-VII (जे.बी.सी.आई.-VII) का पुनर्गठन।

   ट्रेड यूनियनों द्वारा मांग-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद तत्काल बातचीत शुरू करने की दृष्टि से जे.बी.सी.आई.-VII का गठन करने पर सहमति हुई।

8. पार्टियों द्वारा 31 मार्च, 2003 तक कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। यदि उस समय तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, तो समझौते को कार्यान्वित माना जाएगा।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की बिन्दुवार स्थिति नीचे दी गई है:-

(i) कोयला मंत्रालय के साथ बैठक आयोजित की जा रही है।

(ii) शीर्षस्थ संयुक्त परामर्शदात्री समिति के साथ दिनांक 12.8.02 को चर्चा आयोजित की गई। शीर्षस्थ जे.सी.सी. की अगली बैठक 10.12.02 को निर्धारित की गई है।

(iii) यूनियनों को पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत करनी है। इस मसले पर 10.12.02 को होने वाली शीर्षस्थ जे.सी.सी. की बैठक में चर्चा की जाएगी।

(iv) यूनियनों द्वारा नोट कर लिया गया।

(v) यूनियनें चाहती हैं कि इस बैठक को इससे पहले की किसी तिथि पर आयोजित किया जाना चाहिए।

(vi) यूनियनों द्वारा उठाए गए मांग-पत्र के कार्यान्वयन पर समय-समय पर मानकीकरण समिति में चर्चा आयोजित की गई है। मानकीकरण समिति की अगली बैठक की तारीख 11.12.2002 को निर्धारित की गई है।

(vii) जे.बी.सी.सी.आई.-VII के गठन पर इस मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय से परामर्श कर लिया गया है। सम्बद्ध मुद्दों पर लोक उपक्रम विभाग आदि से भी टिप्पणियां मांगी जा रही हैं।

(viii) सी.आई.एल. द्वारा यथा निर्दिष्ट तिथि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तमता हेतु संभावना के लिए महाविद्यालयों का चयन

1268. श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास पूरे देश में ऐसे 100 महाविद्यालयों को चयन करने हेतु कोई प्रस्ताव है जो संयुक्त रूप से उपाधि देंगे और जिनसे उत्तमता की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयनित महाविद्यालयों को किस प्रकार की सहायता दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दसवीं योजना अवधि के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता तथा उत्तमता में सुधार करने संबंधी एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश निर्धारित किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का देशभर में 100 कालेजों के चयन तथा उन्हें सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। इन कालेजों में उत्तमता की संभावना है ताकि शिक्षण गतिविधियों में उत्कृष्टता लाने तथा शोध-संस्कृति आरंभ करने के लिए वे अपने शैक्षिक ढांचे में सुधार कर सकें। इन कालेजों को विश्वविद्यालय के नाम के साथ-साथ डिग्री प्रमाणपत्र पर उनके नाम सहित "ज्वायंट डिग्री कंफरिंग स्टेट्स" प्रदान किए जाएंगें। इससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर रहा है। यह समिति

उत्तमता की संभावना वाले कालेजों के चयन के मानदण्ड तथा तौर-तरीके सुझाएगी। यह समिति योजना के तहत इन कालेजों को प्रदान किए जाने वाले वित्तीय निवेश के स्तर का सुझाव देगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दसवीं योजना अवधि के पहले वर्ष अर्थात् वर्ष 2002-2003 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 10 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा भूमि का अधिग्रहण

1269. श्री नरेश पुगलिया: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा भूमिगत खानों हेतु महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले के चिचोली क्षेत्र (सुभई गांव के निकट) में अधिगृहीत की गई भूमि का ब्यौरा क्या है और किस वर्ष भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) प्रभावित व्यक्तियों को अब तक मुआवजे के तौर पर कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और मुआवजे के कितने दावे अभी भी लंबित है;

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड की नीति के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के नामितों को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) द्वारा अब तक कितनी नौकरियां प्रदान की गई हैं जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है;

(घ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) द्वारा चिचोली क्षेत्र में भूमिगत खनन कार्य हेतु और अन्य बुनियादी ढांचा प्रदान करने हेतु कुल कितना निवेश किया गया है;

(ङ) क्या भूमिगत खनन कार्य को अब रोक दिया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) खनन कार्य के वहां कब तक पुन: शुरू किए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा चिचोली भूमिगत खान (सुभई गांव के निकट) कुल 70.72 हैक्टेयर भूमि अधिगृहीत की गई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	भूमि का प्रकार	क्षेत्र हैक्येटर में
1990	कोयलाधारी क्षेत्र अधिनियम, 1957 के अंतर्गत	
	(क) काश्तकारी भूमि	45.96
	(ख) सरकारी भूमि	17.28
	उप-जोड़	63.24
1996	भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत	7.48
	कुल	70.72

(ख) कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिगृहीत की गई भूमि के कोयला विभाग द्वारा अनुमोदित 43,59,158 रुपयों में से डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा भू-वंचितों को 34,40,162 रुपये की राशि संवितरित की गई है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत 3,36,857 रुपये की राशि भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास जमा करा दी गई है।

(ग) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा 28 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

(घ) डब्ल्यू.सी.एल. के खनन कार्य के लिए 490.84 लाख रुपयों तथा दूसरे आधारभूत संरचना के लिए 401.27 लाख रुपयों का निवेश किया है।

(ङ) और (च) जी, हां। भारी नुकसान तथा प्रतिकूल खनन स्थितियों के कारण खानें बन्द की गई थीं। राष्ट्रीय राक मेकेनिकस, बंगलौर के अनुसार किसी सपोर्ट सिस्टम को उपयुक्त तथा लाभकारी नहीं पाया गया था।

(छ) कोयला भण्डार के एक भाग को ओपनकास्ट पद्धति से निकालने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन संस्थान में तैयार की जा रही है। यदि परियोजना वित्तीय और तकनीकी रूप से व्यवहार्य हुई तो इसे अनुमोदित किया जाएगा और ओपन कास्ट खोली जाएगी।

तिहाड़ जेल में मोबाइल फोनों का उपयोग

1270. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली की तिहाड़ कारागार सहित विभिन्न राज्यों की कारागारों के अंदर से ऊंची पहुंच वाले अपराधी जेल कर्मचारियों की सहायता से मोबाइल फोनों का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले के संबंध में किसी जांच के आदेश दिये हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसे जेल कर्मचारियों और दूरसंचार कंपनियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई कर रही है अथवा कार्रवाई करने का विचार है जिन्होंने अपराधियों को मोबाइल फोन प्रदान किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कारागारों की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 4 के अनुसार जेल राज्य का विषय है अत: जेल प्रशासन राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्र सरकार के पास, मई 2000 में तिहाड़ जेल के एक कैदी के पास से सेलफोन बरामद होने की घटना के अलावा जेल के अन्दर से ऊंची पहुंच वाले अपराधियों के सक्रिय होने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जांच करने पर पता चला है कि तमिलनाडु विशेष पुलिस के एक कांस्टेबल ने एक कैदी को सेलफोन दिया था। तदोपरान्त तमिलनाडु विशेष पुलिस की 7वीं बटालियन के कमांडेंट ने उक्त कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया था। तिहाड़ जेल में सेलफोन सहित निषिद्ध मदों की तस्करी को रोकने, वाड्र्स तथा बैरेक्स में सतर्कता में वृद्धि, प्रवेश द्वारो पर जांच तथा जामा: तलाशी के स्थानों पर अतिरिक्त चैकिंग, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्राय: अकस्मात तलाशी लेना तथा उच्च सुरक्षा वाले वार्डों में चौकसी करने वाले कर्मचारियों द्वारा सेलफोन डिटेक्टर का प्रयोग आदि जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

गणित प्रयोगशालाओं का खोला जाना

1271. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की भांति गणित प्रयोगशाला खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रणाली छात्रों के लिए किस प्रकार लाभदायक होने की संभावना है;

(ग) क्या सी.बी.एस.ई. ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोगशालाओं के कब तक खुलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार यह बोर्ड गणित प्रयोगशालाओं को स्थापित करने को प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है। यह महसूस किया गया है कि गणित का अध्ययन कर रहे विद्यार्थी भयभीत है और इसलिए वे इस विषय में बेहतर निष्पादन करने की स्थिति में नहीं है। इस पद्धति से विद्यार्थियों में गणित के अध्ययन के प्रति रूझान विकसित होगा। इसलिए बोर्ड ने स्कूलों में गणित प्रयोगशालाओं को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार किये जा रहे हैं और इसलिए सभी सम्बद्ध स्कूलों में प्रयोगशालाओं को शुरू करने की निश्चित समय सीमा नहीं दर्शाई गई है।

[अनुवाद]

भोपाल गैस त्रासदी

1272. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री वारेन एम. एन्डरसन के विरुद्ध संदोष मानव वध के आरोप को कम करके असावधानी और लापरवाही के आरोप लगाने हेतु भोपाल के सी.जे.एम. न्यायालय में आवेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो किसके आदेशों से यह आरोपों को कम करने के लिए आवेदन किया गया जबकि उन्होंने आरोपों को कम करने के लिए किसी भारतीय न्यायालय से संपर्क नहीं किया था;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आरोपों में कमी संबंधी आवेदन को भोपाल के सी.जे.एम. न्यायालय ने खारिज कर दिया है और उसने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी अंडरसन के अमरीका से भारत प्रत्यार्पण में शीघ्रता करने का आदेश दिया है;

(च) क्या अभी अंडरसन के प्रत्यार्पण हेतु कार्रवाई आरंभ कर ली गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और प्रत्यार्पण संबंधी कार्यवाही कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) और (ङ) मामले के गुण-दोष के बारे में विधिक राय के आधार पर प्रत्यर्पण मामले में मि. एंडरसन के विरुद्ध आगे कार्रवाई करने के लिए सी.बी.आई. धारा 304-ए-

भा.दं.सं. के तहत गैर-सरकारी वारंट जारी करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल की अदालत में गयी। तथापि न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया।

(घ) चूंकि उक्त आवेदन जमा करना विधिक राय में एक वैध कार्य था, अत: किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई मामला नहीं बनता है।

(च) और (छ) सी.बी.आई. से प्राप्त सूचना के अनुसार यू.एस.ए. के साथ प्रत्यर्पण संधि की अपेक्षाओं के अनुरूप सितम्बर, 1999 से लागू संशोधित अनुरोध अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन

1273. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री कमलनाथ:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल 31 मार्च, 1994 को समाप्त हो जाने के बाद तत्कालीन एवं बाद की सरकारों द्वारा इसके पुनर्गठन पर विचार किया गया है, तथापि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का बढ़ाया जाना

1274. श्रीमती हेमा गमांग: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे आवंटन को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना पर हुई चर्चा के आधार पर विभिन्न केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आवंटन योजना आयोग द्वारा किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मेघालय में कोयला भण्डार

1275. श्री सुनील खां: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा मेघालय में कितने कोयला भण्डारों का पता लगाया गया है;

(ख) सरकार द्वारा उस क्षेत्र से कोयले के उत्खनन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य में अवैध कोयला उत्खनन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई हैं;

(घ) क्या बंगलादेश से कोयले की हमारे यहां तस्करी की जा रही है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मेघालय में कितने कोयले का उत्पादन हुआ?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) मेघालय राज्य में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आंकलित 1.1.2002 की स्थिति के अनुसार सतह से 300 मीटर की गहराई तक कुल कोयला भंडार निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन में)

प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	कुल
117.83	40.89	300.71	459.43

(ख) नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स ने पश्चिम दारनगिरी कोलफील्ड्स के अधीन लीज होल्ड क्षेत्र में सिमसोंग पर अन्वेषणात्मक डिप बनाने का कार्य आरम्भ किया है। वर्तमान में खनन कार्य स्थगित पड़ा हुआ है।

(ग) हालांकि मेघालय राज्य में कोयला खान खोलने के लिए कोयला नियंत्रक की कोई प्रारंभिक अनुमति नहीं है, मेघालय राज्य खनिज संसाधन निदेशालय राज्य से कोयले के उत्पादन के बारे में सूचना देता रहा है।

(घ) बंगलादेश से भारत में कोयले की तस्करी किए जाने की कोई सूचना नहीं है।

(ङ) खनिज संसाधन निदेशालय, मेघालय सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वित्त वर्ष के दौरान कोयले का उत्पादन निम्नानुसार है:

(मिलियन टन में)

1999-2000	2000-2001	2001-2002
4.060	4.065	5.149

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रौद्योगिकी विकास

1276. श्री वाई.वी. राव: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा ऐसी कितनी प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है जिन्हें वाणिज्यिकीकरण हेतु उद्योग को हस्तांतरित किया गया है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रौद्योगिकियों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा कितने पेटेंट दायर किए गए; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (ग) सीएसआईआर ने गत तीन वर्षों (1999-2000 से 2001-2002) के दौरान 500 प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। इनमें से 344 प्रौद्योगिकियां वाणिज्यिक दोहन के लिए उद्योग को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। ये प्रौद्योगिकियां जैवप्रौद्योगिकी, रसायन, औषध एवं भेषज, इलेक्ट्रानिक्स एवं उपकरणन, ऊर्जा, खाद्य एवं खाद्य संसाधन, आवास एवं निर्माण, चर्म एवं चर्मरसायन, मशीनरी एवं उपस्कर तथा खनिज, धातु एवं पदार्थों आदि क्षेत्रों से संबंधित है।

(घ) और (ङ) सीएसआईआर ने गत तीन वर्षों (1999-2000 से 2001-2002) के दौरान 2428 पेटेंट फाइल किए हैं। इनमें से 1197 पेटेंट भारत में और 1231 पेटेंट विदेश में फाइल किए गए।

[हिन्दी]

कारगिल के शहीदों के आश्रितों और अपंग हुए सैनिकों के लिए फ्लैटों का निर्माण

1277. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेना मुख्यालय की सलाह पर कारगिल के शहीदों के आश्रितों और अपंग हुए सैनिकों को लगभग 414 तीन मंजिले फ्लैटों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्मित फ्लैट आवश्यकतामंद सैनिकों की संख्या की तुलना में बहुत कम हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ और अधिक फ्लैटों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) निर्मित 414 फ्लैटों में से 247 फ्लैट उन कारगिल शहीदों के आश्रितों तथा अपंग हुए सैनिकों को आवंटित कर दिए गए हैं, जिनके आवेदन अभी तक मिले चुके हैं। चूंकि प्राप्त आवेदनों की संख्या निर्मित फ्लैटों की संख्या से कम है, अत: स्कीम 31.12.2002 तक बढ़ा दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

उर्वरक विकास कोष

1278. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक विकास कोष के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार के विचार क्या हैं; और

(घ) उक्त कोष का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) यूरिया इकाईयों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तावित समूह रियायत योजना के भाग के रूप में उर्वरक उद्योग विकास निधि का सृजन सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित समूह रियायत योजना को अनुमोदन प्रदान करते समय इस मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

राजनीतिक नेताओं को सरकारी बंगलों का आवंटन

1279. **श्रीमती कान्ति सिंह:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में राजनीतिक नेताओं को आवंटित उन सरकारी बंगलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद भी खाली नहीं किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें उनकी स्मृति में स्मारक में बदलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क)

1. सं. 6, कृष्णा मेनन मार्ग
2. सं. 100, लोदी एस्टेट
3. सं. 27, सफदरजंग रोड

(ख) और (ग) उपर्युक्त क्रम सं. 1 और 2 के संबंध में दो आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें इन्हें स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम और स्वर्गीय श्री देवी लाल के स्मारकों के रूप में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है। तथापि ये अनुरोध नामंजूर कर दिए गए हैं क्योंकि सरकार ने किसी भी बंगले का स्मारक के रूप में उपयोग करने की अनुमति न देने का निर्णय किया है।

(घ) 6, कृष्णा मेनन मार्ग के संबंध में आवंटन रद्द कर दिया गया है और यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। प्रार्थी ने दिनांक 30.11.2002 तक बंगला खाली करने का उच्च न्यायालय के समक्ष वचन दिया है। अन्य दो मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है।

'राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण'

1280. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देश में बिना किसी मूलभूत अवसंरचना के आपदा निवारण और प्रबन्धन की निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि हरिद्वार में गायत्री लोक और देहरादून और मसूरी में बहुत से अन्य भवनों जैसी ऊंची-ऊंची भवन सोसाइटी और परिसर अति भूकम्प प्रवण क्षेत्र में स्थित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) और (ख) महोदय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं है। तथापि इस प्रस्ताव की जांच सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। गृह मंत्रालय, जो कि नोडल एजेंसी है, द्वारा अन्य सरकारी विभागों एवं संस्थानों के साथ मिल कर देश में आपदा निवारण एवं प्रबन्धन की दिशा में समुचित कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्र उच्च भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र में आते हैं और इसलिए देहरादून, मसूरी और हरिद्वार भूकम्प प्रवण क्षेत्र है। विशिष्ट भवनों के जोखिम स्तरों और उनकी भूकम्प प्रवणता का उल्लेख कर पाना अभी सम्भव नहीं है।

(ङ) और (च) गृह मंत्रालय द्वारा आपदाओं के प्रभावपूर्ण प्रबन्धन के लिए उत्तरांचल सहित विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिल कर आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार की गई हैं।

भारतीय शिक्षा सेवा

1281. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा प्रबंधन में व्यवसायीकरण लाने के लिए भारतीय शिक्षा सेवा आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है; और

(घ) इसे कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) भारतीय शिक्षा सेवा के गठन से जुड़े प्रश्न पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से विचार किया गया था। 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जबकि 6 राज्य इसके पक्ष में नहीं थे। सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य पणधारियों से परामर्श के बाद मतैक्य बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं।

[हिन्दी]

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

1282. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली में अवैध रूप से बनाई गई कुछ कालोनियों को नियमित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा 31.10.02 की स्थिति के अनुसार कितनी कालोनियां नियमित की गई हैं और उनके नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां हैं;

(ग) क्या नियमित की गई कालोनियों में मकानों के नक्शे भी उनके वर्तमान स्वरूप में पास किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ऐसी कालोनियों के मकानों के नक्शे उनके वर्तमान स्वरूप में पास करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए सी.डब्ल्यू.पी. सं. 4771/1993-कामन काज (पंजीकृत) सोसायटी बनाम केन्द्र सरकार तथा अन्य के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश फाइल किए हैं। माननीय न्यायालय ने दिनांक 27.2.2001 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ, इस मंत्रालय को ऐसी कालोनियों की सूची अधिसूचित करने का निदेश दिया है जिन्हें दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित किया जा सकता है। न्यायालय ने दिल्ली में अगले आदेशों तक अनधिकृत किसी भी कालोनी को नियमित करने के लिए सरकार को मना किया है।

(ख) से (छ) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेसमेंटों का वाणिज्यिक प्रयोग

1283. श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री रामजी मांझी:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 सितम्बर, 2002 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में 'एन.डी.एम.सी.' 'लेट्स आउट प्रोपर्टी; इग्नोरस एच.सी. आडर नार्मस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पट्टे को रद्द करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि साकेत, लाजपत नगर आदि जैसी दिल्ली की विभिन्न आवासीय कालोनियों में फुटपाथों पर निवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो एम.सी.डी. द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई और इन्हें कब तक हटाया जाएगा;

(च) क्या लाजपत नगर और दिल्ली के कई क्षेत्रों में निर्मित भूमिगत बेसमेंटों को किराये पर दिया गया है और उनका उपयोग वाणिज्यिक कार्यों के रूप में किया जा रहा है;

(छ) यदि हां, तो क्या बेसमेंटों का वाणिज्यिक उपयोग होने से सड़कों पर वाहन खड़े किये जाने पर औरों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है;

(ज) यदि हां, तो क्या बेसमेंटों का वाणिज्यिक उपयोग किया जा सकता है; और

(झ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार सभी बेसमेंटों में वाणिज्यिक गतिविधियों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई करने का है और इन्हें कब तक हटाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि मामला अकबर भवन, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली से संबंधित है। स्थान ग्राउंड/लोवर ग्राउंड पर है। उपर्युक्त परिसर के खाली होने पर इसे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा रेस्तरां और बैंकर हेतु निविदा पर लायसेंस/गैर लायसेंस प्रयोजन के लिए आबंटित किया गया है। आबंटन प्रस्ताव मुख्य वास्तुकार तथा चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य व अन्य संबंद्ध विभागों से मंजूरी/अनापत्ति प्रमाणपत्र के अध्यधीन था।

(ग) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फुटपाथों पर अतिक्रमण के मामले प्रकाश में आए हैं, जिसके लिए समय-समय पर ऐसे अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की गई है।

(च) से (झ) बेसमेंटों का निर्माण भवन योजनाओं की पूर्व मंजूरी से किया गया है। दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)- 2001/ दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेसमेंटों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता। केन्द्र सरकार समय-समय पर अतिक्रमणों/बेसमेंटों के वाणिज्यिक उपयोग का पता लगाने के लिए दिल्ली विकास (डीडी) अधिनियम 1957/दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 347 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु स्थानीय निकायों/दिल्ली विकास प्राधिकरण पर जोर दे रही है।

सीमा विवाद

1284. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने असम और इसके पड़ोसी राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद से उत्पन्न अस्थिर स्थिति के संबंध में केन्द्र सरकार से सम्पर्क साधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) विवादों को हल करने के क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, असम सरकार ने, असम और नागालैंड और असम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दो अलग-अलग वाद दायर किए हैं।

जहां तक असम और मेघालय राज्य के बीच सीमा विवाद का संबंध है, असम सरकार ने सूचित किया है कि असम और मेघालय राज्य के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए 18.6.2002 को गुवाहाटी में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी। दोनों मुख्यमंत्री मामले को आपसी सूझ-बूझ से हल करने पर सहमत हुए। यह भी निर्णय लिया गया कि सीमा समस्या को हल करने के लिए दोनों तरफ के उप-आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के बीच बार-बार बैठकें की जायं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश

1285. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय और विदेशी निवेशक दोनों ही ने पूर्वोत्तर राज्यों में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में निवेशकों ने रुचि दिखाई है;

(ग) क्या निवेश का कोई ठोस प्रस्ताव सामने आया है; और

(घ) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले निवेश का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी हां। भारत और विदेश दोनों से ही एक बड़ी संख्या में निवेशकों ने पूर्वोत्तर राज्यों में निम्नलिखित क्षेत्रों में रुचि दिखाई है:- सीमेन्ट और चूना, सीमेन्ट और जिप्सम उत्पाद, सिरैमिकस, रसायन (उर्वरकों के अलावा), संचार कार्यालय और घरेलू साज-सज्जा, प्रसाधन सामग्री, प्रक्षालक, औषधियां और औषधीय पदार्थ, बिजली के उपकरण, खमीर उद्योग, इलैक्ट्रानिक वस्तुएं, पुष्पकृषि, उर्वरक, खाद्य

संसाधन उद्योग, खाद्य और पेय पदार्थ, फैरो सिलिकान, ईन्धन, गैस आधारित उद्योग, कांच, हरबल उत्पाद, औद्योगिक मशीनरी, सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं, पटसन, दवाईयां, धातुकर्मीय उद्योग, विविध यान्त्रिक और अभियांत्रिक उद्योग, प्राइममूवरज विद्युत उत्पादकों (जेनरेटरों) को छोड़कर, कागज और कागज उत्पाद, प्लास्टिक्स, विद्युत यंत्र, रबड़ का सामान, साबुन और प्रसाधन कक्ष निमित्तियां, चीनी, पर्यटन, दूरसंचार, वस्त्र, लड़की उत्पाद, परिवहन उद्योग, वनस्पति तेल और वनस्पति, विविध उद्योग।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड ने सूचित किया है कि गत पांच वर्षों में कुल 461 इकाइयां (मध्यम और बड़ी) स्थापित की गई हैं अथवा क्रियान्वयन के अंतर्गत हैं।

राज्य	इकाइयों की संख्या	निवेश (करोड़ रुपयों में)
असम	400	874.00
मेघालय	32	101.07
त्रिपुरा	23	115.10
अरुणाचल प्रदेश	5	10.29
नागालैण्ड	1	उपलब्ध नहीं है

तथापि, मिजोरम और मणिपुर में (छोटे और लघु उद्यमों को छोड़कर) गत 5 वर्षों के दौरान कोई प्रमुख उद्योग स्थापित नहीं किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों द्वारा निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई गई है:

1. मेघालय राज्य में 236.18 करोड़ रुपये के निवेश से 57 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।

2. नागालैण्ड राज्य में, 7.00 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से दीमापुर में एक काल सेक्टर स्थापित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा हैदराबाद की एक फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

3. उद्यम कर्त्ताओं ने त्रिपुरा राज्य में 10 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सन्दल वुड तेल निकालने की इकाई, 11.50 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अनानास पाऊडर और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए एक परियोजना, 250 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक एकीकृत स्टील परियोजना और लगभग 3 करोड़ रुपये के निवेश से दो सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं (एक काल सेन्टर सहित) स्थापित करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है। उद्यमकर्त्ताओं ने 330 मैगावाट गैस आधारित विद्युत परियोजना, 18 करोड़ रुपये के निवेश के साथ बहु-फल (मल्टीफ्रूट) संसाधन इकाई और 15 करोड़ रुपये के निवेश के साथ रबड़-आधारित आटोमोबाइल टायर परियोजना स्थापित करने के लिए रुचि जाहिर की है। इसके अलावा ओसवाल ग्रुप ने 2000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक मिलियन टी.पी.ए. (टन प्रति वर्ष) गैस आधारित यूरिया परियोजना जिसके लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से गैस आबंटन पहले से ही प्राप्त कर लिया गया है, स्थापित करने के लिए रुचि दिखाई है।

4. असप राज्य में अप्रैल, 2001 से जुलाई, 2002 तक 1080 करोड़ रुपये के निवेश के लिए 90 औद्योगिक उद्यमकर्त्ता ज्ञापन (आई.ई.एन.) दाखिल किये गये हैं। इनमें से 809 करोड़ रुपये के निवेश से, 55 इकाइयां स्थापित करने के लिए 55 आई.ई.एम. कार्यान्वित किये जा चुके हैं। इस अवधि में लघु उद्योग में भी 68 करोड़ रुपये की राशि लगाई जा चुकी है। इसके अलावा संयुक्त क्षेत्र में एक गैस क्रैकर परिसर स्थापित करने के लिए औद्योगिक अनुमति प्रदान की गई है।

5. सिक्किम में, सामने आए ठोस प्रस्तावों में पंगथांग में एक पंचतारा होटल और डेरी उत्पादों के निर्माण के लिए एक भारत-स्विटजरलैण्ड परियोजना शामिल है। सिक्किम प्रीसियन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने विद्युत उपकरण और स्पीकरों के निर्माण के लिए बी.ई.एल. और बी.पी.एल. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

6. अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर राज्य ने बताया है कि भारत और विदेश से निवेश के लिए कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया है।

चंडीगढ़ प्रशासन

1286. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ नगर निगम को क्रमश: तत्कालीन मनीमाजरा अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र से विषयवार अर्जित हुई आय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में मनीमाजरा को सेवाएं प्रदान करने पर कितनी राशि व्यय की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) चूंकि तत्कालीन मनीमाजरा अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र संघ शासित क्षेत्र प्रशासन चंडीगढ़ की पृथक प्रशासनिक इकाई नहीं है अत: इस क्षेत्र से अर्जित कर राजस्व का अलग-अलग ठीक-ठीक ब्यौरा देना संभव नहीं है। तथापि वार्षिक आकार तथा इस क्षेत्र से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर राजस्व का लगभग 50% भाग जिसमें भू-राजस्व स्टैम्प व पंजीकरण, राज्य आबकारी, बिक्री कर, वाहनों पर कर, माल तथा यात्रियों पर कर, बिजली पर कर और शुल्क आदि शामिल है, तत्कालीन मनीमाजरा अधिसूचित क्षेत्र समिति से आता है। नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा इस क्षेत्र से अर्जित आय में सम्पदा प्राप्तियां शामिल हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान निगम ने सम्पदा प्राप्तियों से 9.15 करोड़ रु. की राशि उगाही है जबकि विगत तीन वर्षों के दौरान इसी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण पर 7.24 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं।

(ख) इस क्षेत्र में सेवाएं चंडीगढ़ प्रशासन तथा नगर निगम, चंडीगढ़ दोनों ही प्रदान करते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य पर किए गए कुल व्यय का अनुमानित 5 से 10% तत्कालीन मनीमाजरा अधिसूचना क्षेत्र समिति क्षेत्र पर व्यय किया गया है। इसी प्रकार नगर निगम, चंडीगढ़ ने भी अपने कुल व्यय का 5 से 10% इस क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर व्यय किया है।

एन.टी.सी. का विनिवेश

1287. श्री मोहन रावले: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम में विनिवेश का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

1288. श्री रामजी मांझी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कतिपय राज्य सरकारों ने केन्द्रीय निधि के 121.21 करोड़ रुपये में से 79.22 करोड़ पीडी एकाउन्ट्स में रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने वर्ष 1995-96 से 1999-2002 के दौरान अनौपचारिक शिक्षा के प्रयोजनार्थ 41.99 करोड़ रुपये की धनराशि को अन्यत्र लगा दिया जिससे 1.36 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं खुल सके और इस प्रकार 34 लाख बच्चों को इस योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ा, जैसा कि नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या 3 के पृष्ठ 96 पर उल्लेख किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में विशेषकर बिहार और गुजरात में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2002 की रिपोर्ट संख्या (सिविल) 3, जो संसद के समक्ष 19.3.2002 को रख दी गई थी में अनौपचारिक शिक्षा के लिए राज्यों को जारी की गई निधियों के उपयोग में स्पष्ट अनियमितताएं उजागर की गई हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अभिमत राज्यों को पहले ही परिचालित कर दिया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा योजना 1.4.2001 से बंद कर दी गई है। राज्यों द्वारा 1.4.2001 को भारत सरकार को दी गई रिपोर्ट के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत अव्ययित शेष को वापस करने के लिए राज्यों से आग्रह किया गया है।

चेन्नै में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान का विस्तार

1289. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास चेन्नै के राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान में गैस हाइड्रेट अनुसंधान केन्द्र भी जोड़ा जा रहा है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो उक्त के वित्तपोषण के लिए क्या प्रावधान किया गया है;

(ङ) क्या इस केन्द्र के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं। चेन्नै स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार का कोई विचार नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के मौजूदा अवसंरचना के तहत एक गैस हाइड्रेट अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की कार्रवाई चल रही है।

(ग) और (घ) दसवीं योजना के दौरान 100 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय पर गैस हाइड्रेट्स की रूपरेखा और इसके अध्ययन/प्रतिचयन की प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव किया गया है, और दसवीं योजना परिव्यय में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

(ङ) और (च) प्रस्तावित केन्द्र में रूसी विज्ञान अकादमी के तहत रूसी संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान और विकास संबंधी कुछ कार्यक्रम संचालित करने का विचार किया जा रहा है। ब्यौरे तथा अन्य तौर तरीकों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

जड़ी-बूटियों संबंधी राष्ट्रीय नीति

1290. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए जड़ी-बूटियों और अन्य दवाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.एस.आई.आर. को भी इस योजना में लगाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए दवा उत्पादकों को सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा देश से भेषजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सरकार द्वारा भारतीय दवा पद्धतियां एवं होम्योपैथी के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है। आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथिक औषधों को औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। फार्मूलरी निर्माण तथा फार्माकोपियल मानक निर्धारित करना एक सतत कार्य है।

(ग) और (घ) सी एस आई आर की प्रयोगशालाएं फार्माकोपियल मानकों को तैयार करने में लगी हुई हैं। संयंत्र अनुसंधान के रूप में सहयोग परक परियोजना को भी लिया गया है।

(ङ) से (छ) संरक्षण, खेती, विपणन इत्यादि से संबंधित गतिविधियों में समन्वय के लिए औषधीय पादप बोर्ड स्थापित किया गया है। इससे निर्यात के उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्ची औषधों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। विदेशों में बाजार सर्वेक्षणों का निधियन किया गया है। प्रयोगशाला सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। अच्छी विनिर्माणमूलक परिपाटियां अधिसूचित की गई हैं। आयातक देशों की जरूरतों के अनुरूप लेबल लगाने विषयक प्रावधानों को भी संशोधित किया गया है।

[हिन्दी]

कोयले के भंडारों की स्थिति

1291. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयले के भंडारों की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य क्या था और इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लगभग 75 प्रतिशत कोयले की खुदाई हाथ से की जाती है, जिससे कोयले की बर्बादी ही नहीं होती बल्कि उत्पादन लागत भी बढ़ जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) 31.03.2002 की स्थिति के अनुसार देश में कोयले के पिट हैड विक्रय योग्य भण्डारों की राज्य-वार स्थिति निम्न प्रकार है:

(मिलियन टन)

राज्य	कुल
आंध्र प्रदेश	0.582
असम	0.480
छत्तीसगढ़	4.769
जम्मू-कश्मीर	0.016
झारखण्ड	6.375
मध्य प्रदेश	1.298
महाराष्ट्र	1.004
मेघालय	0.000
उड़ीसा	1.672
उत्तर प्रदेश	0.270
पश्चिमी बंगाल	1.658
अखिल भारत	18.124

(ख) पिछले तीन वर्षों में कोयला उत्पादन के लक्ष्य तथा हुई उपलब्धियों (अखिल भारत) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1999-2000	298.90	304.10
2000-01	308.07	313.70
2001-02	325.65	327.79

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

चौथी दक्षिण एशियाई भूगर्भीय कांग्रेस का सम्मेलन

1292. श्री अम्बरीश: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल में चौथी दक्षिण एशियाई भूगर्भीय कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) जी हां। चौथा साउथ एशिया जियोलाजिकल कांग्रेस का सम्मेलन नई दिल्ली में 13-15 नवम्बर, 2002 के बीच हुई था। इस सम्मेलन का विषय था "क्वाटरनरी जियोलाजी एण्ड डायनेमिक्स आफ साउथ एशिया"। सम्मेलन के दौरान भू-वैज्ञानिकों के बीच व्यापक रूप से निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई:-

1. क्वाटरनरी प्रोसेसिस, कोस्टल डायनेमिक्स एण्ड नियोटेक्टोनिक्स।
2. क्वाटरनरी के दौरान जलवायु संबंधी परिवर्तन-कारण और उनका प्रभाव।
3. क्वाटरनरी स्ट्रेटिग्राफी।
4. क्वाटरनरी युग के दौरान जीवन का विकास।
5. एओलिन और ग्लेशियल प्रोसेसिस तथा उनका प्रभाव।
6. क्वाटरनरी संसाधन-क्षमताएं और बाधाएं।

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत राज्यों को सहायता

1293. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए वर्ष 2000-01 हेतु 1960 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या 15.2.2001 तक 1819.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो वित्तीय लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी उपलब्धि हासिल की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए स्वीकृत 1960 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 1716.03 करोड़ रुपए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किए गए थे तथा 1523.10 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे। वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्रामीण बस्तियों की कवरेज से संबंधित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण इसके साथ संलग्न है।

विवरण

2000-2001 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति के अंतर्गत बस्तियों की कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य					कवरेज									% कवरेज		
		माह कोड	बसावटों की संख्या				बसावटों की संख्या									स्कूलों की सं.	लक्ष्य की तुलना में	लक्ष्य की तुलना में
			एन सी*	पी सी	कुल	स्कूलों की सं.	एआरडब्ल्यूएसपी			एमएनपी			कुल (एआरडब्ल्यूएसपी +एमएनपी)				(कालम 6)	(कालम 7)
							एन सी	पी सी	कुल	एन सी	पी सी	कुल	एन सी*	पी सी	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	03	0	5400	5400	4224	0	1500	1500	0	1500	1500	0	3000	3000	703	55.56	16.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	03	400	300	700	99	33	74	107	4	15	19	37	89	126	48	18.00	48.48
3.	असम	03	1500	3000	4500	3274	703	1934	2637	119	70	189	822	2004	2826	–	62.80	0.00
4.	बिहार	03	52	2	54	4199	40	0	40	10	0	10	50	0	50	–	92.59	0.00
5.	छत्तीसगढ़(@	03	1208	2795	4003	1900	338	2724	3062	468	3764	4232	806	6488	7294	655	182.21	34.47
6.	गोवा	03	16	37	53	48	0	0	0	5	3	8	5	3	8	–	15.09	0.00
7	गुजरात	03	200	1000	1200	1735	92	738	830	11	154	165	103	892	995	0	82.92	0.00
8.	हरियाणा	03	12	276	288	150	6	192	198	6	366	372	12	558	570	150	197.92	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	03	1000	1300	2300	399	846	844	1690	299	459	758	1145	1303	2448	399	106.43	100.00
10.	जम्मू-कश्मीर	03	1200	800	2000	1101	260	59	319	10	210	220	270	269	539	–	26.95	0.00
11.	झारखंड(@	10	573	142	715	-	14	4	18	62	19	81	76	23	99	–	13.85	#डीआईवी/01
12.	कर्नाटक	03	65	4485	4550	2936	55	3236	3291	0	2215	2215	55	5451	5506	–	121.01	0.00
13.	केरल	03	455	1100	1555	189	2	97	99	35	101	136	37	198	235	113	15.11	59.79
14.	मध्य प्रदेश	03	759	5931	6690	4459	316	3807	4123	316	3807	4123	632	7614	8246	4763	123.26	106.82
15.	महाराष्ट्र	03	1000	7500	8500	2965	192	1165	1357	149	4102	4251	341	5267	5608	1151	65.98	38.82
16.	मणिपुर	03	74	300	374	319	0	34	34	0	47	47	0	81	81	–	21.66	0.00
17.	मेघालय	03	300	280	580	516	169	36	205	37	98	135	206	134	340	–	58.62	0.00
18.	मिजोरम	03	0	569	569	97	0	84	84	0	118	118	0	202	202	159	35.50	163.92
19.	नागालैंड	03	200	100	300	157	7	43	50	17	31	48	24	74	98	–	32.67	0.00
20.	उड़ीसा	03	448	1469	1917	3928	382	1387	1769	32	64	96	414	1451	1865	–	97.29	0.00
21.	पंजाब	03	1000	800	1800	250	182	0	182	76	0	76	258	0	258	165	14.33	66.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22.	राजस्थान	03	3000	8000	11000	2084	944	7445	8389	12	1853	1865	956	9298	10254	–	93.22	0.00
23.	सिक्किम	03	0	462	462	34	0	65	65	0	65	65	0	130	130	30	28.14	84.24
24.	तमिलनाडु	03	0	6000	6000	1455	0	1876	1876	0	4741	4741	0	6617	6617	2257	110.28	155.12
25.	त्रिपुरा	03	300	754	1054	231	0	252	252	254	489	743	254	741	995	90	94.40	38.96
26.	उत्तर प्रदेश	03	75	3556	3631	5054	41	3066	3107	2	364	366	43	3430	3473	–	95.65	0.00
27.	उत्तरांचल@	03	357	1443	1800	–	69	136	205	26	119	145	95	255	350	0	19.44	#डीआईवी/01
28.	प. बंगाल	03	0	7256	7256	2152	0	2115	2115	0	4202	4202	0	6317	6317	1171	87.06	54.41
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	03	0	50	50	36	0	0	0	0	20	20	0	20	20	–	40.00	0.00
30.	दादरा और नागर हवेली	03	56	50	106	43	0	0	0	10	47	57	10	47	57	23	53.77	53.49
31.	दमन और दीव	03	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	100.00	100.00
32.	दिल्ली	03	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-#डीआईवी/01		0.00
33.	लक्षद्वीप	03	0	10	10	1	0	0	0	0	3	3	0	3	3	1	30.00	100.00
34.	पांडिचेरी	03	20	30	50	32	0	1	1	0	6	6	0	7	7	–	14.00	0.00
35.	चंडीगढ़		0	0	0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल		14270	65198	79468	44086	4691	32914	37605	1960	29053	31013	6651	61967	68618	11879	86.35	26.95

*1985 की सूची की निम्नलिखित एन.के.पी.बी. शामिल है।

राज्य	लक्ष्य	कवरेज
असम	2	0
गुजरात	6	0
जम्मू-कश्मीर	12	0
राजस्थान	3	0
कुल	23	3

झारखण्ड तथा उत्तरांचल के मामले में विद्यालयों की कवरेज से संबंधित लक्ष्य के आंकड़े बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में शामिल कर दिए गए हैं।

बाल्को का विनिवेश

1294. श्री ए. नरेन्द्र:
श्री राजो सिंह:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 सितम्बर, 2002 के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''सी.ए.जी. कास्टिगेट्स डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री आन बाल्को प्राइसिंग'' तथा दिनांक 20 सितम्बर, 2002 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में ''बाल्को अंडरवेल्यूड बाई रुपीज, 302 करोड़'' शीर्षकों से प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा क्या टिप्पणियां की गई हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या बाल्को के मूल्य में डिस्काउन्टेज कैश मैथड को अपनाने से 302.37 करोड़ रुपये तक का ह्रास हुआ था;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(च) क्या 20 प्रतिशत सीमा शुल्क को दिखा कर के बाल्को के मूल्य को कम करने का प्रयास जानबूझकर किया गया था जिसके कारण पूर्वानुमान अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान घरेलू बिक्री मूल्य कम रहा और अंततः राजस्व में भी घरेलू कमी आई और डी.सी.एफ. मूल्यांकन में कमी देखी गई;

(छ) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान वास्तविक सीमा शुल्क 27.5 प्रतिशत (25 प्रतिशत मूल कर, 10 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत अतिरिक्त कर) था;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा बाल्को के मूल्यांकन हेतु क्या नीति अपनाई गई है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 2001 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी मसौदा जांच रिपोर्ट में बाल्को में सरकारी इक्विटी के संबंध में कतिपय प्रारंभिक लेखा-परीक्षा टीका-टिप्पणियां की थी। उनसे संबंधित सरकार की टीका-टिप्पणियां, अपनी जांच रिपोर्ट, जो अभी प्रतीक्षारत है, को अंतिम रूप देने के लिए उनकी सहायता हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को दिसम्बर, 2001 में भेज दी गई हैं।

(घ) जी, नहीं। स्थापित क्रियाविधि के अनुसार बाल्को का मूल्य निर्धारण करने के लिए चार मूल्य निर्धारण पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया था। यद्यपि डिस्काउण्टेड कैशस फ्लो पद्धति सबसे ज्यादा उपयुक्त थी, इस पद्धति के माध्यम से प्राप्त 332 करोड़ 507 करोड़ तक के मूल्य निर्धारण को बाल्को की 51 प्रतिशत इक्विटी के लिए उससे अधिक 514.40 करोड़ रुपए का आरक्षित मूल्य तय करने के लिए उपयुक्त ढंग से समायोजित किया गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं। बाल्को का मूल्य कम करने का कोई इच्छाकृत प्रयास नहीं किया गया था। काउण्टरवेलिंग शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क को छोड़कर सीमा शुल्क की दर को, आयात शुल्क में धीरे-धीरे कमी और तर्कसंगत करने की संभावनाओं के अनुसार डिस्काउण्टेड कैश फ्लो की गणना करने के उद्देश्य के लिए 2001-02 से 2009-2010 की अवधि में औसत 15 प्रतिशत होना माना गया था।

(छ) और (ज) 02 मार्च, 2001 को, जिस तारीख को बाल्को में सरकार द्वारा धारित 51 प्रतिशत इक्विटी विनिवेशित की गई थी, एल्युमिनियम मूल धातु पर आयात शुल्क का ढांचा इस प्रकार था:-

* मूल सीमा शुल्क : 25 प्रतिशत यथा-मूल्य
* अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी वी डी) : 16 प्रतिशत
* विशेष अतिरिक्त शुल्क : 4 प्रतिशत

(झ) बाल्को के शेयरों के मूल्य निर्धारण के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया गया था। कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्य निर्धारण करने के लिए एक परिसंपत्ति मूल्य निर्धारक भी नियुक्त किया गया था। सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्य निर्धारक की रिपोर्टों पर एक अन्तर्मंत्रालय मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया गया था जिसने बाल्को की 51 प्रतिशत इक्विटी के लिए आरक्षित मूल्य तय किया था। मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर, सरकार द्वारा बोली मूल्य स्वीकार करने से पहले अन्तर्मंत्रालय दल और विनिवेश संबंधी सचिवों के प्रमुख दल द्वारा विचार किया गया था।

[हिन्दी]

पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं

1295. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कितने प्रतिशत शहरी आबादी को पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ख) इस कार्य में गैर-सरकारी संगठनों को किस सीमा तक शामिल किया जा रहा है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) शहरी जलापूर्ति और सफाई राज्य का विषय है। अतः जलापूर्ति और सफाई योजनाओं की योजना बनाना, कार्यान्वयन, निष्पादन, प्रचालन और अनुरक्षण करना और इस प्रयोजनार्थ अपनी-अपनी राज्य योजनाओं में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अतः पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत आबादी को पेयजल और सफाई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, इससे संबंधित आंकड़े इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है। तथापि, 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों (वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार) को जलापूर्ति सुविधाएं

उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों के रूप में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1993-94 में केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के समान अनुपात की भागीदारी का प्रावधान है। इस मंत्रालय ने मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए केन्द्र प्रवर्तित कम लागत सफाई योजना भी कार्यान्वित की है जिसके तहत शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालयों में बदलने के लिए भारत सरकार से सब्सिडी और हडको से ऋण मुहैया कराया जाता है त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत स्कीमों और विभिन्न राज्य सरकारों को जारी किए गए केन्द्रीय अंश का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। कम लागत सफाई, योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत स्कीमों और जारी किए गए ऋण तथा सब्सिडी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि सामुदायिक सहभागिता को संपूर्ण कार्यक्रम का मूलभूत सिद्धांत बनाया जाएगा और कार्यक्रम कार्यान्वयन में गैर-सहकारी संगठनों की भागीदारी पर भी विचार किया जाए। त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जलापूर्ति स्कीमों को तकनीकी अनुमोदन देते समय मंत्रालय द्वारा जारी अनुमोदन पत्रों में यह शर्त भी रखी जाती है कि जहां तक हो सके आयोजना के स्तर से लेकर प्रचालन और अनुरक्षण तक के कार्यों में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए और गैर-सरकारी संगठनों और निजी एजेंसियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इसे यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए। कम लागत सफाई योजना के अंतर्गत हडको राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नोडल एजेंसी को अथवा सीधे संबंधित नगरपालिका को योजना की स्वीकृति देता है। हडको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रचालन और अनुरक्षण, लाभग्राही अंशदान एकत्र करने और जन सहभागिता के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के कार्य में गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। गैर-सरकारी संगठनों को किस हद तक शामिल किया जा रहा है यह ऋण लेने वाली एजेंसी पर निर्भर है जिसके लिए कार्यक्रम में अलग से कोई निधि व्यवस्था नहीं है।

विवरण

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

(लाख रु. में)

वर्ष	स्वीकृत स्कीमें	परियोजना लागत	जारी किया गया केन्द्रीय अंश
1999-2000	109	15939.41	6500.00
2000-2001	136	20712.75	6400.00
2001-2002	85	12280.89	9500.00
2000-2003 (15.11.02 तक)	38	5573.78	3454.65

कम लागत सफाई योजना

(लाख रु. में)

वर्ष	स्वीकृत स्कीमें	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	स्वीकृत सब्सिडी	जारी सब्सिडी
1999-2000	22	3570.88	2049.48	5918.89	6077.06
2000-2001	12	5537.06	8981.13	1987.84	2933.75
2001-2002	24	4790.63	3471.39	3708.48	984.67
2002-2003 (31.10.02 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	182.61

धातु और कोयला खानों को बन्द करना

1296. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक धातु तथा कोयला खाने बन्द कर दी गई हैं क्योंकि वे अलाभकारी सिद्ध हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्च 2002 के अंत तक राज्य-वार ऐसी कितने खानें बन्द की गई हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन खानों से कौन से धातु/खनिज निकाले जाते थे?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च 2002 के अन्त तक मुख्यत: अलाभप्रद होने के कारण बन्द की गई खनिज/धातु तथा कोयला खानों के राज्य-वार तथा खनिज/धातु-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्रम संख्या	राज्य	बन्द की गई खानों की संख्या	इन खानों से उत्खनित किए जाने वाली धातु/खनिज का नाम
1.	पश्चिमी बंगाल	4	कोयला
2.	बिहार	17*	कोयला
3.	झारखण्ड	2	कोयला
4.	झारखण्ड	3	तांबा
5.	मध्य प्रदेश	3**	कोयला
6.	महाराष्ट्र	1	कोयला
7.	कर्नाटक	2	सोना
8.	आंध्र प्रदेश	1	सोना
9.	उड़ीसा	1	सीसा
	कुल	34	

* ये खानें झारखण्ड राज्य के गठन से पूर्व बन्द कर दी गई थीं। ये सभी खानें अब झारखण्ड में हैं।

** ये खानें छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पूर्व बन्द कर दी गई थीं। अब इनमें से एक खान छत्तीसगढ़ में है तथा अन्य दो खानें मध्य प्रदेश में हैं।

बिहार में उर्वरकों की आपूर्ति

1297. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान बिहार के किसानों को डी ए पी पोटास तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की आपूर्ति करने हेतु सरकार की क्या योजना है;

(ख) इस वर्ष गेहूं की फसल हेतु राज्य सरकार को कितने उर्वरक की आवश्यकता है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उर्वरकों की आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु प्रत्येक फसल मौसम अर्थात् खरीफ और रबी मौसम के लिए प्रमुख उर्वरकों नामत: यूरिया, डाई अमोनियम फासफेट (डी ए पी) और म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) की आवश्यकता का आकलन कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा मौसम शुरू होने से पूर्व आयोजित किए जाने वाले उर्वरक क्षेत्रीय सम्मेलनों में किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए इन उर्वरकों की आवश्यकता का अलग से मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

वर्ष 2002-03 में खरीफ और रबी मौसम के लिए बिहार के संबंध में इन उर्वरकों की आकलित आवश्यकता नीचे दी गई हैं: -

(000 मी. टन)

उत्पाद	खरीफ 2002			रबी 2002-03
	आकलित आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आकलित आवश्यकता
यूरिया	650.00	660.22	570.24	700.00
डी ए पी	120.00	91.70	86.54	200.00
एम ओ पी	40.00	20.05	19.75	70.00

अगस्त, 1992 में उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त कर दिये जाने के पश्चात् यूरिया एक मात्र ऐसा उर्वरक है जो भारत सरकार के मूल्य और वितरण नियंत्रण के अधीन है। इस उत्पाद की उपलब्धता आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ई सी ए आबंटन) के तहत आबंटन के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। अन्य प्रमुख रसायन उर्वरक नामत: डी ए पी, एम ओ पी, मिश्रित उर्वरक और एस एस पी जो नियंत्रणमुक्त है और "नियंत्रण मुक्त फासफेटिक व पोटासिक उर्वरकों के लिए रियायत योजना" के तहत आती हैं, इनकी उपलब्धता मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है। यूरिया की भांति नियंत्रणमुक्त उर्वरकों का कोई आबंटन

नहीं किया जाता है। तथापि, स्थानीय अभाव की स्थिति में राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार की ओर से इंडियन पोटाश लि. द्वारा बफर स्टाक से डी ए पी और एम ओ पी की आपूर्ति में वृद्धि की जाती है।

सीमा पर पाक गोलाबारी

1298. श्री सुबोध राय: क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान आज तक सीमा नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलाबारी से घरों और जान-माल से हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने लोग हताहत हुए और कितने परिवार प्रभावित हुए;

(ग) प्रभावित लोगों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) सरकार द्वारा उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार, जम्मू और कश्मीर की सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ हुई गोलीबारी के परिणामस्वरूप 1.11.2001 और 31.10.2002 के बीच गत एक वर्ष के दौरान जान-माल की हानि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

हताहतों के ब्यौरे

मारे गए सिविलियन	83
मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	65
घायल हुए सिविलियन	376
घायल हुए सुरक्षा बल कर्मी	170

नष्ट हुई संपत्ति

सरकारी इमारतें	8
स्कूल	4
घर	207
झोपड़ी/कोठे	28
धार्मिक स्थल	5
मारे गए पशु	222
घायल हुए पशु	165

पाकिस्तान की सीमा से लगे अन्य राज्यों से जान-माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार की सूचनानुसार, 30771 परिवारों जिनमें 153131 लोग हैं, ने जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रक रेखा पर बढ़ते तनाव के कारण जम्मू और कश्मीर के कठुआ, राजौरी, जम्मू एवं पूंछ जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा के नजदीक अपने गांवों से पलायन किया है। सीमा से पलायन कर गए व्यक्तियों के लिए उपर्युक्त जिलों में शिविर स्थापित किए गए हैं।

जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा मारे गए सिविलियनों के निकट संबंधी को कुल एक लाख रु. की अनुग्रह राहत और स्थायी अपंगता, गंभीर चोट तथा छोटी-मोटी चोटें के लिए, क्रमश: 75,000/- रु., 5000/- रु. तथा 1000/- रु. की राशि दी गई है।

राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सीमा प्रवासियों के लिए निम्न प्रकार से राहत पैकेज की घोषणा की है और उसे कार्यान्वित किया है:

(1) प्रतिमाह प्रति व्यक्ति को 11 किलो की दर से मुफ्त राशन;

(2) प्रति माह प्रति परिवार 10 लीटर की दर से मुफ्त मिट्टी का तेल;

(3) प्रति माह प्रति व्यक्ति 400/- रु. की दर से नकद सहायता लेकिन इसकी अधिकतम सीमा प्रति माह प्रति परिवार 1600/- रु. है;

(4) सभी विस्थापित व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा सहायता;

(5) उन क्षेत्रों में, जहां सुरंगें बिछाई गई हैं, और जिनकी पहचान संबंधित उप आयुक्तों द्वारा की गई, प्रति पशु पालने वाले परिवार को चारे के लिए प्रति माह 300/- रु. की दर से नकद सहायता और

(6) किसी भी प्रवासी के वापस लौटने के मामले में निवास स्थान पर स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार मुफ्त राशन।

जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार को सीमा प्रवासियों के लिए राहत पैकेज की मद (1) से (5) पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय दंड संहिता में संशोधन

1299. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 8 अगस्त, 2002 को यह निर्णय दिया है कि जब तक अभियुक्त समाज के लिए घातक सिद्ध न हो जाए तब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव भारतीय दंड संहिता और दंड विधि के सुसंगत खंडों में तदनुसार संशोधन करने का है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं/और उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) राम अनुप सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 7 अगस्त, 2002 के निर्णय में पूर्व निर्णय का उल्लेख किया है तथा उस पर अपना विश्वास कायम रखा है तथा इस आधार पर मृत्युदंड को दरकिनार कर दिया है कि रिकार्ड में यह सुझाने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है कि अपीलकर्त्ता समाज को खतरा थे जैसा कि उनके विगत कृत्यों से प्रकट होता है। उसका यह भी मानना है कि यह निर्णय करना संभव नहीं है कि वे उनमें से हैं जिन्हें सुधार या पुनर्वासित नहीं किया जा सकता है।

(ख) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

वी आई पी सुरक्षा

1300. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2002 तक सरकार द्वारा श्रेणी-वार कुल कितने विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की गई है;

(ख) कितने विशिष्ट और अतिविशिष्ट व्यक्तियों ने अपने तथा परिवार के लिए सुरक्षा का अनुरोध किया है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कितने अनुरोधों को स्वीकार किया गया है और लम्बित अनुरोधों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) सुरक्षा दो प्रकार के संरक्षितों को प्रदान की जाती है। प्रथमत: ओहदे के अनुसार सुरक्षा, उनके ओहदे के अनुसार जैसे केन्द्रीय मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उन्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रदान की जाती है। द्वितीय, खतरे पर आधारित सुरक्षा, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आकलित किए गए मौजूदा खतरे की आशंका के आधार पर प्रदान की जाती है। क्योंकि खतरे की आशंका बदलती रहती है, अत: संरक्षित व्यक्तियों की संख्या और खतरे की आशंका पर आधारित व्यक्तियों के संबंध में सुरक्षा की श्रेणियां अलग-अलग समय पर अलग-अलग होती है।

(ख) से (घ) विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तियों और अन्यों से स्वयं को और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में प्राप्त अनुरोधों की मानकों के अनुसार जांच की जाती है। मौजूदा खतरे की आशंका के आधार पर, विशिष्ट, अति विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य, जिन्हें खतरा है, के लिए समुचित सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है इसकी पुनरीक्षा होती रहती है।

अध्ययन हेतु विदेश जाने वाले विद्यार्थी

1301. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:**
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी अध्ययन हेतु विदेश जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार ने उच्च अध्ययन हेतु विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों पर कुछ प्रतिबंध लगाये हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये गए हैं और इस संबंध में क्या विनियामक मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) सरकार द्वारा 1991 से आरंभ किये गए आर्थिक एवं वित्तीय सुधारों के परिणामत: सांस्थानिक संपर्क के माध्यम से उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की गतिशीलता तथा पाठ्यक्रमों की पेशकश में वृद्धि हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान 6,918 छात्र उच्चतर अध्ययन के लिए विदेश गए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विदेशों में अध्ययनरत छात्रों सहित वहां रह रहे भारतीयों के हितों की रक्षा संबंधित देश में स्थित भारतीय मिशन करते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई विनियामक मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

शिक्षा हेतु अलग उपग्रह

1302. **योगी आदित्यनाथ:**
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव शिक्षा हेतु एक अलग उपग्रह प्रक्षेपित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उपग्रह द्वारा कब तक कार्य प्रारम्भ किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश में शिक्षा के संवर्धन के लिए एडुसेट उपग्रह विकसित करने की योजना बनायी है इस परियोजना की संस्वीकृत लागत 85.00 करोड़ रु. है।

(ग) एडुसेट को वर्ष 2004 में छोड़े जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

रुग्ण उर्वरक इकाइयों का बंद होना

1303. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री प्रबोध पण्डा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन और फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया की 3 रुग्ण इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन इकाईयों की वित्तीय स्थिति कैसी है;

(ग) इनमें से प्रत्येक इकाई में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(घ) वेतन और अन्य सांविधिक देयों के बकाया के रूप में इन कर्मचारियों को कितनी राशि देय है; और

(ङ) उनके बकाए का भुगतान करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं और क्या मुआवजा दिये जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) तथा जोधपुर खनन संगठन को छोड़कर फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) को बंद करने का निर्णय लिया है।

(ख) से (ङ) दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार एच एफ सी और एफ सी आई की संचित हानि क्रमश: 6725.88 करोड़ रुपये और 7921.00 करोड़ रुपये तथा जनशक्ति क्रमश: 4884 और 5712 थी। सरकार इन कम्पनियों को इनके कर्मचारियों की सांविधिक देय राशि सहित वेतन/मजदूरी पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु बजटीय सहायता प्रदान कर रही है। इन कम्पनियों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के तहत लाभों की पेशकश की गई है।

शिक्षा हेतु निधियों का आवंटन

1304. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों से शिक्षा हेतु राज्यों को आवंटित शिक्षा संबंधी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों को ऐसी निधियां जारी करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ग) विभिन्न राज्यों में मंत्रालय की विभिन्न और योजनाओं और उन शिक्षा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजनागत आबंटन 24908.38 करोड़ रु. है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत बजट का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों, संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रत्येक योजना के तहत पहले जारी

निधियों के उपयोग की प्रगति को ध्यान में रखकर राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है।

(ग) विभिन्न राज्यों में अनेक योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहे है। नौवीं योजना के विभिन्न वर्षों के संबंध में मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में ब्यौरा उपलब्ध है। योजना आयोग ने योजनागत स्कीमों/कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की एक तिमाही निष्पादन समीक्षा प्रणाली शुरू की है। इसके अलावा उपयुक्त स्तरों पर तिमाही/अर्द्धवार्षिक समीक्षा के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन स्थिति पर मासिक रिपोर्टों की व्यवस्था की गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की मानीटरिंग के लिए जिला स्तर पर प्रबंध सूचना प्रणाली शुरू की गई है। इसके अलावा, एक 'क्षेत्र अधिकारी योजना' शुरू की गई है जिसके तहत अधिकारियों से यह अपेक्षा होती है कि वे विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए ऐसे राज्यों का दौरा करेंगे जो उन्हें आबंटित है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद् को मजबूत बनाना

1305. श्री भीम दाहाल: क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद को मजबूत करने, क्षेत्र में उग्रवाद समाप्त करने और शान्ति सुनिश्चित करने सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु नई पहल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर उद्योगों, विद्युत और स्वास्थ्य इत्यादि से सम्बन्धित अवसंचना का विकास करने हेतु विशिष्ट प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी हां, श्रीमान्। पहले ही शुरु की जा चुकी और प्रस्तावित कुछ पहलें निम्न प्रकार से हैं:-

1. सितम्बर, 2001 में स्थापित पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का उद्देश्य, इस क्षेत्र में विकासात्मक प्रयासों का समन्वयन करना और उन्हें क्रियाशील बनाना है।

2. सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों (उन्हें छोड़कर, जिन्हें विशेष रुप से छूट प्राप्त है) से अपेक्षित है कि वे अपने बजट का 10 प्रतिशत इन राज्यों में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए उद्दिष्ट करें। विभिन्न मंत्रालयों के बजटों के 10 प्रतिशत में से अव्ययित राशियां गैर व्यपगत पूल का भाग होनी चाहिएं और भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना परियोजना के लिए निधियां प्रदान करने के लिए वर्ष 2002-2003 में 200 करोड़ रुपये पहले से ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वर्ष 1998-99 से अब तक 164 ऐसी परियोजनाओं को सहायता दी जा चुकी है।

3. पूर्वोत्तर परिषद के लिए दसवां योजना परिव्यय, नवीं योजना के 2114 करोड़ रुपये की तुलना में 3,500 करोड़ रुपये है।

4. दिनांक 4 अप्रैल, 2002 से प्राम्भ हुई एयर इन्डिया की गुवाहाटी से बैकांक की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान के गोपीनाथ बोर्डोलोई हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र में आ गया है।

5. सम्पर्कों में सुधार लाने के लिए क्षेत्र में मौजूदा 12 हवाई अड्डों में सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा उनमें वृद्धि के लिए योजनाएं प्रारंभ की गई है। 9 अक्टूबर, 2002 से असम में लीलाबारी हवाई अड्डे ने काम करना आरंभ कर दिया है।

6. गुवाहाटी में हब के साथ इस क्षेत्र में चार 50 सीटर वायुयानों की शुरुवात करके अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क बढ़ाने की योजना भी बनाई गई है। इस प्रयोजन के लिए 50 सीटों वाले टरबों प्राप वायुयान पट्टे पर लेने के लिए एलायंस एयर द्वारा इन्टेंट पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आशा है कि दिसम्बर, 2002 के अन्त तक सेवाएं आरंभ हो जाएगीं।

7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा उत्तर पूर्व में स्थापित किए जा रहे है ब्लाक स्तरीय सामुदायिक सूचना केन्द्रों से डिजिटल विभाजन को पटाने के अलावा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने में भी सहायता मिलेगी। भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा 5269 किलोमीटर लम्बी आप्टीकल फाइबर केवल बिछाकर बहत लम्बी दूरी के नेटवर्क की स्थापना की गई है। शिलांग और ईटानगर को आप्टीकल फाइबर नेटवर्क द्वारा गुवाहाटी और कोलकाता से पहले ही जोड़ दिया गया है। इसके अलावा बी.एस.एन.एल. ने 1,017 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए हैं जिनमें से 756 ग्रामीण क्षेत्रों और 261 शहरी क्षेत्रों में हैं। 19,848 पी.सी.ओ. 8,847 किलोमीटर की माइक्रोवेव सम्पर्कता तथा 117 उपग्रह भू-स्टेशन स्थापित किए हैं। कुल दूरभाष कनेक्शनों की संख्या 8,01,249 है जो वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) प्रणाली में 7587 कनेक्शनों के अतिरिक्त हैं। चालू वर्ष के दौरान दूरभाष कनेक्शनों में

1,16,500 ओप्टिक फाइबर केबल में 1,450 किलोमीटर माइकेरोवेव में 600 किलोमीटर और सैटेलाइट स्टेशन की संख्या में 12 की वृद्धि करने की योजना है।

8. मानव शक्ति और निर्मित क्षमता का विकास करने के लिए परियोजना की पहचान, कार्यान्वयन और मूल्यांकन, ऊर्जा समर्थ भवन, ठोस वेस्ट प्रबंध, पर्यावरण स्वास्थ्य खतरे, धारणीय विद्युत विकास के क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

9. नागा हस्पताल, कोहिमा पिछले एक वर्ष तक कार्य रुका रहा। इस विभाग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरुप जुलाई, 2002 में कार्य पुन: आरम्भ हुआ है।

10. दीमापुर रैफरल अस्पताल चालू करने के लिए इस विभाग के सुझाव पर नागालैण्ड सरकार ने निजी हस्पतालों के साथ बातचीत की है।

11. प्रथम पूर्वोत्तर व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन 19-20 जुलाई, 2002 को मुम्बई में एफ.आई.सी.सी.आई. और भारतीय वाणिज्य मंडल, कोलकाता के सहयोग से, इस क्षेत्र में निवेश के अवसरों को दर्शाने के लिए किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने भारतीय उद्योग के कप्तानों से बातचीत की और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सम्भावनाओं पर केन्द्रित सेक्टर-वार बैठकें हुई। भागीदारों के साथ-साथ आयोजकों की उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा प्रतिक्रिया हुई। ये शिखर सम्मेलन वार्षिक रुप से होंगे और इसे प्रतिवर्ष पूर्वोत्तर से बाहर किसी प्रमुख शहर में आयोजित किया जाएगा।

12. एक पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद (एन.ई.सी.) संशोधन विधेयक संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विधेयक द्वारा सिक्किम को एन.ई.सी. के दायरे में लाया जाना है।

13. परियोजनाओं का निकट रूप से प्रबोधन तिमाही प्रगति रिपोर्टों और कर्मचारियों द्वारा वास्तविक निरीक्षणों के माध्यम से किया जा रहा है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने पहचान की गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन के दौरान ही लेखा परीक्षा करना स्वीकार कर लिया है।

14. गृह मंत्रालय ने दसवीं योजना में इमदादी हेलीकाप्टर सेवा योजना (अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम के लिए लागू) लागू रखी है और इसे त्रिपुरा में भी आरंभ किया गया है।

15. पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा उग्रवाद विरोधी अभियानों पर किये गए सुरक्षा सम्बन्धी व्यय की सरकार द्वारा योजनेतर स्कीमों के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की जा रही है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और उन्नयन हेतु शस्त्र और गोलाबारुद भी प्रदान किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि तेजी से आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(ख)1. पूर्वोत्तर परिषद् की दसवीं योजना में विचार की जा रही परियोजनाओं में विभिन्न सेक्टरों में महत्वपूर्ण पहलों की परिकल्पना की गई है। इनमें विद्युत (563.25 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य (542.06 करोड़ रुपये) और उद्योग (150 करोड़ रुपये) सम्बन्धी कुल 1255.31 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं। विद्युत आयोग और स्वास्थ्य सेक्टरों के सम्बन्ध में, पूर्वोत्तर परिषद की दसवीं योजना में प्रस्तावित नयी योजनाएं इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	सेक्टर	नई पूर्वोत्तर परिषद् योजनाएं	पूर्वोत्तर परिषद का दसवीं योजना परिव्यय (रुपये करोड़ में)
1	2	3	4
1.	विद्युत	लकवा वेस्ट हीट रिकवरी प्रोजेक्ट (1×38 एम.डब्ल्यू.), असम	100.00
		मिन्टडू-लेशका एच.ई.पी. (2×42 एम डब्ल्यू.), मेघालय	145.00
		कार्बी-लेशका एच.ई.पी. (2×50 एम. डब्ल्यू.)	100.00
		पावर ट्रांसमीशन और वितरण लाईनों का उन्नयन/सुधार/ निर्माण (132/11 के वी)	150.00
2.	उद्योग	चमड़ा उत्पादन विकास केन्द्र	17.50

1	2	3	4
		रबड़ लकड़ी विकास केन्द्र, त्रिपुरा	2.50
		व्यापार और वाणिज्य	54.00
3.	स्वास्थ्य	कोई नई योजना नहीं लेकिन लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई रिजनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर (एल.जी.बी.आर.आई.एम.एच.) रिजनल इंसटीटयूट आफ मेडिकल साइन्स, इम्फाल, रिजनल इन्सीटीटयूट फार्मास्यिूटिकल एण्ड नसिंग, आइजोल, डा. बी. बरुआ केंसर इन्सटीटयूट, गुवाहाटी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अन्य चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन के संबंध में, अधिकांश योजनागत व्यय सिर्फ दसवीं योजना में किया जाएगा (542 करोड़ रुपये)।	

2. विद्युत मंत्रालय के पास दसवीं योजना के दौरान सेन्ट्रल सेक्टर में 585 एम. डब्ल्यू. उत्पादन क्षमता (असम, मिजोरम और त्रिपुरा को कवर करते हुए) बढ़ाने हेतु प्रस्ताव हैं। इन योजनाओं को नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को असम, मणिपुर और नागालैण्ड सरकारों से "असिस्टेंस फार केपेसिटी बिल्डिंग" के तहत वित्तीय सहायता प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन पर अभी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, (1) बुनियादी स्वास्थ्य की उपलब्धता में सुधार करने के उद्देश्य से अंतर को पूरा करने लिए अतिरिक्त उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने और (2) मूलभूत स्वास्थ्य अवसंरचना सुदृढ़ करने के लिए पूर्वोत्तर सहित विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता दसवीं योजना के दौरान भी जारी रहने की आशा है और अन्तर को प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना/क्षेत्रीय परियोजना इत्यादि के अंतर्गत पूरा किया जायेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए और उनकी आवर्ती लागत को पूरा करने के लिए सभी उप-केन्द्रों को बनाये रखने हेतु भी निधियां प्रदान की जा रही हैं।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी परियोजना में भ्रष्टाचार

1306. श्री छत्रपाल सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में और विशेषकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, मेरठ, आगरा और अलीगढ़ जिले में गत तीन वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ऐसे मामलों में कितने अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल हैं और उनके नाम क्या हैं और ये मामले किस प्रकार के हैं;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) समेकित बाल विकास सेवा एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। इसकी कार्यक्रम आयोजना व परिचालित लागत के लिए केन्द्र सरकार उत्तरदायी है और राज्य सरकारें स्कीम को कार्यान्वित करने तथा पूरक पोषाहार प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं को छोड़कर, जो कि स्वैच्छिक कर्मी हैं, आई.सी.डी.एस. कर्मी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। आंगनवाड़ी परियोजना में अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायते जैसे ही और जब भी प्राप्त होती हैं, वैसे ही उनको राज्य सरकारों के पास उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है।

शिकायतें राज्य सरकारों द्वारा भी सीधे प्राप्त की जाती हैं। सभी शिकायतों पर कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, चाहे वे राज्य सरकार को सीधे प्राप्त हुई हों अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अग्रेषित की गयी हों।

[अनुवाद]

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा खनिजों के भंडारों की खोज

1307. श्री अनन्त नायक: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा और अन्य राज्यों में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत सर्वेक्षण के अनुसार उन राज्यों में विभिन्न खनिजों का राज्यवार कितना भण्डार है; और

(ग) इन खनिजों के उचित दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) ने उड़ीसा राज्य में नोबल मेटल्स, बेस मेटल्स, कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट और हीरे के लिए सर्वेक्षण किए हैं। फील्ड सत्र 2002-03 के दौरान जी. एस. आई. सर्वेक्षण के कार्य को जारी रखेगा। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) ने उड़ीसा में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, इस आंध्र प्रदेश राज्य में हीरे तथा छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क के लिए गवेषण किया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान जी.एस.आई. द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में किए गए खनिज सर्वेक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

खनिज	अवधि		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002
बेस मेटल	29	26	24
बाक्साइट	2	1	2
स्ट्रेटेजिक एवं रेयर खनिज	8	7	4
स्वर्ण	46	54	47
हीरा	14	10	10
चूना पत्थर और डोलोमाइट	3	3	3
औद्योगिक खनिज	6	4	6
उर्वरक खनिज	2	1	1

(ख) देश में जी.एस.आई. तथा अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरुप, देश में मुख्य अयस्कों/खनिजों के राज्यावार भण्डारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 तथा सरकार द्वारा इसमें किए गए अनुवर्ती संशोधनों का लक्ष्य, राज्य द्वारा खनिज संसाधनों का तीव्र एवं व्यवस्थित विदोहन सुनिश्चित करना है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा इसके तहत् बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त कर लेने के पश्चात कोई भी भारतीय नागरिक अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उप-धारा (1) में यथा-परिभाषित कोई कंपनी खनिज भंडारों का विदोहन करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, खनिजों का विदोहन उनकी आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

विवरण

देश में प्रमुख अयस्कों/खनिजों के राज्य-वार भंडार

(भंडार मिलियन टन में [जब तक अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो])

(स्रोत आई बी एम की भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका-2001 मुद्रित फरवरी, 2002)

राज्य	लौह अयस्क		कोयला	स्वर्ण	हीरा	सीसा और जस्ता अयस्क	क्रोमाइट	मैंग्नीज अयस्क	बाक्साइट	चूना पत्थर
	हैमाटाइट	मेग्नेटाइट			(कैरेट में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	51.00	418.00	211593.61	3.792	5465	1.95	0.11	11.90	551.47	15059.03
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125.45
असम	–	–	320.21	–	–	–	–	–	–	717.50
बिहार	–	–	69128.19	–	–	–	–	–	2.11	453.81
छत्तीसगढ़	1925.00	–	–	0.567	–	–	–	–	–	4941.44
गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	1.44	–	–
गोवा	745.00	164.00	–	–	–	–	–	16.86	51.26	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3645.92
महाराष्ट्र	227.00	–	7077.11	–	–	5.79	0.47	16.65	–	884.55
मध्य प्रदेश	73.00	–	43429.71		976050	0.61		23.64		3687.16
मेघालय	–	–	459.43	–	–	0.66	–	–	–	4521.95
झारखंड	2657.00	5.00	–	0.007	–	–	0.33	2.36	66.02	511.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कर्नाटक	1072.00	2784.00		12.863		17439.51	1.45	41.05	27.33	–
केरल	–	36.00	–	0.558	–	–	–	–	–	154.37
उड़ीसा	3294.00	–	50448.65	–	–	2.11	83.60	52.81	–	1191.04
तमिलनाडु	–	1.00	–	–	–	0.46	0.24	–	–	805.41
सिक्किम	–	–	–	–	–	0.40	–	–	–	1.78
राजस्थान	9.00	–	–	–	–	155.27	0.43	–	–	9743.93
पश्चिमी बंगाल	–	–	25908.54	–	–	2.78	–	–	–	35.15
उत्तर प्रदेश	–	–	1061.80	–	–	–	–	–	–	406.11
उत्तरांचल	–	–	–	–	–	1.20	–	–	–	1068.10

भोपाल गैस त्रासदी

1308. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 सितम्बर, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''भोपाल गैस लीक ए कन्टीन्यूइंग डिसास्टर'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी और सरकारी एजेंसियों द्वारा कराये गए सर्वेक्षण की रिपोर्टों से पता चला है कि घटना के 18 वर्षों के पश्चात भी वास्तविक चिकित्सा आपदा का सामना कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां,

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह भोपाल गैस पीड़ितों का चिकित्सा, आर्थिक पर्यावरण तथा सामाजिक पुनर्वास कर रही है। चिकित्सा पुनर्वास उपायों से गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रतिदिन चार हजार से अधिक रोगी राज्य सरकार के चिकित्सा एककों की ओ पी डी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आंतरिक रोगी की वार्षिक पंजीकरण संख्या 24 हजार से अधिक है। राज्य सरकार के अनुसार, इन रोगियों के परीक्षण तथा उनके पास प्राप्त आकड़ें समाचार-पत्र की रिपोर्ट में दिए गए ब्यौरे को सिद्ध नहीं करते।

[हिन्दी]

महिला समृद्धि योजना में अनियमिताएं

1309. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महिला समृद्ध योजना के कार्यकरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन शिकायतों का निपटारा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, इस स्कीम का 'स्वयंसिद्धा' में विलय कर दिया गया है तथा मूल महिला समृद्धि योजना दिनांक 27.02.2001 से समाप्त कर दी गई है।

खाइयों को पुन: भरना

1310. डा. चरणदास महंत: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और एन.सी.एल. कोयला खानों में खुली कोयला खानों से कोयला निकालने के पश्चात खाइयों को पुन: भरने हेतु क्या प्रावधान किया गया है;

(ख) किस संगठन को यह कार्य सौंपा गया है;

(ग) एस.ई.सी.एल. द्वारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत उत्खनिज क्षेत्रों को पुन: भरा गया है;

(घ) कौन सा संगठन सामुदायिक विकास कार्य की प्राथमिकता तय करता है;

(ङ) क्या इस संबंध में जन प्रतिनिधियों की राय आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) में कोयले की खुदाई के बाद हुए गढ्ढों को कोयले के उत्खनन हेतु हटाए गए उपरी मलबे (अपशिष्ट पदार्थ) से भरा जाता है। पुन: भराई के कार्य के लिए राजस्व लेखा में निधि के साथ-साथ पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। एच.सी.एल. द्वारा कोई कोयला खान प्रचालित नहीं की जा रही है।

(ख) परियोजना स्तर के प्राधिकरण मुख्य कार्यान्वयन प्राधिकरण हैं।

(ग) एस.ई.सी.एल. द्वारा भराई किए गए उत्खनित क्षेत्र का प्रतिशत छत्तीसगढ़ 36% है और मध्य प्रदेश में 45% है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख ओपनकास्ट खानों ने अभी तक खनन योग्य कोयला सीम के तल को स्पर्श नहीं किया जाता है। अत: भराई किए गए क्षेत्र का प्रतिशत कम है।

(घ) से (च) सहायक कंपनियों के कल्याण बोर्ड जिनमें यूनियन और प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, किए जाने वाले सामुदायिक विकास के कार्यों की प्राथमिकता पर चर्चा करते हैं तथा उन्हें अंतिम रूप देते हैं। कुछ सहायक कंपनियों में जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा विधायकों/सांसदों को भी इस प्रकार के क्रिया-कलापों को अंतिम रूप देते समय शामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

दिल्ली में अपराध

1311. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री नरेश पुगलिया:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत माह में राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में वर्ष 2001-2002 के दौरान आज तक सामने आए विभिन्न अपराधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजधानी में बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को चाकू की नोक पर लूटा जाता हैं और वे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो वह सुनिश्चित करने हेतु कि ऐसी घटनाएं और अपराध भविष्य में दुबारा न हो; सरकार/दिल्ली पुलिस द्वारा क्या योजना तैयार की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं श्री, मान्। राजधानी में सूचित किए गए भा.द.सं. से संबंधित अपराधों की संख्या में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान सूचित किए गए ऐसे अपराधों की संख्या की तुलना में चालू वर्ष के दौरान (15 नवम्बर, 2002 तक) 9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

(ग) हाल के महीनों के दौरान ऐसी कुछ घटनाएं सूचित की गई हैं, परन्तु यह इक्का-दुक्का स्वरुप की हैं और वास्तव में राजधानी की समग्र कानून और व्यवस्था स्थिति को नहीं दर्शाती है।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा चलती बसों में अपराध की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में सुभेद्य मार्गो पर चल रही बसों में सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती; बस स्टापों पर अचानक चैकिंग करना; अगर कोई व्यक्ति बस के अन्दर गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो बस संचालकों को नजदीकी पुलिस चौकी अथवा पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहन में सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना; गश्त और निगरानी में वृद्धि; और शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के नजदीक अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करना सम्मिलित है।

[हिन्दी]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का पुनरुद्धार

1312. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पुनरुद्धार हेतु नियुक्त की गई परिचालन एजेंसी ने अपने पुनरुद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पुनरुद्धार हेतु नियुक्त की गई परिचालन एजेंसी ने बी.आई.एफ.आर. को अंतिम पुनर्वास योजना प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सहकारी समूह आवास समितियों को भूमि का आबंटन

1313. श्री नरेश पुगलिया: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन सी सहकारी समूह आवास समितियां दिल्ली प्राधिकरण के पास पंजीकृत हैं जिन्हें अभी तक भूमि आबंटित नहीं की गई है;

(ख) इन समितियों को किस वर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कराया गया था;

(ग) इन समितियों को अभी तक भूमि आबंटित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन सहकारी समूह आवास समितियों को कब तक भूमि आबंटित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) सहकारी समूह आवास समितियां रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत होती है। भूमि का आबंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा, वरिष्ठता के अनुसार सदस्यता मंजूर होने के पश्चात, रजिस्ट्रार की सिफारिश पर किया जाता है। भूमि का आबंटन, उसका अधिग्रहण और विकास होने पर उसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है और इस प्रक्रिया में समय लगता है। जिन सहकारी समूह आवास समितियों को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा मंजूर किया गया लेकिन जिन्हें अभी तक भूमि आबंटित नहीं की गई है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

आवंटन के लिए प्रतीक्षारत सहकारी समूह आवास समितियों की सूची (वरीयता अनुसार नहीं)

1	2
1.	चन्दर लोक
2.	श्री सान्मती
3.	सप्तपारनी
4.	महाजन श्री
5.	रूप विल्ला
6.	पुंज विहार
7.	जिन्दल
8.	धुरव सगंम
9.	न्यू एकदा
10.	एम.वी. जनहित
11.	लोक वित
12.	शिव शक्ति
13.	श्री चित्रकुट
14.	एडल्ट एजुकेशन
15.	संयुक्त
16.	स्वीट ड्रीम
17.	सन फ्लावर
18.	कमालनी
19.	श्री वेंकटेश्वरा
20.	नव सरवा प्रिया
21.	रोयल फ्रेंड्स
22.	कंवर
23.	कार्मिक

1	2
24.	जन प्रिया
25.	जोगी राज कृष्णन
26.	सतराज
27.	काला संगम
28.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
29.	सुगम विहार
30.	सहजादा अजीत सिंह
31.	न्यू हिन्द
32.	रीजनल प्रोविडेन्ट फंड इम्पलाइज
33.	स्लुथ
34.	एनटीपीसी इम्पलाइज
35.	द निशात
36.	नव शक्तिमान
37.	श्री गुरु गोविन्द सिंह
38.	ब्लू स्काई
39.	अंजली वोमेन
40 .	हरबंस लाल परवाना
41.	संजय विकास
42.	भानु भाष्कर
43.	नव वैशालिनी
44.	एंजिल
45.	श्री शान्ति सागर
46.	चारु लता
47.	महावीर वैश
48.	मधुवन एस्टेट
49.	बाबा नानक
50.	जीनियस
51.	सैंट विवेकानंद

1	2
52.	मृग
53.	नार्थ साउथ
54.	मोना
55.	छेदर
56.	सिद्ध
57.	प्रिति परिषद
58.	पातन्जली विहार
59.	विक्रमादित्य
60.	हयात नगर
61.	भाग्यशालिनी
62.	भानी बीन्ना
63.	यज्ञ ज्योति
64.	विजेता
65.	न्यू शिवानी
66.	निन्नयन विहार
67.	सोना
68.	येजी
69.	केनरा बैंक वकर्स
70.	धिखा ज्योति
71.	आरके
72.	दक्षिनेश्वर
73.	सैंट ओरियेन्ट
74.	संजय गांधी
75.	अमन अपार्टमेन्ट्स
76.	राज
77.	सेन्ट्रल सिक्योरिटी इन्ड.फो.
78.	आदर्श बिहार
79.	खुश दिल

1	2
80.	थ्रेड मेनुफेक्चरर
81.	शकर ग्राम
82.	उनेय
83.	गंगा कावेरी'
84.	लक्ष्मी
85.	राजहंस
86.	संघार
87.	जम्मू व कश्मीर
88.	देव
89.	आकांक्षा
90.	दी आनंद
91.	एसएफएफ कर्मचारी
92.	निर्माण प्रिया
93.	अकाल
94.	आदर्श राजपूत
95.	वैष्णव
96.	सूरज
97.	मिथिला विहार
98.	एसएफएस टीचर्स
99.	शैलजा
100.	ब्रुक बांड पाप फ्रेंड्स
101.	नवीन अग्रोहा
102.	कालीका निवास
103.	दि दिल्ली वेलकम
104.	मैरीनस
105.	मानस मंदिर
106.	नवल भार
107.	प्रीत

1	2
108.	सीआर नवजीवन
109.	झंडेवालान
110.	अनुपम इन्क्लेव
111.	मयूर आर्यनस
112.	ए वन
113.	श्री गीता
114.	आई एसएस आफिसर्स
115.	नूतन आर्यव्रत
116.	केशव कुंज
117.	इंस्टाल सेट
118.	मिलन
119.	सिक्ख पंथ
120.	लीवर
121.	आदर्श मित्र मंडल
122.	दि शीला
123.	मोहन कुंज
124.	क्रान्तिकारी
125.	जयसूर्या
126.	अप हिल मार्डन
127.	महाऋषि भृगु
128.	इंफोर्समेन्ट डी टी ई
129.	एसएफएस स्टाफ
130.	न्यू रावलपिंडी
131.	सुपर निधि
132.	कुरनांचल
133.	आनन्द समाज
134.	पीराज
135.	आरमिलापी

1	2
136.	इंक्लाब
137.	रेल बिहार
138.	आश्रा
139.	डोगरा
140.	वाईएमबी
141.	राजपूत एसोसिएशन
142.	रस्तोगी
143.	कबीर ज्योति
144.	जालंधर मोटर
145.	विक्की
146.	सपनलोक
147.	विल्डवेल
148.	श्री महागणेश
149.	जग्गामामा
150.	जय
151.	दि लेदर मर्चेंट्स
152.	शबीब अहमद
153.	चन्द्रिका
154.	जयसवाल जैन सभा दिल्ली
155.	सीपीडब्ल्यूडी इंजी. एसोसिएशन
156.	वेस्ट एंड
157.	दीप एंड दीप
158.	भगवान महावीर
159.	शेरावाली
160.	ओम श्री
161.	अभय
162.	दि अमर विहार
163.	कंस्ट्रक्शन एक्स पी
164.	नव विधि
165.	श्री ज्योतिसार
166.	सुख शान्ति
167.	कोल विहार
168.	ट्यूब रोज
169.	भिकाजी
170.	बंकर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज

1314. श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा के तुलनात्मक स्तर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या इस नीति का संबंधित राज्य की जनसंख्या से कोई संबंध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों से राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) अभी तक कितने आवेदनों को स्वीकृत दी गई है; और

(छ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (छ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान करते हैं। अपनी स्थापना के समय से ही, भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान पूर्ण रूप से स्वायत्त रूप के हैं जिन्हें परीक्षण करने तथा नवाचारी कार्यकलाप करने की पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त है। इन संस्थाओं को उदार वित्तपोषण देकर केन्द्र सरकार से पूर्ण रूप से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की आधारभूत सुविधाएं तथा वहीं से अध्ययन प्राप्त तकनीकी छात्रों के स्तर की तुलना विश्व स्तर से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ये संस्थान उद्योग के साथ भी सक्रिय रूप से सम्बद्ध हैं।

दूसरी और, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों ने भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पश्चात् तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम तथा ख्याति स्थापित की है। लेकिन वे राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होने, राज्य सरकारों से अनिश्चितता तथा असमान राशि प्रदान करने तथा आंतरिक शासी व्यवस्था के दोहरे नियंत्रण जैसी संरचनात्मक कमियों की वजह से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्तर को प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज मुख्यत: अवर स्नातक स्तर पर शिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने स्नाकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान पर उनका ध्यान सीमित रहा है।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालोजों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए डा. आर.ए.मशेलकर, महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में स्थापित उच्च शक्ति प्राप्त समीक्षा समिति तथा 1999 में केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में स्थापित अधिकारिता प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों के शासन, शैक्षिक कार्यक्रमों, वित्तीय प्रबंध निधियन सहयोग इत्यादि में संरचनात्मक परिवर्तन करके 'सम विश्वविद्यालय' का स्तर प्रदान करके उनके समग्र स्तर को बढ़ाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। देश के सत्रह क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों में से तेरह को पहले ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का दर्जा दिया जा चुका है।

इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में अवर स्नातक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थागत सुविधाओं का सृजन करने की दृष्टि से तथा आगामी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परिकल्पित औद्योगिक परियोजनाओं और विकास के लिए अपेक्षित इंजीनियरिंग जनशक्ति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार और संबद्ध राज्य सरकार के संयुक्त तथा सहयोगी उद्यम के रूप में देश के मुख्य राज्यों में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों का स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ये संस्थाएं अपनी वार्षिक दाखिला क्षमता के 50 प्रतिशत तक देशभर के सभी छात्रों को दाखिला देकर शेष 50 प्रतिशत सीटें उन राज्यों के छात्रों के लिए आरक्षित करके जहां पर वे क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज स्थित है, देश की राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देती है।

इस समय प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने की कोई नीति नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, गोवा इंजीनियरिंग कालेज, गोवा और बिहार इंजीनियरिंग कालेज, पटना को क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज के स्तर पर स्तरोन्नत करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकों को वापस लेना

1315. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की हाल ही में जारी की गई एन.सी.ई.आर.टी. की कुछ पाठ्य-पुस्तकों यथा नौवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को वापस लेने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग

1316. श्री वाई.वी. राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 30.7.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2426 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हैदराबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग खोलने की दिशा में कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में सिमी की गतिविधियां

1317. श्री रघुनाथ झा: क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सिमी नेता और कार्यकर्ता अभी भी फरार हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में पड़ौसी राज्यों से केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करने का प्रयास करने हेतु कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) न्यू फ्रैंड्स कालोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 532/2001 मामले में वांछित सिमी (एस.आई.एम.आई.) के छह कार्यकर्ता अभी भी फरार है।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस ने राज्य सरकारों के साथ सूचना का आदान-प्रदान किया है और अभियुक्त व्यक्तियों को पकड़ने में उनकी सहायता मांगी है।

अर्ध-सैनिक बलों के पास गोला बारूद की कमी

1318. श्री सुबोध मोहिते: क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल के पास आतंकवादियों से लड़ते समय गोलाबारूद की कमी रहती है जैसा कि 'पाइनियर' के 7 अक्टूबर, 2002 के अंक में छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सुरक्षा बलों को गोलाबारूद की नियमित आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

फ्लाई ओवर का निर्माण

1319. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वारका को दक्षिण दिल्ली से जोड़ने वाले फ्लाई ओवर का शिलान्यास किस तिथि को किया गया था;

(ख) द्वारका-छावनी क्षेत्र-दक्षिण दिल्ली के रास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 तक जाने वाले इस फ्लाई ओवर की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस फ्लाई ओवर का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि द्वारका को दक्षिण दिल्ली से जोड़ने संबंधी फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए शिलान्यास दिनांक 11.10.2002 को किया गया था। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 100 करोड़ रू. है और इसके मार्च, 2005 तक पूरा होने की संभावना है।

तकनीकी शिक्षा

1320. श्रीमती कान्ति सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने राज्य द्वारा चलाये जा रहे इंजीनियरिंग कालेजों के उन्नयन के लिए तकनीकी शिक्षा परियोजना के अंतर्गत 15000 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों को ही विश्व बैंक के इस प्रस्ताव के तहत चुना गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों को अनदेखा करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) सरकार ने देश भर में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए "भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम" के प्रथम चरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ सितम्बर, 2002 में एक समझौता किया। विश्व बैंक की सहायता लगभग 1250 करोड़ रु. की होगी।

प्रथम चरण के प्रथम चक्र के लिए छः राज्यों अर्थात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को उनकी बजटीय वचनबद्धता तथा तैयारी के आधार पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक अन्य राज्य अपनी तैयारी और बजटीय वचनबद्धता के आधार पर उत्तरवर्ती चक्रों में शामिल हो सकते हैं।

ग्रामीण आवास और पर्यावास पर राष्ट्रीय कार्यशाला

1321. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कपार्ट के सहयोग से ग्रामीण आवास और पर्यावास पर राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण और उद्देश्य क्या है; और

(ग) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत विशेषकर कर्नाटक के गैर सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) सरकार ने पिछले पांच वर्षों में लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) के साथ मिलकर ग्रामीण आवास और पर्यावास पर कोई राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित नहीं की है,

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को राज्यवार निधियों का आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। विभिन्न ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अंतर्गत 2001-2001 और 2002-2003 के दौरान कर्नाटक में गैर-सरकारी संगठनों को कोई धन आवंटित नहीं किया गया है।

विवरण

ग्रामीण भवन केन्द्र

2001-2002 के दौरान निधि की राज्य-वार रिलीज

2001-2001 लाख रुपयों में

क्र.सं.	राज्य का नाम	रिलीज की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	3.00
2.	बिहार	3.00
3.	गुजरात	15.00
4.	जम्मू-कश्मीर	3.00
5.	महाराष्ट्र	3.00
	कुल	27.00

ग्रामीण भवन केन्द्र

2002-2003 के दौरान निधि की राज्यवार रिलीज

2002-2003 लाख रुपयों में

क्र.सं.	राज्य का नाम	रिलीज की गई राशि
1	2	3
1.	असम	6.00
2.	गुजरात	6.00
3.	मणिपुर	6.00
4.	नागालैंड	12.00
5.	उड़ीसा	24.00
6.	उत्तर प्रदेश	6.00
7.	उत्तरांचल	6.00
	कुल *	66.00

* हुडको को 66.00 लाख रुपये की पहली किस्त रिलीज की जा रही है।

ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के अभिनव चरण

2001-2002 के दौरान निधियों की राज्यवार रिलीज

2001-2002 लाख रुपयों में

क्र.सं.	राज्य का नाम	रिलीज की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	16.99
2.	बिहार	16.00
3.	मध्य प्रदेश	3.63
4.	मणिपुर	5.00
5.	उड़ीसा	8.00
6.	तमिलनाडु	8.00
7.	उत्तर प्रदेश	15.97
8.	पश्चिमी बंगाल	4.92
	कुल	78.51

ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के अभिनव चरण

2002-2003 के दौरान निधियों की राज्यवार रिलीज

2002-2003 लाख रुपयों में

क्र.सं.	राज्य का नाम	रिलीज की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	16.46
2.	बिहार	4.00
3.	गुजरात	4.99
4.	केरल	11.24
5.	राजस्थान	7.86
	कुल	44.55

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि जारी करना

1322. श्री के. येरननायडू: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से पिछले दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में एस जी एस वाई के अंतर्गत महिलाओं एवं सहायता ग्रुप को अतिरिक्त धनराशि जारी करने के संबंध में निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां,। वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत मंत्रालय को आंध्र प्रदेश सरकार ने क्रमश: 100.00 करोड़ रुपए एवं 44.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का अनुरोध प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एवं त्रिपुरा की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से भी अतिरिक्त राशि के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ग) और (घ) एस.जी.एस.वाई. एक आबंटन आधारित कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत राज्यों के लिए निर्धारित केन्द्रीय आबंटन को राज्य में गरीबी की स्थिति के आधार पर वितरित किया जाता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एवं त्रिपुरा को 127 जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 3583.82 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि संबंधित राज्यों में कुल केन्द्रीय आबंटन की तुलना में हुई बचत से रिलीज की गई थी। अतिरिक्त राशि के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि उनके केन्द्रीय आबंटन की तुलना में कोई बचत नहीं थी।

राम मंदिर का निर्माण

1323. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं से मुलाकात की थी;

(ख) क्या अविवादित भूमि को राम मंदिर निर्माण हेतु विश्व हिन्दु परिषद के संगठन को सौंपने पर भी चर्चा हुई थी जैसा कि 'इकनामिक टाइम्स' अंक 2 नवंबर, 2002 में छपा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

प्रोफेसरों की ठेके पर नियुक्ति

1324. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रोफेसरों को ठेके पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को लेकर कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में भारी रोष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में संविदात्मक नियुक्तियां करने संबंधी मुद्दे पर 25 सितम्बर, 2002 को हुई आयोग की बैठक में विचार किया गया था क्योंकि पारम्परिक प्रक्रिया की जगह निश्चित कार्यकाल वाली नियुक्तियां करने की प्रक्रिया लागू करने का व्यापक प्रभाव अवश्य पड़ेगा इसलिए यह निर्णय किया गया था कि नीपा से इस संबंध में उचित अध्ययन के लिए कहा जाए। संविदात्मक नियुक्तियों का मुद्दा पक्ष तथा विपक्ष दोनों में व्यक्त की गई राय के साथ मीडिया में कतिपय चर्चा का कारण बन गया है।

राष्ट्रीय महिला कोष

1325. श्रीमती रीना चौधरी:
श्री रवि प्रकाश शर्मा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-02 और 2002-03 तथा आज तक राष्ट्रीय महिला कोष से गरीबों और जरुरतमंदों के लिए काम करने वाले विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक कल्याण संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) राष्ट्रीय महिला कोष से निर्धन तथा जरुरतमंदों के लिए कार्यरत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों तथा सामाजिक कल्याण संगठनों को दी गई सहायता इस प्रकार है:-

वर्ष 2001-2002 के दौरान

स्वीकृत	743.61 लाख रुपए
संवितरण	633.76 लाख रुपए

वर्ष 2002-2003 के दौरान (13.10.02 की स्थिति के अनुसार)

स्वीकृत	525.45 लाख रुपए
संवितरण	508.43 लाख रुपए

(ख) उत्तर प्रदेश सहित, राज्य-वार लाभान्वित महिलाओं की संख्या (प्रारम्भ से) इस प्रकार है:-

राज्य	ऋण प्राप्तकर्ताओं की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	157905
असम	630
बिहार	8365
छत्तीसगढ़	25
दिल्ली	1270
गुजरात	5950
हरियाणा	780
हिमाचल प्रदेश	5566
जम्मू-कश्मीर	880
झारखण्ड	505
कर्नाटक	12104
केरल	31895
मध्य प्रदेश	4925
महाराष्ट्र	25815
मणिपुर	5890
नागालैण्ड	70
उड़ीसा	12375
पाण्डिचेरी	300
राजस्थान	13098
तमिलनाडु	91751
उत्तर प्रदेश	21028
उत्तरांचल	475
पश्चिमी बंगाल	26821
कुल	428423

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खानों का बंद होना

1326. श्री सुनील खां: क्या **कोयला और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले के भण्डार न होने के कारण ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खानों को या तो बंद कर दिया गया है या बंद किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन कोयला खानों का ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) भण्डारों के समाप्त होने के कारण 1.4.2002 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) की 52 खाने. बन्द कर दी गई हैं। उपर्युक्त 52 खानों में से ई.सी.एल. की 32 भूमिगत खानें और 14 ओपनकास्ट खानें पश्चिम बंगाल राज्य में तथा एक भूमिगत खान और 5 ओपनकास्ट खानें झारखण्ड राज्य में बन्द की गई है। अगले 3 वर्षों के दौरान, कार्यशील सीमों में भण्डारों के समाप्त होने के कारण 10 भूमिगत खानों में खनन गतिविधियों को स्थगित किए जाने का प्रस्ताव है।

डी.डी.ए. की लापता फाइलें

1327. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 'डीडीए की तीस हजार फाइलें लापता' के संबंध में 'दैनिक जागरण' के जुलाई 10, 2002 के अंक में छपे समाचार की और आकर्षित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो छपे समाचार के संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो डीडीए की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या संसद सदस्यों द्वारा आर्थिक अपराध करने वालों को पकड़ने के लिए किसी विशेष डीडीए फ्लैट के संबंध में मांगी गई जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जाती है;

(छ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने संसद सदस्यों द्वारा जानकारी मांगी गई और उन्हें अब तक जानकारी न उपलब्ध कराये जाने के क्या कारण हैं;

(ज) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक सभी सूचनाओं का कम्प्यूट्रीकरण कर दिया है; और

(झ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिनांक 10 जुलाई, 2002 के दैनिक जागरण में प्रकाशित रिपोर्ट पूरी तरह सही नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत लगभग 3,23,295 मकानों का आबंटन किया गया है और सभी आबंटनों की फाइलें रिकार्ड कक्ष में रखी गई हैं। बड़ी संख्या में फाइलें होने के कारण कभी-कभी फाइले गुम हो जाती हैं और अन्य फाइलों के साथ संलग्न हो जाती है या विधायी विभाग की फाइलों के साथ संलग्न हो जाती हैं और तब ये रिकार्ड कक्ष अनुभाग में उपलब्ध नहीं होती। तथापि जब कभी किसी भी फाइल के गुम होने की सूचना मिलती है तब सभी तथ्यों की पुष्टि करके उन्हें दोबारा बनाने के लिए समुचित कार्रवाई की जाती है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

पिछले दो वर्षों में फाइलें खोने के कारण 8 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 4 कर्मचारियों पर बड़ी शास्ति और 4 पर छोटी शास्ति लगाई गई।

फाइलें खोने की समस्या की रोकथाम के लिए डीडीए ने रिकार्ड के कंप्यूटरीकरण और फाइल ट्रैकिंग प्रणाली भी शुरू की है।

(च) और (छ) जी नहीं। डीडीए ने सूचित किया है कि जब कभी कोई सूचना मांगी जाती है तो वह माननीय सांसदों को उपलब्ध कराई जाती है।

(ज) और (झ) डीडीए ने सूचित किया है कि नई स्कीमों में आवेदनों और आबंटन की प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत है। पुराने रिकार्ड के कंप्यूटरीकरण का कार्य चल रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पैकेज

1328. **श्री एम. के. सुब्बा:** क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने राज्य में और पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूसरे भागों में उग्रवाद की समस्या के स्थायी समाधान के लिए युवकों को रोजगार एवं अन्य आर्थिक उपायों सहित कोई व्यापक पैकेज प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो व्यापक पैकेज का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) असम सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय में या पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

अन्तरराज्यीय समन्वय समिति

1329. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र के विकास एवं विनिमय के लिए कोई अन्तरराज्यीय समन्वय निकाय कार्यरत है; और

(ख) यदि हां, तो उसका संगठन और कार्य क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उसकी बैठकों में लिए गए निर्णय और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। इसमें पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव, चीफ आफ स्टाफ, कोर्प्स, चंडीगढ़ तथा प्रशासक चंडीगढ़ के सलाहकार शामिल हैं तथा यह अनिवार्य तौर पर चंडीगढ़ तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में उभरते अरबन सेंटरों के विकास के मार्ग निर्देश देने और प्रणालन करने के लिए एक मंच का कार्य करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान समिति की एक बैठक हुई जिसमें चंडीगढ़ अन्तर्राज्यीय महानगरीय क्षेत्र योजना, 2001 की जांच तथा पुनरीक्षा की गई। तदुपरान्त पंजाब और हरियाणा सरकार के उक्त योजना पर औपचारिक तौर पर अपने विचार देने का अनुरोध किया गया ताकि चंडीगढ़ क्षेत्र के लिए स्वीकार्य एकीकृत योजना तैयार की जा सके।

महासागरीय संसाधन आयोग का गठन

1330. **श्री मोहन रावले:** क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महासागरीय संसाधन आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) महासागर विकास विभाग के जुलाई, 2002 में जारी सदर्शी योजना 2015 संबंधी विजन दस्तावेज आयोग गठित करने की आवश्यकता का जिक्र है। इस विभाग में विस्तृत प्रस्ताव करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई आरम्भ कर दी है, इस पर विचार करने के पश्चात ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

तुगलकाबाद किले की भूमि पर अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण

1331. **श्री रामजी मांझी:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 24 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5600 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, भूमि एवं भवन और राजस्व विभाग द्वारा सरकार के निर्देश के बावजूद तुगलकाबाद किले की 811 बीघा भूमि पर अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण को नहीं हटाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण को कब तक खाली करा लिया जाएगा/हटा दिया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.), दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उन्होंने तुगलकाबाद किला से अतिक्रमणों/अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए समय-समय पर कार्यक्रम चलाए हैं तथा 300 बीघा भूमि विकास हेतु मुक्त कराई है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई सूचना के अनुसार शेष भूमि पर अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए आगे कार्रवाई रोक देनी पड़ी क्योंकि ग्रामीण विकास संगठन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य सी.डब्ल्यू.पी. नं. 2193/2001 में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा स्थगन आदेश दे दिया गया। इस समय मामला न्याय-निर्णयाधीन है।

इंसुलिन का प्रयोग करने वालों के लिए टेबलेट का विकास

1332. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:.

(क) क्या यह सच है कि सीएसआईआर ने इंसुलिन का प्रयोग करने वाले के लिए किसी खाने वाली दवा की गोली का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीएसआईआर ने उक्त शोध की उपलब्धि का व्यावसायीकरण करने की कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस औषधि को बेचने के लिए भेषजीय कंपनियों के साथ बातचीत की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत ''बचदा''): (क) और (ख) सीएसआईआर की एक घटक इकाई क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू ने प्रति मधुमेह गतिविधि के लिए परम्परागत रूप से विजयसार (टेरोकारपस मारसुपियम) नामक पादक के अंत:काष्ठ निष्कर्ष को मानकीकृत किया है। मधुमेह से पीड़ित रोगियो द्वारा कैप्सूल के रूप में लिए जाने वाले उपर्युक्त निष्कर्ष (औषधि) के बहुकेन्द्रीय नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं।

(ग) और (घ) इन नैदानिक परीक्षणों के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर इस औषधि को वाणिज्यीकृत किया जाएगा।

(ङ) और (च) सीएसआईआर इस उद्देश्यार्थ कुछ अग्रणी भेषज कंपनियों के संपर्क में है।

राष्ट्रीय बाल संस्कार संगम

1333. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 14 नवम्बर, 2002 को बच्चों की किसी अद्वितीय सभा का आयोजन किया;

(ख) यदि हां, तो बच्चों के इस सम्मेलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सभा में राष्ट्रीय बाल संस्कार संगम की क्या भूमिका रही; और

(घ) राष्ट्रीय बाल संस्कार संगम के उद्देश्य एवं अन्य क्रियाकलाप क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) 14 नवम्बर, 2002 को विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य में महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय बाल संस्कार संगम, जो कि एक विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम था, का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सर्व-शिक्षा अभियान पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में संपूर्ण भारत में कठिन परिस्थितियों में रह रहे 4000 बच्चों (2000 बच्चे पूरे भारत वर्ष से ओर 2000 बच्चे दिल्ली और उनके आस-पास के क्षेत्रों से) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इन बच्चों के लिए गैर-सरकारी संगठनों की मदद से नुक्कड़ नाटक, जीवन-कौशल शिक्षा पर कार्यशालाओं, आरेखन व चित्रकला, सांस्कृतिक कार्यकलापों आदि जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह का आयोजन दिनांक 14.11.2002 को तीन मूर्ति हाउस के प्रांगण में किया गया। इस समारोह में भारत के माननीय प्रधान मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इन बच्चों के सांस्कृतिक, कलात्मक व देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम को देखा। राष्ट्रीय बाल संस्कार संगम के जरिए कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों की ओर समाज व राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय बाल संस्कार संगम में इस बात को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चे भी समाज की थोड़ी-सी मदद से राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकते हैं।

[हिन्दी]

विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों की उपलब्धता

1334. श्री ए. नरेन्द्र:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद विद्यालय के विद्यार्थियों को अभी तक पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अंतिम निर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन के संबंध में व्यय सुधार आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं;

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में एक अलग यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं;

(छ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ज) क्या सरकार का विचार वर्तमान सत्र के पूरा होने में बहुत कम समय शेष होने के कारण पाठ्यक्रम को अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू करने का है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (झ) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने चालू शैक्षिक सत्र 2002-03 के लिए नए पाठ्यक्रमों पर आधारित कक्षा I, III, VI, IX, और XII के लिए सभी विषयों की पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित एवं लोकार्पित कर दी हैं। नए पाठ्यक्रमों को लागू करने का निर्णय स्कूल शिक्षा बोर्डों और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

व्यय सुधार आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि "राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को पाठ्य-पुस्तकें तैयार करते रहना चाहिए लेकिन इसे एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि निजी प्रकाशकों तथा राज्य पाठ्य-पुस्तक एजेंसियों को प्रकाशन के आकार को ध्यान में रखते हुए रायल्टी या शुल्क के आधार पर प्रकाशन के लिए पांडुलिपि दी जाए।" राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसकी कार्यकारिणी समिति ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में पुस्तकों के उत्पादन और विपणन संबंधी नीतियों पर सलाह देने के लिए एक पृथक आंतरिक समिति बनाई जाए।

घाटे में चल रहे उर्वरक संयंत्र

1335. **श्री लक्ष्मण गिलुवा:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक उर्वरक संयंत्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(घ) इस प्रकार की हानि के लिए अधिकारी किस सीमा तक जिम्मेदार हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) वर्ष 2001-02 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों को हुई हानि इस प्रकार है:-

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	हानि (करोड़ रुपये में)
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी)	803.28
फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई)	1068.35
पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि. (पी पी सी एल)	114.20
प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेन्ट इंडिया लि. (पी डी आई एल)	36.66
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एम एफ एल)	66.10

प्रौद्यो-आर्थिक विश्लेषणों के आधार पर सरकार का एच एफ सी तथा जोधपुर खनन संगठन को छोड़कर एफ सी आई और पी पी सी एल की देहरादून व सलादीपुरा इकाईयों को बंद करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। पी पी सी एल की अमझौर इकाई तथा पी डी आई एल के पुनर्स्थापन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार ने जुलाई, 2002 में सरकारी ऋणों पर ब्याज का परित्याग करके एम एफ एल को 65 करोड़ रुपये की वित्तीय राहत प्रदान की है।

[अनुवाद]

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

1336. **श्रीमती रेणूका चौधरी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान, राज्य-वार देश में उन सामुदायिक विकास खण्डों और बड़े शहरी झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों की संख्या कितनी है जिनमें एकीकृत बाल विकास योजनाएं प्रदान की गई और इनमें गर्भवती और धाय माताओं की संख्या और समाज के वंचित वर्गों के लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ख) दसवीं योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में (अर्थात् 31.3.2002 तक की स्थिति के अनुसार) आई. सी. डी. एस. परियोजनाओं की संख्या, जिनमें सामुदायिक विकास खण्डों तथा प्रमुख शहरी झुग्गी बस्तियों में आई. सी. डी. एस. परियोजनाएं शामिल हैं, तथा लाभार्थियों की संख्या के विषय में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 10वीं योजना के प्रत्येक वर्ष में कार्यशील बनाई जाने वाली आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	कार्यशील बनाई जाने वाली परियोजनाओं की संख्या
2002-03	4947
2003-04	5132
2004-05	5317
2005-06	5531
2006-07	5652

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या		लाभार्थियों की संख्या		
		संस्वीकृत	कार्यशील	6 वर्ष से कम आयु के बच्चे	गर्भवती एवं शिशुवती माताएं	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	363	251	1569901	364563	1934464
2.	अरुणाचल प्रदेश	56	49	86605	14748	101353
3.	असम	196	107	311773	44131	355904
4.	बिहार	428	171	248957	29142	278099
5.	छत्तीसगढ़	152	152	966421	201006	1167427
6.	गोवा	11	11	38121	9024	47145
7.	गुजरात	227	218	1334081	221442	1555523
8.	हरियाणा	116	116	992443	233367	1225810
9.	हिमाचल प्रदेश	72	72	279280	58658	337938
10.	जम्मू-कश्मीर	121	113	114861	20759	135620
11.	झारखंण्ड	170	152	466316	161619	627935
12.	कर्नाटक	185	185	2476278	404116	2880394
13.	केरल	163	163	776871	128241	905112
14.	मध्य प्रदेश	336	332	2413796	616729	3030525
15.	महाराष्ट्र	370	268	3108052	511088	3619140
16.	मणिपुर	34	34	158916	29543	187459
17.	मेघालय	32	32	144641	28110	172751
18.	मिजोरम	21	21	81763	22835	104598
19.	नागालैंड	54	52	228933	385960	267530
20.	उड़ीसा	326	308	4459513	564818	5024331
21.	पंजाब	142	142	497929	125277	623206

1	2	3	4	5	6	7
22.	राजस्थान	257	257	1481708	374038	1855746
23.	सिक्किम	5	5	33332	5587	38919
24.	तमिलनाडु	434	431	1215642	256728	1472370
25.	त्रिपुरा	42	31	100055	13572	113627
26.	उत्तर प्रदेश	839	518	3794303	783808	4578111
27.	उत्तरांचल	96	54	194396	46285	240681
28.	पश्चिमी बंगाल	358	318	3402306	603270	4005576
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	5	5	26391	5719	32110
30.	चंडीगढ़	3	3	28306	6168	34474
31.	दिल्ली	29	28	416124	69548	485672
32.	दादरा और नागर हवेली	1	1	10225	1771	11996
33.	दमन और दीव	2	2	5491	1233	6724
34.	लक्षद्वीप	1	1	3446	1032	4478
35.	पांडिचेरी	5	5	36588	10529	47117
	भारत	5652	4608	31503764	6006101	37509865

स्कूल शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1337. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:**
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री वाई.वी. राव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्कूल शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले पर सरकार का क्या रूख है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित प्रस्तावों की इस मंत्रालय में मामला दर मामला जांच की जाती है।

फर्जी शिक्षा केन्द्र

1338. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में दिल्ली के एक फर्जी 'सेन्ट्रल बोर्ड आफ हायर एजुकेशन' से फर्जी प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बोर्ड ने आंध्र प्रदेश एवं अन्य राज्यों में भी अपने केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के फर्जी परीक्षा केन्द्रों को अपना जाल फैलाने से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) उक्त घटना में की गई जब्ती का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के और कितने मामले हैं जिनमें फर्जी शिक्षा प्रमाणपत्रों का उपयोग हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी हां,।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस और शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, ऐसे जाली शिक्षा केन्द्रों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) ऐसे में जाली कार्यकलापों पर नजर रखने और इनकी रोकथाम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक 'काचार निवारण कक्ष' की स्थापना की गई है।

(2) जिन जाली बोर्डों का पता लगाया गया है उनकी सूची बोर्ड की त्रैमासिक पत्रिका में प्रकाशित की गई है और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट में भी डाल दी गयी है।

(3) पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने 4 अप्रैल, 2000 के अपने परिपत्र द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि किसी भी जाली शैक्षिक संस्थान के संबंध में जानकारी मिलने पर अथवा इन संस्थानों के खिलाफ कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर इनके विरुद्ध कानून के अनुसार शीघ्र कार्रवाई की जाए।

(4) अपराध शाखा ने छापे मारे और जाली शिक्षा बोर्ड अर्थात "सेन्ट्रल बोर्ड आफ हायर एजुकेशन" चलाने के लिए जिम्मेवार तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

(5) "आल इंडिया बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन" नामक एक और ऐसे ही जाली शिक्षा बोर्ड पर अपराध शाखा ने मई, 2002 में छापा मारा और इस सिलसिले में चार व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गये।

(6) शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने ऐसे जाली बोर्डों की मौजूदगी के संबंध में आम लोगों के सूचनार्थ एक नोटिस जारी किया है।

(घ) "सेन्ट्रल बोर्ड आफ हायर एजुकेशन", नई दिल्ली और "आल इंडिया बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन", दिल्ली के कार्यालयों से प्रमाण पत्र/अंक तालिकाएं और आवेदन पत्र (रिक्त/भरे हुए), परीक्षा फार्म, परीक्षा परिणाम रजिस्टर इत्यादि पकड़े गए थे।

[हिन्दी]

पुरस्कार विजेता आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन

1339. श्री छत्रपाल सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पुरस्कार विजेता आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देकर मुख्य सेविका नियुक्त करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाएं गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेश से वित्तपोषण

1340. श्री अम्बरीश: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारतीय विश्वविद्यालयों विशेषकर कर्नाटक स्थित विश्वविद्यालयों में विदेशी वित्तपोषण को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रकार प्राप्त निधि का भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोग करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) भारतीय विश्वविद्यालयों जिनमें कर्नाटक स्थित विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, में विदेशी निधियन की अनुमति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अपराह्न 12.01

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

भारत की संसद के स्वर्ण जयंती समारोह पर सामूहिक फोटोग्राफ के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि भारतीय संसद के स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभापति, राज्य सभा, प्रधान मंत्री, उप प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोक सभा, केन्द्रीय मंत्रीगण, विपक्ष के नेतागण तथा लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों का एक सामूहिक फोटोग्राफ बुधवार 27 नवम्बर, 2002 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष और प्रवेश द्वारा सं. 1 के बीच लान में लिया जायेगा।

माननीय मंत्रीगण और सदस्यगण से अनुरोध है कि वे कल प्रात: 10.15 बजे निर्धारित स्थल पर सामूहिक फोटोग्राफ हेतु उपस्थित हों।

सदस्यों की जानकारी हेतु कुर्सियों पर बैठने और प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति में खड़े होने की व्यवस्था से संबंधित चार्ट संसद सूचना कार्यालय और बाहरी लाबी के सूचना पट पर लगाया गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के संबंध में आपने आज चर्चा करानी है। उससे पहले मैं निवेदन करता हूं कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। सबसे पहले मैं सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लूंगा। उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय मैं, भारत-तीब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमांडेन्ट (कार्यालय) भर्ती नियम, 2002 जो 9 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 484(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, अनुचर-कुशल (समूह ''घ'' पद) भर्ती नियम, 2002, जो 27 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 598(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, अनुचर-अकुशल (समूह ''घ'' पद) भर्ती नियम, 2002, जो 27 अगस्त 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 599(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6048/2002]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार): मैं 31 दिसम्बर, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के बिना बारी के आवंटितियों के बारे में वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6049/2002]

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2002, जो 29 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 733(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) सा.का.नि. 500(अ) जो 16 जुलाई, 2002 के भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के माध्यम से पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालनों के लिए क्षेत्र के आरक्षण के बारे में है तथा उनका एक शुद्धि पत्र जो 14 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 569(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) सा.का.नि. 1134(अ) जो 29 अक्तूबर, 2002 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सर्वेक्षण प्रचालन की परिभाषा के प्रयोजनों के लिए ड्रिलिंग के अभिप्राय से प्रत्येक एक सौ वर्ग कि.मी के लिए

छूट-प्राप्त बोर-होलों की संख्या को 5 से बढ़ाकर 10 किये जाने के बारे में है।

(4) ग्रेनाइट संरक्षण तथा विकास (संशोधन) नियम, 2002, जो 17 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 706(अ) प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6050/2002]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1163 (अ), जो 6 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6051/2002]

(2) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 60 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1193(अ) जो 13 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जो उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुनरीक्षा समिति के पुनर्गठन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6052/2002]

(3) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 34 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा उससे संबंधित एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6053/2002]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): श्री बची सिंह रावत की ओर से मैं प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 621(अ), जो 6 सितम्बर, 2002 के भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 16 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 370(अ), का शुद्धि-पत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6054/2002]

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1049 (अ), जो 1 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें रवि मौसम 2002-2003 के दौरान राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति को दर्शाया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6055/2002]

(2) कंपनी अधिनियम, 1995 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6056/2002]

(ख) (एक) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त मद संख्या (2) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6057/2002]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (क्षेत्रीय समितियों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2002 जो 7 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 9-11/2002/एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (गैर-अनुदान प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए दिशा-निर्देश) विनियम, 2002 जो 1 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 5-1/2001/एनसीटीई (एकेड) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, प्रस्तुत करने की रीति, संस्थानों की मान्यता के लिए शर्तों का निर्धारण और नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 8 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 9-14/2002/एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6057/2002]

(2) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6058/2002]

(4) (एक) पश्चिम बंगाल जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंगाल जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी विवरण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6059/2002]

(6) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद), जयपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद), जयपुर के वर्ष 2000-2001 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6060/2002]

(8) (एक) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली में वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6061/2002]

(10) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6062/2002]

(12) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6063/2002]

(16) (एक) इंडियन काउंसिल आफ सोशल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6064/2002]

(18) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6065/2002]

(20) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6066/2002]

(22) (एक) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6067/2002]

(24) (एक) इंडियन काउंसिल फार फिलासफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल फार फिलासफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6068/2002]

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित अध्ययन दौरा-प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से संबंधित चालीसवां अध्ययन दौरा प्रतिवेदन; और

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से संबंधित इकतालीसवां अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

(एक) दसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) कार्यवाही सारांश

श्री राम सजीवन (बांदा): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 8 अगस्त, 2002 को हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मित्रो मुझे स्थगन प्रस्ताव के संबंध में तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं विषय और इसकी सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पढ़ता हूं। पहले स्थगन प्रस्ताव का विषय तहलका मामले की जांच कर रहे आयोग के कार्य को सरकार द्वारा बाधित करने के प्रयास से संबंधित है। इस विषय पर श्री बसुदेव आचार्य, श्री एस. जयपाल रेड्डी, श्री रूपचंद पाल और श्री सोमनाथ चटर्जी ने स्थगन प्रस्ताव हेतु सूचना दी हैं।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव का विषय दिल्ली विश्वविद्यालय के जुबली हाल में छात्रों द्वारा भूख हड़ताल किए जाने से संबंधित है। इस विषय पर डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव का विषय 6, कृष्ण मेनन मार्ग को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से संबंधित है। मुझे यही सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर हमारा भी नोटिस है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं पता करूंगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास कालिंग अटैंशन नोटिस भी है।

[अनुवाद]

उसे इसके बाद लिया जा सकता है

...(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): मैंने भी इसी मुद्दे पर नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं पता करूंगा।

[हिन्दी]

कभी-कभी देर से आता है, इसलिए इसमें नहीं आ पाता।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे यही नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इसे ''शून्य काल'' के दौरान उठाएं। तत्पश्चात, हम दूसरे विषय पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, ''शून्य काल'' पूरी तरह महत्वहीन हो गया है।...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरियालगुडा): महोदय, वेंकटस्वामी आयोग के संबंध में आपका क्या निदेश है।...*(व्यवधान)* तहलका कांड की जांच करने हेतु नियुक्त आयोग के संबंध में आपका क्या निदेश है। आपका निदेश क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं जीरो आवर अभी शुरू कर रहा हूँ, 'नियम 377 के अधीन मामले' बाद में लूंगा।

[अनुवाद]

अत: आप इन विषयों पर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि जीरो आवर के तत्काल बाद आप उत्तर प्रदेश की चर्चा लें।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि प्रश्नकाल के तत्काल बाद उत्तर प्रदेश पर चर्चा होगी। अब आपने जीरो आवर ले लिया है तो इस चर्चा का समय दो बजे निर्धारित कीजिए। अगर दो बजे नहीं करवा पाएंगे तो हमारी ओर से कोई और सदस्य बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, हमने आपकी चर्चा का विषय चार बजे रखा है। यदि आप उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो हमें बोल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, उसमें बदलाव इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने पहले से चार बजे का समय निर्धारित कर दिया है। बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो साढ़े तीन, चार बजे तक़ तैयार होकर आएंगे। अगर समय में कोई बदलाव करेंगे तो उनका नुकसान होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: .यदि सभा सहमत हो तो मैं इस पर चर्चा करा सकता हूं। यदि सभा इससे सर्वसम्मति से सहमत नहीं होती है तो मैं यह नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: इसमें एग्री करने की बात नहीं है। जब आपने समय निर्धारित कर दिया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब में ''शून्य काल'' की कार्यवाही शुरू करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप आयोग पर एक विस्तृत चर्चा कराना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने जीरो आवर शुरू किया है। जब आपका नम्बर आ जाएगा तो प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा करेंगे तो किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मेरा आपके विचारार्थ एक सुझाव है...*(व्यवधान)* यदि आप इस मुद्दे पर कल एक व्यापक चर्चा कराते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। क्योंकि केवल कुछ प्रश्न के आधार पर ही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी...*(व्यवधान)* यदि आप विस्तृत चर्चा कराते हैं तब मंत्री महोदय उत्तर देने की बेहतर स्थिति में होंगे। यदि आप कल भी इस पर चर्चा कराने को तैयार हों तो मुझे इसे तत्काल शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चर्चा लक्ष्यहीन और संक्षिप्त होगी। अत: मेरा सुझाव है कि इसे कल शुरू कराया जाये...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस पर सरकार को उत्तर देना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप कोई विषय शुरू नहीं करने देते यह क्या बात है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या यह हाउस चलाने का तरीका है मुझे जरा सुनने दें कि मंत्री जी क्या कहते हैं।

[अनुवाद]

जब मैं मंत्री महोदय को बुलाता हूं तब भी आप मुद्दों को ही उठाते रहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मेरा यह अनुरोध आपसे था न कि मंत्री महोदय से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे सरकार से यह पता करना पड़ेगा कि क्या वह इसके लिए तैयार है। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: सभा चर्चा की मांग करती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी, यदि आप नियमों के अनुसार चलना चाहते हैं, तब मैं इसे कार्यमंत्रणा समिति में उठाऊंगा और तब आप निर्णय कर सकते हैं।

आप निर्णय कर सकते हैं। अब, आप कृपया बैठ जाइये।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं सभा के अंदर और बाहर कई बार कह चुका हूं कि मुझे किसी भी चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है। इस पर मेरी सिर्फ यह आपत्ति है कि...*(व्यवधान)* परसों, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी और उस समय इसके लिए तिथि पर निर्णय कीजिए। मैं इस सुझाव पर सहमत नहीं हो सकता कि इस पर कल चर्चा की जाए।

जैसा कि आपको मालूम है, कार्यमंत्रणा समिति में हमने इस सप्ताह के कार्यों का निर्णय किया है। कार्यमंत्रणा समिति द्वारा यथा निर्णीत कार्य होने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन: श्री जयपाल रेड्डी, आप इसके लिए सरकारी कार्य का समय नहीं ले सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मामले की तात्कालिकता और अत्यधिक महत्व के मद्देनजर विशेष रूप से बुलाई जा सकती है...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: यदि इसकी विशेष बैठक होती है, तब भी मेरा वही विचार होगा क्योंकि मुझे दो अध्या देश इस सप्ताह पारित कराने हैं।...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: प्रमोद महाजन समग्र चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? क्या वह सिर्फ तहलका के उल्लेख से परेशान हैं।

श्री प्रमोद महाजन: मैं चर्चा से नहीं भाग रहा हूं। किन्तु आप किसी भी समय चर्चा के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: क्यों नहीं...*(व्यवधान)* परन्तु मैं अभी नहीं चाहता हूं क्या आप कल चर्चा के लिए तैयार हैं? *(...व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है विपक्ष की नेता सोनिया गांधी के बारे में, जिसमें मूर्ति चोरी की बात है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी मैं आपके सुझाव को मानने के लिए तैयार हूं कि इस मामले को आज ही कार्य मंत्रणा समिति में उठाया जाए। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: उस पर भी सदन में चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: मैंने सभी को कहा कि आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने शिवराज पाटील जी को बोलने के लिए पुकारा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस मामले को सुलझा लिया गया है कि मामला कार्य मंत्रणा समिति में उठया जाएगा। यदि आवश्यक है तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज ही बुलाई जा सकती है। हम कार्य मंत्रणा समिति में जब यह मामला उठाया जाएगा, फैसला करेंगे। मुझे ऐसा करने में कोई समस्या नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं?*...(व्यवधान)* यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। मैं समझता हूं कि इस पर सभा में चर्चा होनी चाहिए। यदि स्थगन प्रस्ताव को आज स्वीकार नहीं किया जा सकता तो कल चर्चा की जा सकती है। हम सरकार के साथ उसके विधेयकों को पारित करने में सहयोग कर रहे हैं। हम महत्वपूर्ण विधेयकों जो कार्यसूची में हैं को पारित करने में सरकार से सहयोग कर रहे हैं। किंतु यदि आप यह निर्णय करने के लिए कि क्या कल चर्चा की जा सकती है, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करने की बात कर रहे हैं तो अच्छा है। हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर निर्णय कर सकते हैं।*...(व्यवधान)* कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम यह निर्णय करेंगे कि क्या किया जाना है।

श्री प्रमोद महाजन: कार्य मंत्रणा समिति इस पर फैसला करेगी। महोदय, किसी भी समय आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कर सकते हैं। मैं सरकार का दृष्टिकोण रखने के लिए वहां रहूंगा। किंतु जब वे कहते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज होगी, और यह फैसला करेगी कि कल चर्चा होगी, वे सभा में ही फैसला कर रहे हैं कि कार्य मंत्रणा समिति क्या निर्णय करेगी*...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: हां, सभा यह निर्णय कर सकती है कि कार्य मंत्रणा समिति को क्या करना चाहिए*...(व्यवधान)* सभा कार्य मंत्रणा समिति की तुलना में सर्वोच्च है?

श्री प्रमोद महाजन: हां, यदि सभा इस पर निर्णय कर सकती है, तब कार्य मंत्रणा समिति में जाने की जरूरत क्या है?*...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: हम निवेदन कर रहे हैं। अब सभा की कार्यवाही अत्यन्त ही व्यवस्थित ढंग से हो रही है। हम विधेयक पारित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को सदस्यों को किसी भी मुद्दे पर जिस पर वे आक्रोश महसूस करें पर विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए। इसका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर भी प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर नोटिस दिया गया है। मैंने और रघुनाथ झा जी ने एक नोटिस दिया है, जिसमें जिक्र है कि न्यायालय द्वारा विपक्ष की नेता के विरुद्ध कुछ टिप्पणी की गई है। उसमें मूर्ति चोरी से लेकर उनकी शैक्षणिक योग्यता का भी सवाल है, जिस पर न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस विषय पर भी चर्चा कराने के लिए सदन में आप कोई समय तय करें, ताकि उस पर चर्चा हो सके। हम लोग नोटिस देते हैं, लेकिन उन पर कभी चर्चा नहीं हो पाती है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस विषय को प्राथमिकता पर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, केन्द्र सरकार उस पर कार्यवाही करने से हिचक रही है, टालमटोल कर रही है। लगता है कि केन्द्र सरकार और विपक्ष के नेता मिलकर काम कर रहे हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, आपको क्या सुझाव देना है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। मुझे जीरो आवर शुरू करना है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा का समय बर्बाद नहीं करें। मुझे सबसे परामर्श की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं यही अनुरोध कर रहा हूं कि लगातार यह चौथी बहस हो रही है। सप्ताह में पहले ही तीन बहस विपक्ष के कहने पर हो चुकी हैं। एक दिन सरकारी कार्य के लिए रखा जाता है, उसमें भी कहा जा रहा है कि इस मामले को ले लिया जाए। बी.ए.सी. में पहले ही तय हो गया था और उसमें इनके भी नेता शामिल थे।

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कहा है कि बी.ए.सी. के हिसाब से चलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपका स्थगन प्रस्ताव डिसअलाऊ कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: यदि व्यवस्था का प्रश्न नहीं है तब भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कई सदस्यों ने 'शून्य काल' के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए सूचना दी है। किंतु यदि सिर्फ स्थगन प्रस्तावों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को लिया जाता है तो अन्य सदस्यों जिन्होंने शून्य काल के दौरान कई मुद्दों को उठाने के लिए सूचना दी है के लिए क्या उपाय है? हम मुद्दों को उठाने के लिए हर दिन सूचना देते हैं। हमारे लिए क्या रास्ता है? इसलिए कृपया आप स्थगन प्रस्तावों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के लिए समय निर्धारित कर दीजिए क्योंकि दूसरे अपने मुद्दों को उठाने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। सभा में प्रतिदिन एक या दो मुद्दे उठाएं जाते हैं। मैंने बार-बार कर्नाटक में भाषाई अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों के संबंध में मामला उठाने सूचना दी है। मैंने चार सूचनाएं दी हैं। प्रतिदिन मैं सूचना दे रहा हूं और मुझे मुद्दा उठाने का अवसर नहीं मिल रहा है। यदि स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाता है तो दूसरे सदस्य अन्य मुद्दे क्यों नहीं उठा सकते हैं? हमारे लिए क्या रास्ता है? आपको इसके बारे में फैसला करना है।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि आप बहुत ही आवेश में हैं। मुझे इस स्थिति को अवश्य ही स्पष्ट करना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस सभा की एक स्थापित प्रक्रिया है, नियम हैं और नियमों में सदा ही स्थगन प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई है। मेरी 'शून्य काल' में रुचि है यदि सदस्य मेरे साथ सहयोग करें तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 'शून्यकाल' के अधिकांश निवेदन सभा के सम्मुख प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अतएव, मुझे आपका सहयोग चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब कृपया मेरी बात सुनें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं। आप लोग मुझे बोलने नहीं देते।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम और विनियम हैं। यदि प्रत्येक सदस्य खड़ा होता है और अपनी बात एक या डेढ़ मिनट में बोलता है तो अनेक सदस्यों को अपनी बातें कहने का अवसर मिलेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यही करिए। रघुवंश जी, आप केवल अपना विषय रखिए। मैं जीरो आवर में आपको इजाजत दे रहा हूं।

अपराह्न 12.17 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) दिल्ली विश्वविद्यालय के जुबली होस्टल में रहने वाले छात्रों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, देश में मशहूर दिल्ली विश्वविद्यालय का मशहूर जुबली हाल होस्टल है। उसमें जो लड़के रहते हैं, वे आईएएस और आईपीएस में टाप करते हैं और ज्यादा नंबर पाने वाले लड़कों को ही उसमें रखा जाता है। पिछले कई दिनों से वहां आमरण अनशन चल रहा है। भूख हड़ताल के कारण छात्रों की हालत वहां काफी खराब हो गई

तो उनको हास्पिटल में रखा गया और वहां सीआरपीएफ और आरएएफ द्वारा उनको दण्डित किया जा रहा है। पूरा हास्पिटल पुलिस सिपाहियों से भर दिया गया है। इससे दिल्ली विश्वविद्यालय जो एक मशहूर विश्वविद्यालय है और हम लोगों को इस विश्वविद्यालय पर गौरव है। उसमें छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं और वहां का वाइस चांसलर तथा वहां आथोरिटीज सुन नहीं रही हैं।
वहां घोर अनियमितता हुई है। जो टापर लड़के हैं खासकर बिहार के छात्र हैं, जो परीक्षा में टाप करते हैं और मेधावी छात्र हैं, उनको जान-बूझकर हास्टल से हटाया गया है। इसीलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय की गरिमा, महिमा को बचाने हेतु सरकार सदन में बयान दे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए। मैं एक मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसा कब तक होता रहेगा?...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण बात नहीं है...*(व्यवधान)* सरकार इस पर जवाब दे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः रघुवंश जी, आप बैठिए। देखिए मैं एक-एक मिनट दे रहा हूं। इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं। मैं चाहता हूं कि जीरो आवर में ज्यादा से ज्यादा विषय आ जाएं। मैंने सुरेश रामराव जाधव का नाम लिया है।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र सरकार ने...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह छात्रों पर घोर अन्याय है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप सभी बैठिए। रघुवंश प्रसाद जी, मैंने आपको मौका दिया कि आप जीरो आवर में अपनी बात उठाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिए, सरकार को जिस विषय पर चाहिए, उस विषय पर सरकार विचार करेगी लेकिन जीरो आवर के बारे में माननीय सदस्या ने जो प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया था, आप समझ सकेंगे कि यह क्यों होता है।

[अनुवाद]

यदि सगदस्य सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न और चिन्ता को समझ सकता हूं किंतु आपके बाद खड़े सदस्य भी बोलना बंद नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः सरकार जब चाहेगी तब हस्तक्षेप करेगी। हर प्रश्न पर उसी समय सरकार रिस्पांड नहीं कर सकती।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, यह सवाल गम्भीर है। सरकार यहां मौजूद है। वहां के नायब वाइस चांसलर हैं, वहां जान-बूझकर बिहार के छात्रों जो आईएएस और आईपीएस परीक्षाओं में कम्पीट करते हैं, को परेशान किया जाता है, उनको तंग किया जाता है और होस्टल से निकाल दिया जाता है। वहां पुलिसराज बना दिया गया है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सरकार इस विषय में जवाब दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी आप कुछ कहेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): बिहार के सभी पक्षों के सदस्य आक्रोश में हैं। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री को यह बता दूंगा। मुझे आशा है कि वह इसका समाधान निकाल लेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): महोदय, मैं महाराष्ट्र में जब हमारी पार्टी की सरकार थी, तब हमने काटन ग्रोअर्स को कपास के उत्पादन का ध्यान रखते हुए 2300 रुपए प्रति क्विंटल भाव देना तय किया था। अभी महाराष्ट्र में विलासराव की सरकार है, जिसने पिछले साल कपास उत्पादकों से 1700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कपास खरीदने का निर्णय किया था, तथा उसमें से 1400 रुपए का नगद भुगतान करके शेष 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पोस्ट डेटेड चैक्स दे दिए गए थे। ये सभी चैक्स बाउन्स हो गए हैं, क्योंकि सरकारी खाते में बैंक में पैसा नहीं है। इस साल भी महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र कपास एकाधिकार

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

खरीद योजना के तहत अब तक भी कपास की सरकारी खरीद आरंभ नहीं की है, जबकि एक महीने से कपास की फसल तैयार है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि काटन ग्रोअर्स को 300 रुपए का बकाया भुगतान करने का निर्देश देना चाहिए और कपास खरीदनी चाहिए। काटन ग्रोअर्स तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अब तक 9 कपास उत्पादक किसान आत्म हत्या कर चुके हैं।

अत: इस सदन के माध्यम से मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और ठोस कदम उछाए।

अपराह्न 12.23 बजे

(दो) 6, कृष्ण मेनन मार्ग, नई दिल्ली को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह कोई राजनीतिक मामला भी नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, इस संबंध में मेरा भी नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय: आप आश्वस्त रहिए।

श्री राम विलास पासवान: महोदय, बाबू जगजीवन राम इस देश के राष्ट्रीय नेताओं में रहे हैं और देश के उप प्रधान मंत्री भी रहे हैं। आपको मालूम है कि 1962 से लेकर लगातार बाबू जगजीवन राम जी 6, कृष्णा मेनन मार्ग पर रहते थे। मैं 1979 में जब कल्याण मंत्री बना था, उस समय वह मकान मेरे नाम से आबंटित हुआ था। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज देश के प्रधान मंत्री हैं तथा अन्य 381 माननीय सदस्यों ने, जिनमें आप भी मौजूद हैं, सभी ने मांग की थी कि बाबू जगजीवन राम के निवास स्थान 6, कृष्णा मेनन मार्ग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। उसके बाद हम लोगों ने जब यह लिख कर आया कि वह राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो रहा है, उस मकान को 12, जनपथ पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन वर्षों से राष्ट्रपति महोदय, प्रधान मंत्री जी और अन्य सभी लोग जाकर बाबू जगजीवन राम जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते रहे हैं, वहां राष्ट्रीय स्मारक साइन बोर्ड लगा हुआ है तथा वहां फोटो प्रदर्शन का भी रूम है। लेकिन एकाएक जुलाई के महीने में भारत सरकार द्वारा यह निर्णय ले लिया गया कि उस मकान को किसी एक्स-जज या किसी दूसरे के नाम से आवंटित कर दिया है। ज्यों ही मुझे इस बात का पता चला, हमने जुलाई के महीने में ही शहरी विकास मंत्री को पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया।

अध्यक्ष महोदय: मैं एक मिनट से ज्यादा बोलने के लिए समय नहीं दूंगा। आप कृपया समाप्त करिए।

श्री राम विलास पासवान: उसके बाद 30 जुलाई को उनका जवाब आया कि मैं इसको दिखवा रहा हूं, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने विभिन्न राज्यों में जेल भरो अभियान शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि 381 संसद सदस्य, जिनमें सभी 90 सदस्यों, जो अभी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, के नाम भी शामिल हैं। उनके निवास स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करना केवल बाबू जगजीवन राम जी का ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों का, जो दलित हैं, कमजोर वर्ग के हैं, सभी का अपमान है।

मैं आपसे मांग करता हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य दे और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे।

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी संसदों को जो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, इससे एसोसिएट करता हूं। आप सभी बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष जी हमने भी इस बारे में कई बार पत्र लिखे हैं। हम भी चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। मैं भी अपने को इस मांग से सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: जो भी सांसद महोदय इस मांग के लिए खड़े हैं उन सभी को इससे एसोसिएट किया जाता है। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। हमारा कहना है कि 6, कृष्णन मार्ग को खाली न कराया जाए बल्कि उसका राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रकाश अम्बेडकर जी, आप बैठ जाइए, आपको भी इससे एसोसिएट किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, श्री जगजीवन राम न केवल दलितों और कमजोर वर्गों के एक अच्छे नेता थे वरन् वे देश के भी अच्छे नेता थे। वे एक तेजस्वी स्वतंत्रता सेनानी, एक उत्कृष्ट सांसद और एक उत्कृष्ट प्रशासक थे। जब भारत ने 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध जीता था तब वे भारत के रक्षा मंत्री थे। ऐसे व्यक्ति की स्मृति को अक्षुण्ण बनाया जाना चाहिए। मैं श्री राम विलास पासवास द्वारा व्यक्त भावनाओं और विचारों से पूरी तरह सहमत हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं उनकी बात से सहमत हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, 6 कृष्णन मार्ग में माननीय जगजीवन राम जी 40 वर्षों तक रहे और देश की सेवा की। वे देश के विभन्न मंत्रालयों के मंत्री रहे, उप-प्रधान मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और हिन्दुस्तान के योग्य प्रशासकों में उनका नाम आता है। जैसा माननीय राम विलास पासवान जी ने निवेदन किया कि करीब 381 सांसदों ने इस बारे में प्रधान मंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी को लिखकर दिया था। जून 27, 2002 में माननीय राष्ट्रपति जी ने प्रधान मंत्री जी को लिखा था कि बाबू जगजीवन राम जी का जो निवास स्थान था उसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। अध्यक्ष जी, माननीय अटल जी जब प्रतिपक्ष में थे, इस बारे में उनका खुद को लिखा हुआ पत्र है। माननीय अशोक प्रधान, माननीय साहिब सिंह वर्मा, माननीय मदन लाला खुराना, माननीय लाल बिहारी तिवारी आदि 100 से अधिक सत्ता पक्ष के सांसदों ने सिफारिश की थी कि 6 कृष्णन मार्ग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। अध्यक्ष जी, दलित समुदाय के कुछ लोगों ने भी इस बारे में आपसे प्रार्थना की थी कि बाबू जगजीवन राम जी के निवास स्थान को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने भी इस बारे में विनती की है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, 30 नवम्बर कोर्ट ने तारीख दी है। चार दिन के अंदर सरकार कार्यवाही करके सदन को बताए। लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मारक हो गया, लेकिन जगजीवन राम जी का नहीं हो पा रहा है जबकि प्रधान मंत्री जी ने खुद इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। माननीय जगजीवन राम जी बिहार के और देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। यह भेद-भाव बर्दास्त नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी, सत्यव्रत जी, रामदास आठवले जी, रघुवंश प्रसाद जी, सुकदेव पासवान जी, श्रीमती संतोष चौधरी जी, मैं आप सभी को इस मांग के साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री राम विलास पासवान: इतने महत्वपूर्ण सवाल पर सरकार जवाब क्यों नहीं देना चाहती है। आप इसका कोई न कोई रास्ता निकालिए। कालिंग-अटेंशन लीजिए और सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य कीजिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष जी, आप सरकार को निर्देश दें कि वह 30 नवम्बर तक उचित कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, 30 नवम्बर तक समय दिया गया है, उसके पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए...*(व्यवधान)* नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, बाबू जगजीवन राम के नाम पर सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर किसी दूसरे माध्यम से अगर प्रश्न पूछेंगे तो सरकार जरूर उत्तर देगी। अभी इतनी चर्चा करने की क्या जरूरत है? कालिंग अटेंशन नोटिस के माध्यम से सरकार को उत्तर देना पड़ता है।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, 30 नवम्बर के बाद वे बाहर फेंक दिये जाएंगे।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष जी, सरकार का पाजिटिव उत्तर आना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं कम्पेल कर सकता हूं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, श्री पासवान जी कई सालों तक केन्द्र में मंत्री रह चुके हैं और वे जानते हैं कि जब भी शून्य काल में कोई प्रश्न उपस्थित होता है, उस समय जो मंत्री उपस्थित होता है, वह फैसला लेकर और फैसला सुनाये, यह उसके अधिकार में नहीं है। अगर संयोग से प्रधान मंत्री जी उपस्थित हैं, उनकी क्षमता है कि जो फैसला मंत्रिपरिषद् में लेना है, वे अपने मुख से सुना सकते हैं। किसी और मंत्री की इतनी शक्ति नहीं कि वह ऐसा कहे...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने हमें आश्वस्त किया था कि हमने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है और उस पर उनका फैसला हो जायेगा लेकिन आज 'अलार्मिंग सिचुएशन' है पार्लियामेंट में 30 नवम्बर से पहले मंत्री जी बतायें।

श्री प्रमोद महाजन: रघुवंश बाबू, श्रद्धांजलि को छोड़कर किसी और विषय पर आप छोटी आवाज में और प्रेम से बोलेंगे तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हर चीज में इतना गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं और न आपकी मांग को गलत ठहरा रहा हूं। आप मुझ से किस बात पर गुस्सा कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : प्रमोद जी, मैं एक नये नियम का प्रावधान करना चाहता हूं कि जिसकी आवाज ऊंची है, वह किसी भी समय खड़ा होकर हाउस में भाषण कर सकता है। यह अगर नियम में आ जायेगा तो ठीक होगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम हार्ट से बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन आपके हार्ट की चिन्ता मुझे है।

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष महोदय, आज जो विषय उठा है, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी तक तुरंत आज का आज सब की भावनाओं को पहुंचाऊंगा...*(व्यवधान)*

श्री रामजी लाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह गोलमोल जवाब है।

श्री प्रमोद महाजन: यह गोलमोल जवाब नहीं है...*(व्यवधान)* आप इसमें राजनीति मत लाइये...*(व्यवधान)*

श्री रामजी लाल सुमन: आप बिगड़िये मत।

श्री प्रमोद महाजन: मैं शान्ति से बोल रहा हूं, अशांति तो आप हाउस में ला रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आज ही प्रधान मंत्री जी को बताऊंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं, यह काफी है। यह बिल्कुल ठीक है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): अध्यक्ष जी, बाबू जगजीवन राम की मृत्यु हुए कई साल हो गये। जब इन लोगों की सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं किया?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रकाश जी आप बैठिये, मैंने सेल्वागनपति का नाम लिया है, उन्हें बोलने दें।

श्री प्रकाश परांजपे: जब इनके प्रधान मंत्री थे, वे क्यों नहीं कर पाये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, कृपया मुझे आधा मिनट का समय दें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उचित रूप से सभा को आश्वासन दिया है कि वे माननीय प्रधान मंत्री से परामर्श करेंगे। हमारा अनुरोध यह है कि दिनांक 30 नवम्बर आने ही वाली है, इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं उन्हें तारीख भी बता दूंगा। अब, निर्णय उनके हाथ में है।...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक राज्य द्वारा जानबूझ कर किए गए प्रयास के कारण देश की एकता और अखण्डता को गंभीर खतरा है। केवल बंगलौर शहर में ही 30 लाख तमिल रह रहे हैं, जिन्हें सूचना के मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया है...*(व्यवधान)*

श्री जी. एस. बसवराज (तुमकुर): हम शांतिप्रिय लोग हैं। वे हमारे लोगों को समस्याएं पैदा करने के लिए उकसा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं। यह ठीक नहीं है।

कर्नाटक में रहने वाले तमिल सूचना के अधिकार से वंचित हैं। कर्नाटक में तमिल फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 20 सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्लीज आप बैठिये। उनका नोटिस है, मैंने उन्हें बोलने का चान्स दिया है।

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 20 सिनेमाघर ऐसे हैं जहां तमिल फिल्में दिखाई जा रही हैं। उन्हें या तो बंद कर दिया गया है या केवल कन्नड़ फिल्में दिखाने के लिए मजबूर किया गया है। गंभीर स्थिति है। गत दो महीने से कर्नाटक में ऐसा ही हो रहा है।...*(व्यवधान)* क्या आप मुझे बोलने देंगे?...*(व्यवधान)*

कर्नाटक सरकार के उकसाने पर गत दो महीने से चल रहा है। श्री कृष्णा की सरकार उन्मादियों के दवाब में आ गई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: जब प्रतिबंध की समीक्षा करने की बात थी तब संबंधित मंत्री से दुर्व्यवहार किया गया था और उनके कक्ष में तोड़फोड़ की गई थी। सरकार उन्मादियों का साथ दे रही है। जब गुजरात में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही थी कर्नाटक में यह हो रहा है। तमिल विधायक पर विधान सभा के प्रांगण में हमला किया गया था और कानून लागू करने वाली मशीनरी के सामने दोषियों को भागने दिया गया। यह गंभीर स्थिति है। कर्नाटक की सभी सीमाओं पर समस्या है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: कृपया मुझे एक मिनट और बोलने दीजिए। तमिल चैनलों की अनुमति नहीं दी जा रही है। तमिल चैनलों को बंद कर दिया गया है। तमिलों को सूचना का अधिकार नहीं दिया जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: अगर आप चाहते हैं तो आपको उनकी बात का समर्थन करने की अनुमति दी जाती है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: इससे हमें ऐसा लगता है कि या हमें हैरानी होती है कि क्या कर्नाटक गुजरात का भाग है। ...*(व्यवधान)* यह भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों के लिए हानिकारक है। यह एक गंभीर स्थिति है। भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यही सही समय है। कर्नाटक की सीमाओं पर सभी समस्याएं हैं।

अध्यक्ष महोदय: यही कारण है कि आपको अवसर नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप एक मिनट या दो मिनट में अपनी बात पूरी नहीं कर सकते।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको यह सोच कर समय दिया है कि आप गुस्से में थे परन्तु आपको एक मिनट के अंदर अपनी पूरी बात करनी चाहिए। यह लंबा भाषण देने का अवसर नहीं है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: यह एक गंभीर स्थिति है। कर्नाटक देश के कानून का पालन नहीं कर रहा है। यह उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। यह केन्द्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। अन्यथा यह गंभीर खतरा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शान्ति बनाए रखें।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर की सत्तारूढ़ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की उपाध्यक्ष श्रीमती महबूबा मुफ्ती ने बी.बी.सी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुनिये, आपस में बात मत करिये।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने बी.बी.सी. को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है—भारत व पाक नाहक टांग न अड़ायें कश्मीर में—महबूबा। यह हिन्दी के अखबार 'हिन्दुस्तान' ने जिस अखबार का नेता भी कांग्रेस पार्टी के साथ संबंधित है, उन्होंने इसे विस्तार के साथ प्रकाशित किया है। मैं समझता हूं कि किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, विशेषकर जो जम्मू में रूलिंग पार्टी की लीडर हैं, उसका यह कहना है कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर में टांग न अड़ायें, यह बहुत ही निंदनीय बात है। भारत और पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में एक लैवल पर रखना और दोनों के बारे में यह कहना कि भारत टांग न अड़ाये—आखिर भारत टांग न अड़ाये का क्या मतलब है। उन्होंने अपने चुनाव के मौके पर कुछ बातें कही होंगी। उन्होंने कहा होगा कि यह आजादी की पहली सीढ़ी है, आप हमें वोट दीजिए। परंतु वोट लेने के बाद, जीत जाने के बाद कश्मीर में सरकार बन जाने के बाद यह कहना है कि हिन्दुस्तान टांग न अड़ाये, न पाकिस्तान टांग अड़ाये, ऐसा लगता है कि जैसे कोई तीसरा देश यह बोल रहा हो। कश्मीर हिन्दुस्तान का अविभाज्य अंग है, कश्मीर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा

[डा. विजय कुमार मल्होत्रा]

है और इसलिए किसी का भी यह कहना कि हिन्दुस्तान टांग न अड़ाये, मैं समझता हूं कि यह देशद्रोह की सीमा तक जाने वाली बात है।

यहां पर कांग्रेस पार्टी को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: एक अखबार ने इस तरह की बात छापी है। मैंने इस संबंध में कश्मीर के नेताओं से बात की है। उनका कहना है कि यह भ्रामक न्यूज छापी गई है और यह एक अखबार में छापी गई है। ऐसा महबूबा जी ने नहीं कहा है, ऐसा उनका कहना है। फिर भी अगर आप चाहें तो महबूबा जी का स्पष्टीकरण मंगवा सकते हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यह बीबीसी का इंटरव्यू है जिसको सारी दुनिया देखती है। बीबीसी के इंटरव्यू में ऐसी बात कहना उचित नहीं है और आगे भी कहा है कि पाकिस्तान की बड़ी भूमिका होगी।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उस इंटरव्यू को किस अखबार ने किस तरह से छापा है यह अलग बात है। इंटरव्यू तो सारी दुनिया देखती है लेकिन किस अखबार ने उस इंटरव्यू को किस तरह से छापा है, यह बिल्कुल अलग बात है।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: हिन्दुस्तान के बारे में यह कहना ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* महोदय, यह बी बी सी के साक्षात्कार से संबंधित है।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): वह बीबीसी के इंटरव्यू के आधार पर बोल रही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: यह समाचार आपके अपने समाचार पत्र में छपा है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: आने वाले चुनावों को लेकर ये इस तरह के न्यूज को जबर्दस्ती हाइलाइट कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, कांग्रेस पार्टी को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए और यह कहा चाहिये कि वे इससे सहमत नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, वे कश्मीर को पाकिस्तान की समस्या से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे गुजरात चुनावों को ध्यान में रखते हुए राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* यह राजनैतिक जोड़-तोड़ का उदाहरण है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह बात सत्ता दल के नेता ने कही है, जिसे उनका दल समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मामले में इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जैसा कि जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य हो।...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, यदि आप कोई चर्चा करवाएं तो हम सभी बहस में भाग लेने के इच्छुक हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते कि चर्चा आरंभ करके उसे जारी रखें। उन्हें नोटिस देने दीजिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

श्री विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने केवल बी बी सी के साक्षात्कार के आधार पर कहा है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: माननीय सदस्य कृपया नोटिस दें।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मेरा अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी का अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और इसकी यथा संभव कड़ी निंदा करनी चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, भाजपा नेता हर बात को राजनीतिक रूप दे रहे हैं। उन्हें इस संबंध में नोटिस देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सारे अखबारों ने यह न्यूज नहीं छापी है, केवल एक अखबार ने छापी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: परांजपे जी, आप बैठिये।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): माननीय अध्यक्ष जी, आज ए.बी.वी.पी. के नेतृत्व में लाखों छात्र देश भर से एक रैली में दिल्ली आए हुए हैं। हमारे देश को स्वतंत्र हुए लगभग 55 साल होगए लेकिन लार्ड मैकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति आज भी हिन्दुस्तान में लागू है। लार्ड मैकाले तो बरसों पहले चले गए लेकिन लगता है कि जैसे आज भी कब्र में पड़े-पड़े हमारे मस्तिष्क और चिन्तन को प्रभावित कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं—ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। लेकिन वर्तमान

शिक्षा आधा-अधूरा अधकचरा ज्ञान तो देती है, न रोजगार उत्पन्न करती है और न नागरिकता के संस्कार देती है। आजादी करे बाद मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग आदि अनेक कमीशन शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए बनाए गए लेकिन आज तक जो तकनीकी परिवर्तन हिन्दुस्तान में किये जाने चाहिए थे, वे लागू नहीं हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना हूं कि शिक्षा की योजना करते समय भारतीय चिन्तन और विचार को आधार बनाया जाए, भारतीय ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि और संकलित ज्ञान के अध्यन तथा नूतन अनुसंधान की व्यवस्था हेतु उच्च शोध संस्थानों का गठन हो। स्वायत्त उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जाए। शिक्षा पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव को रोकने के कारगर उपाय किये जाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश चंदेल भी इस विषय पर उनसे सम्बद्ध हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: उच्च शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाने हेतु नए संस्थानों की स्थापना की जाए। उच्च शिक्षा में प्रगति के लिए फीस पेमेन्ट व्यवस्था की समीक्षा की जाए।...*(व्यवधान)*

कहीं फीस देने की असमर्थता के कारण उच्च पाठ्यक्रम के योग्य छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाएं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको भाषण करने की इजाजत नहीं है। आप भाषण कैसे करते हैं?

श्री शिवराज सिंह चौहान: निर्धन छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा विकास कोष की स्थापना की जाए। छात्र संघों के निर्वाचन को अनिवार्य बनाया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री शिवराज सिंह चौहान: मैं विश्वास करता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले पर योग्य और आवश्यक कार्रवाई करेगी। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष जी, सचिन तेन्दुलकर का नाम केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में विख्यात है। श्री सचिन तेन्दुलकर ने वन डे और टैस्ट मैच में 20 हजार रन लेकर वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है, लेकिन सरकार ने उन्हें अभी तक सम्मानित नहीं किया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि श्री कपिल देव ने जब वर्ल्ड रिकार्ड बनाया था तब माननीय नरसिंहराव जी की सरकार थी। उस समय कपिल देव को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि यहां डिगनिटरीज बैठी हैं। मैं चाहता हूं कि श्री सचिन तेन्दुलकर को सम्मानित किया जाए और न केवल के या दो डिगनिटरीज द्वारा, बल्कि पूरे हाउस द्वारा सम्मानित किया जाए। आप तो क्रिकेट ऐसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। आप क्रिकेट प्रेमी हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री सचिन तेन्दुलकर को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाए।

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश भर में जितने सी. जी. एच. एस. के अस्पताल हैं जिनमें निजी मैडीकल स्टोर द्वारा दवाई सप्लाई की जाती हैं, उन मैडिकल स्टोर को दवाई के देयकों का भुगतान पिछले चार-पांच महीने से नहीं किया गया है जिसके कारण सी.जी.एच.एस. की डिस्पेंसरियों में दवाएं नहीं मिल रही हैं। स्थिति यहां तक बदतर है कि एम.पीज. को भी दवाएं मिलने में भी कठिनाई हो रही है। मरीज परेशान हैं, दवा सप्लायर परेशान हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि दवा सप्लायरों का भुगतान तत्काल कराएं और सी.जी.एच.एस. की डिस्पेंसरियों में शीघ्र दवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): माननीय अध्यक्ष जी, सी.जी.एच.एस. के बारे में मेरा भी निवेदन है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह व्यवस्था की गई है और इसके लिए जो अस्पतालों का चयन होता है उसके कुछ मापदंड हैं, लेकिन उनके बारे में स्वस्थ्य मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में जो लिस्ट नागपुर के लिए अधिकृत की गई है उसमें उन मापदंडों का अनुपालन नहीं किया गया है जिससे जनता में बड़ा रोष है। ऐसे अस्पतालों को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अधिकृत करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि उनमें मापदंडों के अनुसार जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं होनी चाहिए वे उपलब्ध हैं या नहीं। हैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे अस्पतालों को अधिकृत किया गया है जिसमें कम से कम 30 बिस्तर होने की संख्या जो अनिवार्य है, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया है। 30 बिस्तर से कम बिस्तर वाले अस्पतालों, कहीं-कहीं तो केवल मात्र पांच बिस्तर वाले अस्पतालों को अधिकृत कर दिया गया है। इसी प्रकार कुछ ऐसे अस्पतालों को भी अधिकृत किया गया है जहां न्यूनतम जांच एवं चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। इससे वहां की जनता में बड़ा रोष है।

[श्री विलास मुन्तेमवार]

अध्यक्ष जी, विगत कुछ वर्षों में अच्छे-अच्छे अस्पतालों का निर्माण नागपुर में हुआ है जहां चिकित्सा की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनका सदुपयोग किया जाना चाहिए और उन्हें सी.जी.एच.एस. द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मंत्रालय में इस बारे में जो निर्णय लेने वाले लोग या संस्थाएं हैं वे गलत अस्पतालों का चयन करती हैं जिसके कारण इस योजना का जितना लाभ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। अभी 39 ऐसे अस्पतालों का चयन किया गया है जहां चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस बारे में मैंने मंत्री जी को पत्र लिखा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अर्ज करना चाहूंगा कि वर्तमान लिस्ट को खारिज करके मापदंड के आधार पर अस्पतालों का चयन किया जाए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं दस लाख नारियल जटा मजदूरों के दैनिक जीवन के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

अब केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से एक नई योजना लाने के लिए कहा है और वह नई योजना भी लाए हैं। केन्द्र सरकार ने उस योजना के लिए 50 प्रतिशत राजसहायता देने का वायदा किया है। अब तक उन्हें एक पैसा तक नहीं दिया गया है।

यह समाचार-पत्रों में बताया गया है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें नारियल जटा कर्मकारों की मृत्यु हो गई है। उनके पास जिविकोपार्जन का कोई अन्य साधन नहीं है। यह परम्परागत उद्योग है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नारियल जटा मैट्स पूरे भारत में प्रयोग किए जाते हैं। यह कार्य इन गरीब श्रमिकों द्वारा किया जाता है।

महोदय, हम महिला श्रमिकों के अधिकारों और कठिनाइयों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब नारियल जटा उद्योग में लगभग सभी श्रमिक महिलाएं हैं तो जब हम महिलाओं के अधिकारों के बारे में बोलते हैं तो हम उनके दैनिक निर्वाह के बारे में भूल जाते हैं। क्या केन्द्र सरकार के लोग मनुष्य नहीं है? यदि वे हैं तो उन्हें राजसहायता देनी पड़ेगी। जिसके लिए उन्होंने वायदा किया था। वह ऐसा नहीं कर रहे हैं और गरीब महिला श्रमिकों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया है...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, मैं स्वयं को जो कुछ श्री वरकला राधाकृष्णन ने कहा है उसके साथ सम्बद्ध करता हूं...*(व्यवधान)* महोदय, एक बात और है केरल में लाखों लोग नेडुल्गुड्डी बैंक के पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय होने के कारण कठिनाई में हैं...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: वह स्वयं को आपसे सम्बद्ध कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: वह स्वयं को मेरे साथ सम्बद्ध कर सकते हैं। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

प्रश्न यह है कि किए गए वायदों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को अनुदान प्राप्त करने में केन्द्र सरकार की शिथिलिता है जो समस्या उत्पन्न कर रही है। राज्य सरकार स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए सहमत है। उन्होंने नारियल जटा श्रमिकों को दी जाने वाली राजसहायता रोक दी है। इतना ही नहीं इसके अलावा उन्होंने एक नयी स्कीम का प्रस्ताव किया है। सरकार ने जिस हिसाब से धन जारी किया है उसके अनुसार उन्हें वेतन नहीं दिया गया है इसलिए लाखों नारियल जटा श्रमिक भूखों मर रहे हैं। इसलिए मैंने यहां यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं अनुरोध करूंगा कि केन्द्र सरकार अपने वायदे के अनुरूप अनुदान दे। श्रमिक को बताया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। केरल में नेडुंगुड्डी बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय किया गया है और अब नेडुगुड्डी बैंक पुडिया नेडुगुड्डी बैंक के रूप में जाना जा रहा है। और इसके कारण गरीब शेयर धारकों को उनके लाभों से वंचित रखा गया है और वह अपने धन को निकाल नहीं सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात को नोट कर लिया गया है।

श्री ई. अहमद: सरकार द्वारा इसकी छान-बीन की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, जो मामला मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रख रहा हूं, वह महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय के संबंध में है। ...*(व्यवधान)*

जो विषय मैं यहां उठा रहा हूं उसे मैं पूरी तरह से मानता हूं। मेरा कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र से आप भी जुड़े रहे हैं। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना इस देश के प्रख्यात समाजसेवी श्रद्धेय नाना जी देशमुख जी ने की थी। मैं ऐसा मानता हूं कि हम ग्रामोदय या ग्रामोद्योग के विकास के बारे में बातें तो करते रहते हैं लेकिन किसी ने अगर

कोई प्रयोगशाला बनाई है तो वह श्रद्धेय देशमुख जी ने चित्रकूट में बनाई है। दिनांक 25.10.2002 को मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक घटना को लेकर छात्रों से मारपीट की। उस विश्वविद्यालय के दो छात्रों का अपहरण हुआ। जब 14 दिन तक उनका पता नहीं चला तो बाकी छात्रों ने दो दिन और एक रात लगातार धरना दिया। उनकी कोई बड़ी मांग न होकर छोटी सी मांग थी कि वहां पर एस.पी. कलैक्टर आकर उनसे चर्चा कर लें।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। इससे ज्यादा समय मैं आपको और नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: ऐसा न होकर पुलिस ने लगातार बर्बरता के साथ वहां पर घुसकर कुलपति, रजिस्ट्रार आदि के साथ मार-पीट की।...*(व्यवधान)* मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप दो-तीन सेन्टेन्स में बोलिये। इससे ज्यादा समय मैं आपको और नहीं दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: मेरा निवेदन है कि वहां एक जांच समिति बैठी है लेकिन जब तक वहां एस.पी. को नहीं हटाया जाएगा, तब तक वह जांच सही और निष्पक्ष नहीं होगी।...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे।

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है, मैं भी उनके साथ अपने को एसोसियेट करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको एसोसियेट किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री रामानन्द सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। यह हमारा क्षेत्र है। चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय में जैसा श्री प्रहलाद पटेल जी ने बताया कि वहां दो छात्रों का अपहरण के बाद यह घटना घटी है। वहां पुलिस ने वहां आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के असामाजिक तत्वों ने वहां रास्ते में बसों को जलाया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री रामानन्द सिंह: हमारा कहना है कि छात्रों पर जो असत्य मुकदमे चलाए गए हैं, उन मुकदमों को तुरंत वापिस लिया जाये और विश्वविद्यालय की गरिमा को बरकरार रखा जाये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत-नेपाल का एक समझौता वर्ष 2001 में हुआ था जिसके तहत बाढ़-सुखाड़ का अध्ययन करने और उसका स्थाई समाधान करने के लिए सात जगह संयुक्त प्रोजेक्ट कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया था लेकिन आज भी नेपाल भाग में वह कार्यालय नहीं खुल रहे हैं। वित्त मंत्रालय में प्रस्ताव एक साल से धूल चाट रहा है बाढ़-सुखाड़ के चलते 10 करोड़ लोग बिहार के हर साल परेशान होते हैं। आज बिहार की आर्थिक बदहाली बढ़ गयी है क्योंकि उससे झारखंड राज्य अलग हो गया है। जहां से 40 परसेंट खनिज पदार्थ आता था, वह राज्य आज उससे अलग हो चुका है। आज बिहार की हालत बहुत ही खराब है।

इसलिए हम चाहते हैं कि भारत-नेपाल समझौता जो वर्ष 2001 में हुआ था, उसके तहत जो सात जगह प्रौजेक्ट कार्यालय खोलने हैं, उसका एक कार्यालय विराट नगर में है, काठमांडू में सम्पर्क कार्यालय है, इसी के साथ-साथ जनकपुर, कूरेले, विराटनगर, लहान आदि जगहों पर तुरंत कार्यालय स्थापित करके बाढ़-सुखाड़ का स्थायी समाधान होना चाहिए। इसके कारण पूरे देश में 40 से लेकर 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है जबकि राहत के नाम पर सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपये ही दिये जाते हैं। हमारा कहना है कि राहत को बंद किया जाये। आर्थिक पैकेज बिहार को नहीं चाहिए। हमको इसका स्थायी समाधान चाहिए क्योंकि हम देश को पुरूषार्थ हीन नहीं बनने देना चाहते।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैंने आपको दो मिनट दे दिए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा और श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, इन दोनों को मैं इनके साथ एसोसियेट करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हमारा कहना है कि लाखों किसान संसद तक मार्च करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं।...*(व्यवधान)* अगर सरकार समय रहते कुछ नहीं करती तो 9 दिसम्बर, 2002 को संसद का घेराव होने वाला है। इसलिए सरकार समय रहते इस दिशा में पहल करे।...*(व्यवधान)*

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

9 दिसम्बर को संसद तक मार्च होने वाला जिसमें बिहार के लाखों बाढ़-सुखाड़ पीड़ित लोग आने वाले हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए सरकार समय रहते इस दिशा में सकारात्मक पहल करे, सकारात्मक कार्यवाही करे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सदन का समय बरबाद मत कीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने प्रधान मंत्री जी से आग्रह किया था।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: कोसी नदी पर हाई लैवल डैम बनने से 3300 मेगावाट पन बिजली उत्पन्न होगी।...*(व्यवधान)* इसी तरह कमला नदी में शीशा पानी और बागमती नदी के ऊपर नेपाल भाग नूंथर में हाई लैवल डैम का निर्माण हो। उससे बिहार के बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी समाधान हो सकेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मामला गंभीर हो तो गंभीरता से मंत्री जी के सामने रखना चाहिए। मैं मंत्री से कहूंगा कि यह काफी महत्वपूर्ण विषय है। जो मंत्री इस विषय से संबंधित हैं, वह इस पर ध्यान दें। अब आप बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप अपना विषय उठाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, विगत 24 तारीख को बिहार के गौड़ जाति के लोगों ने छपरा के दाउदपुर में 21वां महाधिवेशन किया था। काफी लंबे अरसे से गौड़ जाति के लोग अनुसूचित जनजाति में अपने को शामिल कराने के लिए बिहार में लड़ाई लड़ रहे थे हैं। केन्द्र सरकार ने उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया है। बिहार में भी उनको पहले से सुविधा मिल रही थी, लेकिन बीच के दिनों में बिहार सरकार ने उन्हें अनुसूचित जनजाति से हटा कर अति पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया जिसके चलते वे लोग बरसों से सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सत्र खुलता है तो वे लोग संसद के दरवाजे-दरवाजे घूम कर अपनी मांग सदन के समक्ष रखने का आग्रह करते हैं।

इस बारे में कई कमीशन बन चुके हैं। सबसे पहले काका कालेलकर कमीशन बना था जिसने अपनी अनुशंसा दी थी कि उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इधर, केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार से कई पत्राचार किए हैं और अब बिहार सरकार ने सहमति दे दी है कि उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद केन्द्र सरकार में यह मामला अभी लंबित है। हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने अपनी जो अनुशंसा भेज दी है, उसके अनुरूप बिल लाकर बिहार के गौड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का कष्ट करें।

साथ ही हम बताना चाहते हैं कि अंग्रेजी की तुमा खेड़ी की वजह से वे लोग परेशानी में हैं। गोन्द और गौड़ जाति का विवाद चल रहा है। गोन्द में अंत में एन और डी होगा। वे अनुसूचित जनजाति में शामिल होंगे जबकि आज बिहार में गोन्द और गौड़ में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम पुन: आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार इस बिल को लोक सभा के इसी सत्र में लाए और बिहार के गौड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का बिल यहां से पास करवाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सरकार में आपकी क्या वैल्यू है, सरकार ने कोई नोटिस नहीं लिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: यदि हम लोगों की वैल्यू नहीं है तो समझिए कि सरकार अब खत्म होने वाली है।...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। देश की आजादी के 55 वर्ष बीत जाने के बाद जो शहादत शहीद-ए-आजम भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव की हुई, क्योंकि यह स्थल मेरी कौन्सटीटूऐंसी में है जहां सतलुज दरिया के किनारे उन महान् शहीदों को मिट्टी का तेल डालकर और काट-काट कर जला दिया गया था।

अपराह्न 1.00 बजे

तमाम वहां के देशभक्त लोग मुझे मिले हैं। उन सभी की यह मांग है कि देश की आजादी को 55 बरस बीत जाने के बाद भी शहीदे आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू के बुत हिन्दुस्तान की संसद में नहीं लगे हैं। अगर आप इन तीनों के बुत नहीं लगा सकते, तो कम से कम शहीदे आजम भगत सिंह का बुत तो इस संसद में लगाया जाना चाहिए। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस महत्वपूर्ण चेयर पर बैठे हैं, 23 मार्च, 1931 को इन लोगों को फांसी लगी थी, आप 23 मार्च 2003 को इनीशिएटिव लेकर लीड करें और सरकार से कहें कि यह मांग बहुत जोर पकड़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि इन शहीदों ने क्या गुनाह किया है। आज घर-घर में इनकी आवाज है इसलिए उनका बुत हिन्दुस्तान की संसद में लगना चाहिए। यह मामला दूसरे सदन में कई माननीय सदस्यों ने उठाया था। अन्य पार्टियों के लोगों ने इनका समर्थन किया था।

लाहौर जेल का जो दरवाजा तोड़ा गया था और उनको 23 मार्च की जगह 22 मार्च की रात को ही फांसी लगा दी गई थी। उस रात को जेल की पिछली दीवार को तोड़कर इन शहीदों के शरीरों को काट-काट कर ट्रक में भरकर सतलुज दरिया के किनारे फिरोजपुर हुसैनीवाला में जला दिया गया था। फिरोजपुर निर्वाचन क्षेत्र के हजारों लोग उनकी सड़ी गली लाशों को उठा लाए और जला दीं। आज भी वह मिट्टी उनके घरों में पड़ी है। वे कह रहे हैं कि हम इसे लेकर देश के राष्ट्रपति महोदय, अध्यक्ष महोदय और प्रधान मंत्री जी के पास जाना चाहते हैं और उनसे विनती करना चाहेंगे कि वे इसको कबूल करें। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में विनती करना चाहता हूं कि आप इस मसले को हल करें।

श्री राज बब्बर (आगरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। मैंने इस संबंध में 1994 से देश के तीन-तीन प्रधानमंत्रियों को पत्र लिखे हैं। उसमें आग्रह किया है कि शहीदे आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मूर्तियों को संसद में लगाया जाए। किसी भी शहीद का नामो निशान, खासकर पंजाब के शहीद का, इस संसद में नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि आज यहां पर इस सदन में जो यह कैमरा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कुर्सियों के ब्लाक में एक कुर्सी पर शहीदे आजम भगत सिंह बैठे थे। यह जो ब्राउन पिल्लर आप देख रहे हैं, इसमें जो दरार नजर आ रही है, यह वह धमाका है, जो शहीदे भगत सिंह ने किया था। लेकिन इस संसद के अंदर हमेशा यह कहा गया कि हम यह मामला अध्यक्ष महोदय को दे रहे हैं। तीन-तीन स्पीकर साहबान के पास यह इश्यू गया, लेकिन आज तक उसका निवारण नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जैसी शख्सियत जब इस माननीय कुर्सी पर विराजमान हैं, तो इस इश्यू का निवारण किया जाए। मुझे लगता है कि सदन में कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होगा, जो शहीदे आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मूर्तियों को यहां लगाने का विरोध करे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। शहीदे आजम भगत सिंह ने कभी आगरा आकर प्लान बनाया था आज उसी आगरा नगरी के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वहां पीने का पानी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको दूसरा विषय रखने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राज बब्बर: वहां पर टी.टी.जी.टी. ने एक कार्यक्रम बनाया था, करोड़ों रुपयों की लागत से वहां पानी का इंतजाम करने का, लेकिन आज तक आगरा प्यास से मर रहा है। इतना पैसा खर्च किया जा चुका है, लेकिन वहां काम नहीं हो पा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री जे.एम. बराड़ और श्री राज बब्बर ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाने की बात उठाई है। संसद भवन प्रांगण में मूर्तियां स्थापित करने सम्बंधी समिति की आगामी बैठक में मैं इस मुद्दे को निश्चित तौर पर उठाऊंगा। तथापि, मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि आप अध्यक्ष लोक सभा को संबोधित करते हुए अनुरोध-पत्र भेज दीजिए।

[हिन्दी]

आज आप सब लोगों ने सहयोग दिया इसलिए 15 विषय पूरे हुए। इतने विषय पहले कभी नहीं लिए गए थे। मैं यही चाहता हूं। अभी मेरे सामने 15 और विषय हैं। लेकिन ये सारे विषय आज नहीं उठाए जा सकते। मैं केवल एक या दो विषय और उठाने की अनुमति दूंगा। कल भी यदि आप सब सहयोग करेंगे तो मैं आश्वासन देता हूं कि हरेक का विषय आ सकता है। आप सिर्फ एक या दो मिनट में अपनी बात कहें तो सभी सदस्यों के विषय आ सकते हैं।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाने जा रही हूं। उफनती गंगा और कोसी नदी का तांडव उत्तर बिहार का कटिहार जिला झेल रहा है। दर्जनों पंचायतें गंगा की भेंट चढ़ चुकी हैं। कांठागोला, कांतनगर, हासिम पुर, भरौली, भवानीपुर, गोवराही, गुरमैला, पकहारा, भंडारतल, उचला, भरोली, पुसीटोला, ऐसी ग्राम पंचायतों के नाम हैं, जो सतही तौर पर कहीं अस्तित्व में नहीं हैं, सिर्फ कागजों पर अस्तित्व में हैं।

अध्यक्ष महोदय, बरारी, कुरसेला, समेली, फलका प्रखंड में पड़ने वाली इन पंचायतों के कोई तीन लाख ग्रामीण खानाबदोश का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से इनके

[श्रीमती रेनु कुमारी]

पुनर्वास का कोई इंतजाम नहीं है। इस कटाव को रोकने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से 18 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी जिसमें स्पर का निर्माण होना था, लेकिन विभाग की अदूरदर्शिता और लापरवाही के कारण जो 11 स्पर एवं रिटायर लाइन का निर्माण होना था, उसके शुरूआतीकरण में ही वह गंगा की भेंट चढ़ गया जिससे ढ़ाई करोड़ रुपये पानी में चले गये क्योंकि एक स्पर के निर्माण में सवा करोड़ रुपया लगता है और प्रदेश की सरकार, विभागीय अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर इस योजना को सोने की अंडा देने वाली मुर्गी समझकर लिया है और ये लोग जनता के पैसे को बंदर-बांट करने का काम कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि 18 करोड़ रुपये जो जनता का पैसा है, हम आपसे मांग करते हैं कि केन्द्र सरकार अपनी टीम वहां भेजे और टीम भेजकर उसकी जांच करे और दोषियों को सजा दे।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को भोपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय **बौद्ध** सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में भाजपा ने जाकर उसका विरोध किया था। हमारी मांग इतनी है कि यह देश हिन्दुओं का ही है लेकिन अपने देश में दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं और जब दूसरे धर्म का सम्मेलन होता है तो उसमें को-आपरेट करने की आवश्यकता है न कि उसका विरोध करना चाहिए। मेरी भारत सरकार से अपील है कि इसी तरह कहीं अगर कोई झगड़ा होता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.07 बजे पुन: समवेत हुई

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*]

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदया: अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान में अजमेर और पुष्कर को वायुमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदया, अजमेर और पुष्कर पर्यटन तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विश्वविख्यात स्थल हैं। इन स्थानों पर देश-विदेश के हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष भ्रमण हेतु आते हैं। इससे देश को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। किंतु पर्यटन के अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थलों को वायु मार्ग से जोड़ने के लिए अभी तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए हैं, जबकि देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा विभिन्न नागरिक उड्डयन मंत्रियों द्वारा अजमेर आने पर कई दफा घोषणा की जा चुकी है कि अजमेर एवं पुष्कर के महत्व को देखते हुए अजमेर में हवाई अड्डे का निर्माण करा कर हवाई यातायात से जोड़ा जायेगा। इस हेतु स्थलों की पहचान की गई सर्वेक्षण टीमें भी उड्डयन मंत्रालय की ओर से भेजी गई, परंतु अभी तक भी इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। हवाई यातायात के अभाव में देश-विदेश के पर्यटकों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। राजस्थान सरकार भी इस हेतु केन्द्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुकी है। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन हैं।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर नगर के पास हवाई अड्डे के लिए निर्धारित भूमि का अधिग्रहण कर किसानों को उसका मुआवजा चुका कर अपनी ओर से हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर संपन्न कराया जाए और अजमेर तथा पुष्कर जैसे पर्यटन स्थलों को हवाई यातायात से अविलम्ब जोड़ा जाए।

(दो) मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों को अन्य महानगरों के साथ वायुमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदया, भारत का हृदयस्थल मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान क्षेत्र होकर अनेक उद्योगों में भी अग्रणी स्थान रखता है। आगे भी औद्योगिक विकास की प्रचुर संभावनायें हैं। किन्तु यातायात के आम प्रबंध न होने से काफी कठिनाइयां हैं। जहां सड़क यातायात भी अन्य राज्यों की तुलना में ठीक नहीं है, वहीं वायु मार्ग से भी प्रदेश के प्रमुख नगरों के लिये देश के महानगरों से सीधा संपर्क नहीं है। पूर्व में भोपाल का चेन्नई व कोलकाता से वायुमार्ग का संबंध था किन्तु यह बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार झबलपुर व ग्वालियर का सम्पर्क भी प्राय: नहीं सा है और आज भी वह बंद है। उसे पुन: चालू किया जाये। उज्जैन, नीमच जैसे प्रमुख औद्योगिक व केन्द्रीय सरकार के महत्वपूर्ण विभाग यहां हैं। नीमच में सी.आर.पी.एफ. का

बड़ा प्रशिक्षण केन्द्र है, जहां हजारों की संख्या में सी.आर.पी.एफ. के जवान व अधिकारी हैं। नारकोटिक्स विभाग के केन्द्रीय अधिकारीगण सैकड़ो की संख्या में हैं व जिला मुख्यालय भी है। पास ही विक्रम सीमेंट की तीन इकाइयां हैं जहां से उनके वरिष्ठ अधिकारियों का आवागमन होता रहता है।

ऐसी दशा में नीमच को भोपाल व इन्दौर से जोड़ा जाकर दिल्ली-मुबई से भी जोड़ा जाये। अत: आपके माध्यम से नागर विमानन मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस संबंध में अविलम्ब कार्यवाही करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(तीन) दामनजोड़ी रेलवे स्टेशन को स्थानान्तरित कर उड़ीसा के कोरापुट जिले में नाल्को कालोनी, दामनजोड़ी के और समीप लाए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू (बहरामपुर, उड़ीसा): एस ई आर के वाल्टेयर डिवीजन में कोरापुट रायगाडा रेलवे लाइन सुरंगों और मोड़ो से होकर गुजरती है। हाल ही में इस लाइन पर यात्री गाड़ियां आरंभ की गई थी। कोरापुट रेलवे स्टेशन के बाद उड़ीसा में कोरापुट जिला में अगला स्टेशन दामनजोड़ी है। यह रेलवे स्टेशन कालोनी से पांच किलोमीटर की दूरी पर है और दामनजोड़ी स्थित नाल्को अल्युमिनियम प्लांट में छ: किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन जाने के लिए कोई स्थायी मार्ग नहीं है। लोगों को रेलवे स्टेशन जाने के लिए एक निजी भूमि से होकर गुजरना पड़ता है। नाल्को और आस पास के क्षेत्र के कई लोगों को भुवनेश्वर जाने के लिए दामनजोड़ी में गाड़ी पकड़नी पड़ती है। अत: लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए इस स्टेशन को नाल्को कालोनी, दामनजोड़ी के नजदीक स्थानांतरित किया जाए।

(चार) मुम्बई में सायन-ट्राम्बे राजमार्ग पर पेड़ों को गिराए जाने की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): पर्यावरण मंत्रालय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया जाता है कि सायन ट्राम्बे राजमार्ग पर नवम्बर के दूसरे सप्ताह में एक रात ही में 784 पेड़ों को काटा गया था। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विज्ञापन पट लगाने के लिए रेलवे के वाणिज्य विभाग और अन्य ऐजेन्सियों को सी आर जेड जोन में विज्ञापन पट लगाने की अनुमति दी गई थी। मैंग्रोव को नुकसान पहुंचा था मैं इसकी जांच कराने का और सरकार/मंत्रालय में अविलम्ब कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(पांच) बिहार में पेयजल की समस्या का समाधान करने हेतु बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): सभापति महोदया, बिहार के पटना, गया, बक्सर, नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, कैमुर, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, सारण, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार, तथा सीतामढ़ी जिलों के सुखाड़ग्रस्त प्रखंडों में कुल लगभग 3,80,000 अवस्थित चापाकलों मैं से बंद हस्तचालित नलकूपों को चालू किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित जलापूर्ति हो सके। इन सूखाड़ग्रस्त प्रखंडों में बंद हस्तचालित नलकूपों में से करीब 25 प्रतिशत नलकूप पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं। अत: उनके स्थान पर भू-संरचना के अनुसार नये उन्नत किस्म के नलकूपों के निर्माण के प्रस्ताव हैं, ताकि ये सभी नलकूप दीर्घकालिक हो सकें। शेष 75 प्रतिशत बंद नलकूपों की विशेष मरम्मती कराने का भी प्रस्ताव है। तदनुसार कुल 16,113 बंद हस्तचालित नलकूपों के स्थान पर नये नलकूप एवं 48,383 बंद हस्तचालित नलकूपों की विशेष मरम्मती कराने के लिये कुल 4840.67 लाख रुपये की आवश्यकता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त जिलों में शीघ्र राशि प्रदान कर नलकूपों की स्थिति में सुधार कर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा की जाये।

[अनुवाद]

(छह) केरल के वायनाड जिले के कुडुवडियन समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): मैं आपका ध्यान केरल राज्य के वायनाड जिले में सुल्तान वाथरी ताल्लुक में रहने वाले कुंडुवडियन समुदाय की ओर दिलाना चाहता हूं। यद्यपि, वाइनाड जिले में रहने वाले अन्य प्राचीन समुदायों जैसे कुरिचियां, कुरमा, पानिया, काट्टूनाइका आदि को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया था तथापि कुन्दूवाडिया समुदाय को उस सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसा समझा जाता है कि ऐसी सुविधाओं को वर्ष 1977-78 के बाद वापस ले लिया गया। इस संबंध में केरल अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास संस्थान तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (के आई आर टी ए डी एस) कोजीकोड ने लगभग 20 सौ वर्ष पहले कुंडुवडियन समुदाय के बारे में अध्ययन करावाया था और केरल सरकार को यह बताते हुए विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी कि उपरोक्त समुदाय अनुसूचित जनजाति समुदायों को प्राप्त होने वाली सभी सुविधाओं का पात्र है और यह सिफारिश की कि इसे अनुसूचित जनजाति समुदायों की सूची में शामिल किया जाए। तदनुसार, केरल सरकार ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा कि इन्हें अनुसूचित जनजाति समुदायों की सूची में शामिल किया जाए। यह मामला अब भी भारत सरकार के पास लम्बित है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए।

(सात) मुचीपाड़ा और दुर्गापुर बैराज के बीच लेवल क्रासिंग पर उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): मुचीपाड़ा और दुर्गापुर बराज के बीच सड़क पर एक रेलवे फाटक है। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-2 और दक्षिण भारत की ओर बांकुरा जिला से भी जुड़ी है। चूंकि वहां पर कोई फ्लाई ओवर नहीं है जिसके कारण फाटक पार करने के लिए ट्रकों और गाड़ियों को घंटों इन्तजार करना पड़ता है। यहां यह बताना आवश्यक होगा कि कई गैर-सरकारी संगठनों ने बांकुरा के उद्योग लगाने के लिए 200 करोड़ रुपये विनिवेश करने के लिए सम्मति जताई है। दुर्गापुर भी एक औद्योगिक क्षेत्र है। दुर्भाग्यवश रेलवे ने उपरिपुल बनाने के लिए अपना कोई आंकलन भी तैयार नहीं किया है। मैंने पहले भी कई बार यह मुद्दा यहां उठाया हैं।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

(आठ) उत्तर प्रदेश में नील गायों द्वारा किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान को रोके जाने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): सभापति महोदय, हमारे देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में नील गायों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है। एक तरफ किसान दिन-रात सर्दी, गर्मी में कठिन मेहनत करके तथा लागत लगाकर फसलों की बोवाई करके फसलों को तैयार करता है और दूसरी तरफ फसल तैयार होने पर नील गायों के झुंड के झुंड खेतों में जाकर फसलों को खा जाते हैं, जिसकी वजह से देश में हजारों टन अनाज का नुकसान हो रहा है तथा किसानों के बच्चे भूखे रहने पर मजबूर हो जाते हैं। रात के समय में नील गायों के झुंड के झुंड इकट्ठे होकर जी.टी. रोड पर आ जाते हैं तथा मोटर गाड़ियों के आने पर इधर-उधर भागते हैं। इस वजह से वाहनों से उनकी टक्कर हो जाती है तथा सैंकड़ों लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि नील गायों के द्वारा किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान को रोका जाए तथा किसानों द्वारा अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए नील गायों को मारपीट कर भगाने/मर जाने पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाही न की जाए। धन्यवाद।

(नौ) बिहार के रोहतास जिले में पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, अमझौर को पुनः चालू करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, पाईराइट्स, फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड अमझौर, रोहतास, बिहार, भारत सरकार का उपक्रम है जिसे 1960 में बिहार के अति पिछड़े इलाके रोहतास जिले के अमझौर में पाईराइट्स निकालने के लिए चालू किया गया था। बाद में 1987 में यहां पर एक पाईराइट्स पर आधारित गंधकाम्ल बनाने का प्लान्ट लगाया जो एशिया का एकमात्र पाइराइट्स से अम्ल बनाने का प्लांट है। इस प्लांट के साथ-साथ गंधकाम्ल का इस्तेमाल कर सोन-गंगा नामक खाद बनाने का एक कारखाना भी लगाया गया, जिससे कि यहां पर उत्पादित अम्ल का इस्तेमाल कृषि कार्यों में हो सके। यहां का प्लांट एवं माइंस 1992 तक सुचारू रूप से चलता रहा, परंतु 1997 के बाद केन्द्र सरकार द्वारा सिंगल सुपर फास्फेट (सोन-गंगा खाद) पर सब्सिडी बंद कर देने से इस संस्थान को घाटा होने लगा, जिसके चलते 1999 में कार्यशील पूंजी के अभाव में प्लांट का उत्पादन बंद हो गया। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां पर उत्पादित पाइराईट्स द्वारा क्षारीय भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया जाता है। यहां के मजदूरों ने सरकार द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्य से ज्यादा उत्पादन किया है। फलस्वरूप सरकार द्वारा उत्पादन एवार्ड भी दिया गया है। इस संस्थान को अभी भी कार्यशील पूंजी देकर चलाया जा सकता है। परंतु केन्द्र द्वारा इस संस्थान को बंद कर देने के प्रस्तावित फैसले से इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों का रोजी-रोटी का एकमात्र सहारा छिन जायेगा और फलस्वरूप उग्रवाद से प्रभावित इस क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियां और बढ़ जायेंगी। अतः सरकार से अनुरोध है कि इस संस्थान को बंद न किया जाए। धन्यवाद।

(दस) बिहार में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): महोदया, सरकार ने धान की खरीद का मूल्य 550 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन बिहार राज्य में धान की खरीद मात्र 300 रुपये से 325 रुपये के बीच प्रति क्विंटल की दर से हो रही है। वहां पर धान खरीद के लिए क्रय केन्द्र भी स्थापित नहीं किये गये हैं, जिस कारण वहां के किसान बहुत कम मूल्य पर अपनी धान बेचने को मजबूर हैं। कुछ समय के पश्चात रबी की फसल का कार्य प्रारम्भ होने वाला है और किसान धान की फसल को बेचकर ही रबी की फसल की बुआई करेगा। किसान को इसके लिए खाद, बीज, जुताई आदि पर काफी खर्च करना होता है। ऐसी स्थिति में धान का मूल्य बहुत कम मिलने के कारण वहां के किसान बहुत ही परेशान हैं और रबी की फसल की बुआई को लेकर चिंतित हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार राज्य के प्रखंड मुख्यालय से लेकर प्रखंड के छोटे-छोटे बाजारों में धान खरीद केन्द्र खुलवाए और 550 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाए ताकि किसान को अपनी फसल का वाजिब मूल्य मिल सके।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश में रीवा में आकाशवाणी केन्द्र के वार्षिक बजट आवंटन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): महोदय, आकाशवाणी रीवा का वार्षिक बजट गत कुछ वर्षों से कम कर दिया गया है। पूर्व में यह बजट 16 लाख रुपये होता था जो अब घटकर 6 लाख रुपये रह गया है, जबकि महंगाई को देखते हुए सभी विभागों के बजट में वृद्धि की गई है। बजट के अभाव में वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण आकाशवाणी का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। रीवा जिले में आकाशवाणी के वार्षिक बजट में वृद्धि की जाए। इसके साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि रीवा आकाशवाणी का बजट क्यों कम किया गया, इसका भी परीक्षण कराया जाए।

[अनुवाद]

(बारह) तमिलनाडु में सेलम और वनियमबाड़ी के बीच राज्य राजमार्ग संख्या 18 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन: तमिलनाडु में थिरूपाथुर में उठानगरी हरूर के बारास्ता वनियमबाड़ी और सेलम के बीच राजमार्ग संख्या 18 है जिस पर अत्यधिक यातायात का आवागमन है। यह राजमार्ग नाथारकाडू, धर्मापुरी और सेलम जिलों को जोड़ता है। वेल्लूर से सेलम के बीच चलने वाली सभी बसें इसी राजमार्ग पर चलती हैं। सेलम और वनियमवाड़ी के बीच कई नामी उद्योग और शैक्षणिक संस्थान स्थित हैं। इस मार्ग से अत्यधिक मात्रा में कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। इन कारणों से इस राजमार्ग पर यातायात का अत्यधिक दवाव है। इस राजमार्ग संख्या-18 अर्थात सेलम और वनियमबाड़ी के बीच को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदले जाने की मांग की जा रही है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है तथा इसे केन्द्र सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य सम्बद्ध प्राधिकरणों के पास भेज दिया है।

अत: मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करें और उपरोक्त राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें।

अपराह्न 2.24 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

चीनी का बफर स्टाक बनाना

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): महोदया, हमारा चीनी उद्योग आज कठिन स्थिति में है। पिछले तीन चीनी मौसमों से उद्योग के पास बड़ी मात्रा में स्टाक जमा हो रहा है। 2001-2002 के चीनी के मौसम का कैरीओवर स्टाक लगभग 100 लाख टन है। चालू मौसम में 170 लाख टन के आसपास उत्पादन होने की संभावना है जबकि घरेलू खपत लगभग 180 लाख टन है। लगभग 10 लाख टन मात्रा के निर्यात होने की संभावना है। इसके बाद भी चालू चीनी मौसम के अंत में लगभग 80 लाख टन स्टाक बच जाता है।

पिछले कुछ महीनों में चीनी के खुले बाजार मूल्यों में काफी कमी दिखाई दी है जिसके कारण गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की उनकी क्षमता पर दबाव पड़ा है। 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार लगभग 1,100 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य के बकाया होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष के स्तर से लगभग दुगुना है। इससे गन्ना उत्पादकों को कठिनाई हुई है।

महोदया, गन्ना उत्पादकों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का एक बफर स्टाक बनाने का निर्णय लिया है। इससे चीनी विकास निधि से 412 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बफर स्टाक के संबंध में बैंकों द्वारा 374 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि रिलीज की जाएगी। 786 करोड़ रुपए की इन निधियों का इस्तेमाल केवल चीनी उत्पादकों को उनके गन्ना मूल्य बकायों का भुगतान करने के लिए किया जाएगा जिसके लिए अपेक्षित कानूनी नियम पहले से ही मौजूद हैं।

सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि वह चीनी के निर्यात को अपनी पूरी क्षमता से बढ़ावा देगी और आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों की मौजूदा प्रतिपूर्ति के अलावा चीनी निर्यातकों को और सहायता देगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: क्या आप उस मामले में चीनी के निर्यात को कुछ राजसहायता देने जा रहे हैं?

[हिन्दी]

क्या सब्सिडी देंगे?

श्री शरद यादव: सभापति महोदया, सब्सिडी की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन ट्रांसपोर्ट में प्रेट चार्जेज दे सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: विशेष मामले के तौर पर मैं आपको प्रश्न पूछने की अनमुति दूंगी अन्यथा अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती): महोदया, इस स्टेटमेंट में किसानों की मदद करने की बात कही गई है, लेकिन इसमें दो-तीन इम्पोर्टेंट इश्यू हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: क्या वक्तव्य परिचालित नहीं किया गया है?

श्री शरद पवार: हमें वक्तव्य की प्रति प्राप्ति नहीं हुई है। कोई बात नहीं हमने उनका भाषण सुना है।

सभापति महोदया: मुझे लगता है कि केवल वक्तव्य की सूचना ही परिचालन की गई है और वक्तव्य परिचालित नहीं किया गया है। कोई बात नहीं आपने उनका भाषण सुना है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: महोदया, इसमें दो बातें हैं। 20 लाख टन के बफर स्टाक के निर्माण की बात भारत सरकार ने मानी है। वह तो अच्छी है। इससे थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या यह है कि बहुत बड़ा स्टाक देश में उपलब्ध हैं। उसके तहत किसानों की मदद नही हो सकती है। जब तक वह स्टाक खत्म नहीं होगा और देश के बाहर नहीं जाएगा तब तक परिस्थिति में कोई सुधार नहीं होगा।

महोदया, आज दुनिया के बाजार में चीनी का रेट 920 रुपए प्रति क्विंटल है और हमारे यहां 620 कन्वर्शन कास्ट है। इसमें हार्डली किसानों को 300-400 रुपए मिलने की स्थिति है। इसलिए इंटरनैशनल मार्केट में अगर हमें कंपीट करना है, तो कम से कम ओशन फ्रेट, जो डब्ल्यू.टी.ओ. में देने के लिए अधिकार है, उसके अंतर्गत कई देशों ने किसानों की मदद दी है। यदि यहां भी इसमें 100-200 रुपए प्रति क्विंटल मदद हो जाए, तो किसानों को ठीक प्रकार से कीमत मिल सकती है। कुछ राज्यों ने भी इस बारे में निर्णय ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 100 रु. प्रति क्विंटल सब्सिडी ट्रांसपोर्ट के रूप में एक्सपोर्ट हेतु देने का निर्णय ले लिया है। यदि भारत सरकार भी इस बारे कुछ मदद करे, तो यह स्टाक खत्म हो सकता है और उससे किसानों को मदद मिल सकती है।

महोदया, इसके साथ-साथ एक्साईज ड्यूटी दो साल के लिए माफ करने की आवश्यकता है और साथ ही सहकारी चीनी मिलों पर शार्ट मार्जिन से बहुत बड़ा कर्जा है, उसे टर्म लोन में कनवर्ट करने की आवश्यकता है। इसके बारे में सरकार कुछ सोचने के लिए तैयार है या नहीं?

श्री शरद यादव: सभापति महोदया, मैंने अंत में यह कहा है कि जो एक्सपोर्ट है, उसमें सरकार का इरादा मदद करने का है। अब किस शक्ल में मदद की जाएगी, उस पर विचार चल रहा है। जैसा मैंने कहा, पवार साहब ने भी कहा है, वह हमारे सामने एक सुझाव है। महाराष्ट्र सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी दी है। माननीय पवार साहब ने और बाकी सवाल भी उठाए हैं। मैं केवल इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्होंने जो निवेदन किया है, उस पर सरकार सोच रही है और हमारी क्षमता रही, तो इस काम को हम करने की व्यवस्था करेंगे और हमने इस बात को इसलिए रखा है, लेकिन हम इसकी पूरी एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं कि इसका क्या फायनेंश्यल बरडन पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन यह बात निश्चित रूप से सही है कि आज चीनी उद्योग संकट में है। पवार जी ने दूसरी बातें उठाई हैं, वे वाजिब हैं। गवर्नमेंट उसका रास्ता निकालेगी। उसका रास्ता निकालने के लिए लगातार बातचीत चल रही है और इस बारे में बातचीत होती रहती है, और पहले भी बातचीत होती रही है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदया, गन्ना किसान आज बर्बाद हो रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: वक्तव्य में वाद-विवाद का कोई प्रावधान नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अब मैं मद सं. 13 ले रही हूं। श्री शत्रुघ्न सिन्हा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। आप नोटिस दें।

[हिन्दी]

आप स्पीकर साहब को इस पर डिसकशन कराने के लिए नोटिस दे सकते हैं। इस समय यह नहीं होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया: मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रही हूं। कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप बैठिए। मैंने अगला आइटम बुलाया है।

श्री शरद यादव: सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो सवाल कर रहे हैं, उन्हीं सवालों को हल करने के लिए 20 लाख टन का बफर स्टाक बनाने का कदम हमने उठाया है। जो शुगर फैक्टरीज हैं, को-आपरेटिव फैक्टरीज हैं या सरकारी कारखाने हैं, उनकी मांगों के उपर ही यह कदम उठाया गया है। एक्सपोर्ट के बारे में यहां एनाउंसमैंट हुई है। यह सब किसानों को राहत देने के लिए ही किया गया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: यादव जी, आपने उत्तर दे दिया है इसलिए आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया: मैंने मामला खत्म कर दिया है। कृपया अब इसे न उठाएं/ कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: आप अध्यक्षपीठ की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। मुझे खेद है कि कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदया: कृपया अध्यक्ष पीठ की अवहेलना नहीं करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप स्पीकर साहब को नोटिस देकर इस पर डिसकशन मांग कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया: मामला समाप्त हो चुका है। मैं इसे पुन: शुरू नहीं कर रही हूं।

अपराह्न 2.33 बजे

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, श्री शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध नामक भारतीय चिकित्सा पद्धति भारत में मान्यता प्राप्त हैं। भारत में लगभग चार लाख पंजीकृत डाक्टर इन पद्धतियों पर कार्य कर रहे हैं। ये पद्धतिया सहज, प्राकृतिक, लागत प्रभावी है और आम रोगों और पुराने रोगों में प्रभावी पाई गई है और यह कतिपय आम रोगों जिनका चिकित्सा की अन्य पद्धतियों में ईलाज उपलब्ध नहीं है, में भी प्रभावी मानी गई है। सरकार इन पद्धतियों के विकास हेतु प्रोत्साहन दे रही है। इन प्रणालियों की शिक्षा और पेशे को विनियमित करने हेतु किए गए उपायों में से एक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 का अधिनियम है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप सरकार ने 1971 में एक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद का गठन किया जिसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, केन्द्रीय मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदया: राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं और वे विधेयक का प्रस्ताव कर रहे हैं। आप इस पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं।

श्री ए. राजा: इस परिषद के मुख्य उद्देश्यों में भारतीय चिकित्सा से जुड़े व्यक्तियों की एक केन्द्रीय सूची रखना और शिक्षा और पेशे को विनियमित करना है। पेशे से जुड़े व्यक्तियों के पंजीकरण के इस उपाय से बिना प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त व्यक्तियों, जो इस पेशे से जुड़े हैं, की संख्या में कमी आई है।

इस अधिनियम को अधिनियमित किए जाने से पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न अवधि और डिग्रियों हेतु भिन्न-भिन्न कार्यक्रम चलाया जा रहा था। शिक्षा में मानवीकरण और एकरूपता लाने हेतु इस परिषद ने कई विनियमन प्रवर्तित किए हैं। ऐसा एक विनियमन भारतीय चिकित्सा विनियमन, 1986 जिसे बाद में 1989 में संशोधित किया गया था, में शिक्षा के न्यूनतम स्तर को बहाल रखना था।

इन पद्धतियों की स्वीकार्यता और लोकप्रियता में वृद्धि होने के साथ नए महाविद्यालयों की स्थापना किए जाने की मांग में वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप इन महाविद्यालयों से सफल होकर निकलने वाले चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि हुई। चिकित्सीय शिक्षा के वाणिज्यीकरण ने अधिक से अधिक महाविद्यालयों को खोलने हेतु प्रोत्साहित किया। सोसायटियां/न्यास अथवा इसी प्रकार के निकायों द्वारा राज्य सरकारों से मंजूरी प्राप्त करके और विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त करने के पश्चात महाविद्यालय चलाए जाने लगे। इससे महाविद्यालयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके कारण स्तर में गिरावट आयी। यह आशा की गई थी कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद और इसके द्वारा बनाए गए शैक्षिक विनियमन से चिकित्सा के आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध प्रणाली के शिक्षा और पेशे में समान मानदंड प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन इसके उपबंधों में त्रुटियों के कारण न तो केन्द्र सरकार और न ही भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद इसके उपबंधों को इसकी मूल भावना और स्वरूप के अनुरूप लागू कर सकी।

चल रही एक प्रक्रिया के अनुसार कोई इच्छुक सोसायटी अथवा न्यास राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त करके और किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करके महाविद्यालय शुरू कर सकती है। इसके पश्चात वे भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद से निर्धारित सीट आधार पर पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी प्राप्त करने हेतु आवेदन करते थे। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय परिषद की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो। इससे निम्न स्तरीय महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषद और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के संबंध में राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर विचार किया गया और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम में केवल ऐसे ही महाविद्यालयों जो इस संबंध में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करेंगे, को मंजूरी प्रदान करने के उद्देश्य से संशोधन करने की सिफारिश की।

अत: इस अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक प्रस्ताव जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम में 1993 में किए गए आधार के अनुरूप पेश किया गया। इस सभी में इसी सत्र के दौरान एक संशोधन होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में पारित किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन के उपबंधों में नये महाविद्यालयों की स्थापना से सीटों की संख्या में वृद्धि करने और भारतीय चिकित्सा में नये अथवा उच्चतर अध्ययन के पाठ्यक्रम को शुरू करने से पूर्व केन्द्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी होगी ताकि निम्नस्तरीय संस्थाओं की संख्या में कमी किया जाना सुनिश्चित हो सके।

सभापति महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): धन्यवाद, सभापति महोदया। मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ, हमें कतिपय मुद्दों पर टिप्पणी करनी है क्योंकि अधिनियम का प्रभाव विश्वव्यापी बाजार पर होना चाहिए। भारतीय चिकित्सा प्रणाली विशेष रूप से आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी का कारोबार अंतराष्ट्रीय बाजार में लगभग 58000 करोड़ रुपए की है। लेकिन चीन का इसमें लगभग 32.5 प्रतिशत हिस्सा है। भारत का इसमें बहुत कम हिस्सा है और हमें इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में, हमें विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यह सेवाउन्मुखी क्षेत्र है। अन्य देशों, विशेषकर, पश्चिमी देशों में, भारतीय औषधि का जीवन के प्रत्येक पहलू में उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग सौंदर्य, स्वास्थ्य चिकित्सा और निरोधक इत्यादि कार्य में किया जाता है। वे भारतीय औषधियों विशेषकर आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह विधेयक सरकार विशेष रूप से केन्द्र सरकार को और अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। मूल अधिनियम ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के गठन और इससे संबंधित मामलों के लिए केन्द्रीय पंजीयक के रखरखाव की व्यवस्था की गई थी।

अब केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है जो भारतीय चिकित्सा पर आधारित नए संस्थानों

चिकित्सा महाविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थानों की अनुमति दे रही हैं। विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम तैयार करती है और परीक्षा आयोजित करके डिग्रियां और डिप्लोमा देती है। इन दो संस्थानों के अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की स्थापना होने के पश्चात हमारे पास एक और संस्थान होगा जो यह सुनिश्चित करेगी कि क्या बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त हैं अथवा नहीं और क्या और अधिक सीटें आबंटित किए जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं।

खंड 13(क) में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने हेतु अनुमति देने का प्रावधान है। इसे किसी योजना पर लागू होना होगा। वह योजना विधेयक में परिभाषित नहीं की गई है। लेकिन योजना का उल्लेख किया गया है। खंड 13(क)(2) के अंतर्गत यह योजना केन्द्र सरकार को दिया जाना है। इसके पश्चात केन्द्र सरकार इसे केन्द्रीय परिषद को भेजेगी।

केन्द्रीय परिषद इस स्कीम की जांच करेगी और यह पता करेगी कि क्या यह समुचित है अथवा नहीं और क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं। उन्हें छः महीने के अंदर इस पर निर्णय करना है? अन्यथा वे संशोधन की मांग कर सकते हैं। अथवा त्रुटि सुधारने की मांग कर सकते हैं। यदि उन्हें संशोधन की मांग छः माह के अंदर प्राप्त नहीं होती हैं तो दूसरा नया आवेदन दिया जा सकता है। किंतु इस बार इसे एक वर्ष के अंदर दिया जाना है। यह स्वागत योग्य प्रावधान है। एक वर्ष के अंदर यदि केन्द्र सरकार से कुछ नहीं आता है तब वह वह विशेष संस्थान अनुमत्य संस्थान के रूप में उस संस्थान को चला सकती है।

चौथी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय परिषद द्वारा की गई सिफारिश को केन्द्र सरकार के पास जाना है और केन्द्र सरकार अनुमति प्रदान करेगी। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इन दिनों चिकित्सा सुविधा बाजार में भी उपलब्ध है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा की परिभाषा विधेयक की धारा में निम्नवत दी गई है:

> "भारतीय चिकित्सा" का अर्थ भारतीय चिकित्सा पद्धति से है जिसे आमतौर पर अष्टांग आयुर्वेद, सिद्ध अथवा यूनानी तिब्बती के नाम से जाना जाता है चाहे ऐसे आधुनिक विकासों द्वारा अनुपूरित हो अथवा नहीं जैसा कि केन्द्रीय परिषद समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित करे।"

यह समय की मांग है। अतएव, बाजार की जो भी आवश्यकता हो, दिया जाना चाहिए। दक्षता और शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। इसलिए हमें उन्हें आने और केन्द्र सरकार की अनुमति लेने पर रोक नहीं लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए केरल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में अनेक आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थाएं हैं। उन्हें सीट बढ़ाने के लिये भी केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी है। इस स्थिति से अन्य मामलों में भी काफी विलम्ब होगा।

इसी तरह, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं इससे पहले मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस समय क्या आधारभूत संरचना उपलब्ध है? इसका यहां पूरी तरह से उल्लेख नहीं किया गया है। हम अंग्रेजी चिकित्सा के लिए उपलब्ध आधारभूत संरचना पाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं जहां बड़े भवनों, बड़े प्रयोगशालाओं और, अधिक जगह की आवश्यकता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तमिलनाडु के बारे में जानता हूं। तमिलनाडु सरकार ने 14.52 एकड़ जमीन सिन्धिया संस्थान शुरू करने के लिए दी है। उसके लिए सिर्फ चहारदीवारी के लिए उन्होंने 22 लाख रुपए खर्च किए हैं। किंतु चहारदिवारी के अलावा कोई मकान नहीं है। क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिए ऐसे भव्य भवनों की आवश्यकता है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे वैदिक प्रकार का संस्थान होना चाहिए। इसके लिए एक कुटिया होनी चाहिए, जिसके चारों ओर जड़ी बूटियां होनी चाहिए, एक बगान होना चाहिए, इसके पास एक ऐसी सम्पदा होनी चाहिए जिसमें औषधीय पौधे उपलब्ध होने चाहिए। भारत में विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध है। हम जहां कहीं भी जमीन उपलब्ध है अनेक आयुर्वेदिक और सिद्ध संस्थान बना सकते हैं।

मेरे चुनाव क्षेत्र जैसे सूखा प्रभावित इलाकों में अनेक जड़ी बूटियां वाले पौधे हैं। इसलिए उन स्थानों पर एक संस्थान खोली जा सकती है। अनेक लोग हैं जो उसकी शिक्षा वंशानुगत पद्धति के माध्यम से प्राप्त करते हैं। किंतु उन्हें कोई डिग्री नहीं प्रदान की जाती है। उन्हें जानकारी है। वे प्रैक्टिस करते हैं। वे सफल हैं। हम उन्हें कैसे मान्यता प्रदान करने जा रहे हैं? क्या हमारे पास उन्हें शिक्षित करने के लिए कोई डिप्लोमा पाठ्यक्रम या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम या कोई 'क्रैश कोर्स' हैं? क्या वे सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए इसे मान्यता प्रदान किया जा सकता हैं। यह भारतीय जीवन का एक हिस्सा हैं।...*(व्यवधान)* भारतीय औषधि भारतीय जीवन का अंग हो हम जो भी भोजन ले रहे हैं उसमें औषधि का अंश है। इसमें पोषक तत्व भी हैं। एलोपैथी की भांति टैबलेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप हरी सब्जियां खाते हैं तो स्वतः ही विटामिन की पूर्ति हो जाती है। कमियों को दूर किया जा सकता है। अतएव, यह दिन प्रतिदिन जीवन का भाग है। यह दैनिक जीवन पद्धति है। इसे मान्यता मिलनी चाहिए। हम तमिल में इस प्रकार की औषधि को 'पाली वैद्ययम' अर्थात् दादी की चिकित्सा पद्धति कहते हैं। एक दादी आसानी से रोते हुए बच्चे की अथवा बच्चे की, वृद्ध लोगों की या किसी युवक की किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। किंतु उन्हें एलोपैथी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है जिसमें उन्हें काफी धन खर्च करना होगा। अतएव इस प्रकार से सोचना होगा।

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

सरकार संस्थानों को मान्यता देना चाहती हैं। इसके लिए वे राज्यों के अधिकारों को लेना चाहती है। उच्चतम न्यायालयों में अनेक मामले लंबित हैं। कुछ मामलों में निर्णय भी दिए गए थे इसलिए मंत्री जी, आप क्यों राज्य सरकारों के अधिकारों को छीन रहे हैं? राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं को जानती हैं। वे कालेजों के लिए अनुमति दे सकते हैं। वे आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम बदल सकते हैं। अतएव, केन्द्र सरकार द्वरा अधिकार छीनकर ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार केन्द्र सबसे कह रही है कि कालेज खोलने और अन्य बातों के लिए अनुमति हेतु केन्द्र सरकार के पास जाएं।

अंत में, मैं यह सुझाव देता हूं कि इस विधेयक से अनेक संदेह पैदा होते हैं। पहले कुछ मामलों में चिकित्सा योग्यता की मान्यता थी। कृपया खंड 13ख(3) देखिए जिसके अनुसार:

> ''जहां कोई चिकित्सा संस्था प्रशिक्षण के लिए किसी कार्यक्रम में अपनी प्रवेश क्षमता में धारा 13क के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना वृद्धि करती है वहां अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि के आधार पर ऐसी चिकित्सा संस्था के किसी विद्यार्थी का अनुदत्त चिकित्सा अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता नहीं मानी जाएगी।''

उन कालेजों के बारे में क्या जो पहले से ही मौजूद हैं? सरकार उन्हें कैसे अनुमति देने जा रही है? पूरे भारत में 120 आयुर्वेद कालेज और लगभग 25 यूनानी कालेज हैं। सरकार उन्हें किस तरह से मान्यता देने जा रही है? उसके लिए इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है।

इसी प्रकार खंड 13ख(3) में प्रावधान है:

> ''जहां कोई चिकित्सा संस्था प्रशिक्षण के लिए किसी कार्यक्रम में अपनी प्रवेश क्षमता में धारा 13क के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना वृद्धि करती है वहां अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि के आधार पर ऐसी चिकित्सा संस्था के किसी विद्यार्थी का अनुदत्त चिकित्सा अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता नहीं मानी जाएगी।''

इसलिए उन छात्रों का भविष्य क्या होगा जो पहले ही इस तरह की संस्थाओं में दाखिला ले चुके हैं?

हम समाचार पत्रों में छपने वाली अनेक खबरें देख रहे हैं कि छात्रों को ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने के लिए लालच दिया जा रहा है। उनसे यह वायदा किया जाता है कि छ: महीनों या एक वर्ष के अंदर सीटों में वृद्धि की जाएगी। इसलिए यदि आप सीटों में इस तरह की वृद्धि को मान्यता नहीं देते हैं तो उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने इस आशा से दाखिला लिया है कि कालेज को मान्यता मिल जाएगी और वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं? इसलिए, इस तरह हर दिन की समस्या है जब सांविधक नियम बनाए जाए तो उन पर समुचित रूप से विचार किया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम अब सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति को संपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का सोचा है। इसलिए, अधिक शक्तियां प्राप्त करना अथवा सिर्फ अधिकार हड़पने से भारतीय चिकित्सा पद्धति का भला नहीं होगा। किंतु सरकार को उन बेरोजगार लोगों की सहायता के लिए रचानात्मक रूप से सोचना चाहिए जो भारतीय चिकित्सा पद्धति का अध्ययन करना चाहते हैं और इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सरकार को इस संबंध में अधिक अनुसंधान करना चाहिए और अधिक पेटेन्टों की अनुमति देनी चाहिए ताकि छात्र अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक कमा सकें।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय परिषद अधिनियम 2002 में संशोधन संबंधी जो विधेयक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि भारतीय पद्धति की जो चिकित्सा प्रणाली थी, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के आदि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए इन्होंने संशोधन पेश किया है। निश्चित ही उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

आयुर्वेद भी हमारी प्रचीन चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद में जो शोध होने चाहिए थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा प्रणाली बनाने के लिए जो कार्य उसमें होने चाहिए थे, वे नहीं हो पाए। हम एलोपैथी की तरफ भागे और उसका परिणाम हमारे सामने है कि जहां हम किसी रोग का इलाज तो करते हैं लेकिन उसमें तमाम साइड-इफैक्ट्स सामने आते हैं। तमाम अनेक प्रकार की बीमारियां भी सामने आती हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में उसमें गुणात्मक सुधार के लिए जो कार्य होने चाहिए थे, निश्चित ही इस प्रकार की जो चिकित्सा परिषद का गठन किया गया था, इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अकसर यह होता है कि हम लोग कुछ उन संस्थानों को आटोनामी दे देते हैं लेकिन उस आटोनामी का मतलब ये संस्थाएं इनको अपनी उद्दंडता तक ले जाने का प्रयास करती हैं। यही सब कुछ भारतीय केन्द्रीय परिषद के साथ भी हुआ है। अपने मनमाने आचरण के कारण भारतीय चिकित्सा प्रणाली में सुधार करने के बजाए ढेर सारी ऐसी संस्थाएं इस क्षेत्र में खुली लेकिन मानक के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में जो सुधार होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया।

उसका परिणाम यह रहा है कि हम धीरे-धीरे पिछड़ते रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने उद्देश्यों और कारणों में बहुत सी बातें कही हैं, जैसे अकसर होता था कि सरकार को यह भी अधिकार नहीं

था कि वह केन्द्रीय परिषद को निर्देशित कर सके या निर्देश दे सके। मैं अच्छी तरह जानता हूं और इस प्रकार के कुछ उदाहरण स्वयं मेरे पास आए हैं। मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया और डेंटल काउंसिल आफ इंडिया केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आती हैं। अपनी आटोनामी का ये संस्थाएं दुरूपयोग करती हैं क्योंकि केन्द्र सरकार का सीधा नियंत्रण उन पर नहीं होता है। जिस प्रकार का उनका मनमाना आचरण होता है, यह उनकी कार्य प्रणाली से देखा जा सकता है। निश्चित ही चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्ता के लिए सबसे बड़े सांप इस समय अगर कोई हैं तो ये संस्थाएं हैं जो गुणवत्ता नहीं बल्कि कुकुरसुत्तों की तरह संस्थाओं को उगाने का प्रयास तो करती हैं और ढेर खड़ा हो जाता है। हमारे यहां एक ट्रस्ट ने एक मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव किया। मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया की गाइडलाइन्स में है कि जब कोई निरीक्षक दल मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया से जाएगा तो मैनेजमेट से वार्ता करने के बाद ही वहां पर निरीक्षक वर्ग जाएगा। हमारी संस्था ने दो-तीन बार निरीक्षण दल भेजने के लिए आवेदन किया और कहा कि जो भी आवश्यक मानक पूरे होने हैं, उनको देख लें। लेकिन उनका निरीक्षण दल तब गया जब हमारी उस संस्था में विंटर वेकेशंस प्रारंभ हो चुके थे। मैं 1999 में तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के पास गया। पहले मैंने संस्था के प्रेसीडेंट से बात की। उन्होंने कहा कि यह तो हमारा राइट है और हमारी आटोनामी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैंने केन्द्रीय मंत्री से बातचीत की और कहा कि हमारे यहां जब विंटर वैकेशन समाप्त हो जाए तब आप अपने निरीक्षण दल को भेजिए। जो जाकर के मानकों के अनुसार कार्य करें और अगर कार्य मानक के अनुसार हैं और वे कालेज को खोलना चाहते हैं तो उस काम को करने की इजाजत दीजिए। माननीय मंत्री ने अपनी तरफ से सहयोग करने का आश्वाशन दिया लेकिन एनसीआई के प्रेजीडेंट ने कहा है कि यह हमारी आटोनामी में सीधे-सीधे हस्तक्षेप है और हम इसे नहीं मानेंगे। वहां पर स्थापित मनमाना आचरण और सीधे-सीधे वहां पर लेन-देन का कार्य चलता है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। डेंटल काउंसिल आफ इंडिया में भी यही स्थिति है। यही नहीं, इस संस्था के सारे पदाधिकारी एक वर्ष तक अपनी जमानत लेने के लिए फिरते रहे क्योंकि उनका यह आचरण कहीं न कहीं उच्च न्यायालय दिल्ली के अधीन पहुंच चुका था और उसके बाद अपने आपको बचाने के लिए फिरते रहे। ये संस्थाएं भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुकी हैं और अगर इन पर नियंत्रण करना है तो आज आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार के पास इस प्रकार की शक्तियां होनी चाहिए जिससे उनके मनमाने आचरण पर अंकुश लगाया जा सके और गुणवत्ता में सुधार हो। यही नहीं हमारे मैडिकल कालेज में भी खराब स्थिति पैदा करते हैं।

महोदय, हमारे गोरखपुर में एक सरकारी मैडिकल कालेज है। उत्तर प्रदेश में सात मैडिकल कालेज हैं। मैं मानता हूं कि सरकार के मैडिकल कालेजों में जो स्थिति है, केवल गोरखपुर मैडिकल कालेज में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में छः के छः मैडिकल कालेज एनसीआई के मानकों को पूरा नहीं करते। 1995 से गोरखपुर के एकमात्र मैडिकल कालेज को एनसीआई की नोटिस मिल जाती है कि कालेज में एक एडमीशन नहीं होनी चाहिए। इस कालेज में स्नातकोत्तर की जो सीटें हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन हर बार नोटिस मिलता है और हर बार मुझे मंत्री से मिलकर छः महीने या एक साल का समय लेना पड़ता है। अगर एनसीआई का एक मानक बना है कि इतनी नियुक्तियां होनी चाहिए और 750 बैड का मैडिकल कालेज होना चाहिए तो केवल गोरखपुर मैडिकल कालेज के लिए ही नहीं, पूरे भारत के जितने मैडिकल हैं, उन सब पर बराबर लागू होना चाहिए। लेकिन एनसीआई को केवल गोरखपुर का मैडिकल कालेज दिखाई देता है। डैंटल काउन्सिल आफ इंडिया को वे संस्थायें दिखाई देती हैं, तो उनके भ्रश्टाचार में अपनी सहभागिता नहीं दिखा पाती हैं। यही स्थिति भारतीय चिकित्सा केन्द्र के साथ भी हुई है।

इसका एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने आया है। इन संस्थाओं के मनमाने रवैये के कारण तमाम भारतीय जड़ी-बूटियां, तमाम प्रकार की जो औषधियां हैं, उन्ही के आधार पर आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य हो रहा है।

आयुर्वेद में भी एलोपैथी की तर्ज पर गोलियां बनाकर दी जा रही हैं। जो एक शोध का कार्य होना चाहिए था वह शोध का कार्य बिल्कुल समाप्त हो चुका है। गुणवत्ता का जो स्तर होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। नयी संस्थाएं मनमाना आचरण कर रही हैं। अमरीका तथा अन्य देशों ने पांच लाख से अधिक भारतीय जड़ी-बूटियों का जीन-बैंक बनाकर अपने यहां तैयार किया है। जीन-बैंक के माध्यम से हमारे करेला, नीम और तमाम अन्य जड़ी-बूटियों और औषधियों को पेटेंट कराने का प्रयास किया है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से चाहे नयी संस्थाएं खोलने की बात हो या उच्चतर पाठ्यक्रम की अनुमति लेने की बात हो या सीट बढ़ाने की बात हो, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है, उसी प्रकार से उनके कार्यों में गुणवत्ता में सुधार हो और औषधियों का स्तर बढ़े इस ओर प्रयास हमारा होना चाहिए। अमरीका और अन्य देशों की साजिश हमारी जड़ी-बूटियों को पेटेंट कराकर हमारे आयुर्वेद को पूरी तरह समाप्त करने की है। भारतीय जड़ी-बूटियों का जीन-बैंक चीन, अमरीका और जर्मनी ने तैयार किया है और इस तरह से भारतीय आयुर्वेद को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। भारत सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए और उनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए उनको भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद के अधीन लाकर सीधे केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में दिया

[योगी आदित्यनाथ]

जाए। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम उन संस्थाओं को जो अटोनामी का गलत फायदा उठाकर अपनी उद्दंडता का परिचय समय-समय पर देती हैं, नियंत्रण करने का प्रयास किया है। उनका यह कदम सकारात्मक और रचनात्मक कदम है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को बड़ी संख्या में चिकित्सा कालेजों की स्थापना को रोकने के लिए लाया है ताकि घटिया शिक्षा पर रोक लगाई जा सके। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

किंतु मैं इस सभा के ध्यान में और माननीय मंत्री के विचार के लिए एक बात लाना चाहता हूं। अध्याय दो क, खंड 13क में यह उल्लेख है कि:

> इस धारा के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय–
>
> (क) कोई व्यक्ति चिकित्सा संस्था स्थापित नहीं करेगा; या
>
> (ख) कोई चिकित्सा संस्था–
>
> (1) अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करेगी, जिसके अंतर्गत अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी है, जिससे ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण का विद्यार्थी, कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता प्रदत्त किए जाने के लिए स्वयं को अर्हित करने में समर्थ हो सके; या
>
> (2) अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी है, की प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं करेगी।

मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट है कि इस धारा के प्रयोजन में 'व्यक्ति' में कोई विश्वविद्यालय अथवा न्यास सम्मिलित है।

अपराह्न 2.59 बजे

[डा. श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

उन्नीकृष्णन जे.पी. और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार यह कहा गया है कि सिर्फ पंजीकृत सोसायटी और विश्वविद्यालय को मेडिकल कालेज खोलने का हक होगा। किंतु हाल में 31 अक्टूबर, 2002, को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक नया फैसला किया है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी नागरिक को अनुच्छेद 19(झ)(छ) और 26 के अंतर्गत शिक्षण संस्था की स्थापना करने और चलाने का अधिकार है।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन यह अधिकार अनुच्छेद 19(6) और 26(क) के उपबंधों के अध्यधीन है। तथापि, अल्पसंख्यक संस्था को अल्पसंख्यक समूह के छात्रों को इस निर्णय के अनुरूप प्रवेश देने का अधिकार होगा।

अत: इस निर्णय के अनुसार न केवल न्यासों और विश्वविद्यालयों बल्कि आम व्यक्तिओं को भी चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन यदि इस विधेयक को पारित करके कानून बना दिया जाता है तब कतिपय आम व्यक्तियों को चिकित्सा महाविद्यालय खोलने से अयोग्य कर दिया जायेगा। इससे आम व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारी का हनन होगा। कोई भी आम व्यक्ति चिकित्सा महाविद्यालय अथवा कोई शिक्षण संस्थान खोल सकता है। अत: मैं समझता हूं कि इस विधयेक से निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी उपेक्षा होगी। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि गैर सरकारी प्रबंधन वाले चिकित्सा महाविद्यालयों को वेतन ढांचा, शिक्षण शुल्क इत्यादि निर्धारित करने का अधिकार होगा। इस विधेयक में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। जब आम व्यक्ति और गैर-सरकारी संगठन चिकित्सा महाविद्यालय खोल रहे हैं तो उन्हें उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार शिक्षण शुल्क इत्यादि निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। विधेयक में इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि केन्द्र सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों की मंजूरी देने पर कतिपय प्रतिबंध लगाने जा रही है। यह अच्छी बात है। अन्यथा हम चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्बाद्ध वृद्धि को नहीं रोक पाएंगे। और हम मानदंड के इस पहलू पर विचार नहीं कर पाएंगे। मानदंड अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं लेकिन साथ ही साथ हमारे देश में चिकित्सकों की भी कमी है। हमारे पास विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी है। अत: हमें अधिक से अधिक चिकित्सक चाहिए। इस महत्वपूर्ण पहलू पर उचित ध्यान देने हेतु विद्यमान मार्गनिर्देशों में कड़ी शर्तों को समाप्त किया जाना चाहिए। विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अथवा कोई संस्थान अथवा कोई न्यास चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना चाहता है, तो उसे प्रारंभ में न्यूनतम 300 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल का स्वामित्व प्राप्त करना होगा और उन्हें बाद में

इसकी संख्या 1000 बिस्तर तक बढ़ानी होगी। मैं समझता हूं कि यह अत्यधिक कड़ी शर्त है।

दूसरी बात यह है कि अन्य कठोर शर्तें भी हैं। मैं समझता हूं कि आवेदक अथवा प्रस्तावक को बैंक में 5 करोड़ रुपए जमा करना होगा। उसे उसका प्रमाण देना होगा। अन्था उसे अनुमति नहीं मिलेगी। किसी नए चिकित्सा महाविद्यालय को खोलने हेतु विधेयक में कतिपय प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि इनके द्वारा प्रारंभ में किसी सरकारी अस्पताल के साथ समझौता किया जा सके और उसके पश्चात चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा सके। बिस्तरों की संख्या विद्यमान 300 से कम करके 100 की जानी चाहिए ताकि आम व्यक्ति भी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित कर सके।

महोदय, कई अन्य बातें हैं। चिकित्सकों की कमी होने के कारण हमें आम व्यक्तियों समाज और न्यासों को चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु प्रोत्सान देना चाहिये। चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु सरकार की मंजूरी आवश्यक है। यह अत्यधिक आवश्यक है लेकिन इससे संबंधित कठिनाई दूर की जानी चाहिए और कठोर शर्तों में छूट दी जानी चाहिए ताकि देश में कई चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा सकें और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों से लाभ हो सकेगा।

महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि वे इन सभी बातों की व्याख्या करेंगे। मुझे इस विधेयक को स्वीकार करने और समर्थन देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर करनूल): आदरणीय सभापति, महोदय, मैं इस अवसर को प्रदान करने हेतु आपका धन्यवाद करता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री को यह विधेयक प्रस्तुत करने हेतु बधाई देता हूं।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली की कतिपय स्थानों पर अत्यधिक उपेक्षा की जाती है। कतिपय राज्यों में कई महाविद्यालयों को मानदंड और बुनियादी सुविधाओं जिनका उन्हें अनुपालन करना है पर ध्यान दिए बगैर मंजूरी प्रदान की गई है। इस प्रकार की मंजूरी सुचारू कार्यकरण की प्रक्रिया का अनुपालन किए बगैर दी जाती है। उदाहरणार्थ भारतीय चिकित्सा परिषद (एनसीआई) में प्रणाली सुचारूकृत है। जब कभी भी किसी चिकित्सा महाविद्यालय की मंजूरी दी जाती है इसे राज्य की भावना को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेकिन भारतीय चिकित्सा प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था अथवा प्रणाली नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बुनियादी सुविधाओं और किसी अन्य सुविधा के बगैर महाविद्यालयों की संख्या में निर्बाद्ध वृद्धि होगी।

जैसाकि विद्वान माननीय सदस्य ने कहा है कि छात्रों का मानदंड संस्थान जिससे वह शिक्षा प्राप्त करता है, पर निर्भर करता है। अब ऐसा हो रहा है। यह इसलिए है क्योंकि ऐसे संस्थानों में मानदंडों का अनुपालन नहीं हो रहा है और सुचारूकरण की प्रक्रिया का मंजूरी देने में अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे महाविद्यालयों भी संख्या में निर्बाद्ध वृद्धि हो रही है। गैर सरकारी क्षेत्र में, ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट स्तर पर उस संकाय के बगैर ही प्रशिक्षण दिया जाता है जो उन्हें बेहतर शिक्षा दे सके। अत: यह स्पष्ट है कि हम संख्या पर ध्यान दे रहे हैं गुणवत्ता पर नहीं केवल संख्या के आधार पर इन संस्थानों से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले व्यक्तियों को यह भी पता होता है कि उन्हें क्या करना है क्यों कि ये प्रणाली अभी अत्यधिक प्रचलित नहीं हुई हैं। वे चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली अपना रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। जो समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुए हैं, जहां अप्रशिक्षित चिकित्सक अपने आप को आयुर्वेद, सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सक घोषित करते हैं। वे लोगों से कह रहे हैं कि वे सभी प्रकार के रोगों का इलाज करने में सक्षम हैं। अंतत: उन्हें जेल हो जाती है।

यह क्या हो रहा है। ऐसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने के पश्चात ये लोग आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अर्थात एलोपैथी अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन-यापन करना है। जब कभी जटिलताएं आती हैं तो उनकों यह पता नहीं होता कि इस प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। इससे व्यक्ति मर जाते हैं। कई बार हिंसा भी हो जाती है ऐसी परिस्थितियों में विद्यमान विधेयक जिसमें भारतीय चिकित्सा प्रणाली को नियमित करने का प्रयास किया गया है, एक स्वागतपूर्ण कदम है। यह केन्द्र सरकार द्वारा उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है। ऐसा मानदंड बहाल रखने और बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से है क्योंकि भारत के कई स्थानों पर भारतीय चिकित्सा प्रणाली उपेक्षित है। यह एक प्राचीन प्रणाली है, जिसे पश्चिमी देशों में भी अपनाया जा रहा है। उन्होंने हमारे देश से सीखा है। यह दुखद है कि हम उन बातों को अपना नहीं पा रहे हैं जिसे अन्य देशों द्वारा अपनाया जा रहा है। हम इसे उचित महत्व नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकार आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अथवा प्राचीन प्रणाली के माध्यम से चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है। लागत की दृष्टि से तुलना किए जाने पर आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी जैसी भारतीय चिकित्सा प्रणाली सब व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य है क्योंकि इसे स्थानीय आधार पर उपलब्ध जड़ी-बूटियों और अन्य वस्तुओं से तैयार किया जाता है। इसीलिए इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है और सरकार को और अधिक धनराशि आबंटित करनी चाहिए।

[डा. मन्दा जगन्नाथ]

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि क्या नए महाविद्यालयों को मंजूरी प्रदान करने अथवा इसका विस्तार करने के संबंध में सरकार मानदंडों और शर्तों का कड़ाई से अनुपालन करेगी। कठोरता से यह सुनिश्चित करें कि ऐसे डाक्टर जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली में प्रशिक्षित हैं उसी चिकित्सा प्रणाली को अपनायेंगे जिनके लिए वे प्रशिक्षित हैं यदि कोई अपनी पद्धति से दूसरी पद्धति में जाता है तो उसे अनुमति न दी जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वे एलोपैथी प्रणाली में कार्य करने हेतु विवश हो जाते हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा इस विधेयक हेतु केवल एक घंटे का समय नियत किया गया है।

डा. मन्दा जगन्नाथ: मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करने वाला हूं। वे केवल उन्हीं प्रणाली को कड़ाई से अपनायें जिनके लिए वे प्रशिक्षित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि कोई अन्य प्रणाली अपनायी जाती है, वे समस्याओं जिनका वे पता लगाना चाहेंगे का पता नहीं लगा पायेंगे।

दूसरी बात यह है कि, प्रणाली से हटकर पेशा अपनाने वाले व्यक्तियों को अयोग्य घोषित कर देना चाहिए और उनकी डिग्रियां वापिस लेकर उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।

प्रणाली को सुचारू बताते हुए राज्य के हितों को भी हमान में रखा जाना चाहिए क्योंकि राज्यों को ही राज्य भर में अस्पतालों की आवश्यकता का पता होता है। अत: विधेयक को पारित करते समय राज्यों की भावनाओं पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: प्लीज समाप्त कीजिए। कुवंर अखिलेश सिंह जी आप बोलिये।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सर, यह रियल डाक्टर हैं। डुप्लीकेट डाक्टर स्टेट मिनिस्टर बिल पेश कर रहे हैं। रियल डाक्टर से बिल पेश कराते तो वस्तुस्थिति की कुछ जानकारी होती।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर की तुलना में तो भले आदमी हैं।

[अनुवाद]

डा. मन्दा जगन्नाथ: सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इन महाविद्यालयों की संख्या केवल महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में ही अधिक है। इन संस्थानों की संख्या देश भर में समान बहाल रखने की दृष्टि से केन्द्रीय परिषद को राज्यों की भावना पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के जनांदोलन के पश्चात जब सबसे पहले इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो हमारे नेता स्वर्गीय राज नारायण जी ने सबसे पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति को एक नया आयाम प्रदान किया। तब से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि जैसे भाषा के सवाल पर देश के अंदर विभेद हैं जो भारतीय भाषाओं की दुर्दशा है, वही चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय चिकित्सा पद्धति की दुर्दशा हम देख रहे हैं।

सभापति महोदय, आज देश में दो तरह के मानसिकता के लोग हैं। एक अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं और एक देशी मानसिकता के लोग हैं। अंग्रेजी मानसिकता के लोगों ने अपने को सर्वोपरि समझ रखा है और देशी भाषा के समर्थक लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। चिकित्सा पद्धतियों में भी भारतीय चिकित्सा पद्धति इस समय हीन भावना से ग्रसित है। हम सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अगर आप भारतीय चिकित्सा पद्धति को एक नया आयाम प्रदान करना चाहते हैं तो आपको समन्वित चिकित्सा पद्धति की तरफ आगे आना होगा। अभी जिस तरह के एलोपैथी के दुष्परिणाम हमारे सामने उभरकर आ रहे हैं, खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, वे इसके सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और अन्य प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से जिस उपचार की प्रणाली को विकसित किया था, उस प्रणाली ने कोई विपरीत प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं छोड़ा, जबकि ऐलोपैथी के तमाम तरह के विपरीत प्रभाव हमारे शरीरों पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अब हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है कि हम समन्वित चिकित्सा पद्धति को अपनाकर आज जो भारतीय चिकित्सा पद्धति की दुर्दशा हो रही है, उस दुर्दशा से उसे मुक्ति दिलाने का कार्य करें।

हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने भ्रष्टाचार के संदर्भ में कहा है कि कुकुरमुत्तों की तरह आपके विश्वविद्यालय फैलते चले जा रहे हैं और जहां धन दिया जा रहा है, उन्हें ही मान्यता देने का कार्य किया जा रहा है। हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं। हम केवल यहीं सहमत नहीं बल्कि आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंस, जो देश का सबसे बड़ा इंस्चीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के सर्जरी के हैड आफ दि डिपार्टमैन्ट के खिलाफ जा आरोप लगे हैं, वे आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो गये हैं। ये आरोप केवल संसद सदस्यों या कुछ लोगों द्वारा नहीं लगाये गये हैं, इन आरोपों की पुष्टि स्वयं संस्थान के अधिकारियों ने भी की है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से अभी मंत्री जी यहां नहीं हैं। उन मंत्री जी के ऊपर पता नहीं किन अदृश्य ताकतों का दबाव है कि उस हैड आफ दि डिपार्टमैन्ट को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जब

भ्रष्टाचार को इस तरह के संरक्षण प्रदान किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचारियों से आप भारतीय चिकित्सा पद्धति और चिकित्सा प्रणाली को भी नहीं बचा पायेंगे।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आज आयुर्वेद के क्षेत्र में राज्यों में आयुर्वेद के अस्पतालों की दुर्दशा है, उस दुर्दशा की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। मैं अन्य राज्यों की बात नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आयुर्वेदिक अस्पताल हैं, यदि उन आयुर्वेदिक अस्पतालों का आप आकस्मिक निरीक्षण करें और कोई टीम वहां जांच करने के लिए भेजें तो आपको पता चलेगा कि उन अस्पतालों में न तो डाक्टर हैं और न स्टाफ है। यदि वहां कुछ डाक्टर और स्टाफ है तो उन्हें उनकी सैलरी 8, 10 या 12 माह में प्राप्त होती है।

हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप अपने विभाग का नया बजट बनाएं तो उस समय बजट में यदि आप आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति की अपेक्षा न करें तो निश्चित तौर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति का आप संवर्धन करेंगे। यदि आप बजट में ही कटौती कर देंगे, उपेक्षा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि आप भले ही इस तरह के कई संशोधन विधेयक लाएं, वे संशोधन विधेयक अर्थहीन होंगे।

आज गरीब व्यक्ति की यह स्थिति नहीं है कि वह ऐलोपैथी के माध्यम से इलाज करा सके। गरीब आदमी का इलाज हम होम्योपैथी से कर सकते हैं, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर विनम्रतापूर्वक मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति को वास्तविक रूप में अच्छा स्थान प्रदान करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो अगला बजट आप प्रस्तुत करें, उस बजट में इसे विशेष स्थान प्रदान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): माननीय सभापति जी, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद संशोधन विधेयक, 2002 का मैं स्वागत करता हूं और मंत्री जी को भारतीय चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सत्यप्रयाश के लिए बधाई भी देता हूं।

यहां पर जो चर्चा की गई, इसके उद्देश्यों के खंड 13ख में स्पष्ट किया है, खंड 12क में भी स्पष्ट किया है और फिर अध्याय 2 में जो कुछ जोड़ने का उपबंध किया गया है - यह सब पीछे की कमियों को दूर करने के लिए है। परन्तु यहां उद्देश्यों में यह भी कहा है कि सीटों को बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी और जो भी संस्थान केन्द्रीय परिषद की बिना पूर्व अनुमति के खोले जाएंगे उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। यहां मैं यह जरूर रेखांकित करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब बोलने के लिए खड़े हों, तो निश्चित रूप से स्पष्ट करें कि जो समकक्ष चिकित्सा संस्थान इस केन्द्रीय परिषद के अलावा कहीं ओर से मान्यता ले लेते हैं, आम छात्रगण विज्ञापनों के माध्यम से उसमें नामांकित होते हैं, उनके पैसे भी खर्च हो जाते हैं और समय भी बरबाद हो जाता है, फिर आप नियमों के आधार पर उन्हें प्रमाणित करने से वंचित करने वाले हैं, ऐसा आपने कहा है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां कहीं भी समकक्ष व्यवस्था है, सभी को इस भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के अधीन रेखांकित करके, कोई अलग से ऐसी बात न हो इस पर चर्चा होकर, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

माननीय सदस्यों ने चर्चा के क्रम में जिन मुद्दों का उठाया है, उनका तो मैं समर्थन करता हूं साथ ही मैं यह भी जरूर चाहता हूं कि 55 वर्षों के बाद आजाद भारत में जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, देसी चिकित्सा हो या सिद्ध चिकित्सा हो, यूनानी चिकित्सा हो या प्राकृतिक चिकित्सा हो या आयुर्वेद चिकित्सा, वह लुप्त होती चली गई है। यह बात सही है जो कुंवर अखिलेश सिंह जी ने कही कि स्वर्गीय राज नारायण जी ने देसी चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने की चेष्टा की। उसी का फल है कि 1970 का जो विधेयक था, उसमें बीच में भी संशोधन हुआ और जो संशोधन लेकर मंत्री जी आज आए हैं, उनका हमने स्वागत किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पचास सालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति को न्याय नहीं मिला, इस सरकार ने यह कदम उठाकर स्वागत योग्य काम किया है। अब तक जो देर हुई तो हुई, लेकिन एक मुकम्मल इंतजाम करना चाहिए क्योंकि भारतीय चिकित्सा पद्धति पर विदेशों में विकसित राष्ट्रों में लोग ध्यान देने लगे हैं, ऐलोपैथी के साइड इफैक्ट के कारण। जो पांच लाख जड़ी-बूटियों के पेटेन्टीकरण का मामला है, उस पर अगर हम विरोध नहीं जताएंगे तो पांच लाख जड़ी बूटियों की धरोहर समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पेटेन्टीकरण के जरिये तुलसी, नीम और अन्य जड़ी-बूटियों के बारे में हल्दी से लेकर धनिया तक पर जो खतरा चल रहा है, उसका इंतजाम करके सबसे पहले इनको बचाया जाए और इससे चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने का काम किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने उत्तर में मंत्री जी इस बारे में आश्वासन देंगे और भारतीय चिकित्सा पद्धति को ऐलोपैथी चिकित्सा पद्धति के बराबरी में लाने की चेष्टा करेंगे, ऐसी आशा के साथ और इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक में संशोधन का स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे मित्र श्री ए. राजा को इस विधेयक को प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं यह कहना चाहता हूं

[श्री ए.सी. जोस]

कि जब सभा में संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है तो कैबिनेट मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिए था। यहां विधेयक कोई भी प्रस्तुत कर सकता है इसमें कोई संदेह नहीं है। माननीय राज्य मंत्री विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन कैबिनेट मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए था। यह सदन की मर्यादा और इसका सम्मान है हम शत्रुघ्न सिन्हा को सभा में फिल्म कलाकार के रूप में कभी-कभी ही देखते हैं। लेकिन आज जब विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है उन्हें यहां उपस्थित रहना चाहिए था...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्य अपनी बात पर दृढ़ हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): महोदय, कैबिनेट मंत्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए था...*(व्यवधान)*

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): महोदय, नियम के अनुसार राज्य मंत्री को भी इसकी अनुमति है। कृपया पता कर लें...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी जोस: महोदय जैसा कि मैंने उल्लेख किया हैं, मैं कुल मिलाकर इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे सहयोगी ने कहा है कि 55 वर्षों के पश्चात हम भारतीय चिकित्सा पद्धति को मान्यता दे रहे हैं और इसे उचित महत्व दे रहे हैं। इस संशोधन के संबंध में मेरा एकमात्र शक यह है कि खंड 13क (1) के अनुसार यह सरकार और परिषद के बीच है...*(व्यवधान)* मैं विषय से अलग बोल रहा था अब मैं विधेयक पर आता हूं। कृपया इस मुद्दे को पुन: नहीं उठाएं।

महोदय, खंड 13क(क) के अनुसार संशोधन में यह कहा गया है कि आवेदन पहले केन्द्र सरकार के पास आएगा। केन्द्र सरकार केवल डाकिए का कार्य कर रही है। इसकी जांच करने के पश्चात केन्द्र सरकार इसे चिकित्सा परिषद को भेजेगी और चिकित्सा परिषद इससे संबंधित सभी मुद्दों का विवरण प्राप्त करके इस केन्द्र सरकार के पास भेजती है। मेरा प्रश्न यह है कि यह अत्यधिक जटिल है, जैसा कि मेरे मित्र को श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन ने कहा है। इसमें बहुत ज्यादा नौकरशाही प्रक्रिया शामिल है इसे केन्द्र सरकार को पहले क्यों भेजा जाये। केन्द्र सरकार को पहले आवेदन भेजन के स्थान पर इसे पहले परिषद को क्यों नहीं भेजा जा सकता है। परिषद को इसकी जांच करने दें। यहां उपखंड (2) में कहा गया है:

''प्रत्येक व्यक्ति या चिकित्सा संस्था, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय सरकार, को उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार एक स्कीम प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार उक्त स्कीम को केन्द्रीय परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए भेजेगी।''

ऐसा क्यों है! उपखंड 4(ख) में यह आगे कहा गया है कि:

''तत्पश्चात् उपधारा (8) में निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, स्कीम पर विचार करेगी और उसे केन्द्रीय सरकार को, केन्द्रीय सरकार से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से छह माह से अनधिक अवधि के भीतर, उस पर अपनी सिफारिशों सहित प्रस्तुत करेगी।''

महोदय, यहां दो तरह की स्थिति हैं। यहां केवल 6 महीने है लेकिन पहले केन्द्र सरकार को इसे 6 महीने अथवा दो महीने अथवा तीन महीने के अंदर भेजना अनिवार्य नहीं था। केन्द्र सरकार इस आवेदन को जब तक चाहे रख सकती है यह उनकी इच्छा पर निर्भर है।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस पर यदि संभव हो सके तो ध्यान दें। आवेदन को पहले केन्द्र सरकार के पास क्यों भेजा जाए? चिकित्सा परिषद एक ऐसी संस्था है जो आवेदन के विवरण की जांच करती है और आवेदन से संबंधित अन्य विवरण मांगती है। पहले इसे केन्द्र सरकार के पास क्यों भेजा जाता है फिर से यह चिकित्सा परिषद के पास जाता है जो इस आवेदन की जांच करके इसे केन्द्र सरकार को 6 महीने के अंदर भेजती है। यहां कमी यह है कि केन्द्र सरकार इस आवेदन को जब तक इच्छा हो, लंबित रख सकती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा पहले कार्यवाही किए जाने के स्थान पर चिकित्सा परिषद इस पर कार्यवाही करे और तब इसे केन्द्र सरकार को सिफारिश के साथ भेजे। केन्द्र सरकार बाकी की कार्यवाही एक वर्ष अथवा जो भी निर्धारित हो के अंगर्तत कर सकती है।

एक वर्ष की अवधि भी अधिक है। दूसरी बात परिषद एक निर्वाचित निकाय है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर पुन: विचार करें।

एक और प्रश्न है। इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है? आज तक मैं यह समझता हूं कि राज्य सरकार को एक आवश्यकता प्रमाण पत्र देना होता है। क्या यह आवश्यक है! क्या अब यह अनिवार्य है? इसमें एक खतरा और भी है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के संबंध में प्रत्येक राज्य अथवा क्षेत्र की अपनी विशिष्टता

है। केरल आयुर्वेद हेतु प्रसिद्ध है। तमिलनाडु सिद्ध हेतु प्रसिद्ध है। मैं समझता हूं कि गुजरात की आयुर्वेद प्रणाली में थोड़ी भिन्नता है। पंजाब और अन्य स्थानों पर भी इसमें थोड़ी भिन्नता है। अत: इसमें राज्य सरकार की भूमिका भी है। अत: राज्य सरकार की भूमिका को विधेयक में भी परिभाषित अथवा विस्तार से दिया जाना चाहिए था। अन्यथा क्या होगा? प्रत्येक राज्य में भारतीय चिकित्सा प्रणाली भिन्न है। केरल में यह प्रणाली बेहतर है। अत: विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम इत्यादि हैं।

महोदय, मैं जानता हूं कि आप मेरी तरफ देख रहे हैं लेकिन मैं जिन बातों का सुझाव दे रहा हूं वे महत्वपूर्ण हैं।

सभापति महोदय: मैं जानता हूं।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, राज्य सरकार की भूमिका को भी विधेयक में परिभाषित किया जाना चाहिए था। अंत में, मैं जो कहना चाहता हूं वह विधेयक से संबंधित नहीं है। यह पेटेंट मुद्दे जिसका उल्लेख मेरे मित्र ने भी किया है से संबंधित है। दो बातें हैं।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली के आयुर्वेद का पेटेंट किया जाना आवश्यक है और सरकार को इसे प्रोत्साहित करना चाहिए।

अब हम वर्ष 2002 में जी रहे हैं। भारतीय औषधियों के लिए कोई उपयुक्त अनुसंधान विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान अथवा विकास केन्द्र नहीं है। हमारे यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। हमारे पास चंडीगढ़ में सबसे बड़ा चिकित्सा महाविद्यालय है, हमारे पास पांडिचेरी में एक ऐलोपैथी चिकित्सा महाविद्यालय है। लेकिन देश भर में कोई विश्वविद्यालय अथवा डाक्टरी स्तर का अनुसंधान संस्थान नहीं है। तिरुवनंतपुरम् में एक छोटा सा संस्थान है। अत: माननीय मंत्री महोदय को भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा इसी प्रकार के आधार पर एक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।

मेरा पुन: निवेदन यह है कि इसमें और जटिल प्रक्रिया जोड़कर समय बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2002 का मैं समर्थन करता हूं। वास्तव में 1970 में जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम बना था, जिसमें कुछ कमियां रह गयी थीं। इस बिल के आधार पर आयुर्वेद संस्थाओं में एकरूपता लाने के लिए, आयर्वेद की संस्थाओं में स्टैंडर्ड स्तर और नियम करने के लिए तथा नयी संस्थाओं में नये पाठ्यक्रम आदि खोले के लिए, पहले वाले बिल में जो कमियां रह गयी थीं, उन कमियों को दूर करके इसको मजबूत बनाया जा रहा है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

मैं कहना चांहूगा कि आयुर्वेद के जन्मदाता महर्षि धन्वंतरी थे। हमारे यहां दीप मालिका का पर्व मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने यह पर्व मनाया है। इसमें सभी एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। इससे दो दिन पहले धनतेरस या धनत्रियोदशी होती है। उस दिन आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरी जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरी जी को ध्यान में रखकर, ऐसे महान औषधि शास्त्र के निर्माता और औषधि प्रणाली के जन्मदाता का जन्मदिवस सब आयुर्वेद साइंसशालाओं में, आयुर्वेदिक औषधालयों में या महाविद्यालयों में भली प्रकार से मनाया जाए ताकि देसी चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ सके।

सभापति जी, आप स्वयं भी एक चिकित्सक रहे हैं। आप बड़े कुशल और अनुभवी हैं। आपको स्मरण होगा कि आजकल विदेशों में यानी अमेरिका और रशिया में लोग ऐलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेद की ओर आ रहे हैं। "बैक टू नेचर, बैक टू आयुर्वेद, बैक टू रूरल एरिया।" वे शहरों से गांव की ओर तथा प्राकृतिक की ओर आ रहे हैं। ज्यों-ज्यों आदमी प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करेगा त्यों-त्यों चिकित्सा प्रणाली, चाहे वह आयुर्वेद हो, सिद्ध हो या यूनानी हो, उनकी महत्ता और भी बढ़ती चली जाएगी। भारतीय परिवेश में भारतीय जड़ी-बूटियों की ही औषधियां अधिक कारगर और सार्थक हो सकती हैं, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं लेकिन भारतीय चिकित्सा प्रणाली की औषधि निर्माण करने वाली जो फार्मेसियां हैं, उनको सही जड़ी-बूटी, औषधि मिले और जो औषधियां तैयार होती हैं, वे भी शुद्ध और प्रमाणिक बनें ताकि उनकी विश्वसनीयता, प्रमाणिकता और प्रभाव बना रहे। सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखे। अक्सर देखा गया है कि पुराने लोग अपने घरों में औषधियां बनाते हैं। रसायनशालाओं में आवश्क यंत्र, उपकरण और उपस्कर आदि उपलब्ध नहीं हो पाते, परिणामस्वरूप उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। आयुर्वेद में यदि सही निदान हो जाए तो तो उसका इलाज सही हो सकता है। वात्, पित्त और कफ - इन तीनों चीजों के आधार पर सारे आयुर्वेद का ढांचा खड़ा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि भारत सरकार लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है, सर्वे सन्तु निरामया, भारत के सब लोग स्वस्थ हों तो आयुर्वेद जैसा सरल, विशुद्ध, प्रमाणिक और भारतीय परिवेश में पनपने वाले आयुर्वेद की प्रणाली के प्रोत्साहन मिले।

[प्रो रासा सिंह रावत]

आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा के मानक तय हो जाएं, उनके अंदर सारे देश में एकरूपता रहे, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अधिक अनुदान प्रदान किया जाए। जैसा कई मित्रों ने कहा, देसी चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में अधिक आवंटन किया जाए। अभी तो ऐलोपैथी के मुकाबले इसमें ऊंट के मुंह में जीरा जितना प्रावधान है। 95 प्रतिशत स्वास्थ्य का बजट अंग्रेजी दवाईयों के लिए चला जाता है लेकिन देसी दवाईयों के लिए बहुत कम बजट आता है। परिणामस्वरूप वैद्य केवल नुस्खा लिखते हैं, बाकी दवाईयां बाजार से लेनी पड़ती हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में यह सुविधा गरीबों के लिए सहज उपलब्ध हो। अंग्रेजी के रैजीडैंट डाक्टर, ऐलोपैथी दवाईयों के बड़े-बड़े स्पैशलिस्ट्स, हैड आफ दी डिपार्टमैंट, आयुर्वेदाचार्य, प्रथम, द्वितीय श्रेणी हों, और उनकी कैटेगरी में वेतनमानों में विशेष अंतर नहीं होना चाहिए। अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए।

पेटैंटाईजेशन की बात कही गई है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता लेकिन सुसरत ग्रंथ, आयुर्वेद के ग्रंथ जो ऋषियों द्वारा बनाए गए हैं, उन पर विशेष अध्ययन करवा कर उनमें जिन औषधियों, जड़ी-बूटियों का वर्णन किया गया है उनका पेटैंटाईजेशन करवा दिया जाए। हिमालय के जंगलों के अंदर कई प्रकार की जड़ी-बूटियों के पेड़ पाए जाते हैं। उनकी जांच-पड़ताल करके उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास किए जाएं, जैसे कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं अकाल पड़ रहा है, इसमें अनेक पौधे तथा जड़ी-बूटियां खत्म न हो जाएं। इस बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अंत में, मैं सरकार को धन्यवाद देते हुए अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से इस बिल द्वारा देसी चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): सभापति महोदय, इस विधेयक पर कतिपय सुझाव देते हुए मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने हेतु खड़ा हुआ हूं। मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं कि उसने पहली बार चार चिकित्सा विशेषज्ञों को मिलाकर भारत के सभी गैर-सरकारी और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध न केवल बुनियादी संसाधनों बल्कि अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी निगरानी रखने हेतु एक निगरानी मंडल बनाया है। साथ ही साथ मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह माननीय सदस्यों द्वारा अभी उठाए गए सभी बिन्दुओं पर विचार करे।

ऐसा इस कारण से है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली जिसे अभी तक उपेक्षित किया जाता रहा था, को अब महत्व दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे सभा पटल में देश के प्रत्येक राज्य में उपलब्ध हर्बल पौधों, इनकी गुणवत्ता और ऐसे हर्बल पौधों से किस प्रकार की औषधियां तैयार की जा सकती हैं उसकी सूची रखें, ताकि जब भी नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता हो तो भारत सरकार, एमसीआई और इस सभा के माननीय सदस्यों को भी इसकी जानकारी हो सकेगी कि ऐसे महाविद्यालयों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है। यह देखा जाता है कि चिकित्सा महाविद्यालयों के स्थानों के संबंध में क्षेत्रीय असमानता है जो न केवल भारतीय चिकित्सा प्रणाली बल्कि एलोपैथी प्रणाली में भी व्याप्त है। इस प्रकार की सूचना से माननीय मंत्री जी को इसका विश्लेषण करने में सहायता मिलेगी कि ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थित किए जाने चाहिए और इनसे कितने रोगी विशेषकर गरीब और निचले स्तर और ग्रामीण क्षेत्र के रोगी लाभान्वित होंगे।

सभापति महोदय, एमसीआई ने केन्द्रीय ग्रंथालय, परीक्षा भवन, आचार्यों की योग्यता इत्यादि के संबंध में दिशा निदेश जारी किए हैं। क्या सरकार कोई निगरानी प्रणाली अथवा संसद सदस्यों की कोई ऐसी समिति बनाएगी जो इनके कार्यकरण पर निगरानी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ये सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं! मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पहलू पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, कोलीमलई और नमक्कल दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन स्थानों में प्राचीन और दुर्लभ प्रजाति की जड़ी-बूटियों के पौधे पाए जाते हैं। क्या भारत सरकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने पर विचार करेगी ताकि यह न केवल तमिलनाडु के लिए उपयोगी हो या बल्कि संपूर्ण दक्षिण भारत के लिए भी उपयोगी हो? इसका कारण है कि कोलीमलई के आसपास ही कलवारायन पहाड़िया और पच्चामलई पहाड़िया हैं जिन पर प्राकृतिक भारतीय औषधियों की भरमार है।

मैं माननीय मंत्री के विचार के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

न्यायालय के फैसले के अनुसार शुल्क का ढांचा निर्धारित किया गया है और सीटों का भी वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया गया है नामत: प्रदत्त सीट मुक्त सीट और प्रबंधन कोटा सीट। वर्तमान शुल्क संरचना के साथ निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज सही आधार संरचना सृजित करने तथा प्रोफेसरों की मांग को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हैं। क्या सरकार शुल्क ढांचे जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है, के संबंध में कोई समीक्षा याचिका दायर करेगी?

महोदय, 1982 के एनाटोमी अधिनियम का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और रोग विज्ञान के पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 1982 के एनाटोमी अधिनियम को कार्यान्वित करे ताकि भविष्य में बेहतर योग्य और अनुभवी डाक्टर बन सकें। तमिलनाडु सरकार ने एमसीआई से सभी मानदंडों को पूरा करते हुए सीटों को बढ़ाने के लिए आवेदन किया है क्या सरकार सीटों को बढ़ाने के संबंध में तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर विचार करेगी?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, इस बिल को देखने से पता चलता है कि सरकार के लिए यह बड़ा अद्भुत बिल है। ऐसा बिल कभी नहीं देखा गया, जैसा अभी हम देख रहे हैं। 1970 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद का एक अधिनियम पारित हुआ, तदनुसार 1971 में उसका गठन हुआ, 1984 में पुनर्गठन हुआ, उसके बाद 1995 में पुनर्गठन हुआ और अब सरकार का कहना है कि इन्होंने जो परिषद का गठन किया, उस परिषद के काम से ये संतुष्ट नहीं हैं। उस परिषद ने बहुत गड़बड़ की, ऐसा सरकार का कहना है। आपने कैसी परिषद बनाई कि उसने गड़बड़ की। परिषद किसने बनाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार का कहना है:

[अनुवाद]

> "यह पाया गया है कि केन्द्र सरकार का व्यवहार इसके कर्तव्यों और इसकी जिम्मेदारियों के विपरीत है तथा यह अधिनियम के अंतर्गत बनाये गए विनियमनों के अधीन यथा अपेक्षित शिक्षा के न्यूनतम मानकों को लागू करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने में सक्षम नहीं हुआ है।"

[हिन्दी]

महोदय, सरकार स्वीकार करती है या नहीं, सरकार का यही उद्देश्य है कि इसके द्वारा गठित परिषद नालायक था, उसने ठीक ढंग से काम नहीं किया, वह ज्यूडिशियल नहीं था, उसने अन्याय किया, उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, उसने जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। अब इस सरकार का कहना है कि चूंकि इसके द्वारा गठित परिषद नालायक था, उसने गड़बड़ी की। कहते हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में पांच वर्षों के अंदर ही 45 आयुर्वेद कालेज खुले गये हैं और उनकी मंजूरी दे दी थी। तो ये नाराज हो गए और कहते हैं कि नहीं, हम स्वयं देखेंगे। ऐसा क्यों हुआ? आयुर्वेद का महत्व आप जानते हैं। देसी चिकित्सा का क्या महत्व है और रासा सिंह रावत जी बोल रहे थे। उन्होंने असली बात छिपा ली, कहते थे कि धनवंत्री जी हुए और बाणभट्ट आदि हुए, यह सतनाम संहिता से हिन्दुस्तान का धर्म ग्रन्थ भरा पड़ा है और आयुर्वेद का भी भरा पड़ा है कि 'चरक वदन है, सर्वेकाम रोगानाम निदानम कुपितामल:।' यानि सभी रोगों की जड़ है कि शरीर से यदि मल का विसर्जन ठीक ढंग से नहीं होगा तो बीमारी पैदा होगी। दुनिया में कोई मेडिकल साइंस नहीं हुई जो हमारे ऋषियों ने लाखों वर्षों के अनुभव के बाद यह सिद्धांत बनाया। फिर भी जड़ी-बूटियों से दवा का निर्माण हुआ और विदेशों में अभी इन दवाओं की मान्यता ही नहीं हो रही है। लेकिन वे लोग इनकों प्रयोग में ला रहे हैं। उन लोगों को फार्मूला ही मसझ में नहीं आता है कि अहरा-हरड़-बडेरा से वात, पित्त और कफ तीनों तरह के दोषों का नाश होता है लेकिन उनको फायदा हो रहा है तो उसको प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं सरकार की अक्षमता का आरोप लगाता हूं कि कैसी परिषद बनायी हैं जिसने सुधार का काम नहीं किया और कहते है और कहते हैं कि उसने ठीक काम नहीं किया। आप कैसे ठीक करेंगे? सरकार के द्वारा बनाये गये परिषद ने ठीक काम नहीं किया तो आप कैसे ठीक करेंगे?

अनेक जाली इंस्टीट्यूशंस भी खुल रहे हैं। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी का शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान इस ढंग से हो कि इनका दुनिया में बोलबाला होने वाला है। जड़ी-बूटी का अपने देश में अपार भंडार है। उसका सही ढंग से उपयोग और अनुसंधान होना चाहिए। उसके लिए सरकार प्रयत्न करे। हम इस बात से सहमत हैं लेकिन आयुर्वेद कालेज खोलने में और सीट बढ़ाने और घटाने में बैचलर और मास्टर डिग्री बढ़ाने और घटाने में चिकित्सा परिषद इनके द्वारा निर्मित है, उसने घोटाला किया, ड्यूटी का निर्वाह नहीं किया, वह ज्यूडिशियस नहीं हुआ तो अब ये अपने आप करेंगे तो कैसे करेंगे? उनकी दी गई रिपोर्ट है। एक जगह गड़बड़ होती थी, अब दो जगह करना पड़ेगा। यह भेद अब इससे खुल रहा है। पहले सरकार ने चिकित्सा परिषद को क्यों नहीं दुरूस्त करने का काम किया? चिकित्सा परिषद आपने बनाई जिसने अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक नहीं किया। इनके द्वारा बनाये गए कानून से क्या भला हो जाएगा, क्या यह विश्वास करने की बात है? सब लोग कहते हैं कि हमारा समर्थन है, हमारा समर्थन है। सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है।

इसीलिए हम इस बात से सहमत हैं कि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी का शिक्षण दिया जाना चाहिए। चूंकि स्वास्थ्य जिंदगी के लिए अमूल्य चीज है और हमारे देश में गरीब आदमी हैं, कु-पोषण है। तरह-तरह की बीमारी यहां आ गई हैं और लोग बताते हैं कि आयुर्वेद दवा देशी चीजों से निर्मित हो तो उसका विकास होना चाहिए और इसमें तरक्की होनी चाहिए तथा इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए। राज नारायण जी ने कहा था, जन स्वास्थ्य रक्षक— आपने इसको खत्म कर दिया— उसको था कि 1000 की

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

आबादी पर एक आदमी झोला लेकर आयुर्वेद दवा और सभी तरह की दवाएं बक्से में लेकर घूमेगा। उसे इन्होंने खत्म कर दिया।

हमारी देसी-चिकित्सा पद्धति का कितना बड़ा क्षेत्र है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा अलग है और उसका भी बहुत महत्व है। योग में विभिन्न प्रकार के शीर्षासन हैं। आज भारत में कहा जाता है कि लगभग सात लाख लोग मधुमेह की बिमारी से पीड़ित हैं। अब आयुर्वेद में सिनाय का प्रयोग करने से मधुमेह की बीमारी खत्म हो जाती है। इसका वर्णन हमारे प्रचीन आयुर्वेद ग्रंथों में है। टहलने से भी इस रोग का निदान होता है और इसका वर्णन भी हमारे ग्रंथों में है। इसलिए सरकार खाली पावर लेगी या आयुर्वेदिक मैडीकल कालेजों में शिक्षण-प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए भी कुछ काम करेगी, यह हम सरकार से जानना चाहते हैं। जो आयुर्वेद को पढ़ने वाले लोग हैं सरकार ने उनके लिए क्या किया है, यह हम जानना चाहते हैं। चिकित्सा परिषद के पास पावर है लेकिन उसने बोगस काम किया है। उसके बारे में सरकार क्या करना चाहती है वह बताए? हम देख रहे हैं कि इस विषय पर सरकार की कितनी रुचि है? यह इस बात से साफ है कि पहले हाफ में तो 6 मंत्री थे लेकिन अब केवल छोटे मंत्री को छोड़कर सब चले गये हैं। हम चाहते हैं कि जैसा हमारे ग्रंथों में आयुर्वेद का वर्णन है उसको फैलाने और बढ़ाने की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। ''माधव निदान'' नामक पुस्तक चार सौ वर्ष पुरानी है और उसमें रोग का लक्षण देखकर उसके निदान के बारे में बताया गया है। मंत्री जी यह बिल लाए हैं, इसको सदन के लोग चाहे तो पास कर दें, लेकिन हमें तो इसमें भेद और गड़बड़ नजर आता है। सरकार को इसका भी खुलासा करना चाहिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002 लाए हैं। उसका मैं और मेरी पार्टी पुरजोर समर्थन करती है। इस बिल से हमारी स्थानीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ाने और फैलाने में मदद मिलेगी। यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धतियां हमारी बहुत पुरानी पद्धतियां हैं और पूणत: सफल पद्धतियां हैं। मैं इसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब रावण के बेटे इंद्रजीत ने लक्ष्मण को शक्ति मारी तब एक सुषेन वैद्य था जिसने सलाह दी कि द्रोणागिरी पर्वत से एक विशेष पौधा वल्लिका लाकर दिया जाए।...*(व्यवधान)* तो लक्ष्मण की मूर्छा ठीक हो जाएगी। हमारे हनुमान को वल्लिका नाम के पौधे का पता नहीं था इसलिए वह पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़कर ले आए।

सुषेन ने उस पौधे से रसायन निकाल दिया, जिसे लगाने के बाद लक्ष्मण को होश आ गया।

सभापति महोदय: कृपया उदाहरण में मत जाइए। सीधे विधेयक पर आइए।

श्री सुरेश रामराव जाधव: स्थानीय चिकित्सा पद्धति पूरी दुनिया में अत्यंत पावरफुल है। उसे बढ़ावा देने की जरूरत है।

अपराह्न 3.51 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे पास समय की कमी है। हमें इस मद पर चर्चा शीघ्र खत्म करनी चाहिए। इसलिए श्री सुरेश जाधव, कृपया अपनी बात अब समाप्त करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सभा में काफी शोर हो रहा है। कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: पुराने ऋषियों-मुनियों की जिन्दगी इसलिए ज्यादा होती थी कि वे स्थानीय चिकित्सा पद्धति को अपनाते थे। इसके पीछे कौन से कारण थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति एक अच्छी चिकित्सा पद्धति है और इसका पूरी दुनिया में काफी मान है। सौभाग्य से महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक कालेज हैं लेकिन उनकी स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। वहां काम करने वाले एम्पलाइज को 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। आयुर्वेदिक कालेजों ने जो चिकित्सा पद्धति एडाप्ट की है, उसमें सुधार करने की बहुत जरूरत है। इन आयुर्वेदिक कालेजों की बिल्डिंगों की मरम्मत करने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेडिसिन प्लांट्स को बढ़ावा देने की जरूरत है। तुलसी और हल्दी जैसे मेडिसिन प्लांट्स का पेटेंट करने की जरूरत है और इसके माध्यम से इसके महत्व को बढ़ावा देना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश जाधव, कृपया अपनी बात समाप्त करें। हमें 4 बजे नियम 193 के अधीन अंतर्गत चर्चा करनी है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: उपाध्यक्ष महोदय, अभी स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। इस विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर जो शत्रुघ्न सिंहा हैं, वे कभी लोक सभा में हाजिर नहीं

रहते हैं। स्थानीय चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने में यह बिल कामयाब होगा, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस महत्वपूर्ण विधेयक पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

महोदय, सबसे पहले मैं सभा को उस संदर्भ के बारे में समझाना चाहूंगा जिसमें यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया है। माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि हमारे पास पहले ही भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956, जिसे संशोधित किया जा चुका है जैसे विधान मौजूद हैं, और डेन्टल काउन्सिल एक्ट जिसके अन्तर्गत क्रमश: चिकित्सा के ऐलोपैथी प्रणाली और दंतचिकित्सा महाविद्यालयों का विनियमन किया जाता है।

इस पर विस्तार से चर्चा करने से पूर्व, मैं सरकार की मंशा पर जोर देना चाहता हूं। आयुर्वेद, सिद्ध और अन्य भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के अध्ययन में स्तरीयता और समानता लाने के लिए यह विधेयक पुर:स्थापित किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों ने इस संबंध में कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं कि इस विधेयक को अब क्यों पुर:स्थापित किया जा रहा है। श्री सुदर्शन नाच्चीयपन, जो एक वकील हैं, जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने विद्यार्थियों तथा इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल न किए गए व्यक्तियों के मामले में तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार और परिषद किस प्रकार संस्थाएं आरंभ कर सकते हैं के बारे में कुछ कानूनी प्रश्न पूछे थे।

इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले जिन मुद्दों के संबंध में चर्चा की जा रही है उनके बारे में सभा को स्पष्ट कर देना चाहिए।

प्राचीन काल में हमारी अपनी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां होती थी जिनका अपना महत्व होता था। उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। औषधि की उन पारंपरिक पद्धतियों को पुनरुजीवित करते हुए हम धीरे-धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं कि हम भारतीय चिकित्सा पद्धति को एलोपैथिक प्रणाली के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय पादप बोर्ड की स्थापना की है। इसी प्रकार द इंडियन ड्रग्स एण्ड मेडिसिन एक्ट भी भारतीय औषधि प्रणाली के अंतर्गत बनाई जा रही दवाइयों पर भी समान रूप से लागू है। इस प्रकार किसी न किसी रूप में हम यह धारणा बना रहे हैं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को एलोपैथिक पद्धति के बराबर माना जाए। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में हमारा स्थान कहां है।

हमने आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान के संबंध में रूस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने भारत में उपलब्ध कुछ औषधियों का मलेशिया में प्रयोग के लिए मलेशिया के साथ करार किया है। हमने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय औषधियों का उत्पादन शुरू कर दिया है। उन्होंने भी हमारे साथ द्विपक्षीय करार किया है। मैं सभा को यह कहना चाहता हूं कि विश्व परिदृश्य में इस प्रकार परिवर्तन आया है मानों भारत के जैसी एलोपैथिक पद्धति पूरे विश्व में भी विद्यमान है। इसलिए, सार्वभौमिक मानवीकरण होना चाहिए और शिक्षण तथा शिक्षा प्रणाली को एलोपैथिक प्रणाली के बराबर माना जाए।

माननीय सदस्य, श्री जोस और अन्य सदस्यों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। सदस्यों ने पूछा है कि आवेदन पत्र केन्द्र सरकार को क्यों ले रही है और वे उन्हें परिषद को क्यों भेज रहे हैं। यह कहना व्यर्थ है कि यद्यपि यह एक सांविधिक संस्था है फिर भी परिषद के पास संप्रभुत्व शक्ति नहीं है। अधिनियम में यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को अनुमति देगी। चूंकि केन्द्र सरकार के पास कालेजों की स्थापना के लिए अपेक्षित सुविधाओं के संबंध में राज्य सरकारों या संबंधित न्यासों के साथ विचार विमर्श करने के लिए कोई मशीनरी या जनशक्ति नहीं है, इसे आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और परिषद के नाम में गठित एक सांविधिक संस्था को काम सौंप रहा है। इन अनुदेशों के साथ किन दिशानिर्देशों को अपनाया जाना चाहिए या किस प्रकार की अवसंरचना स्थापित की जानी चाहिए, हम यह काम सांविधिक संस्था को सौंप रहे हैं जिसकी सीमित शक्ति है। कोई यह नहीं कह सकता कि यह संस्था केन्द्र सरकार के बराबर है। शक्तियों के प्रत्यायोजन द्वारा केन्द्र सरकार किसी सांविधिक संस्था को कुछ शक्तियां सौंप रहा है जो राज्यों में कालेजों की स्थापना करने के लिए सक्षम हो जाती है। हम यह सब बहुत सावधानी से कर रहे हैं।

मान लें कि केन्द्र सरकार कोई गलती करती है या सभी आवेदन प्राप्त करने के बाद परिषद अनुमति देने में समर्थ नहीं होती तो आवेदकों की समस्या के लिए निदान क्या होगा? अत्यधिक सावधानी के साथ हमने 13(क) लागू किया है जिसमें कहा है कि मान लें केन्द्र सरकार या परिषद छह वर्षों या एक वर्ष के लिए या किसी निर्धारित समय में कानून के अनुसार कार्य नहीं करती तो उन संस्थाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता दी गई माना जाएगा। इन संस्थानों के पास यह सुरक्षा उपलब्ध है। दूसरी तरफ एलोपैथिक पद्धति और एम बी बी एस के पाठ्यक्रम समान हैं।

[श्री ए. राजा]

कई सदस्यों ने सीटों की संख्या बढ़ाने के बारे में कहा था। इनमें समानता होनी चाहिए। गुजरात या तमिलनाडु से आयुर्वेद या सिद्ध की डिग्री लेने वाले व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दोनों में कोई अंतर या भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां समान पाठ्यक्रम तथा पढ़ाई की समान अवधि होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को एक राज्य में एक वर्ष में डिग्री और दूसरे राज्य में छह महीने में डिग्री नहीं दी जा सकती।

इस विसंगति को दूर करने के लिए हम यह विधान ला रहे हैं। मैं सभी सदस्यों से इस विधेयक का सर्वसम्मति से समर्थन के लिए अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 में विधेयक जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ए. राजा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

'कि विधेयक पारित किया जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.02 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

उत्तर प्रदेश में हाल का राजनीतिक घटनाक्रम

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा में मद संख्या 17 पर विचार किया जाएगा। श्री मुलायम सिंह यादव।

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की स्थिति गंभीर है। गठबंधन की सरकार सत्ता में बने रहने के लिए हर स्तर पर उतरने को तैयार है। लोकतंत्र, राजनीतिक शिष्टाचार, संविधान सबको ताक पर रखकर उ.प्र. में अल्पमत की सरकार लूट-खसोट, दमन, अत्याचार में लिप्त है। आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों के स्तानांतरणों की नीलामी करके स्थानांतरण किये गये हैं और किये जा कहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का औसत कार्यकाल क्रमश: 15 व 20 दिन रहा। दो-दो दर्जन, तीन-तीन दर्जन अधिकारियों के स्थानांतरण कभी तीन दिन, कभी दो दिन और कभी-कभी दो घंटे के अंदर चार-चार जगहों पर किए गये हैं। हम सोचते थे कि राज्यपाल जी संविधान के संरक्षक हैं। लेकिन राज्यपाल जी इस सरकार के कुकृत्यों का आंख मूंदकर देखते रहे और देख रहे हैं और पूरी तरह से सरकार के पहरेदार बन गये हैं। सरकारियां आयोग की रिपोर्ट थी कि सक्रिय राजनीति में काम करने वाले किसी व्यक्ति की राज्यपाल के पद पर नियुक्ति न की जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र से राज्यं सभा में चुने गये थे और उनका निवास स्थान सरकारी कागजातों में दर्ज है- भारतीय जनता पार्टी के विधान मंडल दल के नेता का निवास स्थान। अब आप विचार करते हैं, पूरा सदन विचार करता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधान मंडल दल के नेता के घर में जो निवास करते हैं, उनसे विपक्ष में या सरकार विरोधी कोई काम करने वालों तथा उ.प्र. की जनता को कभी इंसाफ या न्याय नहीं मिल सकता। यह आज उत्तर प्रदेश की दुर्दशा है। वह पूरी तरह से संविधान संरक्षक की बजाय सरकार के पहरेदार बने हुए हैं और सरकार के स्तर से चल रहे हैं।

यह काम उन्हें शुरू से ही कर दिया है। जब उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश दिया और सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी उभर कर आई और समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आंमंत्रित करना चाहिए था और यही संवैधानिक परम्परा है। वर्तमान प्रधान मंत्री जी का बहुमत न होते हुए भी बड़े दल के रूप में तत्कालीन राष्ट्रपति जी माननीय

स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा जी ने उनको सरकार बनाने का अवसर दिया। वह अलग बात है कि 13 दिन बाद सरकार गिरी क्योंकि सदन में बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया लेकिन उन्होंने संविधान का पालन किया। हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद जो चुनी हुई विधान सभा थी उसको काम नहीं करने दिया और दो महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की संस्तुति कर उत्तर प्रदेश की जनता को ठुकराकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसी बीच में स्वयं राज्यपाल जी ने सरकार बनाने के लिए विधायकों से संपर्क किया और समाजवादी पार्टी से कहा गया कि बहुमत सिद्ध करो। ऐसे कई विचार आपके सामने आ चुके हैं। उच्चतम न्यायालय से और कई कमीशनों के कई संविधान विशेषज्ञों के कि बहुमत-अल्पमत राजभवन में नहीं हो सकता, वह विधान सभा में हो सकता है। यह समाजवादी पार्टी कहती रही है, लेकिन उ.प्र. के राज्यपाल जी ने केन्द्र सरकार के इशारे पर पार्टी को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया और सिद्धांतहीन अवसरवादी गठबंधन ने दूसरों पर आरोप लगाए थे, उसी ने खरीद-फरोख्त करके, लालच देकर सरकार बनाई। सरकार बनते ही लूट-खसोट का काम हो गया, जबकि प्रदेश में आज अकाल की स्थिति है, सूखा है और ऐसी स्थिति में भी अरबों रुपया बरबाद किया गया। भारतीय जनता पार्टी के ही जो विधायक हैं जिन्होंने जनसंघ के समय से पार्टी में माननीय गृह मंत्री और प्रधान मंत्री जी के साथ काम किया है, वह हैं— श्री गंगा भक्त सिंह। वह वर्तमान सरकार के कामों से असंतुष्ट हुए। रामाशीष राय जैसे नेता नौजवान जिन्होंने संघ परिवार की सेवा लेकर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और वह स्वयं बड़े पदों पर रहे, ज्यादा हमें नहीं कहना है, सब जानते हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष रह चुके हैं। मुझे खबर है कि ऐसे लोगों ने राज्यपाल जी से शिकायतें कीं कि सरकार को चलाने का यह तरीका ठीक नहीं है। इस तरह से हमारी पार्टी का जन समर्थन घट रहा है, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है। इन सवालों को लेकर उन्होंने असंतोष जाहिर किया परंतु उनके असंतोष को ठुकरा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि इस सरकार को हम नहीं चाहते हैं। इसी तरह से निर्दलीय सात विधायकों ने राज्यपाल जी को लिखकर दे दिया कि हमने इस सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, राज्यपाल जी से कहा कि अल्पमत में सरकार है, तो राज्यपाल जी ने खुद प्रवक्ता के रूप में कहा कि अभी 210 विधायकों का समर्थन प्राप्त है अभी बहुमत में सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या प्रवक्ता का बयान होता तो बात अलग थी लेकिन राज्यपाल जी ने राजभवन से बयान दिया। और फिर 12 विधायकों ने जो राज्यपाल जी कहते हैं कि समर्थन वापस नहीं लिया है, मैं आपके सामने पढ़कर सुना दूं जो उन्होंने ज्ञापन में राज्यपाल जी को लिखा है।

माननीय सदन को सोचना चाहिए कि यह समर्थन वापसी नहीं तो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं की भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक हैं जिन्होंने राज्यपाल को लिखकर दिया है कि-

> "विदित हो कि हम विधायकगण, जो वर्तमान सरकार को पूर्व में विश्वास व्यक्त करते हुए समर्थन दिया था, अब इस सरकार ने अलोकतांत्रिक, अमर्यादित और असंवैधानिक कार्य-प्रणाली तथा गैर-जिम्मेदाराना एवं गैर-जवाब देह कार्य शैली से काम करना शुरू कर दिया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि लोकतांत्रिक परंपराओं एवं सांवैधानिक व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं उठाए गए बिन्दुओं पर सरकार स्पष्टीकरण और पुनः विश्वास मत प्राप्त करने हेतु विधान सभा की बैठक यथाशीघ्र बुलाई जाए।"

महोदय, यह 12 विधायकों ने लिखकर दिया है। अब उन्होंने स्वयं कहा है कि अल्पमत में सरकार है। जो उन्होंने कहा उसको इलेक्ट्रानिक मीडिया पर पूरे हिन्दुस्तान ने सुना, बी.बी.सी. पर कहा गया कि उ.प्र. में अल्पमत में सरकार है। सरकार को असैम्बली बुलाकर अपना बहुमत साबित करना चाहिए, लेकिन असैम्बली बुलाने की बजाय उत्पीड़न शुरू कर दिया और उत्पीड़न भी महोदय, ऐसा हमने कभी किसी लेकतांत्रिक सरकार में नहीं देखा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां इतने नेता और माननीय सांसद बैठे हैं, उन्होंने सुना भी नहीं होगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी नहीं सुना होगा। श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उ.प्र. विधान सभा के निर्दलीय विधायक हैं उन्हें राजा भैया के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने में पांच साल योगदान दिया, वे कैबीनेट मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर मनगढ़ंत, झूठे आरोप लगाकर, उन्हें जेल भेज दिया। पहले फतेहगढ़ और फिर बाद में फतेहगढ़ से बांदा जेल भेज दिया गया। बांदा जेल में डालकर उनसे मुलाकात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार से उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। जिस प्रकार से कोई देशद्रोही, जैसे उग्रवादी कश्मीर से पकड़ कर यहां लाया गया हो। वैसा ही व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। वैसा ही व्यवहार उनके साथी धनंजय सिंह, विधायक के साथ, श्री अक्षय प्रताप सिंह और रामनाथ सरोज, जो भू.पू. सैनिक हैं, जिन्होंने सीमा पर देश की सेवा की, जो वहां विधायक हैं। उन दोनों पर गैंगस्टर का फर्जी मुकदमा लगा कर उनको जेल भेज दिया।

राजा भैया के पिता राजमहल में रहते हैं। राजा हैं। पुलिस ने छापा मारा। जब छापा मारने पर भी वे नहीं मिले। जब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका, और उन्होंने उच्च न्यायालय में जाकर गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया। मैं एक परिवार के बारे में बता रहा हूं।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

उनके सैकड़ों एकड़ में मछलियों से भरे तालाब हैं। उनका पूरा पानी बहा दिया। पूरा पानी प्रदूषित कर दिया। इससे सिंचाई का संकट पैदा हो गया और पूरा का पूरा पानी गन्दा हो गया। यह हालत आज उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। उ.प्र. सरकार की ऐसी अलोकतांत्रिक कार्रवाई का उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आंख मूंदकर समर्थन कर रहे हैं। राज्यपाल कहते हैं कि सरकार बहुमत में है।

महोदय, मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कह रहा हूं, प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हमारी पार्टी पर संकट है, हमारी पार्टी की यही स्थिति रही, जो एक खास पार्टी की तरह काम कर रही है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। वैसी ही दुर्दशा होगी। मैं उनकी सराहना करता हूं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और इस बारे में कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी सुख, सुविधा और सत्ता की तरफ भाग रही है। यह बात सीधे न कहकर बिल्कुल स्पष्ट कह दी। उन्होंने कह दिया है कि सरकार अल्पमत में चली गई है और हमारी पार्टी में विद्रोह है। हम बार-बार कहते रहे। यहां मैं सदन के अंदर स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने सरकार को गिराने का कोई प्रयास नहीं किया। यही सही है कि यहां पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं जो विपक्ष में बैठे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हैं उन्होंने स्वयं मुझसे कहा है कि हमारी पार्टी खत्म हो रही है, मुलायम सिंह जी निष्क्रिय क्यों हो, उदास क्यों हो, कुछ करते क्यों नहीं मिलकर सरकार चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

लेकिन जब पार्टी के अंदर अन्तविरोधों के कारण, उस सरकार के गलत कारनामों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, दमन के कारण, अत्याचारों के कारण, स्वयं विद्रोह हुआ, उसके बाद उन पर जुल्म हुए। जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है, चाहे वह बी.जे.पी. के विधायकों पर ही जुल्म क्यों न हो या और किसी पर भी जुल्म हो, समाजवादी पार्टी हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई है और इस जुल्म के खिलाफ भी हम खड़े हैं, हमारी पार्टी खड़ी है।

बी.एस.पी. के विधायक श्री जयप्रकाश यादव ने जब सरकार मे समर्थन विदड्रा किया तो उनको अपराधी घोषित कर दिया गया और यह कहा कि जो भी इनको गिरप्तार करेगा या गिरप्तार कराने में मदद करेगा, उसको दस हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। आठ दिन तक लगातार गोरखपुर जनपद में चार जीपों से मुनादी की गई कि जो श्री जयप्रकाश यादव को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तार कराने में सहयोग करेगा, उसे दस हजार रुपया इनाम में दिया जाएगा। क्या कभी ऐसा सुना है कि जनप्रतिनिधियों के साथ दरोगा या सिपाही ऐसा व्यवहार करेंगे? क्या राज्यपाल जी को यह जानकारी भी नहीं है इसके खिलाफ 11 नवम्बर को समाजवादी पार्टी द्वारा विरोध दिवस मनाया जा रहा था तथा 11 तारीख को ही राज्य सभा के होने वाले चुनाव के लिए स्क्रूटिनी होनी थी, समाजवादी पार्टी के नेता, राज्य सभा के सदस्य, समाजवादी पार्टी के महासचिव, प्रवक्ता श्री अमर सिंह जैसे ही जहाज से उतरकर हवाई अड्डे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने लगे, तभी उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें घूसा मारकर बाहर निकाला गया। इसके साथ-साथ उनकी गाड़ी की चाबी भी छीन ली गई। दूसरे उम्मीदवार श्री अबू आजमी, जो कि उनके पीछे थे, उनको पकड़कर गिरफ्तार करके पता नहीं कहा ले जाया गया। बाद में उन्हें सात बजे छोड़ा गया। इन दोनों को अपनी स्क्रूटिनी में भी शामिल नहीं होने दिया गया। श्री भगवती सिंह, जिनको दिल की बीमारी है, उनका आपरेशन भी हुआ है। वे तीन बार मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं तथा विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको भी घसीट-घसीट कर मारा गया। श्री शीशपाल सिंह विधायक भी हैं, वे समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश शाखा के महामंत्री भी हैं, उनको खुले-आम चौराहे पर घसीट कर पुलिस ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। एक तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अघोशित इमर्जेंसी है। यह हालत वहां पैदा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी केवल यही मांग है कि विधान सभी बुलाई जाये। अब भी तीन-चार दिन पहले राज्यपाल ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी बहुमत सिद्ध करे। तो मुझे कहना पड़ा कि क्या हम उनके बैडरूम में बहुमत सिद्ध करें। अब यह तर्क देंगे कि सरकार से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने विदड्रा नहीं किया है यहा गृह मंत्री जी या प्रधान मंत्री जी जवाब दे सकते हैं। प्रधान मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि जब वे जवाब दें तो उत्तर प्रदेश सरकार और राज्यपाल के कारनामे देखकर दें। सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोम्मई केस में स्पष्ट कहा है, मैं वे सारी बातें नहीं कहना चाहता क्योंकि जब भ्रम पैदा हो जाये तो फिर अल्पमत या बहुमत का सवाल नहीं है। तत्काल विधान सभा बुलाकर उसमें बहुमत सिद्ध करना चाहिए इजससे भ्रम खत्म हो। यह बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। अब यह कहना कि बहुमत नहीं है, आज भी बहुमत है, इतनी संख्या है, हमारे विधायकों ने विरोध प्रकट किया है, समर्थन वापिस नहीं लिया है लेकिन भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब भ्रम की स्थिति पैदा हो तो उच्चतम न्यायालय का बाकायदा बोम्मई केस में स्पष्ट निर्णय है कि ऐसी परिस्थिति में बहुमत सिद्ध करने हेतु विधान सभा का सत्र तुरन्त बुलना चाहिए उसी प्रकार इस वक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्र बुलाकर इस भ्रम को दूर करना चाहिए, यह हमारी मांग है लेकिन इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अपराधीकरण की बात है हम कहते हैं कि कानून से अपराधीकरण नहीं रुकेगा। यदि ऐसा कोई कानून बनेगा, तो उसका दुरुपयोग निश्चित रूप से से होगा। अगर

यह कानून बनेगा तो जितने अपराधी हैं, वे सब चुनाव लड़ेंगे और हम लोगों में से बहुत से चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। यह मेरा आरोप है लेकिन प्रधान मंत्री जी जब जवाब दें तो इस को स्पष्ट करें। मैं सरकार को चुनौती नहीं दे रहा क्योंकि हम चुनौती कभी नहीं देते। पूर्वांचल के पुलिस रिकार्ड में सबसे बड़ा माफिया उ.प्र. की वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री है। अगर वह नहीं है और आप यह अपना जवाब देते समय सिद्ध कर दें तो हम आपकी सराहना करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। इसके अतिरिक्त आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एक मंत्री को हटाया था, उसके घर से व्यापारी का अपहृत पुत्र मिला था।

उस मंत्री को श्री राजनाथ सिंह ने तत्काल बरखास्त किया, मुकदमा दर्ज किया और जेल भेज दिया।...*(व्यवधान)* अपहरण करेंगे खुद और कहेंगे कि विधायकों का अपहरण हुआ। ललितपुर में क्या-क्या हो रहा है, पता लगा लीजिए। ऐसे लोग आज मंत्री हैं। इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे, विधायक थे, जो अच्छे लोग थे, जो जीवन में कुछ लक्ष्य रख कर चले थे, उन्होंने विरोध किया। जब उन्होंने विरोध किया तो सरकार अल्पमत में आ गई। फिर आप उन्हें जेल भेज रहे हैं। आज यह हालत है। अब यहां तक स्थिति है कि 26 नवम्बर, मुख्य मंत्री मायावती ने कहा कि राजा भैया माफी मांगे, प्रायश्चित करें और बसपा की लाइन पर चलने का वादा करें तो उनको अपनाने के मामले में सोचा जा सकता है। यह क्या है?...*(व्यवधान)* राजा भैया एक बड़े राज परिवार से संबंध रखते है। उनके पिता जो 72 वर्ष की उम्र के हैं, उनका क्या दोष था। उनके घर में छापा क्यों मारा गया। पुलिस ने उनको कैसे खदेड़ा? वे पीछे के दरवाजे से निकले। उनकी गिरफ्तारी हेतु भी दस हजार रुपये का इनाम है जो गिरफ्तारी करवा दे या पकड़ कर दिखा दे। आज यह हालत है। यही नहीं क्या प्रधान मंत्री जी व उप प्रधान मंत्री जी को पता नहीं है। उपप्रधान मंत्री जी आप गृहमंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का मुख्य अभियुक्त जो अब विधायक है, आज उसे एक दर्जन से अधिक सुरक्षा कर्मी प्राप्त है तथा आज उसे स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया हैं। भारतीय जनता पार्टी किस निम्न स्तर पर पहुंची है। अपने नेता के हत्यारे को किस तरह से बाकायदा सम्मानित किया गया है। आज यह हालत है तो आप खुद सोचें। इसलिए हम सदन से कहना चाहते हैं, यह केवल समाजवादी पार्टी के लिए ही यह स्थिति नहीं बल्कि यह स्थिति सबके साथ आ सकती है, आज जिस तरह पुलिस बल जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्यपाल जी कहते हैं कि बहुमत सिद्ध करो। बहुमत तो सिद्ध हो गया। भले ही विधान परिषद का चुनाव था। विधान परिषद के चुनाव में जितने छापे मारे जा सकते हैं। श्री नंद किशोर रूंगटा की हत्या के मुल्जिम पर जितने मुकदमें थे, वोट की खातिर, समर्थन की खातिर बहुमत बनाने की खातिर सभी केस वापिस ले लिए जा रहे हैं। बीजेपी अपराधीकरण के खिलाफ बोलती हैं, लेकिन हमने तो फैसला किया है कि अपराधी छवि के किसी आदमी को टिकट नहीं देंगे और न हमने दिया? मुझे फख्र है कि एक भी टिकट अपराधी छवि वाले व्यक्ति को नही दिया। और आपके सामने ही देखिये, आपकी पार्टी की दुर्दशा होगी ही। हम भी चुप रहें, तब भी नहीं रूकेगी। हिन्दुस्तान की आम जनता इतनी चतुर व जागरूक है कि इमरजेंसी में हम परिणाम देख चुके हैं। अमेरीका की एक मैगनीज ने लिखा था कि भारत की जनता गरीब हैं, निरक्षर हैं, लेकिन भारत के निरक्षर, अशिक्षित और गरीब लोग प्रजातंत्र का निर्णय लेना जानते हैं। तब भी सही वक्त पर निर्णय लिया था, अब भी सही वक्त पर निर्णय लिया जायेगा, जनता लेगी, चाहे जितने गठबंधन आप बना लें। चाहे जितने ऐरे-गैरे अपराधियों को इकट्ठा करके आतंकित करके आप सरकार चलायें। सरकार चलाना अलग बात है, वह सहज होता है, हम जानते है कि सरकार के कितने लम्बे हाथ होते हैं। आज जिस तरह से सच्ची बात कहने वाले विधायकों का दमन सरकार में हो रहा है। संवैधानिक अधिकार छीने गये हैं और मनगढ़ंत फर्जी मुकदमे उन पर लगाये जा रहे हैं, यह हालत उ.प्र. में है। यह सब आंख मूंदकर राज्यपाल जी देख ही नहीं रहे, बल्कि उनका समर्थन भी कर रहे हैं। नेता विपक्ष मौ. आजम खां जो उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल के हैं, उन्हें कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है। उन्हें तकिया और चादरा वैसे ही मिल जायेगा। उन्हें पता नहीं चला, उन्हें तब पता चला, जब तीसरे दिन टी.वी. पर आ गया, तब पता चला कि मेरे खिलाफ मुकदमा है। मौ. आजम खां, नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये राज्य सभा के मैम्बर थे, अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उन्हें तकिया और चादरा नहीं दिया, इसलिए इन्होंने झगड़ा कर दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे गंभीरता से लीजिए। इस तरह मत हंसिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें। हम तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जिन विधायकों ने सरकार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की है, उन्होंने देश की सेवा की हैं। उ.प्र. सरकार द्वारा खुल्लम-खुल्ला इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अरबों रुपये का दुरूपयोग हो रहा है। आप भी हमें धिक्कारने चल गये और उप प्रधान मंत्री जी भी हमें धिक्कारने लखनऊ चले गये, जबकि उन दिनों हम तो विदेश (पोलैंड) में थे। यह सच है कि नाम पढ़कर हमने सोचा था कि आप लोग

[श्री मुलायम सिंह यादव]

हमें धिक्कारने नही जाएंगे, क्योंकि हम जानते थे कि डा. भीमराव अम्बेडकर का हमने कितना सम्मान किया है, आज उत्तर प्रदेश में डा. अम्बेडकर गांव हैं हमने ही चिन्हित किए थे। तब बी.एस.पी. का नामोनिशान नहीं था, 1990 में इसे हमने ही चलाया था हमारी सरकार ने ही सारा बजट का प्रावधान किया था। हमने ही उत्तर प्रदेश विधान सभा के सामने इतना बड़ा बंगला देकर उनकी मूर्ति लगवाई और उनके विचारों को फैलाने के लिए पुस्तकालय खोला तथा आर्थिक सहायता दी थी, हमने पं. नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यालय में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कराया था। हमने ही जाकर, धूप में खड़े होकर काम करने का काम किया था। उसमें आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए और पिछड़ों के लिए जो संशोधन करना था, उसमें हमने संशोधन करने का प्रयास किया था।

हमारी आपत्ति इतनी ही है, मैंने कहा कि ये जो अरबों रुपये पार्क के नाम पर खर्च हो रहे हैं उसके स्थान पर अम्बेडकर साहब के नाम से कोष खोला जाये और बजट में 20-25 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष प्रावधान कर दिया जाये ताकि जो गरीब बच्चे हैं, उससे उनकी पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम किया जाये। गरीब मेधावी विद्यार्थी जो विदेश नहीं जा सकते तो उन्हें आर्थिक सहायता देकर विदेश भेजा जाये। हमने यह भी कहा है कि शानोशौकत और फिजूलखर्ची के लिए तमाम ऐसे 34 गैस्ट हाउस बन रहे हैं, जहा गरीब और दलित नहीं रह सकते इसे रोका जाना चाहिए। एक लाख करोड़ रुपये का कर्जा उत्तर प्रदेश के खजाने पर है। एक लाख करोड़ रुपया। सड़के टूटी पड़ी हैं। हमने टूटी सड़कों के मरम्मत के बारे में कहा तो पी.डब्ल्यू.डी मंत्री कहते हैं कि मेरे पास मरम्मत के लिए पैसा नहीं है। यह हालत है। अब पैसा केवल पार्कों के लिए ही है। परिवर्तन चौक पहले बना, फिर तोड़ा और फिर रुपया खर्च हो रहा है। उसके बाद धिक्कार रैली हुई। धिक्कार रैली समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं है बल्कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धिक्कार रैली आयोजित की है। धिक्कार रैली में भाग लेने कौन गये? उप प्रधान मंत्री गये। माननीय उप प्रधान मंत्री जी आपके वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। उन्होंने अम्बेडकर साहब के खिलाफ एक किताब लिखी है। हमने पढ़ी है। जब उसका विमोचन हुआ था तब बीजेपी के वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हुए थे। शायद आप शामिल नहीं हुए थे। उसमें लिखा है। डा. भीमराव अम्बेडकर अंग्रेजों के दलाल थे। गांधी जी को गाली देने के लिए, उच्च जाति को गाली देने के लिए अंग्रेजों से प्रतिमाह लाखों रुपये लेते थे। वह आजादी के खिलाफ थे, वह गांधी जी के खिलाफ थे और उस किताब का नाम है-''झूठे भगवान की पूजा'' और धिक्कार हमें करने गये। धिक्कार किसको करना चाहिए था? धिक्कार मुख्य मंत्री को करना चाहिए था। अब जिन्होंने लिखा है, वर्तमान में मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। आपके साथी हैं, आपके प्रिय हैं और आपने सोचा ही नहीं कि मुलायम सिंह को धिक्कार करने चले गये। आपसे उम्मीद नहीं थी, कोई और जा सकता था। मा. विनय कटियार जा सकते थे। कोई बात नहीं है, वह उ.प्र. भाजपा के अध्यक्ष थे। कभी-कभी हम छोटा भाई भी उनको कह देते हैं। लेकिन डिप्टी पी. एम. साहब गए। जी आज पी. एम. हैं। आज पूरी नौकरशाही जिनके हाथों में है, बीजेपी का संगठन उनके हाथों में है। सब कुछ आप ही हैं और आप ही हमें गाली देने के लिए चले गए। गाली दी गई इसके टेप उपलब्ध हैं। कभी मिलेंगे तो पी.एम. जी कहेंगे कि गाली आप भी मेरे बारे में ऐसी सुनते रहे। विदेश में भी चला गया। वह बताया नहीं जा सकता है। वह अलग चीज है लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उ.प्र. की यह असंवैधानिक सरकार है और उ.प्र. के राज्यपाल जी का आचरण संविधान विरोधी है। आज राज्यपाल जी प्रवक्ता बने हुए हैं, सरकार के पहरेदार बने हुए हैं, सरकार बचाने में लगे हैं। इसलिए केवल मांग की गई है कि विधान सभा बुलाई जाए। विधान परिषद चुनाव में भाजपा-बसपा समर्थित प्रत्याशी को वोट मिले। राजनाथ सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया तो सिर्फ 193 बचे। 183 वोट उ.प्र. गठबंधन की सरकार के खिलाफ मिले। 23 वोट कांग्रेस पार्टी ने नही डाले। उन्होंने बहिष्कार किया। एक विधायक अपना दल के एक विधायक अतीत अहमद जेल होने की वजह से वोट नहीं डाल पाए। 24 वोट यदि शामिल किए जाएं तो कुल 207 सीट हुए हम पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर इसे बहुमत कहेंगे? आप अगर यह कहें कि 12 विधायकों ने समर्थन विदड्रा नहीं किया तो हम कहना चाहते हैं कि बोम्मई केस में सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को याद कीजिए जिसमें स्पष्ट है कि जब सरकार के बारे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सरकार को तुरंत विधान सभा में जाकर भ्रम खत्म कर लेना चाहिए और अपना बहुमत विधान सभा में सिद्ध करना चाहिए और इसलिए हमने आपके सामने पूर्ण तथ्य रखा है कि वहां संविधान विरोधी काम हो रहा है। इस संविधान विरोधी काम से लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा खतरा है। जनप्रतिनिधियों की आगे क्या स्थिति होगी इस पर भी आपको गंभीरता से विचार करना होगा और आज जिस तरह से सरकारी खजाने की लूट हो रही है, सरकार ने आंख मूंदी हुई है जबकि राज्यपाल जी का काम सरकार को निर्देश देना और गलत कामों को करने से रोकने के लिए प्रयास करना होता है।

उन्हें मुख्य मंत्री को बुलाना चाहिए था। हम भी मुख्य मंत्री रह चुके हैं। राज्यपाल को कभी भ्रम होता था तो हमे बुला लेते थे और उनको संतुष्ट करके उनके भ्रम को दूर कर देते थे या उनकी जो सही राय होती थी उसको हम मानते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में धन की जो लूट हो रही है और उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है। हमें लगता है कि आज बिहार से भी पीछे आप उत्तर

प्रदेश को कर देंगे। माननीय उप-प्रधान मंत्री जी, अगर उत्तर प्रदेश बिहार से दो-तीन साल बाद पीछे हो जाएगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि आपकी सहमति के बिना उत्तर प्रदेश की आपकी भारतीय जनता पार्टी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। वहां पर आप ही सब कुछ हैं। कुछ बातों को लेकर हम आपका आदर करते हैं इसलिए कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं। इसलिए उप-प्रधान मंत्री जी, हमारा आपसे आग्रह है कि दलीय भावना से ऊपर उठकर संसदीय दल की एक कमेटी बनाई जाए और राज्यपाल को तत्काल वहां से हटाया जाए। हमारा आपसे यही आग्रह है कि वहां विधान सभा आमंत्रित की जाए और जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रम की स्थिति है उसको दूर किया जाए। अगर सरकार का बहुमत सिद्ध होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप तत्काल विधान सभा बुलाइये। माननीय उप-प्रधान मंत्री जी, आप गृह मंत्री जी भी हैं, और अगर आप राज्यपाल के पद की गरिमा चाहते हैं तो ऐसे राज्य पाल को तत्काल आप बर्खास्त कीजिए, उनको वापस बुलाइये। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनैतिक स्थिति पर इस चर्चा में मुझे भी अवसर दिया। मैंने उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान घटनाक्रम है, उस पर माननीय मुलायम सिंह जी को, जो इस सदन के सम्माननीय नेता है और उत्तर प्रदेश में दो बार मुख्य मंत्री भी रहे हैं को धैर्यपूर्वक सुना है और मुझे उम्मीद है कि वे और उनके दल के लोग भी मुझे धैर्य से सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में राजनैतिक अस्थिरता का दौर वर्ष 1989 से शुरू हुआ। इसकी शुरूवात भी माननीय मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्रित्वकाल से ही शुरू हुई। आप 5 दिसम्बर 1989 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और संयोग से उस सरकार का समर्थन हमारा दल भी कर रहा था।

श्री मुलायम सिंह यादव: नहीं। हमने लोक सभा में जरूर समझौता कर लिया था लेकिन विधान सभा में कोई समझौता नहीं था। हमने उत्तर प्रदेश की विधान सभा में कहा था कि न मैंने समर्थन आपका मांगा और न हमे समर्थन चाहिए। हमारे पास उस वक्त भी आपको निकाल कर मय निर्दलीयों के 257 सीटों का बहुमत था।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने तो समर्थन दिया था लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। बात इतनी ही है। हम साथ-साथ चुनाव लड़े थे, इसलिए उम्मीद थी कि चुनाव लड़ने के बाद भी साथ रहेंगे। लेकिन ये चुनाव लड़ते किसी के साथ हैं, रहते किसी के साथ हैं। इसलिए आपनी आदतों के मुताबिक इन्होंने उस समय हमें छोड़ दिया था, इंकार कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि इनका कार्यकाल डेढ़ वर्ष ही रहा। उसके बाद वह सरकार चली गयी। उसके बाद फिर चुनाव हुआ और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री बने। डेढ़ वर्ष से कुछ ज्यादा वह सरकार चली और अयोध्या के प्रकरण में वह सरकार बर्खास्त हुई। उसके बाद वहा राष्ट्रपति शासन रहा और फिर जो चुनाव हुआ उसमें जिनसे आज ये बहुत नाराज हैं उन्हीं के समर्थन से दूसरी बार फिर इनके पांव में हल्दी लगी और ये मुख्य मंत्री बने।

महोदय, डेढ़ साल से फिर आगे वह सरकार नहीं चल पायी। डेढ़ साल में वह बिखर गया, समझौता बिखर गया और उस का अंत बहुत दुखद हुआ। उसमें कई कारनामे हुए। उसमें रामपुर तिराहा का घिनौना कांड भी हुआ। उसके बाद सुश्री मायावती जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ क्या बीता वह सदन में कई बार दोहराया जा चुका है। उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। इस आदत को यह पार्टी अब भी बरकरार रखे है। इन्होंने इसमे कोई सुधार नहीं किया है। उस दलित महिला के ऊपर जो हमला हुआ, उसे सारा देश जानता है लेकिन यहां एक दलित मुस्मिल सांसद भी नहीं बचा और उसके ऊपर भी हमला हुआ, सदन में हमला हुआ। उसके साक्षी हम सभी लोग हैं और वह भी दलित अल्पसंख्यक था, जिस पर हमला हुआ।

कुंवर अखिलेश सिंह: (महाराजगंज, उ.प्र.): आप दलित अल्पसंख्यक को अस्वीकार कर रहे हैं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: अखिलेश सिंह जी, यही मुश्किल है कि आप सुनते नहीं हैं। हमारी बात सुना करो।

उपाध्यक्ष महोदय: आप उनको मत सुनाइए। इधर सुनाइए।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: अभी मुलायम सिंह जी ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के प्रति बड़ी सहानूभूति व्यक्त की। यह वही ब्रह्मदत्त द्विवेदी हैं जिन्होंने मायावती जी की उस समय रक्षा की थी, बचाव किया था।

उपाध्यक्ष महोदय, 13 बरसों में 14 बार उत्तर प्रदेश में सरकारें हिलीं व्यवस्था परिवर्तन हुआ। कभी यह मुख्यमंत्री और कभी वह मुख्यमंत्री बना। कुछ गिने-चुने घूम-फिर कर मुख्यमंत्री बनते रहे। कुछ एक-आध नए लोग भी आ गए। एक स्थिति ऐसी आई जिस की कल्पना संविधान निर्माताओं ने भी नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि 6 महीने का राष्ट्रपति शासन होगा। उसके अलावा 6 महीना और बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक साल से ज्यादा वह अवधि बढ़ गई और एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया। इन्हीं

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

13 बरसों में एक घटना हुई। एक घटना और मजेदार हुई। एक बार फिर विधान सभा में दो मुख्यमंत्री साथ बैठे। कौन असली मुख्यमंत्री है यह सदन पर छोड़ दिया गया। खैर, सदन ने तय कर दिया था कि कौन मुख्यमंत्री है? वह बेचारे जो दो-ढाई दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, वह अपने को पूर्व मुख्यमंत्री कहलवाने के लिए कोर्ट की तरफ दौड़ रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री थे या नहीं? मेरे कहने का एक ही आशय है कि इन 13 बरसों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को सड़कों का खेल बना दिया गया, सब्जी मंडी का खेल बना दिया गया और राजनीतिक अस्थिरता उत्तर प्रदेश की स्थायी सत्य बन गया। माननीय मुलायम सिंह जी जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार से भी पीछे चला जाएगा, इनसे भी पीछे चला जाएगा, वह सच कहते हैं। जब राजनीतिक अस्थिरता होती है, तब उसकी कीमत नेताओं को नहीं चुकानी पड़ती हैं। उसकी कीमत मुख्यमंत्री और मंत्री बनने वालों की नहीं चुकानी पड़ती है। उसकी कीमत उस आदमी को चुकानी पड़ती है जो रोज अपनी मजदूरी कमाता है और खाता है। अगर एक दिन की उसे मजदूरी नहीं मिलती है तो वह भूखा मरता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति और जिन सड़कों का रोना माननीय मुलायम सिंह जी रो रहे हैं, उन सड़कों की स्थिति अगर आज ऐसी बनी है तो उसके पीछे केवल एक ही कारण था और वह राजनीतिक अस्थिरता है। इस देश का यह इतिहास रहा कि मिली-जुली सरकारों को चलने नही दिया गया। ऐसी सरकारों को हमेशा हिलाने और गिराने की कोशिश की गई। मैं तो कहता हूं कि एक पक्ष यह बैठा है और एक पक्ष वह बैठा है। सरकार गिराने में दोनों की सहमति हो जाती है। एक वोट से यहां केन्द्र की सरकार भी गिर गई थी उस समय दोनों मिल गए थे। यही उम्मीद इस बार माननीय मुलायम सिंह जी को भी थी। उन्होंने सोचा था कि पिछली बार दिल्ली की सरकार गिराने में हमने इनकी मदद की थी उत्तर प्रदेश की सरकार गिराने में हमारी मदद करेंगे लेकिन चूंकि सरकार गिरा कर लाभ नहीं हुआ इसलिए उनको समझदारी आई और उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि न सरकार बनाने में इनकी मंशा पूरी हुई। राज्यपाल को दोष देने का मतलब मेरी समझ में नहीं आता की कि राज्यपाल को दोष क्यों दिया जा रहा है?

अगर बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल महोदय को श्री मुलायम सिंह यादव को आमंत्रित करना था तो उसी तरह बड़ी पार्टी होने के नाते माननीय कल्याण सिंह जी को तत्कालीन राज्यपाल श्री रोमेश भण्डारी को आमंत्रित करना था लेकिन उस समय यह नीति अपनाई नहीं गई। श्री मुलायम सिंह जी उनके बड़े अच्छे सलाहकार थे, उनके अनुसार महामहिम राज्यपाल के सामने संख्या देनी पड़ी और वह संख्या देने के बाद विधानसभा की बैठक बुलाई गई, जहां बहुमत सिद्ध हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, 1996 के बाद छः महीने तक उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं थी। विधायक चुने हुए थे लेकिन शपथ नहीं ले पाये थे। उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी जैसे मंगनी तो हो गई लेकिन सगाई नही हो पाई। सब लोग लगभग छः महीने तक डिलेमा में रहे। कोई भी उन्हें विधायक मानने को तैयार नहीं था। यह परिस्थिति किसने पैदा की, क्या तब संवैधानिक संकट नहीं आया था? तब राज्यपाल महोदय की गरिमा कायम थी और आज वही गरिमा खतरे में पड़ गई है।

किस के घर में कौन रहता है, यह राज्यपाल बनने के लिए योग्यता अथवा अयोग्यता नहीं होती। हम जानते हैं कि एक ही घर में तमाम लोग निकलते हैं, कोई पार्टी का नेता बनकर निकलता है, कोई पार्टी का महामंत्री बनता है, कोई भावी मुख्यमंत्री या भावी उत्तराधिकारी बनकर निकलता है। अगर एक ही घर से राज्यपाल और विधानमंडल का नेता निकला तो सांवैधानिक संकट पैदा नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री विष्णुकांत शास्त्री न केवल राजनैतिक जीवन मे, न केवल सांवैधानिक पद पर बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन में उनकी पवित्रता पर कोई आंच आ सकती है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। उनका जीवन प्रामाणिक है। शायद ही उस आदमी ने कभी झूठ बोला हो।

उपाध्यक्ष महोदय, सुश्री मायावती के साथ 217 विधायक थे जिन्होंने विधानसभा में उनके पक्ष में मतदान किया था। उनमें केवल सात विधायकों ने इस्तीफा दिया है। आज भी 210 विधायकों की संख्या दिखाई दे रही है। माननीय मुलायम सिंह जी से 204 की संख्या मांगी गई थी लेकिन उस संख्या तक वह नहीं पहुंच पाए इसी विधान परिषद के चुनाव की बात आ गई। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यदि आपके पक्ष में 204 विधायक आये होते तो निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल महोदय ने इनकी बात को गंभीरता से लिया होता, लेकिन इनकी संख्या 183 पर आकर ठहर गई, आगे नहीं बढ़ पायी। अगर विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस इनका समर्थन नहीं कर रही थी तो वह विधान सभा में इनको समर्थन देगी, यह गलत फहमी इन्होंने कहां से पाल ली? इन्होंने स्वयं लखनऊ में कहा है कि अगर कांग्रेस साथ दे तो 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार बन सकती है। इनका तो कहना था कि हम कांग्रेस की वजह से हार कर जा रहे हैं और अब सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। अखबारों ने असंतुष्ट विधायकों के बारे में लिखा है कि क्या ये लोग लोकतंत्र के लिये या लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये राज्यपाल महोदय से मिलने गये थे-किस लिये गये थे? ये सब बातें अखबार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। असंतोष तो भाजपा में हो या राष्ट्रीय लोक दल में हो अथवा निर्दलीय विधायकों के छोड़ देने से हो, इस सबका कारण पदलिप्सा है। आम जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि असली कारण लाल बत्ती की भूख है, जिसे पाने के लिये यह दुराचरण

से किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि मिली-जुली सरकारें चलती हैं। बंगाल और केरल के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और विशेषकर दादा सोमनाथ जी को धन्यवाद दूंगा क्योकि वे अपने मंत्रालय में मिली-जुली सरकार चला रहे हैं। लेकिन मिली-जुली सरकारें चलती हैं उसमें जरूरत के मुताबिक जिम्मेदारी बंट जाती है। यह प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री का अधिकार क्षेत्र है कि कौन मंत्री बनाया जाये। पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाने या बनने के लिये जो स्थिति निर्मित हो रही है वह अच्छी नहीं है उस समय श्री राजनाथ सिंह के लिये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि यह जुम्बो मंत्रिमंडल है, सभी मंत्री बना दिये गये हैं।

जब बड़े मंत्रिमंडल की आलोचना हुई थी। इस प्रकार में माननीय प्रधान मंत्री जी ने सुश्री मायावती से अपेक्षा की थी कि कोई बड़ा मंत्रिमंडल नहीं होना चाहिए। प्रदेश की राजनैतिक परिस्थिति और आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक संतुलित मंत्रिमंडल होना चाहिए। मंत्रिमंडल में जो लोग नहीं आये, उनके असंतोष को भड़काना कोई अच्छी बात नहीं थी। किसी की भी बारी आ सकती है, इसलिए इस खेल में हाथ डालना उचित नहीं था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जैसे एक राष्ट्रीय नेता की सोच उदार होनी चाहिए। जब कभी कहीं आंतरिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हो तो उसमें हाथ डालना या घुस करके खेल को सड़क पर लाने की कोशिश उनके सम्मान, मर्यादा और स्टेटस के विरुद्ध है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री अमर सिंह जी ने वहां जाकर बाकायदा कैम्प किया और भाजपा के विधायकों के बीच में गये। क्या यही नैतिकता है कि हम एक-दूसरे का घर तोड़े, घर में घुसकर फूट डालें। ये अच्छी चीजें नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी विधान मंडल दल की बैठक होगी तो उसमें माननीय मुलायम सिंह जी का जो कहना है, उसमें मुझे संदेह है। मायावती जी फिर बहुमत प्राप्त करेंगी। उनके बहुमत प्राप्त करने में हमें कोई संदेह नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहा है, जहन्नुम में जा रहा है, यह आरोप लगाये गये हैं। छः महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार ने जो अचीवमैन्ट्स हासिल किए हैं, मैं थोड़ी सी उनकी चर्चा करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फाइनैन्स की बात करता हूं। चालू वित्तीय वर्ष की छमाही में 30 सितम्बर तक मुख्य राजस्व प्राप्तियों में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पर्यटन राजस्व में चालू वित्तीय वर्ष के छः महीनों में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 30 सितम्बर तक 628.43 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि ठीक इसके पहले पिछले साल में यह राजस्व 559 करोड़ रुपये थे। स्टाम्प विभाग में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष की प्रथम छमाही में 271 करोड़ रुपये अधिक की राजस्व की वसूली हुई। इसी तरह से समेकित निधि में घाटा कम हुआ। यह घाटा 1868.63 करोड़ रुपये कम हुआ। ग्रामीण विकास पर माननीया मायावती जी ने 2132.55 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई। प्रदेश में राष्ट्रीय बचत योजनाओं के माध्यम से 31 अगस्त तक 1803.55 करोड़ रुपये छः महीने में आये। जबकि पिछले वर्ष इन्हीं छः महीनों में केवल 182.89 करोड़ रुपये आये थे।...*(व्यवधान)* किसी की सरकार रही हो, टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तरोत्तर विकास होता है और हम उत्तरोत्तर विकास की बात कर रहे हैं। पिछले साल की अपेक्षा हम आगे बढ़े है। इसी तरह से 30 सितम्बर तक व्यापार कर से 3203.82 करोड़ की प्राप्ति हुई। जबकि पिछली इसी तिमाही में 354 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। मैं औद्योगिक विकास की बात करना चाहता हूं। वर्ष 2002 के मध्य में 451 करोड़ रुपये के 99 उद्योग स्थापना संबंधी प्रस्ताव दाखिल किये गये। फलस्वरूप 11 हजार लोगों को इसके माध्यम से काम देने का अवसर मिला। प्राप्त प्रस्तावों में 449 करोड़ रुपये के 98 उद्यम के इच्छा पत्र और दो करोड़ रुपये का आशय पत्र भी शामिल किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र में 12.36 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मैं कहना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध की अहिंसा को इस देश ने स्वीकार किया था - अहिंसा परमोधर्म:। गौतम बुद्ध के धर्मचक्र से चक्र प्राप्त करके ये चक्र स्थापित हुए थे लेकिन महात्मा बुद्ध को हमने अपने देश में जो सम्मान देना चाहिए था, अब तक नहीं दे पाए लेकिन सुश्री मायावती जी ने तीन अरब रुपये की लागत से नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करके उस अहिंसा के पुजारी को, अहिंसा के संस्थापक को जो श्रद्धांजलि दी है, उसकी कोई मिसाल नहीं है।

निर्यात क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इकाइयों को विशेष छूट दी गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले छः महीने में 2760.43 करोड़ रुपये की वसूली हुई। इसी तरह से गांवों में विद्युत आपूर्ति 8 घंटे सुनिश्चित करने के लिए जा व्यवस्था की गई है उसका अनुपालन हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा विद्युत उत्पादन मई से अगस्त के बीच में 7238.68 मिलियन यूनिट का रिकार्ड उत्पादन बिजली का हुआ है। पारिच्छा में 420 मैगावाट विद्युत उत्पादन केन्द्र निर्मित हुआ। इसी तरह से विश्व बैंक के सहयोग से सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए काम किया गया। मैं ज्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहता हूं लेकिन यह जरूर निवेदन करना चहता हूं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जहां विद्यालयों की मान्यता के लिए 1700 प्रकरण लंबित पड़े थे, उनको निस्तारित किया। इसी तरह से 20 प्रतिशत से कम परीक्षाफल देने वाले 1747 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से स्पष्टीकरण मांगा गया है आपके यहां पढ़ाई ठीक क्यों नहीं हो रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य वह सुन नहीं रहे है...

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि: एक दलित की प्रशंसा नहीं सुनी जा रही है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चिन्मयानन्द स्वामी, इनका व्यवस्था का प्रश्न हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: हमारा पाइंट आफ आर्डर यह है कि जब कभी कोई सदस्य किसी किताब या डाक्यूमेंट से कुछ पढ़ेगा तो वह किस किताब से पढ़ रहा है वह बताना चाहिए, किस किताब से वह क्वोट कर रहे हैं वह बताना चाहिए।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: उपाध्यक्ष जी, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं और पुस्तक से उद्धरण देने का अधिकार हमें हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चिन्मयानन्द स्वामी कृपया पुस्तक का नाम बताएं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: इस पुस्तक का नाम है - 'उत्तर प्रदेश प्रगति एवं समृद्धि के छ: माह - सूचना एवं प्रसारण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ' इसको मैं उद्धत कर रहा हूं।

प्रदेश के गन्ना क्षेत्र में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई और पिछले सत्र की पेराई में कुल 52.49 लाख हुई और सभी गन्ना किसानों के एक-एक पैसे का भुगतान किया गया कुछ को छोड़कर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सड़कों के बारे में कुछ निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।...*(व्यवधान)* आज प्रधान मंत्री ग्राम योजना में प्रदेश का प्रत्येक गांव पक्की सड़क से जुड़ रहा है।

मैं दो बातें और कहकर समाप्त करना चाहता हूं। उत्पीड़न की बात रह गई है उत्पीड़न को अगर किसी ने ठीक से समझा हो तो हम लोगों ने 1989 में जब इनकी सरकार बनी थी।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं स्वयं जेल में था। मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने क्या किया था जिसके कारण आपने मुझे जेल में डाला था और महीनों जेल में रखा था मेरा क्या अपराध था। मैं कहना चाहता हूं कि 1989 में इस देश का कोई शंकराचार्य बाकी नहीं बचा था जो जेल में न गया हो इस देश का कोई महामंडलेश्वर नहीं बचा था जो जेल में न गया हो। राजा भैया या जिनके साथ जो कुछ हो रहा है, वह कानून के विपरीत अगर हो रहा है तो वह गलत है, निन्दनीय हैं, नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां तक अपराधीकरण का सवाल है, सभी जानते हैं कि उमाकान्त यादव ने शाहगंज स्टेशन पर गोली चलाकर लोगों को भून दिया था। वे यदि सबसे पहले विधायक बने, तो वे आपकी पार्टी के टिकट पर बने थे।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उमाकान्त जी समाजवादी पार्टी से विधायक नहीं बने।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। वे यील्ड नहीं कर रहे हैं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: माननीय डी.पी. यादव उस समय 1989 में आपकी सरकार में मंत्री रहे हैं। पहली बार अपराधियों का मंत्री बनाया, सांसद बनाया, तो आपने बनाया। राजनीति में यदि अपराधीकरण हुआ, तो उसका श्री गणेश समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए यदि प्रदेश का अपराधीकरण रोकना है, तो मायावती के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसे चलाना होगा अन्यथा जब भी नेतृत्व इनके हाथों में जाएगा, तो यहां संसद में भी लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। इससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं कहना है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम 193 में चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां देश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। जो प्रदेश हमारे युगनिर्माता पं. जवाहर लाल नेहरू का जन्मस्थान है, जो प्रदेश हमारे देश की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की कर्मभूमि है, जो प्रदेश हमारे सम्माननीय नेता राजीव गांधी जी का प्रदेश रहा है, जो प्रदेश डा. राम मनोहर लोहिया जी का प्रदेश रहा, जो प्रदेश आचार्य नरेन्द्र देव की भूमि रही है, जो प्रदेश सी.बी. गुप्ता का

प्रदेश रहा है, जो प्रदेश बनारसी दास गुप्ता का प्रदेश रहा है, जो प्रदेश कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नन्दन बहुगुणा का प्रदेश रहा है, आज उस प्रदेश की बहुत दुर्गति है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: टाइम कंस्ट्रेन बहुत है, इसलिए थोड़ा सुनने की कृपा करें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: ऐसे प्रदेश पर जब यहां चर्चा प्रारंभ हुई है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश की दुर्गति की कहानी 1989 से प्रारंभ होती है। जिस उत्तर प्रदेश को 40 वर्षों के कांग्रेस शासन में रोजगार से पाट दिया था, जिस उत्तर प्रदेश को कांग्रेस शासन ने तमाम सरकारी मिलों से पाट दिया था, जिस उत्तर प्रदेश को कांग्रेस शासन में रोजगार की व्यवस्था कर के धीरे-धीरे कर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की कोशिश की, जिस उत्तर प्रदेश को कांग्रेस शासन ने हिन्दुस्तान के नौवें नंबर का प्रदेश बना दिया था, आज वही उत्तर प्रदेश 13 वर्षों में धीरे-धीरे कर के हिन्दुस्तान में 18 वें, 19 वें नंबर पर पहुंच चुका है। यह दुर्भाग्य केवल इसलिए संभव हुआ कि 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में किसी स्थाई राजनीतिक दल का शासन नहीं रहा।

जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि 13 वर्षों में 14 बार तंत्र बदला और 40 वर्षों के कांग्रेस के राज में केवल 13 बार तंत्र बदला। इस बात से सिद्ध होता है कि 13 वर्षों में जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में शासन करने की कोशिश की गई, जिस तरह सपा, बसपा, भाजपा या अन्य राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में सत्ता को अपना लक्ष्य बनाया, सत्ता को अपना अभिष्ट बनाया, वोट बैंक बनाने की कोशिश की गई और जनता का कल्याण करने की कोशिश नहीं की, जनता के लिए रोजगार के अवसर ढूढंने की कोशिश नहीं की, उसी का ही परिणाम है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान में एक करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगे। अगर आबादी के अनुपात में उत्तर प्रदेश को बांटा जाये तो माननीय उप-प्रधान मंत्री जी को उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 लाख लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देना होगा। आज 10 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि पांच से लेकर 10 लाख लोग उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बेरोजगार हो रहे हैं। लगभग सात वर्षों से वहां आपका शासन है। आपने चाहे जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया हो, चाहे कैसा भी मंत्रिमंडल बनाया हो लेकिन आज उत्तर प्रदेश को इस दुर्गति में पहुंचाने के लिए अगर नेतृत्व का सेहरा किसी को जाएगा, तो वह भारतीय जनता पार्टी को जायेगा। आज उत्तर प्रदेश की सारी औद्योगिक इकाइयां जो सरकारी क्षेत्र में थीं, लगभग बंद हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सारी कताई मिलें बंद हो चुकी हैं। सरकारी क्षेत्र की आधे से ज्यादा चीनी मिलें उत्तर प्रदेश की बंद हो चुकी हैं। आज गन्ना किसान रो रहे हैं। वे आत्म हत्या कर रहे हैं। गेहूं की फसल में गेहूं की खरीद होती है। सारा का सारा गेहूं बिचौलियों के माध्यम से बेची जाती है। धान की फसल में धान की खरीद होती है। सारा का सारा धान बिचौलियों के माध्यम से जाता है। किसानों को केवल 65 से लेकर 70 परसेंट तक की धान की कीमत मिलती है, बाकी बिचौलिये खा जाते हैं। धीरे-धीरे करके आज उत्तर प्रदेश की यह दुर्गति हो चुकी है। अभी हमारे माननीय पूर्वक्ता पता नहीं कौन सी किताब से या कौन से पुराण से निकालकर बता रहे थे।...*(व्यवधान)*

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: यह सरकारी किताब है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान मत डालिए। हमारे पास पहले ही समय की कमी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी किताब भी किसी पुराण से कम नहीं है। अब उस पुराण को आप किस एंगल से देखते हैं और हम किस एंगल से देखते हैं, इसमें बस इतना ही फर्क है। लेकिन किसी पुराण से कम नहीं है। 13 वर्षों में एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाया गया है। 13 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी बिजली उत्पादन की कोई इकाई स्थापित नहीं की गई है। पिछले 13 वर्षों में विद्युत की मांग उत्तर प्रदेश में दुगुनी हो गई है। कैसे वहां विद्युत की आपूर्ति होगी, कैसे कल-कारखानें चलेंगे, कैसे औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा?...*(व्यवधान)* अगर ऐसे ही होगा तो उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य तभी तक है जब तक कांग्रेस नहीं आती है। जिस दिन कांग्रेस आ जायेगी, उस दिन उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जायेगा।...*(व्यवधान)*

श्री रामानन्द सिंह *(सतना): अगर आप ही यू.पी. का भविष्य बनाना है तो आप शर्म करिये। वह बनने वाला नहीं हैं।...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उपाध्यक्ष जी, अगर आप कहेंगे तो हम बोलेंगे, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

आज पिछले 13 वर्षों में विद्युत का उत्पादन न होने के कारण, औद्योगिक माहौल न होने के कारण सरकारी क्षेत्र तो पूरी तरह से धोखा दे चुका है, इसके साथ-साथ निजी क्षेत्र का एक भी संयंत्र उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया गया है। ऐसे प्रदेश में, जिसकी आबादी 13 करोड़ है, सरकार अपने संयंत्रों को बंद करती जा रही है, एक-एक करके एन.टी.सी. की सारी मिले बंद हो गई। सरकार न एन.टी.सी. की मिलों को चलाना चाहती है, न बी.आई.सी. की मिलों को चलाना चाहती है। निजी क्षेत्र का कोई उद्योगपित उत्तर प्रदेश में कलकारखाना नहीं लगाना चाहता। मल्टी नैशनल की कोई कम्पनी उत्तर प्रदेश में किसी तरह का उद्योग लगाने को तैयार नहीं होती। इस प्रदेश में केवल एक ही उद्योग चल रहा है और वह उद्योग राजनीति का है। राजनीति के चमचे और राजनीतिक स्थितियों से उद्योग में बढ़ोत्तरी हो रही है। जो नौजवान बेरोजगारी में भटकते हैं, जो नौजवान बेरोजगारी से भागते हैं, वे राजनेताओं के चरणों में जाकर शरण लेते हैं, राजनेताओं के चेले बनते हैं। वे राजनेता उन चेलों को, चाहे जिला आपूर्ति कार्यालय में हो, चाहे थाने में हो, चाहे एस.एस.पी. के बंगलों में हो, चाहे जिलाधिकारी के बंगले में हो, वहां दलाली के माध्यम से कमाई करने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए फिट कर देते हैं। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में उस दुर्गति को प्राप्त हो गया है, जिस दुर्गति को प्राप्त होने की कल्पना कभी उत्तर प्रदेश जैसे प्रान्त के लिए हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। इसका सबसे बड़ा सेहरा अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जाता है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को धर्म के नाम पर बरगला कर सत्ता प्राप्त की और जब धर्म के नाम पर बरगलाने की कोशिश की गई तब से उत्तर प्रदेश की जनता के मन-मस्तिष्क पर ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया कि आज तक उत्तर प्रदेश की गाड़ी राजनीति की पटरी पर नहीं लायी जा सकी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रान्त की अगर विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई है तो उसका सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस को है। कांग्रेस को वह दर्द इसलिए है कि कांग्रेस ने केवल इस देश को आजाद नहीं करवाया था बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रान्त को औद्योगिक उत्पादन के शिखर पर पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जब तक कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में शासित थी, तब तक वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति...*(व्यवधान)* इसलिए राजनीतिक मुवाहसे में हम सबसे ज्यादा महत्व उत्तर प्रदेश के विकास को देते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रगति को देते हैं, उत्तर प्रदेश के उस राजनैतिक पराभव को देते हैं, जो *तेरह वर्षों में उस प्रदेश का हुआ है।*

मैं आपको पिछले एक महीने में उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम घटे हैं, जिसके लिए हमारे मित्र हमको इंगित कर रहे है कि जल्दी से उस घटनाक्रम पर आ जाओ, उनके बारे में बताना चाहता हूं। कुछ बसपा के विधायक, कुछ भाजपा के विधायक और कुछ निर्दलीय विधायकों ने सुश्री मायावती जी की सरकार से समर्थन वापिस ले लिया, बाकायदा पत्र लिखकर राज्यपाल को दिया गया कि हम इस सरकार से समर्थन वापिस लेते हैं। कांग्रेस ने उस समय भी उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से यह मांग की कि मान्यवर, राजभवन में बैठ कर यह सर्टीफिकेट देना कि किस सरकार का बहुमत है, किस सरकार का बहुमत नहीं है, कोई उचित परम्परा नहीं है। सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है, यह हाउस के फ्लोर में तय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधान सभा का अधिवेशन आहूत किया जाना चाहिए और उस अधिवेशन में तय होना चाहिए कि वास्तव में वर्तमान सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है। लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय प्रत्येक सप्ताह एक बुलेटिन जारी करते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार अल्पमत में नहीं है। इस तरीके से बुलेटिन जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस तरीके से सर्टिफिकेट जारी करने की कोई आवश्यकता नही थी। हद तो तब हो गई, जब विधान परिषद के उप-चुनाव में सत्तारूढ़ दल को 193 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी और बसपा के ये नेता कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी तो जीत गया। आपका प्रत्याशी जीत गया, कौन कहता है कि नहीं जीता, लेकिन आपकी सरकार, जिसके पास केवल 193 वोट हैं, कैसे बहुमत में बनी रह सकती है?...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): आपने वोट क्यों नहीं दिया, बताइये। आप क्यों एबसेंट थे, यह हाउस में बताइये।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: हम माननीय उपाध्यक्ष जी को बता देंगे कि हमने वोट क्यों नहीं दिया और कब वोट देंगे, यह भी बता देंगे। कांग्रेस वोट देने से कतराती नहीं है और समय से पहले कभी कदम नहीं उठाती है और समय से कभी देर नहीं करती है। 402 सीटों वाली विधानसभा में जिस सरकार को 193 वोट मिले हों...*(व्यवधान)* कटियार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि हां, वास्तव में गलती है। कांग्रेस से स्पष्ट रूप से यह बात कही थी कि महामहिम जी को विधानसभा का सत्र बुलाकर वर्तमान मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए निर्देशित करना चाहिए। लेकिन हमारे महामहिम

की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन जिस पद पर वे बैठाए गए हैं, उस पद की गरिमा और मर्यादा की अगर वे रक्षा नहीं करेंगे, संविधान की रक्षा नहीं करेंगे तो हम लोगों के द्वारा उंगली उठाने और हम लोगों की आलोचना का पात्र बनना तो सुनिश्चित है। हम केवल यही कह रहे हैं।

हम उनसे यह मांग करते है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। सबसे दुर्भाग्य की बात पिछले एक महीने में उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम घटे हैं, जिस विधायक ने वर्तमान सरकार को समर्थन दिया, वह चाहे कितने ही गम्भीर आरोप का आरोपी रहा हो, उसे आरोपमुक्त कर दिया गया है और जिस विधायक ने इस सरकार के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलन्द किया, उस विधायक को जेलों में डाल दिया। मैं किसी विधायक को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता कि यह आरोपी है या नहीं है। कौन विधायक अपराधी है, कौन विधायक अपराधी नहीं है, मैं इस बात का सर्टिफिकेट देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन अगर कोई विधायक आज अपराधी है, जब आपके खिलाफ वह बगावत कर रहा है, वह तो आपके साथ 5-5, 6-6 साल तक कभी विधायक रहा और कभी मंत्री रहा, तब आपने उसे टिकट दिया, तब आपने उसे मंत्री क्यों बनाया और अगर वह आपके खिलफ विद्रोह का झंडा बुलन्द करता है तो वह अपराधी हो जाता है। इसी तरीके से ऐसे विधायक, जिन्हे आपने गंभीर आरोपों से मुक्त कर दिया तो क्या जब वे बंद किये गये थे, जब उनके ऊपर आरोप लगाये गये थे, तब वे अपराधी नही थे, और आज जब वे आपका समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए वे आरोपमुक्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का सचिवालय इस समय एक गंदे थाने की तरह अपना दुरूपयोग कर रहा है। जैसे एक गंदे थाने का गंदा थानेदार जिसे चाहता है, उसे उठाकर थाने में लाक अप के अंदर कर देता है और जिसे चाहता है, थाने के लाक अप से बाहर कर देता है। आज वही स्थिति उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ नागरिक सरकार की इस ओछी और नंगी हरकत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। लोग चर्चा करते हैं कि यह कैसी सरकार है, यह कैसी मुख्य मंत्री है कि जिसको चाहे अंदर कर दे, जिसे चाहे बाहर कर दे, जिससे चाहे जबर्दस्ती समर्थन ले ले, जिसको चाहे जबर्दस्ती बंद कर दे। इस दुर्गति को आज यू.पी. प्राप्त है। मैं आपके माध्यम से केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आज यू.पी....*(व्यवधान)*

श्री रामानन्द सिंह: इंदिरा जी की इमर्जेंसी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपका नम्बर आए तब आप बोलिएगा।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: इस सरकार से और कोई उम्मीद तो नहीं करते थे लेकिन यह उम्मीद तो जरूर करते थे कि दलित मुख्य मंत्री है, कम से कम यू.पी. में दलितों की अस्मिता को बचाने का काम मुख्य मंत्री जरूर करेगी। लेकिन दलित उत्पीड़न के जितने भी केसेज पिछले छ महीनों में यू.पी. में हुए हैं और आज यू.पी. में दलितों की जो स्थिति है, हमारी युवा नेता सुश्री प्रियंका गांधी अभी अमेठी गई थी। वह लोगों का हालचाल जानने गई थी। वहां सैकड़ों की तादात में दलितों ने बताया कि ताकतवर लोगों ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। उनकी जमीन छीन ली है और वर्तमान दलित मुख्य मंत्री उनके बचाव में कुछ भी नहीं कर रही है। जब उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश के सारे आला पुलिस आफिसर्स अमेठी रवाना कर दिये गये कि कहीं ऐसा न हो कि उनके पापों का खुलासा अमेठी में हो जाए। यह तो अमेठी में केवल उदाहरण दे रहा हूं। जो स्थिति अमेठी की है, यू.पी. के सभी विधान संसदीय क्षेत्रों की स्थिति यही है। हर जगह दलितों के मकान व उनकी भूमि छीनी जा रही है। दलितों पर घोर अत्याचार हो रहा है और वर्तमान मुख्य मंत्री सुश्री मायावती अपने को बचाने के लिए, केवल अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी साम्प्रदायिक पार्टी का समर्थन प्राप्त करने के लिए दलितों पर उत्पीड़न की ओर से आंखें बंद किए हुए हैं। विधान सभा के चुनाव के समय इन्हीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने यू.पी. में विधान सभा के चुनाव के कैम्पेन के दौरान प्रदेश के कोने-कोने में घूम-घूम कर कहा था कि जिस अधिसूचना के लिए माननीय आडवानी जी, माननीय जोशी जी, उमा भारती जी, तीनों मंत्रियों के खिलाफ जिस अधिसूचना में टैक्नीकल कमी होने के कारण हाईकोर्ट ने मुकदमा चलाने से इंकार कर दिया था, मायावती जी ने यू.पी. के कोन-कोने में घूमकर यह बात कही थी कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी, अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा और उसकी टैक्नीकल कमी को दूर किया जाएगा तथा मुकदमा फिर से इन तीनों लोगों पर चलाया जाएगा लेकिन यू.पी. का मुख्य मंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेने के बाद, इन तीनों माननीय मंत्रियों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद बहन मायावती जी कहती हैं कि इस वक्त मुकदमे को चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिसूचना में संशोधन करने को कोई आवश्यकता नहीं है। जब सब कुछ केवल सत्ता के लिए हो रहा हो, सब कुछ केवल कुर्सी के लिए हो रहा हो, हमारी सरकार लम्बे समय तक कैसे चले, केवल इस बात की चिंता वहां की सरकार को है। उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण की उसको चिंता नहीं है। एक सूत्रीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि हमारी सरकार हर कीमत पर चलनी चाहिए। हमारा मंत्रिमंडल हर कीमत पर चलना चाहिए। पूरे प्रदेश खरीद-फरोख्त हर कीमत पर होती रहनी चाहिए। इसी कार्यक्रम के तहत आज उत्तर प्रदेश

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

में सरकार चल रही है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विधान सभा को फेस करने से कतरा रही हैं।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप केन्द्र सरकार को निर्देशित करें, क्योंकि हम बहुत साधारण मांग कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की मांग या मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी सबसे साधारण मांग है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो अधिकार हमें प्राप्त है कि अगर कोई मुख्य मंत्री, कोई राज्य सरकार अल्पमत में आती दिखाई दे तो उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए-यही राज्यपाल का दायित्व है हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल अपने इस दायित्व का निर्वहन करें, ऐसा निर्देश केन्द्र सरकार की ओर से जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधान सभा आहूत की जानी चाहिए और अगर यह सरकार बहुमत प्राप्त कर लेती है तो किसको एतराज हो सकता है कि ये सरकार न चलाएं। ये सरकार चलाएं, मंत्री और बनाए, और मलाईदार विभाग अपने लोगों को दें-हमको कोई एतराज नही है। लेकिन अगर यह सरकार अल्पमत में है तो उसे अपना बहुमत विधान सभा के फ्लोर पर सिद्ध करना चाहिए।

अपराह्न 5.26 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए)

हमारा अनुरोध है कि आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ऐसा निर्देश भिजवाएं। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): सभापति महोदय, मैं दुख के साथ इस चर्चा में भाग ले रहा हूं क्योंकि साधारणतया हमें संसद में राज्य के मामलों पर चर्चा नही करनी चाहिए लेकिन ऐसा लगता है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मजबूर है। अत: मुझे आश्चर्य भी नहीं है कि हम इस प्रकार की चर्चा में भाग लेने के लिए बुलाया गया है।

वर्तमान व्यवस्था के अधीन ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन विशेप रूप से राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जीवन सभी कुछ विकृत हो गया है और भारतीय राजनीतिक लोकाचार अपने पतन की चरम सीमा पर पहुंच गया है। मैं नहीं समझता यह और नीचे जाएगा। हमारे प्रजातांत्रिक राजनीति की यह दुर्दशा अवसरवादी गठबंधनों के कारण है जिसे इन दिनों अपनाया गया है।

स्वामी चिन्मयानन्द जी ने पश्चिम बंगाल और केरल में वाममोर्चा का जिक्र किया। वहां मोर्चा है लेकिन इसके पीछे कुछ सिद्धान्त है। आप हमारे साथ सहमत हो अथवा असहमत हो लेकिन हम कतिपय विचारधारा कतिपय सिद्धान्तों और कतिपय उद्देश्यों के आधार पर इकट्ठे हुए है।

मैं जानना चाहता हूं उनके गठबंधन चाहे वह इस देश के विद्यमान सत्तारूढ़ सरकार का है अथवा कुछ और बनाया गया गठबंधन है और वह उत्तर प्रदेश में शासन कर रहा है-के पीछे क्या सिद्धान्त है। महोदय, हमारे माननीय उप-प्रधान मंत्री जी स्पष्ट रूप से विचारधारा को छोड़ दिया है उनका कहना है कि सभा के लिए विचारधारा निर्रथक है। यह उनके प्रयोजन के लिए उचित है।

महोदय, वे दो सीटों से खुश है और वह 86 की संख्या पर पहुंच गए है क्योंकि उनके दल ने क्या विशेष सिद्धान्तों को अपनाया है। और आडवानी जी की रथ यात्रा के कारण वे सत्ता में आए है। मैं आडवानी जी का प्रशंसक हूं मैं उन्हें पिछले 31 वर्षों से भी अधिक समय से जानता हूं। मुझे उनके और वाजपेयी जी के साथ उस निर्वाचन समिति में काम करने का सौभाग्य मिला था जब हम 1971 में पहली बार आए थे। वे भारतीय संसद के महान क्षण थे।

हालांकि तब से किसी भी और कोई भी गठबंधन करने की अनुमति है। श्री आडवानी अत्यन्त स्पष्ट रूप से कहा है कि वह रथ यात्रा के कारण से ही सत्ता में है। मेरा ख्याल है कि ऐसा उन्होंने पंजाब में कहीं पर कहा था। मैं उनकी इस स्पष्टवादिता की प्रशंसा करता हूं। लेकिन इस देश तथा देश की नीतियों और कार्य जनों को क्या हो रहा है। आप अपने दल का विशेष दल होने का दावा करते है। किस रूप में? जब तक सत्ता हथियाने का हर हाल में सत्ता में बने रहने का प्रश्न है तो केवल यही विशेषताएं है जो उसे अलग करती है।

अब मैं यहां अपने मित्रों से जानना चाहता हूं जो इस सरकार को समर्थन दे रहे है कि कौन सी चीज है जो उन्हें सत्ता के सिवाय इकट्ठे रखे हुए है। मैं नहीं जानता कि बीएसपी और बीजेपी अथवा बीजेडी और बीजेपी में क्या समान बाते हैं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य बीजेपी की किस शाखा में है।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): मैं मूल में हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या यह सही है? ठीक है। लेकिन आप अभी भी उनके साथ है।

मैं यह पूरी निष्ठा के साथ जानना चाहता हूं। मैं कोई राजनीतिक

लाभ नहीं उठाना चाहता हूं। क्या चीज है जो आपको साथ-साथ रखे हुई है सिवाय कि आप सत्ता की बुराइयों को बांटना चाहते है। इसका यह अपरिहार्य परिणाम है। हम जानते है कि उत्तर प्रदेश में जब छह-छह माह के लिए मुख्य मंत्री का पद ग्रहण करने की पद्धति विकसित की गई थी तब वे दिन भारतीय शासन पद्धति के सबसे शर्मनाक दिन थे। हम इसे सत्ता में बने रहने के लिए प्रत्येक तीन माह अथवा छ माह के लिए मुख्य मंत्री के पद को बांट रहे है।

तत्पश्चात वे अलग हुए और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। मुझे याद है कि श्री वाजपेयी की सरकार गिर गई थी और अल्पमत में आ गई थी जब मायावती ने स्पष्ट रूप से उनके विरुद्ध मतदान किया था। उन्होंने ऐसा कहा था। मुझे विश्वास है कि श्री राशिद अल्वी भी वहां थे और उन्होंने भी सरकार के खिलाफ जो गिर गई थी मत दिया था। तो फिर वही गठबंधन एक राज्य अथवा अन्य में क्यों किया जा रहा है। यह गठबंधन क्या खोज रहा है?

श्री आडवानी जी ने कई बार हमारे ऊपर दोषारोपण किया है कि हम छद्म धर्मनिर्पेक्ष है। निसन्देह स्थिति बदल गई है और अब वे विश्व हिन्दू परिषद के अनुसार मिथ्या धर्मनिर्पेक्ष है। हो सकता है वह हमारे लिए कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करे। कम से कम मिथ्या धर्मनिर्पेक्ष तो नहीं करेंगे क्योंकि वह शब्द अपना महत्व खो चुका है...*(व्यवधान)* मैं वही कह रहा हूं। मैं नहीं जानता क्या हमारा अच्छे लोगों का साथ है अथवा वे अच्छे लोगों के समर्थन में रहते है।

चुनाव के दौरान बी जे पी और बी एस पी दो झगड़ालू बिल्लियों की तरह लड़े जिनके बीच में कोई अंकुश नही था। श्री जायसवाल ने हमे याद कराया था कि उन्होंने किस प्रकार मंत्रि मंडल के तीन अत्यंत प्रख्यात मंत्रियों के मुकदमे संबंधित अधिसूचना में संशोधन करके गलती सुधारने का वायदा किया गया था।

अब कुछ माह के पश्चात जब कोई गठबंधन नहीं बन सका तो अचानक ही यह घटना घट गई। यहां 14 मत अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं। इसलिए श्री वाजपेयी यहां 14 बी एस पी मतों के लोभ का फायदा उठाने को रोक नही पाए। अत: इस प्रकार या अन्य प्रकार से उन्होंने स्वयं को अनुग्रह भाजन बनाया।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): यह 14 नहीं है। हम अब 16 है। दो सदस्य हमारे साथ मिले है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: ठीक है हम आपका भला चाहते है। आप बीजेपी से भी कुछ और सदस्य ले लीजिए।

तत्पश्चात् कई महीनों तक किसी को नही बुलाया गया था। नए चुनावों के पश्चात सरकार बनाने के लिए किसी दल को बुलाने का कोई आधार अवश्य होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल मेरे काफी अच्छे मित्र है। वह मेरे राज्य में ही है वह विश्वविद्यालय में मेरी कक्षा में ही थे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: इसमें संशोधन करिए। वह राज्य सभा के मैम्बर उत्तर प्रदेश से हैं और मतदाता सूची में भी वह उत्तर प्रदेश से हैं। आपके यहां से कैसे हो गए?

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह होता है। ऐसा ही इस देश में चलता है।

[अनुवाद]

मैं इसका विरोध कर रहा हूं लेकिन हम अल्पमत में है। कांग्रेस ने भी उसका समर्थन किया हैं। समाजवादी पार्टी - चाहे आप उन्हें पसन्द करे अथवा न करे; हमे अच्छी तरह मालूम है कि आप उन्हें पसन्द नहीं करते हैं-एक मात्र सबसे बड़ा दल था। इसका निर्णय कौन करेगा। संवैधानिक स्थिति अब अनिर्णित नहीं है। संवैधानिक स्थिति अब स्पष्ट अथवा उलझी हुई नहीं है। स्थिति अब स्पष्ट है। मुझे केवल डा. शंकर दयाल शर्मा के निर्णय पर निर्भर रहने की आवश्कता नहीं है? जिन्होंने उस फार्मूला का उपयोग किया था। यद्यपि उस समय हमारी कुछ आपत्तियां थी कि सबसे बड़े बहुमत वाले दल को ही बुलाया जाना चाहिए। हमने कहा था कि श्री वाजपेयी का कोई राजनीतिक अथवा नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह आए और इस पद को ग्रहण करे क्योंकि किसी भी समय उनके पास बहुमत नहीं था अथवा बहुमत प्राप्त करने की उन्हें कोई आशा भी नहीं थी। या 13 दिनों के बाद प्रमाणित हो गया था कि उनके पास बहुमत नही है। इसलिए 13 दिनों के लिए राजनीतिक अथवा अर्थबोधन के अनुसार उस महत्वपूर्ण पद पर बने रहना अनधिकृत अथवा अनैतिक था लेकिन संवैधानिक तौर पर वह हकदार थे क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें आंमत्रित किया था और सरकार बनाने का उन्हे न्यौता दिया था। उन्होंने सरकार बनाई यह शर्मनाक घटनाओं में से एक था उस सरकार का अन्तिम कार्य यह जानते हुए शासन को अनुमति देना था कि वह शीघ्र ही हटाए जाने वाले है (पदच्युत होने वाले है) तथापि यह एकदम मिला है। उन्हें क्यों नही बुलाया गया? यदि वह अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तो उन्हें भी पद छोड़ना पड़ता। आपको सदस्यों की खरीद फरोख्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आपको किसी से भी गठबंधन करने अथवा ताकतों को अगल बगल रखने की अनुमति नही दी जानी चाहिए। यदि आपके दल को उचित लगता है तो आप समर्थन दीजिए तो

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

हम बहुत खुश होंगे। यह हूबहू वही है जो हुआ है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजभवन में मेरे मित्र राज्यपाल महोदय ने अपने पद की गरिमा नही रखी। उनके लिए वो कई मामले की कोई प्राथमिकता नही थी हम सभी उच्चतम न्यायालय द्वारा शपथ लिये हुए है। उनका परामर्श क्या था? उनके द्वारा इस निर्णय को लेने का आधार क्या था?

हमारी शिकायत यह है कि आप अपने व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक निवेदन के आधार पर तदर्थ निर्णय नही ले सकते। यह लोक हित में होना चाहिए। केन्द्र और राज्य में सरकार बनाते समय आप तदर्थ निर्णय अथवा तदर्थ रंग ढंग और समयानुकूल रवैया नहीं अपना सकते। यह हमें नीचे से नीचे ले जाता है।

इसलिए हमें उन व्यक्तियों के बारे में ऐसी शिकायतें सुनने को मिली हैं जो सही तरीके से चुने तो नहीं गए हैं फिर भी उन्हे मंत्री पद दिया जा रहा है। उनमें से कइयों के बारे में हम नहीं जानते। हमें उनके बारे में सुनने को मिलता हैं।

उत्तर प्रदेश में ऐसी अनोखी बात हो रही है-अगर आप मेरा पक्ष लेते हैं तो आप अच्छे व्यक्ति हैं और अगर आप मेरा विरोध करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। क्या आज भारतीय राजनीति ऐसी ही हो रही है? यह और कितनी गंदी होगी? हमारे पास उत्तर प्रदेश में अधिक उपस्थिति नहीं है। हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं परन्तु भारतीय राजनीति को नियंत्रित करने वाली कुछ मौलिक व्यवस्थाएं, मौलिक अवधारणाएं होनी चाहिए। हमारा यह ठीक ही कहना है कि हमारे देश की महान परम्पराएं है, प्रचूर संसाधन हैं तथा असंख्य प्रतिभाए हैं। विश्व का प्रत्येक देश कहता है, ठीक है भारत का भविष्य उज्जवल हैं। परन्तु आज अत्यधिक दुख की बात यह है कि युवक भारत की राजनीति से घृणा करते हैं। राजनीतिज्ञ हंसी के पात्र बन रहे हैं। हम भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए हैं।

आजकल हमें यह साबित करना होता है कि हम ईमानदार है, बेईमान नहीं। पिछले आम चुनावों से पहले हमें एक टेलीविजन शो में भाग लेने के लिए आंमत्रित किया गया था जिसमें हमें पहली बार मतदाता बने युवा लड़के और लड़कियों से मिलना था। उनसे एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि उन्हें सबसे अधिक घृणा किस चीज से है। उन्होंने उत्तर दिया कि वे राजनीतिज्ञों से सबसे अधिक घृणा करते हैं। इस देश के युवा लोगों की राजनीतिज्ञों के बारे में यह धारणा है। हमें धोखेबाज और भ्रष्ट लोग समझा जाता है।

महोदय, इसलिए अब समय आ गया है कि हमारे बारे में सोचा जाए। परन्तु सत्ता की भूख देश को कहां ले जाएगी। क्या हमें भी किसी तरीके से सत्ता में आने के लिए प्रत्येक सिद्धान्त और प्रत्येक सांवैधानिक मानदण्ड के साथ समझौता करना होगा, विशेषकर गलत तरीकों से। इसके साथ ही हम श्री सुखराम के विरुद्ध लड़ते रहे हैं। परन्तु देखिए, हम यह पाते हैं कि वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा समर्थक बन गया हैं। वह उस राज्य का उप मुख्य मंत्री बन गया है जिसमें आप शासन कर रहे है। यह नया प्रजातांत्रिक मंच भी ऐसे ही एक माननीय सदस्य का साथ बनाया गया है जो अधिकतर जेल में रहता है। आपने उन्हें राजग में शामिल कर लिया। श्री थामस यहां उपस्थित नहीं है। मुझे उनके प्रति सहानुभूति है। कोई एक ऐसा सांसद सदस्य है जो नर्सिंग होम से भागा था और पुलिस उसे ढूंढ़ रही है। वे आपके सम्माननीय सहयोगी है। आप लोगों को नैतिकता और राजनैतिक ईमानदारी के बारे में कैसे शिक्षित कर सकते है?

महोदय, यहां तमिनलाडु के मेरे कुछ मित्र हैं। द्रमुक और अन्नाद्रमुक हमेशा लड़ते ही रहते है। उन्हें लड़ने दें। हमारा किसी में कोई विशेष रुचि नहीं है। लेकिन अब दोनों एक साथ है एक सत्ता का लाभ उठा रहे है और दूसरा अन्य तरीके से सत्ता का लाभ उठा रहा है क्योंकि उसे मुक्त किया जाना था और बेचारे श्री वैको इसका शिकार बने हैं। इस देश में इस प्रकार की धोखाधड़ी चल रही है। निश्चय ही यह पतन की स्थिति है। हम भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। वे किस चीज के लिए इच्छा करेंगे? इसलिए वे कहते है कि हमें राजनीति से बाहर रहने दो। यदि संभव हो तो देश के बाहर जाने दो और ऐसी चीजों से हमें बचाओ।

अत: मेरी मांग है कि इतने समय बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार का यह आवश्यक कर्तव्य है कि सदस्यों को इस सभा में यह निर्णय लेने का तुरंत अवसर दें कि वास्तव में किससे संबंधित हैं। राजभवन उनकी गतिविधियों का स्थान नहीं है। उन्हें सभा में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। परिषद के चुनाव के परिणाम से इस बात के लिए काफी और स्पष्ट सामग्री मिलती हैं कि इसे बहुमत का समर्थन नहीं मिल रहा है। इसे इस तरह से तब तक जारी नहीं रहने देना चाहिए जब तक उन्हें सभा का समर्थन प्राप्त नहीं हो जाता।

सभापति महोदय, जितना अधिक समय तक यह अनिश्चितता जारी रहती है, उतना ही अधिक यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी दुखद होगा। हम सभी को उत्तर प्रदेश पर गर्व है। यह भारत में न केवल आकार में सबसे बड़ा राज्य है बल्कि वहां लोगों की संख्या भी सबसे अधिक है। इससे राजनीति साहित्य, इतिहास, विज्ञान, इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महान लोगों को जन्म दिया है। इस राज्य ने तेज बहादुर सप्रु जैसे प्रख्यात विधिवेत्ता दिए हैं।

इस देश में उत्तर प्रदेश ने अधिकांश इतिहासकार और कई प्रधान मंत्री दिए हैं। इसलिए यह अनिश्चितता जारी नहीं रहनी चाहिए और मेरे मित्रों ने जो चिंता व्यक्त किया है उसे दूर किया जाना चाहिए।

अपराह्न 5.45 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

मुझे समाचार पत्र में छपी एक खबर देखने को मिली जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। अत: जितना जल्दी यह अनिश्चितता दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं पूरी विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश राजभवन के अपने मित्र से अनुरोध करता हूं कि उन्हें तुरंत अपने बारे में सोचना चाहिए और आर एस एस के अपने परामर्श दाताओं द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिए।

यह इस देश का दुर्भाग्य है। उन्होंने न केवल पाठ्यक्रमों को भगवाकरण किया है बल्कि इस देश के संपूर्ण सांस्कृतिक परिदृश्य के अलावा राज भवनों का भी भगवाकरण किया है। इस देश में बौद्धिक विपन्नता आ गई है। भारत की एकता और अखण्डता की महान संकल्पना अब गौण हो गई है। भारतीय राजनीति का व्यावसायिकरण हो गया है क्योंकि अब यहां एक हाथ ले तो दूसरे हाथ से दे वाली नीति चल पड़ी है। यह नीति भारत के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा बन रही है। सरकार ने इस भ्रष्टाचार को महिमामंडित किया है। अब यह देश घोटालों का देश बन गया हैं।

अंतत: मीडिया को भी नहीं छोड़ा गया है। यहां तक कि मीडिया के एक भाग को जो मुकाबले का साहस कर सकता है आतंकित किया जा रहा है। हमें इससे उबरना है। मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि कृपया हर बात को अपने तत्कालीन दलगत हितों के आधार पर नहीं देखना चाहिए। इस देश, भारत से बढ़कर कुछ नहीं है और इस देश के लिए लोकतांत्रिक नीति से बढ़कर कुछ नहीं है। अत: मैं प्रत्येक से अनुरोध करता हूं कि प्रजातंत्र की मूल भावना को बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश की चर्चा के मध्य में मुझे बोलने का अवसर दिया।

उत्तर प्रदेश की चर्चा के मध्य अभी समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी ने राज्यपाल के आचरण को संदिग्ध बताया, राज्यपाल जी के उपर कई कटाक्ष किए और कहा कि हम बड़े दल के रूप में थे, हमें सरकार बनाने के लिए बुलाया नहीं गया। फिर यह कहा कि अभी हमारी बात नहीं सुनी गई और दूसरी तमाम बातें कहीं।

हमारे स्वामी जी ने ठीक कहा था कि उत्तर प्रदेश में राजनैतिक अस्थिरिता है और इसे प्रारंभ करने का श्रेय सन् 1989 से मुलायम सिंह जी को है। अब इस अस्थिरता के अंर्तगत बार-बार जब भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एक दलित बहिन को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया गया, यह तीसरी बार है, तब-तब इन्होंने इनकी सरकार को गिराने के लिए पूरे प्रयास किये, पूरे हाथ-पैर फैलाए। वहां जो चुनाव हुआ उस चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और यह ठीक है कि समाजवादी पार्टी एक बड़े दल के रूप में उभरकर आई। दो महीने तक बड़े दल को मौका दिया गया कि आप अपनी सूची दे दीजिए। आप अगर बहुमत में है तो आप बता दीजिए, लेकिन वे नहीं बता पाए तब जाकर मायावती जी ने 211 सदस्यों की एक सूची राज्यपाल जी के पास दाखिल की।

महोदय, उस समय आपने कहा और अन्य लोगों ने भी कहा कि यह सरकार स्वत: गिर जाएगी, हमको गिराने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कहा गया, जैसा आप कह रहे हैं कि भ्रम फैला है, भ्रम का निवारण हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि भ्रम तो आपने फैलाया है कि इन्हें 211 सदस्यों का बहुमत प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जब 17 मई को विधान सभा में विश्वास मत हासिल हुआ, तो हमें 211 की जगह 217 सदस्यों का बहुमत मिला और 217 के बहुमत से सरकार चली।

आज जो सरकार बन गई है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता का बहुमत प्राप्त है। आम जनता का भी आर्शिवाद प्राप्त है। उप चुनाव में जो दो सीटें मायावती के पास थीं, वे तो उन्होंने जीती हीं, लेकिन आपके पास जो बेहड़ी की सीट थी, उस पर भी मायावती का प्रत्याशी जीता और इस प्रकार उत्तर प्रदेश की आम जनता ने भी उन्हें अपना आशिर्वाद दिया और सभी का आशिर्वाद पाकर वे आगे बढ़ीं।

आपने उसी समय एक ओर प्रदेश में साम्प्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास किया और यह कहना शुरू कर दिया कि चूंकि ब.स.पा. ने साम्प्रदायिक ताकतों से हाथ मिला लिया है इसलिए ब.स.पा. के जो अल्पसंख्यक विधायक हैं वे उसका साथ नहीं देंगे। आपका यह भ्रम दूर हो गया जब बेहड़ी में अल्पसंख्यक समुदाय की विधान सभा वाली सीट वहां मायावती को मिली और वहां की जनता ने एक अल्पसंख्यक प्रत्याशी को जिताया और आपकी जो सीट थी, उसे आप हार गए। आपने फिर भ्रम फैलाने का काम किया और उसके अन्तर्गत आपने तमाम बातें कहीं। अभी हमारे

[श्री श्याम बिहारी मिश्र]

स्वामी जी ने कहा कि जब आपकी सरकार बनी थी तो आपने बहिन मायावती जी का सहयोग लिया था, लेकिन आपके आचरण के विरूद्ध उन्होंने आपसे हाथ खींचा। इसी प्रकार अक्तूबर में कांग्रेस ने भी आपसे हाथ खींचा। क्योंकि उन्होंने भी आपका सहयोग किया और उसका नतीजा जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। क्योंकि आपका आचरण न केवल मायावती जी ने पहचान लिया बल्कि कांग्रेस ने भी पहचान लिया। 1989 में और 1994 में जब आपकी सरकार बनी, तब आपका क्या आचरण प्रदेश के लोगों के साथ रहा, इस बात को पूरा प्रदेश जानता है।

मान्यवर, बार-बार यहां कहा जा रहा है कि बहुमत नहीं है जबकि सरकार के पास 217 सदस्यों का बहुमत था, जिसमें से केवल सात निर्दलियों ने अपना समर्थन वापस लिया - यानी 210 सदस्यों का बहुमत अभी भी है। अभी आपने इस हाउस में 12 विधायकों का एक पत्र पढ़ा। उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि हम लोग वर्तमान सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। आप लोग राज्यपाल पर दोषारोपण कर रहे हैं। राज्यपाल के सामने जो रिकार्ड है वह पहले 210 सदस्यों का था, फिर 217 सदस्यों का हुआ जिसमें से सात निर्दलियों ने समर्थन वापस ले लिया, तो भी 210 सदस्यों के समर्थन का रिकार्ड उनके पास है।

आप बार-बार कह रहे हैं कि विधान परिषद के चुनाव हो जाने दीजिए, बहुमत का पता चल जाएगा। आपको विधान परिषद के चुनावों में केवल 193 वोट मिले। उत्तर प्रदेश के सारे समाचार पत्र रंगे थे। आपके महासचिव के बयान हैं, जिनमें कहा गया है कि कांग्रेस हमारा साथ न देना चाहे, तो न दे, परन्तु हमारे साथ 204 विधायक हैं, लेकिन जब विधान परिषद के चुनाव हुए, तो आपका वह भ्रम भी दूर हो गया और आपको केवल 193 वोट मिले। इस प्रकार से देखें तो आपको कहां से बहुमत मिल गया? फिर आप बार-बार कह रहे हैं कि विधान सभा का सत्र बुलाकर बहुमत हासिल किया जाए।

जैसे आपके अभी तक के सारे भ्रम दूर हुए हैं, राज्यपाल के दिमाग में कोई भ्रम नहीं है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनके दिमाग में कोई भ्रम नहीं है। आपके दिमाग में जो भ्रम है, जब समय पर विधान सभा बुलाई जाएगी तब आपका यह भ्रम भी दूर हो जाएगा कि सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है। अगर राज्यपाल के आदेश पर आप लिखवाकर भिजवा देते तो राज्यपाल का निर्णय कुछ और होता परन्तु आप दिलवा नहीं पाये। फिर भी बार-बार आप यहां कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अल्पमत में है।

मान्यवर मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पर आप साम्प्रदायिक आदि अन्य बातों का आरोप लगाते हैं। कभी-कभी यह भी कहते हैं कि यह ऊंची जाति की पार्टी है। जब-जब बहन मायावती मुख्यमंत्री बनीं, तब-तब आपने रोड़ा लगाने का काम किया और कोशिश की कि किसी तरह से दलित बहन को मुख्यमंत्री न बने रहने दिया जाए, उन्हें हटाया जाये। वही काम आज आप भी कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* जब 211 वोटों की जगह 217 वोट पड़े, उसके पहले जब विधान सभा के चुनाव हुए और विधान सभा में पूर्ण आशिर्वाद इस वर्तमान सरकार को मिला, तब आपको सोचना होगा कि अब सरकार के ऊपर किसी प्रकार के आरोप हम न लगायें। हम बस एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत कुछ कहा गया है, हमारे कांग्रेस के भाई ने भी ठीक कहा है कि 13 वर्षों में उत्तर प्रदेश पीछे चला गया है। 13 वर्षों में राज्य पीछे गया या 40 सालों में पीछे गया लेकिन यह पीछे जाने का ट्रेंड किसने शुरू किया?

अभी आपने कहा कि 40 साल में बड़े-बड़े उद्योग लगाये गये और बंद हो गये। मैं कहना चाहता हूं कि जो उद्योग लगे थे, वे पुराने थे जो बंद हो गये हैं। आपके शासन काल में उत्तर प्रदेश मैं कौन से बड़े-बड़े उद्योग लगाये गये-जो आपने एन.टी.सी. का नाम लिया है, बी.आई.सी. का नाम लिया है-ये सब अंग्रेजों के जमाने में लगे हुए उद्योग थे। कांग्रेस के जमाने में लगे हुए उद्योग नहीं थे। अभी मुलायम सिंह जी ने यह भी कहा है कि पार्क न बनवाकर स्कूल बनना चाहिए। आपका पहले कांग्रेस के जमाने में एक नियम बना था, उसके बाद जब आप मुख्यमंत्री बने तब भी वही नियम था कि एक ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए तथा दूसरा स्कूल डेढ़ किलोमीटर दूर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हर 300 आबादी वाले गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने का काम किया।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: अभी तक कोई स्कूल नहीं खुला है। ...*(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र: अखिलेश सिंह जी, वहां काम चालू है। लगभग 80 परसेंट गांव में स्कूल खुल चुके हैं। एक साथ स्कूल नहीं खुल सकते। हमें केवल 14 साल ही मिलें, ज्यादा नहीं मिले हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह: आदरणीय मिश्र जी, आपकी इस बात का हम प्रतिवाद कर रहे हैं कि 300 की आबादी पर कहीं भी स्कूल नहीं खुला है।...*(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र: यदि हम आपको आंकड़े दिखायेंगे तो कोई कहेगा कि कौन से पुराण से पढ़ रहे हैं तो कोई कहेगा कि क्या कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन से पुराण के द्वारा बता रहे हैं 300 की आबादी वाले गांव में स्कूल नहीं खुले हैं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: अगर 300 की आबादी पर स्कूल खुलने की बात साबित हो जायेगी तो मैं संसद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र: मुझे आपका चैलेंज स्वीकार है। हम आपको आंकड़ें दे देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मिश्र जी, आप चेयर की तरफ देखकर बात करिये।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: उत्तर प्रदेश के 80 परसेंट गांवों में 300 की आबादी वाले गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने का काम हो चुका है और यह अभियान अभी चालू हैं। बहन मायावती ने इसको बंद नहीं किया है। एक, दो या चार सालों में सारे गांवों में एक साथ स्कूल नहीं खुल सकते। क्या यह बात असत्य है कि पहले एक न्याय पंचायत में जूनियर हाई स्कूल होता था? भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में यह व्यवस्था की गई दो हजार आबादी वाले गांव में एक जुनियर हाई स्कूल होगा। अब वह भी स्कीम चालू है। आप कहेंगे कि इस गांव में नहीं हुआ है परन्तु स्कीम चालू है। क्या आप इससे इंकार कर सकते हैं?

सायं 6.00 बजे

क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में यह कार्य प्रारंभ नहीं हुआ कि एक ब्लाक मे दो कन्या इण्टरमीडिएट कालेज खुले? चालीस वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, उसे वहां की सरकार कर रही है। हमारे मुलायम सिह जी शिक्षक रहे हैं, आपके दो मर्तबा मुख्य मंत्रित्वकाल में जो काम नहीं हो पाया, वह उत्तर प्रदेश में बहुत थोड़े समय में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: प्रत्येक ब्लाक में कन्या विद्यालय हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ था।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हम बीच में टोकना नहीं चाहते। यह मत बोलिए, हमने ही शुरू किया था।...(व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी मिश्र: आपने प्रस्ताव पारित करके छोड़ दिया था।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इसे सुधारें। 120 ब्लाक में हमने खुद एक साल के अंदर कन्या इंटर कालेज शुरू किए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा की कार्रवाई छह बजे स्थगित होनी थी। मैं इस बहस के समाप्त होने तक समय बढ़ा रहा हूं। लगभग 15 वक्ताओं को अभी बोलना है। इससे अधिक नाम नहीं लिए जाएंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण चर्चा है। इस पर सदन जितना समय चाहे दे दें।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: क्योंकि यह चर्चा की गई, यह चर्चा का विषय नहीं था लेकिन उधर से भी कहा गया और इधर से भी कहा गया कि तेरह साल में उत्तर प्रदेश पीछे चला गया, इसलिए बोलना पड़ रहा है। क्या यह बात सही नहीं है कि जिन गांवों में सड़कें नहीं थीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और जिसे आज हमारी बहन मायावती ने भी लागू किया हुआ है कि हम गांवों में सड़के बनवा रहे हैं? अभी हम पांच सौ तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन यह लक्ष्य है कि पांच सौ तक की आबादी वाले गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसका रुपया हर जिले में पहुंचाया गया है। अभी हम पन्द्रह सौ पर पहुंचे हैं, फिर एक हजार तक जाएंगे और इसके बाद पांच सौ पर आएंगे। प्रधान मंत्री सड़क विकास योजना से हम बनाएंगे, लेकिन प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए अपना धन आवंटित किया। आपने कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वैसे यह आज का विषय भी नहीं है, लेकिन क्योंकि उधर से भी आरोप लगाए गये और इधर से भी आरोप लगाए गए, इसलिए कुछ बातें कहना आवश्यक था।

हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि राज्यपाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का आरोप लगाना, एक ऐसे राज्यपाल के लिए, उनका अपना एक चरित्र है, यहां कहा गया है कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर राज्यपाल कह रहे हैं कि आप अपनी कोई सूची नहीं दे पाए, आप अपने 204 सदस्यों का बहुमत साबित नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी ने 211 का लिख कर 217 का बहुमत साबित कर दिया तो किस तरह से वे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार चल रही है, वह पूरे बहुमत में हैं। उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, समाजवादी पार्टी के महामंत्री अटैची लेकर लखनऊ में डेरा डाले रहे पर एक भी विधायक से यह नहीं लिखवा पाए कि हम समर्थन वापिस ले रहे हैं। पड़े रहे डेरा डाले रहे। उसके बाद भी राज्यपाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपके महासचिव का जो डेरा लखनऊ में पड़ा था, सारे अखबारों ने लिखा था, वे एक से भी नहीं लिखवा पाए यानी विधायक के ईमान को डिगवाने का काम भी नही करा पाए।

उसके बाद भी बार-बार राज्यपाल जी के ऊपर आरोप लगाये

[श्री श्याम बिहारी मिश्र]

जा रहे हैं, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है वह पूर्ण बहुमत में है और पूर्ण बहुमत के साथ, जो वहां पर राज्यपाल इस समय कर रहे हैं, अगर इनके पास कोई लिखित सबूत हों तो उन्होंने कई बार मांगे हैं, ये अभी भी दें। वह तो ये देते नही हैं, केवल भाषण में यह बात कह रहे हैं। इसलिए हम जो यहां प्रस्ताव आया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल को हटाया जाए, इसका विरोध करते हैं। राज्यपाल वहां सुचारू रूप से, संवैधानिक रूप से और नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। हां, यह बात जरूर है कि धींगामुश्ती वाला नहीं काम कर रहे है। हम उसे बार-बार नहीं कहेंगे, हमारे स्वामी जी ने कहा था कि संसद में भी धींगामुश्ती हो गई, अल्वी जी बैठे हैं।

आप वहां से अभी कह रहे थे, मुझे याद है, जब 1995 में इनका शासन था तो एक बार इन्होंने प्रदेश बंद करवाया। इनका शासन था, ये मुख्यमंत्री थे और इन्होंने प्रदेश बंद कराने का आह्वान किया। उसमें आवाज दी गई, "खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी।" आपके द्वारा यह नारा दिया गया था, इन्होंने बंद का आह्वान किया था, ये मुख्यमंत्री थे। क्या हल्ला बोल कार्यक्रम आपने नहीं किया?

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): यह बिल्कुत गलत बोल रहे हैं।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: मैं व्यापारी हूं। हल्ला बोल कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने नारा दिया, मैं आपको नारा दिखाऊंगा। "खुली दुकान हमारी, बन्द दुकान तुम्हारी।" आपने पत्रपारों को पीटा, अदालत को पीटा, आपने क्या नहीं किया। आपके इन्हीं कारनामों को कांग्रेस ने पहचाना और इसलिए वे आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपके इन्हीं कारनामों को पहचाना और इसलिए बसपा ने आपसे समर्थन वापस लिया था और आप ये सब बातें कर रहे हैं तो हम क्या बतायें।

अध्यक्ष महोदय: आपका समय पूरा हो गया है, कन्क्लूड कीजिए।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। सत्ता पक्ष में अपराध करने का काम माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रारंभ किया था। अपराधीकरण का काम माननीय मुलायम सिंह जी ने शुरू किया था और अब दोषारोपण दूसरे के ऊपर किया जा रहा है, यह न्यायसंगत नहीं है। मायावती बहन जी के शासन काल में प्रदेश में पिछले सालों में सरकार अच्छी चली और इस समय भी अच्छी चल रही है। अभी भी कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मुलायम सिंह जी, आप दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आपने प्रदेश का माहौल बिगाड़ा, तब सबसे ज्यादा दंगे हुए। वर्तमान में मायावती जी के शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। इस प्रकार कोई घटना नही हुई।...*(व्यवधान)* आप ठीक बात कह रहे हैं, कोई घटना रामपुर तिराहे की तरह मायावती जी के शासनकाल में नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय: आप भाषण समाप्त कीरिये। देखिये, मैं सभी को ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं। आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल संवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं, उन्हें यथावत् कार्य करने से बार-बार डिमोरेलाइज करने का काम नहीं किया जाना चाहिए। एक भले आदमी के ऊपर बार-बार आरोप लगाकर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान मायावती सरकार, जो सुचारू रूप से शान्तिपूर्वक उत्तर प्रदेश में शासन चला रही है और उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रही है, उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का काम नहीं किया जाना चाहिए।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष जी, समय कम है, सारे भाषण मैंने सुने जिनमें गुंडागर्दी से लेकर करप्शन तक की बात कही गई है। वक्त कम है। और मैं बड़े तसहुद में मुब्तिला हूं कि अपनी बात शुरू करूं तो कहा से शुरू करूं। अगर 1977 से शुरू करूं जब सारे लोग बी.जे.पी. के साथ मिलकर देश में राज कर रहे थे तो बात बहुत लम्बी हो जाएगी। अगर उसके बाद अपनी बात शुरू करूं तो 1989-90 में एक बार फिर बी.जे.पी. के साथ मिलकर राज चल रहा था तो भी बात लम्बी हो जाएगी। अगर मैं अपनी बात वक्त से शुरू करूं जब यू.पी. में गवर्नर भंडारी साहब थे और 6 महीने तक यू.पी. के अंदर गवर्नर राज था तो भी मेरी बात लम्बी हो जाएगी। मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि किसी राज्यपाल के आचरण पर लोक सभा के अंदर बहस की जाए। किसी भी राज्यपाल के आचरण पर लोक सभा के अंदर बहस करेंगे तो लोक सभा की गरिमा भी कम होगी और हिन्दुस्तान की जम्हूरित की भी गरिमा कम होगी।...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): संविधान लिखने के वक्त तो आप ही थे।...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: संविधान लिखने के वक्त तो नहीं था लेकिन संविधान को समझना जानता हूं और यह भी जानता हूं कि कब आप इधर की जुबान बोलने लगते हैं और कब उधर की जुबान बोलने लगते हैं। यह सिर्फ आप ही समझ सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: जो सही होगा, वही बोलेंगे चाहे आपको अच्छा लगे चाहे उनको अच्छा लगे।...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: संविधान के अंदर आर्टिकल 174 और 175 के अंदर गवर्नर के राइट्स और कर्तव्यों के बारे में लिखा हुआ है। मैं इसे पढ़कर समय खराब नहीं करना चाहता हूं। फिर कहेंगे कि संविधान के वक्त आप मौजूद थे। लेकिन आज संविधान है। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने आर्टिकल 174 न पढ़ा हो तो उसे पढ़ ले।...*(व्यवधान)* लेकिन मैं अपनी बात इस चुनाव से शुरू करता हूं जो अभी असैम्बली का चुनाव हुआ था, जो 8-10 महीने पहले यू.पी. में चुनाव हुआ था। जम्हूरियत के अंदर जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं, वह जीतने वाला कहलाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जम्हूरियत वह तरजे-हकूमत है कि जिसमें इंसान को गिना जाता है, तौला नहीं जाता है। जिसके पास अकसरियत होती है, वह राज करता है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे आदमी का एक वोट होता है। जिसके पास ताकत होती है, वह सरकार बनाता है। यू.पी. के अंदर भी महीने भर से ज्यादा प्रेसीडेंट रूल रहा। वे तमाम राजनीतिक दल जो यू.पी. में राज करना चाहते थे, उनके पास पूरा मौका था कि वे बहुमत साबित करते और राज्यपाल के सामने जाते। राज्यपाल के सामने जाकर कहते कि हमारे पास इतने एमएलएज की अकसरियत है, हम यू.पी. में सरकार बनाएंगे लेकिन किसी ने नहीं कहा। हम भी इंतजार करते रहे। बहुजन समाज पार्टी भी इंतजार करती रही कि वे तमाम सैकुलर ताकतें जो पूरे हिन्दुस्तान के अंदर सैकुलर की दुहाई देती हैं, वे आगे बढ़ेगी और कहेगी कि तुम आगे बढ़ो और यू.पी. में राज चलाओं और तुम यू.पी. की सरकार बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जबकि सारा हिन्दुस्तान जानता है कि उस दलित की बेटी ने दूसरों को मौका दिया था कि यू.पी. का राज चलाओ। उस दलित की बेटी का इतना बड़ा दिल था कि उसने कहा था कि यू.पी. के तुम मुख्य मंत्री बनो, राज को और राज चलाओ। हम इंतजार करते रहे। कोई सैकुलर पार्टी आगे नहीं बढ़ी। कोई सैकुलर तनजीम आगे नही बढ़ी जिसने उनसे कहा हो कि यू.पी. के हालात खराब हैं, हम आपका साथ देंगे। एक महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया। तब भाजपा आगे बढ़ी और दलित की गरीब बेटी को मौका दिया कि यू.पी. की मुख्य मंत्री बनो और इस 6 महीनों के वक्त के अंदर उस दलित की बेटी ने जिसके ऊपर तरह-तरह के इल्जामात लोक सभा में लगाए जा रहे थे, यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि यू.पी. में एक भी कम्युनल रायट नहीं हुआ है। एक भी फिरकावाराना फसाद नहीं हुआ है जबकि उससे पिछली संस्कारों के अंदर फिरकावाराना फसाद बड़ी संख्या में हुए थे। मुलायम सिंह यादव जी यहां बैठे हैं। मैंने उनकी तकरीर को गौर से सुना है लेकिन यू.पी. के मुस्लिमों ने हमेशा बड़ी तादात में आपका साथ दिया। इसमें कोई चोरी की बात नहीं है। वे आपके साथ है। उन्होंने आपका नेता माना।

जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश में जो कम्युनल रायट्स हुए थे, उसकी सच्चाई आप मुझ से ज्यादा जानते हैं। मैं बिजनौर का रहने वाला हूं और अमरोहा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मैं नुमाइन्दगी करता हूं। अमरोहा जिला ऐसा जिला है, जिस जिले के अंदर तारीख गवाह है कि हिन्दुस्तान के अंदर इससे ज्यादा सैक्युलर जिला दूसरा कोई नहीं है। आजादी से पहले एक तारीखी चुनाव हुआ था, जिसमें हाफिज मोहम्मद साहब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और मुस्लिम लीग से कोई शमीर साहब थे। उस चुनाव के अंदर हिन्दुस्तान के तमाम लीडर बिजनौर गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के नारे बुलन्द हो रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर जिन्नाह तक अनेक लोग बिजनौर की सरजमीन पर गए। उस चुनाव में, आज भी तारीख के पन्नों के अंदर लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, कांग्रेस से हाफिज मोहम्मद साहब जीते थे, जबकि वहां मुसलमानों की आबादी थी और उस वक्त वे बड़ी तादात में थे। उन्होंने साबित किया था कि बिजनौर का जिला सैक्युलर जिला है और सैक्युलर रहना चाहता है। उसी बिजनौर के अंदर मुलायम सिंह जी के जमाने में जब आप मुख्यमंत्री थे और मुसलमानों के कन्धों पर चढ़कर मुख्यमंत्री बने थे, तब बिजनौर के मुसलमानों के साथ जो सलूक हुआ, वह मैं बयान नही कर सकता हूं मैं वह फोटोग्राफ लाना भूल गया, मैंने अपने आफिस से निकाला था। उसमें दिखाया गया था कि लाश खेतों के अंदर पड़ी हुई थी और सूअर सूंघनें का काम करे रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं आप यहां मौजूद हैं और मुझे आपसे पूछने का मौका मिला है, यह मेरे दिल का दर्द है और बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के अकलियतों की तरफ से पूछना चाहता हूं। क्या बिजनौर के अंदर जो फसाद हुए, उसमें आपने किसी एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की?...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: उनकी हत्या करने वाला कौन था और आप किनके साथ बैठे थे।...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: मुलायम सिंह जी, मेरा सवाल था - क्या उस समय आपकी सरकार ने किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की?...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: हां, एसपी के खिलाफ कार्रवाई की थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात बाद में कह लीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: यह आरोप है। वहां अयोध्या को लेकर, रथ यात्रा को लेकर एक स्थिति थी। लेकिन अगर हम उन बातों में जायेंगे, तो पता चलेगा कि क्यों हो रहा था और किन परिस्थितयों के अंदर हमने केवल नकेल डाल दी थी।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री राशिद अलवी: महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं - ''जिन्हें तुम सुन नहीं सकते, जिन्हें हम कह नहीं सकते, वह कहने की बातें हैं और वही सुनने की बाते है।'' एक एडीएम जो इसमें शामिल था, उसे आपने प्रमोट करके बरेली भेज दिया। हम कहते रह गए कि इसको ससपैंड करिए, क्योंकि उसने अपनी गोलियों से मुसलमानों को भूनने का काम किया था। हम आपको अपना सीना चीरकर नहीं दिखा सकते हैं। जो हमारे दुश्मन हैं, उन्हें हमारी गर्दनें इसलिए चाहिए कि वे हमारे दुश्मन हैं और जो हमारे दोस्त हैं, उन्हे हमारी गर्दनें इसलिए चाहिए कि वे हमारे दोस्त हैं।

मोहदय, मैं लम्बी बात नही करना चाहता हूं. लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो स्थिति है और जैसा कहा जा रहा है कि अकसरियत की सरकार नहीं, मैजोरिटी को सरकार नही, माइनोरिटी की सरकार है। इस बात को किसी भी तरह साबित नहीं कर सकते हैं। किसी काउन्सिल के चुनाव की जीत और हार इस बात को साबित नहीं कर सकती है। मैंने मुलायम सिंह की तकरीर को बहुत गौर से सुना है। आपकी तकरीर को एक जुमले में कहा जाए, तो स्थिति यह है कि आपको उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह भ्रम है कि वह मैजोरिटी में नहीं है और माइनोरिटी में है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्र भी यहां बैठे हुए हैं, एक बार यह क्यों नहीं कह देते कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाए, हम साथ हैं। आपने गवर्नर के सामने भ्रम की बात ही नहीं की, आपने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास मैजोरिटी है और 204 विधायकों की लिस्ट गवर्नर को पेश की। मैं आपसे पूछता हूं अगर आपको गवर्नर बना दिया जाए, तो क्या आप यह नहीं देखेंगे कि 204 विधायकों के नाम क्या हैं, पते क्या हैं, उनके दस्तखत मौजूद हैं या नहीं और सपोर्ट करते है या नहीं करते हैं। आपने कोई लिस्ट नहीं दी। आपने कोई नाम भी नहीं दिए और अपने दस्तखत भी नहीं दिए। पूरी दुनिया में इस बात को कौन यकीन करेगी कि वे 204 लोग आपके साथ हैं। काउन्सिल के चुनाव के अंदर आपको 183 वोट पड़े और रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार 194 वोट लेकर जीता। कांग्रेस एब्स्टेन कर गई। मैं आपसे लीगली बात करता हूं कि कांग्रेस भी यह बात साबित नहीं कर सकती कि उन्होंने एब्स्टेन किया। किस एमएलए ने एब्स्टेन किया, किस ने वोट दिया, इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं हो सकता। यह मुमकिन नहीं है कि इस बात को आप साबित करें। आप अखबारात के जरिए कर सकते हैं, इलैक्शन कमीशन के रिकार्ड के हिसाब से नही कर सकते।...*(व्यवधान)* यह सिक्रेट बैलेट है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): जब आप बैलंट लेते हैं तो आपको उस पर हस्ताक्षर करना होता है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: यह पता नहीं चलेगा कि किस ने किसे वोट दिया, सिर्फ यह पता चलेगा कि किसने वोट नहीं दिया। इसलिए किसी भी इलैक्शन से यह साबित नहीं कर सकते कि सरकार मेजोरिटी में है या माइनोरिटी में है। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं हो सकता है।

महोदय, उत्तर प्रदेश में आज भी सरकार मेजोरिटी में है। आपने गुंडागर्दी की बात की है, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं हाउस का वक्त खराब करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास लिस्ट मौजूद है, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की है। मेरे पास रिकार्ड है, लेकिन मैं किसी का नाम लेकर किसी की तोहीन नहीं करना चाहता। इस लिस्ट में मौजूद है कि किस के खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं। राशिद आल्वी दुनिया का आखिरी आदमी होगा, जो किसी बेइमान या क्रिमिनल आदमी का साथ देगा। वह किसी भी पार्टी का हो, वह कांग्रेस, मेरी या आपकी पार्टी का हो। मैं किसी बेईमान या क्रिमिनल आदमी के साथ नहीं जा सकता, लेकिन मेरे पास आपकी पार्टी की भी लिस्ट मौजूद है। मैं एक-एक करके सब नाम पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता। मेरी गुजारिश यह है कि हिन्दुस्तान की राजनीति को अगर आप क्रिमिलाइजेशन से अलग नहीं करेंगे तो हिन्दुस्तान की राजनीति, जम्हूरियत खराब हो जाएगी - चाहे वह कोई भी राजनैतिक दल हो। जब तक क्रिमिनल लोगों से दूर नही रहेंगे तक लम्बी राजनीति भी नहीं कर सकते। अगर राजनीतिक दलों में गुंडे और क्रिमिनल्स आएंगे तो फिर न उनकी राजनीति लम्बी हो सकती है और न नेताओं की हो सकती है।

महोदय, जिस तरह का वाक्या लोक सभा के अंदर हुआ, मैं आपसे शिकायत नहीं करता कि आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस लोक सभा की क्या गरिमा पूरे हिन्दुस्तान की अंदर रही। अखबारात के अंदर भी यह बात आई। उस समय यहां फारेन डेलीगेशन बैठा हुआ था, किस तरीके का वाक्या यहां पेश आया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उसी समय कहा था कि यह बात अच्छी नहीं है। मैंने इस विषय में निर्णय लिया और आप जानते हैं कि मैंने उसी समय यह भी कहा कि आज के बाद ऐसी बात न हो। इसलिए उस विषय को आप छोड़ दीजिए।

श्री राशिद अलवी: आप कह रहे हैं तो मैं उसकी चर्चा नहीं करता। यहां एक बात राजाभैया के बारे में कही गई। मैं कतई किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता, यह भी मैं इस हाउस की गरिमा के खिलाफ समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, वह कानून के मुताबिक हो रहा है।

महोदय, मुझे याद है कि जब असेम्बली का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने मेरी कांस्टीट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगाया गया था कि राजाभैया जैसे अपराधी भाजपा की मिनिस्ट्री में शामिल हैं। आज अगर उनके खिलाफ मायावती ने कोई कार्यवाही की है तो मैं बहन मायावती को मुबारकबाद देता हूं। आपने जिस तालाब का जिक्र किया, मेरी मायावती जी से उसके बारे में बात हुई थी। मैं जानता था कि यह मसला उठ सकता है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने मुझे बताया कि वह तालाब, जो सैंकड़ों एकड़ में मौजूद है, उसकी लोगों ने एफआईआर की है कि हमारी जमीन जबरदस्ती कब्जा ली है। ग्रामसभा की जमीन, उस पर अगर चीफ मिनिस्टर ने फैसला किया है तो ठीक किया है। इससे उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी से, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री निपट रही हैं, ऐसी मिसाल उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकती। उत्तर प्रदेश में अपराधों के अंदर 47 फीसदी की कमी पिछले छः महीनों में आई है, जो 50 प्रतिशत हिस्ट्री शीटर्स आउटस्टैडिंग क्रिमिनल्स हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार करने का काम किया है।

बलात्कार में 22 प्रतिशत कमी आई, क्राइम्स में 27 प्रतिशत कमी आई। बहुत सारे काम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं वे आपने भी गिनाए हैं। मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक गठित नहीं हुआ था, बहन मायावती को सरकार ने उसे गठित करने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में जो खजाना खाली था, आर्थिक स्थिति खराब थी, आज करीब-करीब एक हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश की सरकार ने पैदा करने का काम किया है। ऊर्जा निगम का जो 225 करोड़ रुपया बिजली विभाग पर पड़ा हुआ था वह रेवेन्यू बढ़ाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। यही नहीं, आज गरीब आदमी, साधारण आदमी से कह दिया गया है कि दो घंटे रोजाना, उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर डीएसपी सीधा आपकी समस्याओं को सुनेगा।

जहां तक तबादलों का ताल्लुक है, अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं और शासन के अंदर तबादले करना कोई गलत बात नहीं है। कोई सांसद महोदय कह रहे थे कि सांसदों की कमेटी बनाई जाए लेकिन मायावती सरकार ने यह काम किया है कि आज जितना खौफ अधिकारियों के अंदर है उतना पहले कभी नहीं था। जिसका नतीजा यह है कि कोई भी अधिकारी अपने काम के प्रति लापरवाह नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चय किया है कि क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसके अलावा मेरे साथियों ने दलितों के बारे में कहा था। मेरा कहना है कि यह है कि दलितों की पट्टे की भूमि पर जो गैर कानूनी कब्जा था उसको हटाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने किया और दो लाख हेक्टेयर भूमि दलितों को वापस दिलाई है। पांच प्रतिशत मुसलमानों के लिए थाने के इंचार्ज का पद जरूरी किया, बीस प्रतिशत थाना इंचार्ज के पद शैड्यूल्ड कास्ट के लिए होंगे ताकि शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ ज्यादती न हो सके। बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए 27 प्रतिशत रिजर्वेशन किया गया है।

आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजनीति में जिसके पास बहुमत होता है वही हुकूमत करता है और जिस दिन भी असैम्बली का सैशन बुलाया जाएगा, उस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी और दुनिया देखेगी कि वही बात सही हुई जो हम कह रहे हैं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, कुछ मूल तथ्यों को समझना चाहिए। जब विधान सभा के चुनाव हुए थे तब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। यह गठबंधन का युग है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): प्रसाद जी, आप तो बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं, आप हिन्दी में बोलिये।

श्री रवि शंकर प्रसाद: अभी अंग्रेजी में बोलने दीजिए, फिर हिन्दी में भी बोलूंगा। कुछ कानूनी विषयों पर बात करूंगा, इसलिए अंग्रेजी चलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: हिन्दी मिक्स करके बोलिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं तो वही करने वाला था अध्यक्ष जी लेकिन ये चाहते हैं तो मैं हिन्दी में बोलता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर किसी चुनाव के पश्चात किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में देश की राजनीति को क्या करना है, यह देश की जनता हमसे अपेक्षा करती है। इसके

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

रास्ते दो हैं। एक तो ईमानदारी से कोलिशन बनाइये या बैक-स्टैबिंग करिये। एनडीए की सरकार बनी। हमारे साथ सहयोगी पार्टियां थीं। हमारे रिश्ते ईमानदारी और प्रमाणिकता के हैं। बीस से अधिक पार्टियों के साथ हम केन्द्र में सरकार चला रहे हैं और हमने एक कामन एजेंडा बनाया है। ये सारी पार्टियां हमसे अलग भी रही हैं और हम इस तथ्य से इंकार नहीं करते हैं। परन्तु हमने गठबंधन की राजनीति की वास्तविक संस्कृति को कायम रखने की कोशिश की। दिल्ली में पहले भी हुआ था। याद करिये कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी। तब आठ महीने एक प्रधान मंत्री को चलने दिया गया। फिर कांग्रेस पार्टी ने विदड्रा कर लिया। फिर दूसरे प्रधान मंत्री आए, फिर उनको विदड्रा कर लिया गया। क्या यह प्रमाणिकता नहीं है? लखनऊ में सपा और बीएसपी की एक सरकार बनी थी। उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी, जिनके लिए मेरे मन में बहुत आदर है, वे राजनीति के ह्रास और सत्ता की चाह के बारे में उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

मायावती जी के साथ लखनऊ के गैस्ट हाउस में जो हुआ था, वह हिन्दुस्तान की राजनीति का सबसे शर्मनाक दिन था। जब दूरी बढ़ी थी डिफरेंसिज पालिटिक्स में होंगे, वे अलग होंगे लेकिन अलग होने एक ईमानदारी होनी चाहिए। मायावती जी के अलग होने के बाद उन पर लखनऊ में जो हमला हुआ, वह हिन्दुस्तान के पालिटिक्स का सबसे शर्मनाक दिन था। अगर किसी को सत्ता नहीं मिलेगी तो क्या विकल्प होगा, संविधान ने इनकी क्या व्यवस्था की है।

सोमनाथ बाबू ने अच्छा कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई केस में एक दिशा निर्देश दिया था। आदरणीय सोमनाथ बाबू बड़े वरिष्ठ सांसद हैं और उससे बड़े वकील भी हैं। मैं उम्मीद करता था कि वह संविधान की सही व्याख्या करेंगे। उन्हें इसका काफी लम्बा अनुभव है। इससे राज्यपाल जी के बारे में यहां अनर्गल बातें कहीं गई जिन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, क्या राज्यपाल को सिर्फ बटन दबाना है या उनका कुछ विवेक है? मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। सरकारिया कमीशन की बात कही जाती है। जब सरकारिया कमीशन बना था, उस समय हम सत्ता में नहीं थे लेकिन आज सरकारिया कमीशन की सिफारिशों को बड़े सम्मान से देखते हैं। मैं सरकारिया कमीशन की रिकमंडेशन 4.16.13 सदन के सामने पढ़ रहा हूं:

[अनुवाद]

"(क) जब विधान सभा का सत्र चल रहा होता है, तब सभा में बहुमत के प्रश्न पर फैसला करना चाहिए।

(ख) यदि विधान सभा की अंतरसत्रावधि के दौरान राज्यपाल को यह विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त होता है कि परिषद ने अपना बहुमत को खो दिया है तो संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप मत्रिमंडल को तब तक भंग नहीं किया जाना चाहिए जब तक सदन के अंदर विधान सभा विश्वास मत की मांग न करे। उन्हें मुख्य मंत्री को यथाशीघ्र सभा की बैठक बुलाने की सलाह देनी चाहिए ताकि 'बहुमत' का निर्णय किया जा सके।"

[हिन्दी]

जो इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसने इस बात को स्वीकार किया:

[अनुवाद]

"जब सभा सत्र में न हो और राज्यपाल को विश्वास प्रमाण प्राप्त हो..."

इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि राज्यपाल को समीक्षा की शक्ति प्राप्त है; राज्यपाल को इस संबंध में आश्वस्त होने का अधिकार है; और राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार है।

[हिन्दी]

अब अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार के मामले में देखना चाहें, तो जब यह रिजल्ट आया कि किसी को बहुमत नहीं मिला तो पहले 8 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बाद सपा के लोग राज्यपाल के पास गए और आग्रह किया। कांग्रेस से वोट की बात हुई, सपोर्ट की बात हुई, चिट्ठियां देने की बात हुई लेकिन कुछ रिस्पौंस आया नहीं। 3.5.2002 को श्रद्धामना मायावती जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलायी गई और कहा गया कि 21 दिन में बहुमत साबित करिए। 17.5.2002 से पूर्व ही उन्होंने 217 वोट लगाकर बहुमत साबित किया। यह एक तथ्य की बात है। कहा जा कहा था कि लार्जेस्ट पार्टी को इसमें इनवाल्व करना चाहिए।

[अनुवाद]

बोम्मई के निर्णय ने इसके नियम निर्धारित किए है। मैं बोम्मई के निर्णय के बारे में जिस तरीके से टीका टिप्पणी की जा रही हैं उससे मैं असहमत हूं। अत: मैं बोम्मई निर्णय जिसे आपके समक्ष उद्धृत कर रहा हूं उस पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

[हिन्दी]

यह एआईआर 1994 सुप्रीम कोर्ट के पृष्ठ 2098 पर बोम्मई केस का जजमैंट है। मैं उसके पैराग्राफ 328 को रखने की कृपापूर्वक अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

हम इसे स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ हमने पहले कहा है वह ऐसी स्थिति तक सीमित है जिसमें कथित रूप से वर्तमान मुख्यमंत्री ने सभा के बहुमत का समर्थन या सभा का विश्वास खो दिया है। यह आम चुनाव के बाद पैदा होने वाली स्थिति के संगत नहीं है जहां राज्यपाल को सभा में बहुमत वाले दल या सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित करना होता है।..."

[हिन्दी]

यह शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। यहां कहा गया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले बुलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है:

[अनुवाद]

महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन में किस ग्रुप का बहुमत और विश्वास है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस.आर. बोम्मई केस में एक दूसरा पैरा 323, पृष्ठ 2097 का उल्लेख करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

> "संविधान में इस बात की बाध्यता नहीं है कि मंत्रिपरिषद का गठन करने वाले राजनैतिक दल का विधान मंडल में बहुमत होना आवश्यक है। अल्पसंख्यक सरकारें पहले भी बनती रही हैं। आवश्यक यह है कि सरकार को सभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए।"

[हिन्दी]

अगर एस.आर. बोम्मई केस में जजमेंट स्पष्ट रूप से दिया गया है तो उससे राज्यपाल को विवेक का अधिकार मिलता है कि उनके सामने सिंगल लारजैस्ट पार्टी है, उनका एक ग्रुप है जो बहुमत का दावा करता है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि जब बसपा ने अपना दावा पेश किया तो बीजेपी ने अपने नेताओं के साथ जाकर राज्यपाल महोदय को लिखित रूप से पत्र दिया कि वे बसपा का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उस समय बसपा-भाजपा के सभी विधायकों की संख्या सपा के विधायकों की संख्या से काफी ज्यादा थी। अगर यह स्थिति बनती है तो बहुमत सिद्ध करने के लिये 21 दिन का समय दिया जाये। बहुमत साबित करने के लिए तथा जब कुमारी मायावती ने 217 की जादुई संख्या से अधिक संख्या से अपना बहुमत साबित किया।

ऐसे में यह टीका-टिप्पणी करना कि राजभवन का भगवाकरण हो गया है, इस निर्णय पर चर्चा करने का अधिकार इस सदन को है लेकिन संविधान में यह लिखा हुआ है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के संबंध में चर्चा के समय गरिमा का ध्यान रखा जायेगा। अगर यह तथ्य है तो आज तक जो कहा गया, क्या हम सिर्फ पावर पौलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ाई नहीं हुई थी? उसके बावजूद क्या कांग्रेस पार्टी से विनम्रतापूर्वक विनती नहीं की गई थी? क्या यह बात सच नहीं है कि उस विनती के बावजूद उनकी इस बात पर कोई विचार नहीं किया गया और राजभवन में कांग्रेस की चिट्ठी नहीं गई? जो हमें खुली सत्ता की होड़ के लिए दोषी ठहराते है। उन्हें सभा में यह बात बताना चाहिए। हां, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की वास्तविक चिन्ता को देख रहा हूं। यह सही है कि आज राजनीति में गिरावट आई है। अगर आज सहभागिता, सांझेदारी की राजनीति का कालखंड आया है तो इसकी प्रमाणिकता तब तक मानी जायेगी जब तक कोआलीशन गवर्नमेंट में ईमानदारी है। इसके अलावा साथ-साथ चलने का संकल्प किया जाये। बसपा-भाजपा के साथ अजीत सिंह पार्टी, जेडी (यू) और निर्दलीय हैं। अगर वे ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं और अभी तक लिखित रूप से इन्होंने प्रमाण नहीं दिया है तो जैसा अभी श्री श्याम बिहारी मिश्रा ने जिक्र किया कि एम.एल.सी के चुनाव के समय सही अवसर था। समाजवादी पार्टी 204 सदस्यों का बहुमत लेकर आती, उसके पास प्रमाणित करने का अवसर था। इसलिये संविधान की व्याख्या स्पष्ट है कि सिंगल लारजैस्ट पार्टी होना जरूरी नहीं है। यह दो या तीन पार्टियों का बहुमत राजभवन के सामने प्रदर्शित होता है यहां सुश्री मायावती को बुलाया गया जो कि एक उचित निर्णय था, वह एक प्रमाणिक निर्णय था, विधिसम्मत निर्णय था। मुझे लगता है कि इस विधिसम्मत निर्णय के संबंध में राजनीति की बातें हुई। यहां बात उत्तर प्रदेश की हो रही है लेकिन दिल्ली

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

सरकार पर चली आई। दिल्ली की सरकार तक नहीं बल्कि शिक्षा के भगवाकरण पर बात चली गई। श्री सोमनाथ बाबू बोल रहे थे। वे देश के बहुत बड़े कानूनविद् हैं। क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे विवाद पर अपना निर्णय दिया लेकिन उस अंतिम निर्णय के बाद उसको बार-बार उठाया जायेगा। ठीक है, राजनीति होती है लेकिन कहीं न कहीं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: क्या दिया है?

[अनुवाद]

श्री रवि शंकर प्रसाद: उच्चतम न्यायालय ने पहले ही कहा है कि भगवाकरण के आधार पर यह स्वीकार्य नहीं पाया गया और इसे अस्वीकार कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय का निर्णय है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि रामपुर तिराहा कांड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय दिया, तब आपकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को नजरअंदाज कर दिया और सदन के पटल पर गलत बयान दिया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: उच्चतम न्यायालय का निर्णय शिक्षा के भगवाकरण पर नहीं था...*(व्यवधान)*

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं नहीं समझता कि हम इस पर यहां चर्चा कर रहे है, परन्तु अध्याय वहीं खत्म हो गया और वे बता नहीं सके।

[हिन्दी]

अगर शिक्षा के नाम पर एक चिंतन को जो आज तक तीस साल से चलाया गया, अगर शिक्षा के नाम पर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कृपया मुझे बोलने जीजिए। मैंने आपको तंग नहीं किया

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया जारी रखें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: जी हां।

शिक्षा के नाम पर अगर जाटों को, शिक्षा के नाम पर अगर सिखों के साथ दुर्भावना से तथ्यों से इतर टिप्पणी करते हुए एक प्रकार का विचार दिया जायेगा तो निश्चय ही सरकार को इस संबंध में उद्देश्यपरक तथा निष्पक्ष समीक्षा करने का अधिकार है।

[हिन्दी]

सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहोल्ड किया है।

कुंवर अखिलेश सिंह: यह चीज सब पर लागू होती है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: जी हां, सब पर लागू होती है। अखिलेश जी, मैंने यह सोमनाथ बाबू के संबंध में कहा है। इसलिए अंत में मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जो निर्णय दिया है वह विधि सम्मत निर्णय है। वह सरकारिया आयोग के निर्देशों के अनुसार है, वह इंटर-स्टेट काउंसिल की अनुशंसाओं के अनुसार है और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोम्मई केस में निर्णय दिया है, मैं उसका एक और पैराग्राफ पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इसके पैराग्राफ 198 में जस्टिस रामास्वामी ने एक बात कही है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बार-बार यहां फ्लोर टैस्ट की बात कही जा रही हैं:

> ''राज्यपाल को शक्ति परीक्षण को ध्यान में रखना चाहिए। परन्तु वह ऐसा करता है या नहीं यह उस समय विद्यमान स्थिति पर निर्भर करता है। विद्यमान राजनैतिक स्थिति के बारे में निर्णय लेते समय नेताओं की खरीद फरोख्त की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। राज्यपाल द्वारा शक्ति परीक्षण के अधिकार का प्रयोग करने के लिए व्यापक नियम तैयार करना संभव नहीं हैं। संविधान और संसदीय शासन प्रणाली की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल को सही निर्णय लेकर स्थिति से निपटने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।''

[हिन्दी]

अगर इतने अधिकार उन्हें बोम्मई जजमैन्ट से दिये गये हैं और इन अधिकारों का विचार करते हुए जो जमीनी सच्चाई थी, जो राजनीतिक वास्तविकता थी और एक प्रामाणिक कोएलीशन बनाकर वे उनके सामने गये, उन्हें बुलाया गया तो यह विधिसम्मत है, इस पर वैधानिक रूप से जो टीका-टिप्पणी की जा रही है, वह विधिसम्मत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर कोएलीशन का युग है तो कोएलीशन प्रामाणिकता से चले और उत्तर प्रदेश में मायावती जी के नेतृत्व में यह कोएलीशन बहुत ही प्रामाणिकता से चल रहा है। धन्यवाद।

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): माननीय स्पीकर साहब, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। आज उत्तर प्रदेश की जो हालत है, उससे पूरा

देश भलि-भांति वाकिफ है। इस प्रदेश की जो गरिमा थी, जिसने पूरे हिन्दुस्तान को रास्ता दिखाया, नेतृत्व किया, आज उसके बारे में क्या-क्या चर्चाएं हो रही हैं। मैं देख रहा हूं कि चर्चा मुद्दे से हटकर हो रही है। चर्चा बिन्दु क्या होना चाहिए, वह बिन्दु न होकर मायावती ने यह किया, फलां ने यह किया। आज चर्चा का बिन्दु यह है कि इस वक्त प्रदेश की क्या हालत है। आज प्रदेश में अविश्वास का वातावरण है, आज प्रदेश संकट की स्थिति में है। आज आप देख रहे हैं कि इस अविश्वास वातावरण के कारण तमाम काश्तकार परेशान हैं। मिलें नहीं चल रही हैं। तमाम गन्ने को किसान जला रहे हैं और आत्महत्या करने की पोजीशन में हैं। बेरोजगारी की क्या हालत है। बिजली की क्या हालत है। आज तमाम तरह की गंभीर समस्याएं हैं। उन मुद्दों पर आप क्या-क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन असली हालत पर आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज मायावती जी की तारीफों के क्या-क्या पुल बांधे गये। मायावती जी ने सेक्युलर हालात बनाने के नाम पर वोट मांगे और यह कहा कि हम फ़िरकापरस्ती के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन आज वह उन्हीं फिरकापरस्तों की गोद में जाकर बैठ गई हैं। आज आप कोएलीशन की बात करते हैं, मान्यताओं की बात करते हैं, पालिसी की बात करते हैं, वैल्युज की बात करते हैं, आप वैल्युज की बात पर न जाइये। आज सब वैल्युज पायेमान हो गई हैं। 13 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की जो हालत वहां की सरकारों ने बिगाड़ी है, उसे पूरा हिन्दुस्तान देख रहा है वह हालत किसी से छिपी नहीं है। आज तमाम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इन लोगों के हाथ में सत्ता देकर हमने बड़ा गलत काम किया है। उनके सामने आज पूरा प्रमाण आ रहे हैं। हम उन पर नहीं जाना चाहते। वहां कांग्रेस पार्टी ने जो किया, पूरे प्रदेश के लिए जो काम किया, वह किसी से छिपा नहीं है। आज कितनी गन्ना मिलें इस सरकार के द्वारा बंद की गई हैं। आज वहां बिजली का कितना उत्पादन हो रहा है। वहां बिजली उत्पादन के दो केन्द्र ऊंचाहार और टाडा इस सरकार ने बंद कर दिये और उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने कर्जे में दे दिये। लेकिन सवाल इस बात का है। आज सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। आज पूरे प्रदेश में एक असहजता की स्थिति बनी हुई है। वहां एक ऐसी स्थिति बनी है कि जिसमें सरकार विश्वास खो चुकी है।

आज हमारा यह नैतिक फर्ज है और मायावती जी का भी नैतिक फर्ज है कि विधान सभा बुलाएं महामहिम का हम आदर करते हैं लेकिन उन्हें संविधान की मूल आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आज हमारा दायित्व है कि हम कुर्सी पर बैठते हैं तो ईमानदारी से निर्णय लें। जब स्पीकर की कुर्सी पर बैठ जाएं, गवर्नर की कुर्सी पर बैठ जाएं, तो ईमानदारी से निर्णय लें। तमाम इतिहास उसका साक्षी रहता है। जब कुर्सी से ऐसा कोई कार्य होता है तो उसको हमेशा याद रखा जाता है। आज भाजपा के कुछ विधायकों ने एक सही बात करने की कोशिश की तो उनको बागी करार दे दिया। आप कानून के तहत क्या कार्रवाई कर सकते हैं डायरैक्शन और व्हिप में अंतर होता है?...*(व्यवधान)* हमारे स्पीकर जो हैं विधान सभा के केसरीनाथ जी, वह काबिले-तारीफ हैं। वह कानून ऐसा विश्लेषण करते हैं और *...

लेकिन कानून की परिभाषा को स्पष्ट करने में उनकी बड़ी मान्यता रही है, वह विद्वान हैं। मैं देख रहा हूं कि किसी भी हालत में जो बागी विधायक हैं, उन पर ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते आपने उन पर दमन नीति की कार्रवाई की है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: विधान सभा अध्यक्ष का अपमान करेंगे तो मैं रिकार्ड से निकाल दूंगा। विधान सभा के अध्यक्ष पर जो आरोप लगा रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं रहेंगे।

श्री सईदुज्जमा: मैंने आरोप नहीं लगाएं है, मैं तारीफ कर रही हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देखिये, मैंने वह आरोप रेकार्ड से निकाल दिये हैं।

श्री सईदुज्जमा: मैं कह रहा था कि आज जबर्दस्ती कानून का दुरूपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सत्ता का दुरूपयोग कर रहे हैं, सत्ता के लालच में विधायकों के खिलाफ दमन की कार्रवाई कर रहे हैं और उन्हें झूठे केसों में फंसा रहे हैं। तारीख इस बात की गवाह रहेगी कि आपके जमाने में आपने राजनीतिज्ञों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उसका जवाब आने वाली पीढ़ियों के सामने नहीं दे सकते। आप सत्ता की भूख में सब कुछ भूल गए, अपनी मान्यताएं और वैल्युज सब आपने खो दिये हैं और पूरी संवैधानिक स्थिति को आपने पायेमान कर दिया है, कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज ऐसे मौके पर आपका फर्ज हो जाता है कि जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है तो सत्र बुलाए। विधान परिषद के इलेक्शन में तस्वीर उभरकर आई तो आपके सामने कोई जवाब नहीं है। आप जबर्दस्ती उसे इधर-उधर की बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री सईदुज्जमा: मायावती जी आपके संरक्षण में हैं उन्हें क्या डर है -जब सैंया भये कोतवाल तो काहे का डर? जब मायावती जी वहां बैठी हैं और आपकी यहां बैठी हैं सरकार-तो कानून का कोई डर नहीं है। जिस हद तक राजनीति में गिरावट आती जा रही है, वह हमारे लिए तकलीफदेह है और आने वाले समय के लिए बहुत शर्मनाक तस्वीरें आ रही हैं।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): मायावती जी से मिलकर आप चुनाव लड़े थे या नहीं?

श्री सईदुज्जमा: मैं बिल्कुल मायावती जी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। मेरी अपनी जाती बात है, मैं कभी नहीं लड़ा और मैं सिवाय कांग्रेस के कहीं नहीं गया हूं। आप लोग सत्ता के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: कांग्रेस पार्टी ने मायावती जी के साथ मिलकर दो बार चुनाव लड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय: सभी को यह बात मालूम है।

श्री सईदुज्जमा: सत्ता के लोभ में जो आपने पार्टियों में परिवर्तन किये हैं, वह सदन जानता है। लेकिन इस वक्त हमारा नैतिक फर्ज हो जाता है कि हमारी मान्यताओं और वैल्युज को जिन्दा रखा जाए और देखना है कि सामने क्या तस्वीर आ रही है। आप सत्ता में पड़े हैं लेकिन आप विश्वास खो चुके हैं। पूरे प्रदेश में एक अजीब स्थिति बनी हुई है। कोई अधिकारी आपकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। आज पूरे प्रदेश के लोग संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे में मानव धर्म हो जाता है कि आप उसका अहसास करें लेकिन आप लोग जबर्दस्ती नाजायज तरीके से, गैर-कानूनी तरीके से प्रदेश की सरकार पर कब्जा किये बैठे है।

अध्यक्ष महोदय, जिन मान्यताओं को माननकर वे सत्ता में बैठीं, तारीख भी गवाह है, हमें याद रहेगा कि उन्हीं मान्यताओं को तोड़ा। मेरा आपसे निवेदन है कि आज इस मौके पर पूरी स्थिति को स्पष्ट करें...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: आप बोलिए कि हम मुलायम सिंह का समर्थन करेंगे। यहीं पर बोलिए।...*(व्यवधान)*

श्री सईदुज्जमा: जब इसका मौका आएगा, तो इसका जवाब भी देंगे। आप बताइए कि आप क्यो फिरकापरस्ती के हाथों खेल रहे हैं, आप जातिवादिता के हाथों में क्यों खेल रहे हैं। आप हिन्दुस्तान को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। आपने इंदिरा जी प्रतिष्ठान की जमीन पर कब्जा कर लिया। इंदिरा जी एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी शख्सियत न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि दुनियां में जानी जाती है। आपने अपनों पर विश्वास नहीं किया। जिन्होंने आपके विश्वास में आकर वोट दिया था उनका आपने साथ नहीं दिया। आप फिरकापरस्तों के साथ जाकर बैठ गए।

अध्यक्ष महोदय, आज देश और प्रदेश में क्या हाल है, उसे पूरी दुनिया देख रही है। इन बातों को देखकर उत्तर प्रदेश की असैम्बली का हाउस बुलाइए। आपकी स्थिति पूरे प्रदेश में बिगड़ी है। आप उत्तर प्रदेश में अल्पमत में हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का और भारत सरकार का फर्ज बनता है कि वह उत्तर प्रदेश की एसैम्बली के हाउस को बुलाकर स्थिति स्पष्ट करे और निर्णय करे कि आप बहुमत में हैं या अल्पमत में हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसे सदन को बुलाकर बहुमत प्राप्त करने में क्या दिक्कत है? मुझे मालूम है कि आपको यह जानकारी है कि आपकी हार निश्चित है। इसलिए आप हाउस बुलाना नहीं चाहते हैं। आप हाउस से क्यों भाग रहे हैं। जब तमाम प्रदेश आपसे इस बात की दरख्वास्त कर रहा है, पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है, पूरा प्रदेश इस बात से चिन्तित है, आप पूरे प्रदेश की चिन्ता क्यों नहीं करते हैं? आप हाउस बुलाइए और हाउस बुलाकर आप बहुमत हासिल कीजिए। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर आज के जो हालत वहां हैं उस पर ये यहां हंस रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि वहां के जो हालत हैं उन पर रोना चाहिए क्योकि पूरे देश में आपने नफरत पैदा कर दी है और धर्म के नाम पर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आपने तमाम मान्यताओं और वैल्युज को कुर्बान कर दिया। ऐसी हालत में यह जरूरी है कि हाउस बुलाया जाए और स्थिति स्पष्ट की जाए।

जनाब सईद उल्ज़मा साहब (मुज़फ्फर नगर): जनाब स्पीकर साहब, मैं आप का शुक्रगुज़ार हूं कि आप ने मुझे इस अहम मसले पर बोलने का मौक़ा दिया। आज अगर प्रदेश की जो हालत है, उस से पूरा मुल्क भली भांति वाक़िफ़ है। इस प्रदेश की जो गरिमा थी, जिस ने पूरे हिन्दुस्तान को रास्ता दिखाया, आज उस के बारे में क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं। मैं देख रहा हूं कि हर चीज़ मज़ाक बन कर रह गई है। हर चीज़ का बंदोबस्त किया जाना चाहिये। वो बंदोबस्त न हो कर मायावती ने ये किया कि मुख्तार ने ये किया। आज हर चीज़ का बंदोबस्त ये है कि उस वक़्त प्रदेश की क्या हालत है। आज प्रदेश में ग़ैर-क़ानूनी का माहौल है, आज प्रदेश संकट की हालत में है। आज आप देख रहे हैं कि इस ग़ैर-क़ानूनी माहौल की वजह से तमाम काश्तकार परेशान हैं। मंडियां नहीं चल रही हैं। गन्ने के किसान बेहाल हैं और फ़रोख़्त करने की पोज़ीशन में नहीं हैं। बेरोज़गारी की क्या हालत है। बिजली की क्या हालत है। आज तमाम तरह की वहां गंभीर परेशानियां हैं। उन मसलों पर आप क्या क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन असली हालत पर आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

स्पीकर साहब, आज मायावती जी की तक़रीरों के क्या क्या बातें बताऊं। मैं हैरान हूं कि मायावती जी ने सेक्यूलरिज़्म को सहारे बनाने के लिये वोट मांगे और ये कहा कि हम फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। लेकिन आज वो वहीं फ़िरक़ा परस्तों की गोद में जा कर बैठ गई हैं। आज आप कल्याण की बात करते हैं। मुलायम की बात करते हैं, पालिसी की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं। आप वैल्यूज़ की बात न करें जनाब। आज सब वैल्यूज़ पामाल हो चुकी हैं। 13 सालों से आज प्रदेश की जो हालत, वहां की सरकारों ने बनाई है, उसे पूरा हिन्दुस्तान देख रहा है। वो हालत किसी से छुपी नहीं है। आज तमाम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इन लोगों के हाथ में सत्ता और इक़्तदार देकर हम ने बड़ा ग़लत काम किया है। इन के सामने आज सारे हक़ायक़ आ रहे हैं। हम इन पर नहीं जाना चाहते। वहां की बीजेपी पार्टी ने जो किया, पूरे प्रदेश के लिये और देश के लिये जो काम किया, वो आज किसी से छिपा नहीं है। आज कितनी कत्लेआम इस सरकार के ज़रिये बंद की गई हैं। आज वहां बिजली की कितनी पैदावार हो रही है। वहां बिजली की पैदावार के दो मरकज़ अनपारा और ओबरा सरकार ने बंद कर दिये और पूरे प्रदेश की बिजली सरकार, वहां ने बिगाड़ दी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज इस सरकार का पर्दा खुल चुका है। आज पूरे प्रदेश में एक अराजकता की हालत बनी हुई है। वहां एक ऐसी हालत बनी हुई है जिस में सरकार, सरकार नहीं लग रही है। आज हमारा ये फ़र्ज़ है, मायावती जी को भी ये फ़र्ज़ है, हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम सब मिल कर इस बात की कोशिश करें कि वहां पर जो अराजकता की हालत है, उस को ख़त्म करें। हम सब को मिल कर वहां पर अमन और क़ानून की स्थिति को बहाल करना चाहिये। आज हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सब मिल कर बैठें और इस बात पर विचार करें कि वहां पर जो अराजकता की हालत है, उस को कैसे ख़त्म किया जाए। अगर हम सब मिल कर बैठेंगे तो ज़रूर कोई न कोई रास्ता निकलेगा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कई सदस्य हैं जो बोलना चाहते है और इसलिए चर्चा जारी रहेगी मैं चाहता हूं कि आज चर्चा पूरी कर ली जाए लेकिन माननीय उप-प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर कल दिया जाएगा। अब अगले वक्ता श्री प्रभुनाथ सिंह जी हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज बिहार): अध्यक्ष जी, आज सदन में चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जो ब.स.पा. और भा.ज.पा. के गठबंधन की सरकार है, वह बहुमत में है या अल्प मत में है। इस बारे में उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदन बुलाकर बहुमत साबित कराया जाए।

अध्यक्ष जी, बहुत कम ही दिन, चुनाव होकर समाप्त हुए हैं। पहले उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद विधान सभा की स्थिति त्रिशंकु की बन गई। स्पष्ट बहुमत किसी दल को नहीं मिला। चर्चा उस समय चल रही थी कि मुलायम सिंह जी को कांग्रेस समर्थन दे रही थी या नहीं दे रही है और इन चर्चाओ के कारण एक महीने से ज्यादा समय ग़ुजर चुका है और बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी को वैसे मित्र से समर्थन लेना पड़ा जो मित्र 12वीं लोक सभा का सदस्या रहा था।

आपको मालूम होगा कि मायावती जी 12वीं लोक सभा की सदस्य थीं और यहां तीसरी बैंच पर उन्होंने खड़े होकर बहुत लम्बा भाषण दिया था और उसके बाद जब प्रधान मंत्री जी ने बहुमत साबित करने के लिए अपील की और जब वोट का समय आया, तो मायावती ने खिलाफ वोट दिया था।

सायं 6.55 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उनसे रिस्ता जोड़कर मजबूरी में वहां सरकार बनाई गयी। इन सब बातों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। रवि शंकर जी, आप गठबंधन की राजनीति की चर्चा कर रहे थे। यहां प्रमाणित हो चुका है कि मायावती जी के साथ कभी आप रिश्ता बनाते हैं, कभी कांग्रेस वाले रिस्ता बनाते हैं। मुलायम सिंह जी के भी रिश्ते बने हैं, यानि राजनीति में सत्ता में काबिज होने के लिए न कोई नीति है और न कोई सिद्धान्त है। हम भाषण सिर्फ नीति और सिद्धान्त का देते हैं लेकिन काम सारे लोग बेइमानी का करते हैं। यह बात प्रमाणित हो चुकी है।

स्पीकर साहब: देखिये, मैंने उनका नाम पुकारा है।

जनाब सईद उल्ज़मा साहब मुज़फ्फर नगर: मैं कह रहा था कि आज जो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्तर और अस्सी के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अपराधी तत्व थे, उनको इकट्ठा करके उन्होंने सत्ता हासिल की। उसके बाद उन्होंने उनको संरक्षण दिया। उनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे थे, उनको वापस लिया। उनके खिलाफ जो केस चल रहे थे, उनको वापस लिया। उनके खिलाफ जो गैंगस्टर एक्ट लगे हुए थे, उनको वापस लिया। उनके खिलाफ जो गुंडा एक्ट लगे हुए

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

अभी अल्वी जी कह रहे थे कि कभी इधर की बात बोल देते हैं तो कभी उधर की बात बोल देते हैं। अलवी जी को मालूम नहीं है क्योंकि वह तो मायावती जी के बंधुआ मजदूरी करने के लिए आये हैं। अगर सत्य बोलेंगे तो कान पकड़कर बाहर निकाल देंगे। हम इसलिए सदन में हैं कि कभी असत्य नहीं बोलेंगे। जब बोलेंगे तो सत्य वही बोलेंगे जो मेरे जेहन में आयेगा।

रवि शंकर जी, आप कानून का लंबा भाषण दे रहे थे। आप हमारे मित्र हैं। आपने कानून के तीन सवाल खड़े किये हैं। हम सबसे पहले आपसे ही बोनी करना चाहते हैं। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर यहां चर्चा होती। क्या आप कानूनविद् रहे हैं? आप कानूनविद् नहीं हैं। अगर आप कानूनविद् होते तो आपके कानून मंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम लोगों ने इस लोक सभा में पलट दिया है। ...*(व्यवधान)* चाहे जिस केस में हो, हम लोगों ने पलटा है। जब आरक्षण के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति के संबंध में निर्णय दिया था तो हम लोगों ने उसे पलट दिया था। जब हमको यह अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को हम पलट सकते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर चर्चा नहीं कर सकते-किस कानून से आप पढ़ा रहे थे, जरा आप फिर से वह गीता पढ़ियेगा।

अभी आप बता रहे थे कि राज्यपाल जी ने मायावती जी को बुलाया है, उन्होंने गलत नहीं किया है। किसी ने अपने भाषण में यह नहीं कहा कि गलत किया है। आप इस बात को सही कहां साबित कर रहे थे? क्या किसी ने आरोप लगाया था? उस दिन मुलायम सिंह जी ने प्रयास किया था लेकिन उनको पूरा पढ़ा नहीं। आपने समर्थन दिया तो मायावती जी की वहां सरकार बनी। किसी ने नहीं कहा कि राज्यपाल जी ने मायावती को बुलाकर कुछ गलत किया है। हम भी नहीं कहते कि उस दिन राज्यपाल जी ने उनको बुलाकर कुछ गलत किया।

मेरा कहना है कि यहां चर्चा यह चल रही है कि आज सरकार अल्पमत में है। आप सदन बुलाइये और उसमें बहुमत साबित कराइये। जिस तरह 12वीं लोक सभा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सदन में बहुमत साबित करने का प्रयास किया था। सवाल वही है। इसमें आप बेचैन क्यों हैं? आपने कहा कि गठबंधन का जमाना आ चुका है। हमारा कहना है कि यह है ही गठबंधन का जमाना। अभी जो सरकार चल रही है, गठबंधन वालों की मियाद किस तरह से ठंडा करते हैं, वह सब लोगों को पता है। वहां मायावती जी जो कर रही हैं, मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा है, उचित नहीं हो रहा है। मायावती जी जिनके मेनिफेस्टो में था कि 'तिलक, तराजू तलवार को मारो जूते चार।" आज वही नारे वाले लोग जिनको जूते चार मारे जा रहे थे, समर्थन दे रहे हैं। टीका वाले पंडित जी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे। यही तिलक वाले हैं।...*(व्यवधान)* श्री जायसवाल जी कहां चल गये? उन्हीं की कृपा से मायावती जी की सरकार चली जा रही है। वह तराजू वाले डंडी मार रहे हैं। तलवार वालों की दशा आप सुनियेगा, उनकी पीड़ा सुनियेगा तो आप तरस खाइयेगा। मायावती की सरकार बनते समय एक साथी बोल रहे थे कि हमने इतने परसेंट पद मुसलमान लोगों को दिये हैं और थाना अध्यक्ष का पद दिया है। इतने परसेंट हमने अति पिछड़े लोगों को दिये है, लेकिन जिस थाने में मुसलमान और अति पिछड़े नहीं रहते, उस थाने में उन लोगों की कौन सुरक्षा करता है, हम यह जानना चाहते हैं। इस तरह से थाने नहीं चलते हैं। वहां जातीय नंगा नाच हो रहा है। एक जाति इस देश में ऐसी है जो कभी सत्ता नहीं पाती। यदि पाती है तो कभी धोखाधड़ी से पाती है।

सायं 7.00 बजे

लेकिन जिसके साथ वह रहती है, उसकी ताकत की बदौलत देश और प्रदेश में लोग सत्ता में बैठते हैं। उस जाति को उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से तंग और तबाह किया जा रहा है, थाने से हटाया गया, जिले से हटाया गया और उत्तर प्रदेश में जो विधायक, राजा भैया की चर्चा इधर के लोग भी कर रहे थे और उधर के लोग भी कर रहे थे, वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, बहुत अच्छे और नेक इंसान बन कर रहे। अभी तक मायावती सरकार को समर्थन देते रहे तो बहुत नेक इंसान बन कर रहे, लेकिन जब उन्होंने मायावती सरकार की खिलाफत की तो वे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी बन गए। सिर्फ वे ही नहीं, उनके 80 वर्ष के वृद्ध पिता पर भी मुकदमा चलाया गया। यह कैसी सरकार है? क्या इस तरह दमन की ताकत से कोई सरकार चलती हैं? सत्ता कभी शाश्वत नहीं होती, यह धर्म है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करेंगे कि जान-बूझकर उस जाति को मुलायम सिंह जी की झोली में डालने का प्रयास मत कीजिए। जिस दिन आपके गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे, आपकी नाव डूब चुकी थी, खाता खुलने की स्थिति नहीं थी तो आपने मजबूरी में राजनाथ सिंह जी को इसलिए भेजा कि इस जाति के लोग डंडा लेकर आपको वोट दे सकें और आपके साथ रह सकें। यही कारण हुआ कि आप तीसरे स्थान पर आए नहीं तो आप जीरो पर पहुंच जाते। आज उन लोगों को वहां आपके समर्थन पर जिस तरह से परेशान किया जाता है, हम कहते हैं कि जहन में जो बैठा रहा है, जात-पात की बात नहीं कहनी चाहिए, हालांकि लोक सभा में मुसलमान और हरिजन की रोज चर्चा चलती है, एक बार राजपूत कहने में

कोई अपराध नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश में अहीर और राजपूत दोनों की लाठी एक साथ मिल गई तो बाकी लोगों को बूथ पर वोट देना भी मुश्किल हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): आपको यहां यह बात नहीं कहनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: राजपूतों को तंग किया जाता है, राजपूतों को परेशान किया जाता है। इस देश में दलितों से भी बदतर स्थिति आज राजपूतों की बनी हुई है, जिसकी सत्ता होती है, वही दबा लेता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी तरफ मुखातिब होकर बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस तरफ देखिए। उस तरफ मत देखिए, वहां हल्ला हो रहा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अशोक जी मित्र हैं, उन्होंने टोक दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय: इधर भी मित्रता दिखाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: जो विधायक असंतुष्ट हुए, उसके खास कुछ कारण हैं। विकास और राज्य पीछे जा रहा है, हम इसकी चर्चा करना चाहते है क्योंकि सवाल बहुमत और बहुमत नहीं का है, बहुत विकास हो गया है इसलिए अल्पमत की सरकार चलेगी और विकास नहीं हुआ इसलिए बहुमत की सरकार नहीं चलेगी, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल सिर्फ यह है कि सरकार बहुमत में है, लोग मुख्य मंत्री से क्यों नाखुश हैं। मुख्य मंत्री महारानी की तरह भूमिका करती हैं। कोई विधायक उनके पास समय लेकर जाता है, अगर पैर छूकर प्रणाम नहीं करता तो मुख्य मंत्री नाखुश हो जाती हैं। कई विधायक साथी जो हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मिलकर बताया कि हमने वहां आना-जाना ही बंद कर दिया क्योंकि अगर पैर नहीं छुएंगे तो जो काम होने वाला होगा, वह भी खत्म हो जाएगा। पैर नहीं छूने के कारण इस तरह की जो दमनात्मक कार्यवाही विधायकों के परिवार और उनके सहयोगियों पर की जा रही है, वह इस देश के इतिहास में एक कलंक साबित होगी।...*(व्यवधान)*

हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि बहुमत है, नहीं है, अल्पमत है, नहीं है, लेकिन राज्यपाल का बयान उन्होंने कहा था कि मायावती की सरकार बहुमत में है। लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह जी या दूसरे पक्ष के लोगों ने बहुमत नहीं दिखाया। जिस दिन राज्यपाल ने बयान दिया, क्या उस दिन मायावती के समर्थकों ने 204 सदस्यों का बहुमत नहीं दिखाया था? अगर उन्होंने बहुमत नहीं दिखाया था तो राज्यपाल को इस सवाल पर चुप रहना चाहिए था। इस तरह का बयान देना मुनासिब नहीं था। यदि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के विधायक जो सदन के सदस्य हैं, चाहते हैं कि सदन बुलाया जाए तो सदन को बुला कर मायावती सरकार को अपना बहुमत साबित करना चाहिए। अगर बहुमत सही है तो उनको सरकार चलानी चाहिए। इतना कह कर हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और आबादी के हिसाब से आकलन करने से दुनिया में पांच ही देश उससे ज्यादा आबादी के हैं। प्रदेश के साथ छठा देश भी उसे कह सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनैतिक परिस्थिति पर चर्चा है तो बहुत पहले से राजनीति में जाने से बड़ा समय लगेगा, इसलिए संक्षेप में तात्कालिक राजनैतिक परिस्थिति का मैं विश्लेषण करना चाहता हूं। हमें याद है कि इस हाउस में मायावती जी उस समय सदस्या थीं और भाषण में उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन वोट के समय में जब वोट हुआ तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ जो हम लोगों ने वोट किया तो हम लोगों का साथ देकर उन्होंने सरकारी पार्टी का हिसाब बिगाड़ दिया और सरकार गिर गई। यहां भी वे भाषण में मनुवादी मनुवादी बोलती थीं, लेकिन राजनीति के लिहाज से प्रभुनाथ सिंह जी ने ठीक कहा कि सत्ता में जाने के लिए सब नीति, सिद्धान्त, पहले का दिया हुआ बयान कहां चला जाता है, पता नहीं। मनुवादी की गोद में जब बैठी तो हम लोगों को भी लगा था, डा. लोहिया हमेशा कहा करते थे कि वंचित, दबा हुए आदमी शासन में जाये तो कुछ सत्ता में परिवर्तन हो, देश में कुछ सोशल, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन होगा तो देश आगे बढ़ेगा। यह हम लोगों को पढ़ाया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी। उसके हिसाब से हम लोगों को भी लगता था कि मायावती जी दलित और उसमें भी महिला हैं तो जरूर शासन में आने में दबे हुए लोगों का मनोबल बढ़ेगा और शासन ठीक चलेगा, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते थे, लेकिन मनुवादी कहते-कहते मनुवादी के साथ हो जाना एक बड़ा भारी खतरा हम लोगों को लगता है।

फिर वहां पर जब वोट हुआ तो वोट में भाजपा के खिलाफ वोट मांगे, सब लोगों ने जो भाजपा के खिलाफ लोग जीते। भाजपा के लोगों ने काफी दंगे का कार्यक्रम वहां चलाया। विश्व हिन्दू परिषद वाले ठीक चुनाव के चार दिन पहले शिलादान का कार्यक्रम लेकर आये। धन दान, गाय दान, सब दान हुआ, लेकिन शिलादान वाला कार्यक्रम भी वहां ठीक चुनाव के पहले हुआ। यह हम लोगों ने नया सुना, मतलब पूरी कोशिश की गई कि कम्युनल लाइन और

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

दंगा भड़काकर वोट लिया जाये, लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह जी की कृपा से भाजपा का तीसरा स्थान हो गया। लेकिन इनके तीन मंत्री जो मस्जिद ढहाने वाले मामले में एक्यूज्ड थे, उन्हे राजनाथ सिंह जी नहीं कर सके, वे भाजपा के थे।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): वह मजिस्द नहीं थी, उसे आप विवादित ढांचा कहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: स्वामी आदित्यनाथ, वे यील्ड नहीं करते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह जी आपको यील्ड नहीं करते हैं, इसलिए आपकी बात भी कार्यवाही में नहीं जाएगी। आप बेकार बात करते हैं। यह रिकार्ड में नहीं आ रहा है।

*...(व्यवधान)**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या कहेंगे? जो भी आदित्यनाथ जी कहते हैं, हम कहें कि मंदिर ढहा दिया तो ये कहेंगे कि हम कट्टर हिन्दू हैं, मुसलमान के दुश्मन हैं। यदि मंदिर मानकर ढहा दी तो आप हिन्दुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं, यह साबित हो गया है। यदि मंदिर मान रहे हैं, तो उसको ढहाकर आप मुसलमानों के तो दुश्मन थे ही, अब हिन्दुओं के ही नहीं, इस देश के भी सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं, जो देश के अमन-चैन को खतरे में डाल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तीन मंत्री एक्यूस्ड थे। यदि राजनाथ सिंह जी सूचना में सुधार करके जारी करना चाहते थे, वे नहीं कर सके, क्योंकि भाजपा के लोग थे इसलिए नहीं कर सके। जो राजनाथ सिंह जी नहीं कर सके, उसको मायावती जी ने कर दिया। उन्होंने कहा कि सुधार की कोई जरूरत नहीं है। लगता है इसमें सत्ता में बने रहने की डील हुई है। इतना बड़ा विश्वासघात देश के साथ पहले कभी नहीं हुआ था। यह सभी धर्मनिरपेक्ष लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। प्रभुनाथ सिंह जी कहते हैं कि सत्ता के लिए सब कुछ होता है।

वहां का उदाहरण देकर बताया जा रहा है कि जिन्होंने खिलाफत की, उनके साथ दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। यह घोर अन्यायपूर्ण है, यह नहीं होना चाहिए और इसको बर्दास्त नहीं किया जा सकता। यहां जितनी भी चर्चा हुई है, उससे यह साबित हुआ है कि वहां साधारण दमन नहीं चल रहा है। यह ठीक है कि बागी हो सकते हैं। टैंथ शिड्यूल को आप सभी जानते हैं। दल-बदल को रोकने के लिए इस कानून को संसद ने पास किया था। यह कहा जा रहा है कि व्हिप का उल्लघंन किया है। इस लिए दल बदल की कार्रवाई होगी। लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमने सिर्फ खिलाफ बोला है और इसी बात पर दल बदल का नोटिस दे दिया है, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। टैंथ शिड्यूल में तीन प्रावधानों पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है। एक तो यह है कि पार्टी से स्वेचछा से इस्तीफा दे दें, दूसरा है कि वन थर्ड से कम हों और तीसरा है कि व्हिप का उल्लंघन करें, तब कार्रवाई होगी, लेकिन वे तो केवल खिलाफ ही बोले हैं। उन्होंने इतना ही कहा है कि सरकार से असंतुष्ट हैं, सरकार के साथ नहीं हैं। इसी बात पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उन्हें फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है। सरकार इन लोगों के साथ जघन्य काम कर रही है, जिससे हर हाल में उसका बहुमत बना रहे।

अभी विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री जी ने अपनी बात कही। वे किताब पढ़कर बता रहे थे कि वहां जो कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है। लेकिन वे यह बातएं कि कानून, संविधान या कौन से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में लिखा है कि अल्पमत की सरकार रहेगी। यह सब जानते हैं कि अल्पमत और बहुमत किसी के कहने पर साबित नहीं होगा, सदन में तय होगा। जो लोग दावा करते हैं कि हमारा बहुमत है तो वे सदन बुलाकर अपनी बात को साबित कर दें। हमने राज्यपाल जी का बयान सुना है। राज्यपाल जी ने संविधान के संरक्षक के रूप में बहाल होते हैं। लेकिन वहां हम उनको इस रूप में नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि केन्द्र सरकार के इशारे पर वे कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। जैसे ही यहां से डोर खींची जाती है, वैसा ही वे काम करते हैं। उनको संविधान को देखना चाहिए। वे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में और संवैधानिक प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं। उन पर सब कुछ देखने का दायित्व है। इसलिए उनको निष्पक्ष रहना चाहिए और संविधान तथा परम्पराओं को भी देखना चाहिए। इसलिए जैसे उन्होंने पहले सरकार को शपथ ग्रहण कराकर कहा था कि इतने दिनों के अंदर अपना बहुमत साबित करे, वैसा ही अब निर्देश देना चाहिए। अभी हमने देखा और पढ़ा भी है कि कितने विधायकों ने उनको ज्ञापन दिया था। उसमें किसके हस्ताक्षर हैं या नहीं, यह मीडिया में रोज आ रहा है। यह भी आ रहा है। यह भी आ रहा है कि कितने विधायक सरकार के खिलाफ हैं। यह सब देश और दुनिया ने देखा है। इससे साबित होता है कि वहां कि सरकार का बहुमत डाउटफुल हो गया है, सरकार अल्पमत में चली गई है। फिर भी 217 जहां पर था, वहां 202 कम से कम होना चाहिए। उसमें उनका घट गया, इस हिसाब से जोड़ने से समझ में आता है। 193 तो काउंसिल वाला वोट में बताया है। 193 जो काउंसिल का वोट हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया और 193 में भी संविधान की बात होती हैं कि वह अल्पमत में है। इसलिए अल्प मत की सरकार चलने देना और चलाना यह कोई

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कानून, बोम्मई और रमई कानून में नहीं लिखा है। कानून में लिखा है कि लोकतंत्र यानि बहुमत का राज होना, यानि बहुमत जिसका होगा, उसका राज होना चाहिए लेकिन जब बहुमत संदेहात्मक हो गया और लोगों के सामने प्रकट हो गया तो बहुमत साबित करने में देर नहीं करना चाहिए। यही हार्स-ट्रेडिंग, खरीद-फरोख्त का काम लोकतंत्र का नाश कर देगा। पैसे के लालच से हार्स-ट्रेडिंग का मौका ढूंढा जा रहा है कि हमें मौका मिले। इसलिए बहुमत साबित करने के लिए तुरंत हाउस बुलाया जाना चाहिए। राज्यपाल यदि हाउस नहीं बुलाते हैं तो केन्द्र सरकार यदि जिम्मेदार सरकार है तो राज्यपाल को वापस बुलाना चाहिए। यही मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष महोदय, ने अभी कुछ ही देर पहले सभा में घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश पर चर्चा आज पूरी की जाएगी और माननीय उप-प्रधान मंत्री कल जवाब देंगे। अब माननीय अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की है कि उप प्रधान मंत्री का उत्तर कल के स्थान पर परसों अर्थात 28 नवम्बर 2002 को होगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: हम सहमत हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): आदरणीय मुलायम सिंह जी जो प्रस्ताव यहां लाए हैं, शिव सेना की तरफ से मैं उसका विरोध करता हूं। अभी दलित मुख्य मंत्री मायावती बनी हैं। यहां दलितों के बारे में हर बार प्यार मोहब्बत की बात बताई जाती है। क्यों विरोध करते हैं? मुझे पता नहीं है। इसी सदन में मैंने देखा है।...*(व्यवधान)* इस सदन में जब इस पद पर बालयोगी जी दलित समाज के थे और जब अध्यक्ष बनने के लिए जा रहे थे तो दलितों के बारे में जो सद्भाव की बात उन्होंने बताई लेकिन उस समय भी आप लोगों ने विरोध किया था। यू.पी. के बारे में सबकी चर्चा सुन रहा हूं। हम महाराष्ट्र के हैं लेकिन हम सुन रहे हैं। हमें पता है कि यू.पी. में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो हमारे राम भक्तों की भी चुन-चुनकर मारा गया था। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महाराष्ट्र से किसलिए उनको वहां भेजा था?...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अपने नेता को पूछिए जब लखनऊ गये थे तो आज भी मेरे पीछे तारीफ करते हैं कि मुलायम सिंह ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: आप तो हमारे पिताजी समान हैं। मैं यहां भी बोलता हूं। लेकिन राजनीति अलग होती है।...*(व्यवधान)* आप राजनीति करते हैं, वह अलग है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप चेहरे की तरफ देखकर भाषण कीजिए तभी आपकी कंटीनुइटी बनी रहेगी।

श्री मोहन रावले: इस पर प्रैस में 93 में हल्ला बोलकर नारा लगाया गया था। हाईकोर्ट में घुसे थे, न्यायाधीशों को मारा गया था, वकीलों को मारा गया था। किसलिए मारा गया था?...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: किसने बताया? आपकी प्रैस काउंसिल ने यहां पर तीन बार वरिष्ठ पत्रकार भेजे।

तीनों ने मेरे पक्ष में रिपोर्ट दी।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: किसलिए मारा गया, पता नहीं था। ...*(व्यवधान)* मैंने ऐसा नहीं कहा है कि आपने मारा है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: 'हल्ला बोल' दो अखबारों के खिलाफ नारा था। उसके बाद दोनों अखबार वालों ने रियलाइज किया। मुझसे मिले और तीन मैम्बर्स समिति में जिसमें नवभारत टाइम्स के एडीटर, श्री राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में जांच हुई, और रिपोर्ट मेरे पक्ष में दी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कन्ट्रोवर्शियल न हो, तो स्मूथ चलेगा।

श्री मोहन रावले: महिलाओं के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कहते है और कांग्रेस की तरफ से ज्यादा करते हैं। आज भी इस सबंध में बात उठाई गई। मुझसे पूर्व कहा था कि हिन्दुस्तान की राजनीति में यह शर्मनाक बात है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं बार-बार नहीं बोलना चाहता हूं। निचली कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है। हाईकोर्ट में लोग गए, लेकिन निचली कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि मैं निर्दोष था। सारी जानकारी रखिए। हम पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा और चलने लायक ही नहीं है।

श्री मोहन रावले: जब मायावती जी पर कठिनाई आई, हमला हुआ था। क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट न्याय देगी। मैं बताना चाहता हूं, हमारे महाराष्ट्र में भूतपूर्व मुख्यमंत्री, श्री नारायण राणे जी, जो अब विपक्ष के नेता हैं, उनके घर पर 22 तारीख की रात को और 23 तारीख की सुबह आग लगाई गई। उनके घर पर हमला हुआ और घर जलाया गया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री का घर पर महाराष्ट्र में आग लगाई गई और आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। मायावती के बारे में यहां एक समिति का गठन हुआ

[श्री मोहन रावले]

था और जहां जब चर्चा चली थी, तो सबने उसको कन्डैम किया था और आज विपक्ष के नेता का घर जलाया जाता है, तो एक शब्द भी नहीं कहा गया। हमने यह बात कल उठाई थी। उन्होंने गृहमंत्री को फोन किया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय यह संगत नहीं है और यदि इन्हें इस तरह बोलने की अनुमति दी गई है तो मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: विपक्ष के नेता का घर जलाया गया और उस स्थिति के बारे में आप सोच सकते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सब्जैक्ट मैटर पर बोलिए।

श्री मोहन रावले: यहां हमने देखा है कि चर्चा को कहां-कहां ले जाया जाता है। मैं रिलैवेंट बात कर रहा हूं। महराष्ट्र में इनकी सरकार है और वहां हमला किया गया। आज राजनीति में किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। जब हमला किया गया, तो उन्होंने रात को महाराष्ट्र के गृह मंत्री को फोन किया, लेकिन फोन को उठाया नहीं गया। कांग्रेस स्पांसर्ड लोगों ने हमला किया और हमला कनकौली में किया गया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप शुरू से ऐसा बोल रहे हैं। आप सब्जैक्ट मैटर पर बोलिए।

श्री मोहन रावले: महोदय, वहां इतना जुल्म हो रहा है, इनकी जुल्मी सरकार वहां है। इन्होंने जुल्म के बारे में बताया। अभी किसी माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश में जुल्म के बारे में बताया, वैसे महाराष्ट्र में एक आंदोलन शुरू हुआ।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उत्तर प्रदेश में जुल्म के लिए इन्होंने कहा।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले: मैं वही बात बता रहा हूं। महोदय, महाराष्ट्र में हमने जो अच्छा काम किया। जब हमारे मुख्य मंत्री वहां थे तो उन्होंने वहां फ्लाई ओवर बनाए। गांव-गांव में जहां पानी एवं शौचालय नहीं थे, वहां वे बनवाए। गरीब लोगों के लिए जुनका बाकर केन्द्र खोले थे। कांग्रेस सरकार ने उन्हें बंद किया। उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर रही। इसलिए आज वे निराश हो रहे हैं और निराश होकर उन्होंने महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के ऊपर हमला किया। ये बोल रहे हैं कि मायावती ने क्या जुल्म किए और उनका जुल्म बताने के लिए ये राजी नहीं है। अपने घर में क्या चल रहा है, यह इन्हें पता नहीं और किसके घर जला रहे हैं।

महोदय, महाराष्ट्र में किसी कार्यकर्ता या नेता का जीवन सुरक्षित नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का राज था, जिस तरह से इन्होंने राज किया, उसका ये लोग कुछ नहीं कर पाए। आज गांव-गांव में उनका चलना मुश्किल हो रहा है। इन्हें पैसे दिए लेकिन इन्होंने वह विदेश जाने पर खर्च किए। रोजगार के करोड़ों रुपए इन्होंने शुगर कारखानों को दिए, ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

आचार्य जी बैठे हुए हैं, सोमनाथ जी बोल रहे थे, वह यहां इस समय उपस्थित नहीं है। उनका प्रजेंस वहां नहीं है, उनका प्रजेंस आपके पड़ोस में जो समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, उन्होंने आपका प्रजेंस खत्म किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अभी दो वक्ता और है कृपया गंभीर हो जाइए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: महोदय, ये लोग हंस रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप खुद हंस रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले: महोदय, वहां अच्छी तरह सरकार चल रही है। मायावती जी हमारी बड़ी बहन हैं, हम उनका आदर करते हैं और सदन को भी उनका आदर करना चाहिए। उन्हें हटाने की साजिश हो रही है। ये जो प्रस्ताव लाये हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। महाराष्ट्र में जो जुल्म हो रहा है और जिस तरह हो रहा है, इस कारण से महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। *...(व्यवधान)* जब महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता के ऊपर हमला हुआ था तो चर्चा हुई थी। आज वहां घर जलाए जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* जब भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी का घर जलाया जा रहा था तो यहां कोई नहीं रो रहा था, किसी को दुख नहीं हो रहा था, यह दुर्भाग्य है। चाहे वह किसी भी पक्ष को हो, जब किसी के ऊपर हमला होता है, हमने उस वक्त भी समर्थन नहीं किया था, जब किसी के ऊपर हमला हुआ था। उत्तर प्रदेश की सरकार चले, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी जो प्रस्ताव लाए हैं, उसका हम विरोध करते हैं और महाराष्ट्र सरकार की बर्खास्तगी की मांग करते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: हमारे साथी रावले साहब ने जो महाराष्ट्र के बारे में बोला है, यह ऐसा विषय है, जिसके संबंध में कुछ न बोलूं और वह बोलते रहे उसका जवाब न दूं तो गलत फहमी हो सकती है।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: आप चर्चा के लिए तैयार हो जाओ, हम तैयार हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इतना कहूंगा कि दुर्ग में महाराष्ट्र के एक एनसीपी के सदस्य की हत्या हुई और वहां पूर्व मुख्य मंत्री का घर लोगों ने जलाया। हम यह कहना चाहेंगे कि हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए और जिन्होंने घर जलाया, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): किसने घर जलाया है?

श्री शिवराज वि. पाटील: जिसने भी घर जलाया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री मोहन रावले: पुलिस के सामने घर जलाया गया और सरकार को उसका समर्थन था।...*(व्यवधान)* वे कहते थे कि हत्या हुई है इसलिए यह रिएक्शन हुआ है।...*(व्यवधान)* आप हंस रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आप सब्जैक्ट पर बोलते तो यह नौबत नहीं आती।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी उसमें अपराधी है, गुनाहगार है, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन ये वहां का सब्जैक्ट यहां पर बोल रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई इंफोर्मेशन नहीं है।

श्री मोहन रावले: आपके पास घर जलाने की सूचना तो है न।...*(व्यवधान)* उसको गांव वालों ने मार डाला है, उस पर बलात्कार का केस है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): उपाध्यक्ष जी, जिन बातों पर बहस हो रही है उसमें से बहुत सारी बातें इधर से या उधर से विषय से बाहर हो गयी हैं। जब यू.पी. पर बहस हो रही है तो सवाल यह है कि क्या मायावती जी की सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है या फिर गवर्नर ने ठीक काम किया या गलत काम किया है। जब चुनाव हुए तो हमने और सबने देखा कि राज्यपाल महोदय का क्या रोल था। उनको चाहिए था कि जो पार्टी एक नम्बर है वे उसे बुलाते और कहते कि सरकार बनाइये। अगर वे नहीं बना पाते तो जो दूसरे नम्बर पार्टी थी उसको सरकार बनाने के लिए बुलाते। लेकिन राज्यपाल महोदय ने आपने आप फैसला कर लिया और असैम्बली को सस्पैंड कर दिया। बीजेपी के साथ बात हुई और मायावती जी की सरकार बना दी। मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस गवर्नर का काम है? गवर्नर संविधान का रक्षक होता है और उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से गवर्नर साहब ने गलत काम किया है। उन्होंने अपने आप कह दिया कि बहुमत है, बहुमत है। यह काम कैसे गवर्नर का हो गया कि देखते फिरे वह बहुमत में है या अल्पमत में है। सरकारिया कमीशन ने साफ कहा है कि अल्पमत या बहुमत देखना है तो विधान सभा में देखा जाएगा। एक माननीय सदस्य संविधान में पढ़ रहे थे कि संविधान में यह है वह है। हम सभी को पता है कि सरकारिया कमीशन ने साफ कहा है कि विधान सभा में अल्पमत या बहुमत देखा जाए। मायावती जी सरकार चलाना चाहती हैं। यहां पर बहुजन समाज पार्टी के लोग दलितों की बात करते हैं। मायावती जी यहां पर कुछ कहती थीं, दलितों की बात करती थीं लेकिन उन्होंने दोस्ती सरमायेदारों की पार्टी से पाली। यह उनका कैसा जोड़ है? वे सिर्फ राज करने के लिए जोड़-तोड़ कर रही हैं। इन लोगों को भी डर है कि राज चला जाएगा तो पता नही क्या हो जाएगा। इसी डर से ये लोग भी मायावती जी की मदद कर रहे हैं। मायावती जी को चाहिए कि जब वे अल्पमत में हैं तो अपने आप उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। वह इस्तीफा देकर विधान सभा में आ जाएं। यदि उनके पास बहुमत है तो वह दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगी। ऐसे में कोई तूफान नहीं आ जाएगा। मैं बीजेपी से कहूंगा कि वह अपनी इतनी बदनामी मत करवाए और उनसे कहे कि वह इस्तीफा देकर विधान सभा में बहुमत साबित करें। वहां के गवर्नर से कहिए कि हिन्दुस्तान में जो उनकी बदनामी हो रही है, वह उसे न करवाएं। चुपचाप विधान सभा में अल्पमत या बहुमत साबित होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुलायम सिंह जी द्वारा पेश प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अभी लिस्ट में तीन मैम्बर्स श्री विनय कटियार, कुंवर अखिलेश सिंह, और श्री बसुदेव आचार्य के नाम हैं।

[अनुवाद]

मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे संक्षेप में बोले क्योंकि उनके दल के सदस्यों ने उनके दल के लिए आवंटित समय का पहले ही पूरा उपयोग कर लिया है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी द्वारा राज्य का विषय यहां लाया गया है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। यह राज्य का विषय है और राज्य के अंदर इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। अभी लगभग दो महीने पहले वहां बजट सत्र समाप्त हुआ। उस समय भी इसी प्रकार की चर्चा थी कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और बजट पास नहीं होगा, सरकार गिर जाएगी। वहां तमाम प्रकार की अफवाहें, दुष्प्रचार ये सब किया जाता रहा लेकिन इतना लम्बा सत्र चला कि एक बार भी ऐसी नौबत नहीं आई कि सरकार कहीं अल्पमत में दिखाई दे। जब बजट आया तो उस पर सामान्यत: बहस के बाद मतदान होता है लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस वित्त विधेयक पर न कोई वोटिंग करायी, न हिस्सा लिया। उन्होंने वाकआउट किया। वे कम से कम मतदान में हिस्सा लेते तो पता लग जाता कि सरकार कहां है लेकिन आपने उस समय ऐसा काम नहीं किया। आपने कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। जातिवाद की चर्चा की लेकिन मैं इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता हूं। जिस ठाकुरवाद की चर्चा की, जिस छतरी की चर्चा की, हमसे ज्यादा कौन इसका समर्थक हो सकता है? भगवान राम के मंदिर के लिए न जाने हमने कितना संघर्ष किया? आपने गोली चलवायी, हमें कोई शिकायत नहीं है लेकिन कम से कम इस सदन के अंदर जातिवाद का नारा देकर देश को बांटने का काम नहीं होना चाहिए। आज लोक सभा में यह स्थिति पैदा हो गई जिसकी अपेक्षा नहीं थी। जब हम बैठते हैं तो एक साथ चलने की बात करते हैं लेकिन आज यह बात टूटती हुई नजर आ रही है। जब कभी दलितों की चर्चा होती है तो इसमें भी राजनीति आती है।

यह बात ठीक नहीं है कि हमने तीन बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। सत्यता को स्वीकार करने में हर्ज नहीं कि दो बार हमारा गठबंधन टूटा। इसके जो भी कारण रहे हों फिर भी मुख्यमंत्री बनाया तो हमने बनाया। 6 महीने हो गए हैं। वहां की सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार कैसा काम कर रही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता और सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं लेकिन आपका अखबार में एक समाचार छपा। जब सारा विवाद खत्म होकर शान्ति की ओर दिखायी दिया तो आपने स्वीकार किया कि गलत समय पर निर्णय लिया। यदि आपने मान लिया कि गलत समय में निर्णय लिया तो क्या आपको नहीं लगता कि गलत समय पर आपने लोक सभा में बहस करा कर इस मामले को गलत समय में उठाया।...*(व्यवधान)* आपका "टाइम्स आफ इंडिया" में बयान छपा। इस समय जो मुहीम चली, वह ठीक थी या समाचार-पत्र में गलत छपा था? जो भी हो लेकिन छपा था।

श्री मुलायम सिंह यादव: कांग्रेस पार्टी मे किया था।

श्री विनय कटियार: आप कांग्रेस की बात करते हैं। उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन उस समय आप बहुमत की बात करते थे कि कांग्रेस पार्टी ने यह बात कही। लेकिन कांग्रेस किस मुंह से बात करती? मेरी समझ में यह नहीं आया कि कांग्रेस ने जब अधिकृत रूप से नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया लेकिन श्री वी.वी.गिरी जीत गये। क्या उस समय श्रीमती गांधी ने त्याग-पत्र दिया था? किस नैतिकता के आधार पर कांग्रेस बोलती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। वे किसे कहते हैं कि अपराधीकरण कांग्रेस के बाद शुरू हुआ लेकिन उन्हें यह बात समझ लेनी होगी कि उ.प्र. में दीवान अपहरण कांड किसने कराया? अपराधीकरण की जड़ दीवान अपहरण कांड से शुरू हुई और वह कांग्रेस के काल से हुआ।

इन्होंने विकास की बात कर डाली। मैं कानपुर में रह चुका हूं। श्री जायसवाल अभी कह रहे थे। स्वदेशी काटन मील किसके कार्यकाल में बंद हुई, लाल इमली मिल, मयूर मिल, इलगिन मिल -सब कांग्रेस के काल में बंद हुई। चमड़े का उद्योग इन्होंने बंद कराया। जितने काल तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रही, सब फैक्टिरियां उसने बंद कराई। यहां तक कि सीमेंट की फैक्टरी को बेचा गया। उसका जो भी कारण रहा हो, उसे आगे नही चला पाये। केवल राजनीति होती रही और निर्णय बदलते रहे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कौन सी नई फैक्टरी डाली जिसकी कांग्रेस वकालत करे।

यहां पर इन्होंने जुल्म की चर्चा कर डाली। कांग्रेस किस जुल्म की चर्चा करती है? आपातकाल के दौरान किसे बंद नहीं किया गया, इसके बहुत सारे लोग भुक्तभोगी हैं। राजनैतिक दृष्टि से चाहे कुछ बात कहें लेकिन जब कांग्रेस ऐसी बात करती है तो बहुत अफसोस होता है। कांग्रेस ने आज तक के सब रिकार्ड तोड़ डाले जो आज तक नहीं टूटे और न टूटने वाले हैं। वह कांग्रेस का काला इतिहास है और ये लोग संविधान की रक्षा की बात करते हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिये इन्होंने संविधान को बदल डाला। प्रधान मंत्री की कुर्सी बनी रहे, इसलिए सब कुछ कर डाला और आज कहते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में एम.एल.सी के चुनाव में वोट डालते तो वह हार जाता। फिर इन्होंने यह अवसर क्यो छोड़ दिया?

श्री शिवराज वि. पाटील: यह किसने बोला है?

श्री विनय कटियार: यह आपकी पार्टी के श्री जायसवाल ने कहा है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: यह ऐसी सभा है जहां जब वह बोले तो कुछ संगत ही बोला जाए। मैं यहां पर बैठा हूं। वह बोलते ही जा रहे है और सब कुछ असंगत ही बोल रहे है यदि

मुझे इसमें कोई आपत्ति हो तब कहेंगे कि हमने तो इसके बारे में कुछ भी नही कहा। श्री कटियार जी, क्या इस तरीके से आप सदन में चर्चा करना चाहते है? आप तो अब वहां अपने दल के प्रेजीडेन्ट है...*(व्यवधान)* आपके इस रवैये के कारण ही यह सब हो रहा है यह आपके और आपके दल के रवैये के कारण ही वहां यह हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: अगर मैं गलत कहता हूं तो आप चैलेंज कर दीजिए। क्या आपने आपातकाल नहीं लगवाया, क्या राजनैतिक बंदियों को बिना मुकदमा चलाये जेल के अंदर बंद नहीं किया, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। आपने कानून की बात की है आपने अपराधीकरण की चर्चा की है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: किसने यह सब कहा है? हमारे सदस्यों ने यह नहीं कहा है। अन्यथा हमें इस चर्चा का जवाब देने की अनुमति दी जाए।

श्री विनय कटियार: आपने कहा कि अपराधीकरण कांग्रेस के बाद शुरू हुआ।

श्री शिवराज वि. पाटील: आपने सुना नहीं क्योंकि आप उस समय नहीं थे।

श्री विनय कटियार: आपकी पार्टी के सांसद बोल रहे थे, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व पार्टी प्रेजीडेंट रहे हैं। उन्होंने अपराधीकरण की बात कही है कि कांग्रेस के बाद अपराधीकरण शुरू हुआ। अब आप दूसरे दलों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। दीवान अपहरण कांड - आप करते हैं, यह कैसे चलेगा?

श्री शिवराज वि. पाटील: जो आप कह रहे हैं, वह ठीक नही लगता है।

श्री विनय कटियार: लेकिन जो आपने किया, वह ठीक नहीं लगता है। अगर ठीक नहीं लगता है तो मत करिये।

श्री शिवराज वि. पाटील: अयोध्या में क्या किया है, उन्होंने देखा है, हमने देखा है।

श्री विनय कटियार: मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आन्दोलन चलाया है, उसमें क्या आपत्ति है?

श्री बसुदेव आचार्य: बाबरी मस्जिद तोड़ी है।

श्री विनय कटियार: इसमें बाबरी मजिस्द का सवाल नहीं है। डा. राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि औरंगजेब और बाबर विदेशी आक्रांता थे। आप कह दे कि नहीं लिखा है।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या लिखा है?

श्री विनय कटियार: उनकी अपनी डायरी में कोटेशन मिलता है। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता लेकिन चर्चा हुई है। कांग्रेस को कम से कम यह बात नहीं करनी चाहिये थी। अपराधीकरण की बात कांग्रेस ने कही। साथ ही विकास की चर्चा कर डाली।

आप वहां मुख्य मंत्री रहे, उसके पहले कांग्रेस रही, उत्तर प्रदेश में कितने पुल बनते थे। भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में रोज एक पुल बनकर तैयार होता है। विकास की गंगा में ऐसा नहीं है कि किसी ने विकास का प्रयास नहीं किया होगा, कुर्सी पर बैठा होगा, सबने अपने-अपने ढंग से प्रयास किया होगा। कोई कम कर पाया होगा, किसी को कम समय मिला होगा, किसी को ज्यादा समय मिला होगा, लेकिन काम सबने किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां बिजली की समस्या है। यह समस्या पूरे देश में हैं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्या इनके बंगाल में नहीं है। आज वहां वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वहां कोई समस्या नहीं है।

श्री विनय कटियार: आपकी समस्या तो डंडे के बल पर चलती है। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय कहेंगे कि आप बंगाल पर चले गये।

श्री बसुदेव आचार्य: डंडे के बल पर बंगाल में नहीं चलती है। डंडे के बल आप चला रहे हो, यह हमारे यहां नहीं चलता है। आप विषय पर बोलो...*(व्यवधान)* आज सारे इंडस्ट्रीज वाले बंगाल में जा रहे हैं।

श्री विनय कटियार: आपके यहां पूरा चलता है, वहां कोई रिपोर्ट नहीं है, जब तक आपका कार्यालय न चाहे, तब तक रिपोर्ट नहीं हो सकती...*(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र: वहां से सारे उद्योगपति भाग गये हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: मैं उसी पर बोल रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: आप विषय पर बोलों, कहां महाराष्ट्र बंगाल मे जा रहे हो। उत्तर प्रदेश के बारे में बोलों, विधान सभा और राज्यपाल के बारे में बोलो।...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपने इसमें नाम दिया है। आपका नाम भी इसमें है। माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ आपका भी नाम है। इसलिए मैं आपको क्यों छोड़ूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, आपका चान्स इसके बाद आयेगा। आप तब बोलिये। अभी आपका चांस नहीं है। अभी कटियार जी आप इस तरफ देखकर बोलिये और जल्दी अपनी स्पीच खत्म करिये।

श्री विनय कटियार: आप कहें तो मैं आधा मिनट में खत्म कर दूंगा। लेकिन जिसे बहुमत की बात करते हैं।...*(व्यवधान)* मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुलायम सिंह जैसे सम्मानित नेता को मैंने इतना झुकते हुए कभी नहीं देखा, जितना आपने इस बार उन्हें झुकाया। मैं नहीं जानता कि इनके किसी...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: वह झुकने वालों में से नहीं है और हम उन्हें झुकाने वाले नहीं हैं।

श्री विनय कटियार: उन्हें इतना झुकाया, मैं सही बात बोल रहा हूं, श्री मुलायम सिंह यादव जी का स्वभाव पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारा देश जानता है कि वह किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। लेकिन वाह री सत्ता, ऐसी सत्ता हो गई कि आपने उन्हें घंटों प्रतीक्षा कराई...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: देश को बचाने के लिए हम बीस बार झुकेंगे, देश की खातिर हम बीस बार झुकेंगे। आप देश और उत्तर प्रदेश को बरबाद कर रहे हैं।

श्री विनय कटियार: इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जो आदमी रत्ती भर भी नरम होना नहीं जानता था, उसे आप साष्टांग प्रणाम करा रहे हो।

श्री शिवराज वि. पाटील: इससे आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी वजह से आपकी परिस्थिति बिगड़ने वाली है और दूसरों की परिस्थिति अच्छी होने वाली है।

श्री विनय कटियार: आपको ऐसा लग रहा है, अगर यही परिस्थिति थी, अभी मेरा विषयान्तर हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप चेयर की तरफ एड्रैस करेंगे तो ये सारा अवाईड कर सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: असैम्बली बुलाइये, पता चल जायेगा कहां हैं।

श्री विनय कटियार: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कहते हैं कि बहुमत खो दिया। हमने बहुमत कहां खो दिया। आपने 204 की सूची दी, आपके राष्ट्रीय महामंत्री वहां गये और दावे के साथ कहकर आये और उसमें बता दिया कि भाजपा के भी 37 विधायक सम्मिलित हैं। चुनाव हुए, 183 आपने पाये। अगर कांग्रेस उसमें भाग लेती तो इनकी भी क्रास-वोटिंग हो जाती। क्योंकि कांग्रेस ने अपनी लाज बचाई, अपनी पार्टी को बचाया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि कम से कम अपनी पार्टी बचा ली। नहीं तो वहां टूटने वाले थे, इतने ग्रुप्स थे। इसलिए क्रांस-वोटिंग के आधार पर यह सरकार अल्पमत में हैं या बहुमत में हैं, इसका निर्णय नहीं हो सकता। वह सदन का बहुमत नहीं है, वह बाहर का बहुमत है। सदन का बहुमत सदन के अंदर होगा। अभी डेढ़-दो महीने पहले वहां हाउस चला, लम्बा हाउस चला। उसके कारण यह बात हुई, अब फिर हाउस चलने वाला है। आप तैयारी करिये, वहां फिर हाउस चलने वाला है, आप अपने बहुमत को सिद्ध करिये। आपको लगता है कि आप बहुमत में आयेंगे तो आप वहां अपनी सरकार बनाइये, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको बधाई देने जरूर आयेंगे। लेकिन किसी को मुख्य मंत्री बनाना है, किसी को उप-मुख्य मंत्री बनाना है, किसी को मिनिस्टर बनाना है, यह लालच देकर कम से कम पार्टी न तोड़िये। वह जो आप कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: इसकी शुरूवात आपने की है।

श्री विनय कटियार: चलो मान लेते हैं कि शुरूवात हमने की, लेकिन आप उसका अंत क्यों कर रहे हो।

कुंवर अखिलेश सिंह: नहीं कर रहे हैं।

श्री विनय कटियार: कम से कम यह काम मत करिये।

मान्यवर, राज्यपाल जी के संबंध में जो टीका-टिप्पणी की गई, यह तो किसी प्रकार से उचित नहीं है। राज्यपाल तो तीन प्रकार से जिम्मेदार होता है। अगर राष्ट्रपति शासन है तो राज्य की जनता के प्रति वह सीधा जवाबदेह होता है। अगर वहां की चुनी हुई सरकार है तो उसके प्रति है, और तीसरा नंबर वह आता है कि अगर चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार का मुखिया अगर शिकायत करता है कि राज्यपाल हमारी बात नही सुन रहा है, हमारे काम में हस्तक्षेप कर रहा है, तब तो वह तीसरा प्रकार हो सकता है। राज्यपाल ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें इन तीनों प्रकारों में से किसी की अवहेलना हो। आज यहां केवल एक शब्द को बदलकर पूरे राज्यपाल पर माननीय मुलायम सिह जी ने चर्चा कर डाली। यह बात साफ-साफ कही गई थी, आपके चेयर से भी इस पर आया था कि राज्यपालों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के बारे में राज्यपालों की एक समिति बनी हुई थी।

उस मामले पर समिति आहूत की गई थी, उस पर विचार हुआ था, और उसमें राज्यपाल को अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना होता है क्योंकि मंत्रिमंडल ही विधान मंडल के सत्र के लिए एजेन्डा तय करता है। मुझे आश्चर्य है कि आज यहां उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पर चर्चा हो रही है। और इस सदन में किसी भी राज्यपाल के संबंध में चर्चा नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल के विषय में भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। इन तीनों कामों के अलावा अगर कोई आचरण करता हो तब तो लोक सभा में चर्चा हो सकती है अन्यथा राज्यपाल का नाम नहीं आना चाहिए था, यह आपकी चेयर से व्यवस्था दी गई थी। लेकिन आज यहां उल्टा हो रहा है। राज्यपाल पर, महामहिम पर चर्चा हो रही है। जब संविधान का निर्णय हो रहा था तो डा. भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी जिसको मैं क्वोट करता चाहता हूं। यह संविधान सभा के वाद-विवाद खंड 10 के पेज संख्या 2872-2873 पर है। उसमें कहा था:-

> ''आरंभ में ब्रिटिश संविधान के उप निवेशकों के शासन के संबंध में आदेशपत्र राज्यों के प्रधानों को इस संबंध में आदेश देने के लिए रखा गया था कि उन्हें स्वविवेक से प्रयोग करने के लिए जो शक्तियां प्रदान की गई उन्हें कैसे प्रयोग करें। गवर्नर अथवा वाइसराय जिन्हें आदेश दिये जाते थे, भारत मंत्री के अधीन होते थे। यदि कोई गंभीर मामला उठ खड़ा होता था यदि कोई गवर्नर आदेश पत्र द्वारा उसे दिये हुए आदेशों कि बराबर उपेक्षा करता था तो भारत मंत्री से हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त कर सकता था और इस प्रकार आदेशपत्र को प्रयोग में ला सकता था। जहां तक हमारे संविधान का संबंध है, हमने उसमें किसी ऐसे प्राधिकारी के संबंध में उपबंध नहीं रखे जो राज्यपालों को आदेशपत्र के आदेशों का वफादारी से अनुसरण करने के लिए बाध्य करे।''

यह संविधान सभा वाद-विवाद खंड 10 में 11 अक्तूबर 1949 में है कि राज्यपाल को कैसे विवश किया जाएगा, किस प्रकार से चर्चा होगी। यह केवल एक विषय दूसरा दे दिया गया है और राज्यपाल को कटघरे में खड़ा करने की बात कही गई। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि ये संख्या जुटाएं और राज्यपाल को विश्वास दिलाएं। अगर राज्यपाल को विश्वास हो जाएगा तो मेरा ऐसा मत है और मुझे विश्वास है, कि राज्यपाल जरूर हाउस को बुलाएंगे।

माननीय मुलायम सिंह जी ने जो बात कही, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े अपराधियों के उदाहरण दिये। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उम्र में वे बहुत बड़े हैं, कहीं इनको कोई बात चुभ न जाए और फिर हमको टोकें यह अच्छा नहीं है। जो सत्ता में रहता है, कुछ ऐसा खेल चल रहा है और यह बड़ा दुर्भाग्य का खेल है।

आज जिस प्रकार से राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, वह सबको मालूम है। इस हाउस के अंदर जिस प्रकार से सरकार और लोग बोलते हैं, सभी दलों के लोग बोलते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन बाहर जाकर व्यवहार में इसका उल्टा हो रहा है। आप जब मुख्य मंत्री थे, तब सदन के अंदर उपदेश सिंह चौहान ने केवल एक शब्द कहा था कि आपकी सरकार का समर्थन हम नहीं करते। तब आपने बाहर जाकर उसका क्या किया, क्या-क्या कार्रवाई कराई, उससे आप परिचित हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आपने मेरा नाम लिया है, तो आप मेरी भी सुन लीजिए। आप जो जानकारी दे रहे हैं। वह ठीक नहीं है। वे हमारी पार्टी के विधायक थे, लेकिन वे डग्गामारी की बसें चलाते थे। बिना परमिट के बसें चलाते थे। जब हमने बिना परमिट के उनकी बसें नही चलने दीं, तो वे नाराज होकर आपकी पार्टी में चले गए।...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: अब आप कहते हैं कि वे आपके विधायक थे और जब उन्होंने कहा कि वे आपकी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, तो आपने उनकी बसें बन्द करा दीं, तो क्या आपको पहले से ही डग्गामारी से चल रही बसें याद नहीं आई। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आप मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने इसलिए हमारी पार्टी छोड़ी। हमने उन्हें बहुत समझाया कि डग्गामारी की बसें न चलाई जाएं। हमारी और हमारी पार्टी की बदनामी हो रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है, लेकिन जब वे नहीं माने, तो वे पार्टी से अलग हो गए।...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: बड़े-बड़े समाचार पत्रों में मैनपुरी में और आसपास के सारे जिलों में लोग इस बात से परिचित हैं। वैसे सफाई देनी हो, तो किसी प्रकार से की जा सकती है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया कन्क्लूड कीजिए।

श्री विनय कटियार: इससे सब परिचित हैं। इसलिए मैं आपसे और सबसे आग्रह करूंगा कि राजनीति का अपराधीकरण बंद होना चाहिए। एक समय वह था कि अपराधी नेता से बहुत दूर खड़ा रहता था, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि नेता उसके पास खड़े रहते हैं। इस स्थिति में, पूरा सदन सहमत हो, इस पर एक योजना बने, नहीं नहीं तो बारी-बारी से सबकी दुर्गति होने वाली है।

माननीय मुलायम सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो सांवैधानिक शून्यता उत्पन्न हो गई है, उस पर यह संपूर्ण सदन चर्चा कर रहा है। अभी विनय कटियार जी, ने कहा कि महामहिम राज्यपाल को विवाद के घेरे में नहीं लाना चाहिए, बहस में नहीं लाना चाहिए। हम इस सदन के माध्यम से उन्हें कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल का सदैव आदर किया और कभी भी राज्यपाल को विवाद के घेरे में लाने की समाजवादी पार्टी की कोई मंशा नहीं रही।

यह विवाद कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, इस पर जब हम चर्चा करेंगे, तो इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में 14वीं विधान सभा के चुनाव परिणाम आए, तो उस समय समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर कर आई। इससे पूर्व हम आपको ले चलना चाहते हैं जब 13वीं विधान सभा के चुनाव परिणाम आए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आई थी। तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण नही दिया था, तो उस समय लोक सभा के विपक्ष नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्यपाल के उस कदम के विरोध में प्रधान मंत्री आवास के समक्ष भूख हड़ताल करने का काम किया था और उस समय राज्यपाल रोमेश भंडारी के आचरण की निन्दा की थी। इसी सदन में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी जी की निन्दा की थी। मैं सरकार चलाने वालों से जानना चाहता हूं कि उस समय रोमेश भंडारी जी ने जो निर्णय लिया था वह सही था नेता विपक्ष की हैसियत से देश के प्रधान मंत्री के आवास के समक्ष माननीय विरोधी दल के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो भूख हड़ताल की थी, वह सही था?...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: उस समय भी एक मुख्य मंत्री को बिना हाउस में बुलाकर, बहुमत प्राप्त किए हुए मुख्य मंत्री को बर्खास्त कर देना और दूसरे मुख्य मंत्री को शपथ दिला देना, जिसका सदन के अंदर कोई बहुमत नहीं था, उसे शपथ दिलाकर मुख्य मंत्री बना देना, क्या उचित था, आप किस आचरण की बात कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: नहीं, ऐसा नहीं है। मैं विनय कटियार जी से कहना चाहता हूं कि जरा वे अपने ज्ञान में वृद्धि करें, उस समय कोई मुख्य मंत्री बर्खास्त नही किया गया था। 13वीं विधान सभा के चुनाव परिणाम आने के बाद, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल श्री रोमेश भंडारी जी ने की थी और राज्यपाल के उस निर्णय के विरोध में प्रधान मंत्री आवास के समक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भूख हड़ताल की थी और जब 14वीं विधान सभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आए, तो समाजवादी पार्टी जब सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई तो, उस समय मैं सरकार चलाने वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था।

रात्रि 8.00 बजे

उस समय जो परिस्थिति थी, बोम्मई केस का जो उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा था, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं केवल समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया था। राज्यपाल समाजवादी पार्टी के उस दावे से सहमत नहीं हुए और उन्होंने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया।

मैं जानना चाहता हूं कि जब 14वीं विधान सभा में महामहिम राज्यपाल श्री विष्णु कांत शास्त्री जी ने...*(व्यवधान)* आदरणीय कटियार जी, आपके नेता ने, आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह तय किया था कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है इसलिए हम विपक्ष में बैठने का काम करेंगे। यह समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा था। उस समय आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने नेता सदन की हैसियत से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी देने का काम किया था। दो महीने बाद उनकी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच सौदेबाजी चलती रही तब जाकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार पदारूढ़ हुई।

हम आपके माध्यम से सरकार चलाने वाले लोगों से जानना चाहते हैं कि जब 1996 में प्रधान मंत्री जी ने नेता विपक्ष की हैसियत से जो निर्णय लिया था वह सही था या 2002 में नेता सदन की हैसियत से जो निर्णय लिया था, वह सही था। अगर तब उनका कदम गलत था तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए और उनका आज का कदम गलत है तो उन्हें देश के प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। हम सरकार चलाने वाले लोगों से जानना चाहते हैं कि यह विवाद समाजवादी पार्टी ने पैदा किया है या आपको समर्थन देने वाले विधायकों ने पैदा किया है? सर्वप्रथम आठ निर्दलीय विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापिस लिया। उस समर्थन वापिसी के बाद महामहिम राज्यपाल को जो वक्तव्य आया जिस वक्तव्य को हमने मीडिया में सुनने का काम किया। उन्होंने कहा कि वस्तुत: सात निर्दलीय एम.एल.एज. ने ही सरकार से समर्थन वापिस लिया है और एक एं.एल.ए. पहले ही सरकार के विरोध में था। इस सीमा तक जाकर उन्होंने आगे कहा कि आज भी उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार को 210 का

समर्थन प्राप्त है। यह हमने नहीं कहा, आपके नेता श्री लाल जी टंडन ने भारतीय जनता पार्टी के दस सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करने के लिए विधान सभा के समक्ष याचिका दायर की। यह हमने नहीं, आपकी नेता सुश्री मायावती जी ने एक एम.एल.ए. श्री जय प्रकाश यादव की सदस्यता को समाप्त करने के लिए विधान सभा के अध्यक्ष के सामने याचिका दायर की है। आपने ही उन विधायकों का समर्थन खो दिया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके द्वारा प्रस्तुत याचिका. ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: मेरा इतना ही कहना है कि अगर पार्टी के अंदर कहीं कोई विद्रोह करता है...*(व्यवधान)* आपके यहां हुआ तो आपने भी अपने सदस्यों पर कार्यवाही की। आपने अपने विधायकों को कहा...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: हमने अपने संसद सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिए कोई याचिका दायर नहीं की।...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: सबके अलग-अलग कदम हो सकते हैं। ...*(व्यवधान)* अगर मैं समाप्त कर रहा हूं तो आपको क्या आपत्ति है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप यील्ड कर रहे हैं तभी उनका रिकार्ड जायेगा, नहीं तो नही जायेगा। दोनों का एक साथ नहीं जा सकता?

...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: मेरे कथन है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दस सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करने के लिए विधान सभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। बहुजन समाज पार्टी ने अपने एक एम.एल.ए. की सदस्यता को समाप्त करने के लिए याचिका प्रस्तुत की। इन 11 सदस्यों के अलावा सदन के अंदर उनको केवल 199 सदस्यों की का ही समर्थन प्राप्त है और बहुमत चलाने के लिए 202 की संख्या चाहिए। आप यह बताइये कि इनके पास 202 की संख्या कहां है? सरकार बनाने का दावा समाजवादी पार्टी राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी राज्यपाल के समक्ष यह दावा प्रस्तुत कर रही है कि वर्तमान हुकूमत उत्तर प्रदेश की विधान सभा में अपना बहुमत खो चुकी है। मैं अपने इस प्रमाण तर्क के आधार पर कहना चाहता हूं कि तर्क के आधार पर, कानून के आधार पर, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आज अल्पमत में आ चुकी है। कटियार साहब, अगर आपका बहुमत है तो आप क्यों नहीं विधान सभा को बुलाते हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आपने विधान सभा के जिस उपचुनाव का उल्लेख किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अगर वोट देते तो यह कह रहे थे कि चार मार्च तक पता नही क्या होगा।...*(व्यवधान)* आप सुनते रहिए। अगर आप यही करते रहेंगे तो इस देश से लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कोटे के उम्मीदवार को केवल 183 वोट मिले थे। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग वोट डालते है तो वहां पर क्रास-वोटिंग हो जाती।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी वोट डालती तो 220 से 225 मत समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जसवंतसिंह जी को प्राप्त होते। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी पर अपको भरोसा है तो क्यों नहीं विधान सभा का सत्र बुला रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उसमें ऐबस्टेन करेगी, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब भी विधान सभा का सत्र बुलाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी के विधान मंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी जी ने कांग्रेस पार्टी के विधायक के साथ महामहिम राज्यपाल के समक्ष यह कहा है कि यह सरकार बहुमत खो चकी है। 183 संख्या समाजवादी पार्टी के ग्रुप के सदस्यों की ओर 23 की संख्या इनकी है, विनय कटियार जी, 206 का समर्थन हमको प्राप्त है। शब्द याद रखिए, आपकी सरकार के विरूद्ध।...*(व्यवधान)*

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.): अगर आपके पास 206 सदस्यों की सूची है, नाम ले लीजिए, हम सदन बुला देते हैं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: आप कौन होते हैं। आपकी हैसियत नहीं है। जब आपकी हैसियत होगी तो बता दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: कभी आएंगे तो फिर आपके सामने सूची प्रस्तुत की जाएगी।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप मत बोलिए। जब तक मैं आपको अनुमति न दूं आप इस तरह से नही बोल सकते। या तो वह आपकी बात मान ले या आपको मेरी अनुमति मिल जानी चाहिए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: ये हमारे साथ विधान सभा में साथी रहे हैं, हमारे मित्र हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी अंतिम सांसे गिन रही है। आज संविधान की धज्जियां उड़ा कर, संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह बेशर्मी से हुकुमत चलायी जा रही है, जिस तरह चुने हुए विधायकों के ऊपर आरोप लगा कर उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है, अभी भाई राशीद अल्वी बोल रहे थे कि कि जो अपराधी होगा, उसे जेल के अंदर डाला जाएगा। भाई राशिद अल्वी जी, अगर मायावती जी दो-तीन महीने तक किसी तरह से उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठी रहेंगी तो विपक्ष का कोई भी विधायक नहीं बचेगा जो अपराधी की श्रेणी में न आ जाए, सारे विधायक अपराधी की श्रेणी में होंगे और सारे लोग जेल की सलाखों के पिछे होंगे।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1977 को याद करो जब सम्पूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व जेल के अंदर था। 1977 में जब चुनाव हुए थे तो चुनाव परिणाम क्या निकल आए थे। इतिहास से सबक लेने की कोशिश कीजिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनके खिलाफ यह मुकदमा कायम किया गया है, एक दिन तक, दो दिन तक नहीं, पांच साल तक उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी पर थे। जब पांच साल तक वे कैबिनेट मिनिस्टर कुर्सी पर थे तब वे उनकी नजरों में अच्छे व्यक्ति थे लेकिन जैसे ही उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू किया, केवल उन्हें ही नहीं उनके 70 वर्षीय बूढ़े पिता, जो एक सन्यासी का जीवन जीने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ भी फर्जी मुकदमा कायम करने का काम किया गया। यही नहीं, एक दलित विधायक जो रघुराज प्रताप सिंह के समर्थन से जीत कर आए थे, अभी तीन दिन पहले उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम कर उन्हें जेल में डाला गया है। यही नहीं, विधान परिषद के सदस्य अक्षेय गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम किया गया है। कब तक जेल में डालने का काम करेंगे। मिश्रा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपने रामपुर तिराहा कांड का उल्लेख किया। आदरणीय चिन्मयानंद जी, आपने रामपुर तिराहा कांड का उल्लेख किया है। रामपुर तिराहा कांड की टिप्पणी को देख लीजिए। उसके बाद यह साबित हो गया कि गोएबैल्स के रास्ते पर चलने वाले लोगों का असत्य बेनकाब हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को उठा कर पढ़ने का काम कीजिए। रामपुर तिराहा कांड के बाद जो घटना हुई थी, मुलायम सिंह जी ने मुख्य मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश की विधान सभा में खेद व्यक्त किया था, माफी मांगने का काम किया था। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी करने का काम किया।

अभी आप ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्यारे का उल्लेख कर रहे थे। आपने कहा, द्विवेदी जी ने मायावती जी को बचाने का काम किया। एक भाई ब्रह्मदत्त द्विवेदी, मायावती जी को बचाने का काम किया, वह कितनी क्रूर बहन थी जिसने ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्यारे को खुला समर्थन प्रदान करने का काम किया। यह चरित्र आपका है, यह चरित्र हमारा नहीं है। विश्व हिन्दू परिषद के नेता नंदकिशोर रूंगटा की जिस निर्ममतापूर्वक हत्या की गई, विनय कटियार जी, उस अपराधी को जिस तरह से गले लगाने का काम किया गया है, जिसके विषय में कुछ दिन पहले बयान दिया गया था कि इससे हमारी जान को खतरा है, उसे भी गले लगाने का काम किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जरा इन चीजों पर आप नजर डालने का काम कीजिए।

आदरणीय मुलायम सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की भी फ्रंटल आर्गनाईजेशन है लेकिन समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी भी अगर फ्रंटल आर्गनाईजेशन के किसी राष्ट्रीय नेता का कोई अपहरण करेगा, हत्या करने का काम करेगा तो समाजवादी पार्टी ऐसे दुर्दांत अपराधी को कभी लेने का काम नहीं करेगी।

मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में विकास की बड़ी लम्बी-चौड़ी चर्चा हुई है। अगर इतना ही धन है तो आज गन्ना किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है, आज गन्ना किसानों का बकाया मूल्य क्यों नही अदा किया जा रहा है। आज गन्ना किसान अपने गन्ने को जलाने को क्यों मजबूर हो रहे हैं। आज धान का समर्थन मूल्य 550 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए और उन्हें 375, 380 और 390 रुपये मिल रहा है वह अपना धान बेचने को मजबूर हो रहा है। इतना ही नहीं, आप संसद सदस्य हैं, एम.पी.लेड में कलैक्टर लोग आज अपना कमीशन लिए बिना प्रस्ताव स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें थैली पहुंचानी है। वह थैली कहां जा रही है?...*(व्यवधान)* मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। संसद की एक संयुक्त संसदीय टीम चले और सत्यता उजागर न हो तो आप जो कहेंगे, वह सजा मैं भुगतने के लिए तैयार रहूंगा।

आपने अभी कहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास की बड़ी लम्बी-चौड़ी बात हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी एक बार नहीं दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पहली दफा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गन्ने का 25 प्रतिशत रिकार्ड मूल्य बढ़ाने का काम किया और दूसरी दफा जब मुख्यमंत्री बने तो गन्ने का दाम, जो 44 रुपये पर 1992 में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गई थी, उसे 66 रुपये प्रति क्विंटल तक ले जाने का काम किया था। यह हमारी सरकार थी, जिसने मूल्य बढ़ाने का काम किया। मिश्रा जी, 1995 का रिकार्ड आप उठाकर देख लीजिए, 1995 में हमारी सरकार ने गन्ने का मूल्य 66 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था और उस समय से गन्ना मिलें चली थीं, समय से गन्ने की पेराई शुरू हुई थी और समय से किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान हुआ था। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुजन समाज पार्टी-भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है।

मायावती जी की सरकार ने बिजली के सवाल पर भी कहा कि बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, फिर बिजली के क्षेत्र में यह दुर्दशा क्यों हो रही है। विनय कटियार जी, आप तो फैजाबाद क्षेत्र को ही बिलोंग करते हैं। अभी पिछले दिनों बिजली की अनापूर्ति के सवाल को लेकर फैजाबाद में जब आन्दोलन हुआ तो एक नौजवान के ऊपर पुलिस ने लाठियां चलाई और पुलिस की लाठियों से वह नौजवान मौत के घाट उतार दिया गया था। आज स्थिति इतनी बेकाबू हो चुकी है कि जो किसान अपने बकाया गन्ना मूल्य को मांगने के लिए जब थानों के अंदर धरना दे रहे हैं, तहसीलों के अंदर धरना दे रहे हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में मानवता कराह रही है। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए लोग सत्ता का दुरूपयोग कर रहे हैं, अगर उस दुरूपयोग को आपने रोकने का काम नहीं किया तो लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आज अगर रघुराज प्रताप सिंह के 70 वर्षीय बूढ़े बाप को फर्जी मुकदमें में फंसाने की कोशिश की जायेगी और लोगों को लगेगा कि लोकतंत्र में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग लोकतंत्र को अपनी रखैल बनाकर जिस तरह से चाहेंगे, उस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो मुझे कहने में तनिक भी संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का बूढ़ा अपने हाथों में हथियार लेगा और सीधे संघर्ष के लिए बाध्य हो जायेगा। फिर जो पूर्वोत्तर भारत में जो स्थिति देश को भुगतनी पर रही है, उस स्थिति का सामना करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा।

इसलिए मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का गला मत घोटिये। अगर आपको विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी-बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन सरकार को बहुमत प्राप्त है तो आप विधान सभा का सत्र आहूत करिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछलें दिनों जब अनुशासन और शालीनता के सवाल पर सैण्ट्रल हाल में एक राष्ट्रीय सेमीनार बुलाया गया तो उस सेमीनार में यह तय हुआ था कि जो बड़े राज्य होंगे, वे कम से कम साल भर में 90 दिन के लिए और लोक सभा 120, 125 दिन अपनी बैठकों को आहूत करने का काम करेंगे। आज उस मर्यादा का भी पालन नहीं किया जा रहा है। सारे सबूत इनके खिलाफ हैं, उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमें बहुमत प्राप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब तो समाप्त कीजिए।

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं इतनी विनती करना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र की आत्मा है, यह देश का सर्वोच्च सदन है। मैं इस सर्वोच्च सदन से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, उस लोकतंत्र की हत्या तत्काल बंद की जाये। हम यह नहीं कहते कि मायावती की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाये, हम यह नहीं कहते है कि हमारी सरकार का पदारोहन कर दिया जाये। हम केवल इतनी विनती करते हैं कि तत्काल उत्तर प्रदेश की विधान सभा का सत्र आहूत करके विधान सभा के पटल पर बहुमत और अल्पमत का परीक्षण किया जाये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में घटनाएं सम्भवत: भारतीय जनता पार्टी की वाटरलू होने जा रही है और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में उस दल के भाग्य का अन्त होना शुरू होने जा रहा है।

हमने यह प्रश्न नहीं उठाया था बी एस पी और भारतीय जनती पार्टी की सरकार इस वर्ष मई माह में गठित की गई थी। हम यह प्रश्न क्यों उठा रहे है और राज्यपाल की कार्यवाही पर क्यो प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है? क्या यह सही नहीं है कि राज्यपाल के कार्यों की इस सभा में चर्चा की जा रही है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: आपको उत्तर प्रदेश के बारे में क्या मालूम है?

श्री बसुदेव आचार्य: हमें सब मालूम है।

उपाध्यक्ष महोदय: कटियार जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, इस तरह बैठे हुए कमेंट्री न करें।

श्री विनय कटियार: अभी हम बंगाल पर गए, तो इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पर बोलें।

श्री बसुदेव आचार्य: चर्चा उत्तर प्रदेश के बारे में है और आप बंगाल की चर्चा कर रहे थे। हमने भी मुलायम सिंह जी के साथ इस विषय पर नोटिस दिया था।

श्री वियन कटियार: मुलायम सिंह जी ने कोई समझौता नहीं किया। तीसरा मोर्चा आपने बनाया, उसमें शामिल नहीं हुए और वहां के चुनाव में आपको एक भी सीट नहीं दी।

श्री बसुदेव आचार्य: समझौता फिर होगा। हम लोग फिर एकजुटे होंगे, बी.जे.पी. के खिलाफ और कांग्रेस को भी आना होगा। साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना है। यह काम शुरू हो गया है।

[अनुवाद]

महोदय जब भातीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति थी तो स्थगन प्रस्ताव जिसे स्वीकार किया गया था तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वह स्थगन प्रस्ताव पराजित हुआ था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल की भूमिका की इस सदन में चर्चा की गई थी। हम राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे है।

महोदय, सरकारिया आयोग ने पैरा 4.6.09 में बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि राज्यपाल राज्य के बाहर से होना चाहिए। लेकिन वर्तमान राज्यपाल उत्तर प्रदेश से ही राज्य सभा मे निर्वाचित हुए थे। मैं उद्धृत करता हूं:

> ''वह एक असंबद्ध व्यक्ति होने चाहिए न कि राज्य की स्थानीय राजनीति से अन्तरंग रूप में जुड़ा हुआ हो।''

लेकिन वह राज्य सभा में उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर गए थे। मैं यह भी उद्धृत करता हूं:-

> ''वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे साधारणत: राजनीति में और विशेषकर हाल के विगत समय में अधिक बढ़-चढ़ कर राजनीति में भाग न लिया हो।''

उन्होंने राज्य सभा से त्याग पत्र दिया और हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल बने और फिर उन्हें उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित कर दिया गया। अत: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा जब विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जा रही थी तब सरकारिया आयोग की सभी मार्गनिर्देशों का घोर उल्लघंन किया गया है।

महोदय 1996 में क्या हुआ था। आम चुनावों के पश्चात जब भा.ज.पा. सबसे बड़ा दल बना तो सबसे बड़े दल के नेता को सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया गया। 1989 में आम चुनाव कांग्रेस हार गई थी लेकिन लोक सभा में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में थी। कांग्रेस दल के नेता श्री राजीव गांधी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था उन्होंने सरकार का गठन करने से इन्कार कर दिया। तत्पश्चात श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन हुआ और वह स्थापित हुई।

महोदय, हमने उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव के पश्चात यह प्रश्न उठाया।

[हिन्दी]

हमने इसी सदन में सवाल किया था और प्रधान मंत्री जी मौजूद थे।

[अनुवाद]

महोदय दोहरा मानदण्ड किस लिए अपनाया जाए—एक भारतीय जनता पार्टी के लिए और दूसरों के लिए अन्य। आप प्रधान मंत्री बने। आपको अच्छी तरह मालूम था कि आपके पास बहुमत नहीं था। आपको अच्छी तरह मालूम होते हुए भी आप 13 दिनों के लिए प्रधान मंत्री बने। उत्तर प्रदेश में पिछले विधान सभा चुनाव के पश्चात समाजवादी दल सबसे बड़ा दल बना। समाजवादी दल को 145 सीटे मिली। तो समाजवादी दल को सरकार का गठन करने के लिए राज्यपाल द्वारा आमंत्रित क्यों नही किया? हम राज्यपाल की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

राज्यपाल ने दो माह से अधिक समय से इंतजार किया। चुनाव फरवरी में समाप्त हो गया था। भा.ज.पा.-ब.स.पा. सरकार मई के प्रथम सप्ताह में बनी। ऐसा क्यों था? राज्यपाल ने दो माह तक इंतजार किया। उन्होंने भाजपा और बसपा के बीच समझौते का इंतजार किया। अत: यह प्रश्न उठा।

बाबरी मस्जिद 6 दिसम्बर, 1992 को ढहाई गई। तीन मंत्री, जो अभी भी आरोपी हैं के शपथ पत्र को तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया गया और न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को नया शपथपत्र दाखिल करने को कहा। चुनाव से पूर्व कुमारी मायावती ने, उत्तर प्रदेश की अपनी सभी चुनाव सभावों में चुनाव प्रचार के दौरान, उत्तर प्रदेश के लोगों को यह आश्वासन दिया कि जब वह मुख्य मंत्री बन जाएगी तो वे शपथपत्र दाखिल करना सुनिश्चित करेंगी।

[हिन्दी]

उसके बाद क्या हुआ, सब जानते हैं, क्या कारण बताए, क्यों किया। यह जो सरकार बनी दोनों के मत भिन्न थे। बीजेपी एक थ्रिक्रेटिक स्टेट के पक्ष में है।

श्री राम नाईक: किसने कहा है?

श्री बसुदेव आचार्य: एक मायावती हैं, और दूसरे कहते हैं, वे लोग दलित हैं, दोनो कैसे मिल गए।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: श्री बसुदेव आचार्य, एक मिनट। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम थ्रिक्रेटिक स्टेट में विश्वास करते हैं। मैं इसमें सुधार करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: दोनों कैसे मिल गए? उन्हें अनुभव था। हमारे देश में पहली बार 1996 में एक समझौता हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस समझौते के अनुसार एक व्यक्ति 6 माह के लिए मुख्य मंत्री होगा और फिर 6 माह दूसका व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। वह सरकार 6 माह बाद गिर गई। उसके बाद बीजेपी ने क्या किया, पावर में रहने के लिए। पावर में रहने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस में दलबदल करवाया और लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। बीजेपी ने बीएसपी में दलबदल करवाया और एक अन्य पार्टी बनी। फिर बीजेपी सरकार चलाती रही। पांच साल चलाया और उसके बाद जब बीजेपी हार गई और लोगों ने उसे नकार दिया तो उन्होंने खुलकर यह घोषणा की कि भाजपा सरकार नहीं बनाएगी।

[हिन्दी]

हम विपक्ष में रहेंगे। क्या इस बात को नही कहा था। ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ? क्यों कम्प्रोमाईज हुआ और फिर मिल गए। क्या सौदेबाजी हुई, सबको मालूम है।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): कोई सौदेबाजी नहीं हुई है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप क्यों बोल रहे थे कि हम चुनाव के बाद सत्ता में नहीं जाएंगे, हमें रिजेक्ट कर दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या जनादेश था? श्री राम नाईक जी, कृपया बताऐं कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध था कि नहीं। जनादेश भाजपा के विरुद्ध था।

[हिन्दी]

उसके बावजूद भी आप सत्ता में चले गए।...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान: वहां जो एम.एल.ए. थे, वे जनता से चुनकर आए थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। इसलिए मिली-जुली सरकार बनी है और यह जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: भाजपा की नैतिकता क्या है?...*(व्यवधान)* आपका दल मतभेदों का दल है। क्या अन्तर/मतभेद है? आपकी क्या नैतिकता है? आपने सत्ता में बने रहने के लिए हर चीज का बलिदान किया है...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री ने एस.आर. बोम्मई मामले के निर्णय का यहां उल्लेख किया है। निर्णय में क्या कहा गया है? महोदय यह कहा गया है,

> "हमारे संविधान में अंर्तनिहित, लोकतंत्र के सिद्धान्त में आवश्यक रूप से यह तात्पर्य है कि इस प्रकार के किसी भी प्रश्न का निर्णय सभा पटल पर किया जाना चाहिए।"

यहां किसी भी ऐसे प्रश्न का तात्पर्य यह है कि क्या सरकार के पास बहुमत है या नहीं। इसमें आगे कहा गया है:

> "सभा वह स्थान है जहां लोकतंत्र कार्यशील है। राज्यपाल को उक्त प्रश्न का निर्णय स्वत: सत्यापन से नहीं करना चाहिए। यह विषय उसके आत्म संतोष का नहीं है। यह तथ्य उद्देश्य-परक है जिसे सभा के पटल पर रखा जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

अभी कहा जा रहा था कि कैसे अल्पमत में आ गए हैं, क्या यह प्रमाणित हो गया है। इस सवाल को हम लोगों ने नहीं उठाया।

[अनुवाद]

यह प्रश्न हमने गत चार अथवा पांच माह से नहीं उठाया है। हम अब इस प्रश्न को क्यों उठा रहे हैं? यह इसलिए है कि विरोध है। अनेक एम एल ए दलबदल कर गए, उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया है। अनेक एम एल ए, बी एस पी-बी जे पी सरकार का समर्थन कर रहे थे। अब उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है और यह सिद्ध हो गया है। जब विधान परिषद के चुनाव थे तो, यद्यपि कांग्रेस ने मैदान में भाग नहीं लिया, इस गठबंधन को कितने मत मिले? इन्होंने बोला कि वह बाहर का है, अंदर का नहीं है। यह इसलिए हम अंदर का चाहते हैं। यह बाहर का नहीं है। यह चुनाव विधान सभा के भीतर हुआ था। यह चुनाव अंदर हुआ था, उसमें क्या हुआ? उन्हें कितने मत मिले। उन्हें 194 मत मिले। बहुमत के लिए कितने मत चाहिए? बहुमत के लिए 202 या 203 मत चाहिए। आपके दस कम हो गए। जब प्रश्न उठाया गया तो, हमारे राज्यपाल...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र: एम एल सी के वोट बहुमत में कैसे जोड़ेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: श्री मिश्र, यह आपका तर्क है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, आप दो मिनट में खत्म कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, दो मिनट में खत्म नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। आप हमें थोड़ा समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने सारा समय ले लिया है। आप मेरी तरफ देख कर बात करेंगे तो जल्दी खत्म हो सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, ठीक है।

[अनुवाद]

जब यह सिद्ध हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अल्पमत में आ गई है-तो राज्यपाल का वक्तव्य देखकर आश्चर्य हुआ।-मैने किसी भी राज्यपाल को इस प्रकार का वक्तव्य जारी करते हुए नहीं देखा। कि सरकार के पास बहुमत है। उन्होंने श्री मुलायम सिंह यादव को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा, अपनी सूची को लाने को कहा और फिर वह विधान सभा की बैठक बुलाएंगे। अरे, वे कैसे करेंगे, आप असैम्बली बुलाओं। आप विधान सभा की बैठक बुलाने में अनिच्छुक क्यों है? श्री मिश्र, आप विधान सभा की बैठक क्यों नही बुलाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): कर लेगें, नो प्रॉब्लिम।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: असैम्बली बुलाई जाएगी, उसमें इस सवाल को फेस किया जाएगा। तब आपका भ्रम दूर हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: निर्णय कौन करेगा। क्या राज्यपाल महोदय इसका स्वयं निर्णय करंगे। राज्यपाल महोदय विधान सभा की बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं। हम इस सरकार को इसके अल्पमत में आ जाने के कारण हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम इसकी मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी सहज मांग यह है कि विधान सभा का सत्र बुलाया जाए और कुमारी मायावती के नेतृत्व वाली सरकार को राजभवन में नहीं बल्कि विधान सभा में बहुमत सिद्ध करने हेतु कहा जाए। यह श्री बोम्मई के मामले में स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है। राज्यपाल महोदय मायावती सरकार को बहुमत सिद्ध करने हेतु क्यों नही कर रहे हैं? उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिये कहने में क्या समस्या है? श्री राम नाईक जब महाराष्ट्र में ऐसा होता है तो मुख्य मंत्री को राज्यपाल महोदय द्वारा विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने हेतु कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के लिए अलग प्रकार का मानदंड क्यों अपनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने राज्यपाल द्वारा विधान सभा की बैठक बुलाये जाने के पश्चात अपना बहुमत सिद्ध कर दिया था।

[हिन्दी]

आप तो सिर हिला रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की थी लेकिन सरकार को गिरा नहीं सके।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): आप देखते रहिये, वहां हमारी सरकार आयेगी।

श्री बसुदेव आचार्य: आसानी से नहीं आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्टर खैरे, हम बहुत मुश्किल से इन्हें संभाल रहे हैं, आप बीच में न बोलें। इन्हे अपना भाषण करने दें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय मैं श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विधान सभा की बैठक बुलाए और कुमारी मायावती की सरकार की विधान सभा में बहुमत सिद्ध करने हेतु कहें।

[हिन्दी]

विधान सभा का अधिवेशन जल्दी से जल्दी बुलाकर अपने बहुमत को प्रमाणित करें। कांग्रेस ने भी राज्यपाल महोदय से मिलकर मांग की है कि अधिवेशन बुलाओं। कांगेस ने भी बोला है कि सरकार अल्पमत में आ गई है तो गवर्नर का दायित्व है कि विधान सभा का सत्र बुलाकर बहुमत प्रमाणित किया जाए और यही हमारी भी मांग है। जब गृह मंत्री जी चर्चा का जवाब देंगे तो इस बारे में जरूर बताएंगे और गवर्नर को यहां से निर्देश भेजेंगे कि वह विधान सभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत प्रमाणित करवाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभी वक्ता बोल चुके हैं। माननीय उप प्रधान मंत्री 28 नवम्बर, 2002 को उत्तर देंगे। अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 नवम्बर, 2002/ 6 अग्रहायण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।